वार्षिक रिपोर्ट

2011-12

सत्यमेव जयते

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्री के. बालाचन्दर को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करते हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री चौधरी मोहन जातुया भी चित्र में हैं।

सत्यमेव जयते

lwpuk vkSj izlkj.k ea=ky;

Hkkjr ljdkj

okf"kZd fjiksVZ

2011 – 2012

महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित
टाइपसेटिंग : ए.ए.आर रेप्रोग्राफिक, लाजपत नगर, नई दिल्ली
मुद्रक : चार दिशाएं प्रिटंर्स प्रा. लि., नौएडा –201301

vuØe

o"k dh e[; miyfC/k;k

1 एक झलक 1
2 मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य 5
3 नई पहल 9
4 सूचना क्षेत्र की गतिविधियां 13
5 प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां 87
6 फिल्म क्षेत्र की गतिविधियां 201
7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत गतिविधियां 255
8 नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 259
9 सेवाओं में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 262
10 राजभाषा का अनुप्रयोग 264
11 महिला कल्याण से संबंधित गतिविधियां 266
12 सतर्कता संबंधी मामले 268
13 नागरिक घोषणा–पत्र और शिकायत समाधान तंत्र 269
14 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित मामले 271
15 लेखा और आंतरिक अंकेक्षण 273
16 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की टिप्पणिया 279
17 कैट के फैसलों/आदेशों का कार्यान्वयन 280
18 योजना परिव्यय 281
19 मीडिया इकाइयों के अनुसार बजट 293
20 सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक चार्ट 297
मंत्रालय के पदनाम 298
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के वेबसाइट पते 301

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन के बाद पोस्टर प्रदर्शनी देखते हुए

Ok"k dh ie[k miyfC/k;k

lpuk Ldl/k

- मंत्रिमंडल ने 1867 के प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण विधेयक के स्थान पर प्रेस एवं पुस्तक तथा प्रकाशन विधेयक–2011 को मंजूरी दे दी है। नया विधेयक सरकारी नीतियों में उदारीकरण की वजह से प्रिंट मीडिया क्षेत्र में तेजी से हुए विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मई 2011 में 'जनता को रिपोर्ट 2010–11' का प्रकाशन किया गया जिसमें सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया है।
- भारत और अफगानिस्तान ने 24 मई, 2011 को सूचना और प्रसारण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन क्षेत्रों में मीडिया नीतियों का विकास, मीडिया क्षेत्र में सुधार और पुनर्गठन के मुद्दों का पता लगाना और मीडिया संबंधी कार्यक्रमों का विकास और उनका मानकीकरण शामिल है।
- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए 'भारत निर्माण' अभियान के तहत विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के बारे में विभिन्न मीडिया में विशद अभियान चलाया।
- गीत एवं नाटक प्रभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में नवंबर 2011 तक, 'जमुनिया–तस्वीर बदलते भारत की' शीर्षक से 22 ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा विकास के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहलों पर आधारित हैं।
- क्षेत्रीय प्रचार निर्देशालय ने प्रायोजित भ्रमण/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के अंतर्गत देश भर में महत्वपूर्ण व्यक्तियों/स्थानीय नेताओ की यात्राएं आयोजित की।
- पहली बार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने एसएमएस और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के जरिये विज्ञापन जारी करने के लिए एजेंसियों का पैनल तैयार किया। निदेशालय ने इन दोनों माध्यमों के जरिये सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर विज्ञापन अभियान भी चलाया।
- पत्र सूचना कार्यालय में 19–20 अक्तूबर 2011 को नई दिल्ली में आर्थिक संपादकों का वार्षिक सम्मलेन आयोजित किया। इस सम्मलेन में प्रमुख आर्थिक ओर ढांचागत मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
- पत्र सूचना कार्यालय ने गोवा में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय भारत फिल्म महोत्सव 2011 के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुविधा के लिए मीडिया केंद्र की भी स्थापना की।
- वर्ष 2011 के दौरान (मार्च से दिसम्बर 2011 तक) पत्र सूचना कार्यालय ने देश के विभिन्न राज्यों में 89 लोक सूचना अभियान आयोजित किए।
- राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और सूचना भवन की इमारतों के निर्माण में काफी प्रगति हुई। इन दोनों भवनों का पिछले कुछ वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है। दोनों ही भवन का निर्माण कार्य 2012 में संपन्न हो जाएगा।
- 2 दिसंबर, 2011 को वर्ष 2012 का कलेंडर जारी किया गया। सरकार के भारत निर्माण और फ्लैगशिप कार्यक्रम इस कलेंडर की विषय–वस्तु है। देशभर में जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक वितरण के लिए 12 लाख कलेंडर छापे गए है।
- वर्ष 2009 और 2010 के भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार 28 दिसंबर, 2011 को प्रदान किए गए। ये पुरस्कार चार वर्गों– पत्रकारिता ओर जनसंचार, महिला–विमर्श, बाल साहित्य और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों या अप्रकाशित पांडुलिपियों के लिए दिए जाते है।
- वर्ष 2011 के दौरान अमरावती (महाराष्ट्र) और आइजोल (मिजोरम) में भारतीय जनसंचार संस्थान के क्षेत्रीय केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया। यहां पर अंग्रेजी पत्रकारिता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए।

- फोटो प्रभाग ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि–स्वरूप 19 और 20 नवम्बर, 2011 को कोलकाता में 'प्रियदर्शिनी इंदिरा' प्रदर्शनी लगाई। फोटो प्रभाग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए चौथी राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जिसमें जनजातीय जीवन से जुड़े चित्रों को शामिल किया गया।

izlkj.k Lda/k

- केबल टीवी सेवाओं के क्षेत्र में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) को अनिवार्य बनाने संबंधी मंत्रालय के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने 13 अक्तूबर, 2010 को मंजूरी दे दी। इसके अंतर्गत पूरे देश में केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की रूपरेखा तैयार की गई है और 31 दिसंबर, 2014 तक एनालॉग सेवाओं को समाप्त करने का प्रावधान है।
- मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर, 2011 को जारी एक अधिसूचना के जरिए डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम को चार चरणों में लागू किया जायेगा। पहले चरण में 30 जून, 2012 तक चार महानगरों में यह प्रणाली लागू हो जाएगी। दूसरे चरण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 38 शहरों को 31 मार्च, 2013 तक इस प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। बाकी बचे शहरी क्षेत्रों में 30 सितंबर, 2014 तक यह प्रणाली लागू हो जाएगी। चौथे और अंतिम चरण में 31 दिसंबर, 2014 तक देश के बाकी बचे हिस्सों में यह प्रणाली लागू हो जाएगी।
- डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम को लागू किए जाने के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया है और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 को 31 दिसंबर, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- डीडी डायरेक्ट प्लस प्रसार भारती की पहली और एकमात्र निःशुल्क डीटीएच सेवा है। इसके अलावा इस समय 6 निजी डीटीएच ऑपरेटर भी सेवाएं दे रहे हैं। डीटीएच क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है और 2012 की पहली छमाही में 3.85 करोड घरों में सेवा उपलब्ध होने का अनुमान है।
- गैर–कानूनी चैनलों की समस्या से निपटने के लिए मंत्रिमंडल ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 में संशोधन के प्रस्ताव को 30 अगस्त, 2011 को मंजूरी दे दी। इसी क्रम में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक 2011 को 15 दिसंबर, 2011 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में गैर–कानूनी चैनलों की समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी संशोधन किए गए है।
- सामान्य मनोरंजन चैनलों पर होने वाले प्रसारण के विनियमन के लिए प्रसारणकर्ताओं ने मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श करके एक विनियमन प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत 13 सदस्यीय प्रसारण विषय–वस्तु शिकायत परिषद् का गठन किया गया है। इस परिषद् ने 01 जुलाई, 2011 से काम करना शुरू कर दिया है।
- दूरदर्शन डायरेक्ट टू होम सेवा पर निजी टीवी चैनलों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए और अपने राजस्व में वृद्धि के लिए दूरदर्शन ने 21 खाली चैनलों के स्लॉट ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किए। 28 जुलाई, 2011 को हुई इस नीलामी से दूरदर्शन को ₹ 46.32 करोड़ मिले। पांच अन्य खाली चैनलों के स्लॉट आवंटित करने के लिए दूसरी ई–नीलामी 2011 को हुई जिससे दूरदर्शन को ₹ 16.66 करोड. मिले।
- कार्यरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन विज्ञान भवन में 7 से 9 अप्रैल, 2011 तक आयोजित किया गया। पहला सामुदायिक रेडियो संग्रह भी तैयार किया गया है जिसमें इन स्टेशनों की चुनौतियां और सफलता की कहानियां आदि शामिल है। श्रेष्ठ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सम्मानित किया गया।
- मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए अब तक 363 आशय पत्र जारी किये है। वर्ष 2011 में कुल 100 आशय पत्र जारी किए गए थे जो कि एक रिकार्ड है। देश में इस समय 125 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यरत हैं।
- 31 जनवरी 2012 तक देश के 85 शहरों में 245 निजी एफएम रेडियों चैनल प्रसारण कर रहें थे
- एफ एम (चरण 3) नीति के तहत करीब 227 नए शहरों में एफएम सेवाएं शुरू की जाएंगी जिसे मिलाकर 294 शहरों में 839 नए एफएम रेडियो चैनल हो जाएंगे। इस समय देश के 86 शहरों में एफएम रेडियो प्रसारण सेवा उपलब्ध है।

- भारत से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के बारे में नीति दिशा–निर्देशों में संशोधनों को मंत्रिमंडल ने 7 अक्तूबर, 2011 को मंजूरी दी और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर 5 दिसंबर, 2011 को अधिसूचित कर दिया गया।
- 1 अप्रैल, 2011 से 31 जनवरी, 2012 की अवधि के दौरान 158 टीवी चैनलों को भारत से अपलिंकिंग की अनुमति दी गई और इस प्रकार इन चैनलों की कुल संख्या 733 (समाचार और सामयिक मामलों के चैनल–386 और गैर–समाचार एवं गैर–सामयिक मामलों के चैनल–347) हो गई है। इसी अवधि के दौरान 15 टीवी चैनलों को भारत में डाउनलिंकिंग की अनुमति प्रदान की गई और इस प्रकार के चैनलों की कुल संख्या 89 हो गई है।
- 1 अप्रैल, 2011 से 31 जनवरी, 2012 की अवधि के दौरान 5 टेलिपोर्टों को भारत से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग की अनुमति दी गई है और ऐसी अनुमति प्राप्त टेलिपोर्टों की कुल संख्या 87 हो गई है।

fQYe Ld/k

- प्रख्यात नृत्य निर्देशक, प्रशिक्षक और लेखिका सुश्री लीला सैमसन को 1 अप्रैल, 2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मानद आधार पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर 'फिल्मों में टैगोर की कहानियां' शीर्षक से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा तैयार की गई छः डीवीडी का सैट जारी किया गया।
- 14वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म समारोह निदेशालय की प्रविष्टियों को विशेष प्रदर्शन के लिए चुना गया। वर्ष 2010 में गोवा में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण मयूर जीतने वाली फिल्म 'मोनेर मानुश' को शंधाई समारोह के गोल्डन गोब्लेट फिल्म प्रतियोगिता खंड के लिए नामित किया गया। 'रावनन' फिल्म को 'इंडिया शोकेस' खंड के लिए चुना गया।
- कान फिल्म समारोह 2011 के दौरान एकीकृत अभियान के रूप में 'भारत का सिनेमा' और 'अतुल्य भारत' को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर प्रदर्शित किया। यह समारोह 11 से 22 मई, 2011 तक कान में आयोजित किया गया।
- नई योजना स्कीम के रूप में राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज अभियान को योजना आयोग ने 28 जून, 2011 को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना पर 6 अरब 60 करोड़ रूपये खर्च होंगे इस योजना के तहत मंत्रालय की विभिन्न इकाईयों और लोगों के निजी संग्रहों में उपलब्ध विरासत फिल्मों के डिजिटल संस्करण तैयार करने का प्रस्ताव है।
- 28 जून, 2011 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच संयुक्त दृश्य–श्रव्य निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं को दोनों देशों में निर्माण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 14 जून, 2011 को मुम्बई में सीआईआई के सहयोग से 'संवाद सीबीएफसी 2011' संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी में फिल्म उद्योग के विभिन्न पक्षों से जुड़े विशेषज्ञों ने सिनेमा और प्रमाणन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
- राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने 9 सितंबर, 2011 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार–2010 प्रदान किए। भारतीय सिनेमा की प्रगति और उसके विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए वरिष्ठ तमिल फिल्म निर्माता के.बालाचन्दर को दादा साहेब फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म 'अडमिन्टे मक्कन आबू' को दिया गया।
- मंत्रालय, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता और भारतीय फिल्म एंव टेलीविजन संस्थान, पुणे को संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है।
- गोवा में 23 नवंबर से 03 दिसंबर, 2011 तक 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया। फिल्म अभिनेता शाहरूख खान इस समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में पहली बार लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड शुरू किया गया।

पहला पुरस्कार फ्रांसिसी फिल्म निर्माता बरट्रॉ तेवरनिए को प्रदान किया गया। अलेजानद्रो लेंडेस द्वारा निर्देशित और फ्रांसिसो अलज्यूरे द्वारा निर्मित कोलंबिया की फिल्म 'पोरफीरियो' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया। मलयालम फिल्म 'अडमिन्टे मक्कन आबू' को विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्रदान किया गया।

- 42वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने 'भारतीय सिनेमा में संगीत और गीत' शीर्षक से पोस्टर और चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में संगीत निर्देशकों, गीतकारों और पार्श्वगायकों के योगदान को दर्शाया गया। गोवा में 24 से 27 नवंबर, 2011 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्म बाजार के पांचवे संस्करण का आयोजन किया।
- बाल चित्र समिति ने हैदराबाद में 14 से 20 नवंबर, 2011 तक 17वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह आयोजित किया। समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का स्वर्ण हाथी पुरस्कार ईरान की फिल्म 'मीडोस' को दिया गया। भारतीय फिल्मों के वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण हाथी पुरस्कार 'चिल्लर पार्टी' को दिया गया।

vkfFkd Ldi/k

- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए सूचना और प्रसारण क्षेत्र पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट योजना आयोग को सौंपी गई।
- मंत्रालय के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) तैयार करके योजना आयोग को सौंपी गई।
- आर्थिक सलाहकार परिषद् ने निजी टीवी चैनलों, एफ रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियों स्टेशनों पर सरकारी प्रचार के लिए स्पॉट/टिकर/स्क्रॉल के संबंध में मापदंड, दर संरचना और एमपैनलमेंट के बारे में सिफारिशों से संबंधित रिपोर्ट पेश की।
- राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद के अनुरूप मीडिया ओर मनोरंजन क्षेत्र के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व सचिव श्रीमती आशा स्वरूप की अध्यक्षता में एक नवप्रवर्तन परिषद गठित की गई है। यह परिषद इस क्षेत्र में नवप्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करेगी। वर्ष के दौरान आयोजित अपनी 6 बैठकों में परिषद् ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व विशेषज्ञों, लाभार्थियों और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया।
- मंत्रालय को कम कागजों के उपयोग वाला कार्यालय बनाने की दिशा में 'ई–कार्यालय' परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कई नए तरीके अपनाए जा रहे हैं।

गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह – 2011 के रंगारंग उद्घाटन के
अवसर पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर की मनोरम प्रस्तुति

डीएवीपी के 2012 का केलैंडर जारी किए जाने के समारोह के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी, गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम तथा अन्य मंत्रिमंडलीय सहयोगी

v/;k;&1

,d >yd

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस और मुद्रित प्रकाशन, विज्ञापन तथा संचार के परंपरागत माध्यमों जैसे नृत्य और नाटक आदि के द्वारा लोगों को सूचना प्रदान करने में प्रभावकारी भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु–समूह के लोगों की मनोरंजन संबंधी जरूरतें पूरी करता है और राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। मंत्रालय चार स्कंधों में विभाजित है अर्थात् सूचना स्कंध, प्रसारण स्कंध, फिल्म स्कंध और एकीकृत वित्त स्कंध। मंत्रालय 21 मीडिया इकाइयों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय का मुख्य सचिवालय सचिव की देखरेख में कार्य करता

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी, सू.प्र. राज्य मंत्री श्री चौधरी मोहन जातुया, पूर्व सू.प्र. सचिव श्री रघु मेनन, डॉ. देवीसिंह रामसिंह शेखावत और अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली में 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर

है जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार तथा एक मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं। मुख्य सचिवालय के विभिन्न स्कंधों में 17 पद निदेशक/उप सचिव स्तर के, 25 अवर सचिव स्तर के, एक वरिष्ट पीपीएस, 5 पीपीएस, 57 राजपत्रित तथा 265 गैर–राजपत्रित स्तर के हैं। अवर सचिव के पदों में एक उपनिदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा), एक विशेष कार्य अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा एकांश द्वारा पद स्थापित किया जाने वाला) और एक वरिष्ठ विश्लेषक शामिल हैं।

संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन) के अंतर्गत सूचना स्कंध प्रिंट एवं प्रेस मीडिया संबंधी नीतिगत मामलों और सरकार की प्रचार आवश्यकताओं की देखरेख करता है। यह स्कंध मंत्रालय का सामान्य प्रशासन भी संचालित करता है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण) के अंतर्गत प्रसारण स्कंध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मामलों की देखरेख करता है। यह इस क्षेत्र के लिए नीतियां, नियम तथा विनिमय तैयार करता है। इसमें केबल टेलीविजन, प्राइवेट टेलीविजन चैनलों, एफएम और कम्युनिटी रेडियो आदि का लोक सेवा प्रसारण हेतु संचालन शामिल है।

संयुक्त सचिव (फिल्म) के अंतर्गत फिल्म स्कंध फिल्म–क्षेत्र संबंधी मामलों का संचालन करता है। यह स्कंध वृत्तचित्रों के निर्माण एवं वितरण एवं फिल्म उद्योग के विकास एवं इन्हें बढ़ावा देने वाली गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, फिल्म समारोहों के आयोजन, आयात एवं निर्यात विनिमयन इत्यादि के कार्य करता है।

अपर सचिव एवं वित्त सलाकार (एएस एंड एफए) के अंतर्गत एकीकृत वित्त स्कंध मंत्रालय के वित्तीय पहलुओं की देखरेख करता है। इसमें बजट, योजना समन्वय और प्रचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) गतिविधियां शामिल हैं। आर्थिक सलाहकार, अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार की सहायता करता है। मंत्रालय अपनी गतिविधियां 13 संबद्ध तथा

lpuk vkj izlkj.k e=ky; d vrxr fofHkUu dk;ky; rFkk ifrf"Bku

lac) rFkk v/khuLFk lxBu	Lok;Rr lxBu
1. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय	1. प्रसार भारती (भारत का प्रसारण निगम)
2. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	2. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे
3. प्रेस सूचना कार्यालय	3. भारतीय जन संचार संस्थान
4. प्रकाशन विभाग	4. भारतीय बाल फिल्म समिति
5. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	5. भारतीय प्रेस परिषद
6. फिल्म समारोह निदेशालय	6. सत्यजीत रे फिल्म एवं
7. गवेषणा, संदर्भ तथा प्रशिक्षण प्रभाग	टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
8. फिल्म प्रभाग	**lkoltfud {k= d m|e**
9. फोटो प्रभाग	
10. गीत और नाटक प्रभाग	1- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
11. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	2. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स
12. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	इंडिया लिमिटेड
13. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र	

अधीनस्थ कार्यालयों, 6 स्वायत्त संगठनों तथा दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से संचालित करता है।

कार्य आबंटन नियामावली के अनुसार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के कार्य अत्यंत व्यापक है, जिन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा फिल्म से संबंधित कार्यों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

lpuk vkj i lkj.k e=ky; d dk;

- आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से विदेश में रह रहे भारतीयों सहित सभी लोगों के लिए प्रसारण सेवाएं प्रदान करना
- प्रसारण ओर टेलीविजन सेवा का विकास
- फिल्मों का आयात और निर्यात
- फिल्म उद्योग का विकास एवं संवर्द्धन
- फिल्म समारोहों का आयोजन और इस उद्देश्य हेतु सांस्कृतिक आदान–प्रदान
- भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार और प्रकाशनों के बारे में फीडबैक प्राप्त करना
- फिल्म प्रमाणन के संबंध में चलचित्र अधिनियम 1952 को लागू करना
- राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रकाशन और मीडिया के जरिए देश के भीतर और बाहर भारत के बारे में जानकारी का प्रचार करना
- अनुसंधान, संदर्भ तथा प्रशिक्षण के माध्यम से मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सहायता करना
- मंत्रालय के संस्थानों में विशेष योगदान करने वाले विशिष्ट कलाकारों, संगीतकारों, वादकां, नृत्यकारों, नाटककारों आदि को वित्तीय सहायता देना
- प्रसारण तथा समाचार सेवाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना

PIB
NATIONAL
DFF
davp
PRESS COUNCIL OF INDIA
PHOTO DIVISION
NEWS
fsi
2011
dfp
BECIL
बेसिल
ntai

v/;k;&2

e=ky; dh Hkwfedk rFkk dk;Z

सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन के संदर्भ में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य निम्नलिखित है :–

I. iz lkj.k uhfr rFkk iz'kklu

- चुनावों के दौरान मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के उपयोग के नियमन और किसी गण्यमान्य व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रीय शोक के समय सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करने सहित रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण से संबंधित सभी मामले।
- निजी भारतीय कंपनियों या भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के संबंध में कानून का प्रतिपादन और कार्यान्वयन।
- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) के अनुसार प्रसारण की निगरानी और प्रबंधन।

ईरान ब्रॉडकास्टिंग के प्रमुख श्री सैयद इजातुल्लाह झरगामी नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी के साथ चर्चारत

- प्रसार भारती को सौंपे जाने तक भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा और भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा से संबंधित सभी मामलों की देखरेख।

II. dcy Vyhfotu uhfr

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 07)।

III. jfM;k

- घरेलू कार्यक्रमों में समाचार सेवा, विदेशों तथा अनिवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो जर्नल, प्रसारण इंजीनियरी के क्षेत्र में शोध, विदेशी प्रसारणों की निगरानी, कार्यक्रम विनिमय तथा लिप्यंतरण सेवाएं, सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को सामुदायिक रिसीविंग सेटों की आपूर्ति सहित आकाशवाणी से संबद्ध समस्त कार्य।
- पूरे देश में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों और ट्रांसमीटरों की स्थापना और प्रसारण सेवाओं का संचालन।

IV. njn'ku

- टेलीविजन कार्यक्रमों के सांस्कृतिक आदान–प्रदान सहित अन्य विनिमय।
- पूरे देश में टेलीविजन का विकास जिसमें कार्यक्रम निर्माण केंद्रों तथा ट्रांसमीटरों की स्थापना, रखरखाव और संचालन शामिल है और टेलीविजन सेवाओं का संचालन।
- दूरदर्शन से बाहर टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहन।

V. fQYe

- केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 60 के अंतर्गत विधान अर्थात 'सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन की मंजूरी'।
- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) का कार्यान्वयन।
- सिनेमाघर तथा गैर–सिनेमाघर प्रदर्शन के लिए फीचर ओर लघु फिल्मों का आयात।
- फीचर और लघु, दोनों तरह की फिल्मों का निर्यात।
- उपयोग में नहीं लाई गयी सिनेमेटोग्राफ फिल्मों तथा फिल्म उद्योग में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों का आयात।
- विकासात्मक तथा संवर्धनात्मक गतिविधियों सहित, फिल्म उद्योग के सभी मामले।
- भारत में बनी फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कारों की स्थापना के जरिए और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करना।
- देश के अंदर तथा विदेशों में प्रचार के लिए वृत्तचित्रों और न्यूज रील तथा अन्य फिल्म एवं फिल्म–स्ट्रिप्स का निर्माण एवं वितरण।
- फिल्मों तथा फिल्म–सामग्री का संरक्षण।
- भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन तथा विदेशों में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी।
- सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोहों का आयोजन।
- फिल्म सोसाइटी संबंधी कार्य।

VI. foKkiu vkj n'; izpkj

- भारत सरकार की तरफ से विज्ञापनों को तैयार करना और उन्हें जारी करना।

VII. izl

- प्रेस के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों और गतिविधियों की प्रस्तुति और व्याख्या।
- प्रेस से संबंधित सूचना समस्याओं के बारे में सरकार को सलाह देना, अखबारों में व्यक्त लोगों के विचारों की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में सरकार को सूचित करना और सरकार एवं प्रेस के बीच संपर्क बनाना।
- सशस्त्र सेनाओं के लिए और उनकी ओर से प्रचार करना।
- प्रेस के साथ सरकार के सामान्य संबंध जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 95 और 96 का कार्यान्वयन शामिल नही है।
- अखबारों के संदर्भ में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) का कार्यान्वयन।
- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) का कार्यान्वयन।
- समाचार पत्रों को न्यूजप्रिंट का आवंटन।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी डीएवीपी के 2012 के सरकारी कैलेंडर को जारी किए जाने के बाद दिखाती हुईं। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी.चिदम्बरम, सू.प्र. राज्य मंत्री डॉ. एस. जगतरक्षकण, सू.प्र. सचिव श्री उदय कुमार वर्मा और डीएवीपी के महानिदेशक श्री ए.पी. फ्रैंक नरोन्हा चित्र में हैं।

VIII. iidk'ku

- देश–विदेश में लोगों को भारत के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करने तथा राष्ट्रीय महत्व के मामलों में आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री और वितरण।

IX. 'kks/k ,o lanHk

- प्रकाशित सामग्रियों से संबंधित शोध संबंधी सामग्री तैयार करने, उसके संग्रह और संकलन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाइयों की सहायता करना।
- महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी का सार–संग्रह तैयार करना और मंत्रालय एवं उसकी इकाईयों के इस्तेमाल के लिए सम–सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्ग–दर्शक एवं संदर्भ सामग्री संकलित करना।

X. vU; dk;l

- भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार।
- पत्रकार कल्याण–कोष का कार्यान्वयन।
- आकाशवाणी और अन्य मीडिया इकाईयों की सफलता में उल्लेखनीय योगदान करने वाले लब्ध प्रतिष्ठित संगीतकारों (गायन एवं वाद्य), नर्तकों एवं रंगमंच कलाकारों या उनके आश्रितों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराना जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो।
- एशिया–प्रशांत प्रसारण संघ, राष्ट्रमंडल प्रसारण संघ और गुट–निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल से संबंधित सभी मामले।
- भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' एवं 'ख') का संवर्ग प्रबंधन।

फोटो प्रभाग द्वारा 'भारत के युवा' विषय पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त मेदिनीपुर के श्री संतोष कुमार जाना की प्रविष्टि

vè;k;&3

uÃ igy

dcy Vyhfotu uVodl e fMftVy ,Mlcy ç.kkyh dh 'kq:vkr

भारतीय प्रसारण उद्योग पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। 800 सेटलाइट टेलीविजन चैनलों, 245 एफएम चैनलों और 100 से ज्यादा सामुदायिक रेडियो नेटवर्कों के साथ भारतीय प्रसारण उद्योग सबसे पहले प्रसारण उद्योगों में एक है।

सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क की वर्तमान ऐनालॉक सेवा की कमियों को दूर करने के लिए इसे डिजिटाइज करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। संसद के दोनों सदनों में 2011 के शीतकालीन अधिवेशन में केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में इस सिलसिले में संशोधन पारित किया जा चुका है ताकि डिजिटाइजेशन के लिए जरूरी कानूनी प्रावधान किए जा सकें।

डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) विभिन्न चरणों में समयबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इस बारे में 11 नवम्बर, 2011 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके अनुसार 30 जून, 2012 तक चार महानगरों में केबल प्रसारण डिजिटाइज हो

बॉलीवुड सितारे श्री शाहरुख खान फ्रेंच निर्माता श्री बर्ट्रेंड तावेर्नियर को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का प्रथम जीवन–पर्यंत उपलब्धि सम्मान प्रदान करते हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी और गोवा के मुख्यमंत्री श्री दिगम्बर कामथ भी चित्र में मौजूद हैं।

जाएगा। 31 दिसम्बर, 2014 को इस योजना का चौथा और अंतिम चरण संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में केबल प्रणाली डिजिटाइज हो जाएगी।

,Q,e jfM;¨ foLrkj Qt III

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 7 जुलाई 2011 को हुई बैठक में निजी एजिंसियों के जरिए एफ रेडियों प्रसारण के तीसरे चरण के दौरान का फैसला किया। इस बारे में 25 जुलाई 2011 को दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए। इसके अतंर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा 3जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम नीलामी की तरह बढ़ती दरों पर ई–नीलामी की जाएगी। तीसरे चरण में एक लाख और ज्यादा आबादी वाले सभी शहर निजी एफ रेडियों चैनलों के दायरे में आ जाएगें इस योजना के प्रावधानों में अपने मूल रूप में आकाशवाणी समाचार बुलेटनों का प्रसारण और विदेशी सीधे तथा संस्थागत निवेश को वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करना शामिल है योजना के तहत जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपीय इलाकों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं।

Òkjrh; tulapkj lLFkku dk {k=h; dUæ dh LFkkiuk

मंत्रालय ने जम्मू–कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में जनसंचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का फैसला किया है। इनमें से महाराष्ट्र में अमरावती और मिजोरम में आईजोल में क्षेत्रीय केन्द्र काम भी करने लगे हैं और यहां अंग्रेजी पत्रकारिता तथा जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। जम्मू–कश्मीर में जम्मू में और केरल में कोट्टायम में 2012–13 शैक्षिक सत्र से पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना है।

foKkiu rFkk n'; çpkj fun'kky; dk dkedkt e ikjnf'krk ykuk

मंत्रालय विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के कामकाज में पारदर्शिता और सेवाओं में चुस्ती लाने के लगातार

58वें राष्ट्रीय फिल्म समारोहों की गैर–फीचर फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री ए.के. बीर और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की ज्यूरी के अध्यक्ष श्री अशोक वाजपेयी सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री चौधरी मोहन जातुया इंडिया/भारत 2012 का लोकार्पण करते हुए

प्रयास कर रहा है। डीएवीपी ने पिछले दिनों पैनल में शामिल रेडियो तथा टीवी चैनलों और अखबारों को इलैक्ट्रॉनिक तरीके से वर्क ऑर्डर जारी करने और भुगतान करने की प्रणालियां शुरू की हैं।

Òkjrh; jk"Vªh; fluek laxzgky;

मंत्रालय ने मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसद में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय की स्थापना का काम शुरू कर दिया है। यह संग्रहालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा और फिल्मों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदर्शित करेगा। फिल्म प्रेमियों, फिल्म निर्माताओं, समालोचकों तथा इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काफी उपयोगी जानकारी होगी। संग्रहालय में भारतीय सिनेमा के एक कलात्मक माध्यम के रूप में विकास की झांकी दिखाई जाएगी। इस संग्रहालय की स्थापना पर ₹ 121.55 करोड़ खर्च होंगे। 1913 में भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष में यह संग्रहालय खुल जाएगा।

,fues'ku] xsfeax] oh,Q,DI ds jk"Vªh; mRd"Vrk dsUæ dh LFkkiuk

एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के उभरते क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधनों का विकास करने के लिए सरकार ने 52 करोड़ की लागत से यह केन्द्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित एनिमशन और गेमिंग सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कुशल कर्मियों की आवश्यकता होगी जिसके जरिए कहानियां कहने की हमारी पुरानी परम्परा को एक नया स्वरूप मिलेगा। पंजाब राज्य सरकार ने मोहाली में 12 एकड़ जमीन की पहचान कर ली है और इसे निःशुल्क इस संस्थान की स्थापना के लिए दे दिया गया है।

jk"Vªh; fQYe /kjksgj fe'ku

मूक फिल्मों के युग से अब तक भारतीय फिल्मों की धरोहर के संरक्षण के लिए ₹ 660.62 करोड़ की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत फिल्म प्रिंट को दुरूस्त करके डिजिटाइज और संरक्षित किया जाएगा। यह कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाना है।

{ks=h; uoizorZu ifj"kn~

जुलाई 2011 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद् (नेशनल इनोवेशन काउंसिल) के अनुरूप एक क्षेत्रीय नवप्रवर्तन परिषद् का गठन किया। विभिन्न क्षेत्रों के जाने–माने विशेषज्ञों को इस क्षेत्रीय नवप्रवर्तन परिषद् का सदस्य बनाया गया है। यह परिषद् सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई तथा आधुनिक पहल करने की समग्र रूपरेखा तैयार करेगी।

उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी राष्ट्रीय प्रेस दिवस (11 नवम्बर 2011) के अवसर पर 'मीडिया एज एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ पब्लिक एकांउटेबिलिटी' पुस्तक का लोकार्पण करते हुए । सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काटजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

v/;k;&4

lpuk {k= dh xfrfof/k;k

मंत्रालय का सूचना स्कंध मुख्य रूप से सरकार के प्रिंट मीडिया और प्रचार आवश्यकताओं के नीतिगत मामलों को देखता है। यह स्कंध मंत्रालय और भारतीय सूचना सेवा संवर्ग के सामान्य प्रशासन की देखरेख भी करता है। सूचना क्षेत्र के तहत इन गतिविधियों को नीचे दी गयी प्रचार इकाइयों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

i= lpuk dk;Zky;

(www.pib.nic.in)

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी पत्र–पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को संप्रेषित करने वाली केन्द्रीय एजेंसी है। प्रचार माध्यमों और सरकार के बीच माध्यम की भूमिका निभाने के अलावा पीआईबी पत्र–पत्रिकाओं में व्यक्त जनता की राय से सरकार को अवगत भी कराता है।

पत्र सूचना कार्यालय विभिन्न संचार माध्यमों, जैसे प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, प्रेस विवरण, फोटोग्राफ, संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा बेस, प्रेस टूर आदि के जरिए सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करता है। अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 'जय हे' की श्रव्य–दृश्य प्रस्तुति को जारी करते हुए। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी और आवास, शहरी गरीबी निवारण तथा संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा भी मौजूद थीं।

एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित 8400 अखबारों एवं मीडिया संगठनों के जरिए सूचना प्रकाशित की जाती है। पीआईबी अधिकारी अपने–अपने संबद्ध मंत्रालयों को अपेक्षित सेवा निरंतर उपलब्ध कराते हैं और साथ ही मंत्रालयों के संदर्भ में मीडिया की सूचना जरूरतें भी पूरी करते हैं।

lxBukRed <kpk

पत्र सूचना कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख, प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं। उनकी सहायता के लिए एक महानिदेशक और 8 अपर महानिदेशक हैं। इसके अलावा पीआईबी में निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक और मीडिया एवं संचार अधिकारी हैं जिन्हें उनके पद और मंत्रालय के आकार, महत्व एवं संवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध किया गया है।

पत्र सूचना कार्यालय के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जिनका प्रमुख अपर महानिदेशक स्तर का अधिकारी होता है। इसके अलावा 34 शाखा कार्यालय और सूचना केन्द्र हैं। क्षेत्रीय प्रेस और अन्य मीडिया की सूचना आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुख्यालय से जारी प्रचार सामग्री को स्थानीय भाषा में जारी करने के अलावा पीआईबी के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय अपने क्षेत्र में केन्द्रीय मंत्रालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण अवसरों पर मूल प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस नोट, संदर्भ सामग्री आदि भी जारी करते हैं। ये कार्यालय किसी क्षेत्र विशेष के लिए केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों की सतत आधार पर सूचना संप्रेषण का कार्य भी करते हैं।

i/kkue=h ,dd

प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रचार एवं मीडिया सहायता उपलब्ध कराने के लिए पीआईबी में एक प्रतिबद्ध एकक है। यह एकक 24 घंटे और सातों दिन आधार पर काम करता है और प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अवकाश के दिनों सहित हर रोज मीडिया रिपोर्टों का संकलन करता है। इस एकक की गतिविधियों में निम्नांकित शामिल हैं :

- प्रातः माननीय प्रधानमंत्री के लिए समयबद्ध रूप से मीडिया रिपोर्ट तैयार की जाती है जो हर रोज पूर्वाह्न 9:15 बजे तक भेजी जाती है। इसमें अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय अखबारों से विषय–वस्तु शामिल की जाती है।
- प्रातः हिन्दी अखबारों से संपादकीय लेखो का सार तैयार किया जाता है।
- दोपहर के समय क्षेत्रीय अखबारों से फीडबैक तैयार की जाती है।
- साप्ताहिक पत्रिका रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में मीडिया से बातचीत की जाती है।
- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी), कैबिनेट सचिव के लिए समाचार कतरन तैयार करना।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए श्रीनगर से विशेष फीडबैक रिपोर्ट।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए उर्दू अखबारों से फीडबैक रिपोर्ट।
- कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन।
- प्रधानमंत्री के भाषणों/बयानों का लिप्यंतरण और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए शुभकामना/बधाई/षोक संदेषों को जारी करना और वेबसाइट पर अपलोड करना।
- कैबिनेट के निर्णयों को जारी करना और वेबसाइट पर अपलोड करना।
- मीडिया संबंधी मंत्रियों के समूह के लिए संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन करना।
- प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति की यात्राओं के बारे में खबरों की कवरेज के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के साथ समन्वय करना।
- क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा कवरेज को अंजाम देना और औपचारिक एवं अनौपचारिक मीडिया सामग्री के बारे में फीडबैक प्रदान करना।

- राष्ट्रपति के चुने हुए आधिकारिक कार्यक्रमों के बारे में प्रेस विज्ञप्तियां/वक्तव्य/संदेश जारी करना और उनकी कवरेज की व्यवस्था करना।
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत अन्य निकायों के लिए प्रचार का आयोजन करना।

u;k i;kl

ehfM;k d ckj e ef=;k dk leg ¼thvk,e½

भारत सरकार ने 10 मई, 2011 को मीडिया के बारे में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। इसका उद्देश्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में मीडिया से नियमित संपर्क करना और सरकार की मीडिया नीति तय करना है। पीआईबी के अधिकारियों का एक प्रमुख दल समाचारों, विचारों और घटनाओं का दैनिक विश्लेषण करने में जीओएम की सहायता करता है ताकि ऐसे विषयों का चयन किया जा सके जिनके बारे में सरकार को सक्रियता के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हो। मीडिया फीडबैक के अलावा पीआईबी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में संदर्भ सामग्री और स्पष्टीकरण टिप्पणियां भी तैयार करता है ताकि मीडिया संबंधी जीओएम को जवाब तैयार करने में मदद की जा सके। पीआईबी जीओएम के संवाददाता सम्मेलनो का आयोजन करता है, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता है और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक कवरेज के लिए मीडिया के साथ संपर्क करता है।

मीडिया संबंधी जीओएम ने विशेष कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 11 मंत्रियों का एक पैनल भी बनाया है। पीआईबी मंत्रियों के इस पैनल को जनहित के मुद्दों के बारे में संदर्भ जानकारी, स्थिति पत्र प्रदान करता है। ब्यूरो जीओएम और मंत्रियों के पैनल की मीडिया के साथ बातचीत में समन्वय स्थापित करता है और तत्संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है।

पीआईबी द्वारा वर्ष 2010–11 से प्रत्यायन की पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गयी। इससे प्रत्यायन की प्रक्रिया त्वरित और आसान हो गयी है। पत्र सूचना कार्यालय विदशी मीडिया और भारतीय मीडिया के प्रतिनिधियों को अपने मुख्यालय से प्रत्यायन प्रदान करता है। वर्ष 2011–12 में भी पीआईबी ने ऑनलाइन प्रत्यायन की प्रक्रिया जारी रखी। अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान 119 संवाददाताओं, 31 कैमरामैनों को नया प्रत्यायन मंजूर किया गया और इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्यायित संवाददाताओं की संख्या 1450 तथा कैमरामैनों/फोटोग्राफरों की संख्या 441 हो गयी। इसके अलावा 86 तकनीशियन, 111 संपादक, 5 कार्टूनिस्ट और 13 संवाददाता–एवं–कैमरापर्सन को भी प्रत्यायन मंजूर किया गया।

pkch lk ?kaV vkj lkrk fnu dke djus okyk fu;a=.k d{k

पीआईबी का एक समाचार कक्ष/नियंत्रण कक्ष है जो वर्ष भर 365 दिन कार्य करता है ताकि दिन या रात में किसी भी समय होने वाली घटनाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके। रात नौ बजे के बाद भी होने वाली किसी आकस्मिक घटना और अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए अल्पावधि नोटिस पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने और पीआईबी केन्द्रों के जरिये तत्काल देश भर में वेब–कास्ट करने यानी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के प्रबंध
ा किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष आपात स्थितियों और संकट के समय चौबीस घंटे और सातों दिन काम करता है। महत्त्वपूर्ण समाचार चैनलों का अनुश्रवण किया जाता है और प्रधान महानिदेशक (पीआईबी) को अद्यतन घटनाओं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रसारित किए जाने आदि के बारे में सूचित किया जाता है ताकि सही समय पर मीडिया हस्तक्षेप किया जा सके।

i=dkj dY;k.k dks"k

पत्र सूचना कार्यालय 'पत्रकार कल्याण कोष' कार्यक्रम को लागू कर रहा है। यह संशोधित कार्यक्रम अपने व्यापक स्वरूप में 25 अगस्त 2010 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कठिन दौर से गुजर रहे पत्रकारों और उनके परिवारों को तत्कालिक आधार पर एकबारगी अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी पत्रकार को पांच लाख रुपये तक सहायता मंजूर की जा सकती है। किसी पत्रकार की मृत्यु होने से घोर परेशानी का सामना कर रहे परिवार को या स्थायी विकलांग होने की स्थिति में स्वयं पत्रकार को राहत सहायता प्रदान की जा सकती है। कैंसर, रीनल फेलियर, हृदय रोग, मस्तिष्क

आघात आदि बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी सहायता दी जा सकती है। दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल होने और अस्पताल में उपचार की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में भी वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे सभी मामले पीआईबी द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं और सिफारिशें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उच्च स्तरीय समिति के पास भेजी जाती है ताकि सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुमोदित कराई जा सके। वर्ष 2011 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की गई।

u;h oc lok,

- **oc lpkfyr lok,** : पीआईबी वेबसाइट (http://www.pib.gov.in), जो सरकारी सूचना का महत्त्पूर्ण स्रोत है, को 2010 में फिर से डिजाइन किया गया ताकि इसे अत्याधुनिक विशेषताओं से सुसज्जित करते हुए उपयोग–कर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाया जा सके। इसमें एक अत्याधुनिक सर्च सुविधा कायम की गई है जिससे आर्काइव यानी पुरानी सामग्री से सूचना प्राप्त की जा सकती है। आर्काइव में पिछले वर्षों के दौरान सरकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रम उपायों और उपलब्धियों के बारे में अपलोड की गई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुख्य वेबसाइट पर तीन भाषाओं, अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में जानकारी उपलब्ध है। पीआईबी के प्रादेशिक कार्यालयों के अपनी वेबसाइट हैं जिन पर सात अलग–अलग भाषाओं यानी तमिल, मलयालम, कन्नड, तेलुगू, बांग्ला, मराठी और मिजो में सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष के दौरान वेबसाइटों को चौबीसों घंटे और सातों दिन अपडेट (अद्यतन) किया जाता रहा।

Û **fodykx 0;fDr;k dh t:jrk ij /;ku nuk** % 2010–11 में फिर से डिजाइन की गई पीआईबी की नई वेबसाइट में विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। इसमें टेक्स्ट रीसाइजिंग, सभी प्रकार के पाठ के साथ फोटोग्राफ, पर्याप्त विविधता और बाधा पैदा करने वाली सामग्री का प्रदर्शन न करना और हिन्दी के लिए यूनिकोड का इस्तेमाल आदि विशेषताएं शामिल की गई है जिनसे यह विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बन गया है।

o"k d nkjku ie[k miyfC/k;k

Û पीआईबी ने मई 2011 में गठित मीडिया सम्बन्धी मंत्रियों के समूह (जीओएम) को सहायता प्रदान की। इसके अंतर्गत जीओएम के लिए मीडिया ब्रीफिंग, संवाददाता सम्मेलनों के आयोजन और उसकी ओर से प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने, जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं।

- नवम्बर 2011 में गठित मंत्रियों के पैनल की ओर मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्त्पूर्ण मुद्दों के बारे में मीडिया को जानकारी देने की व्यवस्था की गई। अप्रैल–दिसम्बर, 2011 की अवधि में 89 जन सूचना अभियान आयोजित किए गए। जनवरी–मार्च 2012 की अवधि में ऐसे 47 और अभियान आयोजित किए जाने हैं।
- अप्रैल–दिसम्बर 2011 की अवधि में 55579 प्रेस विज्ञप्तियां और 3019 विषेष लेख जारी किए गए।
- पीआईबी ने इस्तेमालकर्ता के अनुकूल एक नयी वेबसाइट www.pib.gov.in विकसित की है, जिसमें अधिक विषेषताएं शामिल की गई हैं। यह वेबसाइट त्रिभाषाई यानी अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में है।
- महत्त्पूर्ण घटनाओं, त्वरित मीडिया सहायता के लिए अपलोड की गई प्रेस विज्ञप्तियां की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एसएमएस अलर्ट प्रणाली।
- 2009–10 से पूरी तरह ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली संचालित की जा रही है।
- आपात स्थितियों के दौरान विस्तारित कार्य घंटों में काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
- षिकायत निपटान और सिटीजन चार्टर की ऑनलाइन प्रणाली अपनाई गई।

- **,l,e,l vyVZ flLVe ¼** पिछले वर्ष शुरू की गयी एसएमएस अलर्ट प्रणाली वर्ष 11–12 के दौरान भी जारी रखी गई। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार की महत्त्पूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों की उद्घोषणा, प्रेस विज्ञप्तियों, संवाददाता सम्मेलन, प्रेस ब्रीफिंग और त्वरित मीडिया प्रचार की आवश्यकता वाली घटनाओं के कवरेज के लिए एसएमएस अलर्ट का सहारा लिया जाता है। पीआईबी ने 2011–12 के दौरान एसएमएस अलर्ट प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए वेब–संचालित बॅल्क एसएमएस प्रेषण प्रणाली अपनाई ताकि संवाददाता सम्मेलनों के लिए मीडिया कर्मियों को बुलाने, महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बयान जारी करने, प्रमुख परामर्शों आदि के बारे में एसएमएस से सूचित किया जा सके।
- **f'kdk;r fuiVku rFkk flVhtu pkVZj ¼** पीआईबी ने शिकायत निपटान तथा सिटीजन चार्टर की ऑन लाइन प्रणाली अपनाई है। ऑन लाइन शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट यूआरएल का पता है : http://darpg.grivance.nic.in पीआईबी का प्रयास रहता है कि तीस दिन की समय सीमा के भीतर शिकायत का निपटारा कर दिया जाये। शिकायत का समाधान होने के बाद निर्णय की जानकारी भेजी जाती है और शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति उपरोक्त यूआरएल पर प्रदर्शित की जाती है।

Hkkjr dk varjkZ"Vªh; fQYe lekjksg ¼vkbZ,Q,QvkbZ½&2011

पीआईबी ने गोवा में भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन के लिए मीडिया केन्द्र स्थापित और संचालित किया ताकि समारोह से सम्बन्धित जानकारी मीडिया को संप्रेषित की जा सके। इस मीडिया केन्द्र ने अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान किया और समारोह में मीडिया कर्मियों की भागीदारी में मदद पहुंचाई। भारतीय पैनोरमा की 24 वीसीडी और विश्व सिनेमा की 20 वीसीडी मीडिया में वितरित की गई। भारतीय सिनेमा और विश्व सिनेमा दोनों के बारे में 50–50 कैटलॉग प्रेस को प्रदान किए गए। आईएफएफआई डेली की 150 प्रतियां मीडिया को वितरित की गई। समारोह के दौरान अंग्रेजी में 60 और हिन्दी में 59 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। इसके अलावा 41 प्रेस विज्ञप्तियां मराठी में जारी की गई और 40 सार–संक्षेपों का अनुवाद मराठी में किया गया और मीडिया में प्रचारित किया गया। मराठी की विज्ञप्तियों और सार–संक्षेपों को पीआईबी मुंबई की मराठी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। विज्ञप्तियों में विषेष खंडों, लघु फिल्म केन्द्र पुरस्कारों और प्रस्तुतियों, श्रद्धांजलियों तथा सिंहावलोकन सहित आईएफएफआई गोवा 2011 के सभी पहलुओं की जानकारी दी गई।

मीडिया केन्द्र में सूचना डेस्क पर रखने के अलावा विज्ञप्तियां राष्ट्रीय मीडिया और साथ ही समारोह में उपस्थित मीडिया को ई–मेल भी की गई। प्रेस विज्ञप्तियों को पीआईबी, पीआईबी–आईएफएफआई और पीआईबी मुंबई वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित किया गया। समूचे समारोह के दौरान एक प्रतिबद्ध वेबसाइट http://pib.gov.in/iffi/default/asp कायम किया गया तथा मीडिया कर्मियों को समारोह की अद्यतन जानकारी देने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। फोटो प्रचार एकक (पीपीयू) ने फोटो प्रभाग के सहयोग से 156 कार्यक्रमों को कवर किया और संवाददाता सम्मेलनों,_मुक्त मंचों, रेड कार्पेट्स और प्रस्तुतियों आदि के 190 फोटोग्राफ जारी किए। एकक ने जारी किए गए फोटोग्राफों के करीब 1157 कलर प्रिन्ट मीडिया में वितरित किए।

ykd lpuk vfHk;ku ¼ihvkbZlh½

पीआईबी लक्षित लाभार्थियों को सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी सीधे उपलब्ध कराने के लिए पूरे देष में लोक सूचना अभियान (पीआईसी) आयोजित करता है। इसके लिए ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य सहायक मीडिया इकाइयों के साथ मिलकर, मल्टीमीडिया अभियान चलाता है। लोक सूचना कार्य नीति यह है कि सूचना वितरण को लाभार्थियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए उनके दरवाजे पर सेवा प्रदायगी के साथ जोड़ा जाए। अप्रैल–दिसम्बर 2011 की अवधि में 89 लोक सूचना

अभियान आयोजित किए गए। जनवरी से मार्च 2011 के दौरान 47 लोक सूचना अभियान और आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

i:l Vj

देश के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में सफल लोक कार्यक्रमों की पहचान की जाती है और इन विकास परियोजनाओं को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय एवं स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों को वहां ले जाया जाता है। इनमें दूरदराज के ऐसे गांव शामिल होते हैं जहां व्यक्तियों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रयासों के फलस्वरूप कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया हो। अप्रैल–दिसम्बर 2011 में 32 प्रेस टूर आयोजित किए गए।

vkfFkd laiknd dk lEesyu ¼bZlh½

पीआईबी ने आर्थिक संपादकों के दो दिन के सम्मेलन का आयोजन 19–20 अक्टूबर, 2011 को किया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री द्वारा किया गया। सम्मेलन में पांच मंत्रालयों यानी वित्त मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेलवे, कृषि और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा योजना आयोग ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री रंगराजन ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। इसमें दिल्ली से बाहर से आए देश भर के 43 संपादकों ने भाग लिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय संपादकों, पत्रकारों और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को मीडिया में व्यापक कवरेज मिली। इस अवसर पर मंत्रालयों के संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया गया। भागीदार मंत्रालयों के प्रमुख नीतिगत उपायों के बारे में संदर्भ सामग्री तैयार की गयी, उसे वितरित किया गया और पीआईबी वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी नई दिल्ली में पीआईबी द्वारा आयोजित आर्थिक संपादको के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए

jk"Vifr vkj i/kkue=h d lck/kuk rFkk vfHkHkk"k.kk dk ipkj

जून 2011 में चुने हुए अखबारों के पांच संपादकों के साथ हुए प्रधानमंत्री के व्यापक विचार–विमर्श के लिप्यंतरण की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अनुमोदित लिप्यंतरित प्रति जारी की गई/पीआईबी वेबसाइट पर अपलोड की गई। 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबोधनों की कवरेज सुनिश्चित की गई। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का भाषण प्राप्त किया गया और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए प्रादेशिक/शाखा कार्यालयों को भेजा गया। राष्ट्रपति के भाषण के वेब प्रसारण के इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति के भाषण और तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषताओं को हिन्दी तथा उर्दू में अनुवाद किया गया और अंग्रेजी भाषण के साथ ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

पीआईबी ने लाल किले से दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण और उसकी मुख्य बातों तथा प्रमुख विशेषताओं को जारी करने की व्यवस्था की। अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रेस विज्ञप्तियां ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड की गई और अनुवाद के लिए प्रादेशिक/शाखा कार्यालय को ई–मेल की गयी तथा स्थानीय प्रेस के लिए भेजी गई। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री की अनेक विदेश यात्राएं हुईं, जैसे सितम्बर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन, सितम्बर 2011 में इब्सा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, नवम्बर 2011 में जी–20 सम्मेलन के लिए फ्रांस की यात्रा, नवम्बर 2011 में सार्क सम्मेलन के लिए मालदीव की यात्रा आदि। पीआईबी ने इन सभी यात्राओं के लिए फोटो, भाषणों, वक्तव्यों आदि को व्यापक प्रचार हेतु जारी करने के लिए विशेष प्रबंध किए।

तमिलनाडु में नागरकोइल में पीआईबी द्वारा आयोजित भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत लोक सूचना अभियान

QhM cSd Qhpj vkSj QkVks lsok,a

विभागीय प्रचार अधिकारी अपने मंत्रालयों और विभागों को फीड बैक भी प्रदान करते हैं। विशेष सेवाओं के एक भाग के रूप में पीआईबी की फीड बैक इकाई ने मंत्रालयों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दैनिकों और सामयिक पत्र–पत्रिकाओं की खबरों तथा संपादकीयों के आधार पर दैनिक और विशेष डायजेस्ट तैयार किए।

ब्यूरो की फीचर इकाई ने संदर्भ सामग्री, नवीन जानकारी, इन्फ्रोनगेट्स, विशेष लेख तथा ग्राफिक्स जारी किए, जिन्हें अनुवाद तथा स्थानीय मीडिया में परिचालन के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भी भेजा गया। यह इकाई सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने वाले विशेष लेख जारी करती है इनमें प्रमुख कार्यक्रमों और मुद्दों के बारे में विशेष लेख तथा सफलता गाथाएं शामिल हैं। इकाई औसतन 200 से अधिक विशेष लेख हर वर्ष जारी करती है। अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक 144 विशेष लेख जारी किए जा चुके हैं। जनवरी–मार्च 2012 की अवधि में करीब 55 विशेष लेख जारी किए जाने की संभावना है। ब्यूरो की फोटो प्रचार इकाई ने अप्रैल–दिसम्बर 2011 के दौरान 4040 फोटो जारी किए।

Hkkjrh; foKku dkaxzsl

99वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3–7 जनवरी, 2012 के दौरान कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिस्ट्रयल टैक्नॉलोजी (केआईआईटी यूनिवर्सिटी), भुवनेश्वर में किया गया। इसका विषय था ''महिलाओं की भूमिका के विशेष संदर्भ में समावेशी नवाचार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका''। प्रधानमंत्री ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय ने राष्ट्रीय प्रेस के 24 सदस्यों को वहां ले जाने की व्यवस्था की। इनमें नई दिल्ली से प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधि तथा कालिकट, हैदराबाद, नागपुर और मुंबई से पत्रकारों की टीम शामिल थीं। 300 से अधिक मीडियाकर्मियों ने इस कार्यक्रम को कवर किया। दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी तथा अन्य चैनलों ने स्थानीय स्तर पर समारोह को कवर किया। 15,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने समारोह में हिस्सा लिया, जिनमें वैज्ञानिक, विद्यार्थी और अनिवासी भारतीय तथा कई नोबल पुरस्कार विजेताओं सहित विदशी प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्यक्रम के साथ ही महिला विज्ञान कांग्रेस और बाल विज्ञान कांग्रेस जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। महिलाओं और बच्चों पर जोर देने के अलावा कांग्रेस में अन्य मुद्दों के अंतर्गत मिसाइलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। भारत के सैन्य हथियार विकसित करने वाले प्रमुख संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के मॉडल प्रदर्शित किए। विभिन्न सरकारी विभागों और निजी संगठनों तथा उद्योगों ने विभिन्न प्रकार के अनुसंधान मॉड्यूल्स और कार्यक्रम प्रदर्शित किए।

izoklh Hkkjrh; fnol lekjksg

दसवां भारतीय प्रवासी दिवस 7–9 जनवरी 2012 के दौरान जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। पीबीडी–2012 का विषय था 'ग्लोबल इंडियन–इनक्लुसिव ग्रोथ' यानी 'वैश्विक भारतीय–समावेशी विकास'। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 8 जनवरी 2012 को सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने 15 सुविख्यात अनिवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए और 9 जनवरी 2012 को समापन समारोह को सम्बोधित किया। सम्मेलन से पूर्व 7 जनवरी को 'सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन' के बारे में सेमिनारों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री सुश्री कमला प्रसाद बिसेसर मुख्य अतिथि थीं।

तीन दिन के समारोह को कवर करने के लिए विदेशी पत्रकारों सहित 500 से अधिक मीडिया कर्मियों को विशेष मीडिया प्रत्यायन प्रदान किया गया। प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक और इंटरनेट के माध्यम से संवाददाता सम्मेलनों और प्रेस विज्ञप्तियों के जरिये व्यापक मीडिया कवरेज सुनिश्चित की गई तथा पीआईबी वेबसाइट पर सामग्री अपलोड की गई। व्यापक फोटो कवरेज भी प्रदान की गई।

jktHkk"kk uhfr dk dk;kZUo;u

पत्र सूचना कार्यालय में हिन्दी के निरंतर प्रयोग की दिशा में हर संभव प्रयास किए गए ताकि राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) और राजभाषा नियम, 1976 (1987 में संशोधित) के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों सहित राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और

अनुदशों का अनुपालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। ब्यूरो में राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखती है। समिति की तिमाही बैठकें प्रधान महानिदशक (मीडिया एवं संचार), पीआईबी की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की गई। पीआईबी द्वारा सभी प्रेस विज्ञप्तियां हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में जारी की जाती हैं। पीआईबी की वेबसाइट भी द्विभाषी है। पीआईबी मुख्यालय के अधिकारी राजभाषा नीति और नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों का दौरा करते हैं।

tuojh ekp] 2012 d nkjku vk;kftr dh tku okyh xfrfof/k;k

jy ctV 2012

रेल बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के सदस्यों का संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बजट दस्तावेज की प्रतियां संसद भवन और रेल भवन में स्थानीय मीडिया को वितरित की जाएंगी। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को बजट दस्तावेज भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। पीआईबी मुख्यालय रेल बजट प्रस्तुत किए जाने का काम पूरा होने के तत्काल बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा। रेल बजट भाषण के जारी रहते प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करने के लिए पीआईबी द्वारा रेल भवन में एक समाचार केन्द्र कायम किया जाएगा।

vke ctV 2012&13

पीआईबी आम बजट 2012–13 प्रस्तुत किए जाने के बारे में वित्त मंत्री/सचिव द्वारा संबोधित किए जाने वाले संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करेगा ताकि बजट की मुख्य विशेषताओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके। कार्यालय प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से भी सूचना संप्रेषित करेगा। यह बजट का पूरा सेट मीडिया–कर्मियों को वितरित करने की भी व्यवस्था करेगा। वित्त मंत्री का भाषण जारी रहने के दौरान पीआईबी प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करने के लिए एक सुरक्षित और पृथक समाचार केन्द्र भी स्थापित करेगा। पीआईबी मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की जाएगी। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साक्षात्कारों की भी व्यवस्था की जाएगी।

;ktuk fu"iknu 2011&12

12वीं योजना के दौरान पीआईबी के आधुनिकीकरण और इसे एक व्यावसायिक संगठन बनाने पर विशेष बल दिया गया। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया था कि पीआईबी की क्षमता में सुधार और वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए ताकि वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित सूचना के संप्रेषण का और सरकार को फीड बैक देने का काम कुशलता से कर सके। समाचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचना के ऑनलाइन ट्रांसमिशन के जरिए निरन्तर यह लक्ष्य हासिल किया जा रहा है और कम्प्यूटर नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। सम्बद्ध पक्षों के ज़रूरत की सामग्री पीआईबी वेबसाइट *http://pib.gov.in* पर भी उपलब्ध होती है।

1- ubl fnYyh e jk"Vh; ifl lVj dh LFkkiuk

विश्व स्तरीय मीडिया सेंटर के रूप में राष्ट्रीय प्रेस सेंटर (एनपीसी) कायम करने की योजना बनाई गई है, जिसमें अत्याधुनिक प्रेस कांफ्रेंस हाल, मीडिया ब्रीफिंग कक्ष और मीडिया कर्मियों के लिए ऐसे लॉज, जहां सम्पादन और अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेस सेंटर के निर्माण का काम 2010 में ₹ 60 करोड़ की लागत से एनबीसीसी को सौंपा गया था। निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि 2012 के अंत तक यह सेंटर काम करनाप प्रारंभ कर सके। पीआईबी को एनपीसी की स्थापना के लिए 2011–2012 के बजट अनुमान के अंतर्गत ₹ 20.50 करोड़ की धन राशि आबंटित की गई है। दिसम्बर 2011 तक एनबीसीसी को ₹ 18.00 करोड़ की धन राशि दी गई। निर्माण कार्य की प्रगति अनुबंध में निर्धारित समय सीमा के अनुसार लगभग संतोषजनक है। पीआईबी को 30 करोड़ का भुगतान एनबीसीसी को करना है। तदनुरुप 2011–12 के संशोधित अनुमान में ₹ 9. 50 करोड़ की अतिरिक्त धन राशि प्रस्तावित की गई है।

2- ehfM;k vkmVjht ikxke ¼,e vk ih½

यह नई स्कीम कुल ₹ 49.00 करोड़ के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी थी। स्कीम की कार्यनीति यह है कि लाभार्थियों खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों, के

लिए उनके दरवाजे पर जानकारी सुलभ की जाए। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल है : (i) वार्षिक योजना 2011–12 के दौरान 136 लोकसूचना अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव है। (ii) मीडिया के साथ विचार–विमर्श सत्र, सफलता गाथाओं का वितरण और प्रेस दौरों का आयोजन।

वर्ष 2011–12 के दौरान, पत्र सूचना कार्यालय ₹ 14.50 करोड़ का बजट अनुदान आबंटित किया गया है। 89 लोक सूचना अभियान आयोजित करने और 74 सफलता गाथाओं की कवरेज के आयोजन में दिसम्बर 2011 तक ₹ 6.65 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 14.50 करोड़ के आवंटन में से ₹ 11.14 करोड़ अनुमानित व्यय हो जायेंगे। संशोधित अनुमान स्थल पर ₹14.00 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

3- fo'k"k vk;kstuk dk izpkj dh 0;oLFkk

₹ 2.17 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के साथ ग्यारहवीं योजना में शामिल इस नई स्कीम के तीन उपघटक हैं। ये तीन उप घटक हैं–(i)भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी) (पप) प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) समारोह (iii) मीडिया आदान –प्रदान कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सूचना और जन संचार के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम एवं विकसित करना है। कार्यक्रम घटक इस प्रकार है – (i) सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (ii) संयुक्त कार्य दल (iii) सूचना के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता।

ग्यारहवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए ₹ 174.78 लाख का कुल बजट आबंटित किया गया है। बजट अनुमान 2011–12 में इस स्कीम के वास्ते कुल बजट आबंटन ₹ 15.75 लाख है। सास्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों और संयुक्त कार्यक्रम आयोगों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है, परन्तु यह भागीदार देशों की सहमति प्राप्त होने पर निर्भर है।

foKkiu ,oa n'`'; izpkj funs'kky;

(www.davp.nic.in)

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की स्थापना 1955 में की गयी थी, जो भारत सरकार की नोडल मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी है। पिछले 56 वर्षों में यह कम लागत पर एक ही स्थान से सेवा प्रदान करते हुए लगभग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संचार आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण और शहरीं आबादियों को सूचना एवं शिक्षा प्रदान करता है और उन्हें संचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए विकासात्मक गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। डीएवीपी के विज्ञापन और प्रचार क्षेत्र के कुछ प्रमुख विषयों में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, एड्स जागरूकता, महिलाओं का सशक्तिकरण, कन्या शिशु का उत्थान, उपभोक्ता जागरूकता, साक्षरता, रोजगार के अवसर, आय कर, रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं।

मुख्यालय में डीएवीपी के संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कई अनुभाग शामिल हैं, जैसे प्रचार, विज्ञापन, बाहरी प्रचार, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, मास मेलिंग, श्रव्य–दृष्य स्कंध, डिजाइन स्टूडियो, प्रशासन और लेखा स्कंध।

इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय–नई दिल्ली, बेंगलूरू और गुवाहाटी में स्थित हैं जो क्षेत्रों में निदेशालय की गतिविधियों के बीच समन्वय करते हैं। कोलकाता और चेन्नई में दो क्षेत्रीय वितरण केन्द्र हैं जो क्रमश : पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचार सामग्री के वितरण का काम देखते हैं।

डीएवीपी के अंतर्गत 32 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयों का नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला है। डीएवीपी की क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण संचार संपर्क के रूप में काम करती हैं। क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां देश के दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक और विकासात्मक विषयों के बारे में मल्टी मीडिया प्रदर्शनियों का आयोजन करती हैं ताकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों से संबंधित केन्द्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबद्ध सूचना संप्रेषित की जा सके।

- डीएवीपी में आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और प्रचालनों का प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नयन एक सतत गतिविधि है। डीएवीपी अखबारों और एवी चैनलों को सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रानिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से कर रहा है ताकि प्रक्रिया को अधिक सक्षम, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। डीएवीपी पहले से ही अपने सभी रिलीज आर्डर और प्रिंट मीडिया विज्ञापन डिजाइने

सभी रिलीज आर्डर और प्रिंट मीडिया विज्ञापन डिजाइन ऑनलाइन जारी कर रहा है। इसके अलावा यह प्रिंट मीडिया और श्रव्य–दृश्य माध्यम, दोनों से पैनलबद्ध होने संबंधी आवेदन और बिल भी ऑन लाइन प्राप्त कर रहा है। यह आडियो स्पॉट्स भी ऑन लाइन जारी करने की प्रक्रिया में है। ई–बस सुविधा और एवी सामग्री की आर्काइविंग के जरिए वीडियो स्पॉट्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड करने की शुरूआत भी की जा रही है।

- डीएवीपी द्वारा एक नई सुविधा शुरू की गयी है, जिसके अंतर्गत किसी विज्ञापन के लिए रिलीज आर्डर अपलोड किए जाने के कुछ ही सेकेंडों में संबद्ध प्रकाशनों को एसएमएस भेज कर अलर्ट कर दिया जाता है। इससे प्रकाशकों को अपने लिए जारी किए गए विज्ञापन के बारे में तत्काल पता चल जाता है, यहां तक कि डीएवीपी वेबसाइट ब्राउजिंग से भी पहले उन्हें जानकारी मिल जाती है।
- डीएवीपी ने इस वर्ष अपने वेबसाइट को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल बनाया। अब दृष्टिबाधित व्यक्ति भी बिना किसी बाधा के इस वेबसाइट का लाभ उठा सकते हैं।
- डीएवीपी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने और उन्हें डिजिटलीकृत करने तथा बहुस्तरीय निगरानी की व्यवस्था कर रहा है। इससे सभी स्तरों पर स्वतः रिपोर्ट तैयार हो सकेगी।
- डीएवीपी ने 'डिजिटल सिनेमा' और 'कम्युनिटी रेडियो' को उभरते हुए नए मीडिया के रूप में अपने पैनल में शामिल किया है। विज्ञापन के अन्य नए माध्यमों के रूप में एसएमएस मोबाइल, वेबसाइट को प्रायोगिक आधार पर सूचीबद्ध किया गया है।
- डीएवीपी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2011 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 'गैर–संचारी रोगों' के बारे में प्रदर्शनी आयोजित की।
- प्रधानमंत्री के चुने हुए भाषणों को मुद्रित और वितरित किया गया। तत्संबंधी आवरण को भी नया रूप देते हुए चमकदार एवं आकर्षक बनाया गया।
- डीएवीपी ने प्रिंट और बहुमीडिया श्रेणियों के अंतर्गत क्रमशः 62 और 30 सृजनात्मक एजेंसियों को पैनल में शामिल किया है, जिससे ग्राहकों की आवश्यकताओं को सक्षम एवं प्रभावी रूप से पूरा किया जा रहा है।
- हिन्दी पखवाड़ा और सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसे महत्वपूर्ण समारोहों को नई दिल्ली में बैनरों के माध्यम से आयोजित किया गया जिससे आम जन इन घटनाओं का महत्व जान सकें।
- डीएवीपी के पैनल में शामिल उर्दू अखबारों की संख्या पिछले वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। 2003–04 में इन

o"k dh miyfC/k;k

डीएवीपी ने सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जन जागरूकता के विषय पर भारत सरकार का 2012 का कलेण्डर जारी किया ।

डीएवीपी ऐसी एकमात्र विज्ञापन एंजेसी है जो पूरे देश में सभी पत्र–पत्रिकाओं, रेडियो और सी एण्ड एस चैनलों को आनलाइन रिलीज आर्डर देती है।

डीएवीपी के पैनल में करीब 5200 समाचार पत्र है।

दूरदर्शन के सभी चैनलों सहित 218 केबल और सैटेलाइट चैनल और आकाशवाणी के सभी चैनलों सहित 222 एफएम चैनल डीएवीपी के पैनल में है।

अखबारों की संख्या 181 थी जो इस वर्ष बढ़कर 458 पर पहुंच गयी। उर्दू अखबारों को दिए जाने वाले विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हुई है। 2003–04 में 4.82 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होता था जो 2010–11 में बढ़कर ₹16.89 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) को डीएवीपी के आधुनिकीकरण पर एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया। सीडीसी की सिफारिशों पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

vfHk;ku

वर्ष 2011–12 दौरान डीएवीपी ने उसकी सेवा लेने वाले मंत्रालयों और विभागों की तरफ से कई अभियान चलाए। इन अभियानों में प्रचारित विषयों में से कुछ प्रमुख इस प्रकार थे :

वर्ष के दौरान एक मजबूत स्वस्थ और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और उपलब्धियों समेत 'भारत निर्माण' के बारे में सरकार के प्रयासों को प्रचारित करने के लिए प्रिंट मीडिया में अनेक विज्ञापन जारी किए गए।

डीएवीपी ने वर्ष के दौरान भारत निर्माण अभियान के बारे में दो चरणों में प्रचार किया। पहला चरण 22 मई, 2011 को प्रारंभ हुआ और 10 जून, 2011 तक चला; जबकि दूसरा चरण 6–30 नवम्बर, 2011 के दौरान चलाया गया। प्रथम चरण के दौरान केवल प्रिंट और श्रव्य–दृश्य माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। दूसरे चरण में बाह्य प्रचार, एसएमएस के जरिए प्रचार और इंटरनेट को भी बहु–मीडिया अभियान का हिस्सा बनाया गया। डीएवीपी ने पहली बार प्रदर्शनी वैन का भी इस्तेमाल किया जिससे पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में संदेश संप्रेषित किए गए, जहां अन्य परंपरागत माध्यम नहीं पहुंच पाते थे।

Û **ykxk d fy, dk;Øek d ckj e jkT; fo'k"k lc/kh ifLrdk, ¼** डीएवीपी ने राज्य विशेष से संबंधित पुस्तिकाएं तैयार कीं और उन्हें मुद्रित कराया, जिनमें लोगों से संबद्ध कार्यक्रमों के बारे में सूचना दी गयी थी। अभी तक असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को शामिल किया गया है। पीआईबी के सहयोग से तैयार की गयी पुस्तिकाओं में भारत सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी है।

Û **vke tu d fy, fjikVZ ¼** डीएवीपी ने केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न सेक्टरों में हासिल की गयी उपब्धियों पर भी एक पुस्तिका डिजाइन तथा प्रकाशित की। पुस्तिका का शीर्षक 'रिपोर्ट टू द पीपुल' था जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सामान्य जन के लाभ से संबंधित विकास कार्यों पर प्रमुख सूचनाओं से संबंधित आंकड़े दिए गए।

Û **¶yxf'ki ;kstukvk ij lpuk ifLrdk ¼** डीएवीपी

xk/kh t;rh ½2 vDVcj½ ij fo'k"k vfHk;ku

अंहिसा की शक्ति का संदेश देते हुए प्रिंट अभियान चलाया गया जो अत्यन्त लोकप्रिय और प्रेरणादायक रहा।

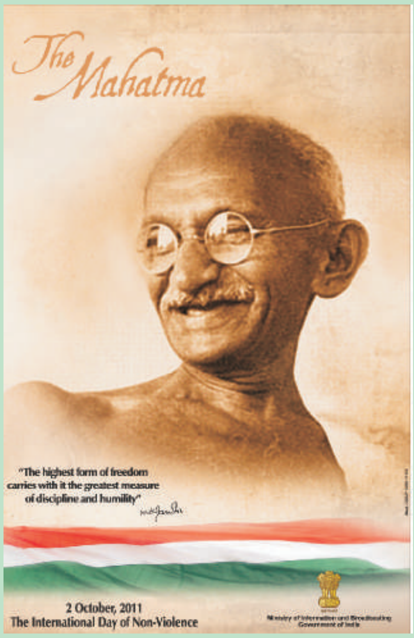

'महात्मा गांधी : जीवन और इतिहास' विषय पर चेन्नई में प्रदर्शनी आयोजित की गई। सभी पैनलों में शामिल पत्र–पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए गए।'

ने विभिन्न विषयों पर 7 सूचना पुस्तिकाएं भी डिजाइन एवं प्रकाशित कीं। इनमें युवा सशक्तिकरण, सूचना का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों का कल्याण, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रम, गांवों के समग्र विकास तथा अजा/अजजा के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल थे। ये पुस्तिकाएं ग्रामीण लोगों में बांटी गयीं जिससे उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया जा सके।

Û **lpuk ,o iz lkj.k e=ky; dk fu;fer fiz V ehfM;k vfHk;ku %** डीएवीपी ने अनेक अवसरों पर नियमित प्रिंट मीडिया अभियान प्रारंभ किए। इन अवसरों में आम्बेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, सद्भावना दिवस, शास्त्री जयंती, सरदार पटेल जयंती, नेहरू जयंती, आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस आदि शामिल थे।

n';&J0; izpkj vfHk;ku

- दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्राइवेट टीवी और रेडियो चैनलों के माध्यम से सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को कवर करते हुए भारत निर्माण के प्रचार के दो चरण आयाजित किए गए जिनमें पहली बार इंटरनेट वेबसाइटों और बॅल्क एसएमएसों का भी इस्तेमाल किया गया।
- उपभोक्ता जागरूकता विषयों जैसे हवाई यात्रा, उपभोक्ता दायित्वों, भ्रामक विज्ञापन, मध्यस्थता एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रचार अभियान में शामिल किया गया।
- आयकर के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए गए।
- अन्य महत्वपूर्ण दृश्य अभियानों में निम्नांकित शामिल हैं : (1) ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो, (2) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन–रक्त सुरक्षा, (3) अग्नि सुरक्षा, (4) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन, (5) जम्मू कश्मीर में पर्यटन, (6) सशस्त्र सेनाओं के लिए भर्ती अभियान, (7) सूचना का अधिकार।

foKkiu

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान (23.12.2011 तक) देशभर में कुल 12,131 विज्ञापन जारी किए गए। इनमें से डिस्प्ले विज्ञापनों की संख्या 1,054 थी जबकि शेष वर्गीकृत विज्ञापन थे। इनमें से कुछ विज्ञापन उपभोक्ता शिक्षा, रैगिंग–विरोधी, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, मलेरिया दिवस, आयोडीन कमी दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (नरेगा), गांधी जयंती, बाबू जगजीवन राम संस्मरण, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन दिवस, सद्भावना दिवस, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस से संबंधित थे।

ubl foKkiu uhfr (2 अक्टूबर 2007 से लागू)

fo'k"krk,a

Û पात्रता की शर्त 36 महीने से घटाकर 18 महीने कर दी गई ।

Û बोडो, गढ़वाली, डोगरी, कश्मीरी, खासी, कोंकड़ी, मैथली, मणीपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू, और जनजातीय भाषाओं /बोलियों तथा जम्मू–कश्मीर , अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तर पूर्व राज्यो को प्रोत्साहन देने के लिए वहां के समाचार पत्रों के लिए पात्रता की अवधि घटाकर 6 महीने कर दी गई ।

Û डीएवीपी के कुल विज्ञापनों में, रकम के अनुसार, 15 प्रतिशत छोटे समाचार पत्रों को, 35 प्रतिशत मझौले समाचार पत्रों को तथा 50 प्रतिशत बड़े समाचार पत्रों को दिए गए।

izn'kfu;k

प्रदर्शनी विंग ने वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान 30 नवम्बर, 2011 तक 439 प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जो 1,758 प्रदर्शनी दिवसों तक चलीं। इस अवधि में विभिन्न इकाइयों ने देश के विभिन्न भागों में 63 जन सूचना अभियानों में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ इस प्रकार थे :

ixfr eSnku esa Hkkjr vrjk"Vh; 0;kikj esyk] 2011

डीएवीपी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2011 के दौरान गैर–संचारी रोगों के बारे में प्रदर्शनी लगाई। तीन मंजिला भवन में प्रदर्शनी सेट के साथ एक मेगा शो आयोजित किया गया। 80 फुट X 40 फुट आकार का एक बड़े फेसिया का निर्माण लेक्स के साथ किया गया।

चारों तरफ की दीवारों को भी कवर किया गया। चित्रावली, दीवार पेंटिंग तथा ट्रांस्लाइट के उपयोग से प्रदर्शनी को और आकर्षक बनाया गया। लोगों को विषय से अवगत कराने के लिए प्लाज्मा टीवी पर ध्वनि और चित्रों का इस्तेमाल किया गया।

अप्रैल से 30 नवम्बर, 2011 तक विभिन्न क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों की विशेषताएं इस प्रकार रहीं :–

- मुख्यालय स्थित इकाई ने मधुमेह जागरूकता विषय पर ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शनी में हिस्सा लिया।
- इस इकाई ने 2 से 4 अक्टूबर, 2011 तक प्रगति मैदान में गांधी मेले में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी प्रदर्शनी आयोजित की।

Û ,eVh,u,y ijQkWeZsal gkWYk eysk % इकाई ने 19 से 23 अक्टूबर, 2011 तक नई दिल्ली के पिलंजी गांव में इस प्रतिष्ठित मेले में हिस्सा लिया। यह आयोजन बड़ा सफल और लोकप्रिय रहा।

fofHkUu {ks=h; iznf'kZuh bdkb;ksa dh tu lpuk vfHk;kuksa esa Hkkxhnkjh

अक्टूबर, 2011 में त्रिवेन्द्रम और जम्मू इकाइयों ने 3 स्थानों पर और चेन्नई, अगरतला तथा मुख्यालय इकाइयों ने एक–एक स्थान पर महात्मा गांधी प्रदर्शनी आयोजित की।

जम्मू इकाई ने जून के महीने में चामलियाल में और अक्टूबर के महीने में झिरी में आयोजित मेलों में हिस्सा लिया।

कोलकाता इकाई ने अगस्त के महीने में चंदनेश्वर, बालासोर जिला, ओडिशा में पर्त उत्कल बंग उत्सव – 2011 और नवम्बर के महीने में हुगली में उत्तरपाड़ा शिल्प मेले में हिस्सा लिया।

पटना इकाई ने जून–जुलाई 2011 के दौरान सौरथ सभा मेले में हिस्सा लिया और 'स्वस्थ ग्राम स्वस्थ भारत' विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की।

आईजोल (मिजोरम) में पीआईबी द्वारा संचालित लोक सूचना अभियान

मोबाईल वैन पर भारत निर्माण प्रदर्शनी

इस इकाई ने सितम्बर, 2011 में सुल्तानगंज में श्रावणी मेले में भी हिस्सा लिया और 'स्वस्थ ग्राम स्वस्थ भारत' प्रदर्शनी आयोजित की। इसी माह के दौरान इकाई ने गया में आयोजित मेले के दौरान भारत निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया।

पटना इकाई ने अक्टूबर, 2011 में बेगूसराय में कार्तिक स्नान मेले में हिस्सा लिया और 'स्वस्थ ग्राम स्वस्थ भारत' प्रदर्शनी आयोजित की।

पटना इकाई ने नवम्बर–दिसम्बर, 2011 में 30 दिन की अवधि के लिए सोनपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित एशिया के मशहूर मवेशी मेले में भी हिस्सा लिया, जहां 'स्वस्थ ग्राम स्वस्थ भारत' विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई।

रांची इकाई ने अगस्त, 2011 में देवघर जिले में श्रावणी मेले में हिस्सा लिया और भारत निर्माण विषय पर 15 स्थानों पर वैन के जरिए प्रदर्शनी आयोजित की।

डीएवीपी ने देश में सर्वाधिक दुर्गम और सुदूरतम गांवों, जहां सरकार की विकास योजनाओं के बारे में संदेश सम्प्रेषित करने में जन संचार माध्यमों की पहुंच पर्याप्त नहीं है, में पहुंचने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए एक नए माध्यम को अपनाया है। डीएवीपी पहली बार मोबाइल प्रदर्शनी वैनों का इस्तेमाल कर रही है ताकि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में संदेश प्रचारित किया जा सके। मोबाइल प्रदर्शनी वैन देश के सुदूरतम स्थानों तक यात्राएं करती हैं। पहले चरण के दौरान प्रायोगिक परियोजना के रूप में इस प्रचार के लिए 30 जिलों की पहचान की गयी है।

t;iqj esa jktLFkku fo/kku lHkk esa ihBklhu vf/kdkfj;ksa dk lEesyu

जयपुर इकाई ने 21 से 30 सितम्बर, 2011 तक हुए पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन के अवसर पर विधान सभा परिसर, जयपुर में 'द लेजिस्लेटिव ऑफ इण्डिया : द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी' विषय पर एक विकासात्मक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की। लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

डीएवीपी की प्रदर्शनी वैन

i|jh e| jFk ;k=k

भुवनेश्वर इकाई ने 2 से 11 जुलाई, 2011 तक पुरी में प्रसिद्ध 'रथ यात्रा उत्सव' में हिस्सा लिया और प्रमुख कार्यक्रम/भारत निर्माण प्रदर्शनी आयोजित की। ओड़िशा के माननीय राज्यपाल श्री महेश्वर मोहंती ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

efnr ipkj

मुद्रित प्रचार में मुद्रित जॉब यानी बहुरंगी पोस्टर, फोल्डर, ब्रोशर, कैलेन्डर, डायरी, पुस्तिकाएं, स्टिकर वॉल हैंगर्स, टेबल कैलेंडर और मुद्रित प्रचार की अन्य विविध वस्तुओं की आयोजना, निर्माण और पर्यवेक्षण शामिल है। आवश्यकता एवं बजट आबंटन के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए योजनाएं/अनुमान भी तैयार किए गए। डीएवीपी तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, उर्दू और हिन्दी जैसी प्रमुख भारतीय भाषाओं में मुद्रित प्रचार सामग्री भी तैयार करता है। इस प्रकोष्ठ में मुद्रकों, टाइपसेटरों और डायरी बनाने वालों का पैनल है जो न्यूनतम संभव समय में और लागत को नियंत्रित रखते हुए कार्य को पूरा करते हैं।

vi|y] 2011& fnlEcj] 2011 d| nkjku i|j fd, x,@ikjHk fd, x, dk;|

dk;|	dk;k| dh l[;k	ifr;k| dh l[;k	dk;| d| fy, Rk; jkf'k¼₹ e½
पोस्टर	9	1,87,250	9,21,744/–
फोल्डर	21	13,47,000	44,73,454/–
पुस्तिका	31	7,03,300	1,18,20,566/–
कलेन्डर	22	18,98,700	5,62,57,479/–
डायरी	5	1,17,300	70,91,400/–
पैम्फ़लेट	1	4,50,000	5,20,715/–
विविध	17	4,34,010	65,75,610/–
;kx	**106**	**51]37]560**	**8]76]60]968/–**

J0;&n'; LdU/k

डीएवीपी का श्रव्य दृश्य स्कंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को व्यापक सेवाएं प्रदान करता है, जैसे श्रव्य दृश्य स्पॉट्स, जिंगल्स, वृत्तचित्र और प्रायोजित कार्यक्रम, आकाशवाणी और प्राइवेट एफएम रेडियो चैनलों, कम्युनिटी रेडियो, दूरदर्शन और प्राइवेट केबल एवं उपग्रह चैनलों, डिजिटल सिनेमा, वेबसाइटों और एसएमएसों के माध्यम से मीडिया प्लानिंग और रिलीज का निर्माण। ऊर्जा संरक्षण और बीईई स्टार लेबलों के प्रोत्साहन के लिए अभियान इस वर्ष भी जारी रहा। अन्य प्रमुख अभियानों में सूचना अधिकार अधिनियम, आयकर, सशस्त्र सेनाओं के लिए भर्ती, नाको आदि शामिल थे।

J0;&n'; fuekZ.k

डीएवीपी द्वारा दो प्रमुख साप्ताहिक प्रायोहिज रेडियो कार्यक्रम तैयार किए गए और आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से उनका प्रसारण किया गया। इनमें शामिल थे – किशोरों से संबद्ध मुद्दों के बारे में 15 मिनट का एक कार्यक्रम 'टेन टीन टू एट टीन' और विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों से संबंधित 15 मिनट का एक कार्यक्रम 'एक कदम खुशहाल जिंदगी को ओर'। यह दोनों कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए गए।

इन प्रायोजित रेडियो कार्यक्रमों के अलावा कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आदि के लिए काफी संख्या में दृश्य–श्रव्य स्पॉट्स और फिल्मों को निर्माण किया गया।

jfM;k@Vhoh pSuy rFkk fMftVy flusek dk bEiSuyesV

31.12.2011 को डीएवीपी पैनल में 210 सी एंड सी चैनल (दूरदर्शन के अलावा) और 215 से अधिक प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन (आकाशवाणी नेटवर्क के अलावा) थे। इसके अलावा वर्ष 2011–12 के दौरान दो एजेंसियों को भी इम्पैनल किया गया जिनके 3500 से अधिक डिजिटल थिएटर थे। सामुदायिक रेडियो स्टेशन इम्पैनल करने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है।

o"kZ 2011 dk nkSjku fMLIys dh la[;k ¼01-04-11 ls 31-12-2012 rd½

Øe la[;k	ik:i@ek/;e	fMLIys dh la[;k
1.	**,;jikVZ lkbust**	81
2.	एनिमेशन	61
3.	2 लेक्स बैनर	28
4.	बस पैनल	13781
5.	बस क्यू शेल्टर	904
6.	बिजली बिल	7800000
7.	होर्डिंग	2157
8	सिटी/मेट्रो कियोस्क	5348
9.	लार्ज/मेट्रो कियोस्क	56
10.	एल सीडी स्क्रीन डिस्प्ले	4182
11.	एलपीजी बिल	750000
12	मेट्रो डिस्प्ले बोर्ड	261
13.	मेट्रो इनसाइड पैनल	475
14.	मेट्रो रेलिंग	120
15.	प्रोग्राम बोर्ड	2
16.	पब्लिक यूटिलिटी	13
17.	रेलवे आरक्षण टिकट	11800003
18.	रेलवे आरक्ष चार्ट	25000
19.	रेलवे स्टेशन डिस्प्ले बोर्ड	89
20.	ट्रेल पैनल–शताब्दी/जनषताब्दी	5233
21.	तिरूपति एक्सप्रेस कार्ड	1900000
22.	अन्डर पास	7
23.	यूनिपोल	296
24.	गैंटी	05
25.	यातायात संकेतक	3016
26	पिलर रैप	1271
27	ऑटो रिक्शा	1975
28.	ग्लोसाइन	96
29.	बैकलिट डिस्प्ले बोर्ड	30
	dqy	**22301759**

oc lkbVk vkj ,l,e,lk d ckj e ik;kfxd ifj;ktuk,

डीएवीपी ने वेबसाइटों और एसएमएसों के जरिए सरकारी विज्ञापन जारी करने की प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित कीं। विज्ञापन जारी करने के लिए देश के 33 उच्च कोटि के वेबसाइटों को पैनलबद्ध किया गया। नौ सेना भर्ती, और आयकर भुगतान से संबद्ध संदेशों से लेकर लैगशिप कार्यक्रमों तक के बारे में प्रति पैसा एसएमएस की दर से 110 एसएमएस भेजे गए।

dE;fuVh jfM;k LV'kuk dk bEiuyeV

डीएवीपी ने पहली बार कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को विज्ञापन जारी करना शुरू किया है। इसके लिए 10 सीआरएस डीएवीपी के पैनल में शामिल किए गए हैं।

fuekrkvk dk u;k bEiuyeV

डीएवीपी ने नए मानदंड के आधार पर श्रव्य–दृश्य कार्य के लिए प्रोडक्शन हाउसों के इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया भी शुरू की है। करीब 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोडक्शन के लिए एक संशोधित रेट कार्ड भी तैयार किया गया है, जिसे फीड बैक के लिए डीएवीपी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

ckg; ipkj

बाहरी मीडिया प्रचार निश्चित रूप से आकर्षक होता है क्योंकि इसकी पहुंच सार्वभौम होती है और यह किसी विशेष समाचार पत्र या चैनल तक सीमित नहीं होता। बाहरी प्रचार अभियान के साथ–साथ सभी अन्य माध्यमों के लिए अनुस्मारक कार्य के बारे में जिज्ञासा पैदा करता है। अन्य की तुलना में बाहरी प्रचार की सामग्री हमेशा बनी रहती है। बाहरी प्रचार अपने लुभावने चित्रों और बड़े अक्षरों वाली दीवार पेंटिंगों के जरिए ग्रामीण जन समुदाय को आकर्षित करता है। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में बाह्य प्रचार लोगों को प्रेरित करने का एक मात्र महत्वपूर्ण माध्यम है। डीएवीपी ने अभियान की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि बाहरी प्रचार के विभिन्न माध्यमों को निर्मित कर उन्हें प्रदर्शित किया जा सके।

भारत सरकार के विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के लिए विभिन्न अभियानों के जरिए निम्नलिखित प्रचार किए गए : ये प्रचार उपरोक्त अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण आधारित योजनाओं पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियानों द्वारा किए गए।

बाह्य प्रचार डिविजन द्वारा इस अवधि में विभिन्न महत्वपूर्ण अभियान जैसे कैंसर जागरूकता मानसिक स्वास्थ्य, आंखों की देखभाल, ऊर्जा बचत और एवं अक्षय ऊर्जा, बीआईएस, महिला एवं बाल विकास, उपभोक्ता मामले, आयकर, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद, ग्रामीण विकास आदि आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त फिल्म समारोह सहित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी बाह्य प्रचार का सहारा लिया गया।

ekl efyx

डीएवीपी का मास मेलिंग स्कंध मुख्य रूप से मुद्रित प्रचार स्कंधा द्वारा प्रकाशित सामग्री देश के विभिन्न भागों में निवास करने वाली जनता को प्रेषित करने से सम्बन्धित है। यह अपने प्रकार का देश का सबसे बड़ा ढांचा है और इसकी पहुंच ग्राम पंचायत स्तर तक है। वर्तमान में इस स्कंध के पास 482 श्रेणियों में 5,00,335 (पांच लाख तीन सौ पैंतीस) पते हैं। विभिन्न विषयों पर प्रचार सामग्री की 51,37,560 प्रतियां वितरित की जा चुकी है। इनमें शामिल हैं यूपीए सरकार द्वारा लोगों के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि।

lrdrk

डीएवीपी मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता व्यवस्था का ब्योरा

डीएवीपी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में जून 2004 से एक पूर्ण सतर्कता अनुभाग कार्यरत है। यह अनुभाग महानिदेशक के निरीक्षण में कार्य करता है। इस कार्य में अपर महानिदेशक (सतर्कता), उपनिदेशक (प्रशासन) और अन्य अधीनस्थ अधिकारी इनकी सहायता करते हैं।

1- o"k d nkjku fuokjd lrdrk xfrfof/k;k

- निर्धारित अवधि के दौरान नियमित निरीक्षण–1
- औचक निरीक्षण–1

2- o"k d nkjku fuxjkuh rFkk tkp xfrfof/k;k

- जिन क्षेत्रों को निगरानी के लिए चुना गया–शून्य
- निगरानी रखे जाने के लिए पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या–शून्य

दंडात्मक कार्रवाईयां (ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता अधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य हों)

- वर्ष के दौरान मिली शिकायतें/अन्य संदर्भ–15
- ऐसे मामले जिनमें प्रारंभिक जांच की गयी–08
- ऐसे मामले जिनमें प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिली–04
- ऐसे मामले जिनमें मेजर पेनाल्टी के लिए आरोप पत्र जारी किए गए–शून्य
- ऐसे मामले जिनमें माइनर पेनाल्टी के लिए आरोप पत्र जारी किए गए–शून्य
- उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें मेजर पेनाल्टी दी गयी–शून्य
- ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें माइनर पेनाल्टी दी गयी–शून्य
- उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें निलंबित किया गया और बाद में निलंबन रद्द किया गया–01
- उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गयी–शून्य
- उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें समय से पूर्व सेवा निवृत्त किया गया–शून्य
- उन व्यक्तियों की संख्या जिनके मामले में कैट से निर्णय/आदेश प्राप्त हुए–शून्य

y[kk Ld/k

डीएवीपी का लेखा स्कंध प्रति वर्ष विभिन्न मीडिया संगठनों, जिनमें समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों, बाहरी प्रचार एजेंसियों से लेकर संगठन के साथ इम्पैनल्ड निर्माताओं और प्रकाशन हाउसों तक को लगभग 700 से 750 करोड़ रुपये तक भुगतान करता है।

अपर महानिदेशक (लेखा) की अध्यक्षता में इस स्कंध के अंतर्गत निदेशक (लेखा), वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, 6 लेखा अधिकारी, 3 सहायक लेखा अधिकारी और 5 लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार शामिल हैं। भुगतान का निपटारा डीएवीपी द्वारा जारी रिलीज ऑर्डर में दी गयी शर्तों के आधार पर विज्ञापन के प्रसारित अथवा प्रकाशित होने के पश्चात जांच करके किया जाता है।

e[; miyfC/k;k

y[kk Ld/k dh e[; miyfC/k;k bl izdkj g S

1. प्रदर्शनी और वेतन के लिए भुगतान सहित सभी भुगतान सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोनिक धन अंतरण के जरिए किए जा रहे हैं।
2. सभी प्राइवेट पार्टियों को अब शत–प्रतिशत भुगतान तत्काल इलेक्ट्रोनिक धन अंतरण प्रणाली के जरिये किया जाता है। इससे भुगतान में देरी नहीं होती और डाक में चेक गुम होने की समस्या दूर हो गयी है।
3. बिलों की प्रोसेसिंग की स्थिति को वेबसाइट से तय किया जाता है जो कि बिलों की स्थिति को दर्शाती है। विशेषकर यह कि वे भुगतान हेतु पास हो गए हैं या किसी कारण निरस्त किए गए हैं।
4. बिलों को जमा करने हेतु स्पष्ट शेड्यूल लागू किया जाना (ऑडियो–विजुअल हेतु एक माह अखबार बिल के लिए दो माह), जिसके पश्चात बिल स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
5. सूचना भवन के भूतल पर बिलों को प्राप्त करने हेतु एक सुविधा केन्द्र की स्थापना जहां बिल प्राप्त किए जाते हैं तथा उन्हें पावती प्रदान की जाती है।
6. जांच के पश्चात निरस्त किए गए प्रत्येक बिल के लिए निदेशक (लेखा) द्वारा पत्र लिखा जाता है।
7. डीएवीपी ने नवम्बर 2011 में पिछले उन सभी बिलों को स्वीकार करने का विशेष अभियान चलाया जो विभिन्न कारणों से प्रस्तुत नहीं किए गए थे या रद्द कर दिए गए थे। इससे सभी बकाया बिल पास हो सकेंगे।
8. लेखा परीक्षा की 63 टिप्पणियों में से 47 का समाधान किया गया है।

ylx fd, tk jg ieq[k mik;

1. लेखा प्रक्रिया और जांच कार्य की आउटसोर्सिंग
2. लेखा से सम्बन्धित शिकायतों हेतु हेल्पलाइन तथा कॉल सेंटर की स्थापना
3. सभी कर्मचारियों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाना तथा सभी भुगतानों के लिए प्रक्रिया को उपयुक्त सॉफ्टवेयर से अंजाम देना, चाहे वे अखबार अथवा आडियो–विजुअल से सम्बन्धित हों।

lpuk ik|kfxdh ¼vkbVh½ fox

एनआईसी से भागीदारी के साथ डीएवीपी ने ग्रहक मंत्रालयों और अपने ग्राहकों, जैसे अखबारों टीवी/रेडियो चैनलों, प्रोड्यूसरों आदि, दोनों के संदर्भ में ई–गवर्नेंस की दिशा में व्यापक सफलता प्राप्त करने के प्रयास जारी रखे। डीएवीपी की वेबसाइट को प्रयोक्ता के अधिक अनुकूल बनाने के लिए नया रूप दिया गया। इसका औपचारिक उदघाटन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया। नई वेबसाइट में पहली बार ग्राहक विभागों को अखबार एवं ऑडियो–विजुअल विज्ञापन दोनों के लिए धन उपयोग की स्थिति के बारे में सीधे पहुंच प्रदान की गयी है। वेबसाइट को विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल भी बनाया गया। एसएमएसों, डिजिटल सिनेमा और वेबसाइटों, तथा बाह्य प्रचार एजेंसियों के लिए पहली बार ऑन लाइन रिलीज ऑर्डर जारी किए गए।

Hkk"kk vuokn fox

डीएवीपी के पास अनुवाद करने के लिए कोई स्थायी स्टॉफ नहीं है, फिर भी इसने अपने ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के लिए आवश्यक अनुवाद का कार्य अपने अनुवादकों के पैनल के जरिए जारी रखा, जो कैजुवल आधार पर काम के लिए बुलाए जाते हैं। अनुवाद कार्य विज्ञापनों, कैलेंडरों, पुस्तिकाओं, फोल्डरों आदि के लिए किया गया। डीएवीपी भाषा अनुवाद स्कंध में अब भाषा टंकक होते हैं जो अपनी सम्बद्ध भाषा में टंकण कर सकते हैं।

Hkkjr d lekpkj i=k d ithd

(www.rni.nic.in)

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध है। यह अपने वैधानिक और अन्य कार्यों के तहत समाचार पत्रों के नामों को प्रमाणित और अनुमोदित करता है, उन्हें पंजीकृत करता है, जांच करता है और प्रसार संख्या सम्बन्धी दावों का निर्धारण करता है। यह देश की प्रिन्ट मीडिया स्थिति को रेखांकित करते हुए हर वर्ष 31 दिसम्बर तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव को 'वार्षिक रिपोर्ट' प्रस्तुत करता है; यह रिपोर्ट बाद में 'प्रेस इन इंडिया' अर्थात् 'भारत के समाचार पत्र' के शीर्षक से प्रकाशित की जाती है। वैधानिक–इतर कार्यों के अंतर्गत आरएनआई अखबारी कागज के आयात के लिए उन वास्तविक उपभोक्ताओं को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करता है जो आरएनआई के साथ पंजीकृत होने के साथ–साथ प्रिन्टिंग मशीन इत्यादि के आयात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र भी रखते हैं।

ukek dh tkp] ithdj.k vkj ilkj

अप्रैल से नवम्बर 2011 के दौरान, आरएनआई ने नामों की जांच के लिए 14052 आवेदनों की छंटनी की, जिनमें से 8,173 नामों का अनुमोदन किया गया। शेष आवंटन के लिए योग्य नहीं पाए गए। इसी अवधि में 3,975 समाचार पत्रों/नियतकालिकों को पंजीकरण के प्रमाणपत्र (3,296 नए+679 संशोधित) जारी किए गए। दिनांक 1.06.2006 से नई विज्ञापन नीति लागू होने के साथ प्रसार की संख्या जांच का आरएनआई का कार्य बड़े समाचार पत्रों की श्रेणी के प्रसार की जांच करने तक सीमित हो गया है, जिनका प्रसार 75000 और उससे अधिक प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस है तथा डीएवीपी द्वारा संदर्भित है, इसके साथ साथ व्यक्तिगत प्रकाशनों से प्राप्त आग्रहों पर भी विचार किया जाता है। आरएनआई अपने पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के जरिये प्रसार संख्या की जांच करता है। किन्तु, इंडियन लैंग्वेज न्यूजपेपर्स सोसायटी द्वारा दायर किए गए एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय के कारण पैनलबद्ध सनदी लेखाकारों से प्रसार संख्या जांच कार्य बंद कर दिया गया और अब यह कार्य अक्टूबर 2011 से आरएनआई द्वारा स्वयं किया जा रहा है। अभी तक 19 समाचार पत्रों के प्रसार दावों का मूल्यांकन किया जा चुका है।

प्रिन्ट मीडिया के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली और वार्षिक विवरण के आधार पर संकलित वार्षिक रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया 2009–10' प्रकाशनाधीन है।

U;tfiUV

1 मई 1995 से, न्यूजप्रिन्ट को मुक्त जनरल लाइसेंस के तहत रखा गया है तथा सभी प्रकार के अखबारी कागज (न्यूजप्रिन्ट) ग्लेज्ड और स्टैंडर्ड को बिना किसी प्रतिबंध के वास्तविक उपभोक्ता आयात कर सकते हैं। वर्ष 2006–07 में मंत्रालय ने न्यूजप्रिन्ट के आयात और खपत के विवरण को दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी के फार्म को संशोधित किया है। आरएनआई ई. सी. जारी करता है, जिसमें किसी समाचार पत्र द्वारा आयात की जा सकने वाली न्यूजप्रिंट की अधिकतम मात्रा निर्दिष्ट की जाती है। ये मात्रा एक शपथ–पत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसमें प्रकाशक पिछले दो वर्ष में न्यूजप्रिन्ट की खपत को बताता है और वर्तमान वर्ष के लिए खपत की मात्रा प्रस्तावित करता है। अगर पिछले वर्ष के दौरान खपत की गई मात्रा और आयात की जानी वाली प्रस्तावित मात्रा में ज्यादा फर्क हो तो आरएनआई प्रकाशक को जांच के लिए न्योयोचित सिद्ध करने को कहता है। किन्तु, किसी वित्त वर्ष के दौरान प्रकाशकों द्वारा अनुरोधों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 की अवधि में आरएनआई ने न्यूजप्रिंट के आयात के लिए 1062 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए।

ukek dk cn djuk

आरएनआई द्वारा जांचे गए ऐसे शीर्षकों/नामों को डी–ब्लॉक किया गया, जो प्रकाशकों द्वारा दो साल की निर्धारित अवधि के दौरान पंजीकृत नहीं कराए जा सके। इस प्रकार के अपंजीकृत नामों की जांच वर्ष 2008 तक की गयी है और उन्हें डी ब्लॉक किया जा चुका है। 2011–12 के दौरान (नवम्बर 2011 तक) 2009 में जांच किए गए 6312 नामों को डी–ब्लॉक किया गया।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक श्री टी. जयराज सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा को 'प्रेस इन इंडिया 2010–11' वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

lpuk ,o i!lkj.k e=ky; dh o"k 2011&12 dh okf"kd fjikVl e 'kkfey fd, tku d fy, bl dk;ky; dh fofHkUu xfrfof/k;ka d ckj e lefdr tkudkjh (1-04-2011 l 30-11-2011 dh vof/k rd½

Ø-l-	क्रिया–कलाप का नाम	2010–11 – और (04/2010–03/2011)	2010–11 और 2011–12 के लिए निर्धारित लक्ष्य	01/1/2011 30/11/2011 के दौरान	निपादन के के लिए प्रत्याशित
1	**'kh"kd vuekfnu**				*
क)	आवेदन प्राप्त	25049	*	14052	*
ख)	निपटा गए	13229	*	8173	*
ग)	अस्वीकार किए गए	8328	*	5074	*
घ)	डीब्लॉक्ड किए गए शीर्षकों की संख्या	8293	*	6312	*
2.	**i!thdj.k**	5879[4996+883]	*	3975(3296 + 679)	*
ड.)	आर–2, सेक्शन : नए मामले	1353	*	857	*
च)	आर–2 सेक्शन : नए मामले	2090	*	1559	*
छ)	आर–3 सेक्शन : नए मामले	1553	*	880	*
ज)	आर–1 सेक्शन संशोधित सीआरस	224	*	164	*
झ)	आर–2, सेक्शन संशोधित सीआरस	396	*	345	*
य)	आर–3, सेक्शन संशोधित सीआरस	263	*	170	*
3.	**i!lkj l![;k tkp**		@@		
ट)	पूर्ण पहुंच	8	15		
ठ)	कम पहुंच	0	4		
ड)	स्थापित नही	0	0		
ण)	निरस्त	0	0		
त)	कुल	8	19	*	
4.	प्रिंटिंग मशीनरी और आयात के लिए जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्रों				
थ)	विदेशी योगदान विनियमन जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्रों की संख्या	0	*	0	*
द)	विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम से छूट के लिए प्रमाणपत्र	02	*	04	*
ध)	आरटीआई के अंतर्गत निपटाए गए आवेदनों की संख्या	961		762	
5.	न्यूजप्रिंट				
न)	न्यूजप्रिंट के आयात के लिए प्रकाशकों को जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्रों की संख्या	775	*	1062	*

ukV % *प्रकाशकों से प्राप्त आवेदनों/अनुरोधों पर निर्भर है। वास्तव में, इन श्रेणियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

@@ दिनांक 1.06.2006 से लागू सरकार की नई विज्ञापन नीति होने के बाद प्रसार संख्या जांच में आरएनआई की भूमिका सीमित हो गई है और आरएनआई अब बड़ी श्रेणी के उन समाचार–पत्रों की प्रसार संख्या की जांच करता है और जिनका प्रसार 75000 और उससे अधिक प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस हो और जो डीएवीपी द्वारा उसे संदर्भित किए गए हों। आरएनआई अपने पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के जरिये प्रसार संख्या की जांच करता है। किन्तु, इंडियन लैंग्वेज न्यूजपेपर्स सोसायटी द्वारा दायर किए गए एक मामले में 20.12.2010 को दिए गए एक अदालती आदेश के कारण पैनलबद्ध सनदी लेखाकारों से प्रसार संख्या जांच का कार्य बंद कर दिया गया और अब यह कार्य अक्टूबर 2011 से आरएनआई द्वारा किया जा रहा है।

fiafVax e'khujh

आरएनआई प्रिंटिंग मशीनरी और सम्बन्धित सामग्री के आयात के लिए अनुशंसा करने वाला प्राधिकरण है वास्तव में, अखबार प्रतिष्ठानों को प्रिंटिंग/कम्पोजिंग कल–पुर्जों और सम्बन्धित सामग्री इत्यादि समाचार पत्रों को उपलब्ध सीमा शुल्क की छूट प्राप्त दर पर, आयात के लिए आरएनआई से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी है। अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 के दौरान किसी भी समाचार पत्र प्रतिष्ठान से प्रिंटिंग मशीनरी एवं सम्बद्ध उपकरणों की आयात की अनुमति के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

इसी अवधि के दौरान विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त करने के लिए 4 पत्र जारी किए गए। सूचना अधिकार के तहत प्राप्त 762 आवेदनों का भी जबाव दिया गया।

dEI;wVjhdj.k

नाम की जांच एवं पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रोसेसिंग के अलावा, जांच किए गए सभी नाम आरएनआई की वेबसाइट (*http://www.rni.nic.in*) पर प्रदर्शित किए जाते हैं और आवेदक उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा के प्रारंभ होने से कोई व्यक्ति/संभावित प्रकाशक मौजूदा नाम डाटाबेस को देख सकता है तथा इस प्रकार अपनी पसंद का उपलब्ध नाम चुनना आसान हो गया है। ये आंकड़े राज्य/भाषावार उपलब्ध है। एनआईसीएसआई के जरिये दसवीं योजना स्कीम के तहत रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक संस्थापित किया गया है जो संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। इस अवधि में तीव्र नेट कनेक्टिविटी के लिए एमटीएनएल से एक लीज्ड लाइन सर्किट आरएनआई के नेटवर्क में जोड़ा गया है।

jktHkk"kk

आरएनआई कार्यालय ने 14–28 सितम्बर के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें कार्यालय कार्य में हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। राजभाषा को समर्पित विभाग की छमाही पत्रिका 'पंजीयन भारती' का छठा संस्करण जनवरी 2012 में प्रकाशन के लिए तैयार हो जायेगा। इस कार्यालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 'पंजीयन भारती हेतु इस वर्ष पांचवा पुरस्कार प्राप्त किया। सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, अनुवाद और निगरानी में आवश्यक सहायता के लिए एक सहायक निदेशक (ओएल) और दो अनुवादक नियुक्त किए गए हैं।

tu f'kdk;r

इस कार्यालय में जन शिकायत प्रकोष्ट कार्य कर रहा है। कार्यालय के उप प्रेस पंजीयक को कार्यालय की आंतरिक शिकायत समाधान मशीनरी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।

ukxfjd pkVZj

नागरिक चार्टर तैयार किया गया है और इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट *http://www.rni.nic.in* पर लोड किया गया है।

11oha ;kstuk Ldhe% vkj,uvkbZ dk etcwr cukuk

आरएनआई को मजबूत बनाने की एक स्कीम 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007–08 के दौरान अनुमोदित की गयी थी, जिसके लिए कुल 88.06 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। इस स्कीम में आरएनआई के 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय, एक गुवाहाटी और दूसरा भोपाल में, खोलने की व्यवस्था है। 2011–12 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ₹ 17.00 लाख के प्रावधान को मंजूरी दी गई। किन्तु, संशोधित अनुमान के अंतर्गत परिव्यय घटकर ₹ 3.50 लाख रह गया और ₹13.50 लाख की बकाया राशि, जो गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बद्ध थी, लौटा दी गई क्योंकि अभी तक किसी अधिकारी ने वहां कार्यभार नहीं संभाला है और वास्तव में चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्यालय में कोई खर्च नहीं किया जा सकता। शेष राशि आरएनआई के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए रखी गई है। इसमें से 30.11.2011 तक ₹1.92 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

यह महसूस किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी तथा मध्य क्षेत्र में भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने से इन क्षेत्रों में प्रकाशकों को नाम हेतु प्रार्थना पत्र देने तथा बाद में प्रकाशन में सुविधा हो सकेगी। शीर्षकों, न्यूजप्रिन्ट के लिए ई.सी. तथा प्रिंटिंग मशीनरी इत्यादि के लिए आवेदन करने वालों की वास्तविक फायदा तभी होगा जब योजना पूरी तरह से

लागू हो जाएगी। इन क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की पूछताछ के लिए आरएनआई मुख्यालय से संपर्क करने वाले प्रकाशक सभी प्रकार की जानकारी नए क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त कर सकेंगे और अनुमोदन के लिए अपने आवेदन आदि मुख्यालय को भेज सकेंगे।

{kS=h; izpkj funs'kky; ¼Mh,Qih½

(*www.dfp.nic.in*)

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, डीएफपी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रचार इकाई है, जो सरकार के कार्यक्रमों को अन्तर–वैयक्तिक संचार गतिविधियों के माध्यम से समाज के निचले स्तर तक संप्रेषित करने में संलग्न है। इन गतिविधियों में सार्वजनिक सभाएं, समूह वार्तालाप, व्यक्तिगत सम्पर्क, घर–घर जाकर प्रचार करना, परम्परागत और लोक माध्यमों तथा अन्य परम्परागत, गैर–परम्परागत और यहां तक कि नई पद्धतियों का इस्तेमाल करना शामिल है ताकि अंतिम लाभार्थियों और विशेष लक्षित समूहों तक जानकारी पहुंचायी जा सके। इस प्रक्रिया में डीएफपी केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य विभागों/एजेंसियों से सहायता प्राप्त करता है।

लक्ष्य सिर्फ यह नहीं है कि सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, बल्कि इस बात को भी समझा जाए कि विकास के लिए अपरिहार्य परिवर्तन को स्वीकार करने में लोगों की कौन सी बाधाएं हैं या उन्हें इसके लिए कौन सा 'मूल्य' चुकाना पड़ रहा है। संगठन का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचने के सरकार के राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में समुदायों को भलीभांति जागरूक बनाया जाए। इस प्रकार डीएफपी लोगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप मे काम करता है।

मंदसौर (म.प्र.) में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा स्वास्थ्य उत्सव मेले का आयोजन

संगठनात्मक ढांचा

क्षेत्र प्रचार निदेशालय तीन स्तरों पर कार्य करता है, अर्थात् :

- नई दिल्ली–स्थित मुख्यालय
- क्षेत्रीय कार्यालय
- क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां

इसके 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अधिकतर राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं और 207 क्षेत्र प्रचार इकाइयां हैं, जो देशभर में फैली हैं और ज्यादातर जिला मुख्यालयों में स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 6 से 14 के बीच क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां होती हैं। क्षेत्रीय प्रचार इकाई एक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के अंतर्गत काम करती है, जिसकी सहायता के लिए एक क्षेत्रीय प्रचार सहायक और अन्य सहायक स्टाफ होता है। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को वाहन और श्रव्य–दृश्य उपकरण प्रदान किए जाते हैं ताकि क्षेत्रीय स्तर की गतिविधियों को कार्य रूप दे सकें। प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई को महीने में 10–12 दिन के भ्रमण के लिए क्षेत्र में जाकर ठहरना होता है ताकि सरकारी स्कीमों और नीतियों के बारे में लोगों के बीच, विशेषकर दूर–दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। इसके अलावा आस–पास के स्थानों में ऐसे भ्रमण भी किए जाते हैं जिनमें रात को ठहरने की आवश्यकता नहीं होती।

b&xousZl

डीएफपी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों की कार्यप्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अपनाया है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय इकाइयों को कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं ताकि तत्काल और आसानी से सम्पर्क स्थापित किया जा सके और फीडबैक आदि जानकारी शीघ्र मंगाई जा सके। निदेशालय ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इन्टरनेट कनेक्शन प्रदान किए हैं और यह सभी क्षेत्रीय इकाइयों को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में है ताकि उनके बीच आपस में और मुख्यालय के साथ तीव्र संचार संभव हो सके।

डीएफपी परिमाण योग्य, विश्लेषण योग्य और कार्रवाई योग्य फीडबैक पर ध्यान केन्द्रित करता है, जिसके लिए निदेशालय द्वारा अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा देश भर में फैली क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों की कार्य प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विशिष्ट प्रारूपों में कार्यक्रम गतिविधियों को नियमित रूप से ऑन लाइन अपलोड करना अनिवार्य बनाया गया है ताकि विश्लेषण, संदर्भ और रिकार्ड के प्रयोजन के लिए संकेंद्रित रिपोर्टें और डाटाबेस (आंकड़ा आधार) तैयार किया जा सके।

miyfC/k;k¡ vizSy 2011 ls fnlEcj&2011

1.	आयोजित फिल्म शो की संख्या	22091
2.	आयोजित विशेष कार्यक्रमों की संख्या	4899
3.	जनमत सभाओं की संख्या	6028
4.	आयोजित समूह वार्तालापों की संख्या	31963
5.	लगाई गई फोटो प्रदर्शनियों की संख्या	20150
6.	एकत्र की गई सफलता की कहानियों की संख्या	1302
	dqy	**86433***

*परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज के अनुसार अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक के लिए लक्ष्य 1,00,000 आयोजनों का निर्धारित किया गया है।

egRoiw.kZ xfrfof/k;k¡

fu;fer izpkj dk;ZØe

नियमित प्रचार गतिविधियों के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय इकाइयों ने देश भर में दूर–दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे किए ताकि सरकार की विभिन्न स्कीमों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। इनमें केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन कार्यक्रम, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि शामिल थे।

lhekorhZ {ks= izpkj xfrfof/k;k¡

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं मणिपुर, उत्तर – पश्चिम (पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश), राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (उत्तर) और सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल (दक्षिण) के क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा जम्मू–कश्मीर में आयोडीन–युक्त नमक के प्रचार का अभियान

ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक प्रचार अभियान चलाए। इकाइयों ने फिल्म शो, फोटो प्रदर्शनियों, सेमिनारों, स्वस्थ शिशु शो तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के निवासियों को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत कराया। कार्यक्रमों में मुख्य बल राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव का संदेश संप्रेषित करने पर दिया गया।

tu lpuk vfHk;kuksa ¼ihvkbZlh½ esa Hkkxhnkjh

डीएफपी ने अप्रैल से दिसम्बर 2011 की अवधि में अपने 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 81 जन सूचना अभियानों में सुदृढ़ प्रचार सहायता प्रदान की। प्रत्येक जन सूचना अभियान के दौरान दो से चार क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने हिस्सा लिया और भारत निर्माण के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कार्यक्रम आयोजि किए।

uDlyokn ls izHkkfor {ks=ksa esa dk;Øe

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (दक्षिण) के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र प्रचार इकाइयों ने नक्सल–प्रभावित इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। केन्द्र सरकार के फ्लैगशिप (प्रमुख) कार्यक्रमों, भारत निर्माण, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव, महिला सशक्तिकरण, इन्फ्लुएंजा, एच–1 एन–1 (स्वाइन फ्लु), एचआईवी, एनआईडीसीपी, जन जातीय कल्याण, वर्षा जल संरक्षण, पेय जल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों, पर्यावरण और वन, आदि के बारे में प्रचार अभियान चलाए गए, जिनमें फिल्म शो, मौखिक संवाद, फोटो प्रदर्शनियों आदि के जरिए लोगों को जानकारी प्रदान की गई।

vYila[;dksa ds dY;k.k ds fy, iz/kkuea=h dk 15 lw=h dk;Øe

निदेशालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम अर्थात् अल्पसंख्यकों को समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीटीएस) समान रूप से उपलब्ध कराना, स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार, मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाना और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करना, जैसे सूत्रों के बारे में प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फिल्म शो, मौखिक संवाद, फोटो प्रदशर्नियों आदि का आयोजन किया गया।

{k=h; dk;ky;ksa }kjk fo'ks"k dk;Øeksa dk vk;kstu

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण जन समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सरकार की नीतियों और प्रयासों का लाभ प्राप्त हो सके, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा चुने हुए विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ये अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल पर आठ राज्यों, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में चलाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाओं को सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित और जागरूक बनाया जा सके। डीएफपी की 78 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के काम के लिए एकजुट किया गया। उपरोक्त राज्यों में इन इकाइयों द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नवम्बर 2011 तक इन राज्यों में 352 से अधिक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और वहां से प्राप्त फीडबैक सम्बद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा डीएफपी मुख्यालय को ऑनलाइन भेजी गयी।

राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता शिक्षा और मतदान में उनकी भागीदारी के बारे में गहन विशेष प्रचार अभियान आयोजित किया गया ताकि मतदाताओं के बीच चुनाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ज्यादा से ज्यादा सांख्या में मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करें।

जून 2011 माह के दौरान ओडिशा क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रचार इकाई ने 'आंचलिक लोक कला संस्कृति एवं लोक कला उत्सव' में हिस्सा लिया। जुलाई 2011 में झारखंड क्षेत्र की गया और चाइबासा इकाइयों ने रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले में एक विशेष प्रचार अभियान आयोजित किया। जयपुर क्षेत्र ने भी जैसलमेर में रामदेवरा मेले और जयपुर में उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फिल्म प्रदर्शन, फोटो प्रदशर्नियों, मौखिक संवाद और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।

egRoi.k jk"Vªh; vkSj varjk"Vªh; ?kVukvksa@fnol ksa@IIrkgksa vkSj fo"k;ksa dk vuqikyu

निदेशालय और इसकी क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय श्रम दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस, कौमी एकता (राष्ट्रीय एकता) सप्ताह, बाल अधिकार दिवस आदि सहित विभिन्न अवसरों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया।

;kstuk xfrfof/k;k

डीएफपी द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में दो नए कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, अर्थात् (1) दौरे आयोजित करना/कौशल उन्नयन करना; और (2) डीएफपी के क्षेत्रीय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा रंगागोरा (असम) में प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा महाराष्ट्र में चंद्रपुर में भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत जनजागरण रैली का आयोजन

कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आधुनिकीकरण और उन्नयन।

nkj vk;kftr djuk vkj dk'ky mUu;u dk;Øe

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमत को प्रभावी करने वाले नेताओं/प्रभावशाली व्यक्तियों को देश के विभिन्न भागों में ले जाना है ताकि वे सफलता की कहानियों को स्वयं देख सकें और देश के विभिन्न भागों में हो रहे विकास का जायजा ले सके। इस प्रकार प्रत्येक आयोजित दौरे में जनमत प्रभावित करने वाले नेता केन्द्र सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों का संदेशवाहक बन गए। अपने समुदाय के महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते उन्होंने सरकार के कार्यक्रमों और स्कीमों के पक्ष में समुदाय के सदस्यों के व्यवहार में रचनात्मक परिवर्तन लाने में मदद पहुंचाई। अपने ज्ञान के भंडार के आधार पर उन्होंने ऐसे राज्यों के लोगों के साथ अपने अनुभवों का अदान–प्रदान किया जिनकी उन्होंने यात्रा की और साथ ही उन राज्यों की विकास परियोजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की।

चालू वित्त वर्ष के दौरान आयोजित किए गए 16 दौरों के लिए 79 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। नवम्बर 2011 तक छह दौरे आयोजित किए गए।

{k=h; dk;ky;k vkj {k=h; ipkj bdkb;k e gkMo;j vkj lk¶Vo;j d vk/kfudhdj.k vkj mUu;u dh Ldhe

इस स्कीम का उद्देश्य डीएफपी की क्षेत्रीय इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल और भरोसेमंद एकजुटता के माध्यम से लोगों में सूचना का तीव्र और अधिक प्रभावकारी संचार सुनिश्चित करना और न्यूनतम खर्च पर वेबसाइट के जरिये पारदर्शिता में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों और रिकॉर्ड का समुचित और व्यवस्थित संकलन, कम लागत पर सूचना संप्रेषण और वेबसाइट के जरिये अधिक पारदर्शिता लाने जैसे लाभ भी इससे प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान इकाइयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, जो योजना अवधि के प्रारंभ में शुरू किया गया था, के कारण क्षेत्रीय इकाइयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और डीएफपी मुख्यालय के बीच तीव्र संचार कायम करने में भी सफलता मिली।

प्रौद्योगिकी और उपकरणों का बेहतर इस्तेमाल करने और वेबसाइट के रख–रखाव और उसे अपडेट करने के लिए डीएफपी मुख्यालय में एसक्यूएल सर्वर के साथ एएसपी.नेट में सॉफ्टवेयर विकसित करने की जानकारी और अनुभव रखने वाले एक प्रोग्रामर और एक सहायक प्रोग्रामर की नियुक्ति की

गई। वर्ष के दौरान डीएफपी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय इकाइयों के लिए 100 डाटा इंट्री ऑपरेटरों की भर्ती की गई ताकि कम्प्यूटरों का समुचित इस्तेमाल हो सके और ऑनलाइन फीडबैक प्रणाली को संचालित किया जा सके।

डीएफपी मूलतः गतिशीलता आधारित क्षेत्रीय संगठन है और वाहन संगठन की मूलभूत और अनिवार्य आवश्यकता हैं। दिसम्बर 2011 तक डीएफपी ने स्कीम के अतर्गत प्रस्तावित 26 वाहनों में से 7 वाहन खरीदे और 13 वाहनों के लिए ऑर्डर दिए।

i!dk'ku foHkkx

(*www.publicationsdivision.nic.in*)

fo'k"krk,a vkj miyfC/k;k

Û वर्ष के दौरान अक्तूबर 2011 तक पुस्तकों और पत्रिकाओं (रोजगार समाचार सहित) की बिक्री से प्राप्त राजस्व ₹ 36.37 करोड़ से अधिक था।

- रोजगार समाचार से प्राप्त राजस्व अक्तूबर 2011 तक ₹ 33.07 करोड़ था, जिसमें निवल राजस्व अधिशेष ₹ 20.93 करोड़ था।
- पुस्तकों और पत्रिकाओं से प्राप्त राजस्व (रोजगार समाचार को छोड़कर) अक्तूबर 2011 तक ₹ 3.30 करोड़ से अधिक था।
- विभाग ने अप्रैल से नवम्बर 2011 की अवधि में 13 प्रमुख पुस्तक प्रदर्शियों और मेलों में हिस्सा लिया। प्रमुख भागीदारियों में नेयवेली पुस्तक मेला (तमिलनाडू), श्रीनगर पुस्तक मेला (उत्तराखंड), दिल्ली पुस्तक मेला, फैजाबाद पुस्तक मेला (उत्तर प्रदेश) और उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल, नई दिल्ली, शामिल हैं।
- नवम्बर 2011 के मध्य तक 7 जन सूचना अभियानों में हिस्सा लिया जिनमें पुस्तक प्रदशर्नियां आयोजित की।
- विभाग की बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका 'बाल भारती' ने औसतन सर्कुलेशन 71 हजार प्रतिमाह से अधिक बनाए रखा। आयोजना एवं विकास के प्रति समर्पित पत्रिका योजना के अंग्रेजी संस्करण का औसतन सर्कुलेशन 50 हजार प्रतियां प्रतिमाह और हिन्दी संस्करण का 39 हजार प्रतियां प्रति माह रहा। ग्रामीण विकास सम्बन्धी मुद्दों के प्रति समर्पित पत्रिका,

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ.एस. जगतरक्षकन प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित समारोह में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान करते हुए

कुरुक्षेत्र ने भी अंग्रेजी संस्करण के लिए 29 हजार प्रतियां प्रतिमाह और हिन्दी संस्करण के लिए 26 हजार प्रतियां प्रतिमाह (आंकड़े नवम्बर 2011 तक) का औसतन सर्कुलेशन बनाए रखा।

इस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में शामिल हैं – भारत के बौद्ध तीर्थ स्थल, मनकेः भाव, सुर, लय के; दक्षिण भारत के मंदिर; खेल है विज्ञान, आओ सुनें कहानी (हिन्दी); द वंडरफुल मरीन वर्ल्ड; एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वाटर रिसॉर्सेज (अंग्रेजी); सरदार स्वर्ण सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा आदि (अन्य भारतीय भाषाएं)।

izdk'ku foHkkx dh LFkkiuk

प्रकाशन विभाग की स्थापना जन सूचना ब्यूरो के रूप में 1941 में की गई थी। प्रकाशन विभाग भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रकाशन संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय पैनोरमा के विविध पहलुओं – कला, संस्कृति, विरासत, विज्ञान, भूमि और लोग, वनस्पतियां एवं वन्य जीवों, राष्ट्रीय जीवनियां आदि के बारे में पाठकों को कम कीमत पर प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराना है।

izdk'ku foHkkx ds egÙoiw.kZ mn~ns'; bl izdkj gS%

(क) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उचिम दाम वाली पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन्हें आसानी से पहुंचाया जा सकें।

(ख) आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के भंडार के रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुने हुए भाषणों का प्रकाशन।

(ग) रोजगार समाचार/एम्प्लायमेंट न्यूज के जरिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।

(घ) पुस्तक प्रदर्शिनियों और प्रश्नोत्तरी एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन और उनमें हिस्सा लेना, ताकि विभाग के

सितम्बर, 2011 में आयोजित 17वें दिल्ली पुस्तक मेले के अवसर पर प्रकाशन विभाग की तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक (प्रभारी) श्री अरविंद मंजीत सिंह 'मनकेः भाव, सुर, लय के' पुस्तक का लोकार्पण करते हुए। चित्र में प्रख्यात संगीतकार पद्मभूषण श्री राजन मिश्र और श्री साजन मिश्र, पद्मश्री श्री भजन सोपोरी और पुस्तक के लेखक श्री विजय शंकर मिश्र भी हैं।

प्रकाशनों और परोक्ष रूप से सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

(ड.) पत्रकारिता और जनसंचार, महिला एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर हिन्दी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान करना।

lxBukRed <kpk

प्रकाशन विभाग का प्रमुख अपर महानिदेशक (प्रभारी) होता है, जिसकी सहायता के लिए संपादकीय, व्यापार, उत्पादन और प्रशासनिक स्कन्धों के प्रभारी अधिकारी हैं। अपर महानिदेशक की सहायता के लिए एक महाप्रबंधक/मुख्य संपादक भी है, जो रोजगार समाचार/एम्प्लायमेंट न्यूज के प्रकाशन का प्रभारी है।

विभाग का मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में स्थित है और यह अपनी विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों– नई दिल्ली (मुख्यालय), दिल्ली (पुराना सचिवालय), मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम स्थित बिक्री केन्द्रों और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद और बंगलुरू स्थित योजना कार्यालयों के जरिए काम करता है। रोजगार समाचार और पत्रिका इकाई का कार्यालय आर के पुरम, नई दिल्ली में स्थित है।

ie[k xfrfof/k;k

iLrdk dk idk'ku

अपनी स्थापना से लेकर अब तक विभाग भारतीय पेनोरमा के अंतर्गत कला, इतिहास, संस्कृति, वनस्पति और जन्तु, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गांधी वाङ्मय, विशिष्ट भारतीय व्यक्तियों की जीवनियों से लेकर इंडिया तथा भारत–वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ, प्रेस इन इंडिया और मास मीडिया इन इंडिया जैसे संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित करता है। इस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में भारत के बौद्ध तीर्थ स्थल, मनकेः भाव, सुर, लय के; दक्षिण भारत के मंदिर, खेल है विज्ञान, आओ सुनें कहानी (हिन्दी); और द वंडरफुल मरीन वर्ल्ड, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज (अंग्रेजी); सरदार स्वर्ण सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा आदि अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें शामिल हैं।

अप्रैल से नवम्बर 2011 की अवधि में अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 36 पुस्तकें प्रकाशित की गईं।

if=dkvk dk idk'ku

एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के अलावा विभाग 18 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनमें हिंदी और उर्दू में 'आजकल' 'बाल भारती' (हिन्दी), हिंदी एवं अंग्रेजी में 'कुरुक्षेत्र' तथा 'योजना' (हिन्दी, अंग्रेजी और 11 अन्य भाषाओं) शामिल हैं।

;ktuk

'योजना' प्रकाशन विभाग की एक प्रमुख पत्रिका है। हिन्दी और अंग्रेजी में इसके प्रथम अंक वर्ष 1957 में प्रकाशित हुए थे। यह पत्रिका सरकार की योजना प्रक्रिया में लोगों के प्रयासों को मजबूत और एकजुट करने और आयोजना एवं विकास संबंधी मुद्दों के बारे में विचार–विमर्श का एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आज अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू भाषाओं समेत 11 क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी 1.46 लाख प्रतियां वितरित होती हैं। हिन्दी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य भाषाओं में क्षेत्रीय स्तर पर योजना की भूमिका विकास पत्रिकारिता के क्षेत्र अद्वितीय है। यह एक साथ तेरह भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। यह विशेषकर छोटे शहरों में पाठकों और छात्रों को उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा लिखित बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कराती है। पंचवर्षीय योजना के परे इसका क्षेत्र अद्यतन सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों तक फैल चुका है। विषय विशेषज्ञों के लेखों के अलावा इसमें नियमित स्तम्भ भी होते हैं, जिनमें शामिल हैं–''बेस्ट प्रैक्टिसेज'' जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की सफलता की कहानी बयान करती है, शोध यात्रा जो मूल स्तर तकनीकी नवीनताओं को दर्शाती है, 'क्या आप जानते हैं', जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्नोत्तरों का संग्रह जो कि विशेषकर छात्रों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, 'जम्मू–कश्मीर विंडो' तथा 'नार्थ ईस्ट डायरी' के अंतर्गत क्रमशः जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित लघु विकास समाचार प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ष 2011 के दौरान योजना के चार विशेषांक जनवरी, मार्च, अगस्त और दिसम्बर में प्रकाशित हुए। प्रत्येक विशेषांक अधिक पृष्ठों के साथ जारी हुआ और उसमें विशेष व्यक्तियों के योगदान के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जनवरी 2011 विशेषांक ''इंडियन एग्रीकल्चर एट द क्रास रोड्स'' शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जो भारत में कृषि एवं

अनुषंगी क्षेत्र के पुनरुत्थान और अर्थ–व्यवस्था में उसके योगदान पर केन्द्रित था। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और अर्थशास्त्री वाई के अलघ, कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन, कृषि, खाद्य एवं जल वितरण राज्य मंत्री के वी थॉमस, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य वी एस व्यास सहित जाने माने व्यक्तियों और साथ ही कई अन्य वरिष्ठ लेखकों ने विशेषांक में योगदान किया। मार्च विशेषांक केन्द्रीय बजट 2011–12, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम चरण है, के प्रति समर्पित था। अगस्त और दिसम्बर के अंकों में क्रमशः मनोरंजन उद्योग और पूर्वोत्तर श्रृंखला के हिस्से के रूप में असम संबंधी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। भारत के पूर्वोत्तर भाग की विशिष्टता और खुशहाली को उजागर करने के लिए 'योजना' हर वर्ष दिसम्बर में पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषांक निकालती है, जिसमें इस क्षेत्र के आठ राज्यों में से एक पर फोकस किया जाता है। इस वर्ष असम पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जनवरी 2012 अंक गणतंत्र दिवस विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। इसका विषय ''12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण'' रखा गया है, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है।

वर्ष के दौरान परवर्ती मासिक अंकों के माध्यम से योजना ने समसामयिक मुद्दों और जनहित के अनेक विषयों को कवर किया, जैसे ग्राम सभाः लोकतंत्र का प्रदर्शन, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, हथकरघा और हस्तशिल्प, आधार (यूनीक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम), भारत की जनगणना – 2011, जिसमें हाल में जारी जनगणना 2011 की प्रारंभिक रिपोर्ट, पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र, भूमि सुधार और स्वयं–सेवी संगठनों के बारे में भी लेख प्रकाशित किए गए।

योजना ने दिसम्बर 2011 में अपने प्रकाशन के 55 वर्ष पूरे कर लिए हैं। योजना पत्रिका समूह के ताजा अंकों के नमूने योजना वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पिछले 5 दशकों में सभी 13 भाषाओं में प्रकाशित समूची सामग्री को एक ऑन लाइन आर्काइव्स (अभिलेखागार) पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे केन्द्रीय और राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं, बैंकिंग और बीमा सेवाओं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों सहित अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षकों और अर्थशास्त्र, वाणिज्य एंव प्रबंधन में अनुसंधान कर रहे व्यक्तियों सहित व्यापक पाठक समूह लाभ उठा रहा है। वेबसाइट की विषय वस्तु को हर महीने अद्यतन किया जाता है और उसे *www.yojana.gov.in* पर देखा जा सकता है।

vktdy

हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका 'आजकल' भारतीय साहित्य व संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। इसके उर्दू संस्करण ने अगस्त 2011 में अपने प्रकाशन के 70वें वर्ष में प्रवेश किया। वर्ष के दौरान अपने विभिन्न अंकों के माध्यम से आजकल (हिन्दी) ने भारतीय संस्कृति और हिन्दी साहित्य के विभिन्न आयामों को व्यक्त किया। इस वर्ष हिन्दी और उर्दू के अनेक प्रख्यात साहित्यकारों की जन्म शताब्दियों पर अंक निकाले गए, जैसे फैज़ अहमद फैज़, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, भुवनेश्वर, मजाज़, गोपाल सिंह नेपाली और आरसी प्रसाद सिंह के प्रति अंक समर्पित किए गए। मार्च 2011 के अंक में बाल साहित्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

आजकल (उर्दू) ने जाने–माने साहित्यकारों, जैसे मिर्ज़ा ग़ालिब, मीर तक़ी मीर, फैज़ अहमद फैज़, सुहैल अज़ीमाबादी और मजाज़ के बारे में विशेषांक प्रकाशित किए। पत्रिका में रूसी साहित्य, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं, सूफीवाद और उर्दू गज़ल जैसे मुद्दों पर भी विशेष लेख प्रकाशित किए। सदाबहार महान साहित्कारों एहतेशाम हुसैन और सादत हसन मंटो के बारे में भी विशेषांक प्रकाशित करने की योजना है।

cky Hkkjrh

लोकप्रिय मासिक पत्रिका 'बाल भारती' 1948 से प्रकाशित की जा रही है। सूचनाप्रद लेखों, कहानियों, कविताओं और चित्रगाथाओं के माध्यम से बाल पाठकों का मनोरंजन करने के साथ ही यह उनके सामाजिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच का विकास करने में मदद करती है। बच्चों में रचनात्मक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को जून 2011 में पुरस्कार प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के बारे में जून 2011 में पत्रिका ने विज्ञान विशेषांक प्रकाशित किया। बाल भारती ने उपभोक्ता अधिकारों, भारत निर्माण, स्वास्थ्य, फिटनेस, और विश्व विरासत के बारे में ज्ञानवर्धक लेख भी अपने विभिन्न अंकों में प्रकाशित किए।

d:{k=

कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास के मुद्दों पर आधारित एक प्रमुख पत्रिका है, जो 1952 से हिन्दी और और अंग्रेजी में प्रकाशित हो

सयुक्त सचिव (नीति तथा प्रशासन) श्री खुर्शीद अहमद गनाइ, प्रकाशन विभाग की तत्कालीन अपर महानिदेशक (प्रभारी) श्रीमती अरविन्द मंजीत सिंह और सलाम बालक ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती प्रवीण नायर 'बालभारती निबंध प्रतियोगिता' में पुरस्कृत एक बच्चे को प्रोत्साहित करते हुए

रही है। इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने की अपनी छवि बनाए रखी है। वर्ष 2011–12 के दौरान मासिक प्रिंट ऑर्डर 30,000 प्रतियों को पार कर गया। यह एक ऐसा मंच है जहां अकादमिक, नीतिनियंता, गैर सरकारी संस्थाएं, योजनाकार, और विचारक विस्तृत रूप में ग्रामीण विकास के मुद्‌दों पर विचार करते हैं। पत्रिका में ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को भी उजागर किया जाता है। वर्ष के दौरान कुरूक्षेत्र ने ग्रामीण विकास से संबद्ध विविध मुद्‌दों को कवर किया जैसे ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत के लिए बेहतर शासन, बेहतर कृषि पद्धतियों और ग्रामीण ऋण। पत्रिका के वार्षिक अंक में ग्रामीण विकास के नए उपायों पर आलेख प्रकाशित किए गए। योजना और कुरूक्षेत्र दोनों पत्रिकाओं में बजट–2011 पर केन्द्रित सामग्री प्रकाशित की गई, जो इन पत्रिकाओं की परम्परा रही है।

,Elyk;eaV U;wt@jkstxkj lekpkj

अंग्रेजी में 'एम्प्लायमेंट न्यूज' और हिंदी व उर्दू में 'रोजगार समाचार' प्रकाशन विभाग के प्रमुख साप्ताहिक प्रकाशन हैं। इस साप्ताहिक अखबार के प्रकाशन के लिए पृथक इकाई स्थापित की गई है। ये प्रकाशन देश के बेरोजगार व अल्प रोजगार प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के साथ–साथ उन्हें अपने कैरियर के प्रति एक सूचित विकल्प चुनने की भी आजादी देते हैं। शुरू में डीएवीपी के तहत अप्रैल 1976 में स्थापित इस प्रकाशन का नियंत्रण जनवरी 1978 में प्रकाशन विभाग को हस्तांतरित कर दिया। यह ईस्ट ब्लाक, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में स्थित है और इसका प्रमुख महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक होता है। यह इकाई अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के समग्र नियंत्रण में काम करती है।

साप्ताहिक केन्द्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचना, यूपीएससी, एनएससी तथा अन्य सामान्य भर्ती संस्थानों के परिणाम, संस्थाओं तथा मध्यम स्तर कैरियर पदोन्नति अवसरों (डेप्युटेशन) के विज्ञापन प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त, एक संपादकीय खंड भी होता है जिसमें कैरियर संबंधी लेख होते हैं। कैरियर मार्गदर्शन शृंखला भी है जिसमें नए या अपने वाले क्षेत्रों या व्यावसायिक गतिविधियों की रोजगार

सूचना, योग्यता और व्यवसाय में दक्ष होने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण से संबद्ध संस्थाओं पर सामग्री होती है। इस साप्ताहिक के लक्षित पाठक वर्ग में मूलतः सिविल सेवा में बैठने वाले छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार और कैरियर के संबंध में फैसला लेने वाले युवा हैं। साप्ताहिक का लक्ष्य युवाओं को संसूचित एवं शिक्षित बनाना है ताकि वे अपने कैरियर के बारे में सूझबूझ से निर्णय ले सकें।

'एम्प्लायमेंट न्यूज' / 'रोजगार समाचार' का बजट पृथक होता है और भिन्न खाते में आता है। इसका प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक के पास होता है, जो एक आंतरिक व्यवस्था के तहत एडीजी (प्रभारी) की तरफ से विशेष रूप से उसे सौंपा जाता है। पत्र की औसतन प्रसार संख्या 4.05 लाख प्रतियां हैं। सीधी बिक्री के अतिरिक्त देश भर में इसके 298 बिक्री व्यवस्थापक है। इसके राजस्व में पिछले वर्षों में सतत तेजी देखी गई है।

वर्ष 2011–12 के दौरान (31 अक्टूबर, 2011 तक) नवम्बर तक के दौरान पिछले वर्ष (2009–10) में एकत्रित राजस्व ₹ 47.70 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 33.07 करोड़ अर्जित हुआ। शुद्ध राजस्व लाभ ₹ 20.93 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष इसी अवधि में ₹ 30.82 था।

^,lyk;eV U;t* dh oclkbV

अंग्रेजी संस्करण के लिए *www.employmentnews.gov.in* तथा हिन्दी संस्करण के लिए *www.rojgarsamachar.gov.in* वेबसाइटें हैं। ये वेबसाइटें रोजगार चाहने वालों के बीच पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हैं। अब इस वेबसाइट में बेहतर सर्च इन्जिन का इस्तेमाल हो रहा है जो दर्शकों को वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने में उनकी मदद करता है।

वेबसाइट का औसत पेज हिट 3.8 लाख के करीब है और प्रतिमाह करीब 12 लाख पेज देखे जाते हैं। 2008–09, 2009–10, 2010–11 की अवधि में एंप्लायमेंट न्यूज / रोजगार समाचार के सभी 52 अंक निर्बाधित रूप से प्रकाशित हुए। हमारे वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से यह अखबार लोगों तक पहुंचा। एंप्लायमेंट न्यूज / रोजगार समाचार देश के दूरस्थ हिस्सों, जिनमें उत्तर–पूर्वी राज्य, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप, जम्मू–कश्मीर आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर और जम्मू–कश्मीर क्षेत्र में पुस्तकालयों, शिक्षा संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में रोजगार समाचार की प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एस. जगतरक्षकन 2009 और 2010 के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार विजेताओं के साथ। चित्र में सू.प्र. सचिव श्री उदय कुमार वर्मा, सू.प्र. सयुक्त सचिव (नी.एवं प्रशा.) श्री खुर्शीद अहमद गनाइ, पीआईबी की प्रमुख महानिदेशक श्रीमती नीलम कपूर और प्रकाशन विभाग के महानिदेशक श्री के.गणेशन भी हैं।

jktHkk"kk dk vuqi;kx

वर्ष 2011–12 के दौरान राजभाषा नीति के अनुपालन का काम प्रभावकारी रूप में किया गया। इस वर्ष प्रकाशन विभाग के छह कार्यालयों में हिन्दी के कामकाज का निरीक्षण किया गया। विभाग की गृह पत्रिका 'प्रकाश भारती' का एक अंक छापा गया। हिन्दी दिवस के अवसर पर विभाग में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 45 पुरस्कार प्रदान किए गए। राजभाषा इकाई ने विभिन्न विषयों के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रुप से आयोजित की गयी। इसके अलावा सितम्बर 2011 में संसदीय समिति ने प्रकाशन विभाग का मौखिक साक्ष्य भी किया।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत 2010 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिन्दी में (क) पत्रिकारिता एवं जनसंचार (ख) महिला मुद्दों (ग) राष्ट्रीय एकता और (घ) बाल–साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2009 और 2010 के लिए दिसम्बर 2011 में पुरस्कार दिए जाने की संभावना है।

0;kikj vkSj foi.ku

विभाग द्वारा अपने प्रकाशनों की पहुंच का विस्तार करने और विपणन प्रयासों में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रकाशन विभाग की पुस्तकें बिक्री इम्पोरियम/विक्रय केन्द्रों और देश भर में फैले एजेन्टों के नेटवर्क के जरिये लोगों तक पहुंचती है। विभाग के बिक्री इम्पोरियम और विक्रय केन्द्र सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली; पुराना सचिवालय, दिल्ली; लखनऊ; नेवी मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पटना, तिरुअनंतपुरम, बंगलूरु, गुवाहाटी और अहमदाबाद में स्थित है। विभाग ने देश भर में आयोजित प्रमुख पुस्तक प्रदर्शिनियों/मेलों में भागीदारी जारी रखी ताकि प्रकाशनों तक लोगों की पहुंच और उनकी दर्शनीयता में सुधार लाया जा सके। अप्रैल से नवम्बर 2011 की अवधि में विभाग ने 13 पुस्तक मेलों में हिस्सा लिया। कुछ महत्वपूर्ण भागीदारियों में नेवेली पुस्तक मेला (तमिलनाडू), श्रीनगर पुस्तक मेला (उत्तराखंड), दिल्ली पुस्तक मेला, फैजाबाद पुस्तक मेला (उत्तर प्रदेश) और उर्दू विरासत उत्सव (नई दिल्ली) शामिल हैं। विभाग ने आगामी महीनों में कुछ और पुस्तक मेलों में हिस्सा लेने की योजना बनाई है।

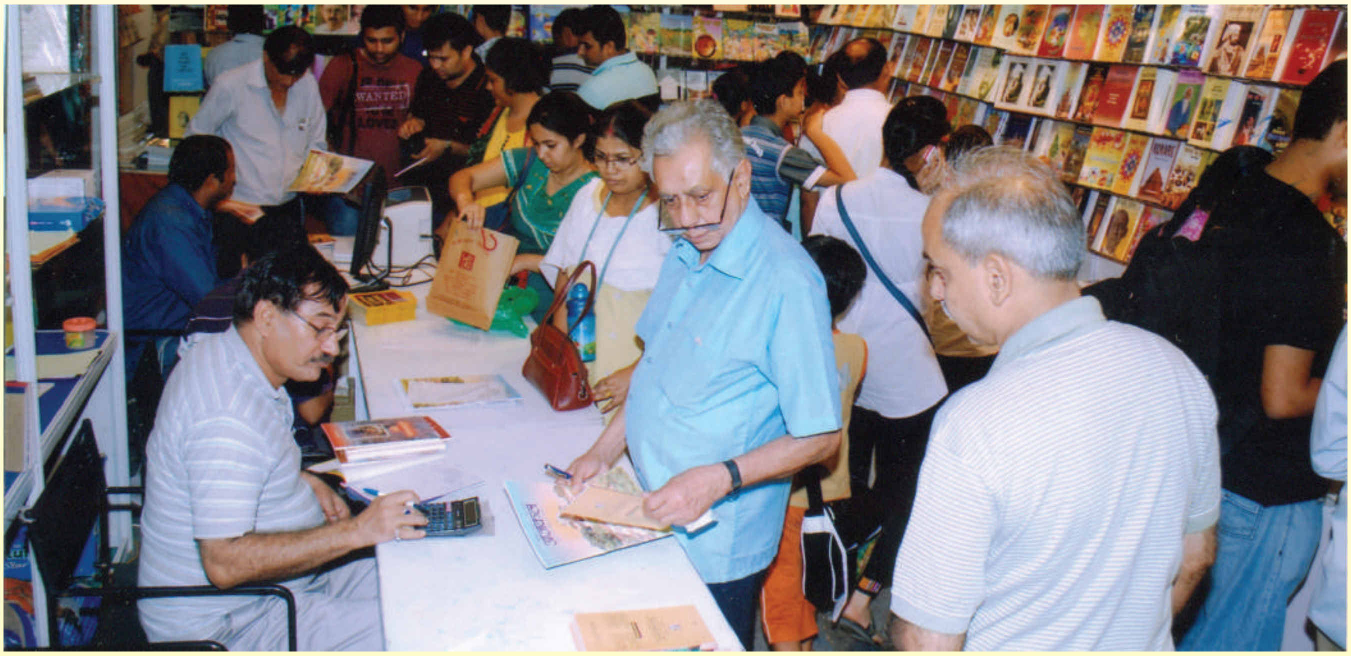

दिल्ली पुस्तक मेला–2011 में प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर पुस्तकें देखते लोग

अपने प्रकाशनों को ग्रामीण लोगों के अधिक निकट लाने के एक प्रयास के रूप में विभाग ने देश के विभिन्न जिलों में आयोजित जन सूचना अभियानों में हिस्सा लेने का सिलसिला जारी रखा और इस अवसर पर देश के विभिन्न जिलों में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित कीं। नवम्बर, 2011 के मध्य तक विभाग ने इन अभियानों में सात पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुवन्नामाली, और करूर जिलों, पुदुचेरी, उत्तरप्रदेश मे मोधी और झांसी तथा बिहार में पुन्पुन में आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण अवसरों का अनुपालन करने और लोगों में पुस्तकें पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए विभाग 'अपने इंपोरियमों/विक्रय–केंद्रों पर' प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है। 'अपने ही विक्रय–केंद्रों पर' प्रदर्शनियों का आयोजन स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह जैसे अवसरों का अनुपालन करते हुए विभाग के बिक्री केन्द्रों में किया गया। अक्टूबर 2011 तक पुस्तकों और पत्रिकाओं (रोजग़ार समाचार सहित) की बिक्री से ₹ 36.37 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। रोजगार समाचार से प्राप्त राजस्व अक्तूबर 2011 तक ₹ 33.07 करोड़ था, जिसमें निवल राजस्व अधिशेष ₹ 20.93 करोड़ था। पुस्तकों और पत्रिकाओं से प्राप्त राजस्व (रोजगार समाचार को छोड़कर) अक्तूबर 2011 तक, ₹ 3.30 करोड़ से अधिक था।

विभाग ने अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे सीएसआईआर, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, आईसीसीआर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों आदि का विपणन करने के बारे में इन विभागों के साथ अनुबंध भी किए हैं।

foHkkx vkj jktxkj lekpkj dh ;kstuk Ldhe dk vk/kqfudhdj.k

i) योजना के सभी 13 संस्करणों (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, और असमिया) और कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिन्दी) के डिजिटलीकरण का काम 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2007–09) में पूरा किया गया।

ii) योजना के सभी कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है।

iii) मुख्यालय में पुस्तक दीर्घा के आधुनिकीकरण और हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली में पुराना सचिवालय स्थित बिक्री केन्द्रों और फरीदाबाद में फीडर स्टोर के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया गया है। अभी तक तीन मोबाइल वैन खरीदी जा चुकी हैं। शेष बिक्री केन्द्रों के आधुनिकीकरण का काम चालू वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा।

iv) योजना स्कीम के घटक के रूप में रोजगार समाचार के आधुनिकीकरण का कार्य भी शुरू किया गया है।

xo"k.kk] lnÒ v©j çf'k{k.k çÒkx

(www.rrtd.nic.in)

इस प्रभाग की स्थापना 1945 में की गई थी। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रचार इकाइयों के लिए सूचना सेवा एकांश के रूप में काम करता है। गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग (आर आर एंड टी डी) के कार्यों के अंतर्गत प्रकाशित सामग्री आदि में से अनुसंधानपरक सामग्री संग्रहण, संकलन और प्रारूपण में मंत्रालय की प्रचार इकाइयों को मदद पहुंचाना, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में डाटा बेस तैयार करना और समसामयिक एवं अन्य विषयों पर संदर्भ सामगी तैयार करना शामिल है ताकि प्रचार इकाइयों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सके। प्रभाग जन संचार माध्यमों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है और जन संचार के बारे में संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा का रख–रखाव करता है। मास मीडिया के क्षेत्र में प्रभाग का काफी बड़ा पुस्कालय है।

lxBukRed <kpk

आर आर एंड टी डी का मुख्यालय सूचना भवन, नई दिल्ली में है। इसके मुखिया अपर महानिदेशक हैं जिनके सहायता के लिए दो निदेशकों तथा सहायक स्टाफ की व्यवस्था की गई है।

çe[k xfrfof/k;k

okf"kd lnÒ xkFk

प्रभाग वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, 'इंडिया–ए रेफरेंस एनुअल' का संकलन करता है, जिसमें मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष के दौरान की गई प्रगति का ब्योरा शामिल होता है। इसका हिंदी संस्करण 'भारत' के नाम से प्रकाशित होता है। इस वर्ष की पुस्तक का संकलन पूरा होने के बाद इसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित भी किया जा चुका है।

Òkjr esa tu lapkj

प्रभाग देश में जन संचार पर केन्द्रित एक व्यापक प्रकाशन मास मीडिया इन इंडिया भी संकलित करता है। इस प्रकाशन में जन संचार के अनेक आयामों और केन्द्र सरकार, राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में मीडिया संगठनों पर लेख होते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सामान्य सूचना भी शामिल की जाती है। 'मास मीडिया इन इंडिया' 2009 प्रकाशित हो चुका है।

Mk;jh vkQ boUV~l

प्रभाग पाक्षिक रूप से डायरी ऑफ इवेन्ट्स प्रकाशित करता है। इसमें रिकार्ड एवं संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

fof'k"V if=dkv¨a dh ekfld fji¨VZ

प्रभाग विशिष्ट पत्रिकाओं के बारे में एक मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है और जांच–पड़ताल के बाद मंत्रालय को भेजता है। इन पत्रिकाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी होती है और उनका संबंध विशेषज्ञतापूर्ण् विषयों के साथ होता है। इन्हीं विषयों को देखते हुए भारत में उनके प्रकाशन की अनुमति दी जाती है। इन पत्रिकाओं पर निगरानी रखी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का सही–सही पालन कर रही हैं।

lnÒZ iqLrdky;

प्रभाग के पास भली–भांति सुसज्जित पुस्तकालय है, जिसमें विभिन्न विषयों के बारे में दस्तावेजों का व्यापक संग्रह, चुनी हुई पत्रिकाओं के सजिल्द अंक और मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्ट सजिल्द रूप में रखी गयी है। पुस्तकालय के भंडार में पत्रकारिता, जन संपर्क, विज्ञापन और दृश्य–श्रव्य मीडिया के बारे में विशेषज्ञतापूर्ण ग्रंथ, सभी प्रमुख विश्वकोष श्रृंखलाएं, वार्षिक ग्रंथ और समसामयिक निबंध रखे गए हैं। पुस्तकालय सुविधाएं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का काम चल रहा है। इस वर्ष 26,814 दस्तावेजों की डाटा एंट्री कर ली गई है।

tulapkj ij jk"Vªh; çys[ku dsUæ

जनसंचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र एन डी सी एम सी की स्थापना मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर प्रभाग के एक हिस्से के रूप में 1976 में की गई थी। इसका उद्देश्य जनसंचार माध्यमों में अभिव्यक्त घटनाओं और प्रवृत्तियों के बारे में अपनी नियतालिक सेवाओं के जरिए जानकारी का संकलन, व्याख्या और उसका विश्लेषण करना है। एन डी सी एम सी प्रचार माध्यमों तथा संचार के बारे में उपलब्ध प्रमुख समाचारों, निबंधों और अन्य सूचना सामग्री के प्रलेख तैयार करता है। इस वित्त वर्ष में दिसम्बर 2011 तक केन्द्र में इस प्रकार की 42 सेवाएं प्रदान की ।

;¨tuk xfrfof/k;k¡

11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आर आर एंड टी डी ने एक योजना बनाई है, जिसका नाम अनुसंधान 'संदर्भ और मीडिया पुरस्कार' रखा गया है। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं।

tulapkj esa vuqla/kku

इस स्कीम के अंतर्गत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी मीडिया इकाइयों की पसंद के विषयों पर अनुसंधान अध्ययन किए जाते हैं। 'दि गवर्नमेंट इन्मॉर्मेशन डिलीवरी मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट' शीर्षक अनुसंधान अध्ययन पर काम चल रहा है।

iqLrdky; dk vixzsM'ku

प्रभाग के पुस्तकालय को इस योजना के अंतर्गत एक वर्चुअल पुस्तकालय में परिवर्तित करने की योजना है।

jk"Vªh; ehfM;k iqjLdkj

इस योजना पर कार्यवाही हो रही है। इस योजना के अंतर्गत मीडिया को सामाजिक सरोकारों और दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार शुरू किए जाने हैं।

lrdZrk xfrfof/k;k¡

यह मंत्रालय का एक छोटा सहयोगी कार्यालय है। इसके कार्यों की प्रकृति न तो सार्वजनिक संपर्क की है और न गोपनीय है। इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं।

xhr ,o ukVd iHkkx

(www.sdd.nic.in)

गति एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में आकाशवाणी की इकाई के रूप में हुई थी और 1956 में इसे विकास संचार की भूमिका निभाने का दायित्व सौंपकर स्वतंत्र मीडिया यूनिट का दर्जा दे दिया गया। मंचन कलाओं को संचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने वाला यह देश का सबसे बड़ा संगठन है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रदर्शन आयोजित करता है। विकास संचार के लिए बड़ी संख्या में कलाकारों को इस्तेमाल करके प्रभाग कलाकारों को रोजगार मुहैया कराता है जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों से होते हैं।

lxBukRed Lo:i

प्रभाग का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके निम्नलिखित कार्यालय

ध्वनि–प्रकाश कार्यक्रम 'जमुनिया' की एक प्रस्तुति

प्रभाग देश के दूरदराज के गांवों और स्थानों तक सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए नाटक, बैले, ओपेरा, नृत्यनाटिका, लोक एवं प्राकृतिक गायन, कठपुतली कला जैसी विधाओं का व्यापक रूप से इस्तेमाल करता है। साथ ही, प्रभाग ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रमों के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर के प्रोत्साहन, हैं : (क) बंगलूरू, भोपाल, चण्डीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में कुल दस क्षेत्रीय कार्यालय; (ख) इम्फाल, जम्मू, शिमला, नैनीताल, देहरादून, दरभंगा, जोधपुर, और गुवाहाटी में कुल आठ सीमावर्ती केन्द्र; (ग) भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर में कुल छह नाटक मंडलियां; (घ) दिल्ली और चेन्नई में सशस्त्र सेनाओं

के मनोरंजन के लिए दो मंडलियां; और बंगलूरू तथा दिल्ली में ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रम की दो यूनिट। साथ ही, प्रभार के विभागीय कलाकार जिनमें करीब 949 पंजीकृत मंडलियां और करीब 840 कलाकारों का पैनल है।

l'kL= lsuk euksjatu foax

इस विंग का प्रमुख उद्देश्य सीमाओं पर तैनात जवानों का मनोरंजन करना है जिससे उनके नैतिक स्तर को बढ़ाया जा सके तथा उनके अन्दर यह अहसास जगाया जा सके कि वे अपने देशवासियों द्वारा याद किए जाते हैं। साथ ही सिविल क्षेत्रों में तैनाती के दौरान सरकारी नीतियों को आगे बढ़ाया जा सके। यह प्रभाग सशस्त्र सैनिकों के लिए सर्वाधिक दूरस्थ, सीमावर्ती तथा दुरूह क्षेत्रों में मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करता है। विभिन्न राज्यों के मौलिक तथा आकर्षक क्षेत्रीय नृत्यों को रंग–बिरंगे परिधानों में देश के सांस्कृतिक सौहार्द को प्रकट करते हुए ये मनोरंजन दल बहुत ही लोकप्रिय हैं।

lhek izpkj eMfy;k

इम्फाल, गुवाहाटी, दरभंगा, नैनीताल, शिमला, जम्मू तथा कश्मीर और जोधपुर में तैनात विभागीय मंडलियां सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार कार्य करते हैं जिससे क्षेत्रों में रहने वालों को भारत सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में अवगत कराया जा सके तथा सीमा पर किसी प्रकार के दुष्प्रचार को रोका जा सके। इन कार्यक्रमों का संचालन एस. एस. बी., बी. एस. एफ. तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से किया जाता है।

foHkkxh; ukV; eMfy;k

पुणे, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जम्मू तथा दिल्ली में स्थित विभागीय नाट्य–मंडलियों ने विभिन्न विषयों जैसे परिवार कल्याण, एड्स, नशे के दुष्परिणाम, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, पर्यावरणीय मुद्दों इत्यादि पर नाटिकाएं प्रस्तुत कीं।

;kstuk dk;Øe

11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एस एंड डी डी अपनी स्कीम 'लाइव आर्ट्स एंड कल्वर फॉर रूरल इंडिया' को लागू कर रहा है। स्कीम के विशेष भाग इस प्रकार हैं :–

(क) पहाड़ी/जनजातीय/मरुस्थलीय/संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी गतिविधियां

(ख) 83 चिह्नित संवेदनशील जिलों में गतिविधियां

(ग) 10 क्षेत्रीय केन्द्रों के तहत न्यूनतम साझा कार्यक्रमों का प्रचार

(घ) जम्मू कश्मीर के तथा पूवोत्तर में विशेष गतिविधियां

(च) राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर थियेटर शो प्रस्तुतिकरण

(छ) गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण

igkM+h@tutkrh;@e#LFkyh;@lonu'khy vkSj lhekorhZ {ks=ksa esa vkbZ lhVh xfrfof/k;k

प्रभाग द्वारा सीमा पार के दुष्प्रचार को रोकने तथा उस क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के विचार से जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष प्रचार का जिम्मा लिया गया। सभी केन्द्र विभागीय मंडलियों, निजी पंजीकृत मंडलियों तथा विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य रक्षा एजेंसियों के साथ गहरे सहयोग से पैनल के अस्थाई कलाकारों के संबंधित क्षेत्रों में विशेष प्रचार अभियान चलाते हैं।

मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुत करके वहां की अलग–थलग पड़ी जनजातियों में उनके विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा की गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उनके अंदर देश के प्रति अपनत्व का भाव जगाना और उन्हें अपने आसपास हो रही विकास गतिविधियों में शामिल होने के लिए उत्साहित करना है। ये कार्यक्रम स्थानीय लोगों की भाषाओं/बोलियों में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रभाग ने नवम्बर 2011 तक 3968 कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं।

2011–12 के दौरान 4400 कार्यक्रम प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्वतीय/जनजातीय/मरुस्थलीय/संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में भी गीत एवं नाटक प्रभाग अपने कार्यक्रम ओर गतिविधियां चलाता है और जल्दी ही निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

p;fur 83 ftyk e xfrfof/k;k

योजना गतिविधियों में गीत एवं नाटक प्रभाग 83 नक्सल–प्रभावित जिलों में विशेष आईईसी गतिविधियां शुरू कर रहा है। जिलों की पहचान गृह मंत्रालय ने की है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों, खास तौर पर जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास गतिविधियों पर लोगों का ध्यान खींचने हेतु कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये कार्यक्रम लोगों की अपनी भाषा/बोलियों में पेश किए जाते हैं, जिनमें उनका सांस्कृतिक संदर्भ होता है। इन कार्यक्रमों का मुख्य फोकस सामान्य युवा हैं, जिनमें देशभक्ति की भावना का प्रोत्साहित किया जाता है। प्रभाग ने सफलतापूर्वक इस योजना को कार्यान्वित किया है। प्रभाग ने नवम्बर 2011 तक 1070 कार्यक्रम प्रस्तुत करके स्कीम का सफल क्रियान्वयन किया है। 2011–12 में 920 कार्यक्रम प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। 83 नक्सल प्रभावित जिलों में भी प्रभाग की गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

U;ure lk>k dk;Øe dk ipkj

योजना गतिविधियों के तहत प्रभाग ने सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की कई विकास योजनाओं के लिए सांस्कृतिक

अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुभान्सिरी में रंग आदिवासी कृषि विकास केन्द्र, लखीमपुर के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति

दलों के जरिए प्रचार किया। इसका उद्देश्य जनता में भारत निर्माण, सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना था ताकि लोग इनका लाभ उठा सकें। इस प्रभाग ने नवम्बर 2011 तक 1070 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 2011–12 में ऐसे 670 कार्यक्रम प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है परन्तु गीत एवं नाटक प्रभाग के ये कार्यक्रम और गतिविधियां अब भी चल रही हैं।

tEe d'ehj vkj iokŸkj {k= e fo'k"k xfrfof/k;k

प्रभाग जम्मू कश्मीर और देश के पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जच्चा–बच्चा देखभाल और महिला सशक्तिकरण आदि विषयों के प्रचार–प्रसार के लिए विशेष प्रचार अभियान चलाता है। वर्ष 2011–12 में प्रभाग ने

ध्वनि–प्रकाश कार्यक्रम जमुनिया की एक प्रस्तुति

नवम्बर 2011 तक 1811 कार्यक्रम (139 कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में और 1672 कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों में) प्रस्तुत किए हैं। 2011–12 में इस प्रकार के 2745 कार्यक्रम (जम्मू कश्मीर में 120 कार्यक्रम और पूर्वोत्तर राज्यों में 2475 कार्यक्रम) प्रस्तुत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गीत एवं नाटक प्रभाग की गतिविधियां जम्मू–कश्मीर में चल रही हैं और पूर्वोत्तर में 2475 कार्यक्रम प्रस्तुत करने का लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

/ofu&i dk'k dk;Øe

इस योजना के तहत प्रभाग देश के विभिन्न हिस्सों में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों, खासकर युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में शिक्षित करना है। इन कार्यक्रमों के जरिए इतिहास, संस्कृति और भारत की परंपरा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष के दौरान महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोगों की भूमिका का वर्णन किया जाता है। दिल्ली मुख्यालय की ध्वनि तथा प्रकाश इकाई ने एक मेगा शो 'जमुनिया – तस्वीर बदलते भारत की' नाम से 15 अक्टूबर, 2010 को सीरी फोर्ट नई दिल्ली में प्रस्तुत किया। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री इस दौरान उपस्थित थीं। नवम्बर 2011 तक इस प्रभाग ने 22 रंगमंच प्रस्तुतियां की। इस कार्यक्रम की सभी वर्गों के दर्शकों ने बड़ी सराहना की।

इस वित्त वर्ष की शेष अवधि में भी गीत एवं नाटक प्रभाग की ये गतिविधियां जारी रखने के आवश्यक उपाय किए गए हैं।

(i) गीत एवं नाटक प्रभाग ने अप्रैल, 2011 से नवम्बर, 2011 की अवधि में मध्य प्रदेश में पन्ना में और उत्तर प्रदेश में झांसी तथा अमेठी के रामलीला मैदान में यूपीए सरकार के विकास कार्यक्रमों पर आधारित ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम 'जमुनिया–तस्वीर बदलते भारत की' प्रस्तुत किया। माननीय सांसदों और विधायकों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों का आनंद लिया तथा इनकी सराहना भी की। यह कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में बहुत पसंद किया गया।

(ii) प्रभाग ने दिल्ली छावनी में 14 से 27 नवम्बर, 2011 तक ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम 'हम पूरब के रखवाले' प्रस्तुत किया। देश भक्ति की भावना से भरपूर यह प्रेरणादायक कार्यक्रम लक्षित दर्शकों को बहुत अच्छा लगा।

xhr ,o ukVd iHkkx }kjk vi y l uoEcj] 2011 dh vof/k e fo'k"k vo ljk ij iLrr dk;Øe

vi y] 2011 d nkSjku

Mk- vEcMdj t;Urh ij 14 vi y] 2011 dk vk;kftr fo'k"k dk;Øe

(क) गीत एवं नाटक प्रभाग के बंगलूरू केन्द्र द्वारा 14.04.2011 को डॉ. अम्बेडकर जयन्ती पर स्थानीय निमहैन्स अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के सहयोग से बंगलूरू में कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

(ख) लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र ने 'अम्बेडकर जयन्ती' के मौके पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, महमूदाबाद और सीतापुर में कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

(ग) चेन्नई और कोलकाता के क्षेत्रीय केन्द्रों ने भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए।

jk"Vh; [kknh vkj gLrf'kYi egkRlo ij fo'k"k dk;Øe

गीत एवं नाटक प्रभाग के रांची क्षेत्रीय केन्द्र ने राष्ट्रीय खादी हस्तशिल्प महोत्सव के सिलसिले में 26 मार्च से 5 अप्रैल, 2011 की अवधि में झारखंड राज्य में कड़मा, जमशेदपुर और पूर्व सिंघभूमि जिलों में हिस्सा लिया और कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

eb] 2011

vejkorh lekjkg % पुणे के क्षेत्रीय केन्द्र ने महाराष्ट्र के अमरावती में 15 मई, 2011 से 18 मई, 2011 तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

Hknokg lekjkg] 2011 % चण्डीगढ़ के क्षेत्रीय केन्द्र ने भद्रवाह समारोह के दौरान 27 से 30 मई, 2011 की अवधि में कार्यक्रम पेश किए।

tykb] 2011

fo'o tul[;k fnol ¼11 tykb] 2011½ ij vk;kftr dk;Øe

(क) संगीत एवं नाटक प्रभाग ने कर्नाटक के बीजापुर, धारवाड़, बिहार, मांड्या, रायचूर, चिकमंगलूर, मैसूर, गुलबर्गा,

बंगलूरू जिलों में 105 कार्यक्रम प्रस्तुत किए और 24 कार्यक्रम केरल के कोझिकोड़, तिरूअनंतपुरम, कोल्लम, मल्लमपुरम जिलों के विभिन्न इलाकों में आयोजित किए गए। ये सभी कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण, जच्चा–बच्चा देखरेख, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण से जुड़े विषयों पर थे।

(ख) लखनऊ के क्षेत्रीय केन्द्र ने विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में और उत्तराखंड में चंपावत में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये सभी कार्यक्रम 'परिवार नियोजन', जच्चा–बच्चा देखभाल, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण से जुड़े विषयों पर थे।

(ग) दिल्ली के क्षेत्रीय केन्द्र ने विश्व जनसंख्या दिवस पर हरियाणा और दिल्ली राज्यों में 51 कार्यक्रम आयोजित किए। ये सभी कार्यक्रम परिवार कल्याण, जच्चा–बच्चा देखभाल, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़े विषयों पर थे।

vxLr] 2011

Ixhr ,o ukVd iHkkx }kjk Hkkjr d Lok/khurk fnol ij vk;kftr dk;Øe

(क) बंगलूरू केन्द्र ने बंगलूरू के केन्द्रीय सदन के लॉन में 15 अगस्त, 2011 को भारत के स्वाधीनता दिवस पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़े विषयों पर आयोजित किए गए थे।

(ख) स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंगलूरू क्षेत्रीय केन्द्र ने 9 से 15 अगस्त, 2011 के बीच कर्नाटक के धारवाड़, गड़ग और उत्तर कैनरा जिलों में जिला प्रशासन और नेहरू युवा केन्द्र के सहयोग से 52 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनका विषय राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भारत का स्वाधीनता संग्राम और सामाजिक सद्भाव था।

(ग) बंगलूरू क्षेत्रीय केन्द्र ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केरल राज्य के कोझिकोड़ और अलापुझा जिलों में 14 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सद्भाव से जुड़े विषयों पर थे।

(घ) गुवाहाटी के क्षेत्रीय केन्द्र ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर गुवाहाटी के अमीनगांव में चार बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भारत के स्वाधीनता संग्राम और देशभक्ति से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया गया।

(ङ) कोलकाता के क्षेत्रीय केन्द्र ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भारत के स्वतंत्रता दिवस और सामाजिक सद्भाव से जुड़े मुद्दे उजागर किए गए।

I nHkkouk fnol ¼20 vxLr] 2011½ vkj I kiznkf;d I nHkko i[kokM+ ¼19 vxLr I 3 fl rEcj] 2011½ d voIj ij xhr ,o ukVd iHkkx u fuEu dk;Øe iLrr fd, ½

(क) गीत एवं नाटक प्रभाग के बंगलूरू क्षेत्रीय केन्द्र ने सद्भावना दिवस (20 अगस्त, 2011) और सांप्रदायिक सद्भाव पखवाड़े (19 अगस्त से 3 सितम्बर, 2011) के दौरान कर्नाटक में 74 और केरल में 34 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, जनजातीय कल्याण और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया गया।

कोलकाता के पैनलबद्ध कलाकारों द्वारा देशभक्ति–पूर्ण नृत्य की प्रस्तुति

(ख) गीत एवं नाटक प्रभाग के गुवाहाटी क्षेत्रीय केन्द्र ने सद्भावना दिवस (20 अगस्त, 2011) और सांप्रदायिक सद्भाव पखवाड़े (19 अगस्त से 3 सितम्बर, 2011) के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा राज्यों के विभिन्न इलाकों में 206 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अहिंसा और सद्भाव का संदेश पहुंचाना और एकता तथा सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना था।

(ग) गीत एवं नाटक प्रभाग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय की सशस्त्र सेना मनोरंजन विंग ने 6 अगस्त, 2011 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, जनजातीय कल्याण तथा माननीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न मुद्दों पर आधारित थे।

flrEcj] 2011

xhr ,o ukVd iHkkx dh l'kL= lsuk euksjatu foax }kjk iwoksZÙkj jkT;ksa esa vk;ksftr fo'ks"k dk;Øe

गीत एवं नाटक प्रभाग की सशस्त्र सेना मनोरंजन विंग ने 31 अगस्त, 2011 से 10 सितम्बर, 2011 की अवधि में मणिपुर राज्य के ज्वालापुरी मुख्यालय, अकुट्पा चौकी, तेमांगलोंग, लीमाखोंग आदि विभिन्न स्थानों में दस बहुत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम जवानों के मनोरंजन और सैनिकों के कल्याण के लिए किए गए थे। इनके विषय थे – राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और स्वाधीनता संग्राम।

गीत एवं नाटक प्रभाग के जम्मू कश्मीर केन्द्र ने सितम्बर, 2011 के दौरान आयोजित विशेष लोक नृत्य तथा संगीत समारोह प्रस्तुत किए ।

गीत एवं नाटक प्रभाग के जम्मू कश्मीर केन्द्र ने लोक नृत्य और संगीत का एक विशेष समारोह आयोजित किया। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महामहिम श्री एन एन वोहरा ने श्रीनगर में किया। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री नवाज रिग्ज़िम ज़ोरा, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विकास, पंचायत, कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री श्री अली मोहम्मद सागर, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अरविंद कुमार, गीत एवं नाटक प्रभाग के निदेशक श्री एल आर विश्वनाथ, जम्मू कश्मीर के सूचना एवं जन संपर्क निदेशक, पर्यटन निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक (समाचार), कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति और डीन तथा अन्य गण्यमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया।

vDVcj] 2011

xk/kh t;rh ¼2 vDVcj] 2011½ ij xhr ,o ukVd iHkkx }kjk vk;kftr dk;Øe

गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2011) के दिन गीत एवं नाटक प्रभाग के बंगलूरू, चेन्नई, चण्डीगढ़, भोपाल, कोलकाता, रांची और लखनऊ के क्षेत्रीय केन्द्रों ने बहुत ही विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये कार्यक्रम छुआछूत, निवारण, कुष्ठरोग निवारण, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव और साफ–सफाई आदि विषयों से जुड़े मुद्दों पर थे।

गीत एवं नाटक प्रभाग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय की सशस्त्र सेना मनोरंजन यूनिट ने गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2011) पर तीन विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

माननीय सांसद श्री स्वागत रॉय के सुझाव पर गीत एवं नाटक प्रभाग के कोलकाता क्षेत्रीय केन्द्र ने गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2011) पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

uojk=k d nkjku xhr ,o ukVd iHkkx }kjk vk;kftr dk;Øe

गीत एवं नाटक प्रभाग के जम्मू केन्द्र ने नवरात्रों के दौरान कटरा, जम्मू में 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर के बीच 9 अत्यन्त विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें राष्ट्रीय एकता, सांम्प्रदायिक सद्भाव, आतंकवाद–विरोध और स्वाधीनता संग्राम जैसे विषयों का प्रचार किया गया था।

uoEcj] 2011

dkeh ,drk fnol ij vk;kftr fo'k"k dk;Øe

गीत एवं नाटक प्रभाग के बंगलूरू, चेन्नई, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्रों ने 19 नवम्बर, 2011 को कौमी एकता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। ये सभी कार्यक्रम छुआछूत मिटाने, कुष्ठ रोग निवारण, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव और साफ–सफाई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आधारित थे।

fcgkj d lkuiqj e 9 l 17 uoEcj] 2011 rd vk;kftr lkuiqj lekjkg e ykd uR; vkj lxhr dk;Øe

गीत एवं नाटक प्रभाग ने सोनपुर जिला प्रशासन और बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के सहयोग से सोनपुर समारोह के दौरान लोक नृत्यों और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बिहार के सोनपुर में होने वाले सोनपुर समारोह में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी और झारखंड से गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों ने भाग लिया। माननीय केन्द्रीय राजस्व और भूमि सुधार मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जनार्दन प्रसाद सिगरिवाल, बिहार सरकार के माननीय श्रम मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय राज्यसभा सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों को देखा और इनकी सराहना की।

इसी स्थल पर इस समारोह के दौरान दिल्ली मुख्यालय, कोलकाता क्षेत्रीय केन्द्र और भुवनेश्वर के विभागीय कलाकारों/तकनीशियनों तथा देश के विभिन्न भागों के करीब

65 कलाकारों ने ''विविधता में एकता'' के संदेश पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कलाकारों ने राजस्थान के भवई और कालबेलिया, असम के तिवा, हैज़ोंग, बिहू और बोड़ो नृत्य, झारखंड के पैका, पुरूलिया, छऊ नृत्य, ओडिशा के ओडीसी, गोतिपुंआ नृत्य, हरियाणा का हरियाणवी नृत्य और रवीन्द्रनाथ टैगोर की दुर्गा वन्दना प्रस्तुत की। बड़ी संख्या में दर्शकों ने प्रतिदिन इनका आनंद लिया और सराहना भी की।

Hkkjr d vrjk"Vh; 0;kikj ey] 2011 dh doj t

भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2009, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2011 तक आयोजित किया गया था। गीत एवं नाटक प्रभाग ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इस मेले के दौरान अपने मंडप में 164 प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए।

xhr ,o ukVd iHkkx dk vk/kfudhdj.k

वार्षिक योजना 2011–12 के इस भाग के अंतर्गत ₹ 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिससे प्रभाग ने ध्वनि और प्रकाश उपकरणों के तकनीकी अपग्रेडेशन करने की योजना बनाई है।

xj&;ktuk ¼ih,l,l½

प्रभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों की विकास गतिविधियों के प्रचार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान और पर्यावरण मुद्दों जैसे विषयों पर आधारित कार्यक्रम पेश किए। देश भर के प्रमुख मेले और उत्सव भी कवर किए जाते हैं। नवम्बर, 2011 तक कुल करीब 3708 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2011&12 ¼vily l uoEcj 2011 rd½
d nkjku xhr ,o ukVd iHkkx d ;ktuk ,o xj ;ktuk dk;Øek dh miyfC/k;k

{k=h; dUnk d uke	vkbZlhVh	vkbMh	lh,eih fFk,Vj	tEe d'ehj rFkk iokÙkj jkT;	iokÙkj jkT;	xj ;ktuk
1. बंगलूरू	545	-	162	-	—	505
2. भोपाल	513	158	74	-	-	542
3. पुणे	724	87	156	-	-	475
4. रांची	299	154	12	-	-	72
5. लखनऊ	342	77	79	-	-	222
6. रांची	557	170	62	-	-	232
7. कोलकाता	147	424	70	86	-	200
8. गुवाहाटी	-	-	-	1672	-	312
9. चण्डीगढ़	360	-	51	139	-	474
10. दिल्ली	475	-	83	-	-	625
11. सशस्त्र सेना मनोरंजन विंग	-	-	-	-		49
12. ध्वनि एवं प्रकाश	-	-	-	-	22	-
dy	3962	1070	749	1811	22	3708

;ktuk 7614 ¼3962$1070$749$1811$22½ xj ;ktuk 3]708 dy 11]322

tu lpuk vfHk;ku d nkjku xhr ,o ukVd iHkkx }kjk iLrr dk;Øe ¼uoEcj 2011 rd dh fLFkfr½

क्र.स.	eghuk	vk;kftr dk;Øeks dh la[;k	lacf/kr jkT;
1.	अप्रैल, 2011	21 कार्यक्रम	10 कार्यक्रम पीआईसी नमदरबार, महाराष्ट्र में 11 आइज़ॉल कार्यक्रम पीआईसी, रांका, सिक्किम म
2.	मई, 2011	135 कार्यक्रम	12 कार्यक्रम मेघालय राज्य के रिभोई जिले के बाइमिहाट पीएसी में। 12 कार्यक्रम पीआईसी ग्वालपाड़ा, असम में। 22 कार्यक्रम पीआईसी तामेंगलोंग, मणिपुर राज्य में। 12 कार्यक्रम पीआईसी सैरंग, जिला आइज़ॉल, मिजोरम में। 15 कार्यक्रम चण्डीगढ़ केन्द्र के पीआईसी में।
3.	जून, 2011	98 कार्यक्रम	36 कार्यक्रम केरल राज्य में कोट्टयम में करूर ब्लॉक के पीआईसी और कन्नूर ब्लॉक के पेरावूर ब्लॉक में। 39 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के दावरहाट और झांसी पीआईसी में। 6 कार्यक्रम पीआईसी खोवाई त्रिपुरा में। 5 कार्यक्रम पीआईसी यांगयांग, सिक्किम में। 12 कार्यक्रम पीआईसी, राजमपेट्ट, कडप्पा में।
4.	जुलाई,2011	47 कार्यक्रम	0 कार्यक्रम पीआईसी केलोंग, हिमाचल प्रदेश में। 14 कार्यक्रम पीआईसी, कोरापुट, ओडिशा में। 13 कार्यक्रम पीआईसी थंजावूर, चेन्नई में।
5.	अगस्त,2011	63 कार्यक्रम	22 कार्यक्रम केरल राज्य में त्रिवेंद्रम और अलपुझा पीआईसी में। 5 कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में कोलकाता पीआईसी में। 20 कार्यक्रम पीआईसी के लिए पुणे केन्द्र ने आयोजित किए। 16 कार्यक्रम पीआईसी, बोकाखाट, असम में।
6.	सितम्बर,2011	241 कार्यक्रम	22 कार्यक्रम केरल में वायनाड पीआईसी में। 36 कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भिंड ओर टीकमगढ़ पीआईसी में। 18 कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा पीआईसी में। 48 कार्यक्रम राजस्थान राज्य के बांसवाडा और सिरोही पीआईसी में। 18 कार्यक्रम पीआईसी के लिए पुणे क्षेत्रीय केन्द्र ने आयोजित किए। 30 कार्यक्रम पीआईसी के लिए लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र ने आयाजित किए। 6 कार्यक्रम तमिलनाडु में चेंगम थिरूवन्नामल्लई पीआईसी में।

Ø-l-	ekg	dk;Øe dh l[;k	jkT;@LFkku
7.	अक्टूबर, 2011	181 कार्यक्रम	18 कार्यक्रम पीआईसी, मलप्पुरम, केरल में। 18 कार्यक्रम पीआईसी, बयाडगी, हावेरी, कर्नाटक में। 12 कार्यक्रम मध्य प्रदेश में छत्तरपुर के खजुराहो पीआईसी में। 36 कार्यक्रम पीआईसी, कोटड़ा, उदयपुर, राजस्थान में। 24 कार्यक्रम पीआईसी संतरविदास नगर, भदोई और चंपावत में। 21 कार्यक्रम पीआईसी पुनपुन, बिहार में। 12 कार्यक्रम पीआईसी पुनपुन, बिहार में। 16 कार्यक्रम पीआईसी, कमलपुर, त्रिपुरा में। 08 कार्यक्रम पीआईसी, नदुवां, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में।
8.	नवम्बर, 2011	337 कार्यक्रम	24 कार्यक्रम पीआईसी, कोल्लम, केरल में। 22 कार्यक्रम कर्नाटक राज्य में कनकपुरा के पीआईसी में। 32 कार्यक्रम पीआईसी, अनुपुर, मध्य प्रदेश में। 56 कार्यक्रम राजस्थान में डूंगरपुर के पीआईसी में। 16 कार्यक्रम पुणे क्षेत्रीय केन्द्र ने पीआईसी के लिए आयोजित किए। 91 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में संतरविदास नगर और भदोई तथा उत्तराखण्ड में चंपावत के पीआईसी में। 13 कार्यक्रम पीआईसी करूर, तमिलनाडु में। 09 कार्यक्रम पीआईसी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। 09 कार्यक्रम पीआईसी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। 16 कार्यक्रम पीआईसी, तिनसुखिया, असम राज्य में। 49 कार्यक्रम पीआईसी के लिए कोलकाता के क्षेत्रीय केन्द्र ने आयोजित किए।

रांका (सिक्किम) में लोक सूचना अभियान

शिफोंग, खानापारा (गुवाहाटी) के कलाकारों की मेघालय के रिभोई जिले में रंगारंग प्रस्तुति

गीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों की शांति, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव प्रदर्शित करती प्रस्तुतियां

QkVk iHkkx

(www.photodivision.gov.in)

Hkfedk

फोटो प्रभाग की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के तौर पर 16 अक्तूबर, 1959 को हुई थी। फोटोग्राफी घटनाओं की प्रामाणिक और सही–सही जानकारी देती है इसलिए इसके महत्व को ध्यान में रखकर अलग से एक विभाग बनाने की बात सोची गई थी।

प्रभाग भारत सरकार की ओर से आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए घटनाओं के दृश्य विवरण रखने और श्वेत–श्याम तथा रंगीन फोटोग्राफ तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

xfrfof/k;k@dk;Øe

फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य देश में विकास और प्रगति के साथ–साथ देश में हो रहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को कालक्रमानुसार फोटो के माध्यम से अभिलेखबद्ध करना है तथा उन्हें इस विधा के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। फोटो प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को प्रचार–प्रसार के लिए नियमित रूप से विजुअल्स (स्टिल फोटो) उपलब्ध कराता है। इसके फोटो का इस्तेमाल करने वालों में केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियां, मंत्रालय/विभाग, राष्ट्रपति कार्यालय, उप–राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास (जो विदेश प्रचार प्रभाग के माध्यम से इसका फायदा उठाते हैं) और आम जनता शामिल है।

विदेश प्रचार प्रभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेषालय और पत्र सूचना कार्यालय को फोटो प्रभाग पर्याप्त सहायता और सेवाएं उपलब्ध कराता है।

विदेश मंत्रालय का विदेश प्रचार प्रभाग विदेशों में भारत सरकार के प्रचार के लिए फोटो प्रभाग के ज्यादातर फोटो हासिल करता है। प्रभाग द्वारा खींची जाने वाली फोटो का काफी बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले सभी राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की यात्राओं के फोटोग्राफ्स का होता है. इनके एल्बम तैयार किए जाते हैं और अतिविशिष्ट अतिथियों के विदा होते समय ये उन्हें भेंट के रूप में दे दिए जाते हैं।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की नियमित कवरेज के तहत राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी केन्द्रीय मंत्रियों से संबंधित फोटो इंटरनेट के जरिए प्रचार के लिए पत्र सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाते हैं। विकास परियोजनाओं हैं : (प) 7–9 अप्रैल 2011 तक मलेशिया में कुआलालम्पुर में प्रेस परिषद के गठन के लिए विचार–विमर्श के लिए; (पप) 27–30 नवम्बर 2011 तक हांगकांग की यात्रा; (पपप) 7–8 दिसम्बर 2011 तक इंडोनेशिया की यात्रा। भारतीय प्रेस परिषद ने 26 अप्रैल 2011 को अफगानिस्तान से आए एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। 23 नवम्बर 2011 को दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की।आदि के फोटो का इस्तेमाल प्रदर्शनियों और पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए किया जाता है। फोटो प्रभाग अपने नियमित फोटोग्राफ्स, खास तौर पर समाचारों से संबंधित फोटोग्राफ्स को अपने वेबसाइट और आर्काइव में उपलब्ध अन्य स्रोतों से अद्यतन करता रहता है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय फोटो के लिए पूरी तरह फोटो प्रभाग के आर्काइव पर निर्भर है जो पिछले पांच दशकों में बन कर तैयार हुआ है। निदेशालय देश की विशाल आबादी और विदेशों में वितरण के लिए प्रचार सामग्री, होर्डिंग, पर्चे, पुस्तिकाएं और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों की प्रचार सामग्री फोटो प्रभाग के आर्काइव में उपलब्ध सामग्री से ही तैयार करता है। हाल में फोटो प्रभाग ने फोटो तैयार करने में काम आने वाले अपने कुछ परिष्कृत उपकरणों में और सुधार किया है और विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय अपनी प्रदर्शनियों की शानदार पृष्ठभमि तैयार करने के लिए प्रभाग के फोटो वाले डिस्प्ले पैनलों का सीधे तौर पर उपयोग करता है। इसके अलावा सभी मीडिया इकाइयों को उनकी विशिष्ट गतिविधियों के लिए जरूरत के अनुसार मदद दी जाती है।

प्रभाग गैर–प्रचार संगठनों, निजी प्रकाशकों और आम जनता को भी कीमत भुगतान योजना के तहत फोटो उपलब्ध कराता है।

हाल में जब से राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र की बात सामने आई है। प्रभाग ने समग्र रूप से फोटोग्राफी के विकास के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर राज्यों को आधुनिक फोटोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन देने, खास तौर पर आर्काइव के माध्यम से फोटोग्राफी के प्रबंधन में

तकनीकी दिशानिर्देश देने के साथ हुई। इसके अलावा प्रभाग ने इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य लोगों के लिए भारतीय जन संचार संस्थान के प्रशासनिक सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये।

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि 2010 के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान देश में फोटोग्राफरों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करना थी। उत्कृष्ट फोटोग्राफरों को उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड प्रदान करने के अलावा प्रभाग की एक और योजना भी है जिसके तहत पेशेवर और शौकिया फोटोग्राफरों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।

QkVks iHkkx dk lxBukRed <kpk

फोटो प्रभाग का मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में इसकी फोटो इकाई/प्रकोष्ठ भी है जो मुख्य रूप से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की प्रदर्शनियों के लिए सीधे फोटो संबंधी सहायता/मदद प्रदान करती है और संचार मंत्रालय के डाक और तार विभाग के इस्तेमाल के लिए म्यूरल उपलब्ध कराती है।

निदेशक प्रभाग के प्रमुख हैं जिनकी सहायता के लिए एक उप निदेशक, एक वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी, छह फोटोग्राफिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य तकनीकी तथा गैर–तकनीकी कर्मचारी होते हैं। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग में हिन्दी अनुभाग भी है जिसमें हिन्दी अनुवादक (कनिष्ठ) और हिन्दी टंकक (कनिष्ठ श्रेणी लिपिक) हैं जो निदेशक के सीधे नियंत्रण में राजभाषा हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं।

egRoi.k nkf;Ro

प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को उप–राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कभी–कभी मंत्रियों की देश में या विदेशों की यात्रा की विस्तृत कवरेज करने और उस पर आधरित प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए उनके साथ दौरे पर जाना पड़ता है। कभी–कभी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा को कवर करने के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों को नामजद किया जाता है। प्रभाग के आर्काइव को आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी देश में चल रही विकास गतिविधियों तथा समय–समय पर हो रहे सामाजिक–आर्थिक बदलावों का फोटो के माध्यम से अभिलेखबद्ध करने का कार्य भी करते हैं। अब तो प्रभाग ने भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम–भारत निर्माण को चित्रों के माध्यम से अभिलेखबद्ध करने की दिशा में पहल की है।

प्रभाग की महत्वपूर्ण नियमित गतिविधियों के अंतर्गत दो फोटोग्राफिक अधिकारी पूरे साल शिफ्ट आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय/निवास/संसद भवन में आवश्यकतानुसार तैनात किए जाते हैं ताकि वे प्रेस में प्रचार, रिकार्ड और व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों के फोटो खींच सकें।

विदेश मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सेवाओं के तहत प्रभाग भारत यात्रा पर आये राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की विस्तृत फोटो कवरेज करता है और फोटो के माध्यम से उनकी यात्रा के प्रचार की व्यवस्था करता है। अतिविशिष्ट अतिथियों की यात्रा के अंत में के विदाई समारोह के दौरान उन्हें सुनहरी लिखावट से सजा चमड़े की जिल्द वाला विशेष अतिविशिष्ट एल्बम (विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवीजन द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत) भेंट किया जाता है। इस एल्बम के भीतर डिजिटल चित्रों के साथ–साथ अतिविशिष्ट अतिथि की समूची यात्रा के दौरान लिये गये फोटो की हार्ड कापी भी होती हैं।

11oh ipo"kh; ;kstuk

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दौरान प्रभाग ने दो नये कार्यक्रम प्रारंभ किये–'राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र' और 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के अन्य दूर–दराज के इलाकों जैसे जम्मू–कश्मीर, अंडमान–निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आदि के लिए विशेष अभियान'। वर्ष (2011–2012) लिए योजनागत कार्यक्रम 'राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र' के तहत प्रभाग ने डिजिटल फोटो लाइब्रेरी में सुधार का कार्य जारी रखा और उसमें नमी दूर करने के लिए डीह्यूमिडीफिकेशन प्रणाली और तापमान नियंत्रण इकाई के साथ–साथ सुरक्षा प्रणाली भी स्थापित की। इसके अलावा फोटोग्राफी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अध्ययन और अभिलेख सामग्री के अधिग्रहण का कार्य भी जारी रहा।

डिजिटल मैनेजमेंट के तहत 'समाचार फोटो नेटवर्क' तैयार करने के लिए प्रोग्रामरों और फोटो डेटा एंट्री ऑपरेटरों को आउटसोर्स किया जा रहा है. इसमें मैटा डेटा यानी डिजिटल

इमेज/डिजिटल टैक्स्ट (फोटो का कैप्शन) आदि को आधिकारिक वैबसाइट पर अपलोड/ऑपरेट किया जा रहा है और इन्हें प्रभाग के उच्च क्षमता वाले सर्वरों में रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रभाग की डिजिटल इमेज लाइब्रेरी के उचित प्रबंधन, खास तौर पर इमेजेज को पुस्तकालय विज्ञान के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों और पुस्तकालय सहायकों की सेवाएं ली जा ही हैं।

योजनागत कार्यक्रम 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के अन्य दूर–दराज के इलाकों जैसे जम्मू–कश्मीर, अंडमान–निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आदि के लिए विशेष अभियान'के अंतर्गत ऐसे इलाकों में विकास परियोजनाओं को फोटो के माध्यम से अभिलेखबद्ध करने का कार्य शुरू किया गया। निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विकास गतिविधियों, जन–जीवन और पर्यावरण, प्राकृतिक सौन्दर्य आदि को फोटोग्राफ्स में समेटने का कार्य प्रारंभ किया गया।

1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम
3. मिज़ोरम
4. मेघालय
5. त्रिपूरा
6. मणिपुर

iokRrj jkT;k d fy, fo'k"k if'k{k.k dk;Øe

पूर्वोत्तर राज्यों के सूचना और जन संपर्क विभागों की मदद के लिए प्रभाग ने 'डिजिटाइजेशन ऑफ इमेजेज एंड इट्स मैनेजमेंट' विषय पर दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम खास तौर पर वरिष्ठ फोटोग्राफरों, वरिष्ठ सूचना अधिकारियों और सूचना टेक्नोलाजी विशेषज्ञों के लिए था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यां में से 6 ने अपने 13 अधिकारियों को इसमें भेजा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रभाग ने प्रतिभागियों को एक महत्वपूर्ण एकल उपयोक्ता सॉफ्टवेयर 'फोटोवेयर' दिया जिसके जरिए सर्वर से फोटो को निकाला जा सकता है।

vU; ehfM;k bdkb;k l rkyey

अन्य मीडिया इकाइयों के साथ तालमेल के लिए प्रभाग ने कई कदम उठाए हैं। नेटवर्क के जरिए समाचारपत्रों को फोटो भेजने में होने वाली देरी से बचने के लिए अब प्रभाग के पास पत्र सूचना कार्यालय को तत्काल फोटो भेजने की व्यवस्था है। उत्कृष्ट प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए फोटो प्रभाग के निदेशक ने डॉक्यूमेंटेशन को अद्यतन करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसके जरिए चाहे कैलेंडर की छपाई हो या किसी विषय पर प्रदर्शनी, सबके लिए सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। अपनी विशेषज्ञता की जानकारी औरों को देने के लिए कदम उठाए गए और मीडिया इकाइयों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित की गई।

jk"Vh; QkVk ijLdkj vkj vU; ifr;kfxrk, o in'kfu;k

igy jk"Vh; QkVk ijLdkj 2010

फोटो प्रभाग ने अपने 2010 में स्वर्ण जयंती वर्ष में राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार शुरू किए और देश के चार उत्कृष्ट फोटोग्राफरों को उनकी जीवनभर की उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए।

प्रभाग अब इन फोटोग्राफरों के चुनिंदा फोटोग्राफ्स की दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और वडोदरा में प्रदर्शनियां लगा रहा है क्योंकि ये शहर इन फोटोग्राफरों से जुड़े हैं।

दूसरे राष्ट्रीय फोटो पुरस्कारों के लिए तैयारियां जारी हैं जो इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

23oh jk"Vh; QkVk ifr;kfxrk % ^Hkkjr e ;ok*

फोटो प्रभाग ने 'भारत में युवा' विषय पर 23वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता आयोजित की। इसके लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के जरिए देश भर में फोटोग्राफरों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रत्येक प्रतिभागी से हर वर्ग यानी मोनाक्रोम (श्वेत–श्याम) और रंगीन वर्ग में अधिकतम चार फोटो मांगे गए।

प्रभाग को 15 राज्यों के 165 प्रतिभागियों से कुल 726 प्रविष्टियां मिलीं। सर्व श्री मधु सरकार, निदेशक नेशनल एकेडमी ऑफ फोटाग्राफी, कोलकाता; मुकेश परपिआनी, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई की परिमल आर्ट गैलरी के प्रमुख; आर.के. दयाल, फाइनेंशियल एक्सप्रेस नई दिल्ली के मुख्य फोटोग्राफर; प्रो. एफ.बी. खान, जन संचार और अनुसंधान केन्द्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में प्रोफेसर; और देबतोश

सेनगुप्ता, निदेशक फोटो प्रभाग के उच्च–स्तरीय निर्णायक मंडल ने प्रविष्टियों की जांच की और प्रदर्शनी के लिए विजेता फोटो का चयन किया। इसके अलावा दोनों खंडों यानी श्वेत–श्याम और रंगीन में पुरस्कार 25 फोटोग्राफ्स का भी चयन किया गया। निर्णायक मंडल ने प्रदर्शनी के लिए 56 (46 रंगीन और 13 श्वेत–श्याम) अन्य फोटोग्राफ़्स का भी चयन किया।

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के श्री अमित कुमार दान ने 'भारत में युवा' के लिए लिए और मध्य प्रदेश में इंदौर के श्री गिरीश जे. किंगर ने 'टेक ऑफ' के लिए 23वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जीता। प्रतियोगिता का दूसरा पुरस्कार पश्चिम बंगाल में कोलकाता के श्री कुंतल कुमार रॉय को और विजयवाड़ा के श्री. नारायणा राव को उनके फोटो 'वालंटियर' और 'मेरा तिरंगा' के लिए क्रमशः श्वेत–श्याम और रंगीन श्रेणी के लिए दिया गया. कोलकाता के श्री प्रशांत बिस्वास और मिनदापुर के श्री संतोष कुमार जेना को 'ट्राइबल यूथ' और 'यंग अचीवर्स' नाम की उनकी प्रविष्टियों के लिए क्रमशः श्वेत–श्याम और रंगीन श्रेणियों में तीसरा पुरस्कार मिला।

पुरस्कार वितरण और पुरस्कृत तथा कुछ चयनित फोटो की प्रदर्शनी 17 अगस्त 2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री रघु मेनन ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और 17 अगस्त, 2011 को नई दिल्ली की अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प समिति (आइफैक्स) गैलरी में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

फोटो प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करना था ताकि इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रतिभाओं को मान्यता भी मिले। प्रतियोगिता का विषय बड़ा विशद था जिससे उन्हें फोटो खींचने के लिए बहुत विस्तृत विकल्प मिल गए।

23वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के पुरस्कृत और चयनित फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी सात स्थानों, गुवाहाटी, बंगलौर, इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई में लगायी जाएंगी।

डीएवीपी के महानिदेशक श्री ए.पी.फ्रेंक नरोन्हा चित्रो के डिजिटाइजेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए। फोटो प्रभाग के निदेशक श्री देबातोष सेनगुप्त भी चित्र में हैं।

फोटो प्रभाग द्वारा 'भारत में युवा' विषय पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के ब्लैक एंड व्हाइट वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कोलकाता के श्री अमित कुमार दान की प्रविष्टि

tutkrh; dk;l e=ky; d lg;kx l jk"Vh; Lrj dh QkVk ifr;kfxrk

फोटो प्रभाग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए जनजातीय लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय स्तर की चौथी फोटो प्रतियोगिता प्रतियोगिता आयोजित की। इस साल पांचवीं प्रतियोगिता की तैयारियां चल रही हैं।

fu;fer xfrfof/k;k

अपनी नियमित गतिविधियों के अंतर्गत प्रभाग ने भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज की। देश और विदेश में उप–राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की यात्राओं और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की भारत यात्राओं की कवरेज की गई। फोटो प्रभाग ने देश में और विदेशों में उप–राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की यात्राओं की विस्तृत कवरेज की। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों और द्विपक्षीय बैठकों की भी व्यापक कवरेज की गई।

mijk"Vifr dh fon'k ;k=k,

1. मई 2011 में बांग्लादेश की राजकीय यात्रा
2. जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान और युगांडा की यात्रा
3. अक्तूबर 2011 में तुर्की की राजकीय यात्रा
4. अक्तूबर 2011 में ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा

i/kkue=h dh fon'k ;k=k,

1. अप्रैल 2011 में चीन और कजाखिस्तान की यात्रा
2. मई 2011 में अफगानिस्तान की यात्रा
3. मई 2011 में इथियोपिया और तंजानिया की यात्रा
4. सितम्बर 2011 में बांग्लादेश की यात्रा
5. सितम्बर 2011 में न्यूयॉर्क की यात्रा
6. अक्तूबर 2011 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा
7. नवम्बर 2011 में कान (फ्रांस) की यात्रा
8. नवम्बर 2011 में मालदीव की यात्रा
9. नवम्बर 2011 में सिंगापुर की यात्रा
10. दिसम्बर 2011 में मास्को (रूसी परिसंघ) की यात्रा

fon'kh jk"Vk/;{kk dh Hkkjr ;k=k

उप–राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं की कवरेज के अलावा फोटो प्रभाग ने निम्नलिखित देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की भारत यात्राओं का फोटो अभिलेखन किया।

1. थाइलैंड के प्रधानमंत्री का दौरा
2. उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति का दौरा
3. स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री का दौरा
4. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का दौरा
5. वियतनाम के राष्ट्रपति का दौरा
6. म्यामां के राष्ट्रपति का दौरा
7. नेपाल के प्रधानमंत्री का दौरा
8. भूटान नरेश का दौरा
9. जापान के प्रधानमंत्री का दौरा
10. त्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री का दौरा

lkLd`frd vkj /kkfed lekjkgk dh fo'k"k dojt

1.	इफ्तार	2.	दशहरा
3.	दुर्गा पूजा	4.	दीपावली
5.	ईद	6.	मुहर्रम
7.	गोवा उत्सव		

vU; egRoi.k dojt

1. भारत–वेस्ट इंडीज क्रिकेट टेस्ट
2. नेहरू कप फुटबॉल टूर्नामेंट
3. डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट
4. सार्क फुटबॉल टूर्नामेंट

iokRrj vkj tEe&d'ehj d fy, fo'k"k vfHk;ku

पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू–कश्मीर, अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप जैसे दूर–दराज के इलाकों के लिए विशेष

फोटो प्रभाग द्वारा 'भारत में युवा' विषय पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के ब्लैक एंड व्हाइट वर्ग में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कोलकाता के श्री कुंतल कुमार रॉय की प्रविष्टि

अभियान के तहत प्रभाग ने निम्नलिखित विशेष क्षेत्रों को फोटो के जरिए अभिलेखबद्ध किया।

1. जम्मू कश्मीर में शीतकालीन खेल
2. जम्मू–कश्मीर में सिंचाई संबंधी गतिविधियां
3. अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह का जनजीवन और क्षेत्र तथा वहां के सुनामी–प्रभावित इलाकों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां
4. जम्मू–कश्मीर में चुनाव
5. असम में चुनाव

चालू योजना अवधि में प्रभाग की पूर्वोत्तर के तीन और राज्यों, अंडमान–निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप को फोटो के माध्यम से अभिलेखबद्ध करने की योजना है।पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरागाधीं की जयंती के अवसर पर प्रभाग ने कोलकाता में 19 और 20 नवम्बर को एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसका विषय था : 'प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी – स्वर्गीया इंदिरां गांधी को एक श्रद्धांजलि' हालांकि प्रभाग जनता को सूचना देने के अभियान में सीधे तौर पर शामिल नहीं है मगर यह विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को फोटोग्राफ उपलब्ध कराकर उसे भरपूर मदद करता है।

ikMD'ku dk;Z

पिछले योजना कार्यक्रम के दौरान म्यूरल की छपाई की शुरुआत के बाद प्रभाग ने प्रदर्शनियों के लिए कई महत्वपूर्ण पैनल तैयार किए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :

1. कैलेंडर एक्जीबिशन 5 सैट
2. क्रेडिट बोर्ड 19 सैट
3. भारत निर्माण के लिए अंग्रेजी और हिन्दी में टॉप और बॉटम स्ट्रिप के 20 सैट

फोटो प्रभाग द्वारा 'भारत में युवा' विषय पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के रंगीन चित्र वर्ग में इंदौर के श्री गिरीश जे. किंगर की प्रविष्टि 'टेक ऑफ' को प्रथम पुरस्कार मिला।

फोटो प्रभाग द्वारा 'भारत में युवा' विषय पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के रंगीन चित्र वर्ग में तृतीय पुरस्कार प्राप्त कोलकाता के श्री प्रशांत विश्वास की प्रविष्टि

4. सिविल सर्विस प्रदर्शनी में बेहतरीन तौर–तरीकों के बारे में शिमला और हैदराबाद के प्रशासनिक संस्थानों और नई दिल्ली के सचिवीय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान को पूरे तीन सैट सप्लाई किए।

5. भारत निर्माण प्रदर्शनी के लिए लखनऊ को पांच सैट भेजे

6. वैन में चलती–फिरती प्रदर्शनी के लिए एक सैट

7. परिवार नियोजन प्रदर्शनी के लिए एक सैट

Hkkjr dk vrjk"Vªh; fQYe lekjksg xksok

एसाइनमेंट पूरे किए। प्रभाग ने समारोह की तमाम गतिविधियों के 348 फोटो अपलोड किए और 419 फोटो पत्र सूचना कार्यालय को अपलोड किए। इसके अलावा प्रभाग ने फोटो की करीब 1000 हार्ड कॉपी प्रेस को उपलब्ध करायी।

वर्ष 2011–12 में (नवम्बर 2011 तक) फोटो प्रभाग द्वारा कवर किए गए एसाइनमेंट्स, बनाए गए नेगेटिव और प्रिंट्स/एल्बमों का विवरण और फोटा प्रभाग के योजना तथा गैर योजना–गत बजट का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है।

jktHkk"kk dk c<kok

फोटो प्रभाग अपने छोटे से कार्यालय में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के कार्य में पूरे जोर–शोर से लगा है। लेखा और प्रशासन अनुभागों का ज्यादातर कार्य हिन्दी में किया जाता है। प्रभाग ने 14–28 सितम्बर 2011 तक हिन्दी पखवाडा मनाया। इस दौरान प्रभाग ने चार कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें एक विशेष कार्यशाला भी शामिल थी। इस साल के हिन्दी पखवाड़े की मुख्य विशेषता आशु भाषण प्रतियोगिता थी। इसके अलावा निबंध लेखन और फोटोग्राफी, राजभाषा हिन्दी और समसामयिक मामलों पर आधारित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी।

अवधि के दौरान प्रभाग ने राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं पर चार कार्यशालाएं आयोजित कीं। अब प्रभाग के ज्यादातर फॉर्म द्विभाषिक रूप में उपलब्ध हैं।

QksVks lEc/kh vkadM+s

1	कवर किए गए समाचार और फीचर एसाइनमेंट	2173
2	खुद बनाई गई डिजिटल इमेज	91212
3	फोटो प्रभाग की वेबसाइट/आर्काइव में अपलोड के लिए चुनी गई डिजिटल इमेज	5926
4	उपलब्ध कराये गए श्वेत–श्याम और रंगीन प्रिंटउपलब्ध कराये गए श्वेत–श्याम और रंगीन प्रिंट	55.147
5	तैयार किए गए फोटो एल्बमों/वालेट्स की कुल संख्या	197
6	पत्र सूचना कार्यालय की सरकारी वेबसाइट में अपलोड इमेज	4149
7	प्रभाग के उच्च क्षमता वाले सर्वर में अपलोड इमेज	58991

Lohd`r ctV

Lohd`r o"kZ	XkSj&;kstukxr	;kstukxr	okLrfod [kpZ xSj&;kstukxr ¼uoEcj 2009½	;kstukxr
2011-2012	₹ 396.00	₹ 210.00	₹ 251.63	₹ 35.59

QkVk iHkkx dh 2011&12 dh lrdZrk xfrfof/k;ksa dh fjiksVZ

1.	**iHkkx d e[;ky; vkj 'kk[kk dk;ky;ks e lrdZrk lxBu**	प्रभाग में सतर्कता कार्यालयों के लिए अलग से स्वीकृत स्टाफ नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी अपने सहयोगियों की मदद से ऐसे कार्य सम्पन्न करते है।
2.	**o"k d nkjku lrdZrk lEc/kh xfrfof/k;ks dk C;kjk %** **1-** अवधि के दौरान नियमित निरीक्षण **2-** अवधि के दौरान औचक निरीक्षण	 **2** **2**
3	**vof/k d nkjku fuxjkuh vkj vokfNr xfrfof/k;ks dk irk yxk;k tkuk %** 1.निगरानी के लिए चयनित क्षेत्र 2.निगरानी के अन्तर्गत रखे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	 महत्वपूर्ण प्रोडक्शन और मूल्य निर्धारण वाले सभी अनुभाग शून्य
4.	**n.MkRed dkjokb;k ¼ftu ekeyk e fu;kDrk ikf/kdkjh ikf/kdkjh रा"Vifr d vykok gk½** 1. अवधि के दौरान मिली शिकायतें/संदर्भ 2. प्राथमिक जांच वाले मामलों की संख्या 3. प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या 4. मेजर पैनाल्टी की चार्ज शीट दिए जाने वाले मामलों की संख्या 5. मायनर पैनाल्टी की चार्ज शीट दिए जाने वाले मामलों की संख्या 6. मेजर पैनाल्टी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 7. मायनर पैनाल्टी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 8. निलंबित किए गए कर्मचारियों की संख्या 9. चेतावनी दिए जाने आदि प्रशासनिक कार्रवाईयां किए गए कर्मचारियों की संख्या। ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हे विभिन्न नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त किया	 शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य

भारतीय जन संचार संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस. वाई. कुरैशी और तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री रघु मेनन दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

Hkkjrh; tu lapkj laLFkku

(www.iimc.nic.in)

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है और संचार शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक 'उत्कृष्टता केन्द्र' है। संस्थान की स्थापना 17 अगस्त, 1965 को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के समग्र विकास की कार्यनीति के एक अंग के तौर पर संचार संसाधनों के कारगर उपयोग के तौर–तरीके विकसित करना था। संस्थान को 22 जनवरी, 1966 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (गगप) के तहत पंजीकृत कराया गया था। इसे अपना खर्च चलाने के लिए भारत सरकार से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से अनुदान सहायता प्राप्त होती है। भारतीय जन संचार संस्थान प्रिंट, फोटोग्राफी, रेडियो और टेलीविजन, विकास–संचार, संचार अनुसंधान और विज्ञापन तथा जन संपर्क जैसी विभिन्न विधाओं में संचार–कर्मियों को जानकारी और कौशल उपलब्ध कराता है। संस्थान सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। यह अनुसंधान परियोजनाएं भी संचालित करता है और उद्योग, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

1 tuojh ls 30 uoEcj 2011 rd vdknfed xfrfof/k;k

LukrdksRrj fMIyksek ikB;Øeksa esa izos'k

निम्नलिखित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया मार्च 2011 में प्रमुख समाचार पत्रों में इनके लिए विज्ञापन के छपने के साथ ही शुरू हुई। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 2 मई, 2011 निर्धारित थी। जिन पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, उनके नाम हैं :

1. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता (हिन्दी)
2. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता (अंग्रेजी)
3. स्नातकोत्तर डिप्लोमा विज्ञापन और जन संपर्क
4. स्नातकोत्तर डिप्लोमा रडियो और टेलीविजन पत्रकारिता
5. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता (अंग्रेजी)–ढेंकनाल,

अमरावती और आइजोल

6. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता (ओड़िया)–ढेंकनाल

उपर्युक्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 3,717 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इस साल से दो और प्रवेश परीक्षा केन्द्र शुरू हुए। – नागपुर (महाराष्ट्र) और – आईजोल (मिजोरम)। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 24 मई, 2011 को नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बंगलूरू, मुंबई, आइजोल और नागपुर में आयोजित की गई। ओड़िया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता के लिए प्रवेश परीक्षा भुवनेश्वर में 25 मई, 2011 को आयोजित की गई।

परीक्षा देने वाले 3,717 उम्मीदवारों का पाठ्यक्रम–वार ब्यौरा इस प्रकार है : पत्रकारिता – 1,117; रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता – 911; विज्ञापन और जन संपर्क – 1,600 और ओड़िया पत्रकारिता – 35।

शैक्षिक वर्ष 2011–12 के लिए प्रवेश प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई और सभी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली तथा ढेंकनाल में सत्र 1 अगस्त, 2011 से प्रारंभ हुआ। दिल्ली में संस्थान के महानिदेशक और संकाय सदस्यों ने नये छात्रों का विधिवत स्वागत किया। भारतीय जन संचार संस्थान ने नई दिल्ली में 1 से 5 अगस्त, 2011 तक जानेमाने लोगों के ओरिएंटेशन व्याख्यान भी आयोजित किए गए।

भारतीय जन संचार संस्थान के आइजोल और अमरावती क्षेत्रीय केन्द्रों में अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 8 अगस्त, 2011 से प्रारंभ हुआ।

fodkl i=dkfjrk e fMIykek ikB;Øe

विकास पत्रकारिता में 56वां डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जनवरी–अप्रैल 2011) 2 जनवरी, 2011 को 17 देशों के 21 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ और 30 अप्रैल 2011 को संपन्न हुआ। 29 अप्रैल, 2011 को तत्कालीन सूचना और प्रसारण सचिव और भारतीय जन संचार संस्थान के तत्कालीन अध्यक्ष रघु मेनन ने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभागियों को डिप्लोमा प्रदान किये।

विकास पत्रकारिता में 57वां डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 अगस्त, 2011 से शुरू हुआ। इसमें 16 देशों के 23 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पाठ्यक्रम 30 नवम्बर, 2011 को संपन्न हुआ। सूचना और प्रसारण सचिव और भारतीय जन संचार संस्थान के अध्यक्ष श्री उदय कुमार वर्मा ने 29 नवम्बर, 2011 को मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में डिप्लोमा प्रदान किये।

Hkkjrh; lpuk lok d vf/kdkfj;k d fy, cfu;knh ikB;Øe] vYikof/k ikB;Øe vkj dk;'kkyk,

जनवरी 2011 से 30 नवम्बर 2011 तक की अवधि में आयोजित अल्पावधि पाठ्यक्रमों /कार्यशालाओं का विवरण आगे दिया गया है।

lpkj vu l/kku foHkkx

वर्ष 2011 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे हुए (1.1.2011 से 30.11.2011)

1) गीत और नाटक प्रभाग के कार्यक्रमों का अभिकल्पन और प्रेषण।
2) भारत में विदेशी समाचार एजेंसियों के नीति संबंधी मुद्दे और समाचार गतिविधियां
3) राष्ट्रमंडल खेल–2010 के डॉक्टरों के सम्प्रेषण कौशल पर कार्यशाला, 14–15 सितम्बर 2010

निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन जल्द पूरे हो जाएंगे :

1) देश में पारम्परिक मीडिया के जरिए आयोडीन–युक्त नमक के इस्तेमाल का प्रचार
2) आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी, योग तथा सिद्ध जैसी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना

okf"kd nh{kkr lekjkg

2010–11 के शैक्षिक सत्र के संपन्न होने के अवसर पर 44वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 21 सितम्बर, 2011 को संस्थान परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी मुख्य अतिथि थे। संस्थान के तत्कालीन अध्यक्ष श्री रघु मेनन ने दीक्षांत समारोह की अध् यक्षता की और पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किए।

संस्थान के महानिदेशक श्री सुनीत टंडन ने इस अवसर पर निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कुल 318 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किये गये।

डॉ. कुरैशी ने दीक्षांत भाषण दिया और अलग–अलग पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायोजित/घोषित पुरस्कार प्रदान किए विभिन्न

पाठ्यक्रमों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम इस प्रकार हैं :

2011 ds LukrdksRrj fMIykek ikB~;Øeksa ds iqjLdkj izkIrdrkZ Nk=ksa dh lwph

i=dkfjrk esa LukrdksRrj fMIykek ikB~;Øe ¼fgUnh½

1. श्री कुलदीप मिश्र – पीटीआई पुरस्कार
2. श्री हेमन्त तिवारी – पं. बनारसीदास चतुर्वेदी पुरस्कार
3. श्री स्वप्नल सोनल – राजस्थान पत्रिका पुरस्कार
4. श्री हिमांशु सिंह – बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पुरस्कार

i=dkfjrk esa LukrdksRrj fMIykek ikB~;Øe ¼vaxzsth½

1. कु. वर्तिका माथुर – भारतीय जन संचार संस्थान पुरस्कार
2. कु. एम. सरस्वती – द हिन्दू पुरस्कार
3. कु. स्नेहा गर्ग – डेक्कन हेरल्ड पुरस्कार

foKkiu vkSj tu laidZ esa LukrdksRrj fMIykek ikB~;Øe

1. कु. शिवानी तिवारी – श्री अचिन गांगुली स्मारक पुरस्कार
2. कु. मिली अग्रवाल – श्री अनिल बसु स्मारक पुरस्कार
3. कु. शेजा सालम – पीआरएसआई पुरस्कार
4. कु. पारु तिवारी – पीएसपीआरएफ पुरस्कार

jsfM;ks vkSj Vsyhfotu i=dkfjrk esa LukrdksRrj fMIykek ikB~;Øe

1. कु. गीतांजलि तड़ागी – भारतीय जन संचार संस्थान पुरस्कार

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस.वाई. कुरैशी एक विद्यार्थी को डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए

2. कु. रुचिका उनियाल – ज़ी टीवी पुरस्कार

3. श्री आनंद चतुर्वेदी – टीवी टुडे पुरस्कार

4. कु. आकृति मेहता – सीएनएन पुरस्कार

5. कु. प्रबल भारद्वाज – ज़ी टीवी पुरस्कार

6. श्री रंजीत कुमार रंजन – प्रसार भारती पुरस्कार

i=dkfjrk e Lukrdkrj fMIykek ikB;Øe ¼vxth½&<duky ifjlj ¼vkfM'kk½

1. श्री नितिन केसर – भारतीय जन संचार संस्थान पुरस्कार

2. श्री तेंजिन मोनलाम – बाबा साहब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पुरस्कार

3. श्री कु. पल्लवी पात्रा – नाल्को पुरस्कार

vkfM;k i=dkfjrk e Lukrdkrj fMIykek ikB;Øe] <duky ifjlj ¼vkfM'kk½

1. श्री उमाशंकर सामल – भारतीय जन संचार संस्थान पुरस्कार

2. श्रीमती मिहिर पात्रा – बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पुरस्कार

3. कु. स्वाति सुआर – डॉ. हरेकृष्ण मेहताब स्मारक पुरस्कार

ldk; vkj vu l/kkudeh

भारतीय जन संचार संस्थान के शैक्षिक और अनुसंधान संकाय में अकादमिक विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता और मीडिया में कार्यरत ऐसे विशेषज्ञ शामिल हैं जिन्होंने अपनी–अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा प्रमुख मीडिया संगठनों/उद्योग से भी विजिटिंग संकाय सदस्य के रूप में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

तीन स्तरों वाली संकाय प्रणाली अध्यापन और प्रशिक्षण का कार्य करती है जिसमें मुख्य संकाय, उद्योग के कार्यरत विशेषज्ञ और वरिष्ठ पेशेवर विशेषज्ञ शामिल हैं। उन्हें समय–समय पर आमंत्रित किया जाता है ताकि वे अपने उद्योग के बारे में अपने अनुभव को प्रशिक्षणार्थियों/छात्रों को बता कर उनका ज्ञानवर्धन कर सकें।

lpkj d nk;j dk foLrkj

भारतीय जन संचार संस्थान का ढेंकनाल क्षेत्रीय केन्द्र अगस्त 1993 से पूरी तरह से कार्य कर रहा है और पूर्वी क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्र यहां आ रहे हैं। इस परिसर में बुनियादी ढांचे से संबंधित तमाम सुविधाएं हैं और यहां पत्रकारिता में दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अंग्रेजी और ओड़िया में) चलाए जा रहे हैं।

;ktukxr dk;Øe

भारतीय जन संचार संस्थान का एक योजनागत कार्यक्रम ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में 'संस्थान का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उच्चीकृत करना' है। योजनागत कार्यक्रम को योजना आयोग और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। कार्यक्रम में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो साल के उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बदला जाना है जो एम.ए. डिग्री के समकक्ष होगा। इसके अलावा जम्मे–कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ) और केरल में भी संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने हैं। स्थायी वित्तीय समिति और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी इसकी मंजूरी दे दी है और इनके लिए ₹ 62.00 करोड़ के परिव्यय तथा ₹ 51.50 करोड़ के बजट–समर्थन का प्रावधान किया है। मिजोरम में आइजोल और महाराष्ट्र में अमरावती के दो क्षेत्रीय केन्द्रों ने 8 अगस्त, 2011 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली में संस्थान के वर्तमान भवन के नवीकरण और इसमें एक और मंजिल के निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है। नई दिल्ली और ढेंकनाल में अतिरिक्त इमारत बनाने के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है।

vYilа[;d dY;k.k dk;Øe

1) नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रवेश में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस शैक्षिक सत्र में 292 छात्रों में से 20 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

2) नियुक्तियों में भी अल्पसंख्यकों को समुचित प्राथमिकता दी जाती है। इस साल की गई पांच नियुक्तियों में से अवर श्रेणी लिपिक के एक पद पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य की नियुक्ति दी गई।

3) अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति किसी तरह का भेद–भाव नहीं किया जाता और संस्थान में बड़ा सद्भावपूर्ण माहौल हैं।

lokvks esa v-tk-@v-t-tk-@v-fi-tk- ds fy, vkj{k.k

संस्थान की नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है।

egRoiw.kZ uhfrxr fu.kZ;@dkuwu@miyfC/k;k@vk;kstu

इनका विवरण इस प्रकार है :

1) आइजोल (मिजोरम) और अमरावती (महाराष्ट्र) में भारतीय जन संचार संस्थान के दो नये क्षेत्रीय केन्द्रों का खोलना।

2) प्रस्तावित दो वर्षीय उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (एम.ए. के समकक्ष) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने हेतु पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देना।

3) संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारतीय जन संचार संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करना (लम्बित)।

dk;Zdkfj.kh dh xfrfof/k;k@laLFkku dh okf"kZd vke lHkk

जनवरी से नवम्बर 2011 तक कार्यकारिणी की तीन बैठकें और एक वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। इसमें शैक्षिक संकाय में लम्बे समय से खाली पड़े पदों को भरने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके लिए संशोधित भर्ती नियमों का भी अनुमोदन किया गया।

dsUnzh; iz'kklfud U;k;kf/kdj.k ds Qsly@vkns'kksa ij dkjZokbZ ¼fooj.k i`"B 81 ij½

fविकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए निम्न नीतिगत निर्णय लिये गए:

1. संस्थान के पाठ्यक्रमों में प्रवेष में आरक्षण

2. विकलांग वर्ग के तहत भर्ती के लिए पदों की पहचान

3. वर्तमान इमारतों में विकलांगों की सुविधा के लिए रैंप और लिफ्टों की व्यवस्था

isa'ku ;kstuk

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 12.05.2011 के निर्देश के अनुसार पेंशन योजना का प्रारूप तैयार किया गया प्रस्तावित पेंशन योजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई जिसने वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के लिए 2–3 महीने का समय मांगा है।

ukxfjd pkVZj vkSj f'kdk;r fuokj.k iz.kkyh

संस्थान ने नये दिशानिर्देशों के अनुसार नया नागरिक अधिकारपत्र तैयार किया है और अपने वैबसाइट पर प्रदर्शित किया है। अधिकारपत्र के अ.नुसार कोई भी नागरिक संस्थान से संबंधित अपनी शिकायतें भेज सकता है और उनका समाधान करवा_सकता है। संस्थान के एक अधिकारी को लोक शिकायत अधिकारी नामित किया गया है। संस्थान को प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच की जाती है और संस्थान के महानिदेशक की अनुमति से उनका समाधान किया जाता है।

Hkkjrh; tu lapkj laLFkku ds f'kdk;r vf/kdkjh dk irk

विशेष कार्य अधिकारी, भारतीय जन संचार संस्थान, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।

कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जन संचार संस्थान की सेवाओं से

विकास पत्रकारिता पर 57वें डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा

दीक्षांत समारोह के अवसर पर विदेशी विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुति

tuojh & uoEcj 2011 dk nkSjku vk;ksftr ikB~;Øe@dk;Z'kkyk,a

Ø-l-	ikB~;Øe dk uke	ikB~;Øe	ifrHkkfx;k dh la[;k
1.	सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम, 03–07 जनवरी, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	15
2.	अफगानिस्तान के पत्रकारों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, 17–28 जनवरी, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	28
3.	भारतीय सूचना सेवा के ग्रेड–ए अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम, 1.2.2011 – 30.11.2011 तक	प्रो. विजय परमार डॉ. शालिनी नारायणन	04
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के लिए सृजनात्मक लेखन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 14–18 फरवरी, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	10
5.	गृह मंत्रालय के बीपीआरडी की ओर से आंध्र प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों के लिए संकट की स्थिति में मीडिया संपर्कों पर राज्यस्तरीय कार्यशाला, 22–24 फरवरी 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	37
6.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के लिए सृजनात्मक लेखन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 28 फरवरी से 04 मार्च,, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	13
7.	सार्क सूचना केन्द्र, काठमांडू के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 09–11 मार्च, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	04
8.	गृह मंत्रालय के बीपीआरडी की ओर से हरियाणा के आईपीएस अधिकारियों के लिए संकट की स्थिति में मीडिया संपर्कों पर राज्यस्तरीय कार्यशाला, 23–25 मार्च 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	24
9.	वीडियाग्राफी पाठ्यक्रम, (28 मार्च – 22 अप्रैल, 2011)	प्रो. एस.आर. चारी	25
10.	अफ्रीकी देशों के पत्रकारों के लिए राष्ट्रमंडल सचिवालय के तत्वाधान में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 04–15 अप्रैल, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	23
11.	हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के जन संपर्क कौशल को सुधारने के लिए कार्यशाला, 18–20 अप्रैल, 2011 18-20 अप्रैल, 2011	प्रो. जे. जेठवानी	10
12.	गृह मंत्रालय के बीपीआरडी की ओर से सिक्किम के आईपीएस अधिकारियों के लिए संकट की स्थिति में मीडिया संपर्क पर राज्यस्तरीय कार्यशाला, 23–25 मार्च 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	35
13.	गृह मंत्रालय के बीपीआरडी की ओर से जम्मू–कश्मीर के आईपीएस अधिकारियों के लिए संकट की स्थिति में मीडिया संपर्कों पर राज्यस्तरीय कार्यशाला, 24–26 मई, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	28

Ø-l-	ikB;Øe dk uke	ikB;Øe lapkyd dk uke	ifrHkkfx;ksa dh la[;k
14.	क्षेत्र प्रचार निदेशालय के क्षेत्र प्रचार अधिकारियों और क्षेत्र प्रचार सहायकों को प्रशिक्षण, 25–29 मई, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	22
15.	सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों (ब्रिगेडियर/कर्नल और समकक्ष) के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम, 09–20 मई, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	14
16.	क्षेत्र प्रचार निदेशालय के आंचलिक प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 23–27 मई, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव डॉ. शालिनी नारायणन	16
17.	आईआईएस ग्रेड–ए अधिकारियों (2011–12) के लिए ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम, 18 मई 2011 से 18 जनवरी 2012	प्रो. के.एम. श्रीवास्तवn	11
18.	वियतनाम, म्यांमा और कम्बोडिया के पत्रकारों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, 30 मई से जून 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	25
19.	सार्क पर मीडिया कार्यशाला, 06–07 जून 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	10
20.	सशस्त्र सेनाओं के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम, 20 जून से 01 जुलाई 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	30
21.	उड़ीसा पुलिस के लिए संकटकाल में मीडिया संपर्कों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला, 12 से 14 जुलाई 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	28
22.	सशस्त्र सेनाओं के लिए मीडिया संचार पर उच्च पाठ्यक्रम 29 अगस्त से 23 सितम्बर, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	21
23.	गृह मंत्रालय के बीपीआरडी की ओर से मिजोरम के आईपीएस अधिकारियों के लिए संकट की स्थिति में मीडिया रिलेशन्स पर राज्यस्तरीय कार्यशाला, 27–29 सितम्बर, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	45
24.	गृह मंत्रालय के बीपीआरडी की ओर से छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारियों के लिए संकट की स्थिति में मीडिया संपर्कों पर राज्यस्तरीय कार्यशाला, 27–29 सितम्बर, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	45
25.	सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम, 7–18 नवम्बर, 2011	प्रो. के.एम. श्रीवास्तव	14

संतुष्ट नहीं है या संस्थान के किसी कार्य से अपने आप को पीड़ित समझता है शिकायत अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी शिकायत का समाधान करवा सकता है। इस तरह के किसी भी शिकायतकर्ता को इस बात का हक होगा कि वह शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर उस पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल कर सके।

अगर जनता/संस्थान का कोई सदस्य अपनी शिकायत के सिलसिले में शिकायत अधिकारी से मुलाकात करना चाहता है तो वह सप्ताह के किसी भी कार्य दिवस को शाम 3 से 4 बजे तक बिना किसी पूर्वानुमति के कार्यालय में मिल सकता है।

miHkksDrk f'kdk;r fuokj.k iz.kkyh

भारतीय जन संचार संस्थान में एक उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली भी काम कर रही है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैः

श्री जयदीप भटनागर, विशेष कार्य अधिकारी, भारतीय जन संचार संस्थान (नोडल अधिकारी)

डॉ. ए.के. प्रधान
एसोशिएट प्रोफेसर, आईआईएमसी, नई दिल्ली

श्री एस. ब्रह्मचारी
एसोशिएट प्रोफेसर, आईआईएमसी, नई दिल्ली

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

अधिनियम को अधिनियम के तहत भारतीय जन संचार संस्थान के उप–रजिस्ट्रार को मुख्य प्रधान सूचना अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी को अपील अधिकारी और महानिदेशक को पारदर्शिता अधिकारी मनोनीत किया गया है।

dsUnzh; iz'kklfud U;kf/kdj.k ds fu.kZ;ksa@vkns'kksa ij dk;Zokgh

ekeys dh la[;k@frfFk	fo"k;	fu.kZ;	dk;Zokgh dh fLFkfr
टी. ए. नं. 1101/2009 –'आईआईएमसी कर्मचारी एसोसिएशन बनाम आईआईएमसी तथा अन्य'	पुरानी पेंशन योजना लागू करना।	इस मामले में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 12.8.2011 के अपने आदेश के माध्यम से पेंशन के मुद्दे पर समग्र रूप से पुनर्विचार करने और कोई ऐसा समाधान सुझाने का आदेश दिया जो कर्मचारियों और नियोक्ता–दोनों के लिए उपयुक्त हो। प्रतिवादियों को इस मामले पर विचार करने के लिए चार महीने का पर्याप्त समय दिया।	माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 12.05.2011 के निर्देश के अनुसार पेंशन योजना का प्रारूप तैयार किया गया और 28.09.2011 को आईआईएमसी कार्यकारिणी की बैठक के सामने रखा गया। कार्यकारिणी ने निर्देश दिया कि प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांचने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा जा सकता है। प्रस्तावित पेंशन योजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई जिसने वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के लिए 2–3 महीने का समय मांगा है। मामले की कार्यवाही 19.12.2011 तक के लिए स्थगित है। प्रस्तावित पेंशन योजना पर वित्त मंत्रालय को विचार करना है।
ओ. ए. नं. 2371/2011 –'श्री किशन लाल बनाम आईआईएमसी और अन्य'	अतिरिक्त फायदे/मानदेय की मांग	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 23.08.2011 के आदेशों में प्रतिवादी(यों) को निर्देश दिया कि वे श्री किशन लाल के प्रतिवेदन पर नियम और कानून के अनुसार विचार कर समुचित फैसला करें।	श्री किसन लाल के आवेदन की जांच की गई। भारतीय जन संचार संस्थान उनके प्रतिवेदन पर नियमों और कानून के अनुसार फैसला सुनाने की प्रक्रिया में है।

Hkkjrh; i:l ifj"kn

(www.presscouncil.nic.in)

Hkfedk

भारतीय प्रेस परिषद संसद से अधिकार प्राप्त अर्ध–न्यायिक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका उद्‌देश्य भारत में प्रेस की आजादी की रक्षा करना और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानदंडों को कायम रखना तथा उनमें सुधार करना है। यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे प्रेसकर्मियों और मालिकों पर अर्ध–न्यायिक प्राधिकार प्राप्त है। इन उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परम्परा से अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके 28 सदस्यों में से 20 प्रेस के विभिन्न पहलुओं से जुड़े लोग होते हैं और समाचारपत्र–पाठकों के हितों को देखने वाले आठ सदस्यों में से दो संसद के दोनों सदनों और दो–दो देश की अग्रणी साहित्यिक और कानूनी संस्थाओं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउन्सिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिनियम के तहत अपना कार्य करने के लिए प्रेस परिषद के पास अपनी निधि होती है जिसमें समाचार पत्रों से प्राप्त शुल्क, अन्य प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान से धन आता है। परिषद के वर्तमान अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू हैं।

वित्त वर्ष 2011–12 के लिए परिषद का कुल स्वीकृत बजट ₹ 532.00 लाख का है।

परिषद का मुख्य कार्य उसे प्राप्त हुई शिकायतों की सुनवाई करना है। ये शिकायतें या तो प्रेस द्वारा पत्रकारिता संबंधी नैतिकता का उल्लंघन करने या प्रेस की आजादी में हस्तक्षेप से संबंधित होती हैं। जांच के बाद अगर प्रेस परिषद को यकीन हो जाता है कि किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता के नैतिक मानदंडों या लोक अभिरुचि का उल्लंघन किया है या किसी संपादक या पत्रकार ने व्यावसायिक कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी या ठीक से काम करने के निर्देश दे सकती है या उनकी निंदा कर सकती है या उनके व्यवहार से नाराजगी जाहिर कर सकती है। परिषद सरकार सहित किसी भी प्राधिकारी के खिलाफ प्रेस की आजादी मे हस्तक्षेप करने के विरुद्ध ऐसा निर्णय दे सकती है जो वह उचित समझती है। परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

ifj"kn d le{k f'kdk;r

1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक भारतीय प्रेस परिषद को 529 शिकायतें मिलीं जिनमें से 110 मामले प्रेस की ओर से दायर किए गए जबकि 419 प्रेस के खिलाफ थे। 1047 मामले पहले से लंबित हैं। इनमें से परिषद ने 50 की सुनवाई की जबकि 524 शुरू में ही बिना किसी मौखिक जांच के बंद कर दिए गए। इस तरह परिषद ने 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक 574 मामले निपटाए। बाकी 1002 मामले कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में हर तीन साल बाद परिषद के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। परिषद का तीन साल का दसवां कार्यकाल 6 जनवरी, 2011 को समाप्त हुआ। करीब 6 महीने के अंतराल के बाद 15 जून 2011 को नारी गजट अधिसूचना के जरिए 27 सदस्यों के नामों को अधिसूचित कर 15 जून, 2011 से तीन साल के लिए ग्यारहवीं बार इसका पुनर्गठन किया गया। 5(3)(बी) श्रेणी के बाकी एक सदस्य के बारे में अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।

u;k v/;{k

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष का मनोनयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सभा के सभापति, लोक सभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद का एक सदस्य शामिल होता है। परिषद के प्रतिनिधि श्री के. सच्चिदानंद मूर्ति के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति ने न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू को परिषद के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। इसे 5 अक्तूबर, 1011 को गजट में अधिसूचित किया गया।

lykgdkj d :i e Hkfedk

सलाहकार की हैसियत से परिषद ने सरकार और अन्य प्राधिकारियों को बहुत से मुद्दों पर अपनी राय से अवगत कराया। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

1. लोक सभा में नियम 189 के तहत (तिथि अभी निर्धारित नही) प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है जिसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अश्लील कार्यक्रमों और समाचार रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की गई।

हिस्सा लिया।

jk"Vh; izl fnol] 2011

इस साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित बहस 'जनता के प्रति जवाबदेही के माध्यम के रूप में मीडिया' विषय पर केन्द्रित रही। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री एम. हामिद अंसारी ने किया। माननीया सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संसदीय कार्य राज्यमंत्री और प्रेस परिषद सदस्य माननीय श्री राजीव शुक्ला और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य तथा संसाद श्री प्रकाश जावडेकर विशेष अतिथि के रूप में इसमें उपस्थित हुए। इस अवसर पर विशेष स्मृति–चिह्न जारी किए गए। राज्यों ने भी यह दिन उपयुक्त तरीके से मनाया।

परिषद ने अपनी त्रैमासिक गृह पत्रिका हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की। इसमें प्रेस जगत की गतिविधियों/महत्वपूर्ण घटनाक्रम को सिलसिलेवार दिया गया है।

ikjnf'krk iz.kkyh

भारतीय प्रेस परिषद के सचिव कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। परिषद के सतर्कता ढांचे के अंतर्गत उप सचिव और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं जो सीधे सचिव (मुख्य सतर्कता अधिकारी) और परिषद के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। परिषद सचिवालय में किसी भी तरह के भ्रष्ट तौर–तरीकों को रोकने/उनसे निपटने के लिए नियमित रूप से जांच और औचक छापे भी मारे गए।

प्रेस परिषद में आंतरिक और बाह्य शिकायतों के निवारण की जो प्रणाली है उसमें परिषद के सचिव शिकायत निदेशक का कार्य करते हैं। कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें उप–सचिव की

उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहों के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते हुए। इस अवसर पर सूचना ओर प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काटजू भी उपस्थित थी।

हैसियत से परिषद के कर्मचारी शिकायत अधिकारी देखते हैं।

परिषद का नागरिक अधिकार–पत्र जनता के लिए संगठन के तमाम जरूरी ब्यौरे के साथ उपलब्ध है जो प्रेस परिषद कार्यालय में मुद्रित रूप में और इसकी वेबसाइट पर साफ्ट कॉपी के रूप में भी उपलब्ध है।

jktHkk"kk dk izksRlkgu

परिषद ने सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिन्दी को प्रोत्साहित पर विशेष ध्यान दिया। राजभाषा नियमावली, 1976 के अनुच्छेद 10(4) (1987 में संशोधित) के तहत अधिसूचना के अनुसार सभी कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने को बढ़ावा दिया जाता है। परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। कर्मचारियों के फायदे के लिए राजभाषा पर त्रैमासिक कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

हिन्दी के उपयोग पर जोर देने के लिए परिषद के सचिवालय में 14 सितंबर .2011 से 28 सितंबर 2011 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी दिवस का मुख्य समारोह 21 सितंबर 2011 को आयोजित किया गया। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर

अपने संदेश दिए और परिषद मेकं हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

इसके अलावा 'हिन्दी हमारी संगिनी' विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री जी.एन. रे ने विजेताओं/प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए। इसके अलावा 'प्रोत्साहन योजना' और हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज और पत्रव्यवहार में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों में भाग लेने/योगदान के लिए भी परिषद कर्मचारियों को पुरस्कार/प्रमाणपत्र प्रदान किये गये।

परिषद की कार्रवाई और अन्य निर्णयों को द्विभाषिक रूप में दर्ज किया गया और इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके।

nqfu;k ds vU; izsl laxBuksa ls laidZ

प्रेस की स्वाधीनता बनाए रखने और दुनिया भर में प्रेस के उच्च नैतिक मूल्यों तथा मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए परिषद ने अन्य देशों में प्रेस/मीडिया परिषदों और इसी तरह के संगठनों के साथ परामर्श और विचार–विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की। संपर्क कार्यक्रमों में यात्राएं भी शामिल थीं जो इस प्रकार हैं : (प) 7–9 अप्रैल 2011 तक मलेशिया में कुआलालम्पुर में प्रेस परिषद के गठन के लिए विचार–विमर्श के लिए; (पप) 27–30 नवम्बर 2011 तक हांगकांग की यात्रा; (पपप) 7–8 दिसम्बर 2011 तक इंडोनेशिया की यात्रा। भारतीय प्रेस परिषद ने 26 अप्रैल 2011 को अफगानिस्तान से आए एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। 23 नवम्बर 2011 को दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी भारत में कार्यरत सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के बारे में नई दिल्ली में आयोजित पहले राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए

अध्याय 5

प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां

भारत में उपग्रह टीवी चैनलों का स्थिति नीति

भारत की जमीन से ही भारत में पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल को अपलिंक करने की अनुमति वर्ष 2000 में दी गई थी। इससे पहले निजी टीवी चैनल विदेशों से अपलिंक हुआ करते थे। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास के साथ, भारत से टीवी चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिकिंग की मांग कई गुना बढ़ी। इसके चलते अपलिंकिंग के लिए वर्ष 2002 में और डाउनलिकिंग के लिए वर्ष 2005 में नीति संबंधी दिशा–निर्देश तैयार किए गए।

टीवी चैनलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई से भारत में टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग संबंधी नीति की समीक्षा के बारे में दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ट्राई ने 23 जुलाई, 2010 को अपनी सिफारिशें दीं। सिफारिशों की समीक्षा का सम्पूर्ण मूलपाठ ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय में ट्राई की सिफारिशों पर विचार किया गया और मंत्रालय के दृष्टिकोण पर ट्राई की अगली सिफारिशें 02.02.2011 को प्राप्त हुईं। ट्राई को भेजे गए संदर्भ की प्राप्ति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किए गए बदलाव,

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी 'स्ट्रैंथनिंग सैल्फ–रेगुलेशन इन एडवर्टाइजिंग कंटेंट' विषय पर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के.वी. थॉमस भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यतया कुल आवश्यक रकम (नेटवर्थ), चैनलों को चलाने में पेशेवर विशेषज्ञता लाने, अनुमति धारक चैनल चालू किए बिना अनुमति को दबाए न रख पाएं, तथा अपलिंकिंग कार्यों के मामले में भारत को पसंदीदा स्थल बनाने से संबंधित है।

ट्राई की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए 2005 में जारी नीतिगत दिशा–निर्देशों में कुछ संशोधन किए थे, जिन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अक्टूबर, 2011 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया था। विधि मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने के बाद संशोधित दिशा–निर्देशों को 5 दिसम्बर, 2011 को मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया।

इन दिशा–निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

क. अपलिंकिंग दिशा–निर्देशों के तहत भारत से समाचार तथा सामयिक विषयों से संबंधित टीवी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता–मानदण्ड

- आवेदक कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।
- आवेदक कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- कुल इक्विटी का 51 प्रतिशत सबसे बड़े भारतीय शेयर धारक के पास होना चाहिए।

  कुल आवश्यक रकम (नेटवर्थ): प्रथम चैनल के लिए ₹ 20.00 करोड़ और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए ₹ 5.00 करोड़।
- कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम तीन चौथाई डायरेक्टर भारतीय होने चाहिए और सभी प्रमुख कार्यकारी पदों तथा सम्पादकीय स्टॉफ में भारतीय होने चाहिए।
- जहां तक संभव हो, कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रतिनिधित्व शेयर धारकों के अनुपात में होना चाहिए।
- टीवी चैनलों की अपलिंकिंग के लिए अनुमति शुल्क प्रति चैनल प्रति वर्ष ₹ 2 लाख होगा।
- आवेदक कम्पनी सभी अपेक्षित दस्तावेज और ₹ 10,000/– के कार्यसाधन शुल्क के साथ निर्धारित फार्म '1' में आवेदन कर सकती है।

ख. अपलिंकिंग दिशा–निर्देशों के तहत भारत से गैर–समाचार तथा सामयिक विषयों से संबंधित टीवी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता–मानदण्ड

- आवेदक कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए। कोई भी टीवी चैनल जो भारतीय दर्शकों के लिए हो, इसमें स्वामित्व, इक्विटी ढांचा अथवा प्रबंधन नियंत्रण की कोई पाबंदी नहीं है।
- कुल आवश्यक रकम (नेटवर्थ) प्रथम चैनल के लिए ₹ 5.00 करोड़ और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए ₹ 2.50 करोड़।
- टीवी चैनलों की अपलिंकिंग के लिए अनुमति शुल्क प्रति चैनल प्रति वर्ष ₹ 2 लाख होगा।

  आवेदक कम्पनी अपेक्षित दस्तावेजों और 10,000 रुपये के कार्यसाधन शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म–1 में आवेदन कर सकती है।

ग. अपलिंकिंग दिशा–निर्देशों के तहत टेलीपोर्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता–मानदण्ड

- आवेदक कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।
- अनिवासी भारतीय/ओसीबी भारतीय मूल के लोगों सहित विदेशी इक्विटी धारिता 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- कुल आवश्यक रकम (नेटवर्थ) : टेलीपोर्टों के लिए नेटवर्थ संबंधी मानक एक समान रहेगा भले ही उनकी चैनल क्षमता कितनी भी हो। पहले टेलीपोर्ट के लिए नेटवर्थ संबंधी मानक ₹ 3 करोड़ तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए ₹ 1 करोड़ होगी।
- टेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए अनुमति शुल्क, प्रति टेलीपोर्ट प्रतिवर्ष ₹ 2 लाख होगा।
- आवेदक कम्पनी अपेक्षित दस्तावेजों और 10,000 रुपये के कार्यवाही शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म–1 में आवेदन कर सकती है।

- टेलीपोर्ट की अनुमति 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी। अनुमति का नवीनीकरण भी 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

घ. डाउनलिंकिंग दिशा–निर्देशों के तहत भारत में गैर–समाचार तथा सामयिक विषयों से संबंधित टीवी चैनलों को डाऊनलिंक करने की अनुमतिध पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्रता–मानदण्ड

- आवेदक कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए। इक्विटी ढांचा, विदेशी स्वामित्व अथवा प्रबंध नियंत्रण की कोई पाबंदी नहीं है।
- कुल आवश्यक रकम (नेटवर्थ) : प्रथम चैनल के लिए ₹ 5.00 करोड़ और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए ₹ 2.50 करोड़।
- आवेदक कम्पनी जिस चैनल को लोक–प्रदर्शन के लिए डाउनलिंक करना चाहती है, या तो उसका स्वामित्व उसके पास होना चाहिए अथवा भारत के भू–भाग में इसके विपणन/वितरण का अनन्य अधिकार उसके पास होना चाहिए इसमें चैनल पर विज्ञापन तथा अंशदान से प्राप्त राजस्व का अधिकार भी शामिल है। आवेदन के समय इस संबंध में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने होंगे।
- डाउनलिंक किए गए चैनल को प्रसारण देश के लाइसेंसिंग प्राधिकारी से लाइसेंस मिला होना चाहिए अथवा इसके लिए नियामक प्राधिकारी से प्रसारण की अनुमति मिली होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन के समय इसके सबूत प्रस्तुत करने होंगे।
- भारत से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति शुल्क प्रति चैनल प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये होगा।
- किसी बाहरी देश से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति शुल्क प्रति चैनल प्रति वर्ष ₹ 15 लाख होगा।
- आवेदक कम्पनी अपेक्षित दस्तावेजों और ₹ 10,000 के कार्यवाही शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म–1 में आवेदन कर सकती है।

ङ. डाउनलिंकिंग दिशा–निर्देशों के तहत भारत में समाचार तथा सामयिक विषयों से संबंधित टीवी चैनलों को डाऊनलिंक करने की अनुमति/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्रता–मानदण्ड

- आवेदक कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए, इक्विटी ढांचा, विदेशी स्वामित्व अथवा प्रबंध नियंत्रण की कोई पाबंदी नहीं है।
- कुल आवश्यक रकम (नेटवर्थ) : प्रथम चैनल के लिए ₹ 5. 00 करोड़ और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए ₹ 2.50 करोड़।

  आवेदक कम्पनी जिस चैनल को लोक–प्रदर्शन के लिए डाउनलिंक करना चाहती है, या तो उसका स्वामित्व उसके पास होना चाहिए अथवा भारत के भू–भाग में इसके विपणन/वितरण का अनन्य अधिकार उसके पास होना चाहिए। इसमें चैनल पर विज्ञापन तथा अंशदान से प्राप्त राजस्व का अधिकार भी शामिल है। आवेदन के समय इस संबंध में प्रर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने होंगे।
- डाउनलिंक किए गए चैनल को प्रसारण देश के लाइसेंसिंग प्राधिकारी से लाइसेंस मिला होना चाहिए अथवा इसके लिए नियामक प्राधिकारी से प्रसारण की अनुमति मिली होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन के समय इसके सबूत प्रस्तुत करने होंगे।
- समाचार/सामयिक विषयों से संबंधित टीवी चैनलों को डाउनलिंक करने की अनुमति के लिए अतिरिक्त शर्त हैः
  - कि चैनल भारतीय दर्शकों को लक्ष्य बनाकर कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेगा।
  - कि यह विशेष रूप से भारतीय श्रोताओं के लिए डिजाइन किया गया नहीं होगा।
  - कि इसका स्तर, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के स्तर का होगा।
  - कि इसे अपलिंकिंग सुविधा देने वाले देश के विनियामक प्राधिकारी द्वारा अपने देश में प्रसारण की अनुमति प्राप्त है।
- भारत से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति शुल्क प्रति चैनल प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये होगा।

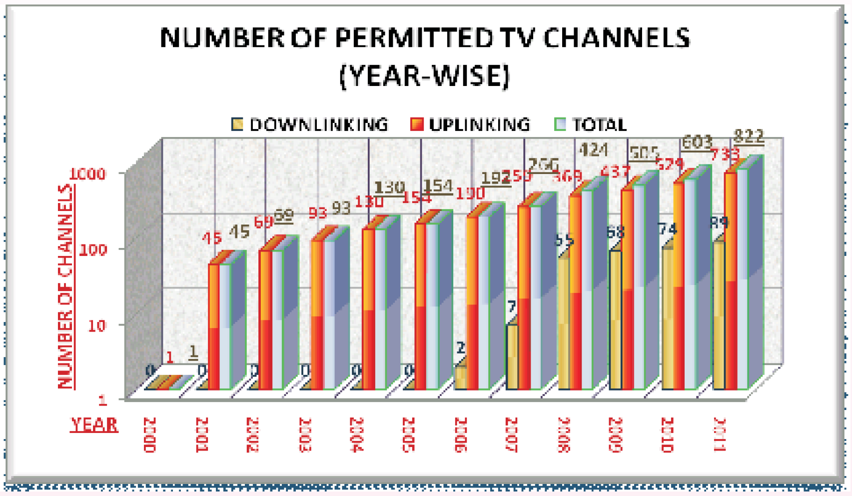

Fig. 1

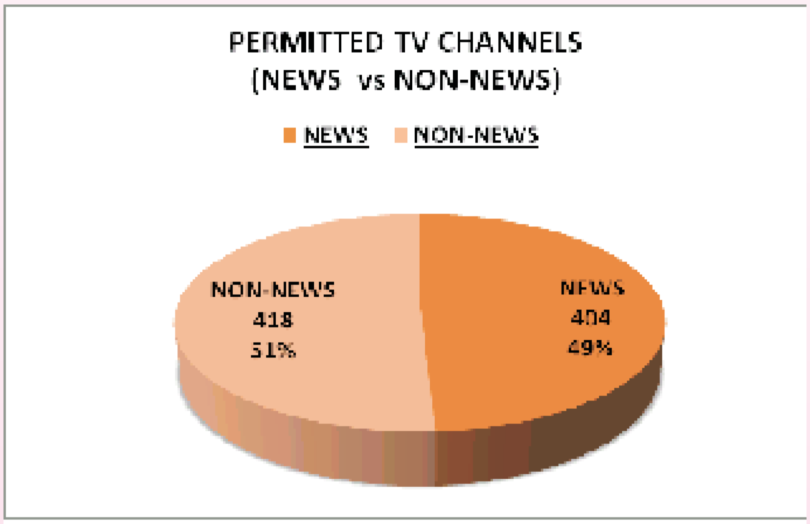

Fig. 2

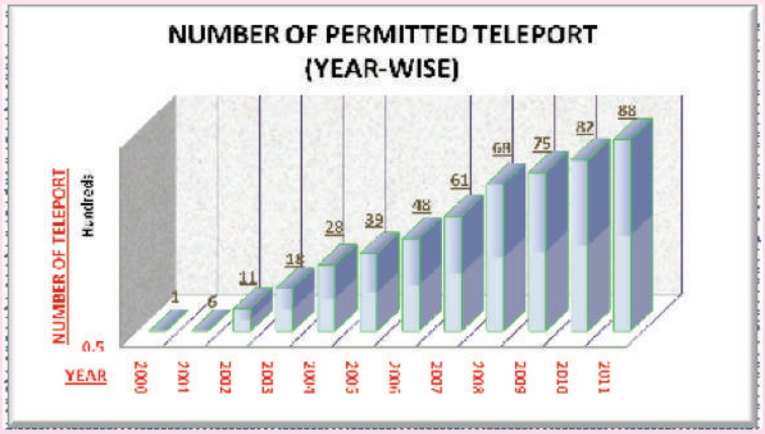

Fig. 3

- किसी बाहरी देश से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति शुल्क प्रति चैनल प्रति वर्ष 15 लाख रुपये होगा।

नए दिशा–निर्देशों की अन्य विशेषताएं

(i) सभी टीवी चैनलों को अनुमति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की समय–सीमा में अपने चैनल चालू कर देने होंगे, जिसके गैर–समाचार तथा सम–सामयिकी समाचार चैनलों को 1 करोड़ रुपये की निष्पादन संबंधी बैंक गारंटी, जबकि समाचार तथा सम–सामायिक समाचार चैनलों को 1 करोड़ रुपये की निष्पादन संबंधी बैंक गारंटी देनी होगी। अनुमति प्राप्त चैनलों को एक वर्ष के अन्दर चालू न करने की दशा में निष्पादन संबंधी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

(ii) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति/पंजीकरण की अवधि सभी के लिए समान यानि 10 वर्ष की होगी।

(iii) आवेदक कम्पनी के प्रबंधन मंडल के शीर्षस्थ अधिकारी यानि अध्यक्ष अथवा प्रथम निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य प्रचालक अधिकारी अथवा मुख्य तकनीकी अधिकारी अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी को किसी मीडिया कम्पनी में समाचार और गैर–समाचार चैनल दोनों का कम–से–कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

(iv) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रक्रिया के अनुसार अनुमति लेने के बाद, कम्पनी अधिनियम के तहत विलय, अलग होने और समामेलन के प्रस्तावों को अनुमति दी जाएगी।

(v) टीवी चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति 10 वर्ष के लिए होगी। टीवी चैनलों की अनुमति को 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण पर इस शर्त के साथ विचार किया जाएगा कि चैनल को अनुमति के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन का दोषी न पाया गया हो। साथ ही उसने 5 या इससे अधिक बार कार्यक्रम एवं विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन न किया हो। किस कृत्य को उल्लंघन माना जाएगा, इसका निर्धारण स्व–नियंत्रण के लिए स्थापित तंत्र के साथ परामर्श से किया जाएगा।

(vi) भारत में चल रहे चैनलों और भारत से केवल विदेशी दर्शकों के लिए अपलिंकिंग चैनलों को उस देश के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिनके लिए विषय–वस्तु तैयार की गई है और अपलिंक की गई है।

II नए उपग्रह टीवी चैनलों को अनुमति देने की प्रक्रिया

नए टीवी चैनलों के आवेदन–पत्रों पर अपलिंकिंग तथा डाऊनलिंकिंग संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देशों में निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। आवेदन–पत्र, कम्पनी के निदेशक मंडल के संबंध में सुरक्षा संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। साथ ही ये आवेदन–पत्र अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के लिए मामले के अनुसार अंतरिक्ष विभाग/राजस्व विभाग को भी भेजे जाते हैं। कम्पनी के नेट वर्ष की भी जांच की जाती है ताकि पात्रता संबधी अन्य मानदण्डों के साथ–साथ, कम्पनी की वित्तीय मजबूती का भी पता लगाया जा सके। अंतर–मंत्रालयी मंजूरी तथा पंजीकरण और अनुमति संबंधी लागू शुल्क प्राप्त करने के बाद मंत्रालय आवेदनों को अनुमति जारी करता है।

III प्रसारण क्षेत्र में विकास की वर्तमान स्थिति

क. टीवी चैनलों में वृद्धि

पहले निजी उपग्रह चैनल "आज तक" को वर्ष 2000 में अनुमति दी गई थी। तब से भारत में उपग्रह टीवी चैनलों की बाढ़ आ गई है और इनकी संख्या में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है। मंत्रालय दिसम्बर 2011 तक 822 चैनलों को अनुमति दे चुका था। अपलिंकिंग (यू/एल) और डाउनलिंकिंग (डी/एल) दिशा–निर्देशों के तहत टीवी चैनलों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि का ब्यौरा पिछले पृष्ठ पर दिया गया है।

मंत्रालय केवल दो श्रेणियों के टीवी चैनलों को यानि समाचार तथा सम–सामयिक विषय के टीवी चैनल और गैर–समाचार तथा सम–सामयिक विषयों के टीवी चैनलों को अनुमति देता है। अनुमति प्राप्त कुल टीवी चैनलों में समाचार तथा गैर–समाचार चैनलों का शेयर पिछले पृष्ठ पर दिया गया है।

ख. टेलीपोर्टों का विकास

टेलीपोर्टों की वार्षिक वृद्धि पृष्ठ 90 पर दिखाई गई है।

ग. विशेष वर्ग के चैनलों और रियलिटी टेलीविजन के क्षेत्र में वृद्धि

समाचार, खेल–कूद, सूचना–मनोरंजन, अध्यात्म, स्वास्थ्य तथा जीवन–शैली और बच्चों के मनोरंजन आदि से जुड़े विशेष प्रकार के आमोद–प्रमोद वाले चैनलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

घ. टीवी में क्षेत्रीय रूझान

हाल के वर्षों में प्रसारण क्षेत्र में क्षेत्रीय मीडिया की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। स्थानीय लोगों की अभिरूचि वाली विषय–वस्तुओं को लेकर नए–नए क्षेत्रीय चैनलों का उदय हो रहा है। भोजपुरी, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम आदि जैसी अनेकों स्थानीय बोलियों और भाषाओं के चैनल शुरू किए जा रहे हैं। ये चैनल उन श्रोताओं के लिए हैं, जो हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अपनी भाषाओं में चैनलों को ज्यादा पसंद करते हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में क्षेत्रीय विषय–वस्तु को विशेष महत्व दिया जा रहा है, देश के टीवी दर्शकों की सबसे ज्यादा संख्या (लगभग 32 प्रतिशत) यहीं है। टीएएम द्वारा 18 जनवरी, 2009 से 24 जनवरी, 2009 के दौरान कराए गए पीपुल मीटर सर्वेक्षण आंकड़ो के अनुसार शीर्ष 100 टेलीविजन शो में से 35 क्षेत्रीय भाषाई चैनलों के हैं।

ङ भारत के मनोरंजन तथा मीडिया उद्योग का विकास

टेलीविजन उद्योग

पीडब्ल्यूसी की रिपोर्टो के अनुसार विज्ञापन पर व्यय होने वाली धनराशि, टेलीविजन रखने वाले परिवारों की संख्या, डीटीएच में तेजी से वृद्धि तथा क्षेत्रीय बाजारों के विस्तार के चलते इस उद्योग में काफी वृद्धि हुई। 2009 में इस उद्योग का कारोबार ₹ 265.5 अरब का था जो 2010 में 306.5 अरब के आसपास पहुंच जाने का अनुमान है। इस प्रकार इस उद्योग में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 2010 में टेलीविजन के प्रत्येक क्षेत्र में ठोस वृद्धि हुई है।

- इस वर्ष वितरण उद्योग में डीटीएच उद्योग में उच्च वृद्धि दर और डिजिटलीकरण में प्रगति के चलते इस वर्ष वितरण उद्योग में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि इस उद्योग में क्रमिक वृद्धि जारी रहेगी और टेलीविजन उद्योग से होने वाली कुल आय में इसका अंशदान बढ़ता रहेगा। 2010 में इस उद्योग में ₹ 192 अरब का कारोबार होने का अनुमान है। जबकि 2009 में ₹ 165 अरब का कारोबार हुआ था।
- विज्ञापनों पर बढ़ते खर्च और विज्ञापन मदों की बढ़ती संख्या तथा 2010 में कई नए चैनलों की शुरूआत के चलते विज्ञापन उद्योग में सकारात्मक रूख नजर आ रहा है। एफएमसीजी, दूरसंचार तथा वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों

तालिका 1 : टेलीविजन बाजार क्षेत्र 2006–2010

अरब में	2006	2007	2008	2009	2010	CAGR
टेलीविजन वितरण	117.0	136.5	150.0	165.0	192.0	13.2%
प्रतिशत बदलाव	20.6	16.7	9.9	10.0	16.4	
टेलीवीजन विज्ञापन	66.2	78.0	84.2	89.0	101.5	11.3%
प्रतिशत बदलाव	21.5	17.8	7.9	5.7	14.0	
टेलीवीज	8.0	9.4	10.5	11.5	13.0	16.7%
दलाव	14.3	17.5	11.7	9.5	13.0	
कुल	**191.2**	**223.9**	**244.7**	**265.5**	**306.5**	**12.5%**

स्रोतः पीडब्ल्यूसी विश्लेषण तथा उद्योग अनुमान

में इस उद्योग की वृद्धि में सहयोग दिया है। 2010 में इस उद्योग में ₹ 101.5 अरब का कारोबार होने का अनुमान है। जबकि 2009 में ₹ 89 अरब का कारोबार हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष इस उद्योग ने 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

- गैर फिक्शन सीरियलों और क्षेत्रीय बाजारों में वृद्धि के चलते विषयवस्तु उद्योग में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की गई। टेलीविजन उद्योग में इस उद्योग का हिस्सा 2010 में 4 प्रतिशत बना रहा। इस उद्योग ने 2009 में ₹ 11.5 अरब का राजस्व कमाया था जबकि 2010 में इसकी आय ₹ 13 अरब के आसपास होने का अनुमान है।

यह उद्योग न केवल अपनी वृद्धि बल्कि मनोरंजन तथा मीडिया उद्योग पर वर्चस्व बढ़ाने के लिए तत्पर है। यदि डिजिटलीकरण और पहुंच क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया तो इससे राजस्व अर्जन के अवसर बढ़ेंगे तथा अंशदान और विज्ञापन राजस्व के बीच बेहतर संतुलन कायम होगा।

टेलीविजन वितरण

पीडब्ल्यूसी की रिपोर्टो के अनुसार वितरण उद्योग में देश में पेय टीवी सेवा का उपयोग करने वाले परिवारों से प्राप्त अंशदान राजस्व शामिल है। भारत में यह उद्योग काफी छितराया हुआ है। इस उद्योग में 50 हजार से अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ), 7 हजार से अधक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) और 6 डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) ऑपरेटर शामिल हैं। शीर्षस्थ 5 एमएसओ का इस उद्योग के राजस्व में 30 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। इस उद्योग में टेलीविजन सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे लोगों के संख्या 85 प्रतिशत है जिनकी सरकार को जानकारी नहीं मिलती और साथ ही प्रति ग्राहक राजस्व अर्जन का औसत (एआरपीयू) भी कम है।

कुल अंशदान राजस्व, वृद्धि, अनुमान

- 2010 में इस उद्योग का कारोबार ₹ 192 अरब का हुआ। जबकि 2009 में इस उद्योग ने ₹ 165 अरब कमाये। इस प्रकार आय अर्जन में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वितरण उद्योग टेलीविजन उद्योग का सबसे बड़ा भाग है और टेलीविजन उद्योग के राजस्व में इसका योगदान 63 प्रतिशत के आसपास है।

वितरण उद्योग का राजस्व पे टीवी वाले परिवारों तथा पे टीवी सेवा लेने वाले प्रत्येक परिवार से अर्जित एआरपीयू से प्राप्त होता है।

टेलीविजन रखने वाले परिवार

भारत में 2009 में टेलीविजन वाले परिवारों की संख्या 12 करोड़ 40 लाख थी जो 5 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2010 में 13 करोड़ तक पहुंच गई। टेलीविजन वाले परिवारों के रूप में टेलीविजन की पहुंच अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में अभी भी काफी कम यानि 61 प्रतिशत है। जबकि इन देशों में क्रमशः टेलीविजन की पहुंच 95 प्रतिशत तथा 93 प्रतिशत के आसपास है। भारत में बदलते आर्थिक हालातों के चलते, हम

तालिका 2 : भारत में टेलीविजन रखने वाले परिवार

मिलियन	2006	2007	2008	2009	2010
कुल परिवार	190.0	195.0	197.0	207.0	213.0
प्रतिशत बदलाव	7.0	3.0	3.0	5.0	3.0
टेलीविजन रखने वाले परिवार	112.0	115.0	118.0	124.0	130.0
प्रतिशत बदलाव	7.0	3.0	3.0	5.0	5.0
टेलीविजन की पहुच का प्रतिशत	59.0	59.0	60.0	60.0	61.0

स्रोतः पीडब्ल्यूसी विश्लेषण तथा उद्योग अनुमान

तालिका 3 : भारत में पे टीवी सेवाएं हासिल करने वाले परिवार

मिलियन	2006	2007	2008	2009	2010
केबल टीवी सेवाएं लेने वाले परिवार (वार्षिक औसत)	68.0	70.0	71.0	72.0	74.0
प्रतिशत बदलाव	11.0	3.0	1.0	1.0	2.8
डीटीएच परिवार (वार्षिक औसत)	2.0	3.5	9.0	14.0	26.0
प्रतिशत बदलाव	100.0	75.0	157.0	56.0	86.0
कुल पे टीवी सेवाएं लेने वाले परिवार	70.0	73.5	80.0	86.0	100.0
प्रतिशत बदलाव	13.0	5.0	9.0	8.0	16.0

स्रोतः पीडब्ल्यूसी विश्लेषण तथा उद्योग अनुमान

उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में भारत में टीवी वाले परिवारों की संख्या बढ़ेगी।

पे टीवी सेवाएं हासिल करने वाले परिवार

भारत में पे टीवी परिवारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया हैः

- **केबलः** केबल टेलीविजन ग्राहक के परिसर में को–एक्सिएल केबलों अथवा ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा पारेषित सिंगलन उपलब्ध कराता है। ग्राहक के घर पर केबल टीवी पहुंचाने का कार्य स्थानीय केबल ऑपरेटर के हाथ में है।
- डीटीएचः डीटीएच ग्राहकों के घर में उपग्रह के द्वारा सीधे टेलीविजन सिगंलन उपलब्ध कराता है।
- आईपीटीवीः इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) इंटरनेट के माध्यम से सीधे टेलीविजन उपलब्ध कराता है। भारत में यह उद्योग अभी भी शैशवास्था में है।

पे टीवी परिवारों की संख्या 2010 में औसतन 10 करोड़ पर पहुंच गई (सारणी 3)। 2009 में इनकी संख्या 8 करोड़ 60 लाख थी। इस प्रकार इनकी संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुख्यतः यह वृद्धि 2010 में डीटीएच परिवारों में वृद्धि के चलते हुई।

विश्व में भारत का स्थान

टेलीविजन भारतीय परिवारों का एक अभिन्न अंग बन चुका है। 2008 में टेलीविजन वाले परिवारों की संख्या 11 करोड़ 80 लाख थी, जो 2009 में बढ़कर 12 करोड़ 40 लाख हो गई थी। इससे संकेत मिलते हैं कि देश के 60 प्रतिशत परिवारों में टीवी अपनी पैठ बना चुका है (तालिका–1)। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2008 में टेलीविजन उद्योग का कारोबार ₹ 245 अरब का था, जो 2009 में बढ़कर ₹ 265.5 अरब के होने का अनुमान है। इस प्रकार टेलीविजन उद्योग में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

III नई पहल

क. एचडी प्रौद्योगिकी का अभ्युदय

इसमें कोई शक नहीं है कि आज की दुनिया में टेलीविजनय मनोरंजन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। टेलीविजन केवल मनोरंजन का ही जरिया नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया पर नजर डालने का एक साधन भी बन गया है। प्रौद्योगिक के रूप में देखा जाए, तो बहुत ही कम समय में टेलीविजन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। आज से हाई–डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी) के आरंभ द्वारा पहचाना जाता है। इस प्रौद्योगिकी के जरिए शानदार क्वालिटी की तस्वीरों और वीडियो का आनन्द लिया जा सकता है। दूरदर्शन द्वारा 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के एचडीटीवी मोड में सीधे प्रसारण के बाद तो इस प्रौद्योगिकी को जैसे पंख ही लग गए हों।

मंत्रालय ने 2010 के दौरान एचडीटीवी में आठ चैनलों के प्रसारण की अनुमति दी है और इस पहल के जरिए मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग में नई क्रांति की शुरूआत हुई है। प्राचरकों को आसान प्रक्रिया के माध्यम से खेल–कूद के विशेष आयोजन दोहरे फीड में अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी।

IV पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना

1. खुली बैठकें

प्रत्येक माह की पांच तारीख को प्रसारकों के साथ खुली बैठकों का आयोजन किया जाता है। यह पहल काफी उपयोगी साबित हुई है। पिछले एक साल के दौरान इन बैठकों में शामिल होने वाले प्रसारकों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है। बैठकों से प्राप्त फीडबैक से मंत्रालय को मंजूरी देने में तेजी लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए कदम उठाने में काफी मदद मिली। इन बैठकों में नए तथा पहले से अनुमति प्राप्त टीवी चैनलों, टेलीपोर्टों से संबंधित मुद्दों. एसएनजी/डीएसएनजी वैन के उपयोग, अस्थाई अपलिंकिंग के मामलों, उपग्रह बदलने, नाम तथा लोगो में बदलाव, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव, नए निदेशक शामिल करने, एफआईपीबी के अनुमोदन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रसारकों के साथ निष्पक्ष रूप से खुला विचार–विमर्श किया जाता है। इन बैठकों से आवेदकों को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सीधे चर्चा करने का ही मंच नहीं मिला है, बल्कि इससे आवेदकों को सीधे जानकारी उपलब्ध कराना आसान हो गया है। इसके फलस्वरूप मध्यस्थ की भूमिका समाप्त हो गई है। प्रत्यक्ष विचार–विमर्श से व्यवस्था में विश्वास कायम हुआ है और अनावश्यक पत्राचार तथा टेलीफोन पर बातचीत पर निर्भरता में कमी आई है। नवम्बर 2009 से जनवरी 2012 के दौरान कुल 23 खुली बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

2. शीघ्र अनुमोदन के लिए उठाए गए कदम

मंत्रालय में अनुमोदन के कार्य में तेजी लाने के लिए अनुमोदन का इंतजार किए बिना गृह मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और कारपोरेट मामले विभाग को इनसेट अनुभाग से प्रस्ताव 10 दिन के अंदर भेज दिए जाते हैं। इससे विलम्ब में काफी कमी आई है।

3. मानक फॉर्म तथा आवेदन–पत्र

यह देखा गया था कि एसएनजी/डीएसएनजी वैन खरीदनेे किराए पर लेने की अनुमति के लिए आवेदन करते समय आवेदनकर्ता तत्संबंधी दस्तावेज अथवा सूचना उपलब्ध नहीं कराते थे। इसे व्यवस्थित बनाने के लिए एसएनजी/डीएसएनजी वैनों को किराए पर लेने की अनुमति लेने के लिए आवेदन–पत्र का नया विस्तृत फॉर्मेट बनाया गया है। इसे आवेदन–पत्र भरने के विस्तृत निर्देशों और दिशा–निर्देशों के साथ मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है। भूल–चूक की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए एक मास्टर चैकलिस्ट और प्रोसेसिंग टेम्पलेट भी वेबसाइट पर आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, ताकि आवेदन–पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

नाम, लोगो, उपग्रह, टेलीपोर्ट बदलने और भाषा जोड़ने आदि से संबंधित मामलों में बार–बार लम्बी–चौड़ी टिप्पणियां प्रस्तुत की जाती थीं, इससे अनुभाग स्तर पर शीघ्र मामले प्रस्तुत करने में तो दिक्कत आती ही थी,, बल्कि अधिकारियों को तुरत निर्णय

तालिकाः 4 : 2010 में शीर्षस्थ देशों के लिए ग्लोबल टीवी अंशदान

देश	परिवारो का अंशदान (मिलियन)	टीवी परिवारों की पहुंच से अंशदान (%)	लाइसेंस शुल्क का अंशदान बाजार' (मिलियन अमरीकी डॉलर)
अमरीका	101.20	88.3	75,366
कनाडा	11.50	88.5	8,029
ब्रिटेन	13.75	53.7	11,950
चीन	180.25	45.9	6,807
भारत	106.00	77.2	4,266

लाइसेंस शुल्क में वीडियो–ऑन–डिमांड, पे–पर–व्यू, पब्लिक टीवी लाइसेंस शुल्क, मोबाइल टीवी शामिल हैं।

स्रोतः पीडब्ल्यूसी ग्लोबल इंटरटेंमेंट तथा मीडिया आऊट लुक 2011–2015

लेने के उद्देश्य से एक ही नजर में तथ्यों को समझने में भी कठिनाई होती थी। त्वरित अनुमोदन के लिए एक नया टेम्पलेट डिजाइन किया गया है, इससे मामलों में तुरत कार्यवाही करने में मदद मिली है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सका है कि मामलों पर विचार करते समय कोई भी महत्वपूर्ण मानदण्ड नजरअंदाज न हो जाए। इसके लिए, फाइल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले चेकलिस्ट को पूरा करने की व्यवस्था बनाई गई है।

4. सेटेलाइट टीवी एप्लिकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (स्टैट्स)

कम्पनियों के लम्बित मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, 21 जनवरी, 2010 को सेटेलाइट टीवी एप्लिकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (स्टैट्स) सॉफ्टवेयर चालू किया गया। यह अनोखा सॉफ्टवेयर एनआईसी ने विकसित किया है। इससे प्राइवेट उपग्रह टीवी चैनलों के आवेदनकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने में पारदर्शिता बढ़ी है और उन्हें अपने आवेदन–पत्रों की स्थित का पता लगाने में मदद मिली है। आवेदक अपने आवेदन–पत्रों की स्थिति जांच सके इसके लिए सिस्टम पर डाटा नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं।

केबल टेलीविजन

केबल टीवी प्रसारण वितरण उद्योग का आधार स्तम्भ है। केबल उद्योग ने पिछले 20 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभायी है। हाल ही की फिक्की–केपीएमजी मीडिया एंटरटेन्मेंट रिर्पोट 2011 के अनुसार, टीवी सुविधा से युक्त कुल 13 करोड़ 80 लाख परिवारों में से 7 करोड़ 30 लाख परिवार केबल सेवाएं ले रहे हैं और शेष परिवार डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा (आईपीटीवी) और दूरदर्शन के स्थलीय प्रसारण सेवा के द्वारा कवर हैं। डीटीएस सेवा के तेजी से विकास के बावजूद, केबल सेवाओं का आज भी टीवी चैनलों के वितरण में वर्चस्व बना हुआ है। डीटीएच और आईपीटीवी डिजिटल सेवाएं हैं, लेकिन केबल सेवाएं आमतौर पर एनालॉग सेवाएं हैं। लगभग 6 करोड़ 80 लाख यानि 93ः परिवार केबल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ये परिवार एनालॉग मोड से टीवी सिग्नल अभिग्रहीत करते हैं। तथापि, इस सेवा की कई सीमितताएं हैं और इसका कारण प्रसारण की अंतर्निहित एनालॉग प्रकृति है। केबल सेवा के डिजिटली करण से इस उद्योग की भावी विकास और आधुनिकरण में मदद मिलेगी तथा साथ ही एनालॉग केबल सेवाओं की मौजूदा समस्याएं हल होंगी।

डीटीएच सेवा

केबल प्रसारण की तुलना में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा एक नई सेवा है। केबल प्रसारण की तुलना में इसके अपने कुछ तकनीकी फायदे हैं। डीटीएच सेवा एड्रेसेबल सिस्टम है और पूरे देश को कवर करता है। डीटीएस सेवा में बड़ी संख्या में टीवी चैनलों को डिजिटल रूप में कम्प्रेस, एनक्रिप्ट किया जाता है और अत्यंत उच्च शक्ति वाले उपग्रहों से प्रसारित किया जाता है। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम घरों में किसी सहूलियत भरे स्थान पर छोटा सा डिश एंटीना लगाकर अधिग्रहीत (प्राप्त) किए जा सकते हैं। डीटीएच प्रसारण सेवा के लिए किसी वाणिज्यिक मध्यस्थ सेवा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को डीटीएच ऑपरेटर सीधे तौर पर प्रसारण उपलब्ध कराता है। डीटीएच सेवा मे कई चैनलों वाले टीवी कार्यक्रमों को सीध
ो उपभोक्ता के परिषर में उपग्रह प्रणाली के जरिये केयू बैंड में उपलब्ध कराया जाता है। डीटीएच अपने उपभोक्ताओं को जगह बदले की सुविधा देता है, जिसका अर्थ है कि एक बार डीटीएच उपकरण खरीदने के बाद उपभोक्ता उसे देशभर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है।

सरकार ने 15 मार्च, 2001 को भारत में डीटीएच सेवा चलाने के लिए आवेदन–पत्र तथा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट तथा प्रपत्र सहित विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए डीटीएच संबंधी दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं। दिशा–निर्देशों में पात्रता शर्तों के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा आवेदक कम्पनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/प्रवासी भारतीय/ओसीबी/विदेशी निवेश संस्थान सहित कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 49% और विदेशी इक्विटी तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के घटक की अधिकतम सीमा 20% तय की गई है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक कम्पनी पर भारतीय मैनेजमेंट का नियंत्रण हो यानी कम्पनी बोर्ड में निवासी भारतीयों का बहुमत हो और कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी निवासी भारतीय हो। डीटीएच सेवाएं संचालित करने के लिए लाइसेंस

जारी करने संबंधी सभी आवेदन–पत्रों की पात्रता मानदण्डों के आधार पर जांच आवश्यक होती है। भारती में डीटीएच सेवा स्थापित और संचालित करने की वर्तमान लाइसेंस शर्तों में अवांछनीय विषय–वस्तु को रोकने संबंधी प्रर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवा (डीडी डायरेक्ट प्लस) पर निःशुल्क चैनल उपलब्ध कराता है। इसके लिए ग्राहकों को खुले बाजार से डिश और सेट टॉप बॉक्स खरीदना होता है। चूंकि दूरदर्शन के सिग्नल एनक्रिप्टेड नहीं हैं और निःशुल्क हैं, इसलिए इनके दर्शकों की संख्या के बारे में कोई स्टीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूरदर्शन की डीडी डायरेक्ट प्लस सेवा के अलावा, डिश टीवी (मैसर्स डिश टीवी इंडिया लि.), टाटा स्काई (मैसर्स टाटा स्काई लि.), सनडायरेक्ट डीटीएच (मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि.), बिग टीवी (मैसर्स रिलायंस बिग टीवी लि.), एयरटेल डिजिटल टीवी (मैसर्स भारती टेलीमीडिया लि.) और डी2एच (मैसर्स भारत बिजिनेस चैनल लि.) ये छह निजी सेवा प्रदाता डीटीएच सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। डीटीएच डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम होने के नाते अच्छी पिक्चर क्वालिटी, बेहतर मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराता है इस प्रणाली में लेखापरीक्षा और निगरानी की व्यवस्था होने के कारण प्रसारकों और डीटीएच ऑपरेटरों के बीच विवादों में कमी आई है और इसके फलस्वरूप ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं तथा इस क्षेत्र का व्यवस्थित विकास हो रहा है। इस प्रकार डीटीएच ने एनालॉग केबल ऑपरेटरों को कड़ा मुकाबला दिया है। केबल टीवी ऑपरेटर भी अब डिजिटल प्रणाली को अपना रहे हैं।

अगस्त 2007 तक दो पे–डीटीएच ऑपरेटरों के पास लगभग 32 लाख डीटीएच ग्राहक थे। दिसम्बर 2008 में पे–डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या बढ़कर पांच हो गई और इसके साथ ही ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख 50 हजार तक पहुंच गई। सितम्बर, 2010 के आंकड़ों के अनुसार पे–डीटीएच ऑपरेटरों के संख्या छह और इनके ग्राहकों की संख्या 2 करोड़, 64 लाख तक पहुंच गई है। ट्राई की निष्पादन संकेत संबंधी नवीनतम रिर्पोट के अनुसार देश में 30–6–2011 को डीटीएच ग्राहकों की संख्या लगभग 3 करोड़ 80 लाख थी। फिक्की–केपीएमजी मीडिया इंटरटेनमेंट रिर्पोट के अनुसार 2015 तक डीटीएच ग्राहकों की संख्या 7 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

डीटीएच ग्राहकों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए, ट्राई ने डीटीएच ग्राहकों के हितों की रक्षा के मद्देनजर, 2007 में डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायत निवारण) विनियम, 2007 जारी किए थे, जिसमें डीटीएच ग्राहकों के हितों के संरक्षण से संबंधित विनियामक प्रावधानों को अनिवार्य रुप से शामिल किया गया है। ट्राई ने, दिनांक 21 जुलाई, 2010 के अपने दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल सिस्टम) शुल्क आदेश, 2010 में सभी डीटीएच ऑपरेटरों के लिए यह अनिवार्य बना दिया था कि वे अपने सभी पे चैनलों को अपने ग्राहकों को एक समूह के रूप में उपलब्ध कराएंगे और यदि डीटीएच ऑपरेटर इसके लिए कोई न्यूनतम मासिक किराय राशि निर्धारित करता है तो यह राशि 150 रुपये से अधिक नहीं होगी। इस शुल्क आदेश में ग्राहकों को कीमतों की वृद्धि से बचाने के प्रावधान भी किये गये हैं। ट्राई के विनियामक संबंधी उपायों से डीटीएच ग्राहकों को एसटीवी खरीदने (पूरी तरह से खरीदना, किराया–खरीद आधार पर लेना और किराये पर लेना) के अपने विकल्प चुनने का और डीटीएच क्षेत्र में पे चैनल चुनने का अधिकार मिल गया है।

यह मंत्रालय भारत में डीटीएच ऑपरेटरों को वर्ष 2001 में जारी डीटीएच दिशा–निर्देशों के अनुसार लाइसेंस प्रदान करता है। डीटीएच लाइसेंस एग्रीमेंट की अनुसूची के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, सेट टॉप बॉक्स की विकल्प खुला होना चाहिए यानी ग्राहक को यह छूट होनी चाहिए के सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) को किराए पर ले या इसे किश्तों में खरीदे ताकि डीटीएच सेवा प्रदान करने वाले अलग–अलग ऑपरेटरों के बीच में तकनीकी अनुकूलता तथा कारगर परस्पर संचालनीयता सुनिश्चित की जा सके। एसटीबी के बारे में सरकार ने समय–समय पर मानक निर्धारित किए हैं। समय बीतने के साथ–साथ, सिग्नल संपीडन (कंप्रेशन) और प्रसारण की अलग–अलग प्रौद्योगिकियां और मानक (एमपीईजी–2, 4/डीवीबी–एस, डीवीबी–एस2) विकसित हो चुके हैं। इस वजह से तथा अन्य कई कारणों की वजह से मंत्रालय ने ट्राई से परस्पर संचालनीयता के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने और मंत्रालय को अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया। ट्राई ने परस्पर संचालनीयता तथा डीटीएच

से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में अपनी सिफारिशें मंत्रालय को 30 जनवरी, 2008 को सौंपीं। ट्राई ने अपने डीटीएच प्रसारण सेवा (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायत निपटान) विनियम, 2007 के द्वारा वाणिज्यिक परस्पर संचालनीयता को अनिवार्य बना दिया है। इससे ग्राहक को एसटीबी किराए पर लेने अथवा किश्तों में खरीदने का विकल्प मिल गया है। इसके आधार पर वह ऑपरेटर आसानी से बदल सकता है। मंत्रालय में विभिन्न हितधारकों के साथ इन सिफारिशों पर विचार–विमर्श किया गया और यह महसूस किया गया कि अनेक कारणों की वजह से ट्राई इन सिफारिशों पर फिर से विचार करे। तदनुसार मंत्रालय ने मामले को पुनर्विचार के लिए 11 मई, 2010 को ट्राई को भेज दिया। सरकार ने अलग–अलग प्रौद्योगिकियां और मानकों का इस्तेमाल करने वाले डीटीएच ऑपरेटरों के बीच कारगर तकनीकी परस्पर संचालनीयता हासिल करने में आ रही मौजूदा समस्याओं को विस्तार से बताते हुए ट्राई की सिफारिशों पर अपना नजरिया प्रस्तुत किया। ट्राई ने 20 अगस्त, 2010 को एक परामर्श दस्तावेज बाजार में उतारा है, जो इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय डीटीएच सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर परस्पर संचालनीयता और तकनीकी अनुकूलता की आवश्यकता को पूर्ववत जारी रखा जाए या इन्हें संशोधित किया जाए अथवा इन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, इस बारे में अपनी राय कायम करने से पहले ट्राई की सिफारिशों को जान लेना चाहती है।

आईपीटीवी सेवा संबंधी नीति

सरकार ने 08–09–2008 को आईपीटीवी के बारे में नीति निर्धारित की है और इस प्रकार दूरसंचार तथा केवल नेटवर्क के माध्यम से फिलहाल उपलब्ध अनुमति प्राप्त उपग्रह टीवी चैनलों के वितरण के लिए एक और मोड उपलब्ध कराया गया है। इससे भारतीय दर्शकों को डिजिटल तस्वीरों का एक नया अनुभव प्राप्त होगा साथ ही ग्राहकों की विभिन्न मूल्य वर्धित परस्पर जुड़ी नई सेवाओं की निरंतर बढ़ती मांग भी पूरी होगी। इससे प्रसारकों तथा प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को भी कारोबार के अलग–अलग मॉडल तैयार करने के नित नए अवसर मिलेंगे। आईपीटीवी संबंधी नीति में इन मुद्दों को और ज्यादा स्पष्ट किया गया है तथा दूरसंचार ऑपरेटर एवम् केबल ऑपरेटर दोनों आईपीटीवी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे और इन्हें उनके लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जा सकेगा। केबल अधिनियम के तहत निर्धारित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के अनुसार विषय–वस्तु को विनियमित किया जाएगा। यह अधिनियम अश्लील विषय–वस्तु पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कई अन्य आशंकाओं को भी दूर करता है। इसमें विषय–वस्तु संबंधी संहिता के उल्लंघन का दायित्व तय किया गया है और यह भी बताया गया है कि उनसे किस प्रकार निपटा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को भी रखा गया है। इस नीति में व्यवस्था की गई है कि एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर और प्रसारक प्रसारण की विषय–वस्तु, आईपीटीवी सेवाओं का लाइसेंस प्रदान करने वाले दूरसंचार प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं। इसमें समाचार तथा सामयिक विषयों पर सामग्री तैयार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को अपनी विषय–वस्तु तैयार करने की छूट दी गई है।

इस नीति के अंतर्गत परिभाषित दूरसंचार तथा केबल ऑपरेटरों को आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें निर्धारित प्रपत्र में एक स्वतः घोषणा करनी होगी। इस घोषणा के लिए फॉर्मेट अधिसूचित किया जा चुका है। मंत्रालय ने आईपीटीवी सेवा पर दूरदर्शन के आठ चैनलों का प्रसारण अनिवार्य बना दिया है। ये चैनल इस प्रकार हैः–

1.	लोकसभा टेलीविजन	2.	डीडी राज्यसभा
3.	डीडी–1 नेशनल	4.	डीडी (न्यूज)
5.	डीडी स्पोर्टस	6.	डीडी उर्दू
7.	ज्ञान दर्शन	8.	डीडी भारती

डाउनलिंकिंग दिशा–निर्देशों के उपबंध 5.6 में परिवर्तन करके प्रसारकों को अपने कार्यक्रम आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को देना संभव बनाया गया है। इस नीति में, प्रसारकों से तत्संबंधी अधिकार प्राप्त केबल ऑपरेटरों और मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों को दूरसंचार आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को समाहारित विषय वस्तु उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी गई है। एमटीएनएल/वीएसएनएल की तर्ज पर फ्रेन्चाइजी मॉडल का भी प्रावधान है। लेकिन चूंकि इस नीति में फ्रेन्चाइजी को एक अलग अस्तित्व के रूप में नहीं माना गया है, कोई भी फ्रेन्चाइजी जो प्रसारण सिंगनलों को प्राप्त और समहारित कर सकता है, को केबल ऑपरेटर के रूप में पंजीकृत कराना होगा।

आईपीटीवी सेवा प्लेटफॉर्म का लाभ यह है कि इससे चुनिंदा दर्शक वर्ग को विशेषीकृत सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

ऐनिमेशन और गेमिंग उद्योग इसमें बड़ी संभावनाएं देख रहा है। हालांकि इसमें ब्रॉडबैंड की पहुंच और उसकी कनेक्टिविटी गणुवत्ता इसकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार 30–06–2011 तक 123.50 लाख ब्रॉड बैंड उपभोक्ता थे। फिक्की केपीएमजी 2009 की रिपोर्ट में आईपीटीवी के उपभोक्ताओं की संख्या 2008 के 30 हजार से बढ़कर 2009 में 2.5 लाख और 2013 में 40 लाख होने की बात कही गई है। उम्मीद है कि आईपीटीवी प्लेटफॉर्म द्वारा सेवाओं में सुलभ कराई गई विविधता से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में ग्राहकों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी।

वैश्विक स्तर पर आईपीटीवी केबल और डीटीएच सेवाओं के लिए एक प्रमुख पे–टीवी प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। उम्मीद है कि इससे कार्यक्रम और सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त आमदनी होगी, और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए लागत में भी कमी आएगी। उम्मीद है कि आईपीटीवी विनियामक फ्रेमवर्क में स्पष्टता और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में वृद्धि से भारत आईपीटीवी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले देश के रूप में उभरेगा। भारत में इस समय एमटीएनएल, बीएसएनएल और भारती एयरटेल आईपीटीवी सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी बेहतर गुणवत्ता और परस्पर जुड़ी सेवा संभावनाओं के चलते इस प्रौद्योगिकी में काफी संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन इसकी पहुंच केवल उन्हीं घरों तक है जहा ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच जाने के बाद, आईपीटीवी सेवा की सफलता के अवसर और ज्यादा बढ़ जाएंगे।

आशा है कि डीटीएच कनेक्शन की कीमत और इंटरनेट सेवा तथा एक अतिरिक्त सेवा के रूप में आईपीटीवी की कीमत में अंतर नाममात्र का रह जाने एवम् परीक्षण के तौर पर उपयोगकर्ताओं को यह सेवा उपलब्ध कराने के बाद भारतीय घरों में आईपीटीवी की पहुंच बन जाएगी। लेकिन प्रसारण क्षेत्र में अन्य सेवाओं की तुलना में आईपीटीवी की शुरूआत अभी धीमी रहेगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आईपीटीवी की सफलता सीमित रही है और अनुमान है कि बाजार में इस सेवा को अपनी पैठ बनाने में कुछ समय लगेगा।

हिट्स (हेडेंड–इन द स्काई)

एक नई प्रौद्योगिकी जिसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है, वो है हेडेंड इन द स्काई (हिट्स) जिससे देश में डिजिटलीकरण और कन्डीशनल एक्सेस के विस्तार को गति प्राप्त हो सकती है। सरकार ने केबल ऑपरेटरों के लिए विषय–वस्तु प्रसारण को हेडेंड–इन द स्काई(हिट्स)मोड में शुरू करने के लिए ट्राई के सहयोग से एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12–11–2009 की अपनी बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के हेडेंड इन दे स्काई संचालकों के लिए नीतिगत मार्ग निर्देश जारी करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। नीति संबंधी दिशा–निर्देशों में एक फ्रेमवर्क की व्यवस्था की गई है, हिट्स सेवा प्रदाता को इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में अपनी सेवाएं उपलब्ध करानी है। केबल ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं दोनों को हिट्स प्लेटफॉर्म/नेटवर्क से सिग्नल प्राप्त करने की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। ग्राहक और केबल ऑपरेटर मौजूदा प्रणाली को जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार यह व्यवस्था कैस से बुनियादी तौर पर भिन्न है, जहां कि अनिवार्यता का पुट है।

हिट्स के अंतर्गत देश में उपग्रह के माध्यम से सिग्नल कई एसएसओ/केबल ऑपरेटरों को पहुंचाये जा रहे हैं, जो अपने केबल नेटवर्क के जरिए इन्हें उपभोक्ताओं को भेज सकते हैं। हिट्स और एसएसओ में बड़ा अंतर इस बात का है कि यहां सिग्नल केबल के जरिए ना होकर उपग्रह के जरिए केबल ऑपरेटरों को भेजे जाते हैं, जबकि एमएसओ केबल के जरिए सिग्नल भेजता है। यह एक डिजिटल तरीका है जो देश के गैर–कैश क्षेत्रों में केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ेगी, सेटटॉप बॉक्स की कीमतों में कमी आएगी और केबल व्यवसाय सुदृढ़ होगा।

हिट्स के जरिए ग्राहक को रियायती कीमत पर डिजिटल चैनलों का अच्छा–खासा विकल्प, बेहतर तस्वीर और मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध होंगी। फिलहाल प्राइम/नॉन प्राइम बैंड में चैनलों की क्षमता सीमित है, हिट्स से चैनल क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। नीति संबंधी दिशा–निर्देशों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic पर उपलब्ध है। हालांकि, हिट्स संबंधी नीति सही दिशा में एक कदम है और सेवा उपलब्ध कराने वाले आखिरी ऑपरेटर के स्तर पर इसमें निवेश में कमी लाने की काफी क्षमता है और इसके चलते केबल सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन शुल्क तथा परस्पर कनैक्शन संबंधी कुछ मुद्दों को हल किए जाने की जरूरत है, इसी वजह से यह अभी शुरू नहीं हो सकी है। ट्राई डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए शुल्क संबंधी आदेश जारी करने जा रहा है, आशा है कि इससे उद्योग हिट्स सेवाएं प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित करने के

लिए आगे आएंगे। ट्रांसपांडर क्षमताओं की उपलब्धता के बारे में कुछ दिक्कतें हैं लेकिन उम्मीद है कि मांग के साथ–साथ आपूर्ति भी बढ़ेगी। सरकार जल्दी ही केबल सेवाओं को डिजिटल बनाने की अंतिम तारीख तय कर देगी। डीएएस की शुरूआत से हिट्स सेवाओं को नया जीवन मिलेगा।

केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक उपाय भी कर रही है। वर्ष 2000 और 2003 में अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए और इसके कुछ प्रावधानों के अमल में आ रही कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। अधिनियम की धारा–8 में संशोधन 2007 में किया गया जिसके तहत पार्लियामेंट चैनलों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तरीके से और दूरदर्शन चैनलों को प्रसार भारती की अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रदर्शन की व्यवस्था की गई। केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित 6 नवम्बर 2007 को अधिसूचना के जरिए केबल ऑपरेटरों के लिए अपने केबल टीवी नेटवर्क में लोकसभा टेलीविजन चैनल और डीडी राज्य सभा चैनलों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की व्यवस्था कर दी है। केन्द्र सरकार और प्रसार भारती की मौजूदा अधिसूचनाओं के अनुसार केबल ऑपरेटरों को प्राइम और नॉन प्राइम बैंड पर जिन चैनलों को अनिवार्य रूप से दिखाना है उनकी सूची अनुबंध–**I** में दी गई है।

केबल सेवाओं में डिजिटलीकरण और एड्रेसेबिलिटी शुरू करने और केबल टीवी क्षेत्र में कुछेक विनियामक सुधार लाने तथा साथ ही इस अधिनियम को लागू करने के दौरान पाई गई कुछ कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 2011 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ–साथ केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण, उन्हें उनके पेशे का अधिकार दिलाने का अधिकार, कुछ चैनलों के अनिवार्य प्रसारण, केबल नेटवर्क सेवाओं के निरीक्षण, केन्द्र सरकार के दखल का दायरा तय करने में दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को अधिकार देने को व्यवस्थित बनाने के प्रावधान शामिल किए गए थे। प्रारम्भ में इन सिफारिशों को एक अध्यादेश नामतः केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 के द्वारा 25.10.2011 को लागू किया गया था। इस अध्यादेश को भी केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन विधेयक 2011 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। यह विधेयक संसद के शरदकालीन सत्र में 28 नवम्बर, 2011 को प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा ने 13 दिसम्बर, 2011 को इस विधेयक को पारित कर दिया है और बाद में 19 दिसम्बर, 2011 को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया है। माननीय राष्ट्रपति ने 30 दिसम्बर, 2011 को इसे अपनी मंजूरी दे दी है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 भारत के राजपत्र में 31 दिसम्बर, 2011 को प्रकाशित कर दिया गया है।

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007

इस अधिनियम का उद्देश्य भारत या विदेशों में आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं को अधिक से अधिक दर्शकों और श्रोताओं तक मुफ्त पहुंचाना है। इसके लिए खेल प्रसारणों के सिग्नलों को अनिवार्य रूप से प्रसार भारती को उपलब्ध कराने और इससे उत्पन्न तथा इससे संबंधित मुद्दों के बारे में व्यवस्था की गई है। प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी के जरिए यह व्यवस्था की गई है।

खेल प्रसारण सिग्नलों की अनिवार्यता साझेदारी से संबंधित 2007 के अधिनियम की धारा–3 (1) में इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ खास खेल स्पर्धाओं के प्रसारण सिग्नलों की अनिवार्य रूप से साझीदारी की व्यवस्था की गई है। धारा–3 (3) के जरिए प्रसार भारती को इससे हुए आमदनी का एक हिस्सा अन्य खेल प्रतियोगिताओं के प्रसारण पर खर्च करने की जिम्मेदारी प्रसार भारती पर डाली गई है।

इस अधिनियम को उचित और सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार ने खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम 2007 को जी.एस.आर. 687 (ई) दिनांक 03–10–2007 के तहत अधिसूचित किया है।

अधिनियम की धारा–2 (1) (एस) के जरिए केन्द्र सरकार को खेल प्रतियोगिताओं को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टीवी पर दिखाने के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का

अधिकार दिया गया है। सरकार ने अब तक 03–01–2007 और 19–10–2007 की अधिसूचनाओं के जरिए कुछ क्रिकटे प्रतियोगिताओं को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। अधिसूचना की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत की पुरुषों की क्रिकेट टीम के सभी आधिकारिक वन–डे तथा ट्वेंटी–ट्वेंटी मैच और पुरुषों के विश्वकप तथा आईसीसी चौम्पियन ट्रॉफी के सेमी फाइनल और फाइनल मैच तथा नवंबर–दिसंबर 2007 में भारत–पाक क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैच अधिसूचित किए गए।

सरकार के 08 फरवरी, 2008 के आदेश में क्रिकेट प्रतियोगिताओं को छोड़कर अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे टेनिस, हॉकी और फुटबाल की सूची दी गई है। 05 अप्रैल, 2006 के आदेश के स्थान पर यह अधिसूचना है। यह सूचना अनुबंध–II में दी गई है।

केबल क्षेत्र में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) की शुरूआत

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल प्रणाली का कार्यान्वयन' विषय पर 5 अगस्त, 2010 की अपनी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी सिफारिश की थी कि केबल टीवी सेवाओं में प्राथमिकता आधार पर डिजिटलीकरण सहित एड्रेसेबिलिटी को कार्यान्वित किया जाए। तदनुसार ट्राई ने केबल क्षेत्र में एनालॉग सिस्टम के स्थान पर डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) को अपनाने के लिए चार चरण की समय–सीमा तय करने की सिफारिश की। ट्राई की उपरोक्त सिफारिशों के मद्देनजर, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13.10.2010 को आयोजित अपनी बैठक में केबल टीवी सेवा में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) की अनिवार्य शुरूआत के लिए मंत्रालय के उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पूरे भारत में एड्रेसेबिलिटी सुविधा से युक्त डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए एक समय–सीमा और रूप–रेखा तय की गई थी, ताकि 31 दिसम्बर, 2014 तक एनालॉग टीवी सेवा को पूरी तरह बन्द किया जा सके। मंत्रिमंडल के अनुमोदन में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 में कतिपय संशोधन करना भी शामिल था, इसमें अन्य बातों के साथ–साथ एक अध्यादेश, नामतः केबल टेलीविजन (विनियमन) अध्यादेश, 2011 के प्राख्यापन के जरिए डिजटलीकरण के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने का प्रावधान किया गया था। उक्त अध्यादेश 25 अक्टूबर, 2011 को प्राख्यापित किया गया। मंत्रालय ने प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए किसी भी चैनल के कार्यक्रमों का डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के जरिए एनाक्रिऐड रूप में प्रसारण अथवा पुनः प्रसारण अनिवार्य बना दिया है। इस कार्य को चार चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में चार महानगरों में 30 जून, 2012 तक डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली अपनाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले 38 शहरों को 31 मार्च, 2013 तक कवर कर लिया जाएगा। तीसरे चरण में, 30 सितम्बर, 2014 तक उन सभी शहरी क्षेत्रों (नगर निगम/नगर पालिकाओं) में डिजिटल प्रसारण शुरू हो जाएगा, जिन्हें पहले तथा दूसरे चरणों में कवर नहीं किया गया था। चौथे चरण में, 31 दिसम्बर, 2014 तक शेष बचे क्षेत्रों को कवर कर लिया जाएगा। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 को 31 दिसम्बर, 2011 को लागू कर दिया गया है।

डिजिटलीकरण से केबल पर उपलब्ध बैन्डविड्थ का कुशल उपयोग सम्भव होता है और इसके द्वारा केबल पर चैनलों के प्रसारण की क्षमता काफी बढ़ जाती है। इस प्रकार सीमित क्षमता से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एड्रेसेबिलिटी का मतलब है कि केबल ऑपरेटरों के सिग्नल एन्क्रिप्टेड है और सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकृत किए जाने के बाद ही सेट–टॉप बॉक्स के माध्यम से अभिग्रहीत किया जा सकता है। इससे प्रत्येक ग्राहक के लिए डाटाबेस की पहचान और अनुरक्षण संभव हो जाएगा, पारदर्शिता आएगी तथा पाइरेसी पर रोक लगेगी। केबल टीवी सेवा के डिजिटलीकरण से दर्शक साफ–सुथरी तस्वीरों का आनन्द उठा सकेंगे और अपने पारिवारिक माहौल तथा बजट के अनुसार टीवी चैनल चुन सकेंगे। इससे समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार की मूल्यवर्धित तथा सह–संयोजित सेवाओं विशिष्ट कार्यक्रमों की प्रदायगी संभव हो जाएगी। ग्राहक संख्या के बारे में पारदर्शिता से विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों में कमी आएगी और कर अदायगी में सुधार होगा।

आम लोगों को किफायती विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय ने दूरदर्शन के निःशुल्क चैनलों वाले डीटीएच प्लेटफॉर्म को उन्नत बनाने की एक योजना बनाई है। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म से 57 चैनलों का प्रसारण होता है, योजना पूरी होने पर प्लेटफॉर्म 97 चैनल प्रसारित करने में सक्षम हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 200 चैनल करने का प्रस्ताव है। जो लोग हर माह चैनलों का किराया देने में असमर्थ हैं उन्हें एक ही बार एसटीबी की लागत वहन करनी होगी और उसके बाद बिना कुछ खर्च किए निःशुल्क टीवी चैनल देखने की सुविधा मिलेगी।

डिजिटलीकरण की सफलता, हितधारकों में और उपभोक्ताओं में इसके फायदों के बारे में बढ़ती जागरूकता पर निर्भर है। मौजूदा एनालॉग केबल टीवी प्रणाली को डिजिटली एड्रेसेबल केबल प्रणाली के तौर उन्नत बनाने में स्थानीय केबल ऑपरेटरों की प्रमुख भूमिका है। स्थानीय केबल ऑपरेटरों को इस तथ्य से अवगत कराना होगा कि लेखा परीक्षण तथा सत्यापन योग्य हो जाने के बाद भी, इन्टरएक्टिव सेवाओं, मूल्यवर्धित सेवाओं और ब्रॉड बैन्ड सेवाओं के विस्तार से आगे चलकर उनके कारोबारी हितों को फायदा पहुंचे। स्थानीय केबल ऑपरेटरों को यह आशंका है कि केबल टीवी प्रणाली के उन्नयन से, उनके कारोबार को नुकसान होगा। जागरूक एवं जानकार बनाने वाले कार्यक्रमों के द्वारा डिजिटलीकरण के बारे में स्थानीय केबल ऑपरेटरों के भय को दूर किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को केबल टीवी के माध्यम से इन्टरएक्टिव सेवाओं, मूल्य वर्धित सेवाओं और ब्रॉड बैंड सेवाओं के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए ठोस प्रयास किये जाने की जरूरत होगी। उपभोक्ताओं को यह भी सिखाना होगा कि डिजिटलीकरण क्या है और सेट–टॉप–बॉक्स का उपयोग किस प्रकार किया जाए और इसे कैसे चलाया जाए, क्योंकि सीएएस सर्वेक्षण रिर्पोट के एक निष्कर्ष में यह बताया गया है कि महिलाएं और वृद्ध दर्शक एसटीवी का रिमोट चलाने और इसकी जटिलताओं को समझने में अपने आप को असहज महूसस करते हैं, तथा जब उन्हें इसके लिए सहायता की जरूरत होती है तो एमएसओ अथवा केबल ऑपरेटर से उन्हें सहयोग नहीं मिलता है।

एनालॉग से डिजिटल केबल टीवी की ओर अग्रसरण एक चुनौतीभरा काम होगा और इसके बुनियादी ढांचे तथा केबल टीवी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का दायित्व संभालने के लिए प्रशिक्षित/कुशल श्रमशक्ति में काफी धनराशि निवेश करनी होगी। केबल टीवी उद्योग में प्रशिक्षित और कुशल श्रमशक्ति की भारी संख्या में आवश्यकता है, ताकि डिजिटल केबल टीवी की दिशा में रास्ता तय करने और प्रतिस्पर्धी माहौल में सेवा–गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानकों को पूरा करने में मदद मिल सके। नई जरूरतों को पूरा करने के लिए केबल ऑपरेटरों को अपने आप को नई जानकारी तथा उपकरणों से लैस करना होगा। टेक्नीशियनों और श्रमशक्ति के कौशल और कुशलता स्तर को बढ़ाने के लिए एक जबर्दस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक है। मंत्रालय ने केबल उद्योग के क्षमता निर्माण के लिए तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए बीईसीआईएल की सेवाएं ली हैं, जिसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।

उपभोक्ताओं को शिक्षित बनाने तथा उन्हें यह महसूस कराने के लिए कि एड्रेसेबेलिटी के साथ डिजिटलीकरण पुरानी केबल सेवाओं की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है, सरकार/ट्राई/प्रासरकों/एमएसओ/केबल ऑपरेटरों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर टीवी/रेडियो चर्चा/समाचार–पत्रों में विशेष लेखों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए विज्ञापन के माध्यम से एक पुरजोर अभियान चलाने का प्रस्ताव है।

डीएएस के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में हितधारकों को शामिल करके मंत्रालय में एक कार्यबल गठित किया गया है कार्यबल की अबतक 4 बैठके हुई है जिनमें सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने, प्रशिक्षण देने के लिए रुप–रेखा तैयार करने तथा केबल टीवी उद्योग की क्षमता बढ़ाने और विनियामक संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। उम्मीद है कि कार्यबल मंत्रालय द्वारा तय की गई समय–सीमा में डीएएस को सफलतापूर्वक लागू कर लेगा।

मोबाइल टीवी सेवा आरम्भ करने के लिए नीति

सरकार फिलहाल मोबाइल टीवी सेवाओं के लिए एक समुचित विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करने में लगी है ताकि निजी सेवा प्रदाता यह सेवा उपलब्ध करा सकें। मोबाइल टीवी के संबंध में प्रस्तावित नीति दिनांक 23–01–2008 के 'मोबाइल टेलीविजन सेवा से संबंधित मुद्दे' विषय पर ट्राई की की 23–01–2008 की सिफारिशों पर आधारित होगी। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ, उपयोग की जाने वाली प्रोद्योगिकी की पकृति, लाइसेंस का क्षेत्र, स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंस की अवधि, क्रॉस–होल्डिंग प्रतिबंध, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा, विषय–वस्तु विनियमन तंत्र आदि शामिल हैं। ट्राई ने यह भी

सिफारिश की है कि चुनी गई प्रौद्योगिकी डिजिटल हो और मोबाइल टीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में निष्पक्ष नित का अनुकरण किया जाए। ट्राई ने यह भी सिफारिश की थी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चाहिए कि वह उपग्रह आधारित मोबाइल टेलीविजन सेवाओं के लिए उपग्रह क्षमता तथा फ्रीक्वेंसी की उपलब्धता के बारे में अंतरिक्ष विभाग तथा दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय करे। उसका प्रस्ताव था कि उपग्रह क्षमता उपलब्ध होने पर जब भी सरकार इस सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने का इरादा बनाए तो मामला फिर से ट्राई को भेजा जाए ताकि वह इस बावत अपनी सिफारिशें दे सके। ट्राई की यह भी सिफारिश थी कि स्थलीय प्रसारण के लिए लाइसेंस फिलहाल कुछ समय के लिए जारी रखे जाएं और दूरदर्शन के स्थलीय प्रसारण के बुनियादी ढांचे को निष्पक्ष आधार पर परस्पर सहमति से शेयर करने की अनुमति दी जाए।

इस मंत्रालय ने ट्राई की सिफारिशों पर विचार किया और हालांकि ट्राई की अधिकांश सिफारिशों से अपनी सहमति जताई, लेकिन कुछ मुद्दों को स्पष्टीकरण/राय जानने के लिए फिर से ट्राई को भेजा। इन सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझे मुद्दे थे, मोबाइल ऑपरेटरों के लिए ट्राई द्वारा अनुशंसित 585–806 मेगाहर्टज के अन्दर स्पैक्ट्रम की पहचान करना, लाइसेंसों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा क्षेत्र निर्धारित करना/प्रत्येक सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करना और सेवा शुरू करने की बाध्यता तय करना। बैंड वी में पर्याप्त स्पैक्ट्रम न होने की वजह से कुछ समय से मोबाइल टीवी संबंधी नीति अधर लटकी पड़ी है। ट्राई ने मोबाइल टीवी सेवाओं संबंधी अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया था कि मोबाइल टीवी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की पहचान बैंड वी (585–806 मेगाहर्टज) में की जाए। मंत्रालय ने मोबाइल टीवी के लिए स्पेक्ट्रम संबंधी जरूरतों का पता लगाने के लिए दूरदर्शन के इंजीनियर–इन–चीफ की अध्यक्षता में डब्ल्यूपीसी, दूरसंचार विभाग तथा बेसिल के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया था। लेकिन इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी है। 'ट्राई ने स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा लाइसेंसीकरण फ्रेमवर्क' के बारे में अपनी सिफारिशों में प्रसारण सेवाओं के स्थलनीय नेटवर्क को डिजिटल बनाने के लिए अनन्य रूप से यूएचएफ बैंड वी में 585–698 मेगाहर्टज चिन्हित किया था, इसकी वजह से मोबाइल टीवी के लिए स्पेक्ट्रम की पहचान करना और भी जटिल हो गया था, क्योंकि डीडी को स्थलीय नेटवर्क को डिजिटल बनाने के लिए कम से कम आठ चैनल बैंड वी (582–646 मेगाहर्टज) में चाहिए। डीडी की जरूरतों को अलग रखते हुए, 585–698 मेगाहर्टज में केवल 52 मेगाहर्टज बचेगा और रक्षा सेनाओं, सार्वजनिक उद्यमों तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए 52 मेगाहर्टज में पहले से ही आवंटन किया जा चुका है। मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से मामला उठाया है। वर्तमान में, वायरलेस सलाहकार, डब्ल्यूपीसी की अध्यक्षता में गठित एक समिति स्पेक्ट्रम के मुद्दों का समाधान तलाश रही है।

अनुबंध–I

केबल ऑपरेटरों द्वारा प्राइम तथा नॉन–प्राइम बैंडों पर अनिवार्य रूप से प्रसारित किए जाने वाले चैनलों की सूची

1. केन्द्र सरकार ने दिनांक 06–11–2007 के एस.ओ. 1881 (ई) के द्वारा लोकसभा टेलीविजन चैनल तथा डीडी राज्यसभा चैनल को 450 मेगाहर्टज में नॉन–प्राइम ब्रॉड पर अनिवार्य रूप से प्रसारित करने के लिए अधिसूचित किया है।
2. प्रसार भारती की 14–10–2003 की अधिसूचना के द्वारा डीडी–1 (नेशनल चैनल) और डीडी (न्यूज चैनल) को प्राइम बैंड में अधिसूचित किया गया है।
3. प्रसार भारती की 25–01–2005 की अधिसूचना के द्वारा डीडी स्पोर्टस चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल को प्राइम बैंड में अधिसूचित किया गया है।
4. प्रसार भारती की मई, 2007 की अधिसूचना के द्वारा डीडी उर्दू चैनल को प्राइम बैंड में अधिसूचित किया गया है।
5. डीडी भारती को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में को अनिवार्य प्रसारण के लिए अधिसूचित किया गया है। यदि राज्यों का अपना क्षेत्रीय चैनल नहीं है तो वह इसे प्राइम बैंड पर प्रसारित करेगा और यदि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के पास अपना क्षेत्रीय चैनल है तो वह इसे नॉन–प्राइम बैंड पर प्रसारित करेगा। (विवरण अगले पृष्ठ पर तालिका में दिया गया है)
6. प्राइम बैंड पर अनिवार्य प्रसारण के लिए अधिसूचित दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल निम्नलिखित तालिका के कॉलम तीन में दर्शाए गए हैं।

सरकार ने क्षेत्रीय चैनलों को छोड़कर उपरोक्त सभी चैनलों का

केबल आपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रसारित किए जाने वाले प्राइम /नॉन प्राइम बैंड चैनल

क्र.सं.	राज्य	प्राइम बैंड (अधिसूचित क्षेत्रीय चैनल)	नॉन–प्राइम बैंड
1	आंध्र प्रदेश	डीडी सप्तगिरी	डीडी भारती
2	अरुणाचल प्रदेश	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
3	असम	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
4	बिहार	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	
5	छत्तीसगढ़	डीडी भारती	
6	गोवा	डीडी भारती	
7	गुजरात	डीडी गुजरात	डीडी भारती
8	हरियाणा	डीडी भारती	
9	हिमाचल प्रदेश	डीडी भारती	
10	जम्मू–कश्मीर	डीडी कशीर	डीडी भारती
11	झारखंड	डीडी भारती	
12	कर्नाटक	डीडी चंदना	डीडी भारती
13	केरल	डीडी मलयालम	डीडी भारती
14	मध्य प्रदेश	डीडी भारती	
15	महाराष्ट्र	डीडी सह्याद्रि	डीडी भारती
16	मणिपुर	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
17	मेघालय	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
18	मिजोरम	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
19	नगालैंड	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
20	पंजाब	डीडी उड़िया	डीडी भारती
21	पंजाब	डीडी पंजाबी	डीडी भारती
22	राजस्थान	डीडी भारती	
23	सिक्किम	डीडी–नार्थ–ईस्ट	डीडी भारती
24	तमिलनाडु	डीडी पोदिगाई	डीडी भारती
25	त्रिपुरा	डीडी–नार्थ–ईस्ट	डीडी भारती
26	उत्तर प्रदेश	डीडी भारती	
27	उत्तराखंड	डीडी भारती	
28	पश्चिम बंगाल	डीडी बंगला	डीडी भारती
	संघ राज्यक्षेत्र		
1	अंडमान तथा निकोबार समूह	डीडी भारती	
2	चंडीगढ़	डीडी पंजाबी	डीडी भारती
3	दादरा तथा नगर हवेली	डीडी गुजराती	डीडी भारती
4	दमण तथा दियु	डीडी गुजराती	डीडी भारती
5	लक्षद्वीप	डीडी मलयालम	डीडी भारती
6	के.रा.क्षे. दिल्ली	डीडी भारती	
7	पुडुचेरी	डीडी पोडिगाई	डीडी भारती

डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रसारण अनिवार्य बनाने के लिए भी दिनांक 10–09–2007 के आदेश संख्या 8/12/2006–बीपी एंड एल के द्वारा डीटीएच लाइसेंस एग्रीमेंट की अनुसूची के उपखंड 7.8 को संशोधित किया है।

अनुबंध–II

क्रिकेट के अलावा खेल–कूद संबंधी अन्य प्रतिस्पर्धाओं के सिग्नल प्रसार भारती के साथ शेयर करना अनिवार्य बनाया गया है। दिनांक 08 फरवरी, 2008 की एस.ओ. संख्या 281 (ई) के द्वारा अधिसूचित खेल आयोजनों की सूची इस प्रकार हैः–

1. ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक
2. राष्ट्रमंडल खेल
3. एशियाई खेल
4. विशेष ओलम्पिक
5. पैरालिम्पिक्स
6. निम्नलिखित खेलों से संबंधित आयोजनः–

क. टेनिस

(1) डेविस कप–सभी मैच, जिनमें भारत खेलेगा

(2) ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट–पुरुष एकल का फाइनल, महिला एकल का फाइनल तथा क्वार्टर फाइनल के बाद के सभी मैच, जिनमें भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे।

(3) ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट–क्वार्टर फाइनल के बाद के पुरुषों के डबल, महिलाओं के डबल अथवा मिक्स्ड डबल के सभी मैच, जिनमें भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे।

ख. हॉकी

(1) विश्व कप–सभी मैच, जिनमें भारत खेलेगा तथा सेमी–फाइलन और फाइनल

(2) चैम्पियंस ट्रॉफी–सभी मैच, जिनमें भारत खेलेगा तथा फाइनल, और

(3) इंदिरा गांधी महिला स्वर्ण कप–सेमीफाइनल और फाइनल

ग. फुटबॉल

(1) विश्व कप–उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल और फाइनल

(2) एशिया कप–सभी मैच, जिनमें भारत खेलेगा तथा सेमीफाइलन और फाइनल

(3) संतोष ट्रॉफी–सेमीफाइनल और फाइनल

टीवी चैनलों की प्रसारण सामग्री का विनियमन

- टेलीविजन चैनलों की विषय सामग्री लम्बे समय से बहस का मुद्दा रही है। जहां इन विषय वस्तुओं से भारतीय मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने और उपग्रह चैनलों की व्यापकता से आसानी से प्रभावित हो जाने वाले बच्चों और महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है वहीं इन चिंताओं को अभिभाषण और सृजनात्मक अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ समायोजित करने के प्रति भी प्रश्न उठे हैं। भारत में टेलीविजन उद्योग में 13% वार्षिक की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, इसके चलते टेलीविजन चैनलों में दिन पर दिन प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। मंत्रालय पहले ही 800 निजी उपग्रह चैनलों को मंजूरी दे चुका है, इनमें से लगभग 399 चैनल समाचार और सम–सामयिक समाचार चैनलों की संख्या में भी अच्छी–खासी वृद्धि हुई है, क्योंकि हिन्दी और अंग्रेजी चैनलों के बीच मुकाबला सख्त होता जा रहा है और बाजार संतृप्त होते जा रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर इन चैनलों का प्रसारण केबल ऑपरेटरों के माध्यम से ही हो रहा है, जो आमतौर पर एनालॉग मोड में प्रसारण करते हैं और इनकी क्षमता सीमित है।
- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 नाम से हाल ही में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है। इससे केबल टेलीविजन नेटवर्क को पूरे देश में समयबद्ध चरणों में डिजिटल बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसकी शुरुआत महानगरों से की जाएगी। इन्हें 30 जून, 2012 तक केबल डिजिटल में तब्दील कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से एक परिशुद्ध और पारदर्शी ग्राहक शुल्क का जरिया बनेगा और प्रसारकों की विज्ञापनों से होने वाली आय पर निर्भरता कम होगी और टीआरपी हासिल करने की उनकी आतुरता में कमी आएगी। इसलिए उम्मीद है कि प्रसारक केवल टीआरपी को लक्ष्य बनाकर विषय–वस्तु तैयार नहीं करेंगे बल्कि भारत जैसे विविधता भरे देश के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए विषय–वस्तु तैयार करेंगे। आशा है कि इससे स्वस्थ्य विषय–वस्तु प्रसारण की सामग्री बनेगी और विषय–वस्तु का विनियमन कारगर सिद्ध होगा। लेकिन टेलीविजन चैनलों का बरसाती मेढ़कों को तरह पैदा होना और अपनी एक विशिष्ट

ईएमएमसी चैनलों की दिन–रात निगरानी और रिकार्डिंग करते हुए प्रसारण सामग्री नियमन प्रणाली को मजबूत बनाता है।

पहचान बनाना, विषय–वस्तु विनियमन के क्षेत्र में एक नई चुनौती बना रहेगा।

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत केबल प्रसारण के लिए कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता बनाई गई है और इसके जरिए प्रत्येक प्रसारक को आदेश दिया गया है कि इस संहिता का अनुपालन करें। उपग्रह टीवी चैनलों की विषय वस्तु को विनियमित करने के लिए, अपर सचिव (सू. और प्र.) की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। इस समिति में अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है समिति इस बारे में अपनी सिफारिशें देती है कि उपरोक्त अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ या नहीं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधि को शामिल करके 2011 में आईएमसी का पुनर्गठन किया गया है। ताकि उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। आईएमसी केवल सिफारिशें देने का कार्य करती है। आईएमसी की सिफारिशों के आधार पर दण्ड के बारे में फैसला लिया जाता है। मंत्रालय आमतौर पर चैनलों को या तो चेतावनी देता है या आगाह करता है कि वो अपने चैनलों पर उल्लंघन के लिए क्षमा–याचना स्क्रोल करें। कभी–कभी, नियमों के उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार चैनलों को अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर प्रसारण करने से रोक दिया जाता है ।

- सरकार ने 24 घंटे चैनलों को रिकार्ड करने और उन पर नजर रखने के लिए एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ईएमएमसी) भी स्थापित किया है। निगरानी केन्द्र की क्षमता 150 चैनल थी, वर्ष 2010–11 में इस क्षमता में विस्तार किया गया है और यह केन्द्र अब यादृच्छिक आधार पर एक साथ 300 चैनलों पर नजर रख सकता है। ईएमएमसी सुविधा से मंत्रालय को चैनलों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिकॉर्डिंग्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और वह अब स्वतः कार्रवाई कर सकता है। चैनलों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिकॉर्डिंग्स में छेड़छाड़ बनी रहती है। इस व्यवस्था से विनियामक प्रणाली मजबूत हुई है और उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने में कम समय लगने लगा है।

- मंत्रालय में विषय–वस्तु की प्रकृति से संबंधित जिन मुद्दों को निपटाया गया है उनमें मुख्यतः अश्लीलता, महिलाओं

और बच्चों को अपमानजनक तरीके से प्रदर्शित करना, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस प्रकार के सभी मामलों में मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अनुसार समुचित कार्रवाई की और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ परामर्श–चेतावनियां, क्षमा–याचना स्क्रोल चलाने के आदेश जारी किए गए। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश के अधिकांश हिस्सों में दुनिया की झलक दिखाने के लिए केवल टेलीविजन धारावाहिक ही माध्यम हैं और इनका सामाजिक मूल्यों, व्यवहार तथा प्रथाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

- मंत्रालय ने कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहित के उल्लंघन के लिए टेलीविजन चैनलों को 28 कारण बताओ नोटिस दिए हैं। इसके अलावा, विभिन्न उपग्रह चैनलों को सचेत करने वाले 13 परामर्श, 7 चेतावनियां और क्षमा–याचना स्क्रोल चलाने के 2 आदेश जारी किए हैं।

स्व–विनियामक तंत्र

- सरकार के लिए न तो यह संभव है और न ही वांछनीय है, कि वह विशेष सामग्री की विविधता और सीमा पर नजर रखे और इसे नियंत्रित करे। सरकार द्वारा किसी प्रकार के सीधे नियंत्रण को संविधान में निहित वक्तव्य और अभिव्यक्ति की आजादी के हनन के रूप में देखा जाता है।
- कई सरकारों ने समय–समय पर विषय सामग्री नियंत्रण को सरकार के नियंत्रण से हटाने के प्रयास किए। इसके लिए प्रसारण क्षेत्र से व्यापक रूप से निपटने के लिए स्वतंत्रत तथा स्वायत प्राधिकरण स्थापित किया गया। स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण संबंधी विधेयक 1997 में लाया गया था, लेकिन सरकार बदलने के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। वर्ष 2001 में फिर एक बार प्रयास किया गया और अभिसरण विधेयक 2001 लाया गया। यह भी बाद में व्यपगत (लैप्स) हो गया। वर्ष 2006 और 2007 में सरकार ने भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण नाम से एक निकाय स्थापित करने के लिए प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक संबंधी दो अलग–अलग मसौदे लाने के प्रयास किए। लेकिन मीडिया उद्योग ने इसका जबर्दस्त विरोध किया।

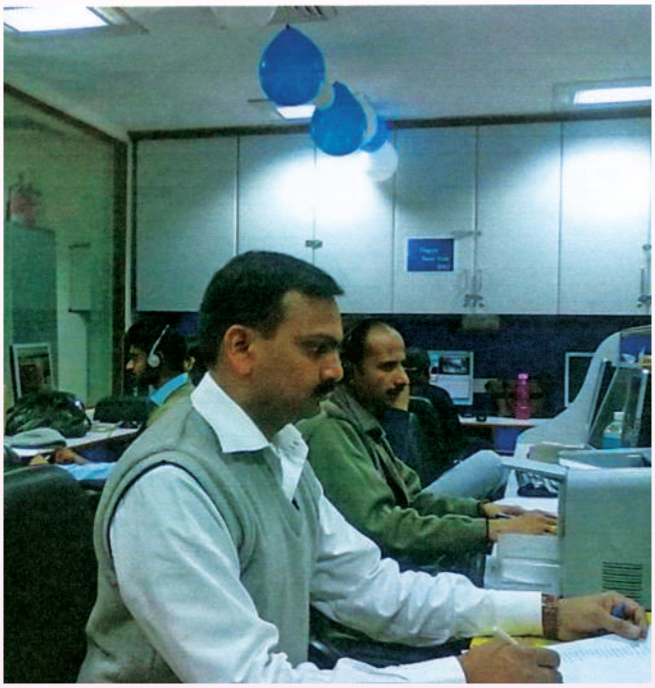

टेलीविजन चैनलों की निगरानी

- प्रसारक स्व–नियमन के प्रति ज्यादा इच्छुक हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि विषय–वस्तु तैयार करना प्रसारकों का कार्य है, साफ–सुथरी विषय–वस्तु के लिए स्व–नियमन कारगर हो सकता है। इसलिए निजी प्रसारकों ने समाचार तथा सम–सामायिक मुद्दो के चैनलों और गैर–समाचार चैनलों के लिए स्व–नियमन को एक संस्था का रूप दे दिया है।
- स्व–नियमन तंत्र के रूप में समाचार प्रसारक एसोसिएशन ने पेशागत मूल्यों और प्रसारण मानकों की एक आचार–संहिता बनाई है, जिसमें समाचार प्रसारण के स्व–नियमन हेतु कई सिद्धान्त शामिल किए गए हैं। एनबीए ने समाचार प्रसारण मानक विनियम भी तैयार किए हैं। उन्होंने विषय–वस्तु संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक दो–स्तरीय ढांचा तैयार किया है। पहले स्तर पर, प्रसारक अपने स्तर पर शिकायत का समाधान करते हैं। दूसरे स्तर पर एनबीए ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) इस कार्य के लिए बनाया है।

- समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण का उद्देश्य किसी भी प्रसारण की विषय–वस्तु के बारे में प्रसारकों से संबंधित अथवा उनके खिलाफ शिकायतों पर विचार करना और इन पर फैसला देना है। प्राधिकरण के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायधीश हैं और इसमें आठ अन्य सदस्य रखे गए हैं। प्राधिकरण में प्रसारकों द्वारा नियुक्त ख्याति प्राप्त 4 (चार) सम्पादकों, कानून शिक्षा, औषधि, विज्ञान, साहित्य, लोक प्रशासन, उपभोक्ता मामले, मनोविज्ञान और/अथवा संस्कृति के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 4 (चार) प्रबुद्ध व्यक्तियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा एनबीएसए के अध्यक्ष हैं।

गैर–समाचार (सामान्य मनोरंजन) चैनलों के मामले में स्व–विनियमन

- आम मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी चैनलों की बढ़ती संख्या और इन चैनलों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण को देखते हुए, इन चैनलों की विषय–वस्तु का नियंत्रण एक चुनौतीभरा कार्य है। इसलिए इस क्षेत्र में विषय–वस्तु का निर्माण में स्व–नियमन तंत्र की और भी ज्यादा आवश्यकता है। भारतीय प्रसारण फाउन्डेशन (आईबीएफ) इसके लिए भी स्व–नियामक तंत्र की स्थापना की है। आईबीएफ ने इसके लिए 'विषय–वस्तु संहिता तथा प्रमाणन नियमावली 2011' बनाई है। इसमें विषय–वस्तु से संबंधित सभी पहलुओं और टेलीविजन प्रसारण के मानदण्डों को शामिल किया गया है।

- इस तंत्र के एक भाग के रूप में, शिकायत निस्तारण के लिए एक दो–स्तरीय प्रणाली बनाई गई है। पहले स्तर पर प्रत्येक प्रसारक स्टैन्डर्ड एंड प्रैक्टिसेज (एसएण्डपी) नाम से एक विभाग बनाएगा, जिसमें एक विषय–वस्तु की जांच के लिए एक परीक्षक होगा, जो चैनलों पर प्रसारित विषय–वस्तु के बारे में प्राप्त शिकायतों से निपटेगा।

- दूसरे स्तर पर प्रसारण–विषय–वस्तु शिकायत परिषद की स्थापनी की गई है और इसने 1.07.2011 से कार्य शुरू कर दिया है। बीसीसीसी में 13 सदस्य हैं, इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवा–निवृत्त न्यायाधीश हैं और अन्य 12 सदस्य विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों से हैं।

- बीसीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.पी. शाह हैं। 12 सदस्य इस प्रकार हैं :–

  1. चार सुविख्यात हस्तियां
  2. राष्ट्रीय स्तर के किसी भी सांविधिक आयोग से चार सदस्य
  3. प्रसारण क्षेत्र से चार सदस्य

चार ख्याति प्राप्त हस्तियां

1. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. आनन्द कुमार
2. श्री वीर संघवी, जाने–माने पत्रकार
3. सुश्री शबाना आजमी, सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता
4. श्री भास्कर घोष, पूर्व सचिव (सू. और प्र.)

- राष्ट्रीय सांविधिक आयोग से 4 सदस्यों में से, तीन सदस्य इस प्रकार होंगेः–

  1. सुश्री यामीन अबरार, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
  2. डॉ. पी.एल. पूनिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष
  3. सुश्री दीपा दीक्षित, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सदस्य

- चौथा सदस्य परिषद का अध्यक्ष बनेगा या फिर बैठक विशेष में परिषद किस विषय पर विचार–विमर्श कर रही है, उसके अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, के प्रतिनिधि को क्रमिक रूप से परिषद का अध्यक्ष बनाया जाएगा।

- बीसीसीसी ने 1 जुलाई, 2011 से कार्य करना शुरु कर दिया है।

टीवी चैनलों पर विज्ञापनों का स्व–विनियमन

- टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के विनियमन के संबंध में

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद संबंध में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा अपनाई गई संहिता को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियमन, 1995 और इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में शामिल किया गया है। एएससीआई ने विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता–स्वयं–शिकायत परिषद (सीसीसी) की स्थापना की है।

- लेकिन, प्रसारकों द्वारा बनाया गया स्व–नियामक तंत्र, वर्तमान कानून, नामतः केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के द्वारा सरकार को प्रदत्त विनियामक दायित्वों का स्थान नहीं लेगा। हालांकि स्व–नियमन का उद्देश्य प्रसारक के स्तर पर विषय–वस्तु को बेहतर बनाना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार अपने सांविधिक दायित्वों का परित्याग कर देगी। जहां कहीं भी स्व–नियामक तंत्र विषय–वस्तु को विनियमित करने में असफल रहेगा, सरकार मौजूदा अधिनियम में की गई अपेक्षा के अनुसार दखल देगी।

सामुदायिक रेडियो

- सामुदायिक रेडियो बेजुबानों को आवाज देने का एक अनोखा माध्यम है। यह समुदायों को अपने जीवन से संबंधित मुद्दों के बारे में आवाज उठाने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय अपने लोगों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) चलाते हैं।

- भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए सामुदायिक रेडियो अनिवार्य है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों के बारे में सीआरएस के जरिए बडेत किफायती तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तथा सूचना का अधिकार जैसे विभिन्न अग्रणी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को उनके घर पर ही जागरूक बनाने के लिए सीआरएस एक कारगर साधन है। देश में सीआरएस अभियान पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, इससे आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए देश के कोने–कोने में पहुंचना सुनिश्चत हो जाएगा। सीआरएस से सूनामी, बाढ़, भूकम्प जैसी त्रासदियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी सहायता मिलती है।

- भारत में इससे पहले सामुदायिक रेडियो वर्ष 2002 में अनुमोदित नीतिगत दिशा–निर्देशों द्वारा दिशा–निर्देशित होते थे। इन दिशा–निर्देशों में वर्ष 2006 में आमूलचूल बदलाव हुआ। इस वर्ष सरकार ने सामुदायिक रेडियो के लिए नए दिशा–निर्देशों को अनुमोदित किया था। पहले के दिशा–निर्देशों में केवल शिक्षण संस्थानों को ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति थी। नए दिशा–निर्देशों से पात्रता संबंधित मानकों का दायरा व्यापक हो गया और समुदाय आधारित संगठनों तथा नागरिक संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्रो, पंजीकृत सोसायटियोंध्स्वायत निकायोंध सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्टों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दी गई।

- भारत के विशाल भू–भाग, अनेकों भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियों और विविध सामाजिक स्तरीकरण को देखते हुए यहां भारी संख्या में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

भारत में सीआरएस का स्तर

- नए दिशा–निर्देशों के अंतर्गत सरकार को शिक्षण संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों से 985 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक, 363 आवेदकों को आशय–पत्र (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2011 में, 100 एलओआई जारी किए गए थे जो किसी एक कलैन्डर वर्ष में सबसे ज्यादा हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान जारी किए गए एलओआई की संख्या ग्राफ में देखी जा सकती है।

- एलओआई धारकों की सूची में 155 गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), 166 शिक्षण संस्थान, 10 कृषि विश्वविद्यालय और 32 कृषि विज्ञान केन्द्र शामिल हैं। मंत्रालय ने 160

अनुमति समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

- देश में अभी तक 125 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हो चुके हैं, इनमें से 37 स्टेशन एनजीओ द्वारा, 78 शिक्षण संस्थानों द्वारा और 10 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशनल सीआरएस का ग्राफिक चित्रण पृष्ठ 110 पर दिया गया है।
- यह देखा जा सकता है कि पिछले 2 वर्षों में आशय–पत्रों की संख्या 186 से बढ़कर 363 और ऑपरेशनल सीआरएस की संख्या 65 से बढ़कर 125 हो गई है।
- देश में आपरेशनल सीआरएस की सबसे ज्यादा संख्या तमिलनाडु में है। शीर्ष के साथ राज्य के संबंध में ऑपरेशनल सीआरएस का विवरण ग्राफ में (पृष्ठ 110) में दिया गया है।

कार्यरत सामुदायिक रेडियों केन्द्रों की राज्यवार सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई है।

II भारत में सीआरएस अभियान को मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम

लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनानाः मंत्रालय मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने और संवादहीनता को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालयोंधविभागों के साथ मासिक समन्वय बैठकें आयोजित कर रहा है। स्क्रीनिंग समिति की बैठकें अभियान के तौर पर अपयोजित की गई और सभी लम्बित प्रस्ताव को निपटाया गया। आज की तारीख में कोई भी ऐसा प्रस्ताव शेष नहीं है, जो एक माह से अधिक समय से लम्बित हो। इन प्रयासों और उपायों से संबंधित मंत्रालयों के पास लम्बित पड़े मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके फलस्वरूप पात्र संगठनों को अनुमति/आशयपत्र जारी करने में लगने वाले समय में पिछले 12 माह के औसत की तुलना में 4–5 माह की कमी आई है।

सामुदायिक रेडियो प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस)रू मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए मंजूरी देने में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए एक ऑन–लाइन पोर्टल एमआईएस तैयार किया है। आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रबंधन सूचना प्रणाली में 2004 से प्राप्त लगभघ 950 आवेदनों की स्थिति को डाल दिया गया है। इसमें आवेदकों के लिए ट्रेकिंग सुविधा भी दी गई है, ताकि वे आवेदन की स्थिति के बारे में ऑन–लाइन जानकारी ले सकें। इससे आवेदनों के संसाधन में पारदर्शिता आई है।

सीआरएस को वित्तीय सहयोगः सामुदायिक रेडियो की उत्तरजीविता हमेशा एक समस्या रही है और इस काफी चर्चा तथा विचार–विमर्श की आवश्यकता है। मौजूदा नीति के अनुसार, सीआरएस को प्रति एक घंटा प्रसारण और केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक हित की सूचनाओं के प्रसारण में 5 (पांच) मिनट के विज्ञापन की अनुमति है।

मंत्रालय ने सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए सीआरएस को डीएवीपी के पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। चल रहे सीआर स्टेशनों को पैनल में शामिल करने के लिए दिशा निर्देश फरवरी, 2011 में जारी किए गए थे। ये दिशा–निर्देश डीएवीपी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभी तक लगभग 10 सीआरएस को पैनल में शामिल किया जा चुका है।

विज्ञापन की ₹ 1/– प्रति सैकेंड की मौजूदा दर को संशोधित करने और प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए दरों की सिफारिश करने के वास्ते एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

मंत्रालय स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न मंत्रालयों और यूनिसेप, यूनेस्को, विश्व बैंक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमलोगों तक पहुंचने के लिए सीआरएस की क्षमताओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित कर रहा है।

सीआरएस स्कीम का प्रचारः भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान की सफलता के लिए जागरूकता पैदा करना अत्यन्त महत्वपूर्ण

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एस. जगतरक्षकन नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियों सम्मेलन के उदघाटन के दौरान दीप प्रज्ज्वलित करते हुए। सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा भी चित्र में है।

है। अतः मंत्रालय 2007 से विभिन्न हितधारकों के साथ राज्य और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करके सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्कीम का व्यापक प्रचार कर रहा है।

i) पहला क्षेत्रीय विचार–विमर्श नवम्बर, 2007 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। 2008–09 के दौरान, कोलकाता, पुडुचेरी, बारामती, अहमदाबाद, गुवाहाटी, सोलन और रायपुर में 7 संगोष्ठियां आयोजित की गई। मंत्रालय ने 2008–09 में काम कर रहे सीआरएस के प्रबंधकों के लिए दो क्षमता निर्माण कार्यशालाएं भी आयोजित कीं।

ii) वर्ष 2009–10 में राज्य स्तर की 10 विचार–विमर्श गोष्ठियां, तिलोनिया (राजस्थान), शिलांग (मेघालय), फरीदाबाद (हरियाणा), चंदेरी (म.प्र.), तिरुचन्दूर (तमिलनाडु), वयनाड (केरल), बुधिकोट (कर्नाटक), पुणे (महाराष्ट्र), मुक्तेश्वर (उत्तराखंड) और कानपुर (उ.प्र.) में आयोजित कीं।

iii) वर्ष 2010–11 में, 4 जागरूकता कार्यशालाएं चंडीगढ़, हैदराबाद, कोणार्क और अगरतला में आयोजित की गईं। इसके अलावा, 4 क्षमता निर्माण कार्यशालाएं नागपट्टिनम, भुज, मुम्बई और दिल्ली में आयोजित की गईं।

iv) 13 से 15 दिसम्बर, 2011 तक दिल्ली में सीआरएस के संबंध में एक राष्ट्रीय विचार–विमर्श का आयोजन किया गया, जिसमें भारत में तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र की उपलब्धियों का जायजा लेने और इस अभियान को अगले पायदान पर ले जाने के तौर–तरीके तलाशने के लिए सामुदायिक प्रसारक गैर–सरकारी संगठन, मीडियाकर्मी और नीति–निर्माता जैसे प्रमुख हितधारक एक मंच पर इकट्ठा हुए।

v) ये गोष्ठियां और कार्यशालाएं दिशा–निर्देशों, आवेदन प्रक्रिया और सीआरएस की उत्तरजीविता जैसे संबंधित मुद्दों को हल करने में सफल रहीं।

vi) वर्ष 2011–12 के दौरान रांची, जम्मू, गंतोक और पोर्ट

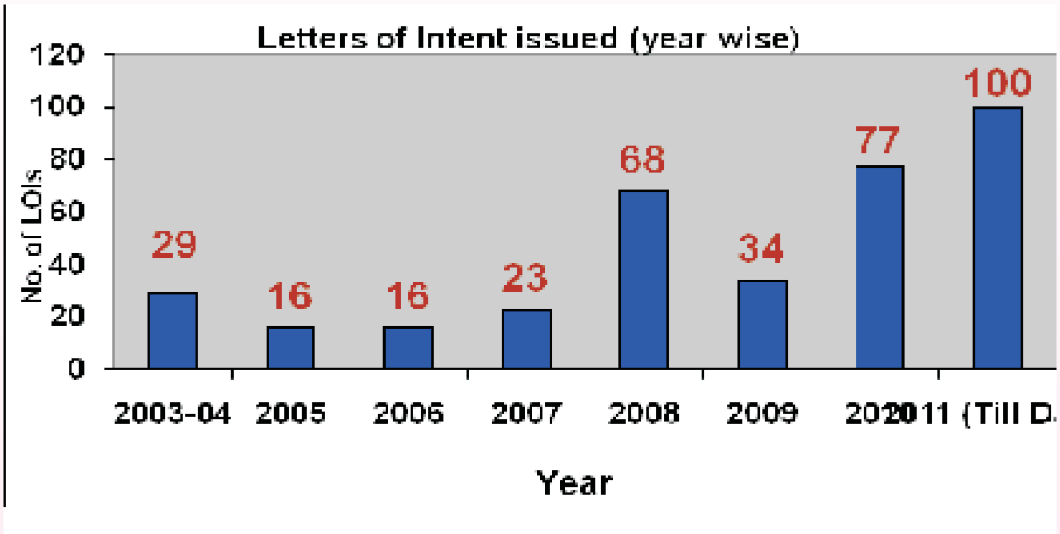
Letters of Intent issued (year wise)
No. of LOIs
Year
2003-04
2005
2006
2007
2008
2009
29
16
16
23
68
34
77
100
120
100
80
60
40
20
0

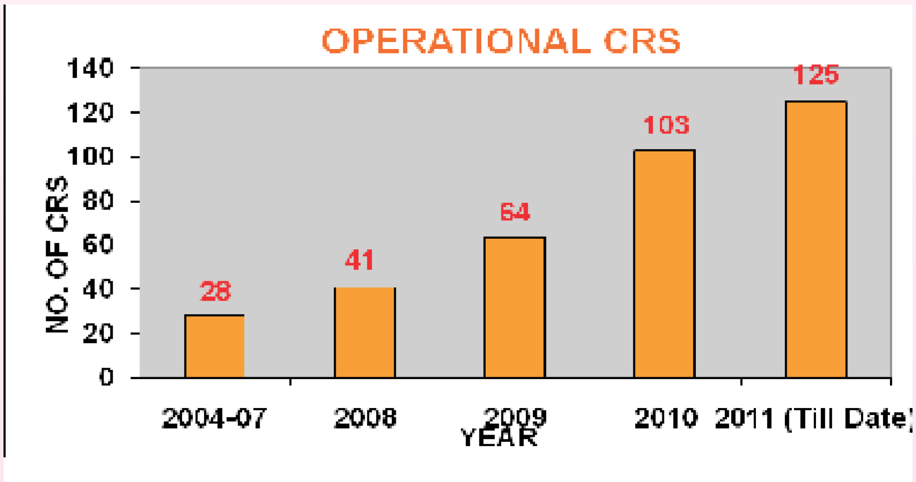
OPERATIONAL CRS
NO. OF CRS
YEAR
2004-07
2008
2009
2010
2011 (Till Date)
28
41
64
103
125
140
120
100
80
60
40
20
0

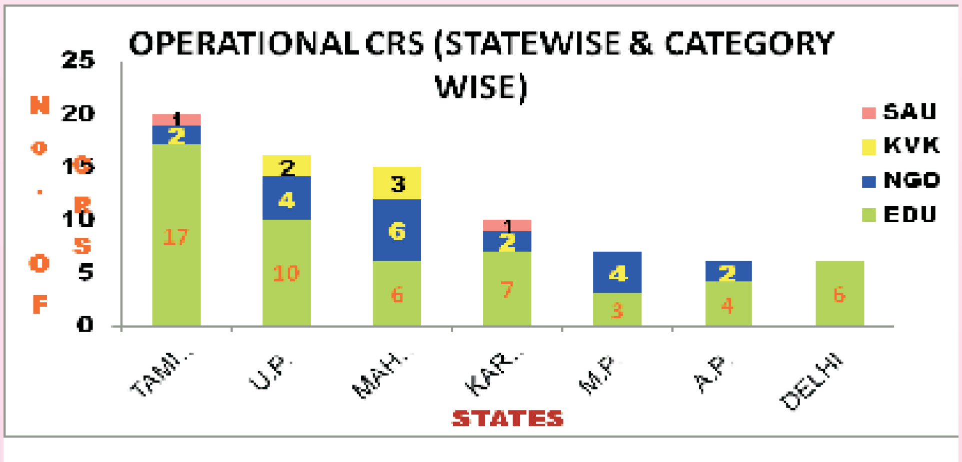
OPERATIONAL CRS (STATEWISE & CATEGORY WISE)
STATES
SAU
KVK
NGO
EDU
TAMI..
U.P.
MAH..
KAR..
M.P.
A.P.
DELHI
25
20
15
10
5
0

ब्लेयर में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है। दो कार्यशालाएं रांची और जम्मू में आयोजित हो चुकी हैं।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलनः इस समय प्रसारण कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 9 अप्रैल, 2011 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें सीआर स्टेशनों के प्रबंध ढांचे, वित्तीय व्यावहार्यता, स्थानीय समुदायों के साथ इनके सम्पर्क के संदर्भ में इन स्टेशनों के कार्यकरण का जायजा लेने तथा भारत में सीआर स्टेशनों की स्थापना तथा इन्हें चलाने से संबंधित दिक्कतों और मुद्दों को समझने के लिए 85 सीआर स्टेशनों ने भाग लिया। सबसे पहले सीआर सार–संग्रह तैयार कर लिया गया है। इसमें सफलता गाथाएं, मौजूदा चुनौतियां आदि शामिल की गई है। और इसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा जा चुका है। सार–संग्रह की सॉफ्ट कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक स्टेशनों को पुरस्कृत किया गया। चल रहे सीआर स्टेशनों के लिए दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 18 से 20 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है।

आशय पत्र धारकों के साथ बैठकः सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभी तक 363 आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिए हैं, उनमें से केवल 125 ने अपने स्टेशन चालू किए हैं। डब्ल्यूपीसी स्कंध ने इन आशय पत्र धारकों के लिए फ्रीक्वेंसी स्पॉट आरक्षित रखे हैं। लेकिन ये लोग न तो स्टेशन शुरू कर रहे हैं और न ही अनुमति पत्र लौटा रहे हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए फ्रीक्वेंसी स्पॉट अत्यंत सीमित हैं। इसके कारण नए आवेदकों खासकर दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई आदि के आवेदकों को फ्रीक्वेंसी स्पॉट नहीं दिए जा सके हैं। रुकावटों, संवाद–हीनता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में कम समझ के कारणों को जानने के लिए मंत्रालय ने इन आशय पत्र धारकों के साथ 2 नवम्बर, 2011 को एक बैठक आयोजित की थी और उन्हें फ्रीक्वेंसी आवंटन तथा एसएसीएफए मंजूरी के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी स्कंध से आवेदन करने के बार में समझाया था। इससे लगभग 100 और सीआर स्टेशन चालू हो जाएंगे तथा उन लोगों को छांटने में मदद मिलेगी, जो सीआर स्टेशन चालू करने के प्रति गंभीर नहीं हैं और सीआर स्टेशन चलाने के प्रति गंभीर तथा इच्छुक व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए आरक्षित स्पॉट मुक्त करने में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया से सू. और प्र. मंत्रालय तथा डब्ल्यूपीसी स्कंध को उन आशय पत्र धारकों से सम्पर्क करने में भी मदद मिलेगी जो अपने स्टेशन चालू करने जा रहे हैं।

विषय–वस्तु साझा करने के लिए प्लेटफॉर्मः एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित करने की जरूरत महसूस की गई है, जिसके जरिए विभिन्न सामुदायिक रेडियों प्रसारक विषय–वस्तु आपस में शेयर कर सकें। कई रेडियो स्टेशन विभिन्न विषयों

हैदराबाद में जागरूकता कार्यशाला

चण्डीगढ़ में जागरूकता कार्यशाला

पर अनेक भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इन्हें एक ही क्षेत्र में अलग–अलग स्टेशनों द्वारा प्रसारण के लिए कुशलता से शेयर किया जा सकता है। इससे निर्माण लागत में कमी आएगी और साथ ही सीआर स्टेशनों को एक–दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी। वन वर्ल्ड एशिया नामक एक गैर–सरकारी संगठन ने विषय–वस्तु की बिना लागत शेयरिंग के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। इच्छुक सीआर स्टेशन ईमानदारी से उपयोग करने के लिए विषय–वस्तु साइट पर अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। रचनात्मक हित में उपयोग के लिए यह वेबसाइट मंत्रालय को सौंपी जा रही है।

सीआर स्टेशनों के आवेदकों के लिए सुविधा केन्द्र की स्थापनाः सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। इसमें कॉमनवेल्थ एजुकेशन, मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए) का सहयोग लिया गया है। इससे नये आवेदकों और चल रहे सीआर स्टेशन दोनों को सुविधा मिलेगी। सुविधा केन्द्र का प्रशिक्षित स्टॉफ सीआर आवेदकों/आगंतुकों को डब्ल्यूपीसी स्कंध में दस्तावेजी आवश्यकताएं पूरी करने और फ्रीक्वेंसी आवंटन तथा एसएसीएफए मंजूरी के लिए ऑन–लाइन आवेदन–पत्र भरने में सहायता करेगा। इस प्रयोजन के लिए एक टॉल फ्री नम्बर भी दिया गया है। सीआर स्टेशन स्थापित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, देश में कहीं से भी इस टॉल फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है। सीआरएस अभियान को बढ़ावा देने में यह सुविधा केन्द्र काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

भावी लक्ष्य

i) **अन्य राज्यों में सामु. रेडियो स्टेशनः** इस समय सिक्किम, अरुणाचल, अंडमान और निकोबार, लक्ष्यद्वीप, दमण और दियु आदि जैसे राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों में सीआर स्टेशन नहीं है। इन राज्यों की विकास चिंताओं के मद्देनजर सीआर स्टेशन अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। सचिव, सूचना और प्रसारण ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनसे अपने राज्यों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्कीम को व्यापक रुप से प्रचारित करने का आग्रह किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले सीआर स्टेशन ने गुवाहाटी स्थित कृष्णकांत हांडिक मुक्त विश्वविद्यालय से 20–11–2010 से प्रसारण प्रारम्भ कर दिया है।

ii) **सामु. रेडियो स्टेशनों के बारे में जागरूकता को जिला स्तर तक पहुंचानाः** भारत के विशाल भू–भाग, अनेकों भाषाएं, विविध संस्कृतियों और विभिन्न सांस्कृ

तिक वर्गों को देखते हुए, यहां अनेकों सीआर स्टेशन स्थापित करने की अपार क्षमता है। आशय पत्र धारकों की संख्या क्रमिक रूप से बढ़ रही है। इसलिए, भविष्य में क्षमता निर्माण की और कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता है। 12वीं योजना में जागरूकता तथा क्षमता निर्माण कार्यशालाओं को जिला स्तर पर आयोजित करने का प्रस्ताव है।

iii) **पंचायतों में वितरण के लिए आईईसी सामग्री/किट का प्रचार/प्रकाशनः** समाज के लिए प्रासंगिक संदेशों को जन–जन तक पहुंचाने की सीआर स्टेशनों की क्षमता का दोहन करने के लिए आईईसी सामग्रीध्प्रचार सामग्री की प्रतियां भी देश के प्रत्येक जिला प्रशासन को भेजी जाएंगी।

iv) **सीआर को और अधिक वैधता–राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को राजी करनाः** राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को अपने अग्रणी कार्यक्रमों के लिए आम लोगों तक पहुंचने में सीआर स्टेशनों की उपयोगिता को पहचानने की जरूरत है। इस मीडिया के बारे में स्थानीय प्रशासनों को समझाने के लिए परस्पर–चर्चा/कार्यशालाएं, गोष्ठियां आयोजित करनी होंगी।

v) **विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के साथ बैठकें/क्षेत्र दौरेः** चूंकि सामुदायिक रेडियो आम लोगों को अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनकी क्षमता दूरगामी है। कई मंत्रालय, खासकर ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास आदि मंत्रालयों ने इस तथ्य को पहचाना है। इन मंत्रालयों को सीआर स्टेशन की अवधारणा और कार्यकरण से अवगत कराना होगा। इसलिए हमें इनको सीआर स्टेशनों की प्रभावशालिता दिखाने के लिए क्षेत्रीय दौरों पर ले जाना होगा। इससे सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को मदद मिलेगी, क्योंकि ये मंत्रालय लोकसेवा संदेशों के महत्व को प्रचारित करने के लिए इन स्टेशनों का एक कुशल साधन के रूप में उपयोग करेंगे। इसलिए इन मंत्रालयों तथा अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को क्षेत्र दौरों पर ले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

vi) **श्रोता संबंधी सर्वेक्षणः** हालांकि 100 से भी अधिक सीआर स्टेशन काम करने लगे हैं, लेकिन इन सीआर स्टेशनों के श्रोतागण पैटर्न के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन स्टेशनों की पहुंच का पता लगाने के लिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। इससे इन स्टेशनों के लिए डीएवीपी विज्ञापन व्यय का निर्धारण भी किया जा सकेगा।

vii) **सीआर ऑपरेटरों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण मॉड्यूल का डिजाइन तैयार करना और प्रशिक्षण देनाः** सीआर स्टेशन सामान्य तौर पर समुदायों द्वारा चलाये जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग या तो थोड़े बहुत शिक्षित होते हैं या फिर शिक्षित नहीं होते। आमतौर पर तकनीकी अथवा मीडिया अनुभव तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा, सीआर स्टेशनों के स्वैच्छिक कार्यकर्ता और स्टाफ बार–बार बदलता रहता है। इन स्टेशनों के पेशेवर तरीके से चलाने के लिए, सीआर स्टाफ को उपकरणों के रख–रखाव, विषय–वस्तु तैयार करने, विपणन कौशल आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना होगा। इसलिए सीआर ऑपरेटरों के वास्ते प्रशिक्षण मॉड्यूल डिजाइन करना होगा।

viii) **सीआरएस से पहले और बाद में प्रभाव का अध्ययन करानाः** हालांकि देश में, ज्यादा से ज्यादा सीआर स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके प्रभाव को आंकना भी इतना भी महत्वपूर्ण है। किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रभाव अध्ययन की अनुपस्थिति में, इन स्टेशनों की उपयोगिता और जिन श्रोताओं को ये सेवा दे रहे हैं, उन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना सम्भव नहीं होगा। इसलिए सीआरएस से पहले और बाद में प्रभाव का अध्ययन कराना जरूरी है।

सफलता गाथाएं

I. रेडियो मत्तोली, द्वारका, नल्लूरनाडु, पो. वयनाड–670645, केरल

सामुदायिक रेडियो मत्तोली (90.4 मेगाहर्टज) पहली जून 2009 को शुरू किया गया था। इसे वयनाड सोशल सर्विस सोसायटी का सहयोग प्राप्त है। मत्तोली की प्रबंध व्यवस्था समिति के हाथ में है। समिति में समाज के अलग–अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह प्रातः 6 बजे से रात्रि 10.00 तक प्रतिदिन 16 घंटे प्रसारण करता है और वयनाड जिले की लगभग 8.16 लाख आबादी को कवर करता है। किसी भी समय विशेषकर सुबह के समय लगभग 2.5 लाख लोग मत्तोली सीआर सुन रहे होते हैं।

2. मत्तोली वयनाड में रहने वाले विभिन्न समुदायों पर उनकी तात्कालिक प्रासंगिगता के अनुसार कार्यक्रमों के माध्यम से ध्यान केन्द्रित करता है। समुदाय के स्वैच्छिक

कार्यकर्ताओं को रेडियो कार्यक्रम तैयार करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। सीमांत समुदायों को विषय–वस्तु नियोजन, पटकथा तैयार करने, फॉर्मेट तय करने और कार्यक्रम प्रसारण में सहभागिता के माध्यम से अभिव्यक्ति का विधिवत अवसर दिया जाता है।

3. 'मत्तोली सोशल क्लब' स्कूली बच्चों के लिए उनके सरोकारों, उम्मीदों, अपेक्षाओ और प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 'जनवाणी' कार्यक्रम पीड़ितों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने में सहायता देता है और तत्संबंधी अधिकारियों को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करता है। स्टेशन प्रतिदिन प्रसारण वाले दिन के ऐतिहासिक महत्व का प्रसारण करता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवसों/सप्ताहों के बारे में विशेष कार्यक्रमों के श्रोताओं की संख्या बहुत अधिक है। 'लैटर बॉक्स' एक पाक्षिक धारावाहिक है, इसमें श्रोताओं से प्राप्त फीडबैक का प्रसारण किया जाता है। 'थुड़ि चेतम' स्थानीय बोली में तैयार किया गया एक दैनिक कार्यक्रम है और आदिवासी कार्यकर्ता स्वयं यह कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इस कार्यक्रम में आदिवासियों की सांस्कृतिक विविधता तथा समृद्ध तजुर्बो को प्रमुखता दी जाती है।

4. इस सेवा का निर्वहन नाबार्ड, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, भारतीय कॉफी बोर्ड, केरल राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्राप्त परियोजना कोष पर टिका है। वयनाड केरल का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है, यहां कोई उद्योग और बड़ा कारोबार नहीं है। इसलिए रेडियो मत्तोली को यहां से नाममात्र की ही वाणिज्यिक आय होती है।

5. रेडियो मत्तोली द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के प्रभाव का वर्णन नीचे दिया गया हैः

   (क) **जनजातीय पहचान बढ़ी हैः** मत्तोली ने जनजातीय बोलियों, संस्कृति और पहचान को और ज्यादा स्पष्टता, मानता तथा सम्मान दिलाया है। इसके फलस्वरूप राज्य के इतिहास में पहली बार 2010 के पंचायती राज चुनावों के दौरान वयनाड जिले में आदिवासी बोलियों में चुनाव प्रचार किया गया।

   (ख) **छोटे किसानों को रबड़ बोर्ड से सब्सिडी मिलीः** वयनाड जिले में 8 राजस्व गांवों को रबड़ पौधों को पुनर–रोपाई के लिए रबड़ बोर्ड की सब्सिडी से वंचित रखा गया था, इसका कारण संबंधित अधिकारी ही जानते होंगे। लेकिन जब 'जनवाणी' ने इस मामले को उठाया तो रबड़ बोर्ड ने तुरंत कदम उठाए और यह स्कीम वंचितों को भी मुहैया करा दी। स्टेशन को उस समय सुखद आश्चर्य हुआ, जब एक किसान, जिसे 25,000 रुपये का अनुदान मिला था, रेडियो स्टेशन का आभार व्यक्त करने मत्तोली आया।

   (ग) **रेशमा, रेडियो मत्तोली की एक जीवंत मिसालः** फसल न होने और कीमतें तेजी से गिरने के कारण कृषि क्षेत्र में अप्रत्याशित मंदी के चलते पिछले एक दशक से वयनाड जिले में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में कमी आने का नाम नहीं ले रही थी। मत्तोली रेडियो स्टेशन पर प्रसारित एक नाटक ने रेशमा नाम की एक युवती ने विपरीत हालातों के बावजूद एक नई आशा और प्रेरणा जगा दी। स्टेशन निदेशक को भेजे एक पत्र में उसने कहा 'जिस दिन मैं आत्महत्या करने जा रही थी, उसी दिन मत्तोली ने वह रेडियो नाटक प्रसारित किया, और आज मैं केवल मत्तोली की वजह से जीवित हूं।' एक साल बाद उसने लिखा कि अब वह सुखी विवाहित जीवन जी रही है और एक अध्यापक के रूप में कार्यरत है।

II. रेडियो मेवातः तेरी बात मेरी बात, स्मार्ट, नूह, हरियाणा

नूह, हरियाणा में रेडियो मेवात ने पहली सितम्बर, 2010 को काम करना शुरु किया। सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशन्स फॉर रीयल ट्रांसफॉर्मेशन (स्मार्ट) नामक गैर–सरकारी संगठन इस रेडियो स्टेशन को चला रहा है। यह दिन में 4 घंटे प्रसारण करता है और 25 किलोमीटर के दायरे में इसके 500,000 श्रोता हैं।

2. मेवात एक पिछड़ा क्षेत्र है, सभी सामाजिक संकेतकों पर इसका दर्जा बहुत नीचे है। यहां साक्षरता दर केवल 24 प्रतिशत है। केवल 5 प्रतिशत परिवारों के पास टेलीविजन सेट हैं। लोगों को यह समझाना कि सामुदायिक रेडियो क्या है, एक महती कार्य था। ऐसे समाज में जहां बुजुर्ग हर नये विचार को संदेह की नजर से देखते हैं और अपनी महिलाओं के प्रति जिनका रवैया अत्यंत सुरक्षात्मक हो, वहां रेडियो स्टेशन को लोकप्रिय बनाना अत्यंत दुष्कर

था। साथ ही इस क्षेत्र में कई दिनों तक बिजली नहीं आती है। इसके अलावा यह क्षेत्र दूर–दराज में अवस्थित होने के कारण, अनभवी लोगों की निरंतर उपलब्धता भी मुश्किल है।

लेकिन मेवात में मोबाइल की पहुंच सबसे ज्यादा है। यह सुविधा रेडियो मेवात के हक में रही है, क्योंकि आजकल इन फोनों पर एफएम रेडियो की सुविधा उपलब्ध है।

रेडियो मेवात स्थानीय समुदाय के साथ सम्पर्क करने में काफी सक्रिय रहा है। इसके फील्ड कार्यकर्ता खबर जुटाने और लोगों से सम्पर्क करने के लिए गांवों का नियमित रूप से दौरा करते हैं। लगभग 40 स्थानीय लोग इस रेडियो स्टेशन को लोकप्रिय बनाने के कार्य में तत्परता से जुटे हैं।

रेडियो मेवात के कार्यक्रम आवश्यकता–आधारित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ पेयजल, छोटा परिवार जैसे विषयों पर कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण के अलावा, रेडियो मेवात विकास से जुड़ी विभिन्न प्रशासनिक स्कीमों जैसे नरेगा, लघु वित्त पोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के बारे में जानकारी प्रसारित करता है।

गांव–गांव की बात नाम से एक विशेष कार्यक्रम हर गांव को अपनी समस्याएं, उपलब्धियां, अनोखी विरासत और अपने नायकों

रेडियों मत्तोली के प्रसारकों की किसानो से बातचीत

रेडियों मेवात के स्थानीय प्रस्तुतकरता

सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मेवात

रेडियों मत्तोली स्टूडियों में बच्चे

के बारे में चर्चा करने का अवसर देता है। रेडियो मेवात तुकबंदी, गीत, साक्षात्कार, एंकर और वृतांत सहित कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार सभी प्रारुपों का उपयोग करता है।

फोन कॉल, आयुक्त, जिला कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त फीडबैक और रेडियो तथा अवसरों के बारे में जानने के लिए दूर–दूर के गांवों से आने वाले लोग रेडियो स्टेशन के प्रभाव और पहुंच के गवाह हैं। दोपहर के प्रसारण के दौरान सबसे ज्यादा कॉल महिलाओं से प्राप्त होती हैं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, कार्यक्रमों में संशोधन किया जाता है। स्टेशन अब उन कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, जो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

मीरासियों की कला जो मृतप्राय हो चली थी, उसमें रेडियो मेवात ने नई जान फूंकी है। यह इसकी सबसे बड़ी सफलता है। मेवात मुस्लिम लोक गायकों, जिन्हें मीरासी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। ये लोक गायक महाभारत जैसे ग्रंथ का वृतांत भी सुना सकते हैं। ये मीरासी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बन सकते हैं। रेडियो मेवात इस समाप्त प्रायः कला को कुशलता से प्रोत्साहन दे रहा है और पूरे मेवात के मीरासियों को इसमें कई कार्यक्रमों में जगह दी है। दरअसल इन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ–सफाई आदि विषयों पर गीत तैयार किये हैं, जो निश्चय ही इस रेडियो की सफलता की ओर इशारा करता है।

III. ज्ञान तरंग, पूर्वोत्तर भारत का पहला रेडियो स्टेशन

'ज्ञान तरंग' पूर्वोत्तर भारत का पहला सामुदायिक रेडियो है। कृष्णकांत हांडिक मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी ने 20 नवम्बर, 2010 को यह स्टेशन शुरू किया था। हालांकि इस रेडियो स्टेशन को विश्वविद्यालय चला रहा है, लेकिन प्रतिभाओं को उजागर करने, विषय–वस्तु डिजाइन करने और श्रोताओं तक पहुंचने के लिए यह स्थानीय लोगों के साथ संवाद बनाए रखता है। ज्ञान तरंग प्रतिदिन 20 घंटे का प्रसारण करता है।

इसके स्टूडियो पर ₹ 60 लाख की लागत आई है। इस व्यय में स्टूडियो के लिए विभिन्न उपकरणों, प्रसारण उपकरणों, प्रशिक्षण (इन–हाउस और सामुदायिक दोनों), मानव संसाधन, निर्माण और आकस्मिक लागत आदि शामिल हैं। वर्तमान में, सीआरएस चलाने के लिए हर माह ₹ 40,000 खर्च किये जा रहे हैं। अनुमान है कि कुछ वर्षों तक यह खर्च जारी रहेगा। हालांकि विश्वविद्यालय इस खर्च को वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन व्यय स्तर को बनाए रखने के लिए विज्ञापन से आय होना आवश्यक है।

कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, पर्यावरण एवं जैव–विविधता, कैरियर काउंसलिंग, शासन प्रक्रिया, कृषि और उद्यमिता आदि जैसे मुद्दों के द्वारा सामुदायिक विकास पर आधारित है। 'ज्ञान तरंग' के कुल प्रसारण में से 70 प्रतिशत प्रसारण समुदाय आधारित कार्यक्रमों से संबंधित होते हैं। सामुदायिक कार्यक्रमों के बीच–बीच में ज्यादातर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। अलग–अलग अवधि के लगभग 500 कार्यक्रम रिकार्ड कर लिए गए हैं और गीतों तथा फीचर कार्यक्रमों की 1000 सीडी, प्रसारण अधिकार के साथ संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त कर ली गई हैं।

ज्ञान, संस्कृति और विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर रेडियो स्टेशन यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह सही मायनों में एक ऐसा सामुदायिक रेडियो है, जो अपने लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के ज्ञान के अभिलेख तथा दस्तावेज तैयार करके विश्वविद्यालय के छात्रों के शिक्षण के लिए अकादमिक कोष भी तैयार किया जा सकता है।

आशय पत्र धारकों की राज्यवार सूची, जीओपीए धारकों की राज्यवार सूची और ऑपरेशनल सीआरएस की राज्यवार सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

भारत में एफएम रेडियो प्रसारण की स्थिति

21वीं सदी के पहले दशक में निजी एफएम रेडियो ने दिन दुगनी–रात चौगुनी प्रगति की है। विशेषकर मोबाइल कनेक्टिविटी के जरिये संचार प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद देश में इसके श्रोताओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। सभी आयुवर्ग के लोग खासकर देश के युवा एफएम रेडियो सुनते हैं। एफएम रेडियो ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में अच्छी पैठ बना ली है और इससे भारत के लोगों में सामाजिक तथा सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत बनाने में सहयोग मिला है।

फिक्की–केपीएमजी 2010 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मीडिया और मनोरंजन (एम एण्ड ई) उद्योग ने 2010 में 2009 के मुकाबले 11% की वृद्धि दर्ज की थी और इसका कारोबार ₹ 652 अरब तक पहुंच गया था। इस उद्योग में सकारात्मक उत्साह और इसकी बढ़ती मांग के चलते अनुमान है कि 2011 में मीडिया और मनोरंजन उद्योग 13% की वृद्धि दर प्राप्त कर लेगा और 2015 तक इसका आकार ₹ 1275 अरब का होने का अनुमान है।

सरकार ने 1999 में प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण के लिए पहले चरण के नीति दिशा–निर्देश जारी किए। इस नीति के पहले चरण के दिशा–निर्देशों के तहत एफएम रेडियो प्रसारण के लिए कुल 12 शहरों में कुल 21 निजी एफएम रेडियो चैनल चालू किए गए। एफएम चरण–I को सीमित सफलता मिली क्योंकि संभावित लाइसेंसों के सिर्फ 25: ही चालू हो सके।

चरण–I की खामियों को दूर करने के लिए डॉ. अमित मित्रा समिति और ट्राई की सिफारिशों की आधार पर मंत्रालय ने लाइसेंस देने के लिए एफएम चरण–II के वास्ते दोस्तरीय बंद निविदा बोली प्रक्रिया अपनाई। एफएम चरण–II नीति बहुत सफल रही और चैनलों की संख्या 245 (उन स्टेशनों सहित जो चरण–II से आये) तक पहुंच गई, ये देश के 85 शहरों में फैले थे।

आइजॉल में एफएम चैनल

एफएम नीति के चरण–II में आइजॉल (मिजोरम) में एक एफएम चैनल की स्वीकृति दी गई थी तथापि आइजॉल में साझा ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचा (सीटीआई) स्थापित करने की तलाश में यह चैनल अभी तक चालू नहीं हुआ है। आइजॉल विकास प्राधिकरण ने आइजॉल स्थित आकाशवाणी स्टेशन के परिसर में सीटीआई के निर्माण की अंतिम अनुमति दे दी है) बेसिल ने आइजॉल में सीटीआई बिल्डिंग के निर्माण के लिए टेंडर मंगा लिए हैं और अब इनकी जांच चल रही है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, इस दुरुह भू–भाग में सीटीआई बिल्डिंग बनने में 6 माह का समय लगेगा।

सरकार को प्राप्त राजस्व

वर्तमान वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान सरकार ने निजी एफएम रेडियो ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क के रूप में 9 दिसम्बर, 2011 तक ₹ 62.13 करोड़ कमाए। चरण–I तथा चरण–II की नीतियों के फलस्वरूप एक मुश्त शुल्क, पलायन शुल्क, वार्षिक शुल्क इत्यादि के रूप में फरवरी 2012 तक करीब ₹ 1,783 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। सरकार को अब तक हासिल हुए राजस्व का ब्यौरा पृष्ठ 124 पर दिया गया है।

सरकार द्वारा उपलब्ध ढांचागत सुविधाएं

सरकार ने ऐसे स्थानों पर ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के जरिए टॉवर्स खड़े करने से निजी

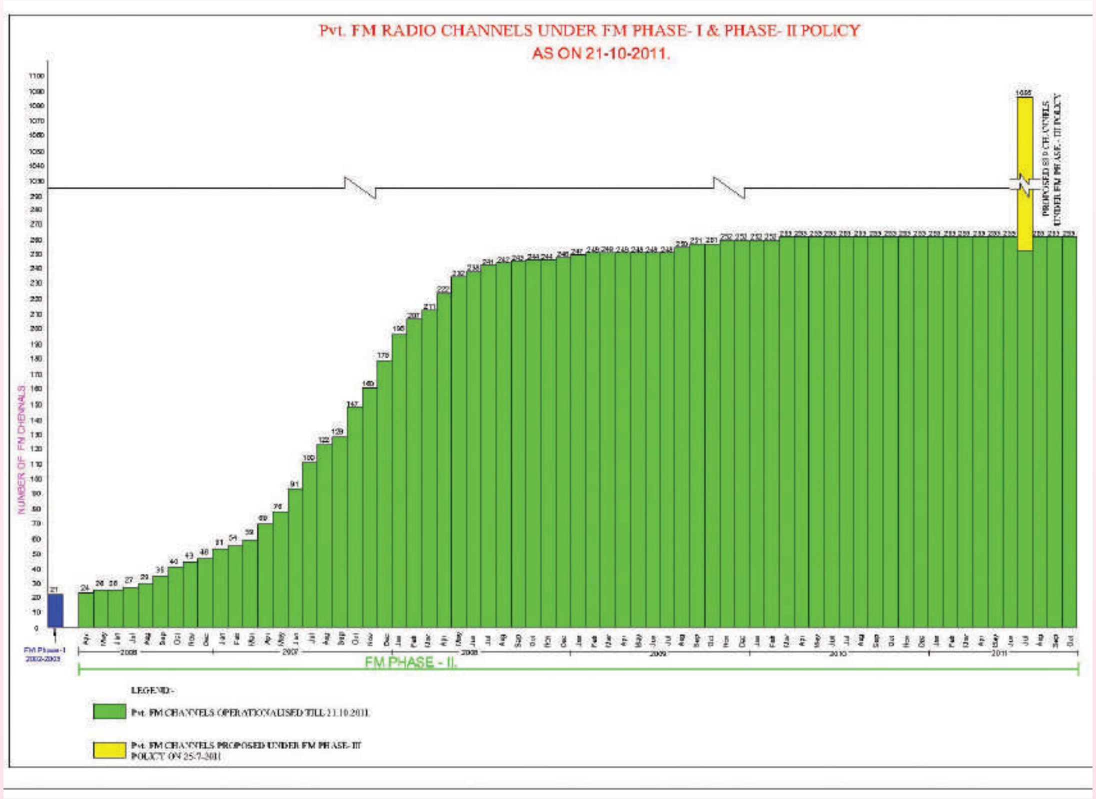
Pvt. FM RADIO CHANNELS UNDER FM PHASE- I & PHASE- II POLICY
AS ON 21-10-2011.
NUMBER OF FM CHANNELS
FM Phase - I
2002-2003
FM PHASE - II.
LEGEND:-
Pvt. FM CHANNELS OPERATIONALISED TILL 21.10.2011
Pvt. FM CHANNELS PROPOSED UNDER FM PHASE-III POLICY ON 25-7-2011

एफएम रेडियो प्रसारकों के लिए वहां साझा ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचा (सीटीआई) के रूप में सह–लोकेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे पांच टॉवर दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई और देहरादून में पहले ही तैयार किये जा चुके हैं।

संगीत की रॉयल्टी का मुद्दा

रॉयल्टी शुल्क निजी एफएम रेडियो उद्योग की वहनीयता को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। यह मुद्दा लिप्याधिकार बोर्ड के पास लम्बित है, जिसमें दिनांग 25–8–2010 के अपने आदेश के जरिए व्यवस्था दी थी कि निजी एफएम रेडियो ऑपरेटर अपने शुद्ध विज्ञापन राजस्व के 2% की दर से रॉयल्टी देंगे। इससे निजी रेडियो उद्योग को काफी राहत मिली है और इस उद्योग के आगे विस्तार का अनुकूल माहौल बना है, लेकिन कॉपीराइट बोर्ड के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।

एफएम रेडियो के जरिए सरकारी विज्ञापन दर

विभिन्न शहरों में विगत वर्षों में एफएम रेडियो चैनलों के विस्तार के साथ निजी एफएम स्टेशनों में सरकारी विज्ञापन की अलग–अलग यूनिट दरें समय–समय पर निर्धारित की गई थीं। इससे दर–संरचना में कुछ विसंगतियां आ गई और इसे युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई तदनुसार निजी एफएम स्टेशन द्वारा कवर किये गए सभी शहरों के लिए दर नियत करने के वास्ते तथा असंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से एक समान नीति तैयार करने के लिए मंत्रालय के तहत एक समिति गठित की गई है, जिसमें डीएवीपी, एमएफडीसी, आईआईएमसी और आकाशवाणी के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति ने विचार–विमर्श पूरा कर लिया है तथा सरकार के विचार के लिए अपने रिपोर्ट पेश कर दी है।

विस्तार योजना

निजी भागीदारी के लिए एफएम रेडियो क्षेत्र को खोलने के फलस्वरूप देश में एफएम रोडियो उद्योग का अत्याधिक विकास हुआ है। इससे रोजगार सृजन के नये क्षेत्र खुले हैं तथा इसमें एफएम रेडियो सेवाओं के लिए चिन्हित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम का प्रभावी उपयोग करके सरकार के लिए राजस्व सृजित करने की क्षमता बनी है। अनेक शहरों में एफएम रेडियो के लिए असीम मांग मौजूद है, जो निजी एफएम रेडियो प्रसारण से पूरी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि राज्य की राजधानियों के अलावा 3 लाख और इससे अधिक आबादी वाले शहरों की सीमित संख्या को एफएम रेडियो प्रसारण के पहले 2 चरणों के दौरान बोली के लिए शामिल किया गया था। सीमा के आसपास के क्षेत्रों, खासतौर पर जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपीय भू–स्थल एमएम मानचित्र से ज्यादातर गायब हैं। निजी एफएम रेडियो प्रसारण की इस्तेमाल न की जा रही क्षमताओं को महसूस करते हुए इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एफएम नीति दिशा–निर्देश का तीसरा चरण शुरू करके निजी एफएम रेडियो का विस्तार करने पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने तीसरे चरण में एजेंसियों के जरिये एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार के लिए नीति दिशा–निर्देशों को मसौदा तैयार किया, जिनमें ट्राई, रक्षामंत्रालय और गृहमंत्रालय की सिफारिशें शामिल की गई थीं। इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है।

मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2011 को आयोजित अपनी बैठक में निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण–III) के संबन्ध में 'नीति निर्देशों' को अनुमोदित कर दिया है। नीति निर्देशों को 26 जुलाई 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है। नीति के तहत, जैसा कि एफएम चरण–III के लिए लाइसेंसिंग पद्धति के बारे में मंत्रियों के दल ने सिफारिश की है, जरूरी परिवर्तनों के साथ 3जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम की नीलामी के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अपनाये गए तरीके के अनुसार, वृद्धिगत ई–नीलामी के माध्यम से एफएम रेडियो चैनलों की अनुमति दी जाएगी।

2. वर्तमान में 86 शहरों के अलावा, एफएम चरण–III नीति के द्वारा एफएम रेडियो सेवाओं का लगभग 227 शहरों में विस्तार किया गया जायेगा। इसके साथ 294 शहरों में नए एफएम चैनलों की कुल संख्या 839 हो जाएगी। चरण–III नीति से 1 लाख और इससे अधिक आवादी वाले सभी शहरों में निजी एफएम रेडियो चैनल उपलब्ध हो जाएंगे।

3. चरण–II की तुलना में चरण–III के लिए अनुमोदित नीति

की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैः–

i) रेडियो ऑपरेटरों को आकाशवाणी के समाचार–बुलेटिन कैरी करने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे इनमें कोई फेर–बदल नहीं करेंगे।

ii) खेल–कूद आयोजनों, ट्रैफिक और मौसम, सांस्कृतिक समारोहों की कवरेज, त्यौहार, परीक्षाओं, परिणामों, दाखिलों, कैरियर काउंसिलिंग, रोजगार अवसरों की उपलब्धता से संबंधित विषयों के कवरेज, बिजली, जलापूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य चेतावनियों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं के बारे में स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सार्वजनिक सूचना जैसी कुछ श्रेणियों से संबंधित गैर–समाचार तथा सम–सामयिक विषय प्रसारण के रूप में माना जाएगा और इसकी अनुमति होगी।

iii) निजी ऑपरेटरों को एक से अधिक स्वामित्व की अनुमति होगी, लेकिन ये एक शहर में कुल चैनलों की संख्या के 40% से अधिक नहीं होंगे, बशर्ते कि उस शहर में कम से कम तीन अलग–अलग ऑपरेटर हों।

iv) लाइसेंस शुल्क जीआर के 4% के तौर पर यह बोली मूल्य का 2.5% के तौर पर, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया जाएगा।

v) निजी एफएम प्रसारक कम्पनी में एफडीआई/एफआईआई की सीमा को 20% से बढ़ा कर 26% कर दिया गया है।

vi) पूरे देश में एफएम प्रसारक के अपने नेटवर्क में चैनलों की नेटवर्किंग की अनुमति होगी, जबकि फिलहाल किसी भी क्षेत्र के केवल 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के शहरों में नेटवर्किंग की अनुमति है।

vii) निजी एफएम प्रसारकों को एजेंसी चुनने का विकल्प देने का प्रस्ताव है, आशय पत्र जारी होने के बाद तीन के अन्दर सीटीआई बिल्डिंग का निर्माण कराने के लिए वे बेसिल के अलावा किसी अन्य एजेंसी को चुन सकेंगे। ऐसा न कर पाने पर बेसिल स्वतः ही सिस्टम इन्टीग्रेटर बन जाएगा और को–लोकेशन सुविधा तथा सीटीआई स्थापित करेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर और द्वीपीय स्थलों को विशेष प्रोत्साहन

पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू–कश्मीर तथा द्वीपीय स्थलों में निजी एफएम रेडियो प्रसारक जिस तारीख से वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय हो जाना है और 15 (पंद्रह) वर्ष की अनुमति शुरू होती है, उस तारीख से शुरूआती तीन वर्ष की अवधि के लिए मौजूदा वार्षिक लाइसेंस शुल्क की आधी दर से भुगतान करेंगे।

इन राज्यों के ऑपरेटरों के लिए संशोधित शुल्क ढांचे को भी, दिशा–निर्देश जारी होने की तारीख से लागू कर दिया गया है, ताकि वे नए ऑपरेटरों के साथ कारगर ढंग से मुकाबला कर सकें।

शुल्क रियायत के अलावा यह भी प्रस्ताव है कि इन क्षेत्रों की सामान्य श्रेणी के लिए प्रसार भारती का बुनियादी ढांचा पट्टे–किराये की आधी दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर इसी निकाय को आवंटित चैनलों के स्वामित्व की सीमा 15% बनाई गई है, लेकिन जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपीय भू–स्थलों में आवंटित चैनलों को 15% की राष्ट्रीय सीमा से ऊपर भी स्वामित्व की अनुमति दी जाएगी ताकि इन क्षेत्रों में चैनलों के लिए बोली लगाने को प्रोत्साहित किया जा सके।

एफएम चरण–II के ऑपरेटरों को भी नीति के प्रावधान उपलब्ध होंगे।

नीति में जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपीय भू–भागों को उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से इन क्षेत्रों में एफएम रेडियो का संचालन वहनीय हो जाएगा और उम्मीद है कि चैनलों की मांग बढ़ेगी। नीति में उठाये गए कदमों से संचालन लागत में कमी आएगी और आम तौर पर व्यवहार्यता में सुधार होगा। एफएम चरण–II में 'घ' श्रेणी के शहरों में अधिकतम चार चैनलों की अनुमति दी गई थी। जबकि व्यवहार्यता में बेहतर बनाने के लिए चरण–III में 'घ' श्रेणी के शहरों में केवल तीन एफएम चैनलों का प्रस्ताव किया गया है, ताकि विज्ञापन आय में हिस्सा बटाने वाले ऑपरेटर कम हों। प्रमोटरों/अधिकांश शेयर धारकों की शेयर होल्डिंग की लॉकिंग अवधि मौजूदा 5 वर्ष से घटा कर 3 वर्ष कर दी गई है, इससे शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव की और अधिक आजादी मिलेगी।

आकाशवाणी द्वारा उपलब्ध कराई गई समाचार सामग्री के कारण, विशेष रूप से अनुमत्य श्रेणियों के कारण और 'घ' श्रेणियों के शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में चैनलों के बहु–स्वामित्व के कारण विशेष वर्ग के श्रोताओं को सेवाएं देने के लिए ऑपरेटर विषय वस्तु में विधिधता लागत अपनी अलग पहचान बना सकेंगे। इससे श्रोताओं की कुल संख्या और कार्यक्रम सुनने की अवधि में विस्तार होगा।

चरण 1,2 और 3 में कार्यरत और प्रस्तावित निजी एफएम स्टेशन

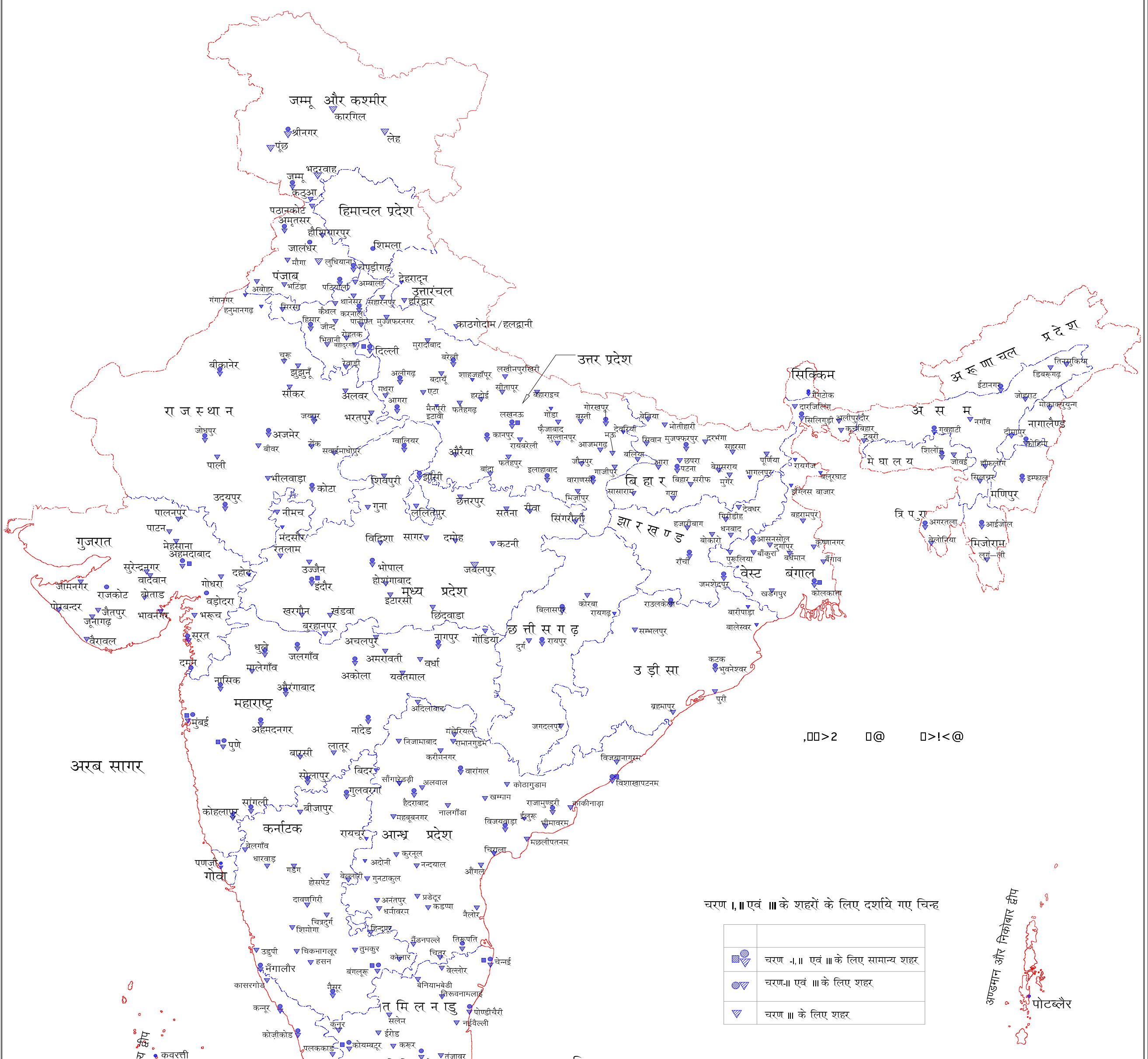

चिन्ह

प्रतीक	नीति एफ.एम के लिए नीति	स्थान / शहरों की संख्या	आवंटित / प्रस्तावित नीजि एफ.एम चैनलों की संख्या	प्रचालित चैनलों की संख्या	रद्द /अप्रचालित चैनलों की संख्या	दिनाँक **21.10.2011** के बाद छोड़ / समर्पित करने के बाद प्रचालित चैनलों की संख्या
	चरण-I	12	21	21	-	21
	pj.k-II	87	245	232	20 / 1	224
	चरण -III	313	839 (प्रस्तावित)	-	-	-

चैनलों की ई–नीलामी अलग–अलग बैचों में आयोजित की जाएगी और बैचों की संख्या के बारे में सू. और प्र. मंत्रालय निर्णय लेगा। यह पहले बैच की नीलामी के बाद बोली–दाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। सूचना और प्रसारण चैनलों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर है। वर्तमान एफएम चैनलों और चरण–III के तहत प्रस्तावित निजी एफएम चैनलों की स्थिति पिछले पृष्ठ पर दिये गए मानचित्र में दर्शायी गई है।

निजी एफएम प्रसारकों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा (₹ में)

1	चरण–I (1999–2005) में प्राप्त राजस्व	3,535,236,891
2	एक बारगी प्रवेश शुल्क चरण–II (2005–06)	8,955,985,776
3	माइग्रेशन शुल्क चरण–₹ (2006 से)	2,498,801,030
4	2005–2006 में प्राप्त लाइसेंस शुल्क	126,238,240
5	2006–2007 में प्राप्त लाइसेंस शुल्क	218,309,947
6	2007–2008 में प्राप्त लाइसेंस शुल्क	356,575,814
7	2008–2009 में प्राप्त लाइसेंस शुल्क	519,559,772
8	2009–2010 में प्राप्त लाइसेंस शुल्क	507,606,527
9	2010–2011 में प्राप्त लाइसेंस शुल्क	494,462,668
10	2011–2012 में 09–12–2011 तक प्राप्त लाइसेंस शुल्क	488,679,644
11	1999 से चरण–I तथा चरण–II में 09–12–2011 तक कुल प्राप्तियां	17,701,456,310
		₹ 1770/ करोड़ (लगभग)

मंत्रालय, ई–नीलामी के आयोजन के लिए स्थापित प्रतिक्रिया का अनुकरण करते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से एक स्वतंत्रत विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त करेगा। मंत्रालय यथा समय अलग से एक विस्तृत सूचना ज्ञापन जारी करेगा, जिससे बोली–दाताओं की भागीदारी सुगम हो जाएगी। इसमें शहरों, शहर–वार आरक्षित मूल्य, प्रत्येक बैच में नीलामी के लिए रखे जाने वाले चैनलों की संख्या और ई–बोली की अन्य प्रक्रियाओं का ब्यौरा भी दिया गया होगा। नीलामी में सहभागिता के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना (एनआईए) भी यथा समय जारी की जाएगी।

चरण–I तथा चरण–II नीति के तहत 09–12–2011 तक चालू हो चुके निजी एफएम चैनल

चरण–I तथा चरण–II और चरण–III के तहत निजी एफएम

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश में लोकसेवा प्रसारक है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। यह 23 नवम्बर, 1997 को अस्तित्व में आया। इसे देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने तथा जनता को सूचना देने, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के लिए लोकसेवा प्रसारण का दायित्व सौंपा गया।

उद्देश्य

देश की एकता और अखंडता को बनाये रखना तथा संविधान में अंगीकार किये गए मूल्यों को बनाए रखना।

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना।

निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रस्तुत करके लोकहित के सभी मामलों के बारे में सूचना पाने की नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना।

शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना और साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार करना।

महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा बच्चों, वृद्धजनों और समाज के अन्य संवेदनशील तबकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।

विविध संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों के पर्याप्त कवरेज उपलब्ध कराना।

सामाजिक न्याय, कामकाजी वर्गों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों के सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहन देना।

अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी का विकास करना।

निगम का प्रशासन प्रसार भारती बोर्ड चलाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से ज्ञात), एक सदस्य (वित्त), एक सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में तथा निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रसार भारती का अध्यक्ष अंशकालिक होता है, जिसका कार्यकाल तीन साल का है अथवा वह 70 वर्ष की उम्र तक इस पद पर कार्य कर सकता है। कार्यकारी सदस्य पूर्णकालीन सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और जो 65 वर्ष की आयु तक पद पर कार्य कर सकता है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वे 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं।

सदस्य (कार्मिक) और निगम के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के दो पद अभी रिक्त हैं। इन प्रतिनिधियों में से एक पद इंजीनियरिंग स्टाफ के लोग अपने कर्मचारियों में से चुनते हैं और एक पद अन्य कर्मचारी अपने स्टाफ से चुनते हैं।

संगठनात्मक ढांचा

निगम के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का दायित्व प्रसार भारती बोर्ड संभालता है। प्रसार भारती बोर्ड महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठकें करता है और कार्यकारी सदस्य को नीतियां लागू करने के निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करता है तथा उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके बोर्ड के कार्यों का निष्पादन करता है।

आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रमुख महानिदेशक हैं। वे बोर्ड के निदेशों को सदस्य (वित्त) तथा सदस्य (कार्मिक) तथा सीईओ के निकट सहयोग से निष्पादित करते हैं और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के दैनिक कार्यों को प्रबंधित करते हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों में, स्पष्ट कार्यकलापों यानि कार्यक्रम, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक और समाचार के लिए चार स्कंध हैं।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम–2011 को अमल में लाना

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम–1990 को 23 नवम्बर, 1997 को लागू किया गय था, लेकिन अधिनियम की धारा–11 जो कर्मचारियों के निगम में स्थानांतरण के संबंध में है, को लागू नहीं किया जा सका, यानि निगम का कर्मचारी बनने के बारे में धारा–11 के तहत विकल्प नहीं मांगा जा सका, क्योंकि कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। प्रसार भारती संबंधी मंत्रियों के दल की सिफारिशों के आधार पर, संसद ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम–2011 बनाया, जिसमें प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम–1990 की धारा–11 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था।

संशोधन अधिनियम में प्रावधान है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवर्ग के नियमित कर्मचारी, जिन्हें 05–10–2007 के पहले भर्ती किया गया था, को सेवा–निवृत्ति तक मानित प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं प्राप्त करेंगे। 05–10–2007 के बाद भर्ती सभी कर्मचारी प्रसार भारती कर्मचारी होंगे।

संशोधन अधिनियम में भा.सू.से., के.स.से., के.स.आशु. सेवा आदि के अधिकारियों, जो प्रसार भारती, संवर्ग से बाहर के हैं, को सरकार द्वारा नियमों के जरिये निर्धारित किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों के आधार पर निगम में तैनात करने के लिए भी धारा–11 में एक समर्थकारी प्रावधान किया गया है। इन पदों को छोड़कर, सभी पदों को प्रसार भारती में अंतरित करने का प्रस्ताव इस अधिनियम में किया गया है।

धारा–11 में संशोधन किये जाने से, कर्मचारियों की स्थिति के बारे में पिछले काफी समय से लम्बित चल रहे मुद्दों का समाधान हो जाएगा और प्रसार भारती अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को भर्ती करने की स्थिति में होगा।

दूरदर्शन

परिचय

दिल्ली में एक प्रायोगिक सेवा के तौर पर टेलीविजन प्रसारण सेवा की शुरुआत भारत में सितम्बर, 1959 में हुई। 1965 से नियमित टी वी सेवा प्रारम्भ हुई। अप्रैल, 1976 में टेलीविजन सेवाएं आकाशवाणी से अलग की गई तथा एक अलग दूरदर्शन निदेशालय प्रारम्भ हुआ। रंगीन टेलीविजन तथा सेटेलाइट के जरिए राष्ट्रीय नेटवर्किंग 1982 में प्रारम्भ हुई। पिछले वर्षों में दूरदर्शन ने न सिर्फ देश के लम्बे–चौड़े हिस्से में अपना विस्तार किया है वरन तकनीकी विकास भी किया है। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 उपग्रह चैनलों और 66 स्टूडियो केन्द्रों का विशाल नेटवर्क है तथा अलग–अलग क्षमता के 1415 ट्रान्समिटर है जो देश की 92 प्रतिशत जनसंख्या को टी वी कवरेज उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ–साथ दूरदर्शन देश में फ्री टू एअर डी टी एच सेवा (के यू बैण्ड) उपलब्ध करा रहा है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए, जहाँ के यू बैण्ड सिग्नल प्राप्त नहीं किए जाते हैं, सी बैण्ड में डी टी एच सेवाएं 10 चैनलों के गुच्छे के रुप में परिचालन में है। दूरदर्शन के प्रारंभ से लेकर अब तक हुई वृद्धि अनुलग्नक–1 (पृष्ठ 142) में दी गई है।नवम्बर, 1997 में अस्तित्व में आने वाली दूरदर्शन प्रसार भारती का एक भाग बना। महानिदेशक दूरदर्शन का प्रमुख होता है।वर्तमान में, दूरदर्शन को विश्व के अग्रणी प्रसारकों में गिना जाता है।

दूरदर्शन के उपग्रह चैनल

वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा 35 उपग्रह चैनलों का परिचालन किया जा रहा है जिनका विवरण निम्नलिखित है–

अखिल भारतीय चैनल	7
क्षेत्रीय चैनल	11
राज्य नेटवर्क	15
डी डी इन्टरनेशनल	1
डी डी एच डी चैनल	1

चैनलों की सूची अनुलग्नक–2 (पृष्ठ 143) में दी गई है।

कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के लिए देश में 67 स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना की गई है। इनमें 17 प्रमुख स्टूडियो केन्द्र राज्य की राजधानियों में है तथा एक केन्द्रीय निर्माण केन्द्र दिल्ली में, एक क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र गुवाहाटी में तथा 48 अन्य स्टूडियो केन्द्र देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित है। राज्यानुसार स्टूडियो केन्द्रों की संख्या अनुलग्नक–3 (पृष्ठ–146) में दी गई है। इन 67 स्टूडियो केन्द्रों में से 27 पूर्ण डिजिटल तथा 31 आंशिक रुप से डिजिटल हैं। शेष 13 स्टूडियो केन्द्र एनॉलाग है। जारी परियोजनाओं के पूर्ण होने के साथ–साथ 4 को छोड़कर सभी स्टूडियो केन्द्र पूर्ण डिजिटल हो जाएंगे। बाकी 4 स्टूडियो केन्द्र 12वीं योजना के दौरान डिजिटलाइज हो जाएंगे।

टेरेस्टिरियल ट्रांसमिटर

टेरेस्टेरियल कवरेज के लिए विभिन्न क्षमताओं के 1415 ट्रान्समिटर चलन में है।

{डीडी 1 ट्रान्समिटर–1242 (जिसमें 108 ट्रान्समिटर जो कि क्षेत्रीय कार्यक्रम का रिले पूरी प्रसारण अवधि के दौरान करते हैं), डीडी समाचार ट्रान्समिटर – 169 डिजिटल ट्रान्समिटर – 4} (राज्यानुसार ट्रान्समिटरों की संख्या अनुलग्नक–4 (पृष्ठ 144–145) में दी गई है।)

टेरेस्टेरियल मोड में, डीडी 1 चैनल की कवरेज देश की 92 प्रतिशत जनसंख्या तक उपलब्ध होना अनुमानित है। डीडी न्यूज चैनल की टेरेस्टेरियल कवरेज लगभग 49 प्रतिशत जनसंख्या तक उपलब्ध होना अनुमानित है। डीडी 1 तथा डीडी न्यूज चैनल की क्षेत्रानुसार कवरेज क्रमशः 81 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत है।

फ्री टू एअर डी टी एच ''डी डी डायरेक्ट प्लस''

33 टी वी चैनलों के गुच्छे के साथ दिसम्बर, 2004 में 'दूरदर्शन ने अपनी फ्री–टू एअर डी टी एच सेवा 'डी डी डाइरेक्ट प्लस' प्रारम्भ किया। इस सेवा को इस प्रारम्भिक उद्देश्य के साथ प्रारम्भ किया गया कि उन क्षेत्रों की टी वी कवरेज प्रारम्भ कराई जाए जो टेरेस्टेरियल ट्रान्समिटरों से कवर नहीं होते हैं। डी टी एच प्लेटफार्म की क्षमता में तत्पश्चात् 59 टी वी चैनलों तक वृद्धि की गई। छोटे आकार की डिश इकाई की मदद से डी टी एच सिग्नल भारत में कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप को छोड़कर)। अण्डमान एवं निकोबार के लिए 10 चैनलों के गुच्छे के रुप में सी बैण्ड में डीटीएच सेवा सितम्बर, 2009 से

प्रारम्भ की गई। डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता का और उन्नयन करने का दूरदर्शन का प्रयास है। डी डी के डीटीएच प्लेटफार्म को 97 चैनलों तक उन्नयन करने की परियोजना को सरकार ने 11वीं योजना के भाग के रूप में ₹ 75.43 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया। सभी चैनल निःशुल्क होंगे।

2011–12 के दौरान विकासात्मक गतिविधियां

स्टूडियो परियोजनाएं

- दूरदर्शन केन्द्र, लेह में स्थापित पूर्णतः डिजिटल, स्थायी स्टूडियो 12.09.2011 को प्रारम्भ हुआ।
- तिरुपति में नया स्टूडियो केन्द्र परिचालित हो गया है।
- 31 आंशिक रुप से डिजिटल स्टूडियो के पूर्ण रुप से डिजिटलाइज किए जाने की परियोजना मार्च, 2012 तक पूरी होने का अनुमान है।

राज्य नेटवर्क

- लेह जिले में स्थित 18 वीएलपीटी से क्षेत्रीय सेवाओं में प्रसारण 13.09.2011 से क्षेत्रीय सेवाओं के लिए आवंटित समय के दौरान प्रारम्भ हुआ।

ऑटो मोड एल पी टी (पुराने एलपीटी के बदले में)

निम्नलिखित 5 ऑटो मोड एल पी टी (1+1 विन्यास में, 500 वॉट के) स्थापित किए गए।

नारनौल (हरियाणा)	पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)
खरगोन (मध्य प्रदेश)	जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश)
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	

इन के अलावा, निम्न 6 स्थानों पर भी ऑटो मोड एल पी टी मार्च, 2012 तक प्रारम्भ होने की उम्मीद है।

पन्ना (मध्य प्रदेश)	भिंड (मध्य प्रदेश)
कुण्णूर (तमिलनाडु)	शोरानूर (केरल)
आजमगढ़ (डी डी न्यूज) (उ.प्र.)	चंदेरी (मध्य प्रदेश)

एचपीटी

- कुम्भकोणम में टॉवर अपनी पूरी ऊँचाई 150 मी तक लगाया गया। एच पी टी, कुम्भकोणम (स्थायी सेट अप) मार्च, 2012 तक पूरा होना अनुमानित है।
- अमृतसर में टॉवर अपनी पूरी ऊँचाई तक लगाया गया।

अर्थ स्टेशन का उन्नयन

गंगटोक, इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला, लेह, चण्डीगढ़, पोर्टब्लेयर, हिसार तथा पणजी में 10 अर्थ स्टेशनों का (11) विन्यास से (21) विन्यास में उन्नयन प्रक्रियाधीन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पाँच अर्थ स्टेशनों से एस आई टी सी के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह अर्थ स्टेशन फरवरी, 2012 तक कार्य चालू करना प्रस्तावित है। शेष 5 अर्थ स्टेशन 2012 तक उन्नयन कर दिए जाएंगे। इन अर्थ स्टेशनों के उन्नयन के साथ ही कार्यक्रमों का निर्माण और वितरण शुरू हो जाएगा।

नए अर्थ स्टेशन

विजयवाड़ा, इन्दौर, ग्वालियर, राजकोट तथा गोरखपुर में नए अर्थ स्टेशनों की स्थापना का काम 2012 तक पूरा होने की उम्मीद है।

डी एस एन जी एस

पुराने डी एस एन जी एस को हटाने के लिए 6 डी एस एन जी खरीदने के आदेश दिए जा चुके है। महत्वपूर्ण घटनाओं के सजीव प्रसारण के लिए केन्द्रों को तैयार करने के लिए 9 अन्य नए डी एस एन जी खरीदे जा रहे हैं।

अन्य गतिविधियाँ

दूरदर्शन भवन परिसर में टावर 'सी' के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

नई पहलें

डिजिटलाइजेशन

सभी 35 उपग्रह चैनल डिजिटल मोड में कार्य कर रहे हैं। डी टी एच प्लेटफार्म भी डिजिटल है। 66 स्टूडियो केन्द्रों में से 22 पूर्णतः डिजिटल तथा 31 आंशिक रुप से डिजिटल है। शेष 13 केन्द्र एनॉलाग है।

₹ 62 करोड़ के परिव्यय के साथ दूरदर्शन की डिजिटलाइजेशन योजना अप्रैल, 2010 में अनुमोदित की गई। इस योजना के तहत अनुमोदित प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं–

- 39 स्टूडियो केन्द्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण (31 आंशिक डिजिटल तथा 8 एनालॉग स्टूडियो केन्द्र)
- 40 स्थानों पर डिजिटल एच पी टी की स्थापना

पूर्णतः डिजिटलाइज किए जाने वाले स्टूडियो (संख्या 39) की स्थिति अनुलग्नक 5 में दी गई है। प्रस्तावित डिजिटल एच पी टी (संख्या 40) की स्थिति अनुलग्नक 6 में दी गई है।

इन परियोजनाओं को लागू किए जाने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। वर्ष 2012 तक स्टूडियो केन्द्रों को पूर्णतः डिजिटल किया जाना सम्भावित है। 2013–14 के दौरान डिजिटल एच पी टी चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाना सम्भावित है।

हाई डेफिनेशन टेलीविजन (एच डी टी वी)

हाई डेफिनेशन टेलीविजन (एचडीटीवी) वह प्रसारण प्रणाली है जो पारंपरिक फार्मेट से 5 गुणा ज्यादा रेजोल्यूशन के दृश्य भेजता है। इसके दृश्यों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। एच डी टी वी की विशेषताएं हैं, एकदम साफ और बिना किसी शोर वाली पिक्चर गुणवत्ता, बड़ी स्क्रीन वाली पिक्चर, और सजीव लगने वाले चित्र। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित एचडीटीवी परियोजनाओं की मंजूरी मिली हैः–

1. मुंबई और दिल्ली में एचडीटीवी स्टूडियो
2. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी फील्ड प्रोडक्शन तथा पोस्ट प्रोडक्शन की सुविधा
3. दिल्ली में एचडीटीवी अपलिंक और डीटीएच पर एचडीटीवी चैनल डालना
4. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में एचडीटीवी ट्रान्समिटर डलवाना।

ये परियोजनाएं चरणबद्ध तरीके से 2013 तक पूर्ण होनी प्रस्तावित हैं।

स्टूडियो तथा ट्रान्समिटर उपकरणों का आधुनिकीकरण

₹ 299 करोड़ के परिव्यय के साथ स्टूडियो तथा ट्रान्समिटर उपकरणों के आधुनिकीकरण की योजना फरवरी, 2011 में अनुमोदित की गई।इस योजना के भाग के रुप में अनुमोदित प्रमुख परियोजनएं निम्नानुसार हैं–

1. 15 स्थानों पर वर्तमान में उच्च शक्ति ट्रान्समिटर (एचपीटी) का प्रतिस्थापन

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी नई दिल्ली में आयोजित दूरदर्शन वार्षिक पुरस्कार समारोह के अवसर पर सम्बोधित करते हुए

2. वर्तमान में 60 कम शक्ति ट्रान्समिटर (एलपीटी) का आटोमोड (1+1) 500 वॉट एलपीटी द्वारा प्रतिस्थापन

3. अधिक पुराने उपकरण यथा कैमरा चेन, प्रोडक्शन स्विचर लोगो जेनरेटर तथा कलर मॉनीटर के प्रतिस्थापन के द्वारा 20 स्टूडियो केन्द्रों का आधुनिकीकरण

इन परियोजनाओं को लागू करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। (राज्य–वार दूरदर्शन ट्रंसिमिटरों की संख्या पृष्ठ 146–147 पर और वर्तमान दूरदर्शन स्टूडियो की संख्या पृष्ठ 148 पर दी गई है।)

प्रशिक्षण

पिछले दो दशकों में दूरदर्शन में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। टी वी तकनीक काफी तेजी से बदल रही है। एनॉलाग इन के स्थान पर अब तेजी से नेटवर्क को डिजिटलाइज किया जा रहा है। प्रसारण तकनीक में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए दूरदर्शन अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दे रहा है। नई उभरती तकनीकी को देखते हुए नई भर्ती कार्मिकों एवं वर्तमान कार्मिकों के कौशल में उन्नयन की दृष्टि से प्रशिक्षण संस्थानों नामतः एस टी आई (टी), दिल्ली, डी टी आई, लखनऊ, आर एस टी जे (टी), शिलांग, भुवनेश्वर तथा मलाड (मुम्बई) में इन–हाउस ट्रेनिंग कार्यक्रम तथा प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आई आई टी, कानपुर, आई आई एम, शिलांग तथा अन्य संस्थानों में भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कार्य के दौरान उपकरण निर्माताओं द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। अप्रैल से नवंबर 2011 के दौरान लगभग 760 अभियांत्रिकी अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया तथा लगभग 440 अभियांत्रिकी अधिकारियों को 1 दिसम्बर, 2011 से 31 मार्च, 2012 के दौरान प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना सम्भावित है। नेटवर्क में नए उपकरण लगाए जाने के कारण वर्ष 2011 के दौरान लगभग 75 अभियांत्रिकी अधिकारियों को विभिन्न एआईटी उपकरण निर्माताओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में खराब उपकरणों की मरम्मत करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण

नए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ नई उभरती तकनीकों के बारे में वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने तथा एमटीआई(टी) दिल्ली, डीटीआई लखनऊ, शिलांग, भुवनेश्वर और मलाड (मुम्बई) में आरएमटीआई (टी) जैसे इन–हाउस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आईआईटी कानपुर और आईआईएम शिलांग तथा बाहरी संस्थानों में भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपकरण निर्माता भी प्रशिक्षण देते हैं। अप्रैल से नवम्बर 2011 के दौरान लगभग 760 अभियांत्रिकी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। 01 दिसम्बर, 2011 से 31 मार्च, 2012 के दौरान लगभग 440 अभियांत्रिकी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। उपकरण निर्माताओं ने विभिन्न नेटवर्क में जोड़े जा रहे नए उपकरणों के बारे में 2011 के दौरान 75 अभियांत्रिकी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। विभिन्न जोनों में खराब उपकरणों की मरम्मत के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

डीडी नेशनलः प्रमुख चैनल

डीडीः नेशनल विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो देश के 79 प्रतिशत भू–भाग की 92.2 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचता है। दर्शकों के मामले में डीडी नेशनल देश का नम्बर–1 चैनल है। यह सेवा स्थलीय मोड में सुबह 5.30 बजे से अर्धरात्रि तक उपलब्ध है। उपग्रह मोड में यह चौबीसों घंटे उपलब्ध है। इस मिले–जुले लोकसेवा चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण समय को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि यह चैनल अलग–अलग दर्शकों की पसंद को अलग–अलग समय प्रसारित करता है।

वर्ष 2011–12 में देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन, संसद में महत्वपूर्ण बहस, रेलवे और आम बजट का प्रस्तुतिकरण, लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल आदि का सीधा प्रसारण किया गया। इसके अलावा, कवरेज के साथ–साथ विभिन्न सरकारी विभागों, विकासात्मक कार्यक्रमों, समाज के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों, जैसे पल्स पोलियो अभियान, कैंसर, कुष्ठ रोग, तपेदिक, स्वाइन फ्लू से प्रतिरक्षण तथा स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दों पर व्यापक प्रचार–प्रसार अभियान चलाया गया। सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, जागरूक उपभोक्ता, सड़क सुरक्षा, समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता आदि जैसे विशेष अभियान प्रसारण के मुख्य विषय रहे हैं।

डीडी नेशनल पर शाम को प्रसारित होने वाले कुछ लोकप्रिय धारावाहिकों में बंटी बबली की मम्मी, मेरे देश की बेटी, हम एक आंगन के हो गए, मुआवजा–मदद या अभिशाप, शमा, मंगलसूत्र, एक मसीहा, कैसी यह जिन्दगी, आशियाना, संकट मोचन

भारत

वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क

(दिसम्बर 31, 2011 की स्थिति के अनुसार)

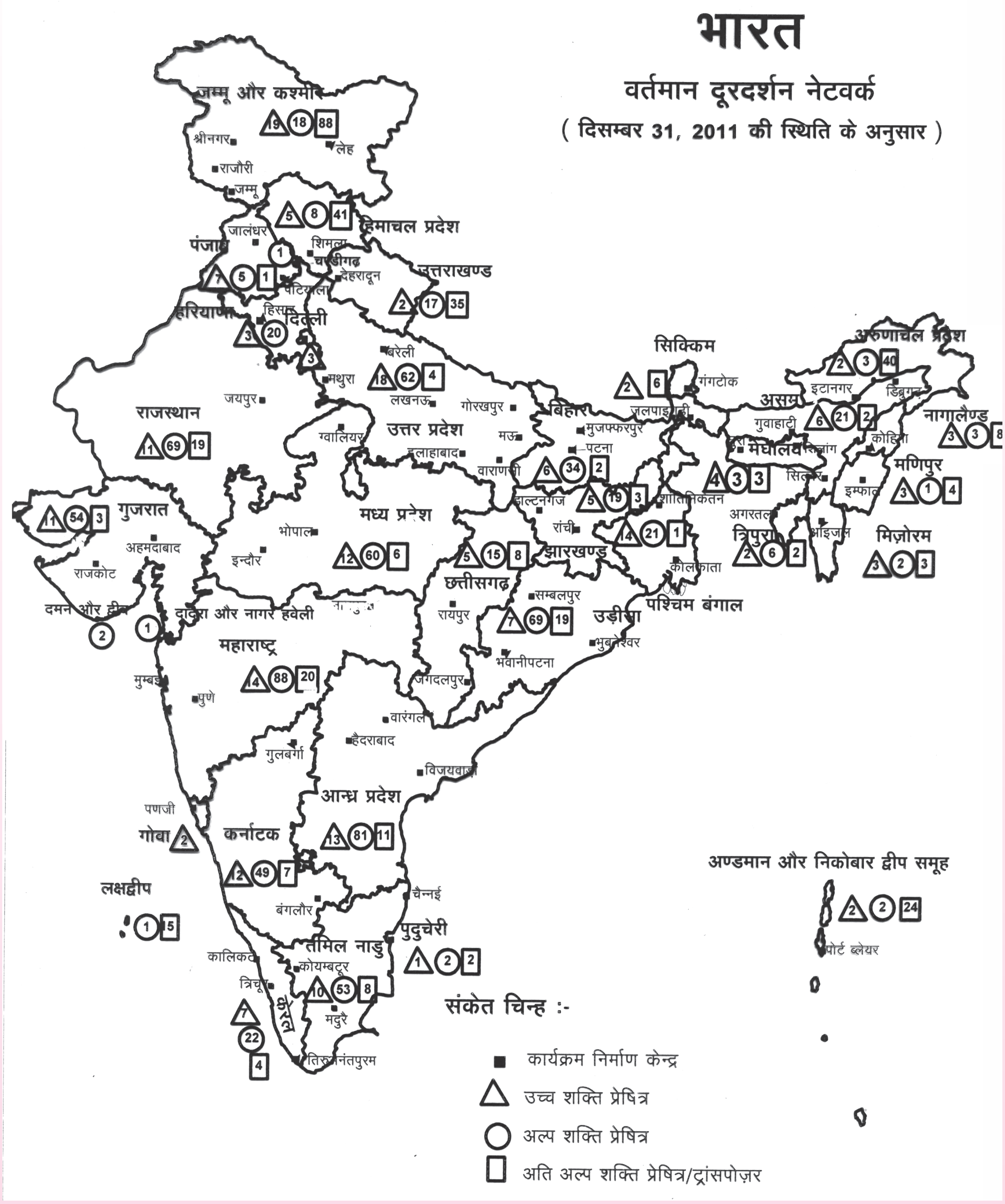

हनुमान, यहां के हम सिकन्दर, कानाफूसी, मगर के नगर, जननी, नूरी, हम ऐसे क्यों हैं आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण भारत, पंचायती राज और पर्यावरण दर्शन का भी प्रसारण किया गया।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के सिलसिले में मार्च, 2010 से सितम्बर, 2011 तक डीडी नेशनल पर प्राइम–टाइम स्लॉट में खेल–कूद कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित की गई। ये कार्यक्रम मिशन दिल्ली, 2010, स्पोर्टस का सुपर स्टार श्री सिद्धार्थ बसु की खेल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल–खेल में, खेल क्विज शो, ऑन द मार्क, गेट सेट गो, शीर्षकों से बनाए गए इन–हाउस कार्यक्रम थे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 श्रृंखला, 34वें राष्ट्रीय खेल, विम्बलडन तथा रोलां गैरो (फ्रैंच ओपन) को भी दूरदर्शन पर कवर किया गया।

चैनल को स्फूर्त बनाने के लिए वर्ष 2005 में स्व–वित्तपोषण की स्कीम शुरू की गई। यह स्कीम नेशनल चैनल में मिड–प्राइम–टाइम स्लॉट और प्राइम टाइम स्लॉट के लिए थी। स्व–वित्त पोषण स्कीम के तहत कार्यक्रमों की शुरूआत से कार्यक्रमों की विषय–वस्तु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इससे दर्शकों की संख्या और दूरदर्शन की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

डीडी न्यूज

डीडी न्यूज देश का एकमात्र द्विभाषी चैनल है। इस चैनल के मिले–जुले कार्यक्रमों में समाचार और सम–सामयिक विषयों को अहम स्थान दिया गया है। 3 नवम्बर, 2003 को शुरू हुए इस चैनल ने पिछले आठ वर्षों के दौरान लोकसेवा प्रसारक की अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। चैनल समाचारों और सम–सामयिक विषयों को निष्पक्ष, रूप से प्रस्तुत करने के प्रति कटिबद्ध है। यह विषयों को सनसनीखेज बनाने से परहेज करता है। यह एकमात्र ऐसा चैनल है, जो स्थानीय तथा उपग्रह मोड में प्रसारण करता है, इसलिए इसकी पहुंच उन घरों तक भी है, जहां केबल सुविधा या उपग्रह–प्रसारण सुविधा उपलब्ध नहीं है। आबादी के एक बड़े भाग के पास उक्त सुविधाएं नहीं हैं। यह एक ऐसा समाचार चैनल है, जिसकी देश में सबसे ज्यादा पहुंच है और 'ऑल होम्स' वर्ग में यह प्रसारण बाजार में सबसे आगे हैं।

चैनल अपने मिले–जुले कार्यक्रमों में राजनीति, कारोबार, खेल–कूद, अंतर्राष्ट्रीय समाचार घटनाएं, संसद की कार्यवाही, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, केन्द्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों को जगह देता है। इसे दूर–दराज के क्षेत्रों की विषय–सामाग्री ब्रॉडबैंड आधारित एफटीपी लिंक के जरिए प्रसारण के लिए उपलब्ध कराई जाती है। बिहार विधानसभा चुनावों का व्यापक कवरेज किया गया और राज्य के प्रमुख जिलों को कवर करने के लिए तैनात संवाददाताओं के माध्यम से चुनाव का सीधा प्रसारण किया गया तथा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष कवरेज और सिक्किम में आए भूकम्प का व्यापक और अनन्य कवरेज इस वर्ष की प्रमुख विशेषता रही। अफगानिस्तान की संसद में और इथोपिया में भारत–अफ्रीका शिखर बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन का डीडी न्यूज पर सीधा प्रसारण किया गया।

पूरे वर्ष चौबीसों घंटे काम करने वाले न्यूज रूम ने देश के डीडी न्यूज दर्शकों को नवीनतम घटनाक्रमों की तुरन्त जानकारी दी। न्यूज रूम ने अंग्रेजी–हिन्दी, उर्दू, संस्कृत में तथा बधिरों के लिए भी समाचार बुलेटिन तैयार किए। दूरदर्शन ने बधिरों के लिए प्रातः 06:15 बजे 15 मिनट के एक दैनिक बुलेटिन की शुरूआत की है।

बिजनेस न्यूज डैस्क ने सरकार के आर्थिक फैसलों, उद्योग जगत के घटनाक्रमों, व्यक्तिगत वित्तपोषण, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट से जुड़े अनेक मुद्दों को प्रतिदिन शाम को दिल्ली से प्रसारित 'बिजनेस रैप' कार्यक्रम में और दोपहर को मुम्बई से प्रसारित 'बिजनेस ऑवर' कार्यक्रम में कवर किया। केन्द्रीय बजट, रेल बजट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा का सीधा प्रसारण किया गया, इसके साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से चर्चा भी प्रसारित की गई। प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के जी 20 देशों के दौरे, ब्रिक्स देशों की बैठक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की बैठकों में शिरकत को हमारे संवाददाताओं से प्राप्त इनपुट के जरिए कवरेज दिया गया। साप्ताहिक कार्यक्रम 'मनी मंत्र' में पर्सनल फाइनेंस के मुद्दों पर चर्चा कराई गई। साप्ताहिक कार्यक्रम 'मार्केट दिस वीक' और 'बाजार इस हफ्ते' में स्टॉक मार्केट का विश्लेषण पेश किया गया और फोन के जरिए पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए गए।

'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' पर "जानने का हक" कार्यक्रम, प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में "मेरे देश की धरती", विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर और रोजगार के अवसर के बारे में "मेहनत रंग लाएगी" और विभिन्न सामाजिक विषयों पर "एहसास" कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को प्रबुद्ध बनाने के अलावा विकास संबंधी कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए गए।

चीन में एशियाई हॉकी चौम्पियनशिप टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच, जिसे भारत की पुरुष टीम ने जीता था, को फील्ड रिपोर्ट और

दृश्य प्रसारण के जरिए व्यापक रूप से कवर किया गया, इसके लिए विशेष इन्तजाम किए गए थे। फार्मूला रेस में देश की विशेष पहचान बनाने वाली सर्वप्रथम एफ–1 रेस–बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को व्यापक कवरेज दिया गया।

इन्टरनेट के उपयोग द्वारा एफटीपी (फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकोल) के माध्यम से डीडी न्यूज को अनेकों समाचार कथानक और फुटेज प्राप्त होते हैं। पहले, एफटीपी से प्राप्त ये सभी समाचार कथानक पेन ड्राइव के जरिए प्राप्त होते थे और फिर इन्हें पैकेज्ड कथानक बनाने अथवा सम्पादन और वॉइस–ओवर के उपयोग लायक विजुअल में ढालने के लिए एनएलई में ले जाया जाता था।

समाचार सामग्री के प्रवाह को बेहतर और आसान बनाने के लिए, नवीनतम कैनोपस एनएलई को एफटीपी के लैन से जोड़ दिया गया। इससे एफटीपी विषय–वस्तु को एनएलई टाइम लाइन पर सीधे प्राप्त करना आसान हो गया और प्राप्त विषय–वस्तु का तत्काल सम्पादन और यदि आवश्यकता हो तो, वॉइस–ओवर सम्पादन भी सम्भव हो गया।

उपरोक्त के अलावा, इसी एनएलई को एवीएन (एशिया विजन न्यूज) एफटीपी सिस्टम से भी कन्फिगर कर दिया गया है, ताकि न्यूज ऑटोमेशन सिस्टम से तथा सिस्टम को सीधे एवीएन विषय–वस्तु भेजी और प्राप्त की जा सके। यह सिस्टम इसी एनएलई के माध्यम से विषय–वस्तु को अपलोड करके सभी एवीएन देशों में डीडी न्यूज की शेयरिंग करने की इजाजत भी देता है।

आवश्यकता पूरी करने के लिए, एमटीएनएल से केबल इन्टरनेट के लिए अलग से एक लाइन पट्टे पर ली गई और इसे सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए तथा वायरस के खतरे से बचने के लिए संरक्षित फायर–वाल और भली–भांति कान्फिगर प्रॉक्सी सर्वरी से होकर गुजारा गया। इससे ईएनपीएस सिस्टम पर इन्टरनेट एक्सेस की सुविधा मिल गई और वायरस का खतरा भी लगभग नहीं रहा और पत्रकारों के लिए कट एंड पेस्ट के जरिए किसी भी न्यूजस्टोरी को सीधे इन्टरनेट से ईएनपीएस पर उठाना आसान हो गया।

पूरे देश में डीडी न्यूज की 26 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं। राष्ट्र गान "जन गण मन" की वीडियो रिलीज पर क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने समाचारों को भी शामिल किया। ये क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 19 भाषाओध्बोलियों में प्रतिदिन 109 बुलेटिन प्रसारित करती हैं।

डीडी न्यूज चैनल में मौसम की जानकारी को भी अहम स्थान दिया गया है। वर्ष के दौरान प्रतिदिन तीन बार 2 मिनट के लिए मौसम की रिपोर्ट और पूर्वानुमान हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किए गए।

दूरदर्शन की वेबसाइट www.ddinews.gov.in पर ताजा समाचार अपडेट उपलब्ध कराए जाते हैं। यह वेबसाइट दूरदर्शन के पांच समाचार बुलेटिन भी नेट पर देती है और इसे देश में और देश के बाहर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वेबसाइट पर विज्ञान–प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, चार महानगरों (नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता) के मौसम की रिपोर्ट, ए डेली पोल क्वेश्चन (मौजूदा विषयों पर, दर्शक जिनका जवाब हां या ना में दे सकते हैं) पर अलग से पृष्ठ है।

साथ ही जब भी समाचार वेबसाइट (www.ddinews.gov.in) पर अपलोड किये जाते हैं, होम पेज के शीर्ष समाचार कथानक और चार मुख्य समाचार भारत सरकार की वेबसाइट (www.india.gov.in) पर लिंक हो जाते हैं। वेबसाइट पर 2011 के निम्नलिखित आयोजनों के लिए अलग से पेज उपलब्ध कराए गए हैः–

- बजट प्रस्तुति (फरवरी, 2011)
- राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम (अप्रैल–मई 2011 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा पुडुचेरी)
- 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्वकप (फरवरी से अप्रैल 2011)

डीडी भारती

डीडी भारती की शुरूआत 26 जनवरी, 2002 को हुई थी। इस साल 26 जनवरी, 2011 को चैनल ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस चैनल पर कला और वास्तु–कला, संस्कृति, संगीत तथा नृत्य, भक्ति संगीत, साहित्य, यात्रा वृतांत और देश की विरासत तथा मूल्यों के संरक्षण जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते रहे हैं। 7 जून, 2010 को इस चैनल को फिर से सुसज्जित किया गया। तबसे इस चैनल पर कला, संस्कृति और साहित्य पर कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। चैनल पर आठ घंटे के कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण चक्र शुरू किया गया है, अतः कार्यक्रम एक दिन में तीन बार प्रसारित हो रहे हैं।

चैनल साहित्य, रंगमंच, कला, दस्तकारी, चित्रकारी, वास्तु–कला, वास्तु–कला चित्रकारी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चोटी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय नृत्य और संगीत

कार्यक्रमों, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक तथा धार्मिक इमारतों और स्थानों, सुप्रद्धि कवियों और लेखकों आदि के जीवन और कृतियों का भी इस बैंड पर प्रसारण करता है। डीडी भारती ने अक्टूबर, 2011 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को रात्रि 20.00 बजे पुरानी फीचर फिल्मों का प्रसारण किया।

डीडी भारती को प्राप्त प्रायोजित कार्यक्रम नीचे दिये गए हैः–

(क) सिंधु संस्कृति और परम्परा को दर्शाता 'सिंधु दर्शन'। इसका जून, 2011 तक सप्ताह में एक बार और अक्टूबर, 2011 तक सप्ताह में दो बार प्रसारण किया गया।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संस्कृत भाषा में कार्यक्रम 'संस्कृत भाषा शिक्षण' का सप्ताह में तीन बार प्रसारण।

इन–हाउस कार्यक्रमः– डीडी भारती का प्रयास हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों के प्रसारण की ओर रहा है। जाने माने कवि और लेखक, कवि सम्मेलन, मुशायरा, हास्य कवि सम्मेलन, देशभक्ति, काव्य गोष्ठी जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए उसने अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से सम्पर्क बनाए हैं। अज्ञेय जैसे साहित्य स्तम्भ के ऊपर "शब्द शताब्दी", सुप्रसिद्ध साहित्यिक हस्तियों की जयंती के अवसर पर "नार्गाजुन", "केदारनाथ अग्रवाल", "फैज अहमद फैज", "गोपाल सिंह नेपाली" और "शमशेर बहादुर सिंह" कार्यक्रम इसके अपने इन–हाउस कार्यक्रम हैं। डीडी भारती के विभिन्न केन्द्रों ने जयपुर, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी तथा दिल्ली में आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति में उपरोक्त प्रत्येक हस्ती के बारे में "शताब्दी स्मरण" कार्यक्रम का निर्माण किया। डीडी भारती में पत्रिका, सृजन और कला परिक्रमा, भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा प्रसारित की गई। पुण्यतिथियों और जयंतियों के अवसर पर भी विशेष कार्यक्रम निर्मित और प्रसारित किए गए।

आयोजनों का सीधा प्रसारण और कवरेजः– डीडी भारती ने 20 अप्रैल, 2011 को दिल्ली में सचल तीर्थ वागार्थ–निशांतकेतु–स्वाति सत्कार ग्रंथ–30वां, ढाका (बांग्लादेश) में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर जन्म शताब्दी 2011, ग्लोबल वार्मिंग तथा आपदा प्रबंधन पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, दिल्ली में 24 जुलाई, 2011 को कानून तथा समाज, दिल्ली में 8 सितम्बर, 2011 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह–2011, दिल्ली में 13 अक्टूहर, 2011 को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार–2010, हैदराबाद में 14 नवम्बर, 2011 को 17वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म उत्सव के उद्घाटन समारोह, पणजी (गोवा) में 3 दिसम्बर, 2011 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन आयोजन, दिल्ली में 3 दिसम्बर, 2011 को अशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण किया।

डीडी भारती 2012 में निम्नलिखित आयोजनों का सीधा प्रसारणध् कवरेज करेगाः– 1 जनवरी, 2012 को भोपाल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 5 जनवरी, 2012 को विज्ञान भवन दिल्ली में 15वां विश्व संस्कृति सम्मेलन, 5 जनवरी, 2012 को द्वीप पर्यटन समारोह (आईटीएफ), 25 जनवरी, 2012 को दिल्ली में राष्ट्रपति का संदेश, 26 जनवरी, 2012 को जनपथ, दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट।

बाहरी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन के तहत कार्यक्रम

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

सुप्रसिद्ध निदेशकों द्वारा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर निर्मित सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र–डीडी भारती चैनल पर प्रत्येक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 16.00 बजे से 16.30 बजे तक नियमित रुप से प्रसारित किए जा रहे हैं।

डीडी उर्दू

डीडी उर्दू ने 15 अगस्त, 2011 को अपने प्रसारण के 5 वर्ष पूरे किए। वर्ष के दौरान डीडी उर्दू के लिए कमीशनिंग की व्यवस्था अधिसूचित की गई। इसके तहत 430 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके अलावा, 149 निर्माताओं ने 2009 में जारी अधिसूचना के अनुरूप अपने पिछले प्रस्तावों में संशोधन का अनुरोध किया। उम्मीद है कि चैनल को सशक्त बनाने वाला यह सॉफ्टवेयर कारगर और उपयोगी तथा इसकी शैली के अनुसार चैनल के संचालन में सक्षम होगा।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के माननीय राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश का उर्दू रूपान्तर डीडी उर्दू पर अनन्य रूप से प्रसारित किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन सीधा प्रसारित किया गया।

1 जनवरी, 2012 से 31 मार्च 2012 तक निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए/जाएंगेः

1. गणतंत्र दिवस, 2012 की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति के राष्ट्र को संदेश का उर्दू रूपान्तर

2. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि

3. कैफी आजमी की जयंती
4. सादत हसन मन्टो का शताब्दी समारोह
5. फैज अहमद फैज का शताब्दी समारोह
6. मिर्जा गालिब की पुण्यतिथि
7. फखरुद्दीन अली अहमद की पुण्यतिथि
8. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि
9. साहिर लुधियानवी की जयंती
10. सर सैयद अहमद खान की पुण्यतिथि

डीडी इंडिया

दूरदर्शन ने 14 मार्च, 1995 को अपना अन्तर्राष्ट्रीय चैनल दुनिया में उतारा। इस चैनल का प्रारम्भिक नाम डीडी–वर्ल्ड था, 2002 में इसका नाम बदल कर डीडी–इंडिया रखा गया। चैनल अपने कार्यक्रमों के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक परिदृश्य की झलक पेश करता है। डीडी–इंडिया चैनल का मिशन "विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ संवाद–अंतराल को पाटना" और असली भारत, इसकी संस्कृति, इसके मूल्य, इसकी परम्पराएं, इसकी आधुनिकता, इसकी विविधता, इसकी एकता, इसकी वेदना और इसके उल्लास को बेहतरीन कार्यक्रमों के जारिए पूरी दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इन कार्यक्रमों को लोकसेवा प्रसारक की सर्वश्रेष्ठ परम्परा के अनुरूप सूचनापरक, शिक्षात्मक और मनोरंजक शैली में तैयार किया गया था।

डीडी इंडिया समाचार बुलेटिन, विषयगत घटनाओं पर फीचर, मनोरंजन कार्यक्रम, फीचर फिल्में, संगीत एवं नृत्य, धारावाहिक, वृत्तचित्र, समाचार तथा सम–सामयिक विषय आयोजन और पर्यटन–कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

पूरे देश में उर्दू, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत और पंजाबी में 15 मिनट के समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं।

डीडी इंडिया चौबीसों घंटे प्रसारण करने वाला फ्री–टू–एयर चैनल है। डीडी–इंडिया दिल्ली से अपलिंक होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 5 मार्च, 2011 से पहले 'डीडी–इंडिया' इंटेलसेट उपग्रह पर अपलिंक किया जा रहा था और पूरी दुनिया में इसकी पहुंच 86 देशों तक थी। चूंकि इंटेलसेट के साथ समझौता 5 मार्च, 2011 को समाप्त हो गया, डीडी–इंडिया का प्रसारण अभिग्रहित करने वाले 86 देशों को डीडी–इंडिया के सिग्नल मिलना बंद हो गए। लेकिन, चूंकि डीडी इंडिया को इनसैट–4बी पर भी अपलिंक किया जा रहा है, "डीडी–इंडिया" अब इनसैट–4बी के दायरे में शामिल 38 देशों तक पहुंच रहा है।

चैनल के वितरण की पूरे विश्व में पैठ बनाने की कार्यनीति के लिए विदेश मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श चल रहा है।

डीडी–इंडिया अपनी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सूची को कार्यक्रमों की नई विषय–वस्तु से सजा कर समृद्ध बनाने के जोरदार प्रयास कर रहा है। फिलहाल 8 घंटे का प्रोग्राम लूप प्रसारित किया जा रहा है और विश्व के प्राइम–टाइम जोन के अनुरुप 24 घंटे में इसे दो बार दोहराया जा रहा है।

डीडी–इंडिया दूरदर्शन की डीटीएच उपग्रह सेवा डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध है।

इनसैट–4बी (सी–बैन्ड) के जरिए 38 देशों तक पहुंच

एशिया

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई दारेसलम, चीन (आंशिक रूप से), कम्बोडिया, हांगकांग, इजराइल, मलयेशिया, (आंशिक रूप से), म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाइलैंड, विएतनाम, भारत।

सीआईएस

आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया (आंशिक रुप से), किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान (आंशिक तौर पर), यूक्रेन, उजबेकिस्तान (आंशिक तौर पर)।

मध्य–पूर्व

बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान (आंशिक तौर पर), कतर, सउदी अरब, सीरिया, तुर्की (आंशिक तौर पर), संयुक्त अरब अमीरात, यमन (आंशिक तौर पर)।

स्पोर्ट्स चैनल

खेलकूद कार्यकर्मों के लिए दूरदर्शन का अलग से एक स्पोर्ट्स चैनल 18 मार्च, 1999 को शुरू किया गया था। इस चैनल के प्रतिदिन 10 घंटे प्रसारण को 25 अप्रैल, 1999 से बढ़ा कर 12 घंटे कर दिया गया और चैनल की लोकप्रियता को देखते हुए जून, 2000 से इसे चौबीसों घंटे प्रसारण करने वाला चैनल बना दिया गया। चैनल ने खेलकूद आयोजनों के बेहतरीन कार्यक्रम दिखाए हैं और वर्ष के दौरान निम्नलिखत आयोजनों की कवरेज की :

बंगलौर मैराथन, डेविस कप, संतोष ट्रॉफी, रांची में राष्ट्रीय खेल 2011.

इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रसार भारती ने भारत में राष्ट्रीय स्तर के अनेक खेलकूद आयोजनों को कवरेज दिया।

(क) एक घंटे का लाइव कार्यक्रम 'स्पोर्ट्स ऑवर' का इन–हाउस निर्माण किया गया। यह कार्यक्रम हिन्दी और अंग्रेजी में आधे–आधे घंटे का है। इसमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के खेल आयोजनों की झलक प्रस्तुत की गई है।

(ख) डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारण के लिए 'स्पोर्ट्स प्लस' कार्यक्रम का इन–हाउस निर्माण।

(ग) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न खेल आयोजनों का ओ.बी. कवरेज और सीधी कमेन्ट्री।

(घ) भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई एक दिवसीय श्रृंखला पर मैच से पूर्व तथा मैच के बाद चर्चा कार्यक्रम।

(ङ) 03.09.11 से 11.09.11 तक एशियाई चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी पर स्टूडियो–चर्चा का सीधा प्रसारण।

(च) 04.06.2011 से 16.06.2011 तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला पर 'कैरिबियन टूर' नाम से स्टूडियो– चर्चा का सीधा प्रसारण।

(छ) 05.05.2011 से 15.05.2011 तक 'सुल्तान अजलन शाह अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी चौम्पियनशिप' पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।

डीडी स्पोर्ट्स ने खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य शेयरिंग) अधिनियन, 2007 के अनुसार, इस अवधि के दौरान आयोजित प्रमुख क्रिकेट मैचों का भी सीधा प्रसारण किया। 19 मार्च, 2007 को अधिसूचित इस अधिनियम के अनुसार दूरदर्शन नेशनल और डीटीएच नेटवर्क पर प्रसारण के लिए प्रसारण अधिकार–धारक को अधिसूचित खेल आयोजनों के सिग्नल दूरदर्शन के साथ बांटने होंगे।

गैर–ओलम्पिक और पारम्परिक खेलों को कवर करने के लिए नगदी प्रवाह की प्रणाली शुरू करने पर फैसला ले लिया गया है। लाइव कवरेज के लिए ओ.बी. वैन और डीएसएनजी भेजने पर होने वाला व्यय, कमेन्टेटरों को दी गई राशि के साथ, नगदी बहिर–प्रवाह शुल्क के रूप में वसूला जाता है। यह भी निर्णय लिया गया कि दूरदर्शन ने जिन खेल संघों और संस्थाओं से समझौता किया है, उनके खेल आयोजनों का कवरेज जारी रखा जाए, जिनके लिए दूरदर्शन अधिकार शुल्क अदा करता है।

जब से स्पोर्ट्स प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य शेयरिंग) अधिनियम, 2007 अधिसूचित हुआ है, दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय स्थलीय चैनल और फ्री–टू–एयर डीटीएच नेटवर्क पर राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों को इस खेल अधिनियम का अनुपालन करते हुए प्रसारण कर रहा है।

खेलों को बढ़ावा देने के प्रसार भारती के लोकसेवा दायित्व के मद्दनेजर, प्रसार भारती ने समय–समय पर निम्नलिखित के संबंध में नगदी बर्हिप्रवाह के सिद्धांत में छूट दीः–

- सशस्त्र एवं अर्ध–सैनिक बल
- विकलांग व्यक्तियों के खेल–कूद आयोजन
- शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थान
- राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर–ग्रामीण क्षेत्रों में खेल–कूद आयोजन
- महिलाओं के सभी खेल–कूद/आयोजन
- जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, रांची, छत्तीसगढ़, अंडमान–निकोबार तथा लक्षद्वीप

जनवरी–मार्च 2012 में प्रसारण का अंतरिम कार्यक्रम

(क) स्पोर्ट्स ऑवर कार्यक्रम का प्रतिदिन प्रसारण

(ख) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न खेल आयोजनों की सीधी कमेन्ट्री

(ग) फरवरी, 2012 में त्रिवेन्द्रम में होने वाले राष्ट्रीय खेल–2012 का लाइव कवरेज

(घ) लंदन ओलम्पिक 2012

क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल

इन चैनलों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया हैः–

सह्याद्रि चैनल

सह्याद्रि चैनल (डीडी 10) ने उपग्रह के माध्यम से पूरे भारत में मराठी कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ 15 अगस्त, 1994 को काम करना शुरू किया। 1 जनवरी, 2000 से इसका नाम सह्याद्रि चैनल रखा गया। 5 अप्रैल, 2000 से यह चौबीसों घंटे प्रसारण करने वाला चैनल बन गया है। सह्याद्रि चैनल दोनों मोड में प्रसारण करता है, प्रतिदिन सुबह 6.00 बजे से 0900 बजे तक (रविवार को छोड़कर) और दोपहर 15.00 बजे से 20. 00 बजे तक स्थलीय मोड में तथा उपग्रह मोड में चौबीसों घंटे प्रसारण करता है।

01 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 की अवधि में कार्यकलाप

(क) प्रमुख कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यक्रम/कार्यकलाप (सभी इन–हाउस कार्यक्रम)	तारीख
1	सह्याद्रि मराठी सिने अवार्ड समारोह	07.07.2011
2	आषाढ़ी एकादशी–पंढरपुर से सीधा प्रसारण	11.07.2011
3	गोकुल अष्टमी–सीधा प्रसारण	22.08.2011
4	ईद–उल–फितर	31.08.2011
5	गणपति समारोह तथा आरतियों का कवरेज	01.09.2011
6	नवरात्रि उत्सव	Sept.-Oct.'11
7	सह्याद्रि चैनल की वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम	02.10.2011
8	विजय दशमी (सिरड़ी)–सिरड़ी से सीधा प्रसारण	06.10.2011
9	कोजा गिरी पूर्णिमा–स्टूडियो से सीधा विशेष प्रसारण	11.10.2011
10	सह्याद्रि माणिक पुरस्कार समारोह	24.10.2011
11	दीपावली पर विशेष संगीत कार्यक्रम	26.10.2011
12	स्टूडियो में विशेष दीपावली कार्यक्रम	26.10.2011
13	स्टूडियो में विशेष दीपावली कार्यक्रम	12.11.2011
14	स्टूडियो में विशेष दीपावली कार्यक्रम की प्रतिभाशाली नौ छात्राओं को यूनिसेफ के सहयोग से सम्मानित किया गया।	19.11.2011
15	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की पुण्य तिथि पर विशेष कार्यक्रम	06.12.2011
16	क्रिसमस पर विशेष कार्यक्रम	25.12.2011
17	डीडी सह्याद्रि के लिए नव वर्ष की पूर्व संध्या के विशेष कार्यक्रम	25.12.2011

01 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2012 के लिए (सभी इन–हाउस कार्यक्रम)

क्रम सं.	कार्यक्रम/कार्यकलाप (सभी इन–हाउस कार्यक्रम)	तारीख
1	स्टूडियो में कृषि रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन	13.01.2012
2	हिरकानी पुरस्कार समारोह	10.02.2012
3	सह्याद्रि नव रत्न पुरस्कार समारोह	09.03.2012

पोढ़िगाई चैनल

क्षेत्रीय भाषा के 'तमिल उपग्रह चैनल' यानि पोढ़िगाई में पोंगल के दिन 15–01–2001 को चौबीसों घंटे के प्रसारण के साथ कार्य करना आरम्भ किया। प्रसारित कार्यक्रमों की शैली को देखते हुए इसे 'इंफोटेन्मेंट चैनल' का नाम दिया गया है। विषय–वस्तु के अनुसार कार्यक्रमों की संरचना इस प्रकार हैः–

विषय–वस्तु	प्रतिशत
सूचना	36.4
शिक्षा	16.8
मनोरंजन	46.8

महत्वपूर्ण इन–हाउस कार्यक्रम

पोढ़िगयीन कालइ तेन्द्रल, नीधि मन्द्रसैदिगल, सैदिगल, इमरजेंसी एक्शन, सुवैयो सुवाइ (मसाला) एल्लॉम संगीतमतन, नाम पिरून्तिनार, तुल्लत मणमम, तुल्लम, कर सरम (टॉक शो), वालिबा वालि वनिगा, तगवलगल, तेनीर नीरम, कोंजम कविदइ कोंजम तेनीर, अझगुकलइ, एंद्रम इनिमइ, सिरिप्पु वेदिगल, पघेण्विलयम भूमि (कृषि) हैलो उंगालुदन (फोन–इन–लाइव), सुत्तमम सुजलम, कोंजम संलंगइ और कण्णबिरन कदैयामुदम।

डीडी गिरनार

इस चैनल को डीडी गिरनार नाम 15 सितम्बर, 2008 को दिया गया था। यह 86ः भू–भाग की 87ः जनसंख्या तक पहुंचता है। 24 घंटे का यह चैनल दोपहर 3.00 बजे से रात 8.00 बजे तक स्थलीय मोड में प्रसारण करता है। डीडी गुजराती (डीडी गिरनार) चैनल की पहुंच 29.1 प्रतिशत घरों तक है और टीवी वाले दो तिहाई घरों में इसकी पहुंच है। रथयात्रा, जन्माष्टमी और पतंग उत्सव जैसे वार्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण सीधेः डेफर्ड लाइव मोड से किया जाता है। विभिन्न समकालीन मुद्दों और सरकारी योजनाओं पर कार्यक्रम तैयार करके यह प्रोडक्शन हाउस के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाने में सफल रहा है।

डीडी कशीर

डीडी कशीर की शुरूआत डीडीके श्रीनगर के इतिहास में एक नया मोड़ था। शुरूआत में यह स्थलीय ट्रांसमिशन के जरिए हर रोज दिन में 4 घंटे प्रसारित होता था। 27–03–1995 को इस चैनल ने काम करना शुरू किया था, लेकिन डीडी कशीर को क्षेत्रीय उपग्रह चैनल के रूप में औपचारिक पहचान 26–06–2000 को मिली थी। वर्तमान में डीडी कशीर उपग्रह चैनल और इसका चौबीसों घंटे प्रसारण घाटी के विभिन्न भागों में स्थापित स्थलीय ट्रांसमीटरों के जरिए होता है। यह चैनल जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों की संस्कृति और सामुदायिकता से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

क्षेत्रीय चैनल (डीडी–1 पर) सोमवार से शनिवार तक 1600 बजे से 2000 बजे तक 4 घंटे का प्रसारण करता है, जिसे उसी समय (1600 बजे से 2000 बजे तक) डीडी कशीर और क्षेत्रीय चैनल पर साथ–साथ प्रसारित किया जाता है।

पिछले 6 वर्षों में डीडी कशीर ने अलग–अलग फॉर्मेट और शैलियों में बने अपने बेहतरीन कार्यक्रमों के चलते दर्शकों में लोकप्रियता की नई ऊंचाईयों को छुआ है। इस चैनल पर अलग–अलग तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराया जाता है।

यह चैनल राज्य में मीडिया अभियान भी चला रहा है और वर्तमान में निम्नलिखित 13 कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैः

सदभावना, जनूब एशिया, खबरनामा, पीटीवी, सच क्या है, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, हालात–ए–हाजरा, पाकिस्तान रिपोर्टर, कश्मीर नाउ, कश्मीर नामा, सरहद के दो रूख, डेट लाईन कश्मीर, तर्ज–ए–हयात, दरीचा, सच तो यह है।

प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए बेहतर पैकेजिंग के जरिए डीडी कशीर के चेहरे को और निखारा गया है। सुबह के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जे एण्ड के जल्द ही कशीर चैनल में शामिल हो जाएगा। जम्मू–कश्मीर के सभी तीनों क्षेत्रों, जम्मू, कश्मीर और लेह की जानकारी से भरे कार्यक्रम इसके पास होंगे। यह चैनल नौजवानों, महिलाओं, बच्चों और अन्य उम्र के लोगों की जरूरतें पूरी करेगा। इसके अलावा यह चैनल और ज्यादा संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक सहनशीलता तथा राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश डालेगा।

डीडी सप्तगिरी

डीडी सप्तगिरी हैदराबाद, विजयवाड़ा और वारांगल स्थित दूरदर्शन स्टूडियो के सहयोग से चलने वाला तेलुगु भाषी उपग्रह चैनल है। इसकी शुरूआत 10 अक्टूबर, 1993 को हुई थी तथा यह वर्ष 2000 में 24 घंटे का चैनल बना।

डीडी मलयालम

इसकी शुरूआत 15 अगस्त, 1994 को हुई थी और वर्ष 2000 में यह 24 घंटे का चैनल बन गया। यह चैनल तिरुवनंतपुरम, त्रिसूर और कालीकट स्थित दूरदर्शन स्टूडियो के सहयोग से चलता है। स्थलीय मोड में डीडी मलयालम केरल की 100: जनसंख्या तक पहुंचता है।

डीडी मलयालम ने अपने विशेष श्रोताओं और लक्ष्यित समूह के कार्यक्रमों को यथावत बनाए रखते हुए, नए कार्यक्रम जैसे कि प्रचलित मुद्दों पर लाइव बहस, शेयर बाजार का विश्लेषण, लाइव क्विज शो, महिलाओं के कार्यक्रम, लाइव तथा संवादात्मक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, युवा और बच्चों से संबंधित कार्यक्रम, सुबह के शो, लाइव संगीतात्मक शो और फिल्म–आधारित कार्यक्रम आदि के जरिए सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में गहरी पैठ बना ली है।

डीडी चांदना

डीडी चांदना कन्नड़ भाषा का उपग्रह चैनल है, इसकी शुरूआत 15 अगस्त, 1994 को हुई थी। बैंगलूरू और गुलबर्गा में स्थित दूरदर्शन स्टूडियो के सहयोग से चलने वाला यह चैनल वर्ष 2000 में 24 घंटे का चैनल बना था। 24 मार्च, 2003 से इसके कवरेज का विस्तार 30 से अधिक देशों तक हो गया था। डीडी चांदना ने अप्रैल, 2011 से अक्टूबर, 2011 के दौरान ₹ 3.03 का कारोबार किया।

इस केन्द्र ने चैनल संचालक के तौर पर कुछ अभिनव कार्यक्रम शुरू किये हैं। इसमें धार्मिकध्राष्ट्रीय समारोहों के दौरान, कन्नड़ फिल्मी गीतों पर आधारित 'मधुरवी मंजला गाना' और विशेष रूप से आमंत्रित श्रोताओं के लिए प्रसारण करना शामिल हैं। इनके लाइव/डेफर्ड मोड में तथा लाइव/रिकॉर्डेड वर्जन का प्रसारण केन्द्र के राजस्व सृजन का स्रोत्र बन गया है। दिसम्बर, 2011 के अंत तक इस प्रकार के दो कार्यक्रम चल रहे थे और जनवरी, 2012 से मार्च 2012 की तिमाही में भी कुछ और कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

नव वर्ष–2012 के स्वागत के लिए, डीडी चांदना चैनल पर 31 दिसम्बर, 2011 की रात को प्रसारण के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है।

आजकल प्रसारित हो रहे कार्यक्रम 'बेलागू' और '(प्रश्नोत्तरी) दैट अंता हेली' दर्शको में लोकप्रिय हैं। इसके अलावा ये कार्यक्रम जाने/अनजाने वयोवृद्धों और युवाओं की संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धियों को दर्शाने के लिए आदर्श कार्यक्रम हैं। नई प्रतिभाओं का परिचय कराने के लिए आगामी महीनों में इस मंच का कुशलता से उपयोग किया जाएगा।

हैलो चीफ मिस्टिर, हैलो मिनिस्टर, हैलो लोकायुक्त, हैलो पुलिस कमिश्नर जैसे कार्यक्रमों के प्रसारण की योजना बनाई जा रही है।

डीडी बांग्ला

डीडी बांग्ला की शुरूआत 20 अगस्त, 1992 को हुई थी। 1 जनवरी, 2000 को यह 24 घंटे का चैनल बन गया और उसके बाद से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा लोक सेवा प्रसारण के क्षेत्र में इसने कई उपलब्धियां हासिल कीं।

बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने में डीडी बांग्ला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह बंगाला दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय टीवी चैनल है।

डीडी नार्थ–ईस्ट

डीडी नार्थ–ईस्ट की शुरूआत 15 अगस्त, 1994 को हुई थी और 27 दिसम्बर, 2000 से यह 24 घंटे का चैनल बना था। चैनल असम के लोगों के प्रति अपनी कटिबद्धता के अनुसार कई प्रकार के कार्यक्रम विभिन्न फॉर्मेटों में निर्मित और प्रस्तुत कर रहा है, जिन्हें दर्शकों द्वारा पंसद भी किया जा रहा है।

डीडी–6 (ओड़िया)

दूरदर्शन का क्षेत्रीय भाषा, ओड़िया का उपग्रह चैनल (आरएलएससी) 02–11–1994 को शुरू हुआ था। इसे 01–04–2001 (उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस, उत्कल दिवस) को 24 घंटे प्रसारण करने वाला चैनल बना दिया गया। चौबीसों

घंटे प्रसारण सेवा शुरू होने से, उड़ीसा की कला और संस्कृति, साहित्य, पर्यटन, गीत एवं नृत्य, समृद्ध विरासत को राज्य के अन्दर और राज्य की सीमा से परे लाखों दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक मंच मिला। वर्तमान में डीडी–6 (ओड़िया) चैनल को प्रति सप्ताह 55 घंटे 30 मिनट का स्थलीय प्रसारण सहयोग मिल रहा है और शेष 112 घंटे 30 मिनट की अवधि का प्रसारण उपग्रह मोड पर होता है। इसके ज्यादातर कार्यक्रम भुवनेश्वर, संबलपुर और भवानीपटना में तैयार किये जाते हैं। 2011–12 के दौरान डीडी–6 (ओड़िया) के विभिन्न कार्यकलाप नीचे दिये गये हैः

भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्वविख्यात रथयात्रा समारोह तथा भगवान जगन्नाथ की वापसी रथयात्रा (बहुदा यात्रा) 'उत्कल प्रज्ञान सम्मान–2011' का पुरी से सीधा प्रसारण किया गया। देवताओं की स्वर्ण पोशाक, सुना वेशा का 12–07–2011 को पुरी से 3 घंटे तक सीधा प्रसारण किया गया। 'सप्तरंग' नाम से दूरदर्शन के स्थापना दिवस का 19–09–2011 को भव्य प्रसारण किया गया। 1 घंटे के इस मनोरंजक कार्यक्रम का केन्द्र से सीधा प्रसारण किया गया।

डीडी–6 (ओड़िया) पर नए कार्यक्रमों की शुरूआत

डीडी–6 (ओड़िया) के कार्यक्रमों में विविधता और नवीनता लाने के लिए निम्नलिखित नये कार्यक्रम शुरू किये गए हैः–

1. अमा रोसेइ (व्यंजन बनाने के नुस्खे)– सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1.30 से 2.30 बजे के बीच प्रसारण।
2. आईना सेवा (कानूनी नुक्ते)– प्रत्येक बुधवार शाम 5.02 बजे से 5.30 बजे के बीच लाइव फोन–इन कार्यक्रम।
3. हेलो डॉक्टर (स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे)– प्रत्येक सोमवार शाम 5.02 बजे से 5.30 बजे के बीच लाइव फोन–इन कार्यक्रम।
4. अपननका सहारा (अपने नगर को जाने)– रविवार सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे के बीच प्रसारण।
5. भारत निर्माण (प्रमुख विकास कार्यक्रम संबंधी पत्रिका)– प्रत्येक शुक्रवार 6.30 बजे और 7.00 बजे के बीच प्रसारण।
6. प्रगति (नक्सलवाद, एक अभिशाप)– प्रत्येक शुक्रवार 5.02 बजे और 5.30 बजे के बीच प्रसारण।
7. कंथ कहे कहानी (एनआरएचएम परियोजना)– धारावाहिक की तरह 52 एपिसोड वाली पत्रिका के रूप में इसका प्रसारण 29 मार्च, 2011 को शुरू हुआ। उड़ीसा सरकार के राज्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान ने इसे प्रायोजित किया है।
8. अमा परिबेशा (पर्यावरण दर्शन)– पर्यावरण संरक्षण को जनसंचार माध्यम के सहयोग के तहत प्रत्येक शनिवार को 5.02 बजे प्रसारण।
9. परिक्रमा (समसामयिक विषय कार्यक्रम)– प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 8.02 बजे नवीनतम विषयों पर एक लाइव परिचर्चा कार्यक्रम।
10. संजीवनी (स्वास्थ्य जागरूकता)– प्रत्येक मंगलवार को सांय 5.02 बजे प्रसारण। इस कार्यक्रम में उन विषयों को शामिल किया गया है, जिन्हें कल्याणी में शामिल नहीं किया गया था।
11. ब्यक्ति अभिब्यक्ति (संगीत क्षेत्र की हस्तियों पर आधारित)– प्रत्येक माह के अंतिम बृहस्पतिवार को प्रसारण।

डीडी पंजाबी

डीडी पंजाबी की शुरूआत 6 अगस्त, 1988 को हुई थी तथा 5 अगस्त, 2000 को यह 24 घंटे का चैनल बना था। स्थलीय मोड में डीडी पंजाबी की पहुंच पंजाब राज्य में लगभग 100ः है। डीडी पंजाबी चैनल के लिए कार्यक्रम का मुख्य श्रोत दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर है। डीडी पंजाबी के चौबीसों घंटे के प्रसारण को अमृत वेला, सज्जरी सेवर, दिन के समय प्रसारण, सांयकालीन प्रसारण तथा रात्रि प्रसारण के नाम से पांच भागों में बांटा गया है। इस चैनल पर खेलकूद, लाइव आयोजन और प्रसारण जैसे कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा 2011–12 के दौरान प्रसारित किये गए कार्यक्रम आगे दिये गए हैं– कानूनी नुक्तेः कानूनी नुक्ते, अज्ज दा मसाला, डॉक्टर नू मिलो, 'खिड़की' पत्रिका के रूप में यह कार्यक्रम मध्य पूर्व के देशों के दर्शकों के लिए अपराहन 14.00 बजे प्रसारित किया जाता है।

वाणिज्यिक सेवा

दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा को दूरदर्शन पर वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन की बुकिंग का दायित्व सौंपा गया है। विज्ञापनों और प्रायोजकता की बुकिंग आम तौर पर प्रत्यायित और मान्यता प्राप्त एजेंसियों तथा एजेंसी के कमीशन के बिना अग्रिम भुगतान पर सीधे आर्डर के जरिए की जाती है। क्षेत्रीय केन्द्रों पर यह सेवा पहले उपलब्ध नहीं थी वहां भी यह सेवा शुरू कर दी गई है। दूरदर्शन के उच्च क्षमता ट्रांसमीटरों (एचपीटी) तथा निम्न क्षमता ट्रांसमीटरों (एलपीटी) केन्द्रों पर भी स्क्रोल विज्ञापन स्वीकार किये जाते हैं हालांकि इन केन्द्रों पर कार्यक्रम तैयार नहीं होते हैं। वाणिज्यिक अनुभाग ने 2010–11 में 1092.52 करोड़ रुपये (आंकड़ों का ऑडिट नहीं हुआ है) तथा वर्ष 2011–12 में (सितम्बर, 2011 तक) 508.05 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

वाणिज्यिक राजस्व (करोड ₹ में)

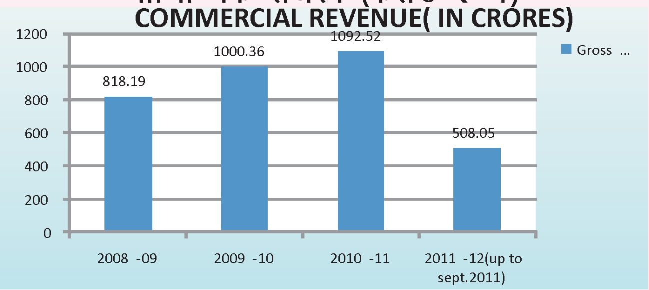

विकास संचार प्रभाग

दूरदर्शन ने मार्च, 2001 विकास संचार प्रभाग (प्रारंभ में इसका नाम सरकारी कारोबार प्रकोष्ठ) की स्थापना की थी। इसका कार्य सरकारी एजेंसियों, सीधे विपणन मध्यस्थों (प्राइवेट एजेंसियों) की सेवाएं न लेकर सक्रिय पहल, विपणन के कारगर साधन और रणनीति तथा समय पर शुरूआत और समापन के जरिए राजस्व की वृद्धि करना था। इस कदम से विकास संचार प्रभार के राजस्व में वृद्धि हुई है और अच्छा मुनाफा कमाया है। इस वर्ष प्रभाग के राजस्व में रिकॉर्ड 1300% की वृद्धि हुई है।

इस वर्ष दूरदर्शन के 16 केन्द्रों ने 10 भाषाओं और बोलियों में 1664 कार्यक्रम तैयार किए।

विकास संचार द्वारा स्थापित व्यवस्था से, केन्द्रों ने इन–हाउस निर्माण के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौते किए हैं। इसी मॉडल की तर्ज पर कृषि और नैरोकास्टिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अब ज्यादा से ज्यादा सरकारी एजेंसियां समाज के लिए प्रासंगिक विषयों पर दूरदर्शन के साथ साझेदारी की मांग कर रही हैं। लोकप्रिय धारावाहिक 'क्योंकि जीना इसी का नाम है' के लिए यूनिसेफ के साथ हमारी साझेदारी इस वर्ष भी आगे भी जारी रहेगी।

दूरदर्शन को प्राप्त पुरस्कारों की श्रृंखला में इस वर्ष एक और सम्मान में अपनी जगह बनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के सबसे लम्बे समय से चल रहे स्वास्थ्य अभियान 'कल्याणी' को सम्मानित करने के लिए चुना है। दूरदर्शन द्वारा इन–हाउस बनाया गया यह कार्यक्रम विश्व में चोटी के उन 15 अभिनव कार्यक्रमों में से एक है जो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इसके बेमिसाल प्रभाव का प्रदर्शन किया था। यह अभियान अब 21 राज्यों में 13 भाषाओं और 17 बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है।

सामाजिक सरोकारों के लिए विकास संचार

नैरोकास्टिंग

'कृषि विस्तार को जनसंचार माध्यम का सहयोग' नामक यह व्यवस्था 2004 में शुरू की गई थी। इसमें त्रि–स्तरीय पहुंच को अपनाया गया है।

1. राष्ट्रीय चैनल परः सप्ताह में 6 दिन (सोमवार से शनिवार) प्रातः 6.00 बजे से 7.00 बजे तक देश–विशेष के कृषि कार्यक्रमों को प्रसारण।

2. 18 क्षेत्रीय चैनलों परः संबंधित क्षेत्रीय उपग्रह चैनलों (आरएलएसएस) पर सांय 6.00 बजे से 6.30 बजे तक प्रतिसप्ताह 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) 30 मिनट के लिए राज्य विशिष्ठ कार्यक्रमों का प्रसारण।

3. नैरोकास्टिंग मोड मेः सप्ताह में 2 बार क्षेत्र विशेष की जानकारी तैयार की जाती है। इसे देश के 180 ट्रांसमीटरों के जरिये क्षेत्रीय केन्द्रों पर पीजीएफ के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) शाम को प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की जानकारी प्रस्तुत करता है और देश के 180 से ज्यादा जिलों के किसानों की जरूरतें पूरी करता है।

कृषि, बागवानी, पशु–चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य पालन के सभी पहलुओं को इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। साप्ताहिक लाइव फोन–इन कार्यक्रम, पुणे स्थित भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के कृषि मौसम प्रभाग द्वारा मौसम के बारे में उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी और फसलों के संबंध में परिचर्चाएं इन कार्यक्रमों को विशेषताएं हैं। कृषि समाचार बुलेटिन, मंडी भाव बुलेटिन (बाजार मूल्य) भी प्रसारित किए जाते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की जानकारी भी दी जाती है। कृषि–दर्शन कार्यक्रम में खरीफ सत्र के दौरान बीजों के उपचार पर अभियान चलाए जाते हैं तथा कृषि मंत्रालय के डीएसी द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य जानकारी भी प्रसारित की जाती है।

दूरदर्शन के 55 निर्माण केन्द्र हैं, प्रत्येक केन्द्र का तारीख–वार प्रसारण कार्यक्रम एक विशिष्ट पोर्टल (www.dacnet.nic.in/csms) पर अपलोड किया जाता है, ताकि कृषि विस्तारकर्मी, नियोजक और शिक्षित किसान प्रतिदिन प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में पहले ही सूचना हासिल कर सकें।

पर्यावरण दर्शन

दूरदर्शन ने 2011–12 के दौरान 'पर्यावरण जागरूकता के लिए जनसंपर्क माध्यम का सहयोग' स्कीम को कार्यान्वित किया। इस अभियान को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सहयोग प्राप्त था। दूरदर्शन के डीडी नेशनल तथा 18 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से यह अभियान चलाया गया था। स्कीम के अनुसार, 'पर्यावरण दर्शन' नाम से एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र–विशेष से जुड़े विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर उन्हीं की भाषाओं में विषय–वस्तु का प्रसारण किया जाता है। क्षमता निर्माण की दृष्टि से, सीपीसीबी ने पर्यावरण दर्शन कार्यक्रम के निर्माताओं के लिए दिल्ली में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

रॉबोकॉन

दूरदर्शन ने भारत में 2002 में रॉबोकॉन (रॉबोटिक प्रतिस्पर्धा) प्रारम्भ किया, उस समय केवल 4 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय रॉबोकॉन 2011

अंतर्राष्ट्रीय रॉबोटिक कॉन्टेस्ट, 2011 बैंकाक, थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में आयोजित की गई थी। इसमें 18 देशों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने भाग लिया था। एमसीओटी ने रॉबोकॉन 2011 का विषय 'लाइटिंग हैप्पीनेस विद फ्रैंडशिप' घोषित किया था।

भारतीय राष्ट्रीय रॉबोकॉन 2011

राष्ट्रीय रॉबोकॉन 2011 दूरदर्शन और मेफर्स महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) के संयुक्त प्रयासों से 2 से 5 मार्च, 2011 के दौरान शिवाजी छत्रपति क्रीड़ा संकुल, बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त करने के लिए कुल 58 टीमों ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। निरमा प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ने यह प्रतिस्पर्धा जीती।

आगामी रॉबोटिक प्रतिस्पर्धा

आगामी रॉबोटिक प्रतिस्पर्धा हाँगकाँग में आयोजित की जाएगी। इसका विषय है 'इन परसुइट ऑफ पीस एण्ड प्रॉस्पेरिटी'। प्रतिस्पर्धा का विवरण और नियम www.aburobocon2012.h.k.s. पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय रॉबोकॉन 2012 01 मार्च से 03 मार्च, 2012 तक बालेवाडी, पुणे में आयोजित की जाएगी।

डीडी अभिलेखागार

महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग्स को भविष्य में प्रसारण के लिए तथा भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाता है और किसी भी प्रसारण एजेंसी के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय प्रसारण

इसमें अपवाद नहीं है। दूरदर्शन सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे बड़ा तथा सबसे पहला श्रव्य दृश्य मंच है। इसका 50 वर्ष का इतिहास है। लेकिन इसके विभिन्न केन्द्रों के जरिए प्रसारित अद्वितीय और बहुमूल्य कार्यक्रमों के प्रसारण की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। 1959 से 2003 तक डीडी का अभिलेखागार कमोबेश एक भंडारगृह था और अभिलेखागार के नाम पर रिकॉर्डिंग्स को केवल लुप्त होने से बचाया जाता था, वह भी केवल उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को जिन्हें कुछ गिने–चुने लोगों ने महत्वपूर्ण माना हो। दूरदर्शन के अभिलेखागार को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए 2003 में फिर से सुसज्जित किया गया।

डीडी अभिलेखागार निम्नलिखित कार्य कर रहा हैः–

- कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण
- डीवीडी तथा सीडी का विमोचन
- अभिलेखीय फुटेज की बिक्री
- डीवीडी को कस्टमाइज करना
- चैनलों को सॉफ्टवेयर की आपूर्ति

कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण

डीडी अभिलेखागार ने डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अभिलेखागार के लिए 8 इन्जेस्ट प्वाइन्ट्स और 5 टेराबाइट ऑन लाइन स्टोरेज क्षमता से युक्त मीडिया एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन और 19 एलटीओ4 टेप खरीदी हैं, इसमें लगभग 1200 घंटे की डिजटलीकृत और अभिलेखित विषय–वस्तु संरक्षित की जा सकती है। अभिलेखीकृत कार्यक्रमों को डिजिटल डोमेन में रखने की दिशा में यह एक छोटी सी शुरूआत है। अभी तक लगभग 1000 घंटे की डिजिटलीकृत सामग्री को संरक्षित किया जा चुका है।

वर्ष 2011 के दौरान, डिजिटलीकृत (डबिंग) घंटों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

1.	बीटा	579
2.	यूमेटिक	193
3.	डीवीसी	152
4.	बीसीएन	94
	कुल घंटे	**1018**

डीवीडी तथा सीडी का विमोचन

प्रतिष्ठित डीवीडी परियोजना के इस वर्ष 100 टाइटल पूरे हो चुके हैं। 04–01–2011 को सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी ने 6 डीवीडी जारी कीं। डीवीडी के नाम हैः–

1. पेंटिंग्स ऑफ इंडिया– 6 डीवीडी का सेट–विनय के. बहल द्वारा निर्देशित
2. सीक्रेट्स ऑफ शास्त्राज रिवील्ड बाई गुरुज–5 डीवीडी का सेट–
   - भरतांजलि
   - नाट्योपासना
   - नाट्यशास्त्र
3. सुरभि–आंध्र प्रदेश में रंगमंच आंदोलन के 125 वर्ष पर आधारित डीवीडी
4. फिलिग्री ऑफ रिदिम–महान तबला वादकों की वादन कला पर आधारित डीवीडी– उस्ताद अहमदजान थिरकवा, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद– 2 डीवीडी का सेट
5. मशहूर नृत्यांगना– डॉ. सोनल मानसिंह– 2 डीवीडी का सेट

(ख) आकाशवाणी द्वारा 29–06–2011 को दूरदर्शन केन्द्र चेन्नई में आयोजित विमोचन समारोह के दौरान माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एस. जगतरक्षकन ने निम्नलिखित 3 सीडी का विमोचन किया।

1. कण्णनिन अरमधु (श्रीमद भागवद गीता पर वेल्लुकुडी कृष्णन का तमिल में प्रवचन)
2. भामाकल्पम (अलेख्य पुंजल द्वारा कुचिपुडि में परम्परागत ओपेरेटिक नृत्य की प्रस्तुति)
3. लालगुडि जी, जयरामन, वॉयलिन वादन

इनके अलावा, निम्नलिखित परियोजनाएं संपन्न की जा चुकी हैं:

1. शब्द शताब्दी परियोजनाः

दूरदर्शन अभिलेखागार ने दो खण्ड वाली शब्द शताब्दी परियोजना पूरी कर ली है। इसके साथ एक ई–बुक भी संलग्न होगी,

जिसमें निम्नलिखित समकालीन कवियों के बारे में ऑडियो विजुअल विषय–वस्तु होगीः–

- शमशेर बहादुर सिंह
- अज्ञेय
- नागार्जुन
- केदारनाथ अग्रवाल

2. डीवीडी–अर्ध शास्त्रीय संगीत–पंडित मोहिन्दर सरीन की रचनाएं।

3. निम्नलिखित शीर्षक सम्पन्न होने वाले हैः

(क) पंडित कुमार गंधर्व–एक डीवीडी (शास्त्रीय)

(ख) ध्रुपद–धमार

31–10–2011 तक अभिलेखीय फुटेज तथा कस्टमाइज्ड डीवीडी की बिक्रीः–

वाणिज्यिक डीवीडी से अर्जित राजस्व
₹ 63.57 लाख

कस्टमाइज्ड डीवीडी (फूटेज की बिक्री) से अर्जित राजस्व
₹ 10.24 लाख

कुल राजस्व
₹ 73.81 लाख

चैनलों को सॉफ्टवेयर की आपूर्ति

डीडी अभिलेखागार क्षेत्रीय चैनलों में प्रसारण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करता है।

डीडी वार्षिक पुरस्कार

दूरदर्शन ने इन–हाउस कार्यक्रमों की विषयगत, सौंदर्यपरक और तकनीकी उत्कृष्टता को पहचान तथा सम्मान देने के लिए डीडी पुरस्कार 2001 में प्रारम्भ किये थे। इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य स्टाफ में बेहतर और अभिनव निर्माण की प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहन देना है। वार्षिक पुरस्कार समारोह, विभिन्न केन्द्रों के प्रतिभाशाली निर्माताओं को सीखने और उत्साहवर्धन के अवसर के तौर पर आयोजित किया जाता है। पहले समारोह में 34 श्रेणियों को सम्मानित किया गया था।

वर्ष 2010 में, 10वां डीडी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 25 मई, 2011 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। कुल 32 श्रेणियों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने वर्ष 2011 के वार्षिक पुरस्कारों के लिए 'अभिनव संकल्पना तथा अभिनव निरुपण' नाम से एक और नई श्रेणी को शामिल करने की घोषणा की। 10वें दूरदर्शन वार्षिक पुरस्कार समारोह से 80 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

वर्ष 2011 में, 11वां डीडी वार्षिक पुरस्कार समारोह फरवरी 2012 में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम/अभियांत्रिकी/समाचार श्रेणी में कुल 32 पुरस्कार हैं। 'अभिनव संकल्पना तथा अभिनव निरुपण' तथा सर्वश्रेष्ठ कमीशन्ड कार्यक्रम के लिए शुरू किये गए पुरस्कारों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

एबीयू सम्मेलन नवम्बर, 2011 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और एबीयू पुरस्कार, 2011 के लिए, विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से ज्वलंत घटनाएं, वृत्तचित्र, नाटक, बाल, युवा मनोरंजन आदि जैसी अलग–अलग श्रेणियों के कार्यक्रमों का चयन किया गया।

हिन्दी अनुभाग

महानिदेशालय और उसके अधीन कार्यालयों में केन्द्र की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए निदेशालय में अलग से एक हिन्दी अनुभाग कार्य कर रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान अनुभाग द्वारा किए गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैः–

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा–3 (3) के तहत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए गए और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया।

2. निदेशालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, राजभाषा हिन्दी के बारे में अधिकारियों/कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से समय–समय पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

3. दूरदर्शन के तीन केन्द्रों, 'ए' क्षेत्र में दिल्ली, 'ख' क्षेत्र में राजकोट और 'ग' क्षेत्र में चेन्नई को वर्ष 2009–10 के

दौरान अपने–अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान की गईं।

4. निदेशालय की गृह पत्रिका 'दर्शन' का 6वां अंक जारी किया गया।

5. 01 सितम्बर से 15 सितम्बर 2011 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को नगद पुरस्कार दिये गए।

6. शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी व्याख्यान माला के अंतर्गत 25 मार्च, 2011 को सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक तथा समालोचक, डॉ मैनेजर पांडेय का व्याख्यान आयोजित किया गया।

दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रकाशित 7 हिन्दी पत्रिकाओं को सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार योजना के तहत शील्ड/ट्रॉफी प्रदान की गई।

दर्शक अनुसंधान

दूरदर्शन की दर्शक अनुसंधान यूनिट की दूरदर्शन केन्द्रों के साथ संलग्न 19 फील्ड इकाइयां प्रसारण के विभिन्न पहलुओं के बारे में शोध अध्ययन के कार्य में 1976 से जुटी हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान श्रोता अनुसंधान यूनिट का योगदान इस प्रकार रहाः–

- टीएएम टीवीआर का साप्ताहिक आधार पर विश्लेषण और रिपोर्टिंग।
- वर्ष 2010–11 के लिए प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्ट तथा इसी अवधि के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- "भारत में महिलाओं और परिवारों पर डीडी, प्राइवेट केबल तथा उपग्रह चैनल का प्रभाव" विषय पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।
- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार पूरे भारत को कवर करने वाले ग्रामीण डार्ट पैनल सर्वेक्षण की पुनरीक्षा महानिदेशक दूरदर्शन को ग्रामीण डार्ट के बारे में नियमित तौर पर फीडबैक उपलब्ध कराया जाता है।
- "डीटीएच रिसीवर के प्रावधान का अध्ययन–इसकी उपयोगिता और दर्शकों की अवधारणा का अध्ययन" रिपोर्ट की उपयोगिता का विश्लेषण किया जा चुका है ।

अनुलग्नक I

दूरदर्शन का विकास

दिनांक	स्टूडियो केन्द्र	ट्रांसमिटर				
		ट्रांसमिटर	एल पी टी	वी एल पी टी	टी/पी	कुल
31.03.1959	-	-	-	-	-	-
31.03.1960	1	1	-	-	-	1
31.03.1970	1	1	-	-	-	1
31.03.1980	10	18	-	-	-	18
31.03.1990	19	59	374	72	18	523
31.03.2000	49	97	719	255	19	1090
31.03.2002	58	146	823	319	20	1308
31.03.2007	64	204	826	351	18	1399
31.03.2011	66	214	812	371	18	1415
31.12.2011	67	214	812	371	18	1415

अनुलग्नक–II

दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो केन्द्र)

अखिल भारतीय चैनल (7)	डीडी राष्ट्रीय डीडी स्पोर्ट्स	डीडी राज्यसभा डीडी ज्ञानदर्शन	डीडी उर्दू डीडी समाचार	डीडी भारती
क्षेत्रीय चैनल (11)	डीडी पोधगई डीडी केरलम डीडी सप्तगिरि	डीडी उत्तर पूर्व डीडी कन्नड़ डीडी सहयादि	डीडी उड़िया डीडी गिरनार डीडी कशिर	डीडी बांग्ला डीडी पंजाबी
राज्य नेटवर्क (15)	उत्तराखण्ड झारखण्ड मेघालय छत्तीसगढ़	अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश	बिहार त्रिपुरा मणिपुर हरियाणा	मिजोरम राजस्थान नागालैण्ड
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल (1)	डीडी			
डीडी–एचडी	डीडी–एचडी			

दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो केन्द्र)

क्रम संख्या	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी चैनल (डी डी 1)					समाचार चैनल (डी डी न्यूज)				ट्रांसमिशन की पूरी अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रमों को रिले करने वाले डी डी 1 ट्रांसमिटर			
		एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	टीआरपी	योग	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	योग	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	योग
1	आन्ध्र प्रदेश	9	75		1	85	4	6		10			10	10
2	अरुणाचल प्रदेश	1	3	39	1	44	1			1				0
3	असम	4	20	1	1	26	2	1		3				0
4	बिहार	4	32	2		38	2	2		4				0
5	छत्तीसगढ़	4	15	8		27	1			1				0
6	गोवा	1				1	1			1				0
7	गुजरात	7	51			58	4	3		7			3	3
8	हरियाणा	2	13			15	1	7		8				0
9	हिमाचल प्रदेश	3	7	39	2	51	2	1		3				0
10	जम्मू कश्मीर	10	7	69	1	87	5	3		8	4	8	18	30
11	झारखंड	3	17	2		22	2	2	1	5				0
12	झारखंड	8	47			55	4	2		6			7	7
13	केरल	4	20			24	3	2		5			4	4
14	मध्य प्रदेश	8	60	6		74	4			4				0
15	महाराष्ट्र	8	78			86	5	10		15			20	20
16	मणिपुर	2	1	4		7	1			1				0
17	मेघालय	2	3	2	1	8	2			2				0
18	मिजोरम	2	1	2	1	6	1	1		2				0
19	नागालैण्ड	2	2	6	2	12	1	1		2				0
20	उड़ीसा	5	62		1	68	2	7	2	11			16	16
21	पंजाब	4	4		1	9	3	1		4				0
22	राजस्थान	7	65	17	2	91	4	4		8				0

क्र. सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी चैनल (डीडी–1)					समाचार चैनल (डीडी न्यूज)				ट्रांसमिशन की पूरी अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रमों को रिले करने वाले डी डी 1 ट्रांसमिटर			
		एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	टीआरपी	योग	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	योग	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	योग
23	सिक्किम	1		6		7	1			1				0
24	तमिल नाडु	6	44		1	51	2	9		11	1		7	8
25	त्रिपुरा	1	5	1	1	8	1	1		2				0
26	उत्तर प्रदेश	11	52	3		66	7	10	1	18				0
27	उत्तराखण्ड	1	15	33	2	51	1	2		3				0
28	प.बंगाल	8	19			27	4	2		6	1		1	2
29	अण्डमान–निकोबार द्वी.स.	1	1	18		20	1	1	6	8				0
30	चण्डीगढ़		1			1				0				0
31	दादरा और नगर		1			1				0				0
	हवेली													
32	दमन और दिउ		2			2				0				0
33	दिल्ली	1				1	1			1				0
34	लक्षद्वीप		1	1		2			7	7			7	7
35	पुदुचेरी	1	1	1		3		1		1			1	1
	कुल	131	725	260	18	1134	73	79	17	169	6	8	94	108

नोट : उपरोक्त ट्रांसमिटरों के अलावा चार मेट्रो में चार डिजिटल ट्रांसमिटर (एच पी टी) उपरोक्त चार ट्रांसमिटरों के अलावा परिचालन में हैं।

ट्रांसमिटरों की कुल संख्या : 1415

दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडिओ सेंटर)

अनुलग्नक III

क्र.सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़ा, वारंगल, तिरूपति
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
3.	असम	डिब्रूगढ़, सिलचर, गुवाहाटी (पी पी सी)
4.	बिहार	पटना,मुजफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर,जगदलपुर
6.	गोवा	पणजी
7.	गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट
8.	हरियाणा	हिसार
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	जम्मू कश्मीर	जम्मू
11.	झारखंड	रांची
12.	कर्नाटक	बंगलूरू
13.	केरल	कालिकट, तिरूअनंतपुरम
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर, ग्वालियर
15.	महाराष्ट्र	मुम्बई, नागपुर, पुणे
16.	मणिपुर	इम्फाल
17.	मेघालय	शिलांग,तुरा
18.	मिजोरम	आइजोल
19.	नागालैण्ड	कोहिमा
20.	उड़ीसा	भुवनेश्वर, भवानीपटना, सम्बलपुर
21.	पंजाब	जालन्धर, पटियाला
22.	राजस्थान	जयपुर
23.	सिक्किम	गंगटोक
24.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई
25.	त्रिपुरा	चेन्नई,कोयम्बटूर, मदुराई
26.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर,मऊ वराणसी, मथुरा
27.	उत्तराखण्ड	देहरादून
28.	पश्चिमी बंगाल	कोलकाता, शान्तिनिकेतन,जलपाईगुड़ी
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
30.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
31.	दिल्ली	दिल्ली (सी पी सी)
32.	पुडुचेरी	पुडुचेरी

अनुलग्नक–V

11वीं योजना के अंतर्गत पूर्णतः डिजीटाइज किए जाने वाले स्टूडियो केन्द्र

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पूर्णतः डिजीटाइज किए जाने वाले स्टूडिया
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी (पी पी सी),सिलचर
बिहार	मुजफरपुर
छत्तीसगढ़	रायपुर, जगदलपुर
गोवा	पणजी
गुजरात	राजकोट
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू कश्मीर	जम्मू
झारखण्ड	रांची, डाल्टनगंज
कर्नाटक	गुलबर्गा
केरल	त्रिचूर
मध्य प्रदेश	इंदौर, ग्वालियर
महाराष्ट्र	नागपुर, पुणे
मणिपुर	इम्फाल
मेघालय	शिलांग, तूरा
मिजोरम	आइजोल
नागालैण्ड	कोहिमा
उड़ीसा	सम्बलपुर,भवानीपटना
सिक्किम	गंगटोक
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	मऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मथुरा
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी, शान्तिनिकेतन
अंडमान निकोबार	पोर्टब्लेयर
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
पुडुचेरी	पुडुचेरी

11वीं योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले डिजिटल ट्रांसमिटर

राज्य / संघ शासित क्षेत्र	डिजिटल ट्रांसमिटर की स्थिति
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़ा
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
छत्तीसगढ़	रायपुर
दिल्ली	दिल्ली
गुजरात	राजकोट, सूरत,बड़ोदरा,अहमदाबाद
हिमाचल प्रदेश	कसौली
जम्मू कश्मीर	श्रीनगर
झारखण्ड	रांची
कर्नाटक	बंगलूरू, मैसूर
केरल	तिरुवनंतपुरम, कोच्चि
मध्य प्रदेश	इंदौर, ग्वालियर, भोपाल
महाराष्ट्र	नागपुर, पुणे, मुम्बई, औरंगाबाद,
उड़ीसा	कटक
पंजाब	जालन्धर, अमृतसर
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई, कोडाईकनाल
उत्तर प्रदेश	कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा,
उत्तराखण्ड	मसूरी
पश्चिम बंगाल	कोलकाता, कुर्सियांग, कृष्णानगर

आल इण्डिया रेडियो (आकाशवाणी)

संगठनात्मक ढांचा

आकाशवाणी महानिदेषालय प्रसार भारती (ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया) के तहत कार्य करता है। संपूर्ण आकाशवाणी नेटवर्क के समग्र प्रशासन तथा निरीक्षण के लिए वह उत्तरदायी होता है। अपने कर्त्तव्यों तथा अधिकारों के निष्पादन में, महानिदेशक की सहायता निम्न अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्यक्रम स्कन्ध

उप महानिदेशक मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम एवं सामग्री निर्माण से संबंधित मामलों की देखभाल करते हैं। अतिरिक्त क्षेत्रीय महानिदेशकों के मुख्यालय दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र–1) एवं चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र–2), मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र–1 व 2), लखनऊ (मध्यक्षेत्र–1) एवं भोपाल (मध्य क्षेत्र–2) कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र), गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र–1 व 2), चेन्नई (दक्षिण क्षेत्र–1) एवं बंगलूरू (दक्षिणी क्षेत्र–2) में हैं।

अभियांत्रिकी स्कन्ध

आकाशवाणी के तकनीकी मामलों में महानिदेशक का सहयोग इंजीनियर–इन–चीफ तथा अतिरिक्त महानिदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा किया जाता है। इंजीनियर–इन–चीफ इंजीनीयरिंग मुख्यालयों नियोजन एवं विकास एकांश आकाशवाणी निदेशालय, जोनल चीफ इंजीनियरों एवं आकाशवाणी स्टेशनों के इंजीनियरिंग मुख्याधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है। इंजीनियर–इन–चीफ रेडियो प्रसारण, अनुसंधान एवं विकास एवं इंजीनियरिंग स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। सिविल निर्माण स्कन्ध (सी.सी.डब्ल्यू.), जिसका प्रमुख चीफ इंजीनियर होता है, सिविल निर्माण गतिविधियां देखता है। सिविल निर्माण स्कन्ध दूरदर्शन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

प्रशासनिक स्कन्ध

महनिदेशक को प्रशासन संबंधी सभी मामलों में सहायता के लिये एक उप महानिदेशक (प्रशासन) होता है जबकि अतिरिक्त उप महानिदेशक (कार्यक्रम) कार्यक्रम संबंधी मामले देखता है। एक निदेशक इंजीनियरिंग एवं कार्यक्रम प्रशासन से सबंधित आकाशवाणी के मामले देखता है जबकि एक अन्य निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) महानिदेशक को प्रशासन एवं वित्त के मामलों में सहायता प्रदान करता है।

सुरक्षा स्कन्ध

आकाशवाणी प्रतिष्ठानों, ट्रांसमीटरों, स्टूडियो, कार्यालयों आदि की सुरक्षा को देखने के लिये एक उप महानिदेशक (सुरक्षा) होता है जिसकी सहायता सहायक महानिदेशक (सुरक्षा) करता है। दूरदर्शन की सुरक्षा आवश्यकताओं की निगरानी भी इन्हीं अधिकारियों के द्वारा की जाती है।

श्रोता अनुसंधान स्कन्ध

विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों पर सर्वेक्षण कार्य के संबंध में महानिदेशक की सहायता के लिए निदेशक (श्रोता अनुसंधान) होता है।

आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों की संक्षिप्त गतिविधियां

समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन अपनी घरेलू, क्षेत्रीय, विदेशी और डीटीएच सेवाओं के जरिए 90 भाषाओं/बोलियों में करीब 56 घंटे की कुल अवधि के 647 बुलेटिन प्रसारित करता है। इसके अलावा आकाशवाणी के 41 केन्द्रों से हर घंटे एफएम मोड पर 312 'मुख्य समाचार' बुलेटिन प्रसारित करता है। समाचार सेवा प्रभाग का मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयां प्रति माह 1371 समाचार–आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। ये कार्यक्रम आम आदमी के हितों और सरकार के विकास–प्रयासों से संबंधित होते हैं।

समाचार सेवा प्रभाग अपनी 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के जरिए देश में विभिन्न हिस्सों के लोगों की सूचना संबंधी जरूरतें पूरी करता है। इन इकाइयों से राष्ट्रीय सेवाओं के तहत 76 क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में कुल 23 घंटे की ज्यादा अवधि के 177 क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं और विदेष सेवा के अंतर्गत 6 भाषाओं में एक घंटे से ज्यादा कुल अवधि के 10 समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। इन समाचार बुलेटिनों के अलावा, क्षेत्रीय समाचार इकाइयां एफएम रेनबो तथा अन्य फ्रीक्वेंसियों पर एक घंटे से ज्यादा अवधियों के

भारत
आकाशवाणी केन्द्र
31-12-2011 तक
कुल स्टेशन - 261
पाकिस्तान
चीन
नेपाल
राजस्थान
गुजरात
मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश
बिहार
पटना
झारखण्ड
नागपुर
कोल्हापुर
पणजी
कर्नाटक
तंजौर
संकेत सूची
वर्तमान
आकाशवाणी
(योजना एवं विकास एकक)

हेडलाइन बुलेटिन प्रसारित करती हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां प्रतिमाह 1019 समाचार–आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करती हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के पहाड़ी–भाषी लोगों की मांग को देखते हुए श्रीनगर के क्षेत्रीय समाचार इकाई से पांच मिनट का एक पहाड़ी बुलेटिन शुरू किया गया। वर्ष 1911 में राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों और गुवाहाटी, सिल्चर, कोलकाता, कुर्सीओंग, तिरूचिरापल्ली, चेन्नई, पुदुचेरी, कोच्चि और तिरुवनन्तपुरम केन्द्रों से क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के जरिए असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विध ाानसभा चुनावों की व्यापक कवरेज की गई।

चुनावों और इनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में अंषकालिक संवाददाताओं को उचित जानकारी देने के लिए इन क्षेत्रीय इकाइयों में उच्चस्तरीय कार्यषालाएं भी आयोजित की गईं। उक्त पांच राज्यों में मतदान के दिन विशेष बुलेटिन और कार्यक्रम प्रसारित किए गए। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों और कार्यक्रमों के लिए समाचार सेवा प्रभाग के मुख्यालय को विशेष रिपोर्टें भी भेजती हैं। इसके अलावा प्रति सप्ताह रविवार और सोमवार को राष्ट्रीय बुलेटिनों के लिए नियमित रूप से विकास–संबंधी समाचार और समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट के लिए समाचार फीचर भी भेजे जाते हैं। संबंधित आकाशवाणी केन्द्रों में समीक्षा समितियों द्वारा क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों की निगरानी की जाती है और इन समितियों की सिफारिशों के अनुरूप बुलेटिनों की गुणवत्ता में सुधार लाए जाते हैं।

समाचार सेवा प्रभाग की बहुभाषीय समाचार वेबसाइट www.newsonair.nic.in है जिसके जरिए विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों सहित विश्व भर के जनसमुदाय को भारत के समाचारों की जानकारी मिलती है। इस वेबसाइट के जरिए राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापारिक और खेल समाचारों की जानकारी तो मिलती ही है, इसके जरिए हिंदी और अंग्रेजी सहित 28 क्षेत्रीय भाषाओं में 165 समाचार बुलेटिनों/समाचार–आधारित कार्यक्रमों को सुना भी जा सकता है। 27 भाषाओं में प्रसारित 90 बुलेटिनों की स्क्रिप्ट भी वेबसाइट में उपलब्ध होती है। इस वेबसाइट के जरिए समाचार और बुलेटिनों/कार्यक्रमों का एक विशाल आर्काइव भी सर्च किया जा सकता है। वेबसाइट के हर समाचार के लिए आरएसएस फीड उपलब्ध कराई जाती है। अपने हेंडसेट/कम्प्यूटर पर बुलेटिन सुनने वालों के लिए पॉडकास्टिंग सुविधा भी उपलब्ध है।

समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 के दौरान इसमें 12 नए क्षेत्रीय बुलेटिन शामिल किए गए। इस वेबसाइट को देखने वालों की संख्या अप्रैल, 2011 में 13,656 से बढ़कर दिसम्बर, 2011 में 20,836 हो गई और इस तरह इस अवधि में वेबसाइट देखने वालों की संख्या में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रभाग के वेबसाइट सेल ने एनआईसी की मदद से इस वेबसाइट में अतिरिक्त सामग्री डालने की शुरूआत की है और वेबसाइट की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। श्रोताओं/दर्षकों से प्राप्त फीडबैक का नियमित रूप से जवाब दिया जाता है और इस पर उचित कार्रवाई की जाती है। वेबसाइट देखने वालों से मिले कुछ सुझावों को अपनाया भी गया है।

समाचार सेवा प्रभाग न्यूज–ऑन–फोन, एसएमएस और इलैक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड के जरिए भी समाचार सेवा उपलब्ध कराता है। आकाशवाणी के 14 केन्द्रों से 10 भाषाओं में श्रोताओं को ताजा मुख्य समाचार सुनाए जाते हैं।

चौबीस घंटे समाचार बुलेटिनों के प्रसारण के साथ–साथ, समाचार सेवा प्रभाग समाचारों, सामयिक तथा अन्य विषयों पर आम लोगों की जानकारी के लिए दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। प्रभाग आमतौर पर सरकार के नीतिगत कार्यक्रमों और उपलब्धियों को उजागर करता है। ऐसे विषयों पर रोजाना स्पॉटलाइट, समाचार विश्लेषण और सामयिकी तथा हर सप्ताह मनीटॉक, पब्लिक स्पीक, चर्चा का विषय है, वाद–संवाद, सुर्खियों से परे, करेंट अफेयर्स, ह्यूमन फेस, इंटरव्यू ऑफ दि वीक जैसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इनके अलावा समाचार बुलेटिनों में षामिल किए जाने के लिए रोजाना चार फीचर भी तैयार किए जाते हैं। प्रभाग की वार्ता तथा सामयिक मामलों को इकाई तथा फीचर इकाई के समाचार तथा समाचार–आधारित कार्यक्रमों में इस वर्ष शामिल प्रमुख मुद्दे इस प्रकार रहे–

- यूपीए सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमः इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मिडडे मील स्कीम, महिलाओं का सशक्तीकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना, राष्ट्रीय आवास योजना, सूचना का अधिकार, समेकित बाल विकास योजना तथा भारत निर्माण।
- राष्ट्रपति की स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया तथा मॉरिशस यात्रा की व्यापक कवरेज की गई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व–संध्या पर राष्ट्रपति के भाषण तथा गरीबों को निःशुल्क न्याय सुलभ कराने, बालिकाओं के जन्म के अनुपात को बेहतर बनाने और महिला सशक्तीकरण के उनके संदेशों का समाचार सेवा प्रभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों ने पर्याप्त प्रचार किया।
- निम्नलिखित शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की भागीदारी का प्रमुखता से प्रसारण किया गया– फ्रांस में जी–20 देशों का शिखर सम्मेलन, मालदीव में सार्क सम्मेलन, मालदीव की राजधानी माले में शिखर सम्मेलन बाली में आसियान शिखर सम्मेलन तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, सिंगापुर में भारत–सिंगापुर शिखर सम्मेलन, प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका तथा चीन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कजाकिस्तान में भारत–कजाकिस्तान शिखर सम्मेलन, बेल्जियम में भारत–बेल्जियम शिखर सम्मेलन, जर्मनी में भारत–जर्मनी शिखर सम्मेलन, दक्षिण कोरिया में जी–20 शिखर सम्मेलन, इथोपिया में दूसरा भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन, तंजानियां में भारत–तंजानिया शिखर सम्मेलन, काबुल में भारत–अफगानिस्तान भागीदारी शिखर सम्मेलन, मास्को में भारत–रूस शिखर सम्मेलन और विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सुरक्षा की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण।
- यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिए जाने वाले बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रहण करने के लिए जाने से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए गए। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके असाधारण भूमिका के लिए यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के सामाजिक ऑडिट के बारे में श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश, समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने के उनके सुझाव, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा राजस्थान में गरीबी से नीचे बसर कर रहे परिवारों के भलाई के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ।
- उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की राष्ट्रमंडल प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आस्ट्रेलिया यात्रा, उनकी भारत–तुर्की सहयोग बढ़ाने के लिए तुर्की की यात्रा नए देश दक्षिणी सूडान के गठन पर भारत के प्रतिनिधि के रूप में इस देश की राजधानी जुबा की यात्रा अपनी कम्पाला यात्रा के दौरान युगांडा के राष्ट्रपति श्री योवेरी मुसेवेनी से मुलाकात और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पानी के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देना, हैदराबाद में विश्व उर्दू संपादक सम्मेलन में उपराष्ट्रपति द्वारा उर्दू भाषा को मजबूत करने और उर्दू भाषा के संपादकों को निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की अपील।
- लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की स्विटजरलैंड यात्रा, विदेश मंत्री श्री एस.एम..कृष्णा की नेपाल यात्रा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह आहलुवालिया की दक्षिण कोरिया, अमरीका और फ्रांस यात्रा, श्री कमलेश शर्मा का राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में दूसरी बार चुने जाना, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित आर्थिक संपादक सम्मेलन।
- जर्मनी की चांसलर श्रीमती एंजेला मर्केल का जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय संद्भावना पुरस्कार ग्रहण करने नई दिल्ली आना, जापान के प्रधानमंत्री श्री योशिहिको नोडा की भारत यात्रा, दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति कार्यालय में मंत्री डॉ. प्रिसिला कुच की भारत यात्रा।
- रक्षा सहयोग तथा आंतकवाद और समुद्री लुटेरों की समस्या का मुकाबला करने की दृष्टि से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय

घटनाओं और सामरिक भागीदारियों के बारे में भारतीय दृष्टिकोण की कवरेज।

- सरकार के पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण दूर करने के प्रयासों के सिलसिले में समय—समय पर अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
- परिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। इस बारे में वैश्विक स्थिति का जायजा लेते हुए डरबन सम्मेलन में हुई चर्चा को विशेष महत्व दिया गया।
- सूखा, तूफान, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं और इनसे निपटने के सरकारी प्रयासों से जुड़े प्रसारणों को पर्याप्त महत्व दिया गया।
- पीएसएलवी सी—16 और पीएसएलवी सी—18 के सफल प्रक्षेपण, अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण, सात अरब रुपये लागत की गंगा कार्य योजना, राष्ट्रीय गंगा बेसिन परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा एक अरब रुपये डालर का ऋण दिया जाना।
- गरीबों को जल्दी न्याय दिलाए जाने के लिए न्याय तथा कानूनी सुधार के राष्ट्रीय मिशन का गठन और भ्रष्टाचार के मामलों के निपटारे के लिए 71 फास्ट ट्रेक विशेष सीबीआई अदालतें बनाई जाना।
- नक्सली हिंसा से प्रभावित 60 जिलों के कारगर विकास के लिए विशेष आर्थिक तथा विकास योजनाओं की घोषणा।
- गैर—कृषि उद्देश्य के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण का मुद्दा सुर्खियों में रहा। इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया। इस सिलसिले में अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
- मुद्रास्फीति रोकने और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयास और नीतियां।
- बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार के विभिन्न फैसले।
- मुद्रास्फीति और खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी।
- पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी कवरेज।
- अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों, केन्द्रीय मंत्रियों, दिल्ली की मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों, योजना आयोग के सदस्यों, अन्य राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों के कार्यकलापों से जुड़ी कवरेज, राष्ट्रीय पद्म पुरस्कारों की कवरेज।
- लोकपाल विधेयक, भ्रष्ट्राचार के मामलों की जानकारी देने वालों को संरक्षण देने का विधेयक (व्हिशल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल) और लोक शिकायत निवारण विधेयक को व्यापक कवरेज दी गई।
- सरकार द्वारा विधायी और कार्यकारी स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के उपायों को कवरेज दी गई ताकि एक समग्र तस्वीर सामने आ सके।
- असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल के चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना, चुनाव परिणाम और चुनावों के बाद की स्थिति की प्रभाग के मुख्यालय से प्रसारित विशेष हिंदी और अंग्रेजी रेडियो ब्रिज कार्यक्रम के अंतर्गत सच्ची और निष्पक्ष कवरेज की गई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा के चुनावों की घोषणा, चुनाव अभियान और मतदान के विभिन्न चरणों की कवरेज जारी है।
- संसद की विशेष कार्रवाइयों की इशूज बिफोर दि पार्लियामेंट, टूडे इन पार्लियामेंट, संसद समीक्षा तथा सभी प्रमुख राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय बुलेटिनों में कवरेज की गई।
- खेलकूद के क्षेत्र में वीरेंद्र सहवाद द्वारा एक—दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर सचिन तेदुंलकर का रिकार्ड तोड़े जाने, चीन में एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप में भारत की पाकिस्तान पर जीत, स्विस ग्रां प्री बैडमिंटन चैम्पियनशिप में सायना नेहवाल की विजय, ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल ट्रेक पर फार्मूला वन ग्रां प्री कार रेस का आयोजन तथा भारत द्वारा दक्षिण एशिया फेडरेशन कप जीतने की व्यापक कवरेज की गई।
- गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की कवरेज की गई।

- अदालती कार्रवाई और सीबीआई की जांच रिपोर्टों से जुड़ी बड़ी खबरों पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

रिपोर्टिंग, वार्ता तथा सामयिक चर्चा और फीचर इकाई द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों से साक्षात्कार प्रसारित किए गएः–

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद

उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल

प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री श्री वी. नारायण स्वामी

खेल मंत्री श्री अजय माकन

पंचायत राज और जनजातीय कार्य मंत्री श्री किशोर चंद्र देव

संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल

श्रम मंत्री श्री मल्लिकार्जुन एम. खडगे

सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम मंत्री श्री वीरभद्र सिंह

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री श्री मुकुल वासनिक

संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हरीश रावत

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राज्य मंत्री श्री पवन कुमार घटोवर

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित

मुख्य निर्वाचन आयोग डॉ. एस.वाई. कुरैशी

विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक श्री वीर राघवन

योजना आयोग की सदस्य सुश्री सईदा हमीद

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री ममता शर्मा

राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद के महानिदेशक श्री दिलीप शिनौय

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सत्यानंद मिश्र

जनगणना आयुक्त डॉ. सी. चंद्रमौलि

अनुसंधान विभाग

अनुसंधान विभाग की गतिविधियों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की जरूरत के उपकरणों के बारे में अनुसंधान और विकास, आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में अन्वेषण और अध्ययन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क में सीमित क्षेत्रीय परीक्षण के लिए अनुसंधान एवं विकास उपकरणों के प्रोटोटाइप माडलों का विकास शामिल है।

केन्द्रीय स्टोर कार्यालय

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्टोर कार्यालय आकाशवाणी केन्द्रों पर तकनीकी उपकरणों के रखरखाव के लिए आवश्यक अभियांत्रिकी स्टोर की प्राप्ति, स्टॉक तथा वितरण से सम्बन्धित कार्यों को निष्पादित करते हैं।।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम)

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) की स्थापना निदेशालय में 1948 में की गई।

यह संस्थान वर्तमान में, किग्जवे कैम्प, दिल्ली में है। यहां कार्यक्रम कर्मियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और नये भर्ती हुए कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अल्पकालीन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम भी संचालित करती हैं यह विभागीय, अर्हक परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करती है। एक अन्य कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) भुवनेश्वर में भी अवस्थित है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में पाँच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, शिलांग, लखनऊ, अहमदाबाद एवं तिरूवनंतपुरम में कार्यरत हैं।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान 1948 से निदेषालय का एक भाग है। यह वर्तमान में आकाषवाणी के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में किगज्वे कैंप दिल्ली में है। संस्थान आकाशवाणी और दूरदर्शन

के तकनीशियन से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के इंजीनियरी कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह विभागीय क्वालीफाइंग एवं प्रतियोगी परीक्षाऐं भी आयोजित करता है। भुवनेश्वर में भी एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) है।

सी बी एस केन्द्र तथा विविध भारती

देश में इस समय 37 विविध भारती–सह–वाणिज्यक प्रसारण सेवा (सी बी एस) केन्द्र हैं जिसमें अन्य वी बी केन्द्र शामिल हैं। सी बी एस केन्द्र प्राइमरी चैनलों तथा विविध भारती चैनलों पर एयरटाइम की मार्केटिंग के लिए उत्तरदायी है। यह सी बी एस केन्द्र मुम्बई में स्थित सर्वोच्च विक्रय कार्यालय की केन्द्रीय विक्रय इकाई के साथ एयरटाइम की बिक्री, बिलिंग, लेखा, क्लाइंट सेवा, अभिकरण रजिस्ट्रेशन के लिए कार्य करती है।

कार्यक्रम गतिविधियां

- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से दिनाँक 24.04.2011 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उद्घाटन सत्र का सीधा प्रसारण
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से दिनाँक 07.05.2011 को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण
- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा केरल के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर विशेष कम्पोजिट कार्यक्रम (इसमें 9.00 प्रातः तथा 2.00 सायं के मध्य हिन्दी तथा अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन तथा 13.05.2011 को अतिरिक्त समाचार बुलेटिन शामिल हैं)
- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा केरल विधान सभा के चुनाव नतीजों पर दिनाँक 13.05.2011 को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 22 मई को यूपीए सरकार के दो वर्ष पूरा होने के अवसर पर दिए गए भाषण की दिनाँक 23.05.2011 को रिकार्डिंग का प्रसारण
- प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अदीस अबाबा, इथियोपिया में आयोजित दूसरे अफ्रीका–भारत सम्मेलन में दिए भाषण का 24.05.2011 को प्रसारण।
- संसद के केन्द्रीय हाल से सार्क स्पीकरों तथा संसद सदस्यों के 5वें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण–दिनाँक 09.07.2011
- राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से संघीय मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण (दिनाँक 12.07.2011 को)

S एन ए एस सी कॉम्पलेक्स, डी पी एस, मार्ग, नई दिल्ली से 83वें आई.सी.ए.आर. फाउन्डेशन दिवस का सीधा प्रसारण 16.07.2011

स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया :

1. स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिनाँक 14.08.2011 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल का राष्ट्र के नाम संदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी में तथा सम्बन्धित आकाशवाणी केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया।
2. राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में एक साथ सीधा आँखों देखा हाल तथा 15.08. 2011 को लालकिला, दिल्ली की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने की सीधा प्रसारण
3. 15.08.2011 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोहों पर रेडियो रिपोर्ट

- मानेक शॉ केन्द्र, धौला कुआं, नई दिल्ली से 8 सितम्बर, 2011 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 9 सितम्बर, 2011 को 58वे

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण

- 9 सितम्बर, 2011 को 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह पर रेडियो रिपोर्ट
- हिन्दी दिवस की पूर्व संध्या पर 13 सितम्बर, 2011 को गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के संदेश का प्रसारण
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14 सितम्बर, 2011 को आयोजित 'हिन्दी दिवस' समारोह का सीधा प्रसारण
- एषियाई पार्लियामेन्ट की 'प्रिवेन्टिंग एण्ड रिस्पान्डिग टु वायलेन्स अगेन्स्ट वीमेन एण्ड गर्ल्स फ्राम लेजिस्लेषन टु इफेक्टिव इनफोर्समेन्ट' विषय पर नई दिल्ली में 15 सितम्बर 2011 को आयोजित क्षेत्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 सितम्बर, 2011 को प्रधानमंत्री द्वारा सम्बोधन का सीधा प्रसारण तथा एक कम्पोजिट द्विभाषी चर्चा का सीधा प्रसारण
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 सितम्बर, 2011 को प्रधानमंत्री द्वारा सम्बोधन के भाषण की रिकार्डिंग का प्रसारण
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, 2011 पर आयोजित विभिन्न कार्यकमों की रेडियो रिपोर्ट
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के 24वें स्थापना दिवस 28 सितम्बर, 2011 के अवसर पर मेजर जनरल आर. के. कौशल, राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के साथ साक्षात्कार का प्रसारण
- सिक्किम में भूकम्प राहत पर 13 अक्टूबर 2011 को रेडियो रिपोर्ट
- 13 अक्टूबर 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा श्रम पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 15 अक्टूबर 2011 को आयोजित केन्द्रीय सूचना आयोग के छठें वार्षिक सम्मेलन पर रेडियो रिपोर्ट
- पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की 27वीं पुण्य तिथि पर 31 अक्टूबर, 2011 को 1, अकबर रोड पर आयोजित स्मृति समारोह का सीधा प्रसारण
- तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में 31 अक्टूबर 2011 को आयोजित राष्ट्रीय एकता के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण
- पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की 27वीं पुण्य तिथि के अवसर पर पर 31 अक्टूबर, 2011 को राजधानी में आयोजित विभिन्न समारोहों पर रेडियो रिपोर्ट
- ए डी डी यू, माल्दीव में 10 नवंबर, 2011 को आयोजित 17वें सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा सम्बोधन का सीधा प्रसारण तथा एक कम्पोजिट द्विभाषी चर्चा का सीधा प्रसारण
- ए डी डी यू, माल्दीव में 10 नवंबर, 2011 को आयोजित 17वें सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा सम्बोधन की रिकार्डिंग का प्रसारण
- राष्ट्रीय षिक्षा दिवस को चिन्हित करते हुए एक वर्षीय राष्ट्र स्तरीय अभियान 'षिक्षा का हक अभियान' को प्रारम्भ करने के अवसर पर नूह (हरियाणा) में आयोजित समारोह पर रेडियो रिपोर्ट–11 नवम्बर, 2011 को
- नई दिल्ली में 11 नवम्बर, 2011 को आयोजित एषिया पेसिफिक ब्राडकास्टिंग यूनियन (ए बी यू) महासभा तथा अन्य घटनाओं पर एक समेकित रेडियो रिपोर्ट
- महात्मा गांधी की नई दिल्ली के प्रसारण भवन में आने की

64वीं वर्षगांठ की स्मृति 12 नवम्बर, 2011 को 'पब्लिक सर्विस ब्राडकास्टिंग दिवस' के अवसर पर ब्राडकास्टिंग हाउस के परिसर में आयोजित विशेष समारोह का सीधा प्रसारण

- प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 12 नवंबर, 2011 को माल्दीव की संसद में दिए गए भाषण की रिकार्डिंग का प्रसारण
- हैदराबाद में आयोजित 17वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के सिलसिले में निम्नलिखित कार्यकम आयोजित हुए :

1) 13 नवम्बर, 2011 को कर्टेन रेजर
2) 14 नवम्बर, 2011 को उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण
3) 15 नवम्बर, 2011 से 19 नवम्बर 2011 तका दैनिक रेडियो रिपोर्ट
4) 20 नवम्बर, 2011 को समापन समारोह का सीधा प्रसारण

- 14 नवम्बर, 2011 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन समारोह पर रेडियो रिपोर्ट
- 22 नवम्बर 2011 को पणजी, गोवा में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन समारोह पर रेडियो रिपोर्ट
- पणजी, गोवा में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन तथा समापन समारोह पर क्रमशः 23 नवम्बर, 2011 तथा 3 दिसम्बर, 2011 को सीधा_प्रसारण; 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर दैनिक रेडियो रिपोर्ट–23 नवम्बर, 2011 से 3 दिसम्बर, 2011 तक

Eminent Dancer Smt. Sonal Man Singh (Right) being interviewed by Sunita Budhiraja.

- श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवम्बर, 2011 को आयोजित कार्यक्रमों पर रेडियो रिपोर्ट।
- अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसम्बर, 2011 को ऐसे व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण।
- अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी ने 26 एपीसोड का विज्ञान धारावाहिक ''कलर्स ऑफ केमिस्ट्री'' का प्रारम्भ 117 केन्द्रों से 19 भाषाओं में विज्ञान प्रसार, विज्ञान तथा तकनीकी मंत्रालय के सहयोग से किया।
- 13 एपीसोड का एक अन्य विज्ञान धारावाहिक 'साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी फार वीमेन इमपावरमेन्ट' का प्रारम्भ आकाशवाणी के 117 केन्द्रों से वर्ष के दौरान किया गया।
- 'फ्रॉम तिरुपति टु पशुपतिः सम रिफ्लेक्शन ऑन द माओइस्ट इशू' विषय पर सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर, 2011 श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास एवं पेय जल मंत्री द्वारा 11 अक्टूबर, 2011 को दिया गया।
- ''ग्रामीण विकास'' विषय पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर, 2011 श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्षा, लोक सभा द्वारा 02 दिसम्बर, 2011 को दिया गया।

जनवरी, 2012 से मार्च, 2012 तक प्रस्तावित/संपन्न गतिविधियां

- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस समारोह 23 जनवरी, 2012 के सम्बन्ध में दिल्ली में आयोजित विभिन्न समारोहों पर रेडियो रिपोर्ट
- गणतन्त्र दिवस समारोह, 2012 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित किए गएः

1) गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी, 2012 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश
2) 25 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन
3) राजपथ, नई दिल्ली से गणतन्त्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण
4) बीटिंग रिट्रीट समारोह पर 29 जनवरी, 2012 को रेडियो रिपोर्ट
5) गणतन्त्र दिवस समारोह 2012 से सम्बन्धित अन्य विभिन्न आयोजनों को कवरेज उपलब्ध कराई गई ।

- महात्मा गांधी के 62वें शहीदी दिवस के अवसर पर 30 जनवरी, 2012 नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न समारोहों पर रेडियो रिपोर्ट
- बजट सत्र के प्रारम्भ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का संबोधन
- रेल बजट 2012–13 का लोक सभा में संघ के रेल मंत्री द्वारा पेश किए जाने का सीधा प्रसारण
- केन्द्रीय बजट 2012–13 का लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने का सीधा प्रसारण
- विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की कवरेज
- भारत के चुनाव आयोग की सलाह पर विभिन्न राज्यों के विधान सभा चुनावों के सम्बन्ध में कार्यक्रम

कृषि तथा गृह प्रसारण

आकाशवाणी पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से अपने ग्रामीण श्रोताओं को समर्पित रहा है। कृषि तथा गृह कार्यक्रम आकाषवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। कृषक समुदाय की दिन–प्रतिदिन की मौसमी आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर कृषि उत्पादन हेतु अद्यतन तकनीक तथा सूचनापरक विशेष कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है। देष के कृषि–आधारित समुदाय के स्तर को सुधारने तथा बेहतर करने हेतु कारकों तथा उपायों के सम्बन्ध में ये कार्यक्रम जागरूकता पैदा करते हैं।

इन कार्यक्रमों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह, दोपहर तथा शाम को (औसत अवधि लगभग 60 से 100 मिनट प्रतिदिन) ग्रामीण महिलाओं, बच्चों तथा युवाओं हेतु किया जाता है। आकाशवाणी की कृषि तथा गृह प्रसारण इकाई समेकित कार्यक्रमों का प्रसारण करती है जिसमें ग्रामीण विकास योजना तथा कृषि से जुड़े कार्यक्रम यथा पशुपालन, मछली पालन तथा कृषि सम्बन्धी गतिविधियां, शुष्क तथा बारानी खेती, रोजगारपरक योजनाओं पर ऋण तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, साफ–सफाई, स्वास्थ्य तथा पोषण इत्यादि शामिल हैं।

कृषि प्रसार पर मास मीडिया सपोर्ट की अपनी विशेष परियोजना 'किसान वाणी' (फरवरी, 2004 से जारी) की शुरूआत कर आकाशवाणी ने अपने कृषि प्रसारण को और बढ़ाया है। इसका प्रसारण कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के सहयोग से स्थानीय कृषकों को दैनिक बाजार दरों, मौसम रिपोर्टों तथा निचले स्तर पर उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन सूचना उपलब्ध करा कर किया जाता है।

वर्तमान में 'किसान वाणी' का प्रसारण तथा रिले आकाशवाणी के 96 चिन्हित केन्द्रों से किया जाता है।

नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2011 के दौरान कृषि मंत्रालय के पंडाल में भूमि परीक्षण तथा डी एन ए फिंगर प्रिंटिग तकनीक के मुफ्त प्रदर्शन के आयोजन का केन्द्रों ने व्यापक प्रसार किया। 15 से 31 अगस्त, 2011 के बीच पंचायती राज विभाग तथा ग्राम पंचायतों की ग्राम परिषदों ने विषेष ग्राम सभा/वार्ड सभा बैठकों का आयोजन पूरे देश में किया जो पोषण तथा सम्बन्धित मुद्दों पर आधारित थे। आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा इन बैठकों को व्यापक प्रचार अपने एफ पी एच/ परिवार कल्याण कार्यक्रम स्लॉटों में विषेष कार्यक्रम कर किया गया।

17 जून, 2011 को मरुस्थलीकरण को दूर करने के विश्व दिवस को मनाने के लिए आकाशवाणी के केन्द्रों ने भूमि की उर्वरता कम होने एवं मरुस्थलीकरण दूर करने के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए।

रियल्टी कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी तथा उनके स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन की हद तक लगाव को लेकर सामान्य जनता तथा माता–पिता के बीच जागरुकता फैलाने के लिए केन्द्रों द्वारा विषेष अभियान चलाया गया।

रेडियो किसान दिवस

आकाशवाणी पर प्रसारित कृषि कार्यक्रमों द्वारा लाभ प्राप्त कर चुके किसान अपने अन्य साथी किसानों से अपनी क्षेत्रीय भाषा/बोली में अपने अनुभव बाँटते हैं। आकाशवाणी 15 फरवरी को अपने सभी केन्द्रों से इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रेडियो किसान दिवस मनाती है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का फसल संबंधी परामर्श, सूखे की स्थिति, बर्ड फ्लू इत्यादि पर आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा रोजाना कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

कार्यशालाएं

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के सहयोग से चल रहे 'किसान वाणी' कार्यक्रम के प्रायोजकों के लिए आकाशवाणी 6 मूल्य–निरूपण तथा रिफ्रेशर कार्यशलाओं का भी आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा सामग्री में सुधार करने के उद्देश्य से यह कार्यशालाएं गुवाहाटी, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़ तथा लखनऊ में आयोजित होना प्रस्तावित है।

पर्यावरण

वन्य जीव तथा वन संरक्षण की ज़रूरत को आकाशवाणी द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया जाता है तथा विकासात्मक गतिविधियों के साथ–साथ सामाजिक प्रथाओं पर भी जोर दिया जाता है। वन सम्बन्धी, वन्य जीव संरक्षण तथा पारिस्थितिकी संतुलन के क्षेत्रों में सरकारी पहल की सफलता को आकाशवाणी द्वारा लोगों को बताया जाता है। आकाशवाणी वन्य जीवन तथा पशु देखभाल जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण कर रही है।

आकाशवाणी के सभी केन्द्र पर्यावरण तथा वनों से सम्बन्धित विधिक कारकों को व्यापक प्रचार दे रहे हैं। इन कार्यक्रमों की

नियमित निगरानी निदेशालय द्वारा आकाशवणी केन्द्रों से भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण में शामिल विषय हैं–

विवाह की आयु को बढ़ाना, पहले बच्चे में देरी, दो बच्चों के बीच अन्तर, मातृ देखभाल, शिशु बचाव, महिला सशक्तीकरण, पति–पत्नी के मध्य आपसी समझदारी बढ़ाना, पुरूषों की जिम्मेदारी, सिर्फ लड़के की चाहत की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, विधि–सम्मत तरीके से गर्भपात की जानकारी, संस्थागत विधिक प्रावधानों का संवर्द्धन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इनफेक्शन (आर टी आई) तथा सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इनफेक्शन (एस टी आई) के बारे में जानकारी, प्रसवपूर्व लिंग–परीक्षण तकनीक का दुरुपयेग रोकने का (रेग्यूलशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मिसयूस) कानून, 1994, एड्स, नशाखोरी रोकना, स्तनपान, बाल अधिकार, बालश्रम, बालिकाएं, विकलांगता, टी.बी, कुष्ठ तथा शिशु प्रजनन स्वास्थ्य इत्यादि।

रक्तदान तथा नेत्रदान को व्यापक प्रचार दिया जा रहा है। नषा–तम्बाकू सेवन रोकना, अवैध ट्रैफिकिंग, कुष्ठ निवारण तथा एड्स से बचाव इत्यादि को व्यापक प्रचार दिया जा रहा है। आकाशवाणी केन्द्रों से पूरे देश में खराब बाल लिंगानुपात के बारे में जागरुकता फैलाने तथा बालिका भ्रूण हत्या की नकारात्मक मानसिकता को बदलने के लिए विभिन्न फार्मेटों में विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। हमारे कुछ विशेष श्रोता कार्यक्रमों यथा– ग्रामीण/महिला/युवा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आकाशवाणी ने श्रोता समूह को रजिस्टर किया है। इन समूहों ने सामान्य जागरूकता फैलाने में योगदान दिया है।

बाल कार्यक्रम

आकाशवाणी के सभी केन्द्र बच्चों के लिए नियमित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी अपने लगभग सभी केन्द्रों से बच्चों की तीन श्रेणियों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है–

5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम; 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम तथा ग्रामीण बच्चों हेतु विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

कुछ कार्यक्रम साप्ताहिक आधार पर प्रसारित किए जाते हैं। नाटक, लघु कथाएं, फीचर, समूह गीत, साक्षात्कार, महाकाव्यों की कहानियां इत्यादि इन प्रसारणों का हिस्सा हैं। 14 नवंम्बर को बाल दिवस पर बच्चों की विशेष गतिविधियां, स्टेज शो तथा आगन्तुक श्रोता कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है।

'हमारे बच्चे, भारत के भविष्य का आधार' कार्यक्रमों की योजना बनाने में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाता है –

1. बच्चों के अधिकारों का संरक्षण
2. विकलांग बच्चों की देखभाल तथा सहायता
3. कठिन परिस्थितियां झेल रहे बच्चों की देखभाल तथा सहायता
4. बालिकाओं को समान अधिकार
5. बच्चों को मूलभूत शिक्षा देने हेतु सार्वत्रिक पहुंच तथा बालिकाओं का विशेष ध्यान
6. बच्चों को सुरक्षित तथा सहयोगी माहौल प्रदान करना
7. परिवार तथा स्व–आश्रित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार
8. बच्चों के बेहतर भविष्य हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता
9. पीने के साफ पानी की सुविधा तथा साफ–सफाई
10. बालिकाओं की उचित देखभाल के लिए सामाजिक चेतना बढ़ाना

इन बातों को फोकस करते हुये विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण पूरे वर्ष किया गया।

महिला कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं पोषण, गृह प्रबन्धन, महिला उद्यगिता, षिक्षा। (जिसमें प्रौढ़ षिक्षा शामिल है) महिला सषक्तीकरण, लिंग सम्बन्धी मुद्दे इत्यादि विषय कवर किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देष्य विधिक साक्षरता बढ़ाते हुए

महिलाओं के अधिकारों के प्रति सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना था । विभिन्न प्रकार के पारम्परिक तरीकों को प्रयुक्त किया। जिससे नया ग्रामीण महिला श्रोताओं में इस संदेश को पहुँचाया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय से महिलाओं की समस्याओं पर प्राप्त संदेश के आधार पर आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के कार्यक्रम प्रमुखों को सलाह की गई कि निम्न विषयों को अपने महिला सम्बन्धी कार्यक्रमों में शामिल करें :

1. महिलाओं पर अत्याचार
2. महिलाओं का अवैध व्यापार
3. महिला भ्रूण हत्या तथा बालिका मृत्यु
4. महिलाओं का अश्लील प्रदर्षन
5. शिक्षा तथा रोजगार के अवसर
6. महिलाओं की सुरक्षा
7. मातृत्व लाभ, कार्यकारी महिलाओं हेतु क्रेच आदि
8. समान कार्य के लिए समान वेतन
9. बाल श्रम पर पाबंदी
10. स्त्री–पुरुष के बीच भेदभाव

प्रत्येक वर्ष मार्च माह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस/सप्ताह मनाया जाता है जिसमें महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

संगीत

हिन्दुस्तानी संगीत

अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 के दौरान संगीत तथा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित नामी–गिरामी कलाकारों को बुलाया गया –

रामूप्रसाद शास्त्री (वायलिन), उमा कान्त रमा कान्त गुन्डेचा (ध्रुपद गायन), वरुण कुमार पॉल (गिटार), जयश्री पाटनेकर (गायन), सुनील कान्त गुप्ता (बांसुरी), पंडित अजय चक्रवर्ती (गायन), बाबूलाल गंधर्व (बेला बहार), पंडित लक्ष्मण दास सिन्धु (सुगम शास्त्रीय गायन), मदन शंकर मिश्र (सितार), पंडित चितरंजन ज्योतिषी (गायन), पंडित रमेश प्रेम (विचित्र वीणा), पंडित तोताराम (पखावज), विदुषी शन्नो खुराना (गायन), पंडित अरविन्द पारिख (सितार), मोहम्मद मोहत्तरम साबरी (सितार), बी. एस. नारंग (गायन), उस्ताद शौकत हुसैन (गायन), श्रीमती गीता बनर्जी (सुगम शास्त्रीय संगीत)।

आकाषवाणी ने 2011 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया। निम्नलिखित उभरते कलाकारों ने सम्मेलन में प्रस्तुति दी –

सतीष पारिख कमर, रामदेश पाण्डे, रत्नाकर गोखले, प्रकाश संगीत, विदुषी पूर्णिमा चौधरी, मुस्तफा रजा, कमल भोन्डे, संगीता शंकर, हरविन्दर कुमार शर्मा, मोहन लाल मिश्रा, विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती, कमल कामले, विकास कासालकर, पंडित रोनू मजूमदार, पंडित कैवल्य कुमार गौरव, पंडित मणि प्रसाद, पुरबायन चटर्जी, पंडित समरेश चौधरी, विपुल कुमार राय, उदय भावालकर, विनायक तोरवी, सतीष चन्द्र, विदुषी अश्वनी भिड़े देशपान्डे, उस्ताद मजहर अली, जावेद अली और अनुपमा महाजन।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के स्तर पर ही आकाषवाणी ने क्षेत्रीय लोक तथा सुगम संगीत समारोह के भी कार्यक्रम प्रसारित किए। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन तथा क्षेत्रीय लोक तथा सुगम संगीत का उद्देश्य हमारे देश की सामासिक सांस्कृतिक धरोहर का प्रस्तुतिकरण तथा संवर्द्धन है।

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता आकाशवाणी का नियमित कार्यक्रम है जिसका उद्देष्य नई प्रतिभाओं को खोजना है। 2011 में ये प्रतियोगिताएं दिल्ली तथा चेन्नई में क्रमशः हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के लिए आयोजित की गई।

अखिल भारतीय तथा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में जनवरी 2012 से मार्च 2012 के दौरान निम्नलिखित प्रतिष्ठित

आकाशवाणी संगीत सम्मलन में श्रीमती अश्विनी भिड़े देशपांडे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए

कलाकारों का प्रसारण होना प्रस्तावित है–

पंडित पुष्पराज कोष्टी (सुरबहार), एम. वेंकटश कुमार (गायन), देबो प्रसाद चक्रवर्ती (सितार), साधना देशमुख मोहिते (गायन), अवनिन्दरश्शोविलकर (सितार), शुभदा प्रादकर (गायन), मानस कुमार चमुआ (वायलिन), नन्द किशोर (तबला), श्रुति नितिन गोखले (गायन), हरीशंकर भट्टाचार्या (सितार), अभय फगरे (बांसुरी)।

कर्नाटक संगीत

चेन्नई में 15 से 17 अप्रैल, 2011 तक ट्रिनीटी तथा अन्य वाग्येकर संगीत समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में युवा तथा प्रतिष्ठित दोनों श्रेणियों के कलाकारों ने भागीदारी की।

त्यागराज संगीत की प्रस्तुति श्रीमती गीता राजशेखर द्वारा, रामनन्दपुरम श्रीनिवास आयंगार संगीत की प्रस्तुति श्री डी वी मोहन कृष्णा द्वारा, श्यामा शास्त्री संगीत की प्रस्तुति श्रीमती विजय लक्ष्मी सुब्रमण्यम द्वारा, इराईमन थाम्बी की संगीत प्रस्तुति चेप्पड श्री ए ई वामानन नम्बूदरी द्वारा, मुत्थुस्वामी दीक्षितार की संगीत प्रस्तुति श्री ए सदाशिवम द्वारा, जयचमाराजा वाडियार की संगीत प्रस्तुति डॉ. नागावली नागराज द्वारा की गई।

इन कार्यक्रमों का प्रसारण संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जून–जुलाई, 2011 में किया गया।

अन्य प्रमुख घटना में आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता, 2010 (कर्नाटक संगीत) का पुरस्कार वितरण समारोह था जिसमें पुरस्कार विजेताओं ने कंसर्ट प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय लोक तथा सुगम संगीत समारोह, 2011 का आयोजन दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, शिमोगा (भद्रावती) तथा विजयवाड़ा में दक्षिण भारतीय पारखियों के लिए किया गया।

इस समारोह में श्रीमती ऊषा राजन (चेन्नई) द्वारा तमिल सुगम संगीत, श्री वी. मुरलीधरन (तिरुवनन्तपुरम) द्वारा मलयालम सुगम संगीत, श्री टी कोट्टायसामी एवं पार्टी (मदुराई), द्वारा

तमिल लोक संगीत, सुश्री सी. पुष्पलता (मैसूर) द्वारा कन्नड़ सुगम संगीत, श्री सी. के. कुन्हीरामन (कोझीकोड) द्वारा मलयालम लोक संगीत, श्रीमती रेनुका नाकोड (धारवाड़) द्वारा कन्नड़ सुगम संगीत, श्री कालागा कृष्णा मोहन (हैदराबाद) द्वारा तेलुगु सुगम संगीत, श्री के. वी. अबूटी (कोझीकोड) और श्री पत्री कुमारस्वामी (हैदराबाद) द्वारा तेलुगू लोक संगीत रहा।

इस वर्ष आकाशवाणी संगीत सम्मेलन समारोह 25 सितम्बर, 2011 को 24 स्थानों पर आयोजित हुआ जिसमें पूरे देष के 12 स्थानों पर कर्नाटक संगीत आयोजित किया गया जिसमें जाने माने तथा नवोदित कलाकारों ने प्रदर्शन किया। इसमें श्री संजय सुब्रहमण्यम (गायन) श्री एस. शंकर (गायन), डॉ. एल. सुब्रहमण्यम (वायलिन), श्री मन्नार गुडी ए ईश्वरन (मृदंगम), श्रीमती रंजनी तथा श्रीमती गायत्री (गायन), श्री कलाहस्ती सुब्रहमण्यम (नागास्वरम) तथा श्री डी. श्रीनिवास (वीणा) ने कर्नाटक संगीत के लिए इस कंसर्ट में भाग लिया। इन समारोहों की रिकॉर्डिंग 22.10.2011 से 1.12.2011 के दौरान प्रसारित की गई।

त्यागराज आराधना संगीत समारोह का सीधा प्रसारण 13 जनवरी, 2012 को थिरुवायरु से संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय हुक–अप पर तथा उसी दिन अर्थात 13 जनवरी, 2012 को प्रातः पंचरत्न गोष्ठी गणम का सीधा प्रसारण संत संगीतज्ञ त्यागराज की 164वें आराधना जयंती को मनाने हेतु किया गया।

खेल

वर्ष 2011–12 के दौरान आकाशवाणी ने विभिन्न अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं का उचित तथा प्रभावी कवरेज किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण खेल प्रसारण निम्न हैं–

(ए) क्रिकेट

- **2**अप्रैल, 2011 को मुम्बई से आई सी सी विश्वकप फाइनल मैच का आँखों देखा हाल
- **जून,** 2011 में भारत–वेस्टइण्डीज के बीच खेली गई ओडीआई/टी20 और टेस्ट मैच सीरीज का आँखों देखा हाल
- **10** अगस्त, 2011 से 12 सितम्बर, 2011 तक इंग्लैण्ड में खेले गए टेस्ट मैच, ओडीआई और टी/20 क्रिकेट सीरीज–2011 का आँखों देखा हाल

(बी) फुटबाल

- मई, 2011 में गुवाहाटी में संतोष ट्राफी की सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के फाइनल मैच का आँखों देखा हाल
- अक्टूबर, 2011 में दिल्ली में आयोजित 124वें डूरन्ड कप फुटबाल के फाइनल मैच का आँखों देखा हाल

(सी) हॉकी

- जून, 2011 में भोपाल में पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप के फाइनल मैच का आंखों देखा हाल
- अक्टूबर, 2011 में 28वें सुरजीत सिंह हॉकी टूर्नामेन्ट 2011 के जालन्धर में खेले गए फाइनल मैच का आंखों देखा हाल

(डी) टेनिस

- अक्टूबर, 2011 में दिल्ली में आयोजित फेनेस्टा ओपन टेनिस चैम्पियनषिप 2011 के फाइनल मैच का आंखों देखा हाल

फार्मूला 1 रेस

- 30 अक्टूबर, 2011 को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित फार्मूला–1 कार रेस की हिन्दी तथा अंग्रेजी में समेकित द्विभाषी रेडियो रिपोर्ट

आकाशवाणी ने भारत में आयोजित भारत–वेस्टइण्डीज क्रिकेट श्रृंखला–2011 की सीधी रेडियो कवरेज उपलब्ध कराई।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा जाने–माने क्रिकेटर श्री कपिल देव की रिकार्डिंग

वाणिज्यिक स्कन्ध

आकाशवाणी के लिए राजस्व प्राप्त करने का दायित्व इसके वाणिज्यिक स्कंध का होता है। पिछले कुछ वर्षों में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में तेजी से बदलते हुए परिदृष्य के बावजूद, मुंबई में स्थित केन्द्रीय विक्रय इकाई, 15 मुख्य वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्रों और मुम्बई, कोलकाता, कोच्चि, तिरुअनंतपुरम, गुवाहाटी तथा जालन्धर में स्थित 10 विपणन प्रभागों के जरिए लगातार समग्र वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने में सफल रही है ; साथ ही लोक सेवा प्रसारक के रुप में अपनी पहचान को कायम रखने में भी आकाषवाणी सफल रही है।

एक निर्धारित आचार संहिता आकाशवाणी के कार्यक्रमों तथा साथ ही वाणिज्यिक प्रसारणों को संचालित करती है। आकाशवाणी प्रसारण तथा वाणिज्यिक मानदंडों का कठोरता से पालन करती है हालांकि सभी आकाशवाणी केन्द्रों तथा सी बी एस केन्द्रों (विविध भारती केन्द्रों एवं एफ एम चैनलों) पर बजट एवं स्टाफ की कमी है फिर भी वाणिज्यिक स्कन्ध प्रमुख कारपोरेट ग्राहकों/ विज्ञापनदाताओं, साथ ही सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से व्यापार प्राप्त करने में सफल रहा है। प्रमुख निजी कारपोरेट ग्राहक हैं– हिन्दूस्तान लीवर लिमिटेड, आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, विको लेबोरेटरीज लिमिटेड, पी एण्ड जी होम प्रोडक्ट, वोडाफोन एस्सार लिमिटेड, इमामी लिमिटेड, रेमण्ड एवं भारती एयरटेल लिमिटेड। आकाशवाणी के कुछ प्रमुख सरकारी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान ग्राहक हैं– ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन, डी ए वी पी, आई आर डी ए, नागरिक उड्डयन विभाग, आयकर विभाग इत्यादि।

बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता को देखते हुए वाणिज्यिक स्कन्ध अपनी दरों को विज्ञापनदाताओं की सुविधाओं के ज्यादा अनुरूप तथ प्रतियोगी बनाने के लिए प्रयासरत है।

एफ एम चैनलों तथा विविध भारती चैनलों के लिए विशेष पैकेज दर तैयार की जा रही है तथा शीघ्र ही इसे व्यवहार में लाया जाएगा।

व्यवसायीकरण लाने के दृष्टिकोण से तथा वाणिज्यिक एअरटाइम

की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रसार भारती ने आकाशवाणी तथा दूरदर्श न पर क्रास चैनल प्रचार की अनुमति दे दी है जो कि वाणिज्यिक सौदे का हिस्सा समान मूल्य की समान सुविधा विस्तृत कर अथवा निगम के राजस्व उत्पादन को उपलब्ध करा कर होगी।

वाणिज्यिक स्कन्ध ने सभी प्राथमिक चैनलों, स्थानीय रेडियो स्टेषनों, एफ एम तथा विविध भारती पर स्पॉट बाई बुकिंग पर 1 : 1 बोनस योजना जारी रखी है। इस प्रकार की बाजार–अनुकूल योजनाओं की निगरानी करते हुए वाणिज्यिक स्कन्ध ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं पर सभी स्तरों पर लगातार संपर्क में है जिससे उन्हें इस बात के लिए विश्वास दिलाया जा सके कि वे अपने विज्ञापनों के लिए आकाशवाणी पर प्रमुख रुप से पूँजी निवेष करें जो कि पूरे देष को आच्छादित करने वाला एकमात्र माध्यम है।

विपणन प्रभाग तथा सी बी एस केन्द्र अपने ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी मीडिया योजनाओं को उपलब्ध कराते हैं जो कि ग्राहकों के उत्पादों/सेवाओं को उनके उपलब्ध बजट में अधिकतम अवसर प्रदान कर सके।

आकाशवाणी का वाणिज्यिक स्कन्ध आकाशवाणी के अन्य प्रवर्तक अनुभागों/स्कन्धों के साथ समान रुप से तालमेल कर रहा है जिससे कि कार्यक्रम स्कन्ध में नीति निर्माताओं को प्रोत्साहन/कार्यनीति फीड बैक प्रदान किया जा सके जिससे कि रेडियो प्रसारण को वर्तमान प्रतियोगी मीडिया माहौल में और प्रभावकारी बनाया जा सके।

संगठन के लिए राजस्व उत्पादित करने का दायित्व वाणिज्यिक स्कन्ध का है तथा निष्चय ही इस स्कन्ध ने पिछले कुछ वर्षों में संगठन का समग्र राजस्व बढ़ाने में बेहतर परिणाम दर्शाया है।

नीचे दी गई सारणी में सभी स्रोतों से आकाशवाणी की समस्त राजस्व आय (जिसमें पिछले पाँच वर्षो के दौरान कामर्षियल शामिल हैं) में प्रत्येक वर्ष बढ़त स्पष्ट दिखाइ देती है–

2006–7	₹ 283.65 करोड़
2007–8	₹ 289.21 करोड़
2008–9	₹ 291.49 करोड़
2009–10	₹ 303.18 करोड़
2010–11	₹ 372.96 करोड़

वर्तमान वित्त वर्ष (2011–12) में, अक्टूबर 2011 तक आकाशवाणी का समग्र राजस्व ₹ 158.15 करोड़ था।

विपणन प्रभाग

1990 के दशक के अंतिम वर्षों में विपणन प्रभाग के अस्तित्व में आने के पश्चात् प्रसार भारती के समग्र राजस्व अर्जन में उल्लेखनीय रुप से वृद्धि हुई है। इन–हाउस विपणन तथा राजस्व अर्जित करने के बेहतर तरीके अपनाते हुए प्रसार भारती ने प्रमुख शहरों में विपणन प्रभाग खोले।

पहला विपणन प्रभाग मुंबई में खोला गया तथा वर्तमान में नई दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता,गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुअनंतपुरम तथा जालन्धर विपणन प्रभाग कार्य कर रहे हैं।

नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित प्रभागों को क्षेत्रीय हब के रुप में चिन्हित किया गया है।

प्रसार भारती का विपणन प्रभाग समस्त मीडिया मार्केट तथा कार्यक्रम संपर्को के लिए प्रमुख केन्द्र के रुप में कार्य करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार विस्तृत करने के सर्वोत्तम तरीकों को रेडियो तथा दूरदर्शन पर लाया जा सके। इन प्रभागों की योजनाबद्ध पद्धति ने प्रसार भारती की समग्र राजस्व वृद्धि में काफी अधिक योगदान दिया है।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के सभी चैनलों के लिए एकल खिड़की सुविधा के लिए विपणन प्रभाग विज्ञापन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ग्राहकों तक पहुँचना, बजट तथा आवश्यकतानुसार मीडिया योजना को तैयार करना, प्रचार अभियान को निष्पादित करना तथा जहाँ आवश्यकता हो, स्पॉट/जिंगल तथा प्रायोजित कार्यक्रमों को निर्मित करना विपणन प्रभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है।

आकाशवाणी के विस्तृत नेटवर्क के साथ प्रसार भारती के विपणन प्रभाग ने देश के दूरस्थ स्थानों तक ग्राहकों तक पहुँचने में मदद की है।

हमारे कुछ प्रमुख ग्राहकों में शामिल हैं–ग्रामीण विकास मंत्रालय,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, पेयजल आपूर्ति विभाग, आयकर निदेशालय, गृह मंत्रालय, पी सी आर ए और निजी ग्राहक जैसे रिलायन्स, टाटा डोकोमो, कोको कोला, परफेटी, एअरटेल, वोडाफोन, डाबर, हिन्दुस्तान लीवर और हीरो होन्डा इत्यादि।

इस प्रभाग के निरंतर तथा मजबूत प्रयासों से आकाशवाणी ने वर्ष 2010–11 के दौरान ₹. 372.93 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है तथा वर्ष 2011–12 तक ₹ 158.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। निम्न विभागों से विज्ञापन मिलने की उम्मीद है–

प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय, एन ए सी ओ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय।

आकाशवाणी की लिप्यंतरण (ट्रांसक्रिप्शन) एवं कार्यक्रम आदान–प्रदान सेवा

लिप्यंतरण (ट्रांसक्रिप्शन) सेवा 3 अप्रैल 1954 को शुरू की गई थी। इसे विशेष रूप से दश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ के साथ सभी पदाधिकारियों के भाषणों का ट्रांसक्रिप्शन तैयार करने का मुख्य कार्य सौंपा गया। यह इकाई भविष्य में प्रसारण के लिए रिकार्डिंग के संरक्षण हेतु 'ए आई आर–टी एस रिकार्ड' लेबल की विनाइल डिस्क के प्रक्रमण हेतु कार्य कर रही है।

इस कार्यालय की निम्नलिखित परिचालन इकाईयां हैं :

क. केन्द्रीय अभिलेखाकार

ख. कार्यक्रम आदान–प्रदान इकाई (आतंरिक एवं विदेशी)

ग. राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों का ट्रांसक्रिप्शन

घ. आकाशवाणी नेटवर्क में केन्द्रीय टेप बैंक

ड. रिफर्बिशिंग यूनिट

च. डिजिटल ध्वनि अभिलेखागार

आकाशवाणी संगीत की व्यावसायिक रिलीज एवं मार्केटिंग

आकाशवाणी का केन्द्रीय अभिलेखागार अप्रैल, 2003 से 'आकाशवाणी संगीत' के बैनर के तहत संगीत एलबम जारी कर रहा है। अब तक 64 संगीत एलबम जारी हो चुके हैं। लगभग 50 आकाशवाणी केन्द्रों तथा कई दूरदर्षन केन्द्रों में विक्रय काउन्टर खोले गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में फुटकर संगीत दुकानों पर भी ये एलबम उपलब्ध हैं। आने वाले महीनों में अन्य प्रमुख शहरों में भी यही तरीका लागू किया जाना है। अधिक मात्रा में ऑर्डर प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो को आकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं तथा इनके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

साउण्ड आर्काइव

आकाशवाणी के ध्वनि पुरालेख (आर्काइव) को राष्ट्रीय श्रव्य आर्काइव भी कहा जा सकता है क्योंकि यह 16500 घण्टों से अधिक की मूल्यवान रिकॉर्डिंग का खजाना है। इन रिकॉर्डिंग में विभिन्न श्रेणियों में संगीत तथा बोले गए शब्दों की रिकॉर्डिंग शामिल है। यह भारत की संगीत रिकॉर्डिंग की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें 12000 से अधिक हिन्दुस्तानी, कर्नाटक तथा विभिन्न लोक संगीत विधाओं के टेप हैं।

लाइब्रेरी में महात्मा गाँधी के भाषणों का संग्रह अलग से संरक्षित है जिसमें 11 मई 1947 को सोदेपुर आश्रम, कलकत्ता तथा 29 जनवरी, 1948 को बिरला हाउस, दिल्ली में क्रमशः रिकॉर्ड किया गया गाँधीजी का पहला तथा आखिरी प्रार्थना संबोधन शामिल है।

आकाशवाणी, दिल्ली में 12 नवम्बर, 1947 को प्रसारित महात्मा गाँधी का एकमात्र प्रसारण भी सुरक्षित है। पंडित जवाहर लाल नेहरु की रिकॉर्डिंग के 3000 एनालॉग टेप भी आकाशवाणी आर्काइव में सुरक्षित हैं।

अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व यथा– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. राधाकृष्णन, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू आदि की वॉयस रिकॉर्डिंग भी संरक्षित है। इसके अलावा, पुरस्कार –प्राप्त रेडियो नाटक, फीचर, वृत्तचित्र इत्यादि तथा स्मारक व्याख्यान भी इस पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस

आकाशवाणी नई दिल्ली में लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर पंडित भोला प्रसाद की प्रस्तुति

पुस्तकालय में भारत के सभी राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्रियों के भाषण की रिकॉर्डिंग संरक्षित है।

रेडियो आत्मकथा

रेडियो आत्मकथा तथा विषिष्ट व्यक्तित्व की श्रेणी में आकाशवाणी के पास जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से विषिष्ट व्यक्तित्वों की 252 से अधिक रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से प्राप्त जानकारी की मदद से आकाशवाणी ने ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पहचान की है जिनकी रिकॉर्डिंग की जानी है तथा निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् ऐसी रेडियो आत्मकथा रिकॉर्ड की जानी है।

आर्काइव डिजिटल लाइब्रेरी

2001 में सभी आर्काइव रिकॉर्डिंग को डिजीटाइज करने की विषेष परियोजना प्रारम्भ की गई। इसे 2005 में पूरा किया गया। इस समय आकाशवाणी उत्कृष्ट डिजिटल लाइब्रेरी वाले प्रमुख प्रसारकों में से एक है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के आधुनिक टेप हैं।

डिजिटल माध्यम में अंतरित किए गए कार्यक्रम लगभग 16400 घण्टों में है। डिजिटल फार्मेट में अंतरित रिकॉर्डिंग का विवरण निम्न है–

प्रधानमंत्रियों के भाषण	:	3300 घण्टे
राष्ट्रपतियों के भाषण	:	1250 घण्टे
महात्मा गाँधी की रिकार्डिंग्स	:	280 घण्टे
सरदार पटेल की रिकार्डिंग्स	:	35 घण्टे
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की और उन पर रिकॉर्डिंग्स	:	175 घण्टे
रेडियो आत्मकथा	:	525 घण्टे
हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत	:	3100 घण्टे

कर्नाटक शास्त्रीय	:	1450 घण्टे
सुगम संगीत	:	1050 घण्टे
लोक संगीत तथा जनजातीय संगीत	:	600 घण्टे

वर्तमान में नई डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है। 2008 में प्रारम्भ डिजीटाइजेशन के दूसरे चरण में लगभग 500 घण्टों की रिकॉर्डिंग डिजीटाइज की जा चुकी है। डिजीटाइजेशन के अगले चरण में लगभग 5000 घण्टों के एनालॉग टेप के कार्यक्रमों को डिजीटाइज प्रारुप में अंतरित किया जाना है।

कार्यक्रम आदान–प्रदान लाइब्रेरी

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य मांग अनुसार केन्द्रों के बीच बेहतर कार्यक्रमों का आदान–प्रदान करना है। पी ई यू लाइब्रेरी में लगभग 8000 टेप हैं जिसमें संगीत तथा बोले गए शब्दों तथा कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग है।

संगीत तथा बोले गए शब्द विभिन्न भारतीय भाषाओं से अंर्तविष्ट करने के अलावा पी ई यू लाइब्रेरी बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, तमिल तथा तेलुगु में भाषाई पाठों को भी संरक्षित करती है। पी ई यू के पास अलग से देश की सभी प्रमुख भाषाओं एवं बोलियों में लोक तथा जनजातीय संगीत की संदर्भ लाइब्रेरी भी है।

ट्रांसक्रिप्शन एवं कार्यक्रम आदान–प्रदान सेवा को दिन में 1100 बजे से 1200 बजे के बीच एक नियत प्रसारण–समय सभी आकाशवाणी केन्द्रों को कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आवंटित किया गया है। यह कार्यक्रम आर एन चैनल के जरिए प्रसारित होते हैं जिसमें साउण्ड आर्काइव से प्राप्त कार्यक्रम, कार्यक्रम आदान–प्रदान लाइब्रेरी, रेडियो सीरियल, समूह गान (जो कि आकाशवाणी महानिदेशक के सामुदायिक गीत गायन सेल से प्राप्त किए जाते हैं), शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न केन्द्रों द्वारा मांगे गए कार्यक्रम तथा केन्द्रों (पी. ई. यू. लाइब्रेरी) द्वारा योगदान किए कार्यक्रम शामिल हैं।

कार्यक्रम आदान–प्रदान लाइब्रेरी चिन्हित रेडियो केन्द्रों को रेडियो सीरियल देती है। यह रेडियो सीरियल आकाशवाणी निदेषालय की पी पी एण्ड डी इकाई द्वारा सॉफ्टवेयर विकास कार्यक्रम के तहत किए जाते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी महानिदेषालय के केन्द्रीय रूपक एकांश द्वारा निर्मित मासिक श्रृंखला नाटक चिन्हित रेडियो/केन्द्रों को दिए जाते हैं।

लिप्यंतरण (ट्रांसक्रिप्शन) इकाई

इस सेवा का एक प्रमुख कार्य राष्ट्रपतियों तथा प्रधानमंत्रियों के भाषणों की रिकॉर्डिंग का लिप्यंतरण करना तथा कालानुक्रमिक अनुक्रम में उन्हें खण्डानुसार व्यवस्थित करना है।

सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रपतियों तथा प्रधानमंत्रियों के भाषणों को रिकॉर्ड करना आकाशवाणी केन्द्रों के लिए अनिवार्य है। भाषण समाहित करते हुए टेप तथा साथ ही इनकी ट्रांसक्रिप्ट विभिन्न सम्बन्धित आकाशवाणी केन्द्रों से टी एण्ड पी ई एस द्वारा प्राप्त की जाती है। सभी ट्रांसक्रिप्शन का सजिल्द खण्ड तैयार करके अभिलेखागार में रखा जाता है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के सभी भाषण सी डी रुप में संरक्षित करके विस्तृत डाटा इन्ट्री के साथ रखे जाते हैं।

नवीकरण (रिफर्बिशिंग) इकाई

अभिलेखों में पुरानी संगीत रिकॉर्डिंग का नवीकरण करने के लिए इस इकाई की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से कुछ वर्षों पूर्व की गई। सैकड़ों घण्टे संगीत की रिकॉर्डिंग तथा महात्मा गाँधी, पंडित नेहरु इत्यादि की रिकॉर्डिंग यहां नवीकृत की जाती है। वर्तमान में यह इकाई आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आर्काइव द्वारा जारी की जा रही रिकॉर्डिंग की ऑडियो गुणवत्ता का ध्यान रखती है।

आकाशवाणी आर्काइव की रिलीज 'आकाशवाणी संगीत'

पिछले समय में सभी प्रमुख संगीतकारों की प्रस्तुतियों को रिकार्ड, प्रसारण तथा संरक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक दोनों प्रकार में शास्त्रीय संगीत का समृद्ध खजाना आकाशवाणी के पास मौजूद है। 'आकाशवाणी संगीत' के अंतर्गत आकाशवाणी आर्काइव ने इस महत्वपूर्ण संगीत संकलन को रिलीज करना प्रारम्भ किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध इकाई

- आकाशवाणी की अंतर्राष्ट्रीय संबंध इकाई आकाशवाणी की प्रकृति से सम्बन्धित विदेश संबंधी विभिन्न प्रतिबद्धताओं का कार्य करती है। इसके कार्यदल में सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार तथा

अन्य विभिन्न देशों के बीच हस्ताक्षरित कार्यक्रमों का लागू किया जाना शामिल है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी से सम्बन्धित अनुच्छेदों, विदशी प्रसारकों तथा मीडिया संगठनों के बीच परस्पर सहयोग से सम्बन्धित मुद्दों, विदशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कान्फ्रेंस तथा विदेशों में आयोजित बैठकों में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रतियोगिता में भागीदारी, देश के भीतर आयोजित कार्यशाला इत्यादि शामिल है।

अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक इस इकाई की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

- 2 से 8 नवम्बर, 2011 को नई दिल्ली में प्रसार भारती द्वारा आयोजित 48वें ए.बी.यू. जनरल एसेम्बली तथा एसोसिएटेड बैठक में प्रसार भारती के भाग के रूप में आकाशवाणी ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
- श्री बीजू मैथ्यू, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी, तिरुवनन्तपुरम द्वारा निर्मित कार्यक्रम 'ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्पैरो' ने बाल कार्यक्रम श्रेणी में ए.बी.यू. पुरस्कार प्राप्त किया। नई दिल्ली में आयोजित 48वें ए.बी.यू. जनरल एसेम्बली के दौरान आयोजित पुरस्कार समारोह में पुरस्कार प्रदान किया गया।
- सुश्री मीनू खरे, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी, गोरखपुर द्वारा निर्मित हिन्दी कार्यक्रम 'ज्वाय–लाइव' ने यूनीसेफ का महत्वपूर्ण ग्लोबल 'रेडियो प्रसारण (आई.सी.डी.बी.) का 2011 अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस' पुरस्कार प्राप्त किया।
- श्री बीजू मैथ्यू, कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी, तिरुवनन्तपुरम तथा श्री आर सुदर्शन, कार्यक्रम अधिशासी, चेन्नई ने ए.बी.यू. के लिए 'इटली वार्निंग एण्ड इंजीनियरिंग नॉलेज' कार्यक्रम के निर्माण के लिए 2011 में ए.बी.यू. प्रोडक्शन अनुदान भी हासिल किया।
- आकाशवाणी तथा रेडियो नीदरलैण्ड वर्ल्ड वाइड (आर. एन.डब्ल्यू.) ने मौसम सम्बन्धी मुद्दों (जिसका शीर्षक 'अर्थ बीट' था), पर रेडियो श्रंखला का सह–निर्माण को एक वर्ष तक (जून 2011 से मई 2012) आगे भी तक जारी रखने पर सहमति जताई तथा पूरे देश में फैले आकाशवाणी के चुने हुए केन्द्रों से प्रसारित करने पर भी सहमति हुई।
- 27–30 जून, 2011 को कुआलालम्पुर, मलेशिया में 'यूनेस्को–ए.बी.यू. ऑन लाइन ट्रेनिंग ऑन रेडियो जर्नलिज्म एण्ड प्रोडक्षन एण्ड द रीजनल वर्कशॉप ऑन रेडियो प्रोग्रामर्स, नेटवर्क ऑन ससटेनेबल डेवलमपमेन्ट' में श्रीमती पुष्पिंदर कौर, उप निदेशक (समाचार), एन.एस.डी., आकाशवाणी, दिल्ली को नामांकित किया गया।
- 13 से 17 जून, 2011 को नई दिल्ली में ए.बी.यू. के सहयोग से कानफ्लिक्ट सैंसिटिव रिपोर्टिंग पर आकाशवाणी ने ए.बी.यू. / यूनेस्को / ए.आई.आर. इन–कन्ट्री प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 21 कार्यक्रम तथा समाचार कार्मिकों ने भाग लिया। श्रीमती बेटिना एमबैक, निदेशक, वायामो कम्युनिकशेन फाउन्डेशन, जर्मनी पाठ्यक्रम निदेशक थीं।

विदेश सेवा प्रभाग (ईएसडी)

आकाशवाणी में विदेश प्रसारण सेवा दूसरे विश्व युद्ध 1 अक्टूबर, 1939 के तुरन्त बाद शुरू हुई। तब यह सेवा पश्तो में आरम्भ हुई। विदेशों में बसे ऐसे भारतीय जो वर्षो पहले अच्छे जीवन के लिए भारत छोड़ कर गए लेकिन अब भी उसे याद रखते हैं, उनके लिए विदेश प्रसारण सेवा भारतीय नजरिए से विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती है।

आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग पहुंच एवं रेंज कवरेज दोनों रूपों में दुनिया के रेडियो नेटवर्क में चोटी पर है। यह 27 भाषाओं में करीब 100 देशों में प्रसारण करता है। विदेशी श्रोताओं को भारत के लोकाचार से परिचित कराने का उद्देष्य विदेष प्रसारण के जरिए पूरा किया जाता है। रेडियो अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्वाहिली, अरबी, फारसी, पश्तो, दरी, बलूची, सिंहली, नेपाली, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मीज और इंडोनेशियाई भाषाओं में विदेशी श्रोताओं तक पहुंचता है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और गुजराती भाषा में विदेश सेवा प्रसारण प्रवासी भारतीयों के लिए है, जबकि उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सैराकी, कन्नड़ एवं बांग्ला भाषा में प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के श्रोताओं को लक्ष्य बनाकर किया जाता है।

आकाशवाणी से प्रसारित संगीत कार्यक्रमों का विवरण

क्रम संख्या	कलाकार	गायन / वाद्य संगीत	कार्यक्रम / राग
1.	पंडित ओंकार नाथ ठाकुर (वॉल्यूम–1)	गायन	• राग – अलिहया बिलावल • ऐरी मैं तो कौन जतन से– राग मिश्र काफी • भजन– रे कान्हा नाव करो मेरी पार • वन्दे मातरम्– भारत की स्वतंत्रता दिवस 1947 (संसद भवन पर अर्द्धरात्रि पर हुआ समारोह) पर प्रस्तुत
2.	पंडित ओंकार नाथ ठाकुर (वॉल्यूम–2)	गायन	• पहेरवा जागो – राग आसावरी • साजन गरलागे आजारे आ – तीन ताल में द्रुत ख्याल • दिन का करी जतन– कबीर भजन
3.	पंडित डी.वी. पलुस्कर (वॉल्यूम–1)	गायन	• राग तोड़ी • राग रामकली • भजन मद कर मोहो
4.	पंडित डी.वी. पलुस्कर (वॉल्यूम–2)	गायन	• राग मियां की मल्हार • राग गौड़ मल्हार • भजन–ठुमक चलत
5	पन्ना लाल घोष	बांसुरी	• राग तोड़ी • राग दीपावली
6	उस्ताद अजीज अहमद खान वारसी (वॉल्यूम–1)	कव्वाली	• पास आते हैं मेरे (कव्वाली)– कामिल हैदराबादी • गजल–फकीराना –मीर • बहुत कठिन है (कव्वाली)– अमीर खुसरो • कब आए अम्बिया– आदिल हैदराबादी • छाप तिलक– अमीर खुसरो
7	उस्ताद अजीज अहमद खान वारसी (वॉल्यूम–2)	कव्वाली	• दिल है तो (गजल)– गालिब • मैं निजाम से नैना –अमीर खुसरो • तू तो अल्लाह का – दाग • सावरे आलम – कामिल हैदराबादी • नामे दनम की मंजिल – अमीर खुसरो

क्रम संख्या	कलाकार	गायन / वाद्य	कार्यक्रम / राग
8	मुसीरी सुब्रमण्या अय्यर (वॉल्यूम–1)	कर्नाटक गायन	• नादादीना माता – राग जनरंजिनी • नी वादा ने गाना – राग सारंगा • नी पादुमाले – राग भैरवी
9	मुसीरी सुब्रमण्या अय्यर (वॉल्यूम–2)	कर्नाटक गायन	• नादोपासना – राग बेगडा • अल्पना, तनाम तथा पल्लवी – राग तोडी • कावादिचिन्थू
10	द्वारम वेंकटेस्वामी	वायलिन	• राग– वाथापिगनपतिम – हंसध्वनि • जननी नीनू वीणा– रेतीगौला – मिश्र छापु • ब्रोवबरमा – बाहुदरी– आदि त्यागराज • दुर्मरगचर– रंजनी –रुपकम–त्यागराज • क्षीर सागर सायना –देवगंधरी –आदि त्यागराज
11	सेमानगुडी श्रीनिवास अय्यर	कर्नाटक गायन	• सारासिरुहा–नट –आदि–पुलियार दोराईस्वामी अय्यर • सरासाक्षा– पंतुवराली –आदि–स्वती तिरुनल • दिवाकराटानुजम – यादुकलाकम्बोजी – आदि • राम नी सामना– खारहरप्रिया–रुपकम त्यागराज
12	एम डी रामानाथन	कर्नाटक गायन	• समयामिडे –केदारम–रुपकम–पटनम • सुब्रमण्या • रामकाधसौदा–मध्यामवती आदि त्यागराज • भज रे चित्त–कल्याणी मिश्र छप्पू–हीक्षितार
13	पंडित वी जी जोग	वायलिन	• पंडित वी जी जोग के साथ साक्षात्कार • राग– सुध तोड़ी • राग–झिंझोटी
14	सिद्धेष्वरी देवी	गायन	• श्रीमती सविता देवी से परिचय • बंदिष ठुमरी– राग मिश्र पराज में • दादरा सांवरिया मन भायो रे • टप्पा राग भैरवी में • ठुमरी– राग मिश्र तिलक कमोद में • टप्पाः पानी छगरानी लाया

विदेश सेवा प्रभाग में समेकित पैटर्न का पालन किया जाता है तथा आम तौर पर इसमें समाचार और समसामयिक घटना–क्रम, भारतीय प्रेस की समीक्षा, न्यूज रील, स्पोर्ट्स मैगजीन कार्यक्रम,और साहित्य पर डोक्यूमेंट्री तथा फीचर वार्ता एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा शामिल होती है। पर्याप्त अवधि तक संगीत भी प्रसारित किया जाता है।

विदेश सेवा प्रभाग के प्रसारणों में देश की संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्र, विभिन्नता, भविष्योन्मुख दृष्टि, अर्थव्यवस्था की प्रगति, उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में विकास को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रसारणों के जरिए भारत की तकनीकी समृद्धि और इसकी सफलता और जलवायु संतुलन को विश्व के पटल पर सरलता और सहजता से रखा गया।

इसी तरह भारत के अहिंसा पर विश्वास, मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए वचनबद्धता, और विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका पर भी अकसर प्रसारण किए गए। इस प्रभाग ने संगीत, बोले गए शब्द तथा कम्पोजिट कार्यक्रमों की रिकार्डिंग 25 विदेशी प्रसारण संस्थाओं को साँस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत देना जारी रखा है।

सार्क देशों में विदेश सेवा का प्रसारण होता है जिसके अंतर्गत एशिया, खाड़ी और दक्षिण–पूर्व एशिया बुलेटिन तथा अंग्रेजी के 9 बजे के राष्ट्रीय समाचार होते हैं।

इसके अलावा विदेश सेवा प्रभाग विश्वभर के समाचार पत्रों की खबरों का विश्लेषण भी करता है।

भावी नीतियां / उपलब्धियां

1. **नया स्वरूप देना** : नेपाली, तिब्बती, बलूची, दरी तथा पश्तो भाषाओं और खाडी देशों के लिए प्रसारण।
2. **डीटीएच सेवा** : डीटीएच द्वारा 24 घंटे उर्दू सेवा 28.6. 2006 से विदेश सेवा प्रभाग में उपलब्ध है। इस तरह अन्य कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं।
3. **विदेश प्रसारण की भूमिका** : विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशी प्रसारण को मजबूत कर और भी दृढ़ता से संदेश पूरे विश्व में देने का प्रयास किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने बलूची, दरी तथा पश्तो सेवा हेतु अतिथि टी. ए. की व्यवस्था की। पहला बैच मई, 2009 में आया तथा 8 अतिथियों का तीसरा बैच नवंबर, 2010 में आ चुका है । अतिथि टी.ए. हमारी सेवाओं से अनुभव प्राप्त करने के साथ हमारी इकाइयों में काम कर रहे हैं ।

प्रमुख घटनाओं की कवरेज

1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक

- अप्रैल, 2011 में 'लेफ्ट साइड रुम, वार्ड नं. 4' (ए बी यू प्रविष्टि के लिए) नामक स्पेशल फीचर का प्रसारण हुआ।
- दिल्ली के आधुनिक भारत की राजधानी बनने के 100 वर्ष पूरे करने पर 'दिल्ली–100 श्रृंखला' (4 एपीसोड में) का प्रसारण किया गया।
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2011 का कर्टेन रेजर सहित कवरेज
- नवम्बर, 2011 में ए बी यू रेडियो वर्किंग पार्टी मीटिंग (सामग्री प्रोडक्शन पर)
- महान व्यक्तित्व यथा जगजीत सिंह तथा भूपेन हजारिका पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम
- लेह महोत्सव, 2011 की विशेष कवरेज
- रवीन्द्र नाथ ठाकुर, फैज अहमद फैज, नागार्जुन, पंडित पन्नालाल घोष, निर्मल वर्मा तथा रामधारी सिंह दिनकर के जन्म शताब्दी समारोहों पर विशेष कार्यक्रम
- स्वतन्त्रता दिवस, 2011 पर विशेष कार्यकम (लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम सम्बोधन तथा राष्ट्रपति के 14 अगस्त, 2011 को राष्ट्र के नाम सम्बोधन पर रेडियो रिपोर्ट)

प्रस्तावित/संपन्न कवरेज (1 जनवरी से 31 मार्च, 2012)

- प्रवासी भारतीय दिवस 2012 की जनवरी में व्यापक कवरेज (कर्टेन रेजर के साथ)
- ऑटो एक्सपो 2012 की कवरेज
- गणतन्त्र दिवस, 2012 पर विशेष कार्यक्रम (25.01.2012 को राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश की रेडियो रिपोर्ट)
- यूनीक किडनी बैंक–किडनी फेडरेशन ऑफ इण्डिया की परियोजना पर विशेष फीचर (मार्च, 2012)
- बीटिंग रिट्रीट समारोह, 2012 पर विषेष कार्यकम

अभियांत्रिकी

नेटवर्क का विकास तथा कवरेज

आकाशवाणी विष्व के सर्वाधिक बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से है। आजादी के समय भारत में 6 रेडियो केन्द्र तथा 18 ट्रांसमिटर (6 एम.डब्ल्यू. तथा 12 एस.डब्ल्यू.) थे जो देष की 11 प्रतिशत जनसंख्या तथा 2.5 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र आच्छादित करते थे। 15 दिसम्बर, 2011 तक आकाशवाणी के नेटवर्क की वृद्धि 261 केन्द्रों तथा 406 ट्रांसमिटरों (149 एम.डब्ल्यू., 54 एस. डब्ल्यू. तथा 203 एफ.एम.) तक हो चुकी है जो देश की 99 प्रतिशत जनसंख्या तथा 91 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। पिछले पाँच वर्षों में आकाशवाणी केन्द्रों तथा ट्रांसमिटरों की वृद्धि की ग्राफिक्स संलग्न है।

वर्ष भर की गतिविधियों की सुर्खियाँ

1. पिछले वर्ष से स्टेशनों की संख्या 241 से बढकर 260 हो गई और ट्रांसमिटरों की संख्या 385 से बढ़कर 406 हो गई है।
2. वर्ष के दौरान स्थापित नये स्टेशन

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में आकाशवाणी संग्रहालय को देखते हुए

- सीतामढ़ी (बिहार) – 100 किलोवाट, एफएम ट्रांसमिटर
- भटवाड़ी (उत्तराखंड) – 100 वाट ट्रांसमिटर
- गया (बिहार) – 100 वाट ट्रांसमिटर
- श्रंगेरी (कर्नाटक) – 100 वाट ट्रांसमिटर
- ऊधमपुर (जम्मू–कश्मीर) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- आनगोले (आंध्र प्रदेश) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- गुरेज (जम्मू–कश्मीर) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- तिठवाल (जम्मू–कश्मीर) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- रामपुर (हिमाचल प्रदेश) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- नीमच (मध्य प्रदेश) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- बर्थिन (हिमाचल प्रदेश) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- चेरापूंजी (मेघालय) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- मंडी (हिमाचल प्रदेश) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- सुंदर नगर (हिमाचल प्रदेश) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- किशनगंज (बिहार) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- प्रताप नगर (उत्तराखण्ड) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- बचेर (उत्तराखण्ड) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- उड़ी (जम्मू–कश्मीर) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर
- सूर्यपेट (तमिलनाडु) – 1 किलोवाट

वर्तमान केन्द्रों पर स्थापित ट्रांसमिटर

सिलचर (असम) – 100 वाट एफएम ट्रांसमिटर

निम्न केन्द्रों पर सुविधाओं का उन्नयन किया गयाः

- अलवर– वर्तमान 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर को 10 कि. वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर में उन्नयन किया गया
- कुरुक्षेत्र – वर्तमान 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर को 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर में उन्नयन किया गया
- बांसवाड़ा – वर्तमान 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर को 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर में उन्नयन किया गया
- चित्तौड़गढ़ – वर्तमान 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर को 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर में उन्नयन किया गया
- हैदराबाद (रेनबो) – वर्तमान 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर को 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर में उन्नयन किया गया
- हैदराबाद (सी बी एस) – वर्तमान 1 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर अंतरिम सेटअप के स्थान पर नया 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर चालू हो गया।
- कोचीन – वर्तमान 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर को 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर में उन्नयन किया गया
- नागपुर – वर्तमान 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर को 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर में उन्नयन किया गया
- वाराणसी – वर्तमान 1 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर अंतरिम सेटअप के स्थान पर नया 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर चालू हो गया।
- गोरखपुर – वर्तमान 1 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर अंतरिम सेटअप के स्थान पर नया 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर चालू हो गया।

तकनीकी रूप से तैयार स्टेशन

- रायरंगपुर (उडीसा)– 1कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर
- लांगथरेई (त्रिपुरा)– 1कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर
- डूंगरपुर (राजस्थान)– 1कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर
- धर्मनगर (त्रिपुरा)– 1कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमिटर

स्टाफ की उसकी भर्ती के पश्चात ये सेट अप कार्य करना प्रारम्भ करेंगे।

जम्मू–कश्मीर के लिये विशेष योजना

(1) प्रथम चरण में आकाशवाणी सेवा के विस्तार और सुधार की विशेष योजना जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। अब वहां 16 आकाशवाणी केन्द्र और 29 ट्रांसमिटर (मीडियम वेव 14, एफ

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम)
अप्रैल से दिसम्बर, 2011 तक कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

क्रम स.	पाठ्यक्रम कोड	माह/अवधि	कार्यशाला का नाम	प्रतिभागियों की कुल संख्या
1.	D1112-P01	25 से 29 अप्रैल (5दिन)	रेडियो एग्रो विजन	25
2.	D1112-A01	6 से 10 जून (5दिन) लाभ	पेंशन तथा अन्य रिटायरमेन्ट	19
3	D/O.Org.	13 से 17 जून (5दिन) रिपोर्टिंग	कॉनफ्लिक्ट सेंसिटिव	19
4	D1112-A03	22 से 24 जून (3 दिन)	नोटिंग–ड्राफ्टिंग की कला	18
5	D1112-P03	4 से 6 जुलाई (3 दिन)	लोक सेवा प्रसारण	31
6.	D1112-P02	22 से 24 जून (3 दिनद्ध)	किसान वाणी प्रसारण	26
7.	D1112-P05	1 से 5 अगस्त (5 दिन)	नेतृत्व कौशल	34
8.	D1112-A04	23 से 25 अगस्त (3 दिन)	सेवाओं में आरक्षण	22
9.	D1112-A02	12 से 16 सितम्बर (5 दिन)	अनुशासनात्मक कार्यवाही	18
10.	D1112-P04	19 से 23 सितम्बर (5 दिन)	प्रस्तुतिकरण की कला	22
11.	D1112-a05	26 से 30 सितम्बर (5 दिन)	वित्तीय प्रबंधन	12
12.	D1112-P13	17 से 19 अक्तूबर (3 दिन)	श्रोता अनुसंधान में उभरती तकनीक तथा वर्तमान तरीके	27
13.	D1112-A06	17 से 19 अक्तूबर (3 दिन)	सूचनाधिकार एवं अभिलेख प्रबंधन	15
14.	D1112-P07	28 नवम्बर से 2 दिसम्बर (5 दिन)	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	29
15.	D1112-P08	26 से 30 दिसम्बर (5 दिन)	वॉयस, कल्चर एण्ड कम्यूनिकेशन	—

जनवरी से मार्च 2012 तक एस टी आई (पी) द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यकम

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम कोड	माह अवधि	कार्यशाला का नाम
1.	D12-A01	2 से 6 जनवरी (5 दिन)	कार्यालय प्रबंधन
2.	D12-P01	16 से 20 जनवरी (5 दिन)	समाचार एवं समसामयिक कार्यकम संख्या
3.	D122-A02	6 से 10 फरवरी (5 दिन)	प्रशासनिक सतर्कता
4.	D12-P02	21से 22 फरवरी (2 दिन)	वार्ता कौशल
5.	AI 123061	27 फरवरी से 2 मार्च (5 दिन)	डिजिटल ऑडियो प्रोडक्शन एण्ड एडिटिंग
6.	D12-303	12 से 14 मार्च (3 दिन)	बाल कार्यक्रमों का निर्माण तथा प्रस्तुति
7.	D12-A03	19 से 23 मार्च (5 दिन)	एडवान्स कम्प्यूटर एप्लीकेशन

एम 12, शार्ट वेव 3) खुल गए हैं। राज्य की 99.52 प्रतिषत जनसख्यां रेडियो सिग्नल से कवर हो चुकी है।

(2) द्वितीय चरण—दूसरे चरण के तहत मौजूदा आकाशवाणी केन्द्रों तथा एफ एम ट्रांसमिटरों के लिये अतिरिक्त डीजल जेनेरेटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये जा रहे हैं तकि वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने पर और आपातस्थिति तथा प्राकृतिक आपदा के दौरान नियमित प्रसारण सुनिष्चित हो सके।

उपलब्धता की स्थिति इस प्रकार है :

- 15 किलोवाट (9 नग) डी. जी. सेट
– उपलब्ध एवं स्थापित
- 62.5 किलोवाट (6 नग) डी. जी. सेट
– उपलब्ध एवं स्थापित
- यूपीएस (7 नग)
– उपलब्ध एवं स्थापित
- 1000 किलोवाट डी. जी. सेट (2 नग)। जम्मू,
– उपलब्ध एवं स्थापित
- 500 किलोवाट डी. जी. सेट (2 नग)। पाम्पोर, श्रीनगर,
– उपलब्ध एवं स्थापित
- 1000 किलोवाट डी. जी. सेट (2 नग)। नरबल, श्रीनगर,
– आर्डर दिया गया है।

(3) तीसरा चरण– इस योजना में चार ट्रांसमिटर की स्थापना किया जाना शामिल है। इसके साथ–साथ, कम शक्ति 100 वाट के 4 एफ एम ट्रांसमिटर अनाच्छादित क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। दो स्थानों के लिए जगह आवंटित की जा चुकी है। 100 वाट एफ एम ट्रांसमिटर का आदेश किया जा चुका है तथा टी वी साइट नौशेरा के लिए उच्च शक्ति एफ एम ट्रांसमिटर के लिए एन. आई. टी. जारी किया जा चुका है।

पूर्वोत्तर पैकेज का दूसरा चरण

पूर्वोत्तर एवं द्वीपीय–दोनों क्षेत्रों में आकाशवाणी सेवा के सुधार एवं विस्तार के लिये विशेष पैकेज चल रहा है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं।

एक किलोवाट एफ एम स्टेशन –19 स्थानों पर

1. अरुणाचल प्रदेश – अनिनी, बोमडीला, चांगलांग, दापोरिजो, खोनसा
2. असम – करीमगंज, लमडिंग, ग्वालपाडा
3. मणिपुर – उखरूल, तामेंगलांग
4. मेघालय – चेरापूंजी
5. मिजोरम – तुइयांग, चम्फई, कोलासिब
6. नागालैंड – बोखा, जुन्हेंबोरो, फेक
7. त्रिपुरा – उदयपुर, नूतन बाजार

भूमि अधिग्रहण

19 नये एफ एम स्टेशनों के लिये नए स्थानों की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव एवं मांग पत्र जारी करने में देर हुई है।

- 16 से अधिक स्थानों पर भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है जो बोमडीला, चांगलांग, खोनसा एवं दायोरजी (अरुणाचल प्रदेष), ग्वालपाडा, करीमगंज एवं लुमडिंग (असम), चेरापूंजी (मेघालय), चम्फाल, कोलासिब एवं तुईपांग (मिजोरम) में जुनेबीटो, फेक एवं बोखा (नागालैंड), और उदयपुर, नूतन बाजार (त्रिपुरा) में स्थित हैं। पांच स्थानों पर ट्रांसमिटर का अवस्थापन पूरा किया जा चुका है। तीन स्थानों पर अवस्थापन प्रगति पर है तथा अन्य 7 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। जुन्हेबोटो पर साइट सर्वे तथा जंगल कटाई का कार्य प्रगति पर है।

- अभी तक तीन स्थानों अनिनी (अरुणाचल प्रदेश), तामेंगलांग (मणिपुर) एवं उखरूल (मणिपुर) में भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार के भूमि आंवटित न कर पाने की वजह से बाकी है।

- तामेंगलांग में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दिया गया है। सर्वेक्षण टीम कानून–व्यवस्था की स्थिति सुधरने पर वहॉ का निरीक्षण करेगी। उखरूल में भूमि हस्तांतरण पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के स्थानांतरित होने के पश्चात् होगा। अनिनी में भूमि का प्रस्ताव होना अभी बाकी है जिसके लिये प्रयास जारी है।

सिलचर–5 के.डब्ल्यू. एफ.एम. ट्रांसमिटर तथा गंगटोक–10 के.डब्ल्यू. एफ.एम. ट्रांसमिटर

- सिल्वर एवं गंगटोक में ट्रांसमिटर निर्माण का सिविल कार्य पूर्ण है एवं विभागीय कार्य जारी है।
- सिल्वर के लिए 5 के.डब्ल्यू. एफ.एम. ट्रांसमिटर प्राप्त किया जा चुका है तथा स्थापना के लिए भेजा जा चुका है। विभागीय कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है।
- गंगटोक के लिए 10 के.डब्ल्यू. एफ.एम. ट्रांसमिटर प्राप्त एवं संस्थापित किया जा चुका है। जांच तथा मापन कार्य प्रगति पर है।

ट्रांसमिटर निर्माण

- ट्रांसमिटर निर्माण के लिये तकनीकी क्षेत्र 6 स्थानों, तुईपांग, नूतन बाजार, उदयपुर, ग्वालपाडा, दापोरिजो एवं कोलासिब में तैयार है। इन स्थानों पर अवस्थापना मार्च 2012 तक पूरी करने का लक्ष्य है।
- 4 स्थानों चम्फई, लुमडिंग, खोनसा एवं चांगलांग में कार्य प्रगति पर है। करीमनगर, चेरापूंजी, मडीला, फेक एवं बोधा के लिये मूल्यांकन का कार्य जारी है।
- सिल्वर एवं गंगटोक में ट्रांसमिटर निर्माण का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। विभागीय कार्य जारी है।
- सिल्वर के 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमिटर एवं गंगटोक के 10 किलोवाट के लिये खरीद प्रक्रिया प्रारंभ हो चुक है।

100 स्थानों पर 100 वाट एफ एम रिले ट्रांसमिटर : 89 स्थानों पर से स्थापन कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें 9 वर्तमान वर्ष के कार्य है। तीन स्थानों पर कार्य जारी है। 8 अन्य स्थानों पर राज्य सरकार की अनुमति (2 अरूणाचल में) एवं कानून व्यवस्था में सुधार (4 मणिपुर में एवं 2 त्रिपुरा में) के पश्चात् कार्य आरम्भ हो जाएगा।

चिनसुरा – वर्तमान 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमिटर का प्रतिस्थापन आर्डर दिया जा चुका है और जुलाई, 2011 में ट्रांसमिटर प्राप्त हो चुका है।

कावारत्ती – 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमिटर (1 किलोवाट मीडियम वेब का प्रतिस्थापन 2011–12) के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है।

डिजिटल सेटेलाइट समाचार संकलन व्यवस्था– उपकरणों हेतु आदेश जुलाई, 2011 में दिया जा चुका है। जनवरी, 2012 में प्राप्त होना संभावित है।

क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को सुविधा–संपन्न बनाने के लिए एक स्थायी दफ्तर एवं कर्मचारी आवास का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है।

स्थायी स्टूडियो मे डिजिटल उपकरण एवं कम्प्यूटरीकृत हार्ड डिस्क वर्क स्टेशन रिकार्डिग, डबिंग, संपादन एवं प्लेबैक सुविधाओं को जयपुर (राजस्थान) एवं तवांग (अरूणाचल प्रदेश) मे उपलब्ध कराया जा रहा है। 16 डिजिटल ट्रांसमिशन कन्सोल के लिये ऑर्डर दिया जा चुका है एवं 17 डिजिटल रिकार्डिंग कन्सोल प्राप्त किया जा चुका है।

नई पहलें

1. प्रस्तावित ग्यारहवीं योजना में आकाशवाणी का डिजिटलीकरण एक मुख्य कार्य क्षेत्र है। सरकार द्वारा 898.32 करोड़ रूपए की लागत से ट्रांसमिटरों के डिजिटलीकरण एवं स्टूडियों कनेक्टिविटी के लिए योजना को अनुमति दी गई है जिसमे निम्नलिखित शामिल हैं :

- 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण एवं कनेक्टिविटी
- 31 पुराने मीडियम वेव ट्रांसमिटरों को नये डी आर एम मीडियम वेव ट्रांसमिटरों द्वारा प्रतिस्थापित करना
- मीडियम वेव डी आर एम ट्रांसमिटरों का कैप्टिव पावर प्लांट के साथ अरूणाचल–चीन सीमा पर 3 स्थानों पर उच्चीकरण
- 10 किलोवाट के मोबाइल ट्रांसमिटरों का मीडियम वेव डी आर एम ट्रांसमिटरों द्वारा 6 स्थानों पर प्रतिस्थापन
- 36 सुमेलित मीडियम वेव ट्रांसमिटरों को डी आर एम मोड मे परिवर्तित करना
- 1 किलोवाट/ 5 किलोवाट एफएम के डिजिटल सुमेलित नये ट्रांसमिटर 24 स्थानों पर
- ग्रामीण एवं अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों मे कवरेज के लिये 100 स्थानों पर 100 वाट के एफ एम डिजिटल ट्रांसमिटरों की स्थापना (वर्तमान एलपीटी स्थान) एवं कनेक्टिविटी

- 34 स्थानों पर, जो कि सीमा एवं सुदूर क्षेत्र के हैं, पर पुराने ट्रांसमिटरों का प्रतिस्थापन समान शक्ति व क्षमता के एवं 6 नग 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमिटरों का 10 किलोवाट एफ एम द्वारा प्रतिथापन ।
- 5 शार्टवेव ट्रांसमिटरों का डी आर एम शार्ट वेव ट्रांसमिटरों द्वारा प्रतिस्थापन
- दिल्ली स्थिति आर्काइवल सुविधा का विस्तार एवं चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद मे आर्काइवल सुविधा का निर्माण
- वर्तमान 44 समाचार इकाईयों का विस्तार एवं 7 नयें क्षेत्रीय समाचार इकाईयों निर्माण
- 16 स्थानो पर फोन पर समाचार सेवा की शुरूआत एवं वर्तमान 13 स्थानों पर इस सेवा का विस्तार
- डिजिटल स्टूडियों ट्रांसमिटर लिंक्स
- 3 नये कैप्टिव अर्थ स्टेशन त्रिचिरापल्ली, मदुराई एवं धारवाड़ में
- कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) एवं कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) एवं क्षेत्रीय ट्रेनिंग संस्थानों का विस्तार – 31.08.2010 को मंत्रालय द्वारा 20 करोड़ लागत का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यह योजना क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) (दिल्ली), तथा क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) मुम्बई, छात्रावास तथा तिरूवंनतपुरम, लखनऊ, हैदराबाद एवं अहमदाबाद तथा क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) के निर्माण से संबधित है। इसका कार्य सिविल निर्माण एकांश के सहयोग से हो रहा है उपकरणों के प्राप्ति निश्चित की जा रही है।
- 20 करोड़ लागत का प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हो गया है और गुवाहाटी के कर्मचारी निवास और श्रीनगर के छात्रावास का मूल्यानुमान स्वीकृत हो गया है एवं कार्य के आवंटन के लिये टेंडर प्रक्रिया जारी है। गुवाहाटी कार्यालय परिसर के लिये मूल्यांकन चल रहा है।

आकाशवाणी रिसोर्सेज की गतिविधियाँ

- प्रसार भारती ने 'आकाशवाणी रिसोर्सेज' को एक स्वतंत्र केन्द्र बनाया है ताकि वह आकाशवाणी एवं दूरदर्षन के प्रसारण के क्षेत्र में परामर्श और तैयार समाधान के साथ ही दोनों घटकों के विशाल स्त्रोतों, तकनीकी विषेषज्ञों का इस्तेमाल वाणिज्यिक रूप से करके प्रसार भारती के लिए राजस्व प्राप्त कर सके।

  यह इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को देष में 37 स्थानों पर ज्ञानवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिये एफ एम ट्रांसमिटर स्थापित करने में 'टर्न की' आधार पर समाधान उपलब्ध करा रहा है। भूमि, भवन और टावर ज्ञानवाणी केन्द्रों को पट्टे पर दिए गए हैं। प्रसार भारती ने इन एफ.एम. ट्रांसमिटरों के संचालन और रखरखाव का कार्य भी संभाला हुआ है।
- भूमि, भवन एवं टॉवर जैसी बुनियादी संरचनाएं निजी एफ. एम. चैनलों को किराये के आधार पर दी जा रही हैं। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना के प्रथम चरण में चार नगरों में 10 निजी एफ एम चैनल चल रहे हैं। योजना के दूसरे चरण में 87 शहरों में 245 एफ. एम. चैनलों का संचालन हो रहा है। सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता भी प्रसार भारती की अधिसंरचना का उपयोग कर रहे हैं।
- विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान कर प्रसार भारती कार्यस्थल पर एवं संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करके भी राजस्व कमा रही है।
- अप्रैल, 2011 से नवम्बर, 2011 की कालावधि में 'आकाशवाणी रिसोर्सेज' ने ₹ 39.80 करोड़ का कुल राजस्व एकत्र किया है।

सूचना तकनीकी विभाग की गतिविधियाँ

1. आकाशवाणी के लिये हिन्दी पोर्टल

एक वेब आधारित साफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिससे पूरे देश में हिन्दी प्रयोग से सम्बन्धित रिपोर्टों का आनलाइन नवीकरण एवं जमा करना संभव हो सकेगा और निदशालय का हिन्दी संभाग अपनी कालिक रिपोर्ट को संकलित कर सकेगा। निदेशालय किसी भी समय स्टेटस रिपोर्ट की निगरानी करने में सक्षम होगा। यह पोर्टल आगे भी राजभाषा से सम्बन्धित गतिविधि को पूरा करने के लिए विस्तारित किया

जाएगा।

2. मानव संसाधन प्रबंधन तन्त्र

एक ऑन लाइन तिमाही इनकम्बेन्सी स्टेटस रिपोर्ट साफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया में है जहाँ केन्द्र पर नियुक्त स्टाफ से सम्बन्धित सभी विवरण (स्थानांतरण, पोस्टिंग, प्रषिक्षण, प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या इत्यादि) संरक्षित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन तन्त्र की मांगों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

2. आकाशवाणी की वेबकास्टिंग एवं पॉडकास्टिंग सेवाएं

आकाशवाणी स्थलीय रेडियो ट्रांसमिटरों के नेटवर्क के जरिये प्रसारण करता है। ये कार्यक्रम वेबकास्टिंग एवं पॉडकास्टिंग के उपयोग से सम्पूर्ण विश्व में आकाशवाणी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। 11वीं योजना की स्वीकृत योजना के अंतर्गत वेबकास्टिंग एवं पॉडकास्टिंग सेवाओं के प्रावधान पर कार्य जारी है। प्रारम्भ में पाइलट के रुप में एक एकल चैनल औडियो स्ट्रीमिंग प्रारम्भ की जाएगी।

3. आकाशवाणी की फोन पर समाचार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

प्रत्येक 'फोन–पर–समाचार' सेवा में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार होते हैं। क्षेत्रीय समाचार स्टेशन पर ही रिकार्ड होते हैं और राष्ट्रीय समाचार दिल्ली से वेब/एफ.टी.पी. सर्वर के माध्यम से डाउनलोड किए जाते हैं। भारत में कहीं से भी श्रोता लैंडलाइन या मोबाइल फोन का उपयोग करके 125900/125800 नंबरों से राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समाचार सुन सकते हैं। यह सेवा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में है।

अब यह सेवा 14 स्थानों पर उपलब्ध है। ये हैं– दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम्, इम्फाल, लखनऊ, रायपुर, शिमला एवं गुवाहाटी हैं। 11वीं योजना में यह सेवा 16 अन्य राजधानी केन्द्रों – अगरतला, आइजोल, भोपाल, चण्डीगढ़, कटक, देहरादून, गंगटोक, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पणजी, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, रांची, शिलांग तथा श्रीनगर में विस्तारित की जा रही है।

मौजूदा 'फोन–पर–समाचार' सेवा निम्न 13 स्थानों पर उच्चीकृत भी की जा रही है–अहमदाबाद, बैंगलूरु, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, पटना, जयपुर, लखनऊ, रायपुर, षिमला एवं तिरुवनंतपुरम्।

4. कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)

दिल्ली में स्थित कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान इंजीनियरिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूर्ण करता है। ट्रेनिंग सुविधाओं के विस्तार के लिये क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान मुंबई, भुवनेश्वर एवं शिलांग में भी स्थापित किए गए हैं। दिल्ली का संस्थान 1948 में स्थापित किया गया और तब से यह इलेक्ट्रानिक मीडिया के तकनीकी प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। एक सुसंगठित पुस्तकालय एवं आधुनिक मल्टीमीडिया उपकरण युक्त कम्प्यूटर केन्द्र संस्थान में उपलब्ध हैं। संस्थान विभागीय अभ्यर्थियों एवं विदेषी संगठनों के अभ्यर्थियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों पर कार्यशालायें भी होती हैं। संस्थान सीधी भर्ती वाले इंजीनियरिंग कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करता है। क्षेत्रीय संस्थान कम्प्यूटर हार्ड डिस्क आधारित रिकॉर्डिंग सम्पादन और प्लेबैक व्यवस्था के उपयोग से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का विवरण

एस.टी.आई.(टी.) फैकल्टी द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर 30 नवंबर 2011 तक 13 बाह्य पाठ्यक्रम चलाए गए तथा 01.12.2011 से 31.03.2012 तक 19 बाह्य पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी

भूटान प्रसारण निगम के 4 इंजीनियरिंग सहायकों ने 'रिफ्रेशर कोर्स फॉर टेक (ए.आई.आर./डी.डी.) पाठ्यक्रम(दिनांक 09.05.2011 से 20.05.2011 तक) में भुगतान के आधार पर भाग लिया।

(सी) 4/6 सप्ताह का डिप्लोमा/डिग्री इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) द्वारा संचालित किया गया जिसमें कुल 252 इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), दिल्ली द्वारा प्राप्त राजस्व

संस्थन को ₹ 7,70 लाख का लगभग राजस्व मई–जून, 2011 में आयोजित डिप्लोमा/डिग्री छात्रों के पाठ्यक्रम से प्राप्त हुआ।

छात्रावास सुविधाओं का उन्नयन/ सुधार

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के दौरान पूरे नहीं बन पाए हुए ए, डी तथा बी ब्लाकों के उन्नयन का कार्य सी.सी.डब्ल्यू. द्वारा किया गया। कुल 80 कमरे (सिंगल तथा डबल) वातानुकूलित हैं। शेष 44 कमरे सिंगल नॉन अटैच्ड (कॉमन बाथरुम के साथ) हैं। एक वातानुकूलित डाइनिंग हॉल तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त किचन आर ओ प्लांट के साथ बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। संलग्न लॉन का भी बेहतर तरीके से रखरखाव_किया जा रहा है। रहने, खाने के अलावा प्रशिक्षुओं को अन्य सुविधाएं यथा कपड़ा धुलने, परिवहन हेतु टैक्सी तथा भुगतान आधार पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

स्टाफ कल्याण गतिविधियां

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) तथा स्टाफ *प्रशिक्षण* संस्थान (कार्यक्रम) में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आने वाले भागीदारों के कल्याण के लिए एक। टी वी रूम, नए फर्नीचर तथा बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन छात्रावास में उपलब्ध कराया गया है।

कार्यालय बिल्डिंग के ज्यादा वाहनों को रखने के लिए कवर्ड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। छात्रावास में इंटरनेट रुम में चार नए कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं।

छात्रावास में नई इंटरनेट लाइन सही तरीके से कार्य कर रही है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का विवरण

(दिनांक 01.04.2011 से 30.11.2011 तक की अवधि के लिए)

प्रशिक्षण संस्थान का नाम	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), दिल्ली	49	1055
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), भुवनेश्वर	22	943
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), शिलांग	09	142
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), मलाड, मुम्बई	05	59

प्रशिक्षण संस्थान का नाम	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), दिल्ली	49	300
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), भुवनेश्वर	11	100
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), शिलांग	5	50
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), मलाड, मुम्बई	–	–

प्रस्तावित गतिविधियां

1. लैपटॉप को लेकर आने वाले प्रशिक्षुओं को वाई–फाई कनेक्टीविटी सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
2. 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए, छात्रावास में एक जेनरेटर उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
3. प्रशिक्षुओं द्वारा प्रयोग किया जा रहा बैडमिन्टन कोर्ट छात्रावास में पुनः निर्मित होना प्रस्तावित है।
4. छात्रावास के विभिन्न कमरों में 40 खिड़कियां तथा 25 दरवाजे बदलना प्रस्तावित है।

पुस्तकालय सुविधा का सुधार एवं आधुनिकीकरण

इस संस्थान का पुस्तकालय काफी पुराना है तथा इसमें लगभग 7000 पुस्तकें शामिल हैं। वर्तमान स्थान के अपर्याप्त रहने के कारण संलग्न कमरों को पुस्तकालय के साथ जोड़ दिया गया है जिसे संदर्भ/ अध्ययन कक्ष के रुप में उपयोग किया जाएगा। पुस्तकालय तथा संलग्न कक्षों का समग्र सुधार उपयुक्त रुप में पूरा किया गया। पुस्तकालय में विभिन्न पुस्तकों के श्रेणीकरण का कार्य जारी है तथा श्रेणीनुसार पुस्तकों की सूची इंटरनेट पर उपलब्ध है जिससे प्रशिक्षुओं तथा फैकल्टी को लाभ मिल सकता है।

सर्वर एवं कम्प्यूटर नेटवर्क का उन्नयन एवं रिवायरिंग

कम्प्यूटर सेंटर

- आई बी एम सर्वर, इन्टेल जीऑन प्रोसेसर
- 15 कोर टु डुओ मल्टीमीडिया टर्मिनल विन्डो
- फास्ट गीगा बिट ईथरनेट वर्क के साथ
- प्रत्येक पी सी में सी डी राइटर
- एक समय में 10 सी डी बर्न करने वाला सी डी डुप्लीकेटर
- ओ सी आर साफ्टवेयर के साथ दो स्कैनर
- एम एस ऑफिस 2010
- वर्ड से पी डी एफ में परिवर्तित करने वाला साफ्टवेयर
- सिमेन्टिक एण्ड प्वाइन्ट प्रोटेक्षन एन्टी वायरस
- प्राक्सी सर्वर
- वीडियो डाटा प्रोजेक्टर
- 4 एम बी पी एस ए डी एस एल कनेक्टीविटी
- ब्राडबैण्ड इंटरनेट
- 6 के वी ए यू पी एस (ऑनलाइन)
- दो स्कैनर
- एक लेजर कलर प्रिंटर
- दो स्पिलिट एअर कन्डीशनर
- 2 के वी ए यू पी एस (ऑनलाइन)

बेसिक नेटवर्किंग लैब

- 12 कोर टु डुओ टर्मिनल
- फास्ट 100 एम बी पी एस ईथरनेट नेटवर्क
- वीडियो डाटा प्रोजेक्टर
- ऑन लाइन 0.5 के वी ए यूपीएस
- टी वी लैब में एक फाइनल कट प्रो एन एल ई साथ ही प्ले आउट सर्वर को जोड़ा गया है। रेडियो एवं टी वी स्टूडियो के उन्नयन के लिए 11वीं योजना के तहत प्रक्रियाधीन हैं। एक विशेष पहल के रुप में, प्रषिक्षण संस्थान ने एक त्रैमासिक प्रकाशन का प्रारम्भ पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में तैनात तकनीकी कर्मचरियों के बीच जानकारी साझा करने के लिए किया है।
- एक डी आर एम सुसंगत रेडियो ट्रांसमिटर कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), दिल्ली में लगाया किया गया है।
- क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), शिलांग द्वारा आउट–स्टेशन प्रशिक्षण इम्फाल, गंगटोक, गुवाहाटी तथा तेजपुर में आयोजित किया गया।

अनुसंधान एवं विकास

रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में अत्याधुनिक तकनीकी को उपयोग करने के लिये अनुसंधान विभाग विकास एवं अनुसंधान मे लगा हुआ है। यह एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय संस्थान है जो प्रसारण इंजीनियरिंग के अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगा हुआ है।

इस वर्ष की गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 के दौरान उपलब्धियां

- इस अवधि के दौरान ए एम टेलीमेट्री सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संशाोधित किया गया जिससे उसमें फायर एलार्म इत्यादि परिवर्तन को समावेषित किया जा सके।
- एफ एम टेलीमेट्री सिस्टम में संशोधन टी सी पी/ आई पी प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुए किए गए हैं। हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर में निर्धारित संशोधन आवश्यकतानुसार किए जाएंगे।
- अनुसंधान विभाग ने जी एस एम/एस एम एस आधारित रिमोट निगरानी तथा नियंत्रण तन्त्र की स्थापना मानव रहित वी एल पी टी एस के लिए की।
- कम रिटर्न हानि के लिए किए गए कार्य की जांच 10 किलोवाट उच्च शक्ति एफ एम एन्टीना सिमेट्रिकल स्पिलटर का उपयोग कर किया गया।
- फिक्स्ड एवं मोबाइल व्हीकल के लिए डी आर एम रिसेप्शन हेतु एन्टीना का फैब्रिकेशन किया गया।
- हमारी लैब एवं केन्द्र की आवश्यकताओं के अनुसार एफ एम टेलीमिट्री सिस्टम के लिए ट्रांसमिटर कन्ट्रोल इकाई की जॉच तथा फैब्रिकेशन किया गया।
- आकाशवाणी केन्द्रों के विभिन्न ध्वनि मापन, ध्वनिक पदार्थों की जॉच तथा मूल्यांकन (एन आर सी, एस टी सी, एफ आई आई सी इत्यादि), इलेक्ट्रो–एकास्टिक टांसड्यूसर्स का मूल्यांकन किया गया।

जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक प्रस्तावित गतिविधियां

- एडवान्स टेलीमिट्री सिस्टम के लिए हार्डवेयर की प्राप्ति की जानी है।
- संषोधित साफ्टवेयर की प्रयोगशाला जांच की जानी है।
- एफ एम टेलीमिट्री समूहः एप्लीकेशन साफ्टवेयर में डिबगिंग तथा संशोधन किए जाने हैं।
- चौथे एवं छठे क्रॉस वी एन्टीना आर एफ कोएक्सिएल स्प्लिटर (रिजिड लाइन) 20 किलो वॉट से 40 किलो वॉट उच्च शक्ति एफ एम एन्टीना के विकास का कार्य प्रगति पर है।
- 11वीं योजना की परियोजना के तहत मोबाइल वैन पर ऑटोमेटेड फील्ड स्ट्रेन्थ मापन सिस्टम का फैब्रीकेशन किया जाना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

प्रसार भारती ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लागू करने के सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण तथा अन्य लाभ प्रदान करने के नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी नीति निर्देशों तथा आदेशों को आकाशवाणी के सभी कार्यालयों तथा क्षेत्रीय इकाइयों में आवष्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। कार्यालय ज्ञापन संख्या–36038/1/2008–स्था (रेस) दिनांक 19.11.2008 के अनुपालन में वैधानिक दिशा निर्देशों के लागू किए जाने का निरीक्षण करने के लिए अनुसूचित जाति/ जन जाति के हितों को सुरक्षित करने हेतु संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 01.07.2004 को तथा तत्पश्चात् 01.11.2008 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र संख्या ए–14011/01/2009–प्रषा.1 दिनांक 14.01.2009 के अनुरूप भर्ती अभियान चलाए गए। राज्यों की राजधानियों में सभी केन्द्रों को संपर्क अधिकारी नामित करने तथा अनुसूचित जाति/ जन जाति बैकलॉग रिक्तियां भरने हेतु निर्देश जारी किए गए। ऐसे अधिकतर केन्द्रों ने संपर्क अधिकारी नामित किए।

1 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2012 की अवधि के दौरान किए गए कार्य

अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान को पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36038/1/2008–स्था (रेस) दिनांक 26.07.2011 को पहले ही सभी आकाशवाणी प्रमुखों, प्रमुख केन्द्रों

जिसमें आंचलिक मुख्य इंजीनियर/उपमहानिदेशक शामिल हैं, निदशालय के सभी स्टाफ अनुभाग (जिसमें पी एण्ड डी इकाई भी शामिल है), सी सी डब्ल्यू, ए आर इकाई, ई एस डी तथा एन एस डी को परिचालित किया जा चुका है। उनसे अनुरोध किया गया है कि अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को 31.03.2012 तक भर लिया जाय। केन्द्रों/कार्यालयों से सूचना प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर पर सूचना को एकत्र कर समेकित रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाएगी।

लोक शिकायत तथा निवारण तंत्र

प्रषासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के दिशा निर्देशों के तहत अनुभाग स्तर, क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर तथा केन्द्रीय मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई। शिकायतों के निपटान की नियमित रिपोर्टो को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजा जा रहा है। वर्ष 2011–12 में कुल 191 शिकायतें प्राप्त की जिसमें से 87 सी ई पी ई एन जी आर ए एम वेबसाइट के जरिए तथा शेष 104 सी पी जी आर ए एम वेबसाइट के जरिए 20. 12.2011 तक प्राप्त की गईं जिसमें से 154 निस्तारित की जा चुकी हैं तथा शेष 37 प्रक्रियाधीन हैं। इसमें से 5 पेंशन श्रेणी से सम्बन्धित हैं तथा 32 सामान्य प्रकृति की हैं। इस निदेशालय के स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में उप महानिदेशक (प्रशासन) को नामांकित किया गया है।

सूचनाधिकार अधिनियम 2005 का लागू किया जाना

सभी आकाशवाणी केन्द्रों से विभिन्न फार्मेटों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनके जरिए लोगों को सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबन्धों के बारे में सूचित किया जाता है। इसका उद्देष्य जनता को सशक्त करना तथा प्रशासन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता में योगदान करना है। सभी आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रम प्रमुखों को इस अधिनियम के प्रमुख बिन्दुओं को कार्यक्रम में उल्लिखित करने के लिए कहा गया है। सितम्बर, 2008 से फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत इस अधिनियम को कवर किया गया है। सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किए जाने के लिए आकाशवाणी में 60 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा 6 अपीलीय अधिकारी निदेशालय में तथा 295 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा 20 अपीलीय अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर नियत किए गए हैं। वर्ष 2011 में (1.4.2011 से 31.12.2011 तक) सूचना अधिकार के तहत 492 प्रार्थना पत्र प्राप्त किए गए तथा नियत समय के भीतर उनका जबाव दिया गया। इस अवधि (1.4.2011 से 31. 12.2011 तक) के दौरान अपीलीय अधिकारियों द्वारा 213 अपीलें प्राप्त की गई तथा सभी का निपटारा किया गया।

स्वीकृत पदों की संख्या तथा नए स्वीकृत पद

आकाशवाणी में स्कन्धानुसार अधिकारियों तथा स्टाफ की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार हैं–

स्कन्ध	**आकाशवाणी**
कार्यक्रम	6,915
समाचार स्कन्ध	232
अभियांत्रिकी	6140
सी.सी.डब्ल्यू.	1457
आकाशवाणी मुख्यालय	810
प्रषासन (आकाशवाणी केन्द्र)	0,768
योग	6,322

महिला सशक्तीकरण

आकाशवाणी पूरे देश में फैले 320 केन्द्रों/ कार्यालयों का एक बृहद नेटवर्क है। 17853 कार्मिक तीन धाराओं– कार्यक्रम, अभियांत्रिकी तथा प्रशासन में कार्यरत हैं। आकाशवाणी के समूह 'क', 'ख' तथा 'ग' में महिलाओं का प्रतिषत 24.6 प्रतिशत से अधिक है। प्रसार भारती की अध्यक्षा एक महिला हैं। निदेशक, प्रषासन के रुप में भी एक महिला अधिकारी आकाशवाणी महानिदेशालय के पशासनिक स्कन्ध में कार्यरत हैं। साथ ही आकाशवाणी के कार्यक्रम तथा अभियांत्रिकी स्कन्ध में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ टाइम स्केल, जूनियर टाइम स्केल स्तरों पर कई महिला अधिकारी कार्यरत हैं। इस निदेशालय के परिपत्र संख्या 1/29/2008–डब्ल्यू सी/डब्ल्यू एल दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में सभी आकाशवाणी केन्द्रों/ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि

लिंगभेद की शिकायतों का निपटारा करने के लिए महिला सेल की स्थापना करें। तद्नुसार सभी आकाशवाणी केन्द्रों/ कार्यालयों में महिला सेल की स्थापना की गई है।

महिला कर्मियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां

(क) आकाशवाणी के ज्यादातर कार्यालय प्रसार भारती के स्वामित्व वाले भवनों में स्थित है। सभी में बैठने, पीने के पानी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था है। कार्य स्थान पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी है। कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था है तथा जहां आवश्यक हो, महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय का प्रावधान रखा गया है।

(ख) काफी स्थानों पर आकाशवाणी के अपने स्टाफ क्वार्टर हैं। इनका आवंटन आकाशवाणी (रिहाइशी क्वार्टर का आवंटन) नियम के अनुसार कर्मचारियों को किया गया है।

(ग) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार आकाशवाणी कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती हैं तथा जिनके परिवार में महिला सदस्य शामिल है, के करीबी सम्बन्धियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है।

(घ) आकाशवाणी के कर्मचारी जैसे– टेक्नीशियन, वरिष्ठ टेक्नीशियन, अभियांत्रिकी सहायक, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक इत्यादि शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ है। इनके लिए इनकी सेवा से षिफ्ट ड्यूटी जुडी है। जहां तक हो सकता है, महिला कर्मचारियों को लेट नाइट शिफ्ट तथा विशम समय में ड्यूटी हेतु नहीं बुलाया जाता है।

(ड.) कर्मचारियों को (महिला तथा पुरूष दोनों को समान) सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन स्केल दिया जाता है। आकाशवाणी के कर्मचारियों जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल है, को पर सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी दी जाती है। आकाशवाणी के कर्मचारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल है, सरकार के नियमानुसार रिटायरमेन्ट लाभ दिया जाता है।

(च) उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना काम कर रही है, आकाशवाणी के कर्मचारियों को इसकी सेवाएं प्रदान की जाती है। अन्य स्थानों पर, आकाशवाणी के कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवाएं (मेडिकल अटेन्डेन्स) नियम का लाभ प्रदान किया जाता है। इस नियम के अनुसार प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर

को कर्मचारियों तथा उनके परिवार को मेडिकल सेवा प्रदान करने हेतु अधिकृत मेडिकल अटेन्डेट के रूप में नियुक्ति किया जाता है। जहां निवेदन किया जाता है, महिलाओं के लिए अलग से अधिकृत मेडिकल अटेन्डेट की नियुक्ति की जाती है। कार्यक्रम तथा तकनीकी दक्षताओं के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों से अपने कर्मियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का आकाशवाणी का अपना एक तन्त्र है तथा इस योजना के तहत काफी संख्या में महिलाओं को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। महिलाओं के सशक्तीकरण की समिति की सिफारिषों को स्वीकार करते हुए पुरस्कारों की एक नई श्रेणी अर्थात् सर्वोत्तम महिला कार्यक्रम वर्ष 2009 से आकाषवाणी पुरस्कारों में शामिल की गई है। ज्यादातर महिला कार्यक्रमों की निर्माता महिलाएं ही हैं अतः अंततः पुरस्कारों की इस नई श्रेणी से महिलाएं ही लाभान्वित हो रही हैं।

विकलांगों के लिए आरक्षण

भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा गरिमा सुनिश्चित करता है तथा सभी नागरिकों, जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए समान अवसर हैं। भारत सरकार ने 'द पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज (इक्वल अपॅारट्युनिटीज, प्रोटेक्सन ऑफ राइट्स एण्ड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995' अधिनियमित किया। पी डब्ल्यू डी अधिनियम 1996 मे अस्तित्व में आया हालांकि नवम्बर, 1997 के काफी पूर्व ही विकलांगों के लिए आरक्षण को समूह ग तथा घ पदों पर लाया गया। वर्ष 1989 में इसे समूह ग तथा घ पदों में पदोन्नतियों पर विस्तारित किया गया। इस अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात्, विकलांग के लिए आरक्षण को सीधी भर्ती के मामले में चिन्हित समूह क तथा ख पदों पर लागू किया गया। दिसम्बर, 2005 में इस विषय पर पी एण्ड टी विभाग, भारत सरकार द्वारा समेकित निर्देश जारी किए गए। निर्देश के अनुसार, विकलांगों के लिए आरक्षण सीधी भर्ती के मामलों में सभी समूहों के पदों पर उपलब्ध है। पदोन्नति के मामले में समूह घ से ग तथ समूह ग के भीतर चिन्हित पदों पर पदोन्नति किए जाने पर यह उपलब्ध है।

पी डब्ल्यू डी के आरक्षण को लागू किए जाने के लिए प्रसार भारती ने सभी उपयुक्त उपाय किए हैं। समय–समय पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी नीति सम्बन्धी निदशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

राजभाषा प्रोत्साहन गतिविधियां

■ राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रवार हिन्दी सम्मेलन आयोजन किए जाने का प्रस्ताव किया गया। इसी क्रम में दिनांक 7– 8 अप्रैल, 2011 को गंगतोक में तथा 14 एवं 15 जुलाई, 2011 को विशाखापट्नम में राजभाषा हिन्दी सम्मेलन आयोजित किए गए।

■ 14 सितंबर, 2011 को आकाशवाणी महानिदेशालय ने प्रतिष्ठित हिन्दी कवियों को आमंत्रित कर कवि गोष्ठी आयोजित की। इसमें 100 से भी अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने श्रोताओं के रूप में भाग लिया।

■ वर्ष 2011–12 में आकाशवाणी महानिदशालय (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 14.09.2011 से 29.09.2011 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिन्दी की 16 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यह ध्यान दिया गया कि इन प्रतियोगिताओं में हिन्दीतर भाषी अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक भाग लें। उनके लिए अलग से हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिन्दी प्रतियोगिताओं में 80 पुरस्कार विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया।

■ आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिंदी पत्रिकाओं में से आकाशवाणी, चेन्नै को 'गोपुरम' हिंदी पत्रिका के लिए शील्ड, आकाशवाणी, कटक को 'चन्द्रभाग' तथा रेडियो कश्मीर, जम्मू को 'तविशी' हिंदी पत्रिका हेतु ट्राफी तथा समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली को 'आकाशवाणी समाचार भारती' एवं आकाशवाणी, अकोला की 'प्रेरणा' हिंदी पत्रिकाओं हेतु प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

■ इसके अलावा यूनिकोड की जानकारी देने के संबंध में दिनांक 08.12.2011 को हिंदी कायशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में लगभग 70 अधिकारियों/कर्मचारियों तथा डाटा एन्ट्री आपरेटरों ने भाग लिया और इसमें उन्हें कंप्यूटरों पर यूनिकोड में कार्य करने का अभ्यास कराया गया।

श्रोता अनुसंधान एकांश

विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक फीडबैक प्राप्त करने के लिए आकाषवाणी के पास पूरे देष में 38 श्रोता अनुसंधान इकाइयों का बड़ा नेटवर्क है। इस फीडबैक के आधार पर ही ही कार्यक्रमों की योजना जाती है तथा लोगों की आवष्यकता, रुचि तथा अभिलाषा के अनुसार ही कार्यक्रमों का निर्माण तथा सुधार किया जाता है। इस प्रकार श्रोताओं की पसंद के गुणवत्ता युक्त कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान एकाश द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग गुणात्मक तथा परिमाणात्मक फीडबैक एकत्र करने में किया जाता है। प्रयोग की गईं कुछ प्रमुख अनुसंधान पद्धतियां इस प्रकार हैं

1) श्रोताओं के पत्रों का विष्लेषण

2) कार्यक्रम सामग्री विष्लेषण

3) फोकस समूह चर्चा (एफ.जी.डी.)

4) फील्ड सर्वेक्षण

ए) श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षण

बी) त्वरित फीडबैक अध्ययन

सी) फीड फारवर्ड अध्ययन

टेलीफोन सर्वेक्षण

पैनल अध्ययन

1. श्रोताओं के पत्रों का विश्लेषणः विभिन्न कार्यक्रमों के लिए श्रोताओं के काफी संख्या में पत्र प्राप्त किए जाते हैं। इन पत्रों को छांटा तथा विष्लेषित किया जाता है। तदनुसार, कार्यक्रमों की योजना, डिजाइन तथा सुधार किया जाता है।

2. सामग्री विश्लेषण तथा एफ.जी.डी.: कार्यक्रमों की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने के प्रयास में कार्यक्रमों की सामग्री का विष्लेषण विषय पर विषेषज्ञों के पैनल की सहायता से किया जाता है। विषेषज्ञों के पैनलों के साथ फोकस समूह चर्चा समय–समय पर कार्यक्रमों की गुणवत्ता जाँचने हेतु की जाती है।

3. फील्ड सर्वेक्षण

(क) श्रोताओं के लक्षण, आकार, श्रोता आदतों तथा अन्य चर कारकों जो श्रोताओं को प्रभावित करती हैं, प्राप्त करने के लिए नियमित अंतराल पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण किए जाते हैं।

(ख) किसी कार्यक्रम को आगे जारी रखने हेतु कभी–कभी त्वरित फीडबैक की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से त्वरित फीडबैक अध्ययन (क्यू.एफ.एस.) किया जाता है।

(ग) एक नया केन्द्र खोलने से पूर्व, उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्र करना आवश्यक है जिससे कार्यक्रमों की योजना उस अनुसार तैयार की जा सके। इसके लिए फीड फारवर्ड अध्ययन किया जाता है।

(घ) किसी कार्यक्रम पर लक्ष्य श्रोताओं से त्वरित फीडबैक प्राप्त करने के लिए टेलीफोन सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है यह एक प्रकार का त्वरित फीडबैक सर्वेक्षण है।

उपर्युक्त अध्ययन के अलावा, अन्य विभिन्न छोटे अध्ययन केन्द्र स्तर पर स्थानीय केन्द्र की आवश्यकतानुसार नियमित अंतराल पर सम्बन्धित श्रोता अनुसंधान इकाई द्वारा कराए गए।

ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कन्सलटेट्स इण्डिया लिमिटेड (बेसिल)

1991 के खाड़ी युद्ध के बाद क्रान्तिकारी रुप से उपग्रह के जरिए सीधे टी वी प्रसारण के प्रारम्भ के पश्चात् आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को उपग्रह के जरिए प्रसारण की अनुमति प्राप्त हुई। प्रसारण के क्षेत्र में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ एजेन्सी की जरुरत थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस उद्देष्य के लिए एक अभिकरण के निर्माण करने का निष्चय किया। इस प्रकार 24 मार्च, 1995 को बेसिल की स्थापना हुई जो आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अलावा सरकार की अन्य एजेन्सियों को परामर्श तथा 'टर्न की' आधार पर हल उपलब्ध करा सके।

वर्ष 2011–12 के दौरान श्रोता अनुसंधान एकांश द्वारा किए गए अध्ययन

वर्ष	क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	अध्ययन आयोजित करने वाले केन्द्रों की संख्या
2010.11	i)	विविध भारती चैनल पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण	11 केन्द्र
	ii)	प्राइमरी चैनल पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण	33 केन्द्र
2011.12	i)	प्राइमरी चैनल पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण	39 केन्द्र
	ii)	एफ एम चैनलों–रेनबो और गोल्ड पर	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
		रेडियो श्रोता सर्वेक्षण	

टेरेस्टेरियल ब्राडकास्टिंग, एम एम डी एम, सी ए टी यू नेटवर्क, द्वारा प्रसारण तथा स्टूडियो (जिसमें ध्वनि तथा दृष्य–श्रव्य तन्त्र शामिल है) के विशेषज्ञ क्षेत्र में 'टर्न की' आधार पर कार्यों के अलावा बेसिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परामर्श सेवा उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा बेसिल सभी प्रकार के ब्रॉडकास्ट सिस्टम के परिचालन तथा रखरखाव उपलब्ध कराता है। बेसिल के पास आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों का बड़ा इन–हाउस पैनल मौजूद है। अद्यतन तकनीक से बराबरी करने के लिए बेसिल अपने कौशल में लगातार सुधार कर रहा है। प्रसारण तन्त्र के परियोजनाओं के परिचालन तथा रखरखाव के साथ सभी प्रकार तथा विभिन्नताओं प्रसारण परियोजनाओं के विकास तथा परिचालन के लिए बेसिल भारत तथा विदेशों में उचित स्थानों में तकनीशियन, इंजीनियर तथा विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है।

अपने स्पष्ट रुख के साथ कम्पनी अपने ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान कराने में सफल रहा है। इस प्रकार उनका विश्वास प्राप्त कर अपने लाभ को बढ़ाने में कामयाब रहा है।

इसके ग्राहकों की सूची में सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, विदशी तथा निजी संगठन शामिल हैं। बेसिल भारत के पहले टेलीपोर्ट–बैंगलुरु में पहले संपूर्ण डिजिटल एफ एम प्रसारण स्टेशन, 7 एफ एम चैनल का संयोजन कर भारत में पहला मल्टी चैनल एफ एम स्टेशन स्थापित करने वाला, राष्ट्रपति सचिवालय तथा लोकसभा के लिए पहला एच पी टी यू डिजाइन तथा स्थापित करने वाला संगठन रहा है।

मिशन

भारत तथा विदशों में टेरेस्टिरियल, केबल तथा उपग्रह ट्रान्समिशन के जरिए रेडियो तथा टी वी प्रसारण के आधुनिकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करना।

उद्देश्य

1. व्यापक जरूरतों वाले ग्राहकों विशेषज्ञ तथा रुचि–अनुसार

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी पोलेंड के संस्कृति और राष्ट्रीय धरोहर मंत्री श्री बोगदान द्रोजेवस्की से विचार–विमर्श करते हुए

हल प्रदान कर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना

2. प्रसारण से सम्बन्धित नीति, विनियमन तथा संविन्यास के विभिन्न पत्रों के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी इनपुट तथा परामर्श उपलब्ध कराना
3. निगरानी तथा निरीक्षण जैसे अन्य सहयोगी क्षेत्रों में नए मार्गों की खोज करना
4. विदेशी बाजारों में निरंतर अवसरों को खोजना
5. मार्केट सर्वे तथा उत्पाद विकास
6. टी वी चैनलों तथा दूरस्थ शिक्षा के लिए उपग्रह अपलिंक तथा डाउनलिंक तन्त्र की स्थापना
7. प्रसारण केन्द्रों का परिचालन एवं रखरखाव
8. सेवाओं के जरिए ग्राहक संतुष्टि में निरंतर वृद्धि करने का प्रयास
9. प्रसारणकर्मियों का प्रशिक्षण तथा नियोजन

4. वर्ष की उपलब्धियां

- वित्त वर्ष 2010–11 में अपने निगमन से लेकर अब तक 131.56 करोड़ रुपए का उच्चतम कारोबार
- कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा उच्च लागत प्रोजेक्ट यथा राष्ट्रमण्डल खेल दिल्ली में प्रेस सूचना केन्द्र के लिए मुख्य प्रेस केन्द्र तथा होस्ट प्रसारकों के लिए प्रसारण प्रांगण की स्थापना
- आकाशवाणी, राजकोट की बाहरी सेवाओं के लिए 1000 किलो वॉट मीडियम वेव ट्रांसमिटर की आपूर्ति
- बांग्लादेश टेलीविजन, ढाका के लिए प्रसारण उपकरण की आपूर्ति तथा टी वी चैनलों की स्थापना

प्रबंधन तथा संगठन

बेसिल के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक (संचालन और विपणन) तथा भारत सरकार द्वारा नामित 4 से 7 तक अंशकालिक निदेशक होते हैं। इस समय भारत सरकार द्वारा नामित दो निदेशक और एक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में हैं। बोर्ड स्तर के नीचे प्रधान प्रबंधकों के तीन पद, एक उप प्रधान प्रबंधक और विभिन्न श्रेणियों के अन्य पद हैं। इसके अलावा तकनीकी कार्य परामर्शदाताओं और परियोजना प्रबंधकों को करार के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

वर्तमान में बोर्ड में सदस्यों का विवरण आगे दिया गया है–

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक – श्री के. सुब्रमण्यम

पूर्णकालिक निदेशक – श्री .आई.एस. मेहता

सरकार द्वारा नामित निदेशक – श्री राजीव मिश्र, निदेशक (वित्त), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

अल्पकालिक गैर सरकारी निदेशक – रिक्त

परिचालन के क्षेत्र

- प्रसारण
- सूचना तकनीक
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराना

परिचालन के प्रकार

- परामर्श
- टर्न–की आधार पर परियोजनाएं पूरी करना
- तन्त्र समेकन
- डिपॉजिट कार्य
- विक्रय तथा एस आई टी सी
- उप तन्त्रों का विकास
- प्रसारणकर्मियों का नियोजन
- परिचालन एवं रखरखाव

व्यापारिक गतिविधि

विशेषज्ञता का क्षेत्र

- एफ एम प्रसारण
- टी वी चैनलों की स्थापना
- टेलीपोर्ट का संस्थापन

- डिजीटल समाचार कक्ष प्रणाली की डिजाइन
- डाइरेक्ट टू होम (डी टी एच) तन्त्र
- केबिल हेड एन्ड तन्त्र
- उपग्रह के जरिए दूरशिक्षा प्रणाली
- सामुदायिक रेडियो केन्द्र
- एकाउस्टिंग, स्टेज लाइटिंग, ध्वनि प्रबलीकरण तन्त्र

वित्तीय स्थिति

शेयर पूंजी

बेसिल की स्थापना ₹ 250 लाख की पूंजी से हुई थी। 1995–96 में इसकी चुकता इक्विटी ₹ 25 लाख थी जो अब 136.₹ 5 लाख हो गई है। इस समय कम्पनी की शत प्रतिषत इक्विटी पूंजी सरकार की है। बेसिल को सरकारी बजट से कोई रकम नहीं मिलती है।

व्यापारिक कारोबार, लाभांश और कुल मूल्य

वर्ष 2010–11 में डिपॉजिट वर्क सहित कंपनी का कुल कारोबार ₹ 131.56 करोड़ था जबकि इसके पिछले वर्ष यह ₹ 30.61 करोड़ का था। इस वर्ष कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः ₹ 8128 करोड़ और ₹ 2.72 करोड़ था। वर्ष 2010–11 के दौरान कंपनी में आरक्षित तथा बकाया मद में ₹ 52,90 लाख रखे। इस तरह इस मद में 31 मार्च 2011 तक कुल रकम ₹ 3.92 करोड़ हो गई। इस वर्ष कंपनी ने ₹ 1.02 करोड़ का लाभांश घोषित किया। कंपनी का कुल मूल्य ₹ 28.93 करोड़ हो गया है तथा पेड अप इक्विटी ₹ 1.365 करोड़ हो गई। ये आंकड़े 30 नवम्बर 2011 तक के और अस्थायी तथा ऑडिट पूर्व हैं।

प्रबंध संबंधी पहल और व्यापारिक गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान प्रेस सूचना केन्द्र द्वारा बेसिल को राष्ट्रमण्डल खेल, दिल्ली 2010 के दौरान मुख्य प्रेस केन्द्र

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी को लाभांश का चेक भेंट करते हुए बेसिल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री हरकेश गुप्ता

की स्थापना तथा परिचालन हेतु डिलीवरी पार्टनर के रुप में नामांकित किया गया। राष्ट्रमण्डल खेलों का आयोजन अक्टूबर, 2010 में दिल्ली में किया गया। बेसिल ने सफलतापूर्वक मुख्य प्रेस केन्द्र की स्थापना का कार्य समय से पूरा किया।

विदशी पत्रकारों तथा राष्ट्रमण्डल खेल फेडरेशन प्रमुख तथा भारतीय गणमान्य अतिथियों सहित सभी ने बेसिल द्वारा मुख्य प्रेस सेन्टर की स्थापना के प्रोजेक्ट की सराहना की। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹ 31.75 करोड़ थी जबकि बेसिल ने प्रोजेक्ट को ₹ 20.70 करोड़ में ही निष्पादित किया। इस प्रकार बेसिल ने सरकारी धन में बड़ी बचत की। बेसिल द्वारा निष्पादित अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में होस्ट ब्राडकास्टर प्रसार भारती द्वारा सभी खेल की घटनाओं की कवरेज के प्रसारण के लिए प्रतियोगिता स्थलों पर सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना था।

इस प्रोजेक्ट में शामिल था– ब्राडकास्टिंग परिसर का निर्माण, कैमरा, प्लेटफार्म, आंखों देखा हाल, ट्रिब्यून, राष्ट्रमण्डल खेल, 2010, दिल्ली के लिए हाल्ट ब्राडकास्टर स्टूडियो की प्रस्तुति, वातानुकूलन तथा विशेष निर्माण।

30 नवंबर, 2011 तक व्यापारिक कारोबार

(लाख ₹ में)

क्रम संख्या	आय के विभिन्न स्त्रोत	आय 30 नवम्बर 2011 तक
1	बिक्री	5,442.54
2	कन्सलटेन्सी आय	340.71
3	संविदाओं से आय	.
4	अन्य आय	102.50
5	डिपॉजिट कार्य का मूल्य	2,754.76
	डिपॉजिट कार्य सहित कुल व्यापारिक कारोबार	**8,640.51**
	व्यय	
1	सामग्री लागत	4,850.13
2	जॉब वर्क	17.22
3	डिपॉजिट कार्य के लिए सामग्री की खरीद	2,605.74
4	प्रशासनिक व्यय	647.23
5	बिक्री तथा प्रचार व्यय	49.22
6	अवमूल्यन	22.78
7	**व्यय का योग**	**8,192.32**
	टैक्स के पूर्व लाभ	**448.19**

आंकड़े आडिट–पूर्व और 30 नवम्बर 2011 तक के हैं ।

प्रसारण सुविधाओं की स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था क्योंकि टी वी कवरेज के जरिए इसे पूरे विश्व में करोंड़ो घरों में देखा गया है। इस प्रकार बेसिल का इस परियोजना को सफलतापूर्वक एवं समय से पूरा किया जाना देश की ख्याति तथा प्रतिष्ठा के अनुरूप था।

इस महत्वपूर्ण परियोजना के निष्पादन के साथ बेसिल की ब्रान्ड इमेज में और ज्यादा वृद्धि हुई है।कम्पनी अपने व्यापार को और अधिक विस्तृत कर रही है तथा अब विभिन्न सैन्य तथा पैरा अर्धसैन्य बलों को इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार उपकरणों की आपूर्ति का कार्य प्रारम्भ किया है। अन्य कुछ प्रमुख क्षेत्रों में से है– केबिल ब्राडकास्ट सिस्टम का तकनीकी ऑडिट/प्रमाणन, ब्राडकास्ट प्रोफेशनल प्रशिक्षण, विभिन्न संगठनों के साथ कार्यनीतिक साझेदारी पर सहमति तथा ओवरसीज व्यापार की खोज।

एफ एम तथा निगरानी व्यापार

कॉमन ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान बेसिल ने कुछ बचे हुए कार्य पूरे किए। इस वर्ष के दौरान एफ एम स्टेशनों के प्रसारणों की सामग्री की निगरानी के लिए कम्पनी ने निगरानी तन्त्र को स्थापित किया है। सामग्री की निगरानी करने का पशासनिक दायित्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बेसिल को दिया गया है। निगरानी व्यापार कम्पनी की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है तथा यह कम्पनी के लिए काफी राजस्व जुटाती है।

राष्ट्रमण्डल खेल, 2010

जैसा कि उल्लेख किया गया है, बेसिल ने राष्ट्रमण्डल खेल, दिल्ली, 2010 के लिए सफलतापूर्वक दो परियोजनाएं पूरी की हैं। पहली प्रेस सूचना केन्द्र के लिए मुख्य प्रेस सेन्टर की स्थापना तथा परिचालन तथा दूसरी होस्ट प्रसारकों के लिए प्रसारण सुविधाओं की स्थापना। दोनों परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की थीं। बेसिल को होस्ट प्रसारकों से अभी तक पूरा भुगतान नहीं मिला हैं।

उपकरणों की आपूर्ति

विक्रय में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कारोबार में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने आकाशवाणी, राजकोट को 1000 के डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रान्समिटर की आपूर्ति की है तथा रक्षा तथा अर्द्ध सैनिक बलों को विभिन्न रक्षा तथा संचार उपकरणों की आपूर्ति

राष्ट्रमंडल खेल – 2010 के दौरान मुख्य प्रेस केन्द्र का एक दृश्य

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बेसिल द्वारा निर्मित ब्रॉडकास्ट कम्पाउंड, प्रजेंटेशन स्टूडियो, कमेन्ट्री ट्रिब्यून और कैमरा प्लेटफॉर्म

की है। वर्ष के दौरान बेसिल ने आपूर्ति, संस्थापन, जाँच तथा वी एस ए टी निगरानी तथा विश्लेषण तन्त्र (वी एम ए एस) की स्थापना के ₹ 30.02 करोड़ के आपूर्ति आदेश प्राप्त किए। परियोजना वित्त वर्ष 2010–11 में पूरी होनी थी परन्तु ग्राहकों की ओर से उपकरण के निरीक्षण में देरी के कारण समय लगा।

वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा लाए गए निविदाओं में भी बेसिल ने भाग लिया तथा कई प्रमुख ऐसी कई परियोजनाएं हैं जहाँ बेसिल ने न्यूनतम दर की बोली लगाई है परन्तु आधिकारिक आदेश की अभी प्रतीक्षा हैं। उम्मीद है कि वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 33 करोड़ के ये आदेश प्राप्त किए जा सकेंगे।

प्रसारणकर्मियों को काम दिलाना तथ प्रसारण तंत्र का रखरखाव तथा

विभिन्न संगठनों को प्रसारणकर्मी उपलब्ध कराने का कार्य बेसिल ने जारी रखा है। कम्पनी की नियमित आय का यह एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। प्रसारणकर्मियों की नियुक्ति संगठन की आवश्यकतानुसार की जाती है। राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान मुख्य प्रेस सेन्टर की स्थापना का दायित्व बेसिल का था तथा इस गतिविधि के लिए 450 से अधिक कर्मियों को कम अवधि के लिए सम्बद्ध किया गया। कम्पनी की अन्य गतिविधि में परिचालन तथा प्रसारण तंत्र का परिचालन तथा रखरखाव शामिल है।

विदेशी व्यापार

पिछले वित्त वर्ष 2010–11 में बेसिल ने प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति के लिए बी टी वी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। सभी उपकरणों की आपूर्ति ग्राहकों को कर दी गई है।

इन्हें लगाने की प्रक्रिया जारी है तथा जल्दी ही पूरा हो जाने की सम्भावना है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने बेतार बांग्लादेश के लिए दो ऑर्बन ऑडियो प्रोसेसर की आपूर्ति का कार्य पूरा किया।

बेसिल ने कई अन्य विदशी निविदाओं में भी भाग लिया। वर्ष के दौरान गाबोन सरकार को कन्सल्टेन्सी उपलब्ध कराने के लिए बेसिल ने एक निजी कम्पनी – सेफटेक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

क्षेत्रीय कार्यालयों के खुलने के साथ ही सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देष के दक्षिणी भाग में लक्षित श्रोताओं तक पहुँचने में बेसिल सफल रहा है। हालांकि इन परियोजनाओं में प्राप्त किया गया राजस्व कम होता है परन्तु कम्पनी द्वारा की गई यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। सामुदायिक रेडियों स्टेशन रेडियो चैनल का एक छोटा सेट–अप होता है जो समुदाय के कल्याण के लिए स्थापित किया जाता है। प्रबन्धन लाभ अर्जित के साथ–साथ सामुदायिक कल्याण के प्रयास के रूप में भी इस कर्य को देखता है।

बेसिल द्वारा निर्मित डमी लोड हीट एक्सचेंज – इसे थॉमसन इंजीनियर्स के लिए बनाया गया।

भावी व्यापारिक गतिविधियां

प्रसार भारती के लिए योजनागत परियोजनाओं का निष्पादन

पिछले वर्षों में कम्पनी ने कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित कार्यों को समय से पूरा किया है, बेसिल का प्रभावशाली डिलीवरी रिकार्ड और संगठनात्मक शक्ति तथा क्षमताओं को देखते हुए प्रसार भारती पर जी ओ एम ने बेसिल की सेवाओं का उपयोग नामांकन आधार पर जी एफ आर नियम 176 के उपबन्धों के अधीन करने की सिफारिश की है।

प्रसार भारती की ये परियोजनाएं निम्न क्षेत्रों से संबंधित है – अधिग्रहण, प्राप्ति, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन। ये कार्य टर्न की आधार पर अथवा जॉब वर्क/कन्सल्टेन्सी आधार पर तीन वर्षों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समग्र निरीक्षण में किया जाने का निर्देश दिया गया है।

प्रसार भारती से बड़ी मात्रा में नियमित व्यापार पाकर बेसिल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जी ओ एम का निर्णय लागू किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। प्रबंधन इस तथ्य से आश्वस्त है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुछ व्यापार प्राप्त किया जा सकेगा तथा अगले वित्तीय वर्ष तथा आगे व्यापारिक कार्य प्रारम्भ होगा।

उपकरणों की आपूर्ति

अन्य सरकारी विभागों/अभिकरणों द्वारा जारी निविदाओं में बेसिल ने भाग लेना जारी रखा है। वर्तमान वर्ष में बेसिल को रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला से वी एम ए एस सिस्टम की आपूर्ति, संस्थागत, जाँच तथा प्रवर्तन के लिए ₹ 24 करोड़ से अधिक का आदेष प्राप्त हुआ। बेसिल ने इस प्रोजेक्ट का प्रवर्तन अगस्त, 2011 में पूरा कर दिया। प्रसार भारती द्वारा लाई गई अन्य निविदाओं के लिए आगे भी बेसिल भाग ले रहा है तथा ₹ 33 करोड़ से ज्यादा के आदेश मिलने संभावित हैं। प्रतियोगियों के ऊपर बढ़त लेने के लिए बेसिल ने किफायतों उत्पादों के विकास के लिए कार्यनीतिक सहयोग के लिए उत्पादकों से करार किए हैं।

प्रशिक्षण

प्रबंधन के फोकस का अन्य क्षेत्र केबल टी वी में प्रसारणकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस सम्बन्ध में बेसिल ने सोसाइटी

बांग्लादेश टीवी का बेसिल को सौंपा गया समाचार स्टूडियो

फार ब्रॉडबैण्ड प्रोफेशनल (एस सी टी ई), जो कि सी ए टी वी में ब्रॉडकास्ट प्रोफेशनल के लिए प्रमाणन एवं प्रशिक्षण के लिए इंग्लैण्ड की एक प्रमुख संस्था है, के साथ एक करार किया है। भारत में बेसिल एस सी टी ई का निरंतर भागीदार होगा। भारत में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए प्रबंधन ने पहले से योजना तैयार कर ली है। प्रबंधन के आकलन के अनुसार, इस प्रकार के प्रशिक्षण का काफी माँग है।

शुरुआत में पाठ्यक्रम बेसिल के नोएडा स्थित अपने भवन में प्रारम्भ किया जाएगा जहाँ प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए

चन्देरी में सामुदायिक रेडियो केन्द्र

एससीटीई के अध्यक्ष डॉ. रोजर ब्लेकवे और बेसिल के अध्यक्ष –सह –प्रबंध निदेशक आशय–पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए

विशेष प्रबंध किए जाऐंगे। प्रबंधन पुणे की एक प्रशिक्षण एकेडमी से भी बात कर रहा है जो पश्चिमी क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। दक्षिण भारत में प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय की सेवाएं ली जाएंगी। पूर्वी क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रसार भारती, भुवनेश्वर की सुविधाएं प्राप्त करना प्रस्तावित है।

एफ एम व्यापार

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी एफ एम ब्राडकास्टरों के लिए एफ एम चरण–3 प्रारम्भ करने के लिए नीति की उद्घोषणा की है। पूरे देश के 87 शहरों में 240 से अधिक चैनलों को स्थापित करने के दमदार अनुभव के साथ बेसिल ने स्वयं को इसके लिए तैयार किया है तथा रेलटेल कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रेलटेल रेलवे मंत्रालय के तहत एक कम्पनी है जो भूमि लीजिंग तथा टॉवर अवसंरचना का कार्य करती है। इस योजना में बेसिल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा तथा इस गतिविधि से बेहतर व्यापार हासिल होने की उम्मीद है।

अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह न सिर्फ महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए कम लागत का प्रतिस्थापन उपलब्ध कराता है बल्कि इन–हाउस क्षमता का विकास करने में मदद करता है। एफ एम स्टेशनों की प्रसारण सामग्री की निगरानी के लिए बेसिल ने एक इन हाउस एफ एम सामग्री मॉनीटर का विकास किया है।

बेसिल ने काफी संख्या में सहायक उपकरणों का विकास किया है जो कि प्रसार भारती नेटवर्क में संतोषजनक रुप से कार्य कर रहे हैं तथा इस प्रकार स्थानीय प्रतियोगिता का विकास करने के साथ–साथ मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत कर रहे हैं। कम्पनी के विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रबंधन ने अनुसंधान एवं विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

टेलीविजन व्यापार

राज्यसभा सचिवालय का टी वी चैनल स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। इसके अतिरिक्त पिछले वित्त वर्ष में बेसिल ने कंसोर्टियम ऑफ एजूकेशनल कन्सल्टेन्टस, जामिया मिलिया इस्लामिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ई एम एम आर सी, हैदराबाद, पंजाबी विश्व विद्यालय, पटियाला के साथ स्टूडियो सुविधा तैयार करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किया। ये आदेश ₹ 25 करोड़ से अधिक के हैं। प्रबंधन को उम्मीद है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सारी परियोजनाओं का प्रवर्तन हो जाएगा तथा अन्य विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे।

केबिल हेड एन्ड तथा सी ए टी वी प्रशिक्षण का तकनीकी ऑडिट/प्रमाणन

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथारटी ऑफ इण्डिया (टी आर ए आई) ने बेसिल को डिजिटल केबल टी यू वितरण हेड एन्ड के कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सी ए एस) तथा सब्सक्राइबर मैनेजमेन्ट सिस्टम

बेसिल और सीईसी के बीच आशय–पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना

(एस एम एस) का तकनीकी ऑडिट करने तथा भारत सरकार की ओर से प्रमाणन करने के लिए अधिकृत किया है। इस गतिविधि से प्रबंधन को काफी व्यापार प्राप्त होने का अनुमान है।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

वित्त वर्ष 2010–11 में बेसिल ने बुनकर विकास संस्थान, चंदेरी, मध्य प्रदश के लिए एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेतु कोश प्रदान किया तथा उसका प्रवर्तन किया। बेसिल ने एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति बनाई है तथा इसका पालन किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में बेसिल दो सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को आर्थिक मदद प्रदान कर रहा है तथा विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों, पिछड़े वर्गों के और विकलांग मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

सतर्कता गतिविधियों का विवरण		
अवधि के दौरान निगरानी और अवांछित गतिविधियों का पता लगाया जाना :		
1.	निगरानी के लिए चयनित क्षेत्र	कोई विशिष्ट क्षेत्र नही
2.	निगरानी के अन्तर्गत रखे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	शून्य
दण्डात्मक कार्रवाइयां (जिन मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा):		
1.	अवधि के दौरान मिली शिकायतें/संदर्भ	शून्य
2.	प्राथमिक जांच वाले मामलों की संख्या	शून्य
3.	प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या	शून्य
4.	मेजर पैनाल्टी की चार्ज शीट दिए जाने वाले मामलों की संख्या	शून्य
5.	मायनर पैनाल्टी की चार्ज शीट दिए जाने वाले मामलों की संख्या	शून्य
6.	मेजर पैनाल्टी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या	शून्य
7.	मायनर पैनाल्टी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या	शून्य
8.	निलंबित किए गए कर्मचारियों की संख्या	शून्य
9.	चेतावनी दिए जाने आदि प्रशासनिक कार्रवाईयां किए गए कर्मचारियों की संख्या।	शून्य
10.	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हे विभिन्न नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त किया।	शून्य

आर टी आई सूचना

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में बेसिल में एक आर टी आई सेल की स्थापना की गई है तथा जो कम्पनी में सूचनाधिकार के अन्तर्गत आवेदन तथा अपीलें प्राप्त कर उनका तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करता है।

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान बेसिल ने 48 सूचनाधिकार आवेदन प्राप्त किए तथा सभी आवेदनों को निश्चित समय सीमा में निस्तारित किया गया। बेसिल ने एक आर टी आई मैनुअल का प्रकाशन किया है जो कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सतर्कता गतिविधियां

बेसिल 1995 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का एक छोटा प्रतिष्ठान है। यह कोई उत्पादन इकाई नहीं है। इसके कार्य का क्षेत्र ब्राडकास्टिंग अभियांत्रिकी तथा सूचना तकनीकी क्षेत्र में कन्सलटेन्सी, टर्न की डिपाजिट कार्य तथा सेवा प्रोजेक्टों का निष्पादन है। बेसिल में स्थायी रूप से कोई विशेष सतर्कता सेट अप नहीं है हालांकि श्री आई. एस मेहता, निदेशक (परिचालन एवं मार्केटिंग), सतर्कता कर्त्तव्यों को देख रहे हैं।

वर्ष के दौरान निवारक सतर्कता गतिविधियां

निम्न तरीके से निवारक सतर्कता गतिविधियाँ निष्पादित की गई–

1. बेसिल की इन–हाउस इंटर्नल ऑडिट टीम के जरिए नियमित/कालिक ऑडिट
2. सी ए जी द्वारा नियुक्त ऑडिटर्स के जरिए वैधानिक ऑडिट
3. सी ए जी टीम के जरिए पूरक ऑडिट

अवधि के दौरान निगरानी और सुराग मिलने और दंडात्मक गतिविधियों का कोई मामला नहीं आया।

सामान्य

बेसिल का बजट इसके कार्यों से मिलने वाले राजस्व तथा खर्चों का इसका अपना आंतरिक प्रक्षेपण है जो कि खुले बाजार में प्रतियोगी निविदा तन्त्र के जरिए निर्धारित होता है। कम्पनी को सरकार से कोई बजटीय मदद नहीं मिलती है तथा अपने संसाधन यह स्वयं जुटाती है।

महिला–कल्याण, पूर्वोत्तर (सिक्किम सहित) क्षेत्र, रोजगार निर्माण, ग्रामीण खण्ड, जनजातीय उप योजना, विशेष खण्ड योजना, स्वैच्छिक सेक्टर, सूचना एवं प्रचार, अल्पसंख्यक कल्याण इत्यादि के सम्बन्ध में कम्पनी को किसी केन्द्रीय/केन्द्र–प्रायोजित योजना से सम्बन्धित कार्य नहीं सौंपे गए।

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र

टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित सामग्री के नियमन का मामला हमेशा से ही वाद–विवाद का विषय रहा है। भारत में टेलीविजन उद्योग में 35 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होने का अनुमान है। आगामी वर्षों में विभिन्न टेलीविजन चैनलों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा हो जाएगी। इस समय देश में 800 से ज्यादा टेलीविजन चैनल हैं। इनमें प्रसार भारती के 20, समाचार और समसामयिक विषयों के 395 और सामान्य मनोरंजक सामग्री के 415 चैनल हैं। हिंदी और अंग्रेज चैनलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, लेकिन इनका बाजार अब लगभग अपनी सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गया है। दूसरी ओर क्षेत्रीय समाचार और मनोरंजन चैनलों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। एक ओर जहां विभिन्न चैनल अपनी सामग्री में नए–नए बदलाव और प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें बाजार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले, वहीं दूसरी ओर इनमें प्रसारित सामग्री को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा चिंता भी व्यक्त की जा रही है। प्रसारण सामग्री के औचित्य को लेकर विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्टों और अदालती फैसलों में भी चिंता व्यक्त की गई है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत केबल सेवाओं के लिए कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता निर्धारित की गई है और विभिन्न नीति–निर्देशों के जरिए प्रत्येक प्रसारक के लिए इस संहिता का पालन करना अनिवार्य बनाया गया है।

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ईएमएमसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। इस मीडिया इकाई का गठन 9 जून, 2008 को किया गया था। केन्द्र को निम्नलिखित प्रसारणों की निगरानी का काम दिया गया है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत केबल सेवाओं के लिए कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं:–

1. भारत में अपलिंक किए जाने वाले सभी चैनल
2. निजी एफएम चैनल
3. केन्द्र को समय–समय पर प्रसारण सामग्री की निगरानी से जुड़े सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करने होते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र की निदेशक श्रीमती रंजना देव शर्मा और बेसिल के निदेशक श्री आई.एस. मेहता सहमति–पत्र का आदान–प्रदान करते हुए

ईएमएमसी इस समय लगातार चौबीस घंटे करीब 300 टेलीविजन चैनलों को रिकार्ड कर रहा है और 178 चैनलों की निगरानी कर रहा है। अप्रैल, 2011 से अक्तूबर, 2011 तक जांच समिति की बैठकों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) कानून, 1995 के उल्लंघन के करीब 21 हजार मामले प्रस्तुत किए गए हैं। ईएमएमसी की रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालय ने विभिन्न चैनलों को 23 कारण बताओ नोटिस और 19 सलाह/चेतावनियां जारी की हैं।

विशेष रिपोर्टों के अलावा, केन्द्र मंत्रालय को समाचार रिपोर्ट और विश्लेषण भी भेजता है। मंत्री समूह की बैठकों में विचार के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सामग्री भी भेजी जाती है। ईएमएमसी प्रसारण साम्रगी शिकायत परिषद (ब्राडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स काउंसिल) जैसी स्व–नियमन संस्थाओं को आंकड़े भी भेजता है।

इस वित्त वर्ष के दौरान, केन्द्र में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक समारोह, प्रतियोगिताएं और सामूहिक भोज कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

केन्द्र में हिंदी सप्ताह भी मनाया गया और इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

कर्मचारियों का कार्यकौशल बढ़ाने के लिए मीडिया, लोकतंत्र, मीडिया के आचरण, रूझान और विकास से जुड़े विशेषज्ञों के व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया। केन्द्र में लगाए गए 'इक्वीनोक्स' सॉफ्टवेयर की मॉनिटरों और तकनीकी कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

टेलीविजन चैनलों की लगातार निगरानी काफी तनाव और दवाब का कार्य है। इसे देखते हुए मॉनिटरों के लिए फीजियोथैरेपिस्टों द्वारा दो व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया जिनमें लंबे समय तक काम करने के दौरान शरीर और मन को विश्राम देने के तरीके बताए गए। इन व्याख्यानों से मॉनिटरों को काफी लाभ हुआ।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल श्री सलीम अहमद को उनकी फिल्म
'अदमिन्ते महन अबू' के लिए रजत कमल पुरस्कार देते हुए

अध्याय 6

फिल्म क्षेत्र की गतिविधियां

i) ''भारत और विदेश के फिल्म समारोहों/बाजारों में भागीदारी'' की योजना स्कीम के अंतर्गत 2011–12 के लिए 420 लाख की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने केन्स फिल्म समारोह, 2011 और गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान आयोजित फिल्म बाजार में हिस्सेदारी की। इस योजना का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग को विदेशी बाजारों में मंच उपलब्ध कराना और भारत को एक आकर्षक फिल्मांकन ठिकाने के रुप में विकसित करना है।

ii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मंत्रालय का ''नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनीमेशन, गेमिंग एंड वी. एफ. एक्स'' स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल नई दिल्ली में 58वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का स्वर्ण कमल पुरस्कार 'फ्रॉम राजाज एंड योगीज टू गांधी एंड बियोंड' पुस्तक के लिए प्रदान करते हुए। चित्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री चौधरी मोहन जातुया भी मौजूद हैं।

अध्ययन हो चुका है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरा किया जा चुका है एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अंकित विभिन्न चरणों के अनुसार संस्थान की स्थापना करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

iii) भारत में फिल्म समारोहों में भागीदारी करने वाली फिल्मों को कुछ शर्तों के तहत सीमा शुल्क से रियायत दी जाती है। अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 के दौरान भारत में आयोजित दस फिल्म समारोहों में शामिल अनेकों विदेशी फिल्मों को यह रियायत दी गई।

iv) मंत्रालय ने कुछ शर्तों के तहत कई विदेशी फिल्मों को भारत में शूटिंग करने की इजाजत दी। अप्रैल, 2011 से नवम्बर, 2011 तक 21 विदेशी फिल्मों ने अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। इनमें से 14 विदेशी फीचर फिल्मों को शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई।

v) न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री **एच. इ. जॉन की** की भारत यात्रा के दौरान 28 जून, 2011 को न्यूजीलैण्ड सरकार और भारत सरकार के बीच सहनिर्माण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इटली सरकार, संघीय जर्मन गणराज्य, ब्राजील सरकार, इंग्लैण्ड सरकार तथा फ्रांस सरकार के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं।

फिल्म प्रभाग

(www.filmsdivision.org)

I. प्रस्तावना

विकास यात्रा में फिल्म प्रभाग की स्वतंत्रता के बाद की कहानी में अनेक घटनापूर्ण पड़ाव आए हैं। प्रभाग भारतीय जन मानस को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए अनुप्रेरित करता रहा है। प्रभाग का उद्देश्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करने के लिए शिक्षित करना तथा देश की परंपरागत विरासत और देश की छवि को देश–विदेश

शिवाजी जयंती तथा अम्बेडकर जयंती समारोह–2011

शिवाजी जयंती तथा अम्बेडकर जयंती समारोह–2011 के दौरान सांस्कृतिक आयोजन

के सम्मुख प्रस्तुत करना है। प्रभाग का उद्देष्य वृत्तचित्र, फिल्म आंदोलन को बढ़ावा देना भी है, जिसका भारत के लिए राष्ट्रीय सूचना, संचार और एकता के क्षेत्र में बहुत महत्व है। वर्ष 2010 के दौरान फिल्म प्रभाग ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर 11वें मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्म (एम.आई.एफ.एफ.–2010) का राष्ट्रीय मंचन कल्प केन्द्र (एन.सी.पी.ए.), मुम्बई में आयोजन किया। वर्ष 2012 के दौरान फिल्म प्रभाग महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर 12वां मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्म (एम.आई.एफ.एफ.–2010) का राष्ट्रीय मंचन कल्प केन्द्र (एन.सी.पी.ए.), मुम्बई में आयोजित कर रहा है।

प्रभाग अपने मुम्बई स्थित मुख्यालय में वृत्तचित्र, लघु फिल्में, एनीमेषन फिल्में और समाचार पत्रिकाएं तैयार करता है। दिल्ली इकाई से रक्षा और परिवार कल्याण पर फिल्में बनती हैं और कोलकाता तथा बंगलुरु केन्द्रों में ग्रामीण दर्शकों के लिए लघु–कथा फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्म प्रभाग, देशभर में 6000 सिनेमाघरों, देश भर में फैले गैर–थिएटर क्षेत्रों जैसे–क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों, राज्य सरकार की सचल इकाइयों, दूरदर्शन, परिवार कल्याण विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों, शैक्षिक संस्थाओं, फिल्म समितियों और स्वैच्छिक संगठनों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। राज्य सरकारों के वृत्तचित्रों तथा न्यूजरीलों को भी प्रभाग थिएटर क्षेत्र में प्रदर्षित करता है। फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र और फिल्मों के प्रिंट, स्टॉक शॉट, वीडियो के सेट तथा वितरण अधिकारों को देश–विदेश में बेचता है। फिल्म निर्माण के अलावा फिल्म प्रभाग निजी फिल्म निर्माताओं को अपने स्टूडियो, रिकॉर्डिंग थिएटर, संपादन कक्ष और सिनेमा उपकरण किराए पर देता है।

II. फिल्म प्रभाग के विभिन्न स्कन्ध

प्रभाग को मोटे तौर पर चार स्कन्धों में बाँटा गया है :–

(1) निर्माण, (2) वितरण, (3) अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनीमेषन फिल्म समारोह और (4) प्रशासन।

(1) निर्माण स्कन्ध

निर्माण स्कन्ध का दायित्व (1) वृत्तचित्र (2) ग्रामीण दर्शकों के लिए विशेष लघु फीचर फिल्में (3) एनीमेशन फिल्में और (4) वीडियो फिल्में बनाने का है। मुम्बई के अपने मुख्यालय के अलावा प्रभाग के तीन निर्माण केन्द्र बंगलूरु, कोलकाता और नई दिल्ली में है।

वृत्तचित्रों की विषय–वस्तु में कृषि से लेकर कला और वास्तुशिल्प तक, उद्योग से अन्तर्राष्ट्रीय परिदृष्य तक, खानपान से त्यौहारों तक स्वास्थ्य देखभाल से आवास तक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से खेल तक, व्यापार और वाणिज्य से परिवहन तक तथा आदिवासी कल्याण से लेकर सामुदायिक विकास आदि तक सभी कुछ शामिल हैं।

सामान्यतः प्रभाग निजी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के विचार के साथ ही देश में वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए देशभर के स्वतन्त्र फिल्म निर्माताओं के लिए अपने निर्माण शेड्यूल का निष्चित कोटा सुरक्षित रखता है। अपने सामान्य निर्माण कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रभाग वृत्तचित्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सहित सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की सहायता करता है।

न्यूजरील स्कन्ध – फिल्म प्रभाग का न्यूजरील स्कन्ध राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों सहित प्रमुख शहरों और कस्बों में फैले अपने नेटवर्क के जरिए प्रमुख घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों के देश–विदेश के दौरों तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि का कवरेज करती है इस कवरेज को पाक्षिक समाचार पत्रिकाओं और अभिलेखन सामग्री के संकलन में भी प्रयुक्त किया जाता है।

फिल्म प्रभाग की **कार्टून फिल्म इकाई** भी क्लासिकल एनीमेशन की जगह कंप्यूटर एनीमेशन से लैस तथा उच्च टैक्नोलॉजी से सुसज्जित टेक हो चुकी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में उच्च प्रौद्योगिकी से सुसज्जित इकाई अब यू. एस. एनीमेशन, 2–डी और 3–डी एनीमेशन में ओपस, कंसर्टो, हाई–एंड और माया जैसे आधुनिक सॉफ्टवेयर में निर्माण कर सकती है।

(2) वितरण स्कन्ध

वितरण स्कन्ध (डी.एच.ओ.) का नेतृत्व वितरण प्रभारी अधिकारी के हाथ में है। स्कंध के 10 वितरण शाखा कार्यालय हैं जो कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, मुम्बई, हैदराबाद, विजयवाडा, बैंगलूरु, चेन्नई, मदुराई और तिरुवनन्तपुरम में हैं। इन शाखाओं के प्रमुख वरिष्ठ शाखा प्रबंधक या शाखा प्रबंधक हैं जो कार्यालय प्रमुख तथा संबंधित शाखाओं के आहरण एवं वितरण अधिकारी के रुप में भी कार्य करते हैं और सभी सिनेमाघरों की स्वीकृत फिल्मों की आपूर्ति, समझौता निष्पादन, फिल्म प्रभाग केन्द्रीय चलचित्र की अधिनियम, 1952 के तहत आवश्यक प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ प्रदर्शकों से एक प्रतिशत किराया एकत्र करते हैं।

(3) प्रशासन स्कन्ध

प्रशासनिक स्कन्ध में वित्त, कार्मिक, भंडार, लेखा, फैक्टरी प्रबंध और सामान्य पशासन आते हैं। यह स्कंध वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य करता है जिसकी सहायता निम्नलिखित अधिकारी करते हैं :–

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्मिक प्रबंध, खरीद, सामान्य प्रशासन, सतर्कता और सुरक्षा संबंधी मामलों में सहायता करता है।

2. वित्त और लेखा संबंधी मामलों में लेखा अधिकारी आंतरिक वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श से सहयोग देता है।

30 नवंबर 2011 को फिल्म प्रभाग में कार्मिकों की स्वीकृत/वास्तविक स्थिति का विवरण इस प्रकार है :–

(4) फिल्म लाइब्रेरी अनुभाग

फिल्म प्रभाग की लाइब्रेरी भारत के समकालिक इतिहास और इसकी समृद्ध विरासत तथा कलात्मक परंपराओं की मूल्यवान अभिलेखीय सामग्री का खजाना है। विष्व भर के फिल्म निर्माताओं में इसकी बड़ी मांग है। स्टॉक फुटेज बिक्री के जरिए राजस्व देने के अतिरिक्त वे सेवाएं प्रदान कर फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण फुटेज जुटाती है। फिल्म लाइब्रेरी का कुल संग्रह 8344 शीर्षकों के लगभग 1.9 लाख मदों का है जिनमें मूल पिक्चर निगेटिव, ड्यूप/इंटर निगेटिव, सांउड निगेटिव, मास्टर/इंटर पॉजिटिव,

30 नवंबर 2011 को फिल्म प्रभाग में कार्मिकों की स्वीकृत/वास्तविक स्थिति

क्रम सं.	श्रेणी	कार्मिकों की स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदt
1	समूह 'क'	44	16	28
2	समूह 'ख'	259	204	55
3	समूह 'ग'	518	419	99
	योग	**821**	**639**	**182**

सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व (30.11.2011 को)

विभिन्न समूहों के पद	कुल कर्मचारी	अ.जा. कर्मचारी	अ.जा. कर्मचारी %	अ.ज़.जा. कर्मचारी	अ.ज.जा. कर्मचारी %	पि.जा. कर्मचारी	पि.जा. कर्मचारी %	महिला कर्मचारी
समूह 'क'	16	4	25	0	0	4	25	1
समूह 'ख'	204	47	23.03	17	8.33	13	6.37	33
समूह 'ग'	419	130	31.02	29	6.92	50	11.87	53
योग	**639**	**181**	-	**46**	-	**67**	-	**87**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग की बैकलाग रिक्तियों का विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	30.11.2011 को स्वीकृत स्टाफ	30.11.2011 को कार्यरत स्टाफ	रिक्त पदों की संख्या	अ.जा. के रिक्त पद	अ.ज.जा. के रिक्त पद	पि.जा.के रिक्त पद
1.	समूह 'क'	44	16	28	3	0	4
2.	समूह 'ख'	259	204	55	4	2	10
3.	समूह 'ग'	518	419	99	7	4	19
	योग	**821**	**639**	**182**	**14**	**6**	**33**

सुखाए हुए प्रिंट, प्रीडब साउंड निगेटिव, 16 एम. एम. प्रिंट, लाइब्रेरी प्रिंट आदि शामिल हैं। फिल्मों को अभिलेखीय मूल्यांकन के आधार पर परम मूल्यवान, मूल्यवान और सामान्य फिल्मों में वर्गीकृत किया गया है। यह फ्रेंडली कंम्पयूटराज्ड सिस्टम पर आधारित है। फिल्म लाइब्रेरी के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एम.आई.एफ.एफ.) का आयोजन

11वें मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्म (एम.आई.एफ.एफ.) का सफलतापूर्वक आयोजन 3 से 9 फरवरी, 2010 के दौरान किया गया। एम.आई.एफ.एफ. का उद्देश्य ज्ञान के वृहत्तर क्षेत्र में योगदान करने वाली फिल्मों का संप्रेषण करना और विश्व के देशों के बीच सुदृढ़ भाईचारे

की भावना को बढ़ावा देना है। यह समारोह विभिन्न देशों के फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और वितरकों से फिल्मों के प्रदर्षन के बारे में विचारों का परस्पर आदान–प्रदान करते हैं। यह स्कीम सातवीं योजना से चल रही है। इसका ऐतिहासिक सफर 1990 में शुरु हुआ और उसके बाद से यह द्विवार्षिक फिल्मोत्सव आकार और प्रतिष्ठा की दृष्टि से वृत्तचित्र फिल्म आंदोलन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक बन चुका है। यह द्विवर्षीय आयोजन भारत तथा विष्व के अनेक अन्य देषों के विभिन्न प्रमुख वृत्तचित्र तथा लघु फिल्म निर्माताओं, विद्वानों एवं छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। समारोह में हर बारं लगभग 35–40 देशों की 600 से अधिक प्रविष्टियां आती हैं। फरवरी 2012 के दौरान फिल्म प्रभाग ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर 12वां मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्म (एम.आई.एफ. एफ.–2010) का राष्ट्रीय मंचन कल्प केन्द्र (एन.सी.पी.ए.), मुम्बई में आयोजन किया।

वर्ष 2011–12 के दौरान गतिविधियां

- फिल्म प्रभाग ने 01.04.2011 से 30.11.2011 के दौरान 50 वृत्तचित्र/लघुकथा/वीडियो फिल्में बनाईं।
- वृत्तचित्र ''नीलामढाबा'' के लिए फिल्म प्रभाग ने सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा फिल्म श्रेणी में 58वें राष्ट्रीय पुरस्कार के दौरान पुरस्कार प्राप्त किया।
- फिल्म प्रभाग ने फिल्मों के प्रिंट, डी.वी.डी./वी.सी.डी. /बीटा/स्टॉक शॉटस की बिक्री तथा रिकार्डिंग/वीडियो थिएटर को किराए पर देकर कुल 327.35 लाख का राजस्व 01.04.2011 से 30.11.2011 की अवधि के दौरान प्राप्त किया।

नई पहलें

(1) भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा अभिलेखागार की स्थापना

फिल्म प्रभाग, मुम्बई के फिल्म प्रभाग परिसर में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा अभिलेखागार की स्थापना निम्न उद्देष्यों से की जा रही है–

- सिनेमा के विकास के माध्यम से सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों तथा इतिहास को एक स्थान पर लाना,
- समाज पर सिनेमा के प्रभाव पर केन्द्रित एक शोध केन्द्र विकसित करना,
- दर्शकों/फिल्म प्रेमियों के लिए चर्चित निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थाओं के कार्य को प्रदर्शित करना,
- भावी फिल्म निर्माताओं के लिए सेमिनार, कार्यशाला आयोजित करना तथा
- वृत्तचित्र फिल्म आंदोलन के क्षेत्र में भावी पीढ़ी के अंदर रुचि पैदा करना।

अभिलेखागार की स्थापना 121.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से होनी है तथा वर्ष 2013 तक इसके पूरा हो जाने का लक्ष्य है।

(2) फिल्म निर्माण

01 अप्रैल 2011 से 30 नवंबर 2011 के दौरान, फिल्म प्रभाग ने 50 वृत्तचित्र/लघुकथा/समाचार पत्रिकाएं/वीडियो फिल्मों का निर्माण किया।

(3) फिल्म प्रभाग की फिल्मों का डिजीटलीकरण

फिल्म प्रभाग ने 60 वर्षों में अभिलेखीय फुटेज, न्यूज रील, न्यूज मैगजीन, वृत्तचित्र, एनीमेशन और लघु फिल्मों सहित 8131 फिल्मों का संग्रह सहेज लिया है। फिल्म प्रभाग ने अब तक 7443 फिल्मों को डिजीटलाइज किया है। 688 फिल्में बेहतर स्थिति में हैं तथा इनका जीर्णोद्धार अपेक्षित है।

(4) फिल्म शो

फिल्म प्रभाग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ''डांसिंग फीट'' के 22 वृतचित्र फिल्म पैकेजों को लघु, एनीमेशन और वृत्तचित्रो के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, मंगलौर में प्रदर्शित किया गया।

(5) फिल्मों की रिलीज

फिल्म प्रभाग ने पूरे देश के सिनेमाघरों में 39 अनुमोदित फिल्मों के 9717 प्रिन्ट जारी किए हैं।

बाल फिल्म समिति,भारत (सी.एफ.एस.आई.)

(www.cfsindia.org)

परिचय तथा संक्षिप्त विवरण

बाल फिल्म समिति, भारत (सी.एफ.एस.आई.) की स्थापना मई 1955 में फिल्म जांच समिति (1949) की सिफारिशों और बच्चों से बेहद प्रेम करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु की पहल पर भारत सरकार के सूचना

हैदराबाद में भारत के 17वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. किरण कुमार रेड्डी, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा और भारतीय बाल फिल्म समिति की अध्यक्ष सुश्री नंदिता दास

एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में की गई। समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 का 21 के तहत इसका पंजीकरण किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को फिल्मों के माध्यम से ''जीवन मूल्यो'' पर आधारित मनोरंजन उपलब्ध कराना है।

बजट : वर्ष 2011–12 की योजना के लिए सी.एफ.एस.आई. को ₹ 7 करोड़ रुपए बाल फिल्मों के निर्माण तथा प्रदर्शन एवं समारोह आयोजित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2011–12 के लिए गैर–योजना के तहत ₹1.55 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं जो कि मुख्य रुप से समिति के वेतन एवं कार्यालय व्यय के लिए हैं।

अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान प्रोडक्शन गतिविधियां

पूरी की गई फिल्में

1. **वो** (हिन्दी फीचर)/ निर्देशकः डॉ. बुद्धदेब दासगुप्ता/बजटः ₹ 1.10 करोड़। फिल्म सभी पहलुओं पर संपूर्ण तथा अगस्त, 2011 में प्रमाणित की गई।

2. **गट्टू** (हिन्दी फीचर)/निर्देशकः राजन खोसला/बजटः ₹ 1.3 करोड़। फिल्म सभी पहलुओं पर संपूर्ण तथा नवम्बर, 2011 में 17वें आई.सी.एफ.एफ. में उद्घाटन फिल्म के रुप में प्रदर्शित की गई ।

3. **निर्माणाधीन फिल्में**

1. **इबेगेटिया** (असमिया लघु एनीमेशन)/निर्देशकः डॉ. नीरज सूजी/बजटः ₹ 30 लाख। एनीमेशन की 11 श्रृंखलाओं को एनीमेशन समिति के दो सदस्यों ने अनुमादित कर दिया ।

2. **गोपी गवैया भाग बजैया** (हिन्दी एनीमेशन)/निर्देशकः शिल्पा रानाडे/बजटः ₹. 1.75 करोड़। फिल्म को एनीमेटिक्स समिति के दोनो सदस्यों ने अनुमादित कर दिया। एनीमेशन कार्य प्रगति पर है।

भारत के 17वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की झलकियां

विपणन गतिविधियां

(अप्रेल से दिसम्बर, 2011 तक)

बाल फिल्म समारोह

जिला स्तरीय समारोह	
प्रदर्शनों की संख्या	दर्शक
1211	7.56 लाख (लगभग)

राज्य स्तरीय समारोह		
जिलों की संख्या	प्रदर्शन–संख्या	दर्शक
14	120	60 हजार (लगभग)

17वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह

भारतीय बाल फिल्म समिति ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन 14 से 20 नवम्बर, 2011 को हैदराबाद में किया। इस समारोह के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित थेः–

i) समारोह में 38 देशों की 154 फिल्मों ने भाग लिया।

ii) समारोह का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री किरन कुमार रेड्डी द्वारा श्री चौधरी मोहन जातुया, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में 14 नवम्बर, 2011 को किया गया।

iii) समारोह के खास मेहमानों में भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से आए बाल प्रतिनिधि थे जिनसे बाल जूरी का गठन किया गया। बाल जूरी ने अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय तथा लघु प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार प्रदान किए।

हैदराबाद में भारत के 17वें बाल फिल्म समारोह के दौरान बच्चों की फिल्में देखने को उत्सुक स्कूली बच्चे थियेटरों के सामने कतार लगाए हुए।

iv) इस समारोह में निम्न प्रस्तुतियां विशेष उल्लेखनीय थीं–

1. ''बाल निर्देशकों'' द्वारा निर्मित फिल्मों का नया खण्ड।

2. ''इन फोकस'' नाम से नए खण्ड का प्रारम्भ किया गया। इस बार 'इन फोकस' देश चीन था।

3. अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिकी देशों का प्रतिनिधित्व।

इसके अतिरिक्त, खुला मंच, कठपुतली के खेल तथा विभिन्न फिल्म निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह आन्ध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री एस. एल. नरसिंहन द्वारा सिनेमा श्रीमती डी. के. अरुणा, माननीय मंत्री, आई. एण्ड पी.आर. , एफ.डी.सी. तथा सिनेमाटोग्राफी, आन्ध्र प्रदेश सरकार की उपस्थिति में 20 नवम्बर, 2011 को किया गया।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफ.टी.आई.आई), पुणे

(*www.ftiindia.com*)

भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में सूचना एवं प्रसारण के तत्वावधान में की थी। 1974 में टेलीविजन शाखा जोड़े जाने के बाद संस्थान का नाम भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान रख दिया गया। यह संस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अक्टूबर, 1974 में संस्था बन गया। इस संस्थान में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति, संस्थान के पुराने छात्र और सरकार के पदेन सदस्य शामिल हैं। संस्थान का प्रशासन एक गवर्निंग कौंसिल संभालती है, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जाने माने पटकथा लेखक एवं निर्देशक सईद मिर्जा हैं। संस्थान की शैक्षिक नीतियों और योजनाओं का निर्धारण अकादमिक परिषद करती है। वित्त से जुड़े मामलों का नियंत्रण स्थायी वित्त समिति संभालती है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रॉडक्शन की कला एवं तकनीक में नवीन शैक्षिक एवं तकनीकी अनुभव मुहैया कराता है। दूरदर्शन के सभी श्रेणियों के अधिकारियों और अन्य लोगों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यह नवीन डिजीटल एवं प्रसारण ग्रेड निर्माण सेट–अप्स, जैसे नान लीनियर, बीटा कैम तथा ए/बी रोल एडिटिंग सेट–अप्स, डिजीटल कैमरा 'सोनी बी वी पी–500 पी', साफ्ट क्रोमा केयर, डिजीटल स्पेशल इफेक्ट जेनरेटर, सिलिकन ग्राफिक्स 02 वर्क स्टेषन एलियास साफ्टवेयर के साथ, आधुनिक मूवी कैमरा रिकार्डिंग उपकरण आदि से युक्त है। यह फिल्म और टेलीविजन के छात्रों और शिक्षकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराता है।

यह संस्थान 1955 में केन्स में स्थापित इन्टरनेशनल लॉयजन सेन्टर ऑफ सिनेमा एण्ड टी.वी. स्कूल्स (सी.आई.एल.ई.सी.टी.) का सदस्य है जिसकी मान्यता विश्व भर के नामी फिल्म तथा टी.वी. स्कूल हासिल करते हैं। इससे संस्थान को फिल्म निर्माण तथा टी.वी. प्रोडक्शन तथा फिल्म एवं टी.वी. प्रशिक्षण में अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय रुझानों से स्वयं को अवगत रखने में सहायता होती है।

वर्ष की मुख्य घटनाएं

i) नवगठित एफ.टी.आई.आई. समिति के अध्यक्ष तथा गवर्निंग कौंसिल, एकेडमिक कौंसिल तथा एफ.टी.आई. आई. की स्थायी वित्त समिति के अध्यक्ष के रुप में भारत सरकार ने श्री सईद मिर्जा को नामांकित किया।

ii) 2 जुलाई, 2011 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की सलाहकारिता परिषद की बैठक एफ.टी.आई.आई. ने आयोजित की। श्रीमती अम्बिका सोनी, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. एस. जगतरक्षकन, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने अन्य संसद सदस्यों तथा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल ने एफ.टी. आई.आई. का दौरा किया तथा छात्रों, स्टाफ तथा फैकल्टी के साथ बातचीत की।

iii) 8 से 10 अप्रैल, 2011 तक अमेरिकी डाक्यूमेन्ट्री शोकेस, 2011 समारोह का आयोजन एफ.टी.आई.आई. में हुआ।

iv) नवम्बर, 2011 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेन्ट फिल्म एण्ड वीडियो फेस्टिवल ऑफ बींजिग फिल्म एकेडमी (आई. एस.एफ.वी.एफ.) के लिए 'लाइट एनीमेशन' (एफ.टी. आई.आई. के 50 वर्ष–समूह प्रोजेक्ट) का चयन किया गया।

v) 2011 न्यू ताईपेई सिटी फिल्म समारोह – गोल्डेन लॉयन इन्टरनेशनल स्टूडेन्ट फिल्म प्रतियोगिता, ताईवान के फिल्म समारोह पैनोरमा कार्यक्रम में 1,2 (निर्देशक–प्रतीक बसु) का चयन हुआ।

vi) 23 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

(आई.एफ.एफ.आई.) के विद्यार्थी फिल्म खण्ड के लिए एफ.टी.आई.आई. की 5 फिल्मों का चयन हुआ। ये फिल्में थीं – ऐरावत (निर्देशक– रेनू सावन्त), ताशी दलक (निर्देशक–संयुक्ता शर्मा), ओपन कैफे वी 2.5 (निर्देशक–नवीन पद्मनाभ), रु कब (निर्देशक– सतिन्दर बेदी) तथा फिश (निर्देशक–प्रांजल दुआ)।

वित्त

वित्त वर्ष 2010–11 के लिए एफ.टी.आई.आई., पुणे का वास्तविक खर्च नीचे सारणी में दिया गया है।

(लाख रुपए में)

		संशोधित अनुमान	अंतिम मंजूरी	वास्तविक खच
गैर योजना		1444.00	1444.00	1712.00*
योजना	आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	551.00	551.00	551.00
	सामान्य अनुदान उप–योग	149.00	149.00	149.00
	योग	**700.00**	**700.00**	**700.00**
योग		**2144.00**	**2144.00**	**2412.00**

**किया गया अधिक व्यय राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया।*

योजना के तहत 700 लाख रुपए के अंतिम अनुदान का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एस.आर.एफ.टी.आई.), कोलकाता

(www.srsti.gov.in)

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एस.आर.एफ.टी.आई.), कोलकाता भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का दूसरा फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान निर्देशन एवं स्क्रीनप्ले, लेखन, सिनेमेटोग्राफी, सम्पादन और ऑडियोग्राफी में तीन साल के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रस्तावित करता है। मौलिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अलावा, यह संस्थान फिल्म और टेलीविजन से सम्बद्ध लघु और मध्यम अवधि वाले पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

प्रबंधन तथा संगठनात्मक ढांचा

एस.आर.एफ.टी.आई. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत पूरी तरह वित्तपोषित स्वायत्त संस्थान है। एक अध्यक्ष के नेतृत्व वाली एक संस्था गवर्निंग कौंसिल (जी.सी.) के माध्यम से इस संस्थान का संचालन करती है, जिसमें संस्था से चुने गए सदस्य होते हैं। संस्थान के समस्त कार्यकारी क्रियाकलापों के लिए गवर्निंग कौंसिल सर्वोच्च संस्था है। यह जरुरत समझने पर विविध समितियों/ निकायों, मसलन अकादमिक परिषद, स्थायी वित्त समिति आदि का भी गठन करती है। संस्था, गवर्निंग कौंसिल और स्थायी वित्त समिति में पदेन सदस्यों के माध्यम से सरकार का प्रतिनिधित्व होता है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और विविध मीडिया इकाइयों के अधिकारी होते हैं।

अवसंरचना तथा उपकरण

प्रमुख अवसंरचना तथा उपकरण

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एस.आर.एफ.टी.आई.), कोलकाता की प्रमुख अवसंरचना और उपकरण का निर्माण कोलकाता में पूर्वी मैट्रोपोलिटन बाईपास रोड पर 39.36 एकड भूमि में फैले क्षेत्र में किया गया है। संस्थान की अवसंरचना में फिल्म निर्देशन ब्लॉक, जिसमें मुख्यतः निर्देशन तथा पटकथा लेखन विभाग हैं; ऑडियोग्राफी ब्लॉक, जिसमें तीन स्टूडियो तथा ध्वनि रिकार्डिंग, ध्वनि संपादन तथा पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर ट्रैक लेइंग के लिए

कुछ डिजीटल ऑडियो वर्कस्टेशन (डी.ए.डब्ल्यू.) शामिल हैं; एडिटिंग ब्लॉक जिसमें एक फिल्म तथा ऑन वीडियो खण्ड शामिल हैं, और सिनेमेटोग्राफी ब्लॉक, जो कि कैमरों की विभिन्न श्रृंखलाओं से सुसज्जित है; नाम की प्रमुख इमारतें शामिल हैं।

सहायक सुविधाएं

फिल्म स्टूडियो तथा टेलीविजन स्टूडियो : संस्थान के अपने दो शानदार स्टूडियो फ्लोर्स है। फिल्म स्टूडियो पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन स्टूडियो में माना जाता है। फ्लोर का आकार 80X50 फीट है जो बडे बजट वाले भव्य सेटों के लिए भी आदर्श है। इसमें पूर्णतया वातानुकूलित मेकअप रुम, विशिष्ट कैमरा कोणों के लिए भूमिगत पिट, प्रकाश व्यवस्था के लिए 3–स्तरीय मंच, कला सामग्री और कारपेंटरी तथा पेंटिंग खण्डों के लिए विषाल स्टोर रुम हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पूर्णतया वातानुकूलित 50X50 फीट के व्यास वाले टेलीविजन स्टूडियो में कंट्रोल रुम, डिमर पैनल, मोटाराइज्ड टेलीस्कोपिक लाइटिंग ग्रिड और साइक्लोरमा सुविधाओं सहित 3 कैमरा सेट–अप हैं। इस स्टूडियो का इस्तेमाल ऑन लाइन टी.वी. कार्यक्रमों और मल्टी कैमरा छात्र परियोजनाओं में किया जाता है। दोनों स्टूडियो में कैमरे और प्रकाश उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए अलग कमरे हैं।

सभागार और स्कीनिंग सुविधाएं: संस्थान में फिल्मों को सेलुलॉयड और वीडियो फार्मेट दोनों को दिखाने के लिए विविध प्रकार की सुविधाएं हैं। हाल ही में मुख्य थिएटर में डॉल्बी डिजीटल साउंड रिप्रॉडक्शन सिस्टम लगाया गया है। मुख्य थिएटर (370 सीटें) और प्रिव्यू थिएटर (72 सीटें) में 35 एम.एम. और वीडियो प्रक्षेपण व्यवस्था की बहुउद्देशीय सुविधाएं हैं।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

स्थानीय समुदाय के सांस्कृतिक विकास सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए करने के लिए भारत सरकार ने शैक्षणिक

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भागीदारी तथा छात्रों द्वारा जीते गए पुरस्कार

क्रम संख्या	फिल्मों का नाम	जीते गए पुरस्कार	निर्देशक/सिनेमाटोग्राफर
1.	बाक्सिंग लेडीज (हिन्दी)	58वें राष्ट्रीय पुरस्कार, 2010 में रजत कमल (खेलों पर सर्वोत्तम फिल्म)	निर्देशकः अनशा नन्दकुमार
2.	जर्म (हिन्दी)	58वें राष्ट्रीय पुरस्कार, 2010 में रजत कमल (सर्वोत्तम संपादन)	संपादनः टिन्नी मित्रा
3.	बाघेर बाच्चा (बंगाली)	वर्ल्ड सिनेमा, एमस्टर्डम, 2010 में	निर्देशकः बिश्नु देब हलधर
	(बंगाली)	स्क्रीनिंग हेतु चुनी गई	
4.	कुसुम (हिन्दी)	2010–11 के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग हेतु चुनी गई	निर्देशकः शुमाना बनर्जी
5.	ठग बेराम	पूसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, केरल म सर्वोत्तम लघु फिल्म, का पुरस्कार मिला,	निर्देशकः वेन्कट ए.

संस्थाओं/संगठनों के लिए प्रबंध किया है। संस्थान ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के निर्माण का कार्य बेसिल (बी.ई.सी.आई.एल.) की सहायता से पूरा किया है। समुदाय के लिए एस.आर.एफ.टी.आई. सामुदायिक रेडियो द्वारा नियमित कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

एस.आर.एफ.टी.आई. ने मणिपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया जहां मणिपुर फिल्म फोरम तथा एम.एफ.डी.सी. के विशेषज्ञ उपस्थित थे। भविष्य में आयोजित होने वाली दाखिला परीक्षा के लिए एस.आर.एफ.टी.आई., गुवाहाटी के साथ इम्फाल, मणिपुर को भी परीक्षा केन्द्र बनाना प्रस्तावित करती है। पिछली दाखिला प्रक्रिया में पूर्वोत्तर क्षेत्र से 15 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे जिनमें से 2 अभ्यर्थी अंतिम रुप से चुने गए।

नवीन योजनाएं

एनीमेशन विभाग

संस्थान ''एनीमेशन एण्ड इलेक्ट्रानिक इमेजिंग'' में प्रत्येक बैच में 10 छात्रों की क्षमता वाला दो साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरु करने का इच्छुक है। जरुरी अवसंरचना जुटाने और कर्मियों की नियुक्ति के साथ यह पाठ्यक्रम वर्ष 2012 में प्रारम्भ होना सम्भावित है।

फिल्म और टेलीविजन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट विभाग

फिल्म और टेलीविजन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट के क्षेत्र में विशेष तौर पर प्रशिक्षित कर्मियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर संस्थान प्रत्येक बैच में 10 छात्रों के साथ फिल्म और टेलीविजन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट में दो साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु करने का इच्छुक है। जरुरी

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर

अवसंरचना जुटाने और कर्मियों की नियुक्ति के साथ यह पाठ्यक्रम वर्ष 2012 में प्रारम्भ होना सम्भावित है।

प्रमुख आकर्षण

1. 28 फरवरी से 2 मार्च, 2011 के दौरान एक स्विस एक्सपेरीमेन्टल फिल्म पैकेज की स्क्रीनिंग हुई। तत्पश्चात् छात्रों के साथ चर्चा सत्र का आयोजन किया गया जिसे स्विस विशेषज्ञों/इतिहासकारों ने नियंत्रित किया।
2. 23 मार्च 2011 को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार तथा एस.आर.एफ.टी.आई. ने श्री अडूर गोपालकृष्णन की फिल्मों का पुनरावलोकन आयोजित किया।
3. संस्थान का तीसरा दीक्षांत समारोह 16 सितम्बर, 2011 को आयोजित हुआ जिसमें श्रीमती अम्बिका सोनी, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि थीं तथा उन्होंने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान किए। श्री चौधरी मोहन जातुया, माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री तथा श्री मृणाल सेन, जाने माने फिल्म निर्माता की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा बढ़ाई।

एस.आर.एफ.टी.आई. का 2010–11 के दौरान योजना तथा गैर–योजना व्यय

(लाख ₹ में)

	संशोधित अनुमान	अंतिम मंजूरी	वास्तविक खर्च
गैर–योजना	618.00	618.00	685.80*
योजना	700.00	700.00	699.99
योग	**1318.00**	**1300.00**	**1385.79***

*अतिरिक्त व्यय राजस्व प्राप्तियों से किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एन.एफ.ए.आई.),

(www.nfaipune.gov.in)

संक्षिप्त इतिहास

कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रुप में फिल्मों के संरक्षण का महत्व पूरे विश्व में माना जाता है। अपनी विविध अभिव्यक्तियों और स्वरुपों में फिल्म संरक्षण का कार्य किसी पर्याप्त संसाधनों और स्थायी व्यवस्था वाले तथा स्थानीय फिल्म उद्योग के लिए विश्वसनीय राष्ट्रीय संगठन को दिया जाना जरुरी था। इसीलिए फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रुप में भारतीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1. भारतीय सिनेमा की धरोहर की पहचान, इसकी प्रगति और इसे चिरस्थायी बनाना और विश्व सिनेमा का प्रतिनिधि संकलन तैयार करना।

2. फिल्मों से जुड़े आंकड़ों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करना, सिनेमा के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसी सामग्री को प्रकाशित तथा वितरित करना।

3. भारत में फिल्म संस्कृति के प्रचार–प्रसार के केन्द्र के रुप में कार्य करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति दर्ज कराना।

पिछले 47 वर्षों में एन.एफ.ए.आई. ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रगति की है।

1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 के दौरान एन.एफ.ए.आई. ने अपने संग्रह में 41 फिल्में (35 नई तथा 6 डुप्लीकेट), एल.टी.एल. आधार पर 384 फिल्में, 121 डी.वी.डी., 114 पुस्तकें, 1189 स्टिल चित्र, 300 गीत पुस्तिकाएं, 826 वॉल पोस्टर तथा 75 फिल्म फोल्डर/ प्रचार पुस्तिकाएं प्राप्त की हैं।

रिपोर्ट अवधि के दौरान अभिलेखीय संग्रहण में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण/प्रिंट अनुबंध–क में दिए गए हैं।

फिल्में प्राप्त करना

रिपोर्ट की अवधि में नई दिल्ली स्थित नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय ने 500 फिल्म रीलें संरक्षण, डिजीटाइजेशन और जीर्णोद्धार के लिए एन.एफ.ए.आई. को सौंपी। यह फिल्म रीलें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण समारोहों की वास्तविक फुटेज है।

रिपोर्ट की अवधि में बाम्बे फिल्म प्रयोगशाला तथा अन्य प्राइवेट पार्टियों से पिक्चर तथा ध्वनि नेगेटिव की 500 रीलें प्राप्त की गईं। वर्ष के दौरान भंडारण तथा संरक्षण के लिए निःशुल्क डिपॉजिट्स के रुप में प्राप्त हुए उल्लेखनीय टाइटल्स में हिन्दी के साथ–साथ मराठी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी तथा गुजराती टाइटल शामिल हैं।

प्राप्त की गई फिल्मों का विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध–ख में दिया गया है।

फिल्म संस्कृति का प्रसार

फिल्म माध्यम की शिक्षा

फिल्म संस्कृति के प्रसार की गतिविधियों में फिल्म माध्यम की समझ सिखाने वाले दीर्घ और लघु अवधि वाले फिल्म एप्रीसिएसन पाठ्यक्रम हैं जो फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान और अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

बच्चों के लिए तीसरा आरम्भिक एप्रीसिएसन पाठ्यक्रम 6 से 12 मई, 2011 को आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में 25 बच्चों ने भाग लिया। अनुभवी फैकल्टी तथा फिल्म निर्माताओं ने प्रतिभागियों के साथ चर्चा की तथा पाठ्यक्रम अवधि के दौरान 10 फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई।

इसी वर्ष 16 मई से 11 जून, 2011 के दौरान फिल्म एप्रीसिएसन में 36वां वार्षिक पाठ्यक्रम पुणे में आयोजित हुआ। इसमें श्रीलंका से 3 तथा बांग्लादेश से 1 प्रतिभागियों सहित पूरे भारत से 68 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पाठ्यक्रम प्राथमिक रुप से फिल्म अध्ययन के शिक्षकों, संचार, पत्रकारिता, फिल्म समिति आयोजकों, फिल्म समालोचकों, अनुसंधानकर्ताओं, फिल्मों का प्रबंधन करने वाले सरकारी अधिकारियों, तकनीशियनों तथा फिल्मों में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। एफ.टी.आई.आई. की गेस्ट फैकल्टी में अनुभवी अंजुम राजबली, जाने माने फिल्म निर्माता गिरीश कासरावाली तथा किरन राव के अलावा एफ.टी.आई.आई. फैकल्टी शामिल रही। जाने माने पटकथा लेखक श्री अंजुम राजबली समारोह के मुख्य अतिथि थे।

एन.एफ.ए.आई एफ.टी.टी आई, पुणे तथा गोवा इन्टरटेनमेंट सोसायटी, पणजी के प्रयास से 2–9 जुलाई, 2011 को मैक्विज पैलेस, गोवा इन्टरटेनमेंट सोसायटी में तीसरा लघु फिल्म एप्रीसिएसन पाठ्यक्रम आयोजित हुआ। विभिन्न व्यवस्थाओं तथा राज्यों के 38 प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया। श्री दिगम्बर कामत, मुख्यमंत्री, गोवा ने पणजी में आयोजित समापन समारोह में भाग लिया।

एन.एफ.ए.आई., एफ.टी.आई.आई., पुणे तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के संयुक्त प्रयास से 18–24 जुलाई, 2011 को शिमला में दूसरा लघु फिल्म एप्रीसिएसन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम में पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पड़ोसी राज्यों तथा जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश का व्यापक प्रतिनिधित्व रहा।

फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इण्डिया, एन.एफ.ए.आई तथा सिलीगुड़ी सिनेमा सोसाइटी के सहयोग से क्षेत्रीय भाषा 'बंगाली' का पहला लघु फिल्म एप्रीसिएसन पाठ्यक्रम सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 2–4 सितम्बर, 2011 को आयोजित हुआ।

एन.एफ.ए.आई, पुणे में 8 सितम्बर 2011 को प्रख्यात बांसुरीवादक स्व.पन्नालाल घोष पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह पहली कार्यशाला थी जिसमें बांसुरी विशारद स्व. पन्नालाल घोष का जन्म शताब्दी समारोह सरकारी स्तर पर मनाया गया। इसमें 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर, मुंबई के वैज्ञानिक विश्वास कुलकर्णी द्वारा संगीतज्ञ के नवप्रवर्तन तथा नए संघटन पर व्याख्यान प्रदर्शन आयोजित हुआ। इस अवसर पर पंडित मोहन दारेकर ने पन्नालाल घोष की कृतियों पर व्याख्यान दिया। 8 दुर्लभ फिल्में जिनमें पन्नालाल घोष ने संगीत दिया था अथवा जिसके गानों पर बांसुरी बजाई थी, के अंश, एन.एफ.ए.आई. संग्रह से स्क्रीन किए गए तथा उनके संगीतमय योगदान को कार्यशाला में रेखांकित किया गया।

फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इण्डिया (महाराष्ट्र), आशय फिल्म क्लब तथा एन.एफ.ए.आई, पुणे के संयुक्त सहयोग से 24–30 सितम्बर, 2011 को एन.एफ.ए.आई, पुणे में एक लघु फिल्म एप्रीसिएसन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पाठ्यक्रम में 81 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समारोह में श्री सुधीर नन्दगांवकर द्वारा भारत में फिल्म सोसाइटी मूवमेन्ट पर लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। 30 सितम्बर, 2011 को आयोजित समापन समारोह में मुंबई के पूर्व शेरिफ श्री शान्ताराम मुख्य अतिथि थे।

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फिल्मों की आपूर्ति

एन.एफ.ए.आई. की भारत में फिल्म संस्कृति के प्रसार से जुड़ी अनेक गतिविधियां हैं। इसके वितरण लाइब्रेरी में देश भर से लगभग 40 सक्रिय सदस्य हैं। इसके अलावा अभिलेखागार विभिन्न फिल्म प्रदर्शनी कार्यक्रम के लिए भी फिल्मों की आपूर्ति करता है।

एन.एफ.ए.आई. द्वारा निम्नलिखित आयोजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई :

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आशय फिल्म क्लब, आयाम के सहयोग से 8–10 मार्च 2011 को पुणे में ''वीमेन्स इन सिनेमा'' फिल्म समारोह का आयोजन हुआ जिसमें एनएफएआई ने दो फिल्में उपलब्ध कराई।
- पुणे फिल्म फाउन्डेशन तथा कासा डेला, इण्डिया के सहयोग से एनएफएआई, पुणे में 2–3 अप्रैल, 2011 को पहला स्पेनिश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान 9 स्पेनिश फिल्मों का प्रदर्षन किया गया जिसमें स्पेनिश निर्माता बीट्रिज डि ला गाण्डरा, अभिनेता एलेना अनाया, मातो अतुरा तथा लोला दुएन्स तथा निर्देषक एडमन रोश ने अन्य लोगों के साथ समारोह में भाग लिया। समारोह को पुणे फिल्म प्रशंसकों से व्यापक सराहना मिली।
- एनएफएआई द्वारा 2–3 अप्रैल, 2011 के दौरान एक फिल्म समारोह ''ट्रिब्यूट टू एलिजाबेथ टेलर – रिमेम्बरिंग लिज'' का आयोजन एनएफएआई आडिटोरियम में हुआ। समारोह के दौरान 6 कालजयी फिल्मों को सम्मानित किया गया। इन फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।
- राजा परांजपे फिल्म प्रतिष्ठान के सहयोग से 16–19 अप्रैल, 2011 के दौरान ''राजा परांजपे फिल्म समारोह'' का आयोजन एनएफएआई द्वारा किया गया। इस समारोह में अभिलेखागार संग्रह से 9 फिल्मों का प्रदर्शन एनएफएआई में किया गया। साथ ही राजा परांजपे के योगदान पर एक कार्यशाला तथा युवा प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किए गए। श्रेयस तलपड़े, मुक्ता बर्वे तथा निर्देशक

फ्रेंच फिल्म निर्देशक बर्ट्रेंड तावेर्नियर भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह – 2011
के दौरान पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए

सतीश राजवाड़े एवं संगीतकार कौशल ईनामदार (मराठी फिल्म उद्योग के यंग अचीवर पुरस्कार) सम्मानित किए गए।

- मैक्समूलर भवन, एलांयस फ्रांसे, सेन्टर फार कन्टेमपोरेरी डान्स तथा एनएफएआई द्वारा संयुक्त रुप से एक ''अंतर्राष्ट्रीय नृत्य फिल्म समारोह'' का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के दौरान 26–30 अप्रैल, 2011 को एनएफएआई आडिटोरियम में किया गया। समारोह में एनएफएआई ने दो फीचर फिल्मों का सहयोग प्रदान किया। इस आयोजन में कुल 6 नृत्य फिल्में प्रदर्शित की गई।
- गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती को मनाते हुए ब्रिटिश लाइब्रेरी तथा एनएफएआई, पुणे ने एक विशेष समारोह का आयोजन किया जिसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर की फिल्में 'रवीन्द्र नाथ टैगोर' तथा 'चोखेर बाली' का प्रदर्शन किया गया। दिशारी, पुणे ने भी एनएफएआई आडिटोरियम में फीचर डाक्यूमेन्ट्री 'रवीन्द्र नाथ टैगोर' का प्रदर्शन किया।
- एक गैरसरकारी संस्था 'फिल्मी चश्मा' तथा एनएफएआई, पुणे द्वारा संयुक्त रुप से 'फिल्मी चश्मा' नाम से एक बाल फिल्म समारोह का आयोजन 13–15 मई, 2011 को किया गया जिसमें 17 लघु फिल्में, जिनमें एनीमेशन फिल्में भी शामिल थीं, बच्चों के लिए प्रदर्शित की गई। समारोह को बाल दिवस समिति का भी समर्थन प्राप्त हुआ।
- आशय फिल्म क्लब के सहयोग से ''माई फेयर लेडी'' फिल्म का प्रदर्शन एनएफएआई आडिटोरियम पुणे में 28 मई 2011 को किया गया।
- भारतीय बाल फिल्म समिति के सहयोग से एनएफएआई ने पुणे में 22–26 जून, 2011 को ''मानसून धमाल'' नाम से एक बाल फिल्म समारोह का आयोजन किया जिसमें 12 फीचर तथा 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई तथा जाने–माने फिल्म व्यक्तित्व डॉ. मोहन अगाशे तथा रमेश देव ने समारोह का उद्घाटन किया।
- कोंसुलेट जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मुंबई फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इण्डिया तथा एन.एफ.ए.आई. ने पुणे में 23–26 अगस्त, 2011 को संयुक्त रुप से एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म समारोह का आयोजन किया। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के कौंसुल जनरल श्री स्टीव वाटर्स ने समारोह का उद्घाटन किया। डी वी डी फार्मेट में 8 फीचर तथा 2 लघु फिल्म की स्क्रीनिंग समारोह के दौरान की गई तथा प्रो. समर नखते ने ऑस्ट्रेलियन पैकेज की फिल्मों का पुनरीक्षण किया।
- ''जनजातीय फिल्म समारोह'' नाम से एक समारोह का आयोजन बहुरंग द्वारा एनएफएआई, पुणे के सहयोग से किया गया जिसमें जनजातियों के बीच जागरुकता फैलाने का प्रदर्शन किया गया तथा जिसमें डी वी डी फार्मेट में 7 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग एनएफएआई आडिटोरियम में की गई।
- एलाइंस फ्रांसे, पुणे के सहयोग से एनएफएआई ने 13–17 सितम्बर, 2011 को, ''कान्स इन इण्डिया'' फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उन युवा निर्देशकों अथवा भारतीय निर्देशको की पहली फिल्म को प्रदर्शित किया गया जिन्होने कान्स समारोह के दौरान पहचान प्राप्त की। समारोह का उद्घाटन राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'बालीवुड : द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी' फिल्म से किया गया जो कि इस वर्ष कान्स समारोह के आयोजकों द्वारा कमीशन की गई थी।
- एलाइन्स फॉर ग्लोबल एजूकेशन, पुणे के सहयोग से डॉ. ''बाबा साहेब अम्बेडकर'' की वीडियो स्क्रीनिंग आयोजित की गई तथा ''ट्रुथ एबाउट द टाइगर'' का प्रदर्शन कन्फेडरशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, पुणे द्वारा एनएफएआई आडिटोरियम में किया गया।
- कौंसुलेट जनरल ऑफ जापान, जापान फाउण्डेशन के सहयोग से एनएफएआई, पुणे में 1–3 अक्टूबर, 2011 को पहला जापानी एनीमेषन फिल्म समारोह आयोजित किया गया जिसमें 35 एम एम फार्मेट पर फिल्मों के 9 एनीमेशन समारोह के दौरान प्रदर्शित किए गए। कौंसुल जनरल ऑफ जापान, मुंबई श्री शिनची लीडा ने समारोह का उद्घाटन किया।
- 2 अक्टूबर, 2011 को गांधी जयन्ती के अवसर पर 'महात्मा' फिल्म के दो विशेष शो एनएफएआई फिल्म क्लब सदस्यों तथा आम जनता के लिए आयोजित हुए।
- प्रख्यात अभिनेता स्व. श्री शम्मी कपूर की फिल्मों का पुनरावलोकन एनएफएआई फिल्म क्लब सदस्यों तथा आम जनता के लिए 7–8 अक्टूबर, 2011 को आयोजित हुआ जिसमें शम्मी कपूर की 4 फिल्में दिखाई गई।

- एनएफएआई, पुणे में 10–12 अक्टूबर, 2011 को मराठी चित्रपट परिवार ने पहला पुणे लघु फिल्म समारोह आयोजित किया। समारोह के दौरान 27 लघु फिल्में शो केस की गई।
- फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैण्ड, ईरान, अर्जेन्टीना, पोलैण्ड तथा अन्य यूरोपियन दशों की फिल्मों की श्रृंखला का आयोजन एनएफएआई ने एलाइंस फ्रांसे, मैक्स मूलर भवन, ब्रिटिश कौंसिल तथा कल्चरल सेन्टर ऑफ रसिया, मुंबई के सहयोग से किया।
- फिल्म सर्किल सदस्यों तथा एफटीआईआई के छात्रों के लिए नियमित स्क्रीनिंग के अलावा 161 फिल्में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शित की गई। इसके अलावा माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को डाक्यूमेन्टरी फिल्मों की स्क्रीनिंग फिल्म सर्किल सदस्यों तथा डाक्यूमेन्टरी फिल्मों में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए अगस्त 2009 से प्रारम्भ की गई थी। इस कार्यक्रम में फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार डाक्यूमेन्टरी प्रस्तुत की जाती हैं।
- विभिन्न मास मीडिया तथा पत्रकारिता संगठन के छात्रों ने शैक्षणिक भ्रमण के रुप में एनएफएआई की यात्रा की।

fofHkUu fQYe lekjkg e ,u-,Q-,-vkb- dh lgHkkfxrk ih-vkb-,Q-,Q-] i|.k

नवम् पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 6 से 13 जनवरी, 2011 को आयोजित किया गया। एन.एफ.ए.आई. ने इस समारोह में सभागार तथा अभिलेखीय फिल्में प्रदान करके अपना सहयोग दिया।

Hkkjrh; vrjk"Vh; fQYe lekjkg] 2011] i.kth] xkok

23.11.2011 से 3.12.2011 के दौरान पणजी, गोवा में आयोजित आईएफएफआई में एनएफएआई द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता के. बालाचन्दर पर एक पुनरावलोकन, स्वर्गीय मणि कौल की फिल्मों पर एक पैकेज तथा नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्र नाथ टैगोर के कार्यों/कहानियों से प्रेरित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। के. बालाचन्दर की फिल्मों के विशेष पैकेज के उद्घाटन के रुप में डिजीटाइज्ड पुर्नजीवित फिल्मों यथा 'अवल ओरु थोडार कपाई', 'इरु कोडूकाल' तथा 'मारो चरित्र' का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित 'चारुलता', तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित 'क्षुधित पाषाण' नितिन बोस की 'मिलन' तथा पुरेन्दु पैट्रिया की ''स्ट्रीरर पात्रा'' टैगोर वाले खण्ड का हिस्सा थीं। टैगोर की वर्षगांठ मनाने हेतु एनएफएआई ने 6 फिल्मों के विशेष पैकेज का निर्माण किया तथा बुद्धदेव दासगुप्ता द्वारा टैगोर पर एक डाक्यूमेन्टरी का प्रदर्शन किया गया। समारोह में प्रदर्शित अन्य डिजीटाइज्ड रुपों में मणि कौल की 'इडियट' तथा 'मति मानस', लेख टण्डन की 'प्रोफेसर' तथा बी.वी. कारन्त की 'चोमना डूडी' रहीं।

वर्ष के दौरान एनएफएआई ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में विशेष पैकेज उपलब्ध कराए :–

- नासिक में 20–23 जनवरी 2011 को आयोजित तीसरे नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए एनएफएआई ने फिल्मों के पैकेज की आपूर्ति की।
- त्रिसूर में 26–31 मार्च, 2011 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए जनसंस्कार चलचित्र केन्द्र को 13 फिल्मों के पैकेज की आपूर्ति की गई।
- त्रिवेन्द्रम में 13–19 मई, 2011 को आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए एफ.आई.एल.सी.ए. को 13 फिल्में भेजी गई।
- आगा खान ट्रस्ट, नई दिल्ली में विशेष स्क्रीनिंग के लिए सोहराब मोदी की 'मिर्जा गालिब' फिल्म को भेजा गया।
- एबिलिटी फाउन्डेशन, चेन्नई के समारोह के लिए डी वी डी फार्मेट में दो फिल्मों की आपूर्ति की गई।
- 29–31 जुलाई, 2011 को नलिनी जयवन्त फिल्म समारोह के लिए फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली को 4 फिल्में भेजी गई।
- दक्षिण एशिया फाउन्डेशन द्वारा 15–18 सितम्बर, 2011 को गोवा में आयोजित दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह के लिए 'अपूर संसार' फिल्म भेजी गई।
- मणि कौल की फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में 'उसकी रोटी' तथा 'आषाढ़ का एक दिन' फिल्में भेजी गई।
- 13–20 अक्टूबर, 2011 को आयोजित 13वें मुम्बई फिल्म समारोह के लिए मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजस (एम.ए.एम.आई.) को तीन फिल्में भेजी गई।
- 10–17 नवम्बर, 2011 को आयोजित 17वें कोलकाता

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए सिने सेन्ट्रल, कोलकाता को चार फिल्मों की आपूर्ति की गई।

- 23.11.2011 से 3.12.2011 को पणजी, गोवा में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए अभिलेखीय फिल्मों की आपूर्ति फिल्म समारोह निदेशालय को की गई। एफएफएसआई द्वारा संयुक्त स्क्रीनिंग के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु, हैदराबाद तथा कोचीन में काफी संख्या में फिल्मों की आपूर्ति की गई।
- 9 से 16 दिसम्बर, 2011 को आयोजित केरल के 16वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 4 फिल्मों की आपूर्ति की गई।
- 15–22 दिसम्बर, 2011 को आयोजित चौथे बैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए जी अरविन्दन की अभिलेखीय संग्रह से 11 फिल्में तथा जीर्णोद्धार की गई 5 ब्लू रे डीवीडी की आपूर्ति की गई।
- 22–29 दिसम्बर, 2011 को मुम्बई में आयोजित 10वें थर्ड आई एशियन फिल्म समारोह के लिए 8 फिल्मों के पैकेज की आपूर्ति एशियन फिल्म फाउण्डेशन, मुम्बई को की गई।

vrjk"Vh; fQYe lekjkg vkj vU; fo'k"k volj dk fy, Hkkth xbl fQYe

यूके में फरवरी, 2011 में आयोजित ग्लासगो फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग के लिए एनएफएआई ने 'कंधार' फिल्म की ब्लू रे डीवीडी फार्मेट की सुधारी गई प्रति भेजीं।

फरवरी, 2011 में आयोजित लिस्बन फिल्म समारोह के लिए फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली के जरिए सत्यजीत रे की फिल्म 'तीन कन्या' को पुर्तगाल मे भारतीय दूतावास में भेजा गया।

सिंगापुर में आयोजित सांस्कृतिक कन्सर्ट के लिए एनएफएआई ने मूक फिल्म 'शिराज' पर एक ब्लू रे डीवीडी शर्मिणी विश्वम्भरन, चिन्गाय तथा इवेन्ट नेटवर्क, पीपुल्स एसोसियेशन, सिंगापुर को भेजी।

जून, 2011 में पेरिस में आयोजित समारोह के लिए ला सिनेमाथेक फ्रांसे, पेरिस को पाँच फिल्में 'मधुमती', 'करी थेके चालिये' 'अजंत्रिक, 'नागरिक' तथा 'चिन्नमूल' की आपूर्ति की गई। 'मधुमती' फिल्म को टोरन्टो फिल्म समारोह के लिए भी भेजा गया।

नामी भारतीय पटकथा लेखक तथा फिल्म निर्माता निरंजन पाल के फिल्म समारोह के लिए दक्षिण एशियाई सिनेमा फाउन्डेशन, लन्दन को डीवीडी फार्मेट में 5 फिल्में ''लाइट ऑफ एशिया'' ''शिराज'' ''कर्मा'' 'अछूत कन्या' तथा 'जन्मभूमि' भेजी गई।

ikLVj in'kuh

रिपोर्ट अवधि के दौरान अनेक पोस्टर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया :–

i|.k&एनएफएआई, पुणे में 'रिमेम्बरिंग लिज' नाम से एलिजाबेथ टेलर पर एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।

स्वर्गीय राजा परांजपे पर भी एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें उनकी जानी–मानी फिल्मों तथा उनके फिल्मी व्यक्तित्व के कैरियर तथा जीवनी संबंधी जानकारी थी।

एनएफएआई पुणे में 'चित्र गौरव' कार्यक्रम के लिए पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की गई।

स्वर्गीय पन्नालाल घोष, बांसुरी विशारद के जीवन तथा उपलब्धियों को दर्शाती एक चित्र प्रदर्शनी एनएफएआई, पुणे में आयोजित की गई।

'सैल्यूटिंग दादा साहेब फाल्के एवार्डीज'' ''विमल राय'' तथा ''उत्तम कुमार'' पर एनएफएआई द्वारा एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन संसदीय सलाहकार समिति की पुणे यात्रा के दौरान किया गया। प्रदर्शनी सामान्य जनता के लिए 6–9 जुलाई, 2011 तक खुली रही।

ubl fnYyh

एन.एफ.ए.आई. ने इण्डियन हैबिटेट फिल्म समारोह तथा पोस्टर प्रदर्शनी में भाग लिया तथा 14–22 मई, 2011 के दौरान इण्डिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में 172 प्रदर्शनियां आयोजित की। प्रदर्शनी का विषय ''सैल्यूटिंग दादा साहेब एवार्डीस'' था। इस समारोह के दौरान श्री के. बालाचन्दर पर भी कुछ प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

29–31 जुलाई, 2011 को सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एन. एफ.ए.आई द्वारा स्वर्गीय नलिनी जयवन्त पर एक फिल्म

पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की गई।

14–23 दिसम्बर, 2011 को सीरी फोर्ट आडिटोरियम में आयोजित स्वर्गीय शम्मी कपूर की फिल्मों के पुनरावलोकन के दौरान एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

eMxko] xkok

42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई, गोवा, 2011) के हिस्से के रुप से रवीन्द्र भवन, मार्गोवा, गोवा में ''म्यूजिक एण्ड सांग्स इन इण्डियन सिनेमा'' शीर्षक से पोस्टर तथा चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 23. 11.2011 से 25.11.2011 के दौरान संगीत निर्देशकों, गीतकारों तथा गायकों के योगदान को उल्लेखित करते हुए 80 प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत, तथा भारतीय एवं विदेशी प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का दौरा किया।

fFk,Vj lqfo/kk,a

एन.ए.एफ.आई. के पास 3 बहुउद्देशीय थिएटर सुविधाएं तथा प्रिव्यू थिएटर की क्षमता क्रमशः 330 और 35 सीटों की है। एक अति आधुनिक थिएटर कोथरुढ में है जिसकी क्षमता 200 सीट है। एन.ए.एफ.आई. के अपने कार्यक्रमों तथा एफ.टी.आई.आई. के अकादमिक प्रदर्शन के अलावा यह सुविधा अन्य संस्थानों द्वारा अपने प्रदर्शन, कार्यक्रमों, व्याख्यानों और सेमिनार इत्यादि के लिए भी उपलब्ध है। मैक्समूलर भवन, अलांइस फ्रांसे तथा ब्रिटिश कांउसिल ने भी पुणे में अपने सदस्यों तथा एन.ए.एफ.आई. फिल्म सर्कल सदस्यों के लिए नियमित आधार पर प्रदर्शन आयोजित किए। रिपोर्ट की अवधि में मुख्य थिएटर तथा प्रिव्यू थिएटर को 502 कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया गया।

laj{k.k] ifjj{k.k vkSj iqu%LFkkiuk dk;Z

भारत की फिल्म परम्परा का संरक्षण तभी हो सकता है जब उसके लिए सतत और विषेष प्रयास किए जाएं। इस कार्य में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। श्वेत–श्याम फिल्मों को 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान तथा 50 प्रतिशत आर्द्रता पर संरक्षित किया जाता है। अभिलेखागार के पास रंगीन फिल्मों के लिए विशेष वॉल्ट है।

fUkek/rkvk@dkihjkbV ekfydk dk lqfo/kk,a

एन.ए.एफ.आई. निर्माताओं और कॉपीराइट मालिकों को मूल निगेटिव की मरम्मत के लिए फिल्म की आपूर्ति, प्रसारण के लिए डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने जैसी सुविधाएं दे रहा है। अभिलेखागार ने कई सेल्यूलाइड क्लासिक सेटेलाइट चैनलों और राष्ट्रीय उपग्रह टी वी चैनलों पर प्रसारित होने वाली फिल्मों को भी प्रसारण के लिए दिया है।

,u-,Q-,-vkbZ- esa fQYeksa dk fMthVkbts'ku rFkk th.kksZ)kj

रिपोर्ट अवधि के दौरान 202 फिल्म शीर्षकों को डिजीटाइज तथा 122 फिल्मों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। मृणाल सेन की फिल्म ''कन्धार'' का जीर्णोद्धार करने के लिए एन.एफ.ए.आई. को उत्कृष्टता का पुरस्कार प्रदान किया गया। फरवरी, 2011 में कोलकाता में इन्फोकॉम–एसोचैम के सहयोग से आयोजित त्रिदिवसीय वार्षिक सम्मेलन तथ प्रदर्शनी में एन.एफ.ए.आई. को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार फिल्म निर्माता मधुर भण्डारकर द्वारा दिया गया । यह पुरस्कार तकनीकी विशेषज्ञों की टीम तथा एन. एफ.ए.आई. तकनीकी समिति के सदस्यों को सर्वोत्तम तकनीकी दिग्दर्शन के लिए दिया गया।

;kstuk rFkk xSj&;kstuk dk;Zde

;kstuk ifjO;;

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का वर्ष 2011–12 के दौरान योजना स्कीम के लिए 2000 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। 01 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 के दौरान एन.एफ.ए.आई. ने 41 फिल्में, एल.टी.एल. आधार पर 384 फिल्में, 121 डी.वी.डी., 114 पुस्तकें, 75 फिल्म फोल्डर/पैंफलेट्स, 1189 स्टिल्स, 300 गीत पुस्तिकाएं तथा 826 वॉल पोस्टर प्राप्त किए।

वर्ष के दौरान योजना निष्पादन का विवरण अनुबन्ध–ग में दिया गया है।

iwokZsRrj {ks= rFkk tEew vkSj d'ehj jkT; ds fy, cTkV izko/kku

एन.एफ.ए.आई. की गतिविधियों पर विचार करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए बजट प्रावधान को व्यावहारिक/संभव नहीं पाया गया।

01-01-2012 ls 31-03-2012 rd d fy, dk;Øe dk lf{kIr fooj.k

लगभग 50 फिल्म शीर्षकों को डिजीटल रुप में बदला जाएगा और 50 फिल्मों का जीर्णोद्धार पूरा किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारतीय पैनोरमा के लगभग 60 फिल्मों को प्राप्त किया जाएगा।

;ktuk vkj Xkj&;ktuk ctV dk fooj.k

बजट अनुमान 2010–2011 (लाख ₹ में)			
	योजना	गैर–योजना	कुल
शीर्ष– "2220" सूचना एवं प्रचार राजस्व खंड	2000.00	468.00	2468.00
dy	**2000.00**	**468.00**	**2468.00**
संशोधित अनुमान 2011–2012			
शीर्ष– "2220" सूचना एवं प्रचार राजस्व खंड	2500.00	470.50	2970.00
dy	**2500.00**	**470.50**	**2970.00**
बजट अनुमान 2012–2013			
शीर्ष– "2220" सूचना एवं प्रचार राजस्व खंड	700.00	492.15	1192.15

Ik'kklu

IxBukRed <kPkk

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय पुणे में है। इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूरु, कोलकाता तथा तिरुअनंतपुरम में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख कार्य फिल्म समितियों, शिक्षा संस्थानों तथा सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना है। निदेशक, उप निदेशक–सह–क्यूरेटर जो मुख्यालय में तकनीकी तथा प्रशासनिक विंग के प्रमुख हैं, की सहायता से काम देख रहे हैं। इस समय उप निदेशक–सह–क्यूरेटर का पद खाली है। पी.आई.बी. पुणे के निदेशक (एम. एण्ड सी.) को एन. एफ. ए. आई. के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के मुख्यालय और सभी तीनों क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल मिलाकर 49 कर्मचारी हैं जिनमें से 26 प्रशासनिक स्कन्ध में तथा 23 तकनीकी स्कन्ध में कार्य कर रहे हैं।

vulfpr tkfr@vulfpr tu tkfr d fy, vkfnoklh mi&;ktuk@fo'k"k ?kVd ;ktuk d lc/k e ctV ikoèkku

एन.एफ.ए.आई. कार्य संस्कृति को देखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आदिवासी उप–योजना/विशेष घटक योजना के संबंध में बजट प्रावधान को व्यावहारिक नहीं पाया गया।

,Q-vkb-,-,Q-

एन.एफ.ए.आई. मई, 1969 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार संघ का सदस्य है। संघ का सदस्य होने से अभिलेखागार को, परिरक्षण तकनीक पर सामग्री, अभिलेखन, ग्रंथ सूची संबंधी विशेषज्ञता सलाह मिलती है। अभिलेखीय आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत अन्य अभिलेखागारों के साथ दुर्लभ फिल्मों का आदान–प्रदान भी सहज हो जाता है।

vulfpr tkfr@vulfpr tu tkfr@vU; fiNMk ox dY;k.k

समय–समय पर संशोधित नियमों के मुताबिक इन वर्गों के कर्मचारियों के लाभों और कल्याण पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है।

jktHkk"kk d #i e fgUnh dk mi;kx

22 सितम्बर 2011 को उद्घाटन समारोह के साथ हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें कविता पाठ

प्रतियोगता, निबन्ध प्रतियोगिता तथा अंताक्षरी का आयोजन किया गया जिसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। श्रीमती अर्चना गौतम, हिन्दी अधिकारी, एफ.टी.आई.आई. समारोह की मुख्य अतिथि थीं। श्रीमती सीमा देशपाण्डे, सहायक निदेशक, सी.डी.ए., दक्षिणी कमान ने 23.09.2011 को एक कार्यशाला का नेतृत्व किया जिसमें कार्यालय के कार्य को हिन्दी में प्रभावकारी ढंग से करने के बारे में बताया गया। 27.09.2011 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। कामेडी फिल्म ''चिल्लर पार्टी'' की स्क्रीनिंग सभी कर्मचारियों के लिए एन.एफ.ए.आई. सभागार में की गई।

foHkkxh; ys[kk

एन.एफ.ए.आई. 1976 में लागू विभागीय लेखा प्रणाली का अनुसरण करता है। इस व्यवस्था के तहत एन.एफ.ए.आई. के वेतन तथा लेखा पी.ए.ओ., फिल्म प्रभाग, मुम्बई द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। विभागीय प्रमुख होने के नाते एन.एफ.ए.आई. के निदेशक को डी.डी.ओ. मनोनीत किया गया है और उन्होंने अपने ये अधिकार अभिलेखागार के प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दिए हैं।

yfcr ys[kk vkifÙk;k

दो लेखा आपत्तियों के उत्तर वेतन एवं लेखा कार्यालय, आन्तरिक लेखा संगठन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मुम्बई को भेज दिया गए हैं। लंबित लेखा आपत्तियों के निराकरण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

lpukf/kdkj vf/kfu;e&2005

एन.एफ.ए.आई. ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचनाधिकार अधिनियम–2005 को लागू किया है। 1 अप्रैल, 2011 से 31 अक्टूबर, 2011 की अवधि के दौरान 31 प्रार्थनापत्र प्राप्त किए गए तथा नियमानुसार आवेदकों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई गई। किसी आवेदक की ओर से कोई भी अपील आवदेन नहीं प्राप्त हुआ। संस्था के कार्य–कलापों में इस अधिनियम से पारदर्शिता आई।

f'kdk;r izdks"B

एन.एफ.ए.आई. के मुखिया होने के नाते, निदेशक को षिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। सरकार के तय नियमों के अनुसार सभी षिकायतों का निवारण किया गया।

ukxfjd ?kks"k.kk i=

एन.एफ.ए.आई. की वेबसाइट *www.nfaipune.gov.in* शिकायत पर नागरिक घोषणा पत्र उपलब्ध है जिस पर आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसे समय–समय पर अपडेट किया जाता है।

dk;l ;kstuk dk dk;kUo;u

202 फिल्मों का डिजीटल फार्मेट तैयार किया गया और 122 फिल्मों का जीर्णोद्धार रिपोर्ट अवधि में पूरा किया गया।

lykgdkj lfefr

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 22.07.2008 को एन.एफ.ए.आई. के लिए सलाहकार समिति को पुर्नगठित किया गया। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में 6 सरकारी और 6 गैर सरकारी सदस्य हैं। चौथी बैठक 26 मई 2011 को एन.एफ.ए.आई., पुणे में आयोजित हुई।

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अगस्त 2009 में महान कलाकारों की फिल्मों के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता देने तथा एन.एफ.ए.आई. के लिए मैनुएल का मसौदा तैयार करने के वास्ते उपसमितियों का तथा फिल्मों के डिजिटलीकरण के लिए तकनीकी समिति का गठन किया। रिपोर्ट अवधि के दौरान इन समितियों की अनेक बैठक हो चुकी हैं।

vk/kfudhdj.k] dEI;Vjhdj.k rFkk bl&xousal

एन.एफ.ए.आई. एक सांस्कृतिक और अनुसंधान संगठन है तथा इसका प्रमुख कार्य भारतीय सिनेमा की विरासत को प्राप्त कर उसे सहेजना है। यह देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के एक केन्द्र के रुप में भी कार्य करता है। देश–विदेश के विभिन्न हिस्सों से सामान्य जनता, सिने कला के प्रति गंभीर छात्र तथा अनुसंधानकर्ता इसकी वेबसाइट के माध्यम से अभिलेखागार के संग्रह तथा सेवाओं का बेहतर लाभ उठाते हैं। फिल्म सर्कल तथा वितरण लाइब्रेरी सदस्यता के लिए आवेदन फार्मेट वेबसाइट पर उपलब्ध है। जनता के प्रश्नों का जवाब अधिकतर ई–मेल (*nfaipune@gmail.com*) के माध्यम से दिया

जाता है। एन.एफ.ए.आई. में इंटरनेट, फैक्स और स्कैनिंग सुविध उपलब्ध है।

I rdlrk xfrfof/k;k

वर्ष के दौरान सतर्कता गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

1- e[;ky; vkj {k=h; dk;ky;k e lxBu d lrdrk lV&vi dk C;kjk इस कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है और विभाग के प्रमुख के रूप में निदेशक को ही मुख्य सतर्कता अधिकारी मनोनीत किया गया है।

2- vof/k d nkjku lrdrk fuokjd xfrfof/k;k %

(i) अवधि के दौरान किए गए नियमित निरीक्षण – 9

(ii) अवधि के दौरान किए गए औचक निरीक्षण – 8

3- vof/k d nkjku fuxjkuh vkj lijk feyuk %

(i) निगरानी रखने के लिए चयनित क्षेत्रों का विवरण : सुरक्षा और फिल्मों की कॉपी करना।

(ii) निगरानी में रखने के लिए पहचाने गए व्यक्तियों की संख्याः शून्य

4. दण्डात्मक कार्रवाइयां (जिन मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा हों):

1. अवधि के दौरान मिली शिकायतें/संदर्भ – शून्य
2. प्राथमिक जांच वाले मामलों की संख्या – शून्य
3. प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या – शून्य
4. मेजर पैनाल्टी की चार्ज शीट दिए जाने वाले मामलों की संख्या – शून्य
5. मायनर पैनाल्टी की चार्ज शीट दिए जाने वाले मामलों की संख्या – शून्य
6. मेजर पैनाल्टी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या – शून्य
7. मायनर पैनाल्टी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या – शून्य
8. निलंबित किए गए कर्मचारियों की संख्या – शून्य
9. चेतावनी दिए जाने आदि प्रशासनिक कार्रवाईयां किए गए कर्मचारियों की संख्या – शून्य
10. ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हे विभिन्न नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त किया – शून्य

रिपोर्ट अवधि के दौरान अभिलेखागार में शामिल की गईं कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के शीर्षक/प्रिंट

गुल बकावली	रमन्ना/तमिल/1955
सत्यवान सावित्री–एकेऐ सती सावित्री	काडारु नागभूशण/तमिल/1957
कुटुम्ब गौरवम	बी.एस. रन्गा/तमिल/1957
थ्याल सोलाई थट्टाथे	एम.ए. थिरुमंगलम/तमिल/1961
अन्बू वाझी	एम. नतीसन/तमिल/1968
अयराम पोइल	वी श्रीनिवासन/तमिल/1969
जीवानिधि	ए.के. सुब्रमण्यम/तमिल/1970
अन्बुक्कू ओरु अन्नान	एन. एस. मणियन/तमिल/1971
एर्नाकुलम जंक्षन	विजय नारायणन/मलयालम/1971
राथिरी वन्डी	विजय नारायणन/मलयालम/1971
जोधा अकबर	ए. गोवारीकर/हिन्दी/2008
बेट्टाडा जीवा	पी. शेषाद्रि/कन्नड/2010
अमि आडू	सोमनाथ गुप्ता/बंगाली/2010
थेन्मेरकू परुवाकटरुड	एस. रामास्वामी/तमिल/2010
जे तूका पत्थर डारे	जादूमणि/असमिया/2010
चैम्पियन्स	रमेश मोरे/मराठी/2010
दबंग	अभिनव एस. कश्यप/हिन्दी/2010
दो दूनी चार	हबीब फैसल/हिन्दी/2010
मी सिन्धुताई सपकल	अनन्त महादेवन/मराठी/2010
इष्किया	ए. चौबे/हिन्दी/2010
चित्रा सूत्रम	विपिन विजय/मलयालम/2010

fjiksVZ vof/k esa vfHkys[kkxkj esa 'kkfey dh xbZ ,Q-Vh-vkbZ-vkbZ- fMIyksek fQYesa ¼jk"Vªh; iqjLdkj rFkk iqukjek fQYesa½

द चाबी वाली पॉकेट वॉच	वैभव पुरी/हिन्दी/2005
पारसी वाडा, तारापोर–प्रेजेन्ट डे	कासवान उमरीगर/हिन्दी/2005
गधा जनम सफल	विक्रम श्रीवास्तव/हिन्दी/2005
द लॉस्ट रेनबो	धीरज मेश्राम/हिन्दी/2006
इकोज ऑफ साइलेन्स	जुबीन गर्ग/हिन्दी/2007
वेन दिस मैन डाइज	अरुण सुकुमार/हिन्दी/2007
स्वयंभू सेन फोरेसेस हिज एण्ड्स	देबाशीस मेधेकर/हिन्दी/2007
धिन ताक धा	श्रद्धा पासी/हिन्दी/2007
स्टेशन्स	इमैनल पालो/हिन्दी/2007
नरमीन	विपिन मिश्र/हिन्दी/2007
थ्री ऑफ अस	उमेश कुलकर्णी/हिन्दी/2007
ए रुट कॉल्ड 13	विक्रम चौहान/हिन्दी/2007
एकती काकतालियो गोल्पो	तथागत सिन्हा/हिन्दी/20088

vuqca/k&[k

31 fnlEcj 2011 dk vfHkys[kh; ifjlEifÙk;ksa dk fooj.k

vfHkys[kh; ifjlEifÙk;ksa dk izdkj	31-03-2011 dh fLFkfr	1-4-2011 ls 31-12-2011 rd	31-12-2011 dh fLFkfr
फिल्म	18,193	41	18,234
वीडियो कैसेट	2,798	-	2,798
डी वी डी	1,766	121	1,887
पुस्तकें	27,429	114	27,543
पटकथाएं	36,651	-	36,651
पूर्व रिकार्डेड ऑडियो कैसेट	1,098	-	1,098
स्टिल्स	1,36,938	1,189	1,38,127
वॉल पोस्टर	20,010	826	20,836
गीत पुस्तिकाएं	12,840	300	13,140
ऑडियो टेप (मौखिक इतिहास)	191	-	-
पत्र कतरनें	2,05,619	-	2,05,619
पॅम्पलेट्स/फोल्डर	8,607	75	8,682
स्लाइडें	8,576	-	8576
डिस्क रिकार्ड	3,214	-	3,214
ऑडियो कॉम्पैक्ट सी डी	155	-	155
फिल्मी हस्तियों पर दृष्य श्रव्य इतिहास	18	-	18
अनुषंगी फिल्म सामग्री का डिजिटलीकरण	3,70,220	-	3,70,220

vuqca/k&x

;kstuk fu"iknu 2011&2012

(लाख ₹ में)

dk;Øe@Ldhe	ctV vuqeku 2011-12	la'kksf/kr vuqeku 2011-12	okLrfod [kpZ 30 uoEcj 2011
जारी स्कीम अभिलेखागार फिल्मों का अर्जन और प्रदर्शन	2000.00	2500.00	1593.97
;ksx	**2000.00**	**2500.00**	**1593.97**

vuqca/k&?k

,u-,Q-,-vkb- dh lHkh egRoi.k xfrfof/k;k dk vkdM			
		jhyk dh l[;k 16,e,e	 35,e,e
1.	फिल्मों की विस्तृत जाँच	-	295
2.	फिल्मों की रुटीन जाँच	91	14,221
fQYe lLdfr dk ilkj			
1.	वितरण लाइब्रेरी सदस्य	40	
2.	वितरण लाइब्रेरी सदस्यों को आपूर्ति की गई फिल्मों की संख्या	22	
3.	विषेष अवसरों के लिए आपूर्ति की गई फिल्मों की संख्या	87	
4.	संयुक्त स्क्रीनिंग	13	
5.	विशेष फिल्म अधिमूल्यन पाठ्यकमों के लिए आपूर्ति	98	
6.	वीडियो कापीइंग के लिए निर्माताओं/कॉपीराइट मालिकों को आपूर्ति की गई फिल्मों की संख्या	10	
7.	शोधकर्त्ताओं को प्रदान की गई देखने की सुविधा	15	
8.	एफ.टी.आई.आई. को अकादमिक स्क्रीनिंग	89	
9.	एन.एफ.ए.आई. में दिखाई गई फिल्मों की संख्या	101	
10.	पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग करने वाल पाठकों की संख्या	788	
11.	डॉक्यूमेन्टेशन अनुभाग की सेवाओं का उपयोग करने वाले शोधकर्त्ताओं की संख्या	1235	

fQYe lekjkg fun'kky;

(www.dff.nic.in)

फिल्म समारोह निदेशालय (डी.एफ.एफ.) की स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत 1973 में भारतीय फिल्म कला को प्रोत्साहन देने और सांस्कृतिक आदान–प्रदान के उद्देश्य के साथ हुई थी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डीएफएफ की गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

(1) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ।

(2) दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करना।

(3) सांस्कृतिक आदान–प्रदान की गतिविधियों में हिस्सा लेना और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन करना।

(4) भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन।

(5) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेना।

(6) विशेष फिल्म चर्चाओं का आयोजन कराना, जैसे,

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की फीचर फिल्म, गैर–फीचर फिल्म और सिनेमा के लिए श्रेष्ठ लेखन मूल्यांकन समितियों के प्रमुख श्री जे पी दत्ता से समितियों की सिफारिशों को ग्रहण करते हुए

पुनरावलोकन, भारतीय पैनोरमा फिल्मों के प्रदर्शन और पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मों के प्रदर्शन।

राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित और भारतीय पैनोरमा फिल्मों का गैर–वाणिज्यिक प्रदर्शन करने के लिए उनके प्रिंट्स का संग्रह, संरक्षण और रिकार्ड रखना।

ये गतिविधियां सौंदर्यबोध और तकनीकी उत्कृष्टता एवं सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का अनूठा अवसर प्रदान करके देश के विविध क्षेत्रों की संस्कृतियों को सिनेमा के जरिए समझने और अखंडता को भी बढ़ावा देती है। ये फिल्में भारत और अन्य देशों को सिनेमा के क्षेत्र में विचार, संस्कृति और अनुभवों को बांटने का महान अवसर उपलब्ध कराती है। ये गतिविधियां भारतीय सिनेमा उद्योग को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराती हैं, उनके लिए व्यवसायिक अवसरों के द्वार खोलती हैं और फिल्म उद्योग, छात्रों और आम जनता की अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के ताजा–तरीन रुझानों तक पहुँच कराती है।

jk"Vªh; fQYe iqjLdkj

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (एन.एफ.ए.) का उद्देश्य देश में सौंदर्यपरकता तथा तकनीकी रुप से उत्कृष्ट फिल्मों, जो सामाजिक रुप से भी प्रासंगिक है, के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार फिल्म उद्योग में उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते है। भारतीय सिनेमा के उच्चतम सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित भव्य समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

58 आयोजनों के बाद भी राष्ट्रीय पुरस्कारों ने सिनेमाई उत्कृष्टता की पहचान जारी रखी है। इन पुरस्कारों के जरिए पिछले कई वर्षों से भारतीय सिनेमा में विद्यमान उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने का कार्य किया गया है। 50 वर्षों से अधिक के अपने इतिहास में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने काफी बड़ी संख्या में ऐसी प्रतिभाओं को पोषित किया

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल 58वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का द्वितीय पुरस्कार पाने वाले श्री विशाल भारद्वाज को (इश्किया फिल्म के लिए) रजत कमल प्रदान करते हुए। इस मौके पर सू.प्र. राज्य मंत्री श्री चौधरी मोहन जातुया भी फोटो में हैं।

है जो अब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम कर चुकी हैं।

58o! jk"Vªh; fQYe iqjLdkj

माननीया महामहिम राष्ट्रपति ने 22 अक्टूबर, 2010 को विज्ञान भवन में 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए वर्ष 2010 में पूरे देश से 15 भाषाओं की रिकार्ड संख्या में 161 फीचर फिल्में तथा 13 भाषाओं में 113 गैर फीचर फिल्में शामिल हुईं। पुरस्कार विजेताओं में देश की विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों के लोग शामिल थे।

फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो कि स्वर्णकमल के नाम जाना जाता है, सलीम अहमद द्वारा निर्देशित मलयालम फीचर फिल्म ''एडामिन्टे मकान अबू'' को प्रदान किया गया। गैर–फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान स्नेहल नायक द्वारा निर्देशित हिन्दी फिल्म ''जर्म '' को प्रदान किया गया।

सिनेमा में उत्कृष्ट लेखन के लिए स्वर्णकमल सुश्री विजया मुले द्वारा लिखित पुस्तक ''फ्रॅाम राजास एण्ड योगीज टू गांधी एण्ड बियान्डः इमेजस ऑफ इण्डिया इन इन्टरनेशनल फिल्म ऑफ द टवेन्टिएथ सेन्चुरी'' (अंग्रेजी) को प्रदान किया गया।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तमिल फिल्म 'आदुकलम' में अभिनय के लिए धनुष तथा 'एडामिन्टे मकान अबू' में अभिनय के लिए सलीम कुमार को संयुक्त रुप से दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मराठी फिल्म 'बाबू बैण्ड बाजा' में अभिनय के लिए मिताली जगताप वर्दाकर तथा तमिल फिल्म ''थेन्मरेक्कू परुवाकाटरु'' में अभिनय के लिए सरन्या पोन्वानन को संयुक्त रुप से दिया गया।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल 58वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (तमिल फिल्मः 'आदुकलाम' के लिए) श्री के. धनुष को रजत कमल प्रदान करते हुए

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी नई दिल्ली में 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान सम्बोधित करते हुए

nknk lkgc QkYd iqjLdkj

भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रख्यात तमिल फिल्म निर्देशक श्री के. बालाचन्दर को वर्ष 2010 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

n’k&fon’k e fQYe egkRlok e Hkkxhnkjh

डी.एफ.एफ. ने दिसम्बर, 2011 तक ''फिल्म महोत्सवों में भागीदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम'' योजना के तहत देश–विदेश दोनों जगह आयोजित महोत्सवों सहित 45 समारोहों में भागीदारी की जबकि वर्ष 2011–12 के लिए परिणाम प्रारुप दस्तावेज (आर एफ डी) में 50 महोत्सवों में भागीदारी का लक्ष्य रखा गया था। इनमें निम्न में भागीदारी शामिल है :–

14वां शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, सार्क फिल्म समारोह, कोलम्बो, पोलैण्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंण्ड, ब्राजील तथा फ्रांस में आयोजित अन्य फिल्म समारोहों में भागीदारी की। डी.एफ.एफ. ने विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से भी महोत्सवों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त डी. एफ.एफ. ने देश के भीतर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्क्रीनिंग तथा अन्य पुनरावलोकनों का आयोजन किया।

कोलम्बो में 11–15 मई, 2011 तक आयोजित सार्क फिल्म समारोह में भागीदारी के लिए भारतीय पैनोरमा फिल्म ''आमि आडु'' को डी.एफ.एफ. द्वारा नामांकित किया गया। इस फिल्म ने ''सार्क सर्वोत्तम फीचर फिल्म'' प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।

en.k bdkb dk mUu;u

डी.एफ.एफ. की केन्द्रीय इकाई फिल्म मुद्रण शाखा में 35 एमएम फार्मेट में करीब 1200 फिल्में है। इनमें से अधिकांश फिल्में भारतीय पैनोरमा खण्ड की है, जिन्हें डी.एफ.एफ. ने कई बरस पहले हासिल किया था। ये फिल्में सांस्कृतिक आदान–प्रदान के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनेक देशों में

विभिन्न भारतीय फिल्म प्रदर्शनों या फिर डी.एफ.एफ. या विदेषों में भारतीय दूतावास या आईसीसीआर के माध्यम से आयोजित प्रदर्शन के दौरान दिखाई गई है। पिछले कुछ वर्षों से, इसने वीडियों डिजीटल फार्मेट वाली फिल्मों को भी संभालना शुरु किया है। मुद्रण इकाई के आधुनिकीकरण के तहत, इसकी भंडारण सुविधा नवनिर्मित परिसर–ए विंग, सीरी फोर्ट परिसर की शाखा में भेज दी गई है। भंडारण और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए, इस इकाई को आधुनिक बनाने की पेशकश की गई थी। सीरी फोर्ट में मरम्मत कार्य के तहत, दुर्लभ फिल्मों के प्रिंट्स के संरक्षण और भंडारण के लिए दो कमरे उपलब्ध कराए गए हैं।

oc lkbV dk mUu;u

उपयोग करने वालों के लिए और अधिक सुलभ तथा सरल बनाने की दृष्टि से फिल्म समारोह निदेशालय की सरकारी वेबसाइट का और अधिक उन्नयन किया गया है। नई वेबसाइट उपयोग में बेहतर और ज्यादा जानकारी वाली है ।

Hkkjrh; vrjk"Vh; fQYe lekjkg

42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आई एफ एफ आई) का आयोजन गोवा में 23 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 2011 तक किया गया। 2004 में पहली बार गोवा में आयोजित इस समारोह की श्रृंखला में गोवा में यह 8वां समारोह था।

गोवा राज्य सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आई.एफ.एफ. आई.) भारतीय उपमहाद्वीप में आयोजित होने वाला सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा फिल्म समारोह है। सिनेमा के जरिए विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृति को समझने के प्रयास का एक रुप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है। एशिया के कलात्मक केन्द्रों से लेकर विश्व के सिनेमाई कार्यक्षेत्र तक समारोह की नींव में सभी विधाओं के फिल्म निर्माण की खोज, संवर्धन तथा सहयेाग निहित है। आई. एफ.एफ.आई ऐसा मंच है जहां विश्व के महानतम फिल्म कलाकार तथा उभरती प्रतिभाएं समान स्तर पर साथ–साथ

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री चौधरी मोहन जातुया 2010 के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन का दीप जलाकर शुभारंभ करते हुए

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर गणमान्य अतिथि

एकत्र होते हैं। यह ऐसा मंच भी है जो पूरे विश्व में फैले फिल्मों के चाहने वालों की फिल्मों तक पहुंच संभव बनाता है। इस प्रकार आई.एफ.एफ.आई का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करना, विश्व के सम्मुख इसे प्रस्तुत करना तथा उन सभी दर्शकों तक इसे पहुँचाना है जो इस विशाल तथा विभिन्नतायुक्त देश में एक साथ निवास करते हैं।

आई.एफ.एफ.आई. का उन्नयन करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने कई सिफारिशें प्रस्तुत की। समारोह के लिए अलग से एक निदेशक का नामाँकन किया गया तथा एक निर्देशन समिति का भी गठन किया गया जिसमें नामी फिल्मी हस्तियां, विशेषज्ञ तथा सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने समारोह के संचालन का निर्देश किया।

lekjkg dk vkd"k.k

- प्रख्यात चित्रकार तथा निर्माता डिजाइनर श्री थोट्टा धरणी ने इस वर्ष मोर के 'लोगो' का फेसलिफ्ट कर उसे एक नया स्वरुप दिया। फिल्म निर्माता शाजी एन. करुन के देखरेख में एक स्थायी आई.एफ.एफ.आई. लोगो को 2डी के साथ–साथ 3डी में निर्मित किया गया।
- इस वर्ष आई.एफ.एफ.आई. आजीवन योगदान पुरस्कार को पुर्नजीवित किया गया। इस पुरस्कार में दस लाख रुपए नकद, एक पशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र तथा स्क्रॉल शामिल है। इस वर्ष यह पुरस्कार फ्रांसीसी फिल्म निर्माता श्री बर्ट्रेंड तावेर्नियर को दिया गया जिन्होंने समारोह के उद्घाटन सत्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया।
- आइनॉक्स तथा कला अकादमी में डिजीटल स्क्रीनिंग सुविधा प्रारम्भ करने के साथ इस वर्ष आई.एफ.एफ.आई. ने तकनीकी दक्षता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। डिजीटल प्रोजेक्सन की किस्म काफी बेहतर थी तथा दर्शकों एवं विदेशी प्रतिनिधियों ने इसकी काफी सराहना की।
- कैम्पल फुटबाल ग्राउन्ड में 'सिनेमा में फुटबाल' पैकेज के तहत विशेष पब्लिक स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया जहां विभिन्न देशो से सात फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई।
- आई.एफ.एफ.आई. के विशेष आकर्षणों में इस वर्ष दो नए दर्शनीय अनुभव एनीमेशन तथा 3 डी फिल्में थे। 3 डी श्रेणी के तहत पांच फिल्मों की स्क्रीनिंग कला अकादमी में की गई। 'स्केच्स ऑन स्क्रीन' खण्ड के तहत छः एनीमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग इस समारोह में की गई।
- समारोह में 129 प्रमुख भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सर्किट में अपनी पहचान बना चुकी है। इनमें वे फिल्में शामिल हैं जो कान्स, बर्लिन, टोरन्टो, वेनिस तथा बूसान फिल्म समारोहों में प्रमुख पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है।
- 42वें समारोह में आई.एफ.एफ.आई. ने सात मास्टर क्लास का आयोजन किया। मास्टर श्रेणी श्रृंखला के प्रमुख बिन्दु में दो ऑस्कर विजेता–भारत से रसूल पोककुट्टी (ध्वनि डिजाइनर) तथा पोलैण्ड से हूज वेल्समैन (एनीमेशन फिल्म निर्माता) शामिल थे।
- समारोह के दौरान 3 डी एवं एनीमेशन उद्योग के भागीदारों के साथ एक तीन दिवसीय 3डी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में छात्र समुदाय की व्यापक सहभागिता शामिल थी।
- पहली बार पर्यटन मंत्रालय का अभियान 'अतुल्य भारत' आई.एफ.एफ.आई. का भाग बना तथा पर्यटन मंत्रालय आई.एफ.एफ.आई. का प्रमुख सह–प्रायोजक बना।

mn?kkVu

भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन 23 नवम्बर, 2011 को उत्सव, चमक–धमक तथा खुशनुमा माहौल में बेहतर सिनेमा की अपेक्षाओं के साथ हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी तथा गोवा के मुख्यमंत्री श्री दिगम्बर कामत के साथ साथ मुख्य अतिथि के रुप में शाहरुख खान तथा अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। उद्घाटन समारोह के दौरान फ्रांसीसी फिल्मकार श्री बर्ट्रेंड तावेर्नियर को आजीवन योगदान पुरस्कार प्रदान किया गया।

समारोह का शुभारम्भ फ्रांसिस्को मान्सो तथा जोआओ कोरिया द्वारा निर्देशित फिल्म "द कौंसुल ऑफ बोरडक्स" थी जिसमें आर्टिस्टाइड डे साउसा मेन्डेस की कहानी को दर्शाया गया था जो एक सजायाफ्ता व्यक्ति है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 30,000 लोगों की जान बचाई थी।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के सदस्य

vrjk"Vh; tjh

अंतर्राष्ट्रीय जूरी के प्रमुख जाने माने भारतीय फिल्म निर्माता अडूर गोपालकृष्णन थे। जूरी के अन्य सदस्यों में शामिल थे– ली योंग क्वान (निर्देशक, बूसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कोरिया), तहमीना मिलानी (फिल्म निर्माता, ईरान), लॉरेन्स कार्डिस (वरिष्ठ क्यूरेटर, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आई, न्यूयार्क, अमेरिका) तथा डॉन वोलमैन (फिल्म निर्माता, इजराइल)।

fo'o flusek

67 देशों की 162 फिल्मों ने समारोह के विश्व सिनेमा खण्ड में भागीदारी की। इस खण्ड में दो विश्व प्रीमियर भी आयोजित किए गए। लगभग 190 विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों ने समारोह में भागीदारी की। विश्व सिनेमा की ज्यादातर फिल्में दर्षकों द्वारा सराही गई। विश्व सिनेमा कार्यक्रम में निम्न खण्ड शामिल थे :

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा
2. विश्व सिनेमा
3. पुनरावलोकन–लुक बुसान
4. पुनरावलोकन–फिल नोयस
5. ए कट एबव
6. समारोह का केलाइडोस्कोप
7. यूरो डिस्कवरी
8. पोलैण्ड पर स्पॉटलाइट
9. वृत्तचित्र (विदशी फिल्में)
10. 3डी सिनेमा
11. एनीमशन : स्क्रीन पर स्केच
12. कन्ट्री फोकस : अमेरिका
13. सिनेमा में फुटबाल
14. रुसी क्लासिक
15. श्रृद्धांजलियाँ

Hkkjrh; flusek

भारतीय सिनेमा खण्ड के तहत कुल 90 फिल्मों (फीचर तथा गैर फीचर दोनों) की स्क्रीनिंग की गई। इनमें शामिल थे– भारतीय पैनोरमा, के. बालाचन्दर का पुनरावलोकन, टैगोर की

क्लासिक कथाओं पर फिल्में, छात्रों की फिल्में, निर्देशको की पहली भारतीय लघु फिल्में, अतुल्य भारत, श्रद्धांजलियाँ तथा युवा आँखों के जरिए।

भारतीय पैनोरमा में भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाओं की कुल 45 फिल्में (फीचर तथा गैर–फीचर फिल्में) की स्क्रीनिंग की गई। जानी मानी फिल्म निर्देशिका सई परांजपे की अध यक्षता में फीचर फिल्मों की 10 सदस्यीय जूरी ने 118 प्रविष्टियों में से फिल्मों का चयन किया। लेखक निर्देशक अशोक राणे की अध्यक्षता में बनी गैर–फीचर फिल्मों की श्रेणी में से 250 प्रविष्टियों में से फिल्मों का चयन किया गया।

भारतीय सिनेमा खण्ड में ज्यादातर फिल्में मलयालम में थीं। उद्घाटन फिल्म 'ऊर्मि' थी। इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वोत्तम फीचर फिल्म 'एदामिन्ते मकान आबू' जो कि इस वर्ष ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी है, सहित 7 मलयालम फिल्मों को सीधी प्रविष्टि के लिए स्क्रीन किया गया। वार्षिक समारोह में स्क्रीन 24 फीचर फिल्मों में तीन बंगाली और एक–एक मराठी तथा हिन्दी फिल्म को प्रदर्शित किया गया। कोंकणी, तेलुगु, मणिपुरी, तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़, असमिया तथा भोजपुरी में प्रत्येक में एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

Hkkjr d 42o vrjk"Vh; fQYe lekjkg e iqjLdkj fotrk

loJ"B fQYe – (पोरफिरियो कोलम्बिया) –निर्देशक अलेजान्द्रो लेन्डस तथा निर्माता फ्रांसिसो अलजुरे

loJ"B funs'kd – असगर फरहदी (ईरान) को 'नादेर एण्ड सिमिन, ए सेपरेशन' फिल्म के लिए

loJ"B vfHkusrk – सासोन गबई (इजराइल) को 'रेस्टोरेशन' फिल्म के लिए

loJ"B vfHkus=h – नादेज़ा मार्कीना (रुस) को फिल्म 'एलीना' के लिए

fo'ks"k tjh iqjLdkj – 'एदामिन्ते महान आबू' (भारत) – निर्देशक सलीम अहमद

lekiu

समापन समारोह 3 दिसम्बर, 2011 को आयोजित हुआ। समारोह का आकर्षण पुरस्कारों की घोषणा तथा प्रस्तुति थी। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री चौधरी मोहन जातुया, गोवा के मुख्यमंत्री दिगम्बर कामत थे। मशहूर तमिल अभिनेता सूर्या समारोह के मुख्य अतिथि थे।

समारोह का समापन जानेमाने फ्रांसीसी निर्देशक लुक बुसान के निर्देशन में बनी अंग्रेजी फिल्म 'द लेडी' की स्क्रीनिंग से सम्पन्न हुआ। इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं मिशेल योह तथा डेविड थेवलिस ने अदा की।

dsUnzh; fQYe iek.ku ckMZ ¼lhch,Qlh½

(www.cbfcindia.gov.in)

फिल्म निर्माण और प्रदर्शन का संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है क्योंकि कला जगत में फिल्मों को काफी महत्व मिलता है। फिल्में जनमत तैयार करने और विभिन्न क्षेत्रों की परंपराओं तथा संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। देश में फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में है।

हमारा संविधान मूलभूत अधिकार के रुप में बोलने तथा अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी प्रदान करता है लेकिन कुछ सशर्त उचित पाबंदियों के साथ। ये पाबंदियां भारत की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेश से दोस्ताना संबंधों, नागरिक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता, अदालत की अवमानना, किसी भी अपराध के लिए मानहानि अथवा उकसावे से संबंधित हैं। संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड के मार्गदर्शन हेतु बुनियादी सिद्धांतों को सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की उपयुक्तता तय करने के लिए विस्तृत सिद्धांत केन्द्र सरकार ने अधिनियम धारा 5बी (2) के तहत दिशा निर्देश जारी किए है।

फिल्म सेंसर बोर्ड, जिसे एक जून, 1983 से फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नाम दिया गया, को केन्द्र सरकार द्वारा सिनेमाटोग्राफ अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित किया गया। इसका उद्देश्य फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति प्रदान करना था। वर्तमान में बोर्ड के एक अध्यक्ष तथा 25 गैर–सरकारी सदस्य है। सभी की नियुक्ति केन्द्र सरकार करती है। वर्तमान बोर्ड को 25 मई 2011 को मनोनीत किया गया।

बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय

गोवा के मुख्य सचिव श्री संजय श्रीवास्तव भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में श्री सलीम अहमद को 'अदमिंते महन अबू' फिल्म के लिए विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्रदान करते हुए

मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में है। क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख क्षेत्रीय अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं जिनकी सहायता सलाहकार पैनल करते हैं। बोर्ड तथा सलाहकार पैनल के सदस्य समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, गृहिणियां, फिल्मी हस्तियां, डॉक्टर, पत्रकार आदि होते हैं।

अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों को ''यू'' प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। ऐसे फिल्में जो सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त हैं मगर उनमें कुछ ऐसी है जो 12 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को उनके अभिभावकों की देखरेख में ही उन्हें दिखाई जा सकती है, ''यूए'' प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो फिल्में अवयस्कों के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, उन्हें ''ए'' प्रमाणपत्र दिया जाता है। ऐसी फिल्में जो सामान्य जनता के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती लेकिन कुछ खास दर्शकों जैसे डॉक्टरों के लिए हैं, तो उन्हें ''एस'' प्रमाणपत्र दिया जाता है। जिन फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के योग्य नहीं पाया जाता, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता।

iek.ku lc/kh dk;l

अप्रैल से नवम्बर, 2011 की अवधि के दौरान बोर्ड ने कुल 9021 प्रमाणपत्र जारी किए। इनमें से 2446 प्रमाणपत्र सेल्युलॉइड फिल्मों तथा 6434 प्रमाणपत्र वीडियो फिल्मों के लिए जारी किए गए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 814 भारतीय फीचर फिल्मों (सेल्युलॉइड) और 149 विदेशी फीचर फिल्मों, 1 भारतीय तथा 7 विदेशी गैर–फीचर फिल्मों को प्रमाणित किया गया। 1286 भारतीय लघु और 189 विदेशी लघु (सेलुलॉइड) फिल्में भी प्रमाणित की गई। प्रमाणपत्र–वार तथा श्रेणी–वार प्रमाणित फिल्मों का विवरण अनुलग्नक–1] क्षेत्र–वार/भाषावार वितरण तथा विषय'–वार वर्गीकरण अनुलग्नक–2, 3, 4 तथा 5 में दिया गया है।

दूरदर्शन और सैटेलाइट चैनलों पर प्रसारण करने के उद्देश्य के प्रमाणपत्रों को 'ए' अथवा 'यू ए' से 'यू' वर्ग में बदलने के

लिए बोर्ड को आवेदन पत्र पर मिलना जारी है। वीडियो फार्मेट में पुनः सम्पादित संस्करण को देखने के बाद बोर्ड द्वारा वर्ग परिवर्तन की उपयुक्तता का निर्णय लिया जाता है। बोर्ड दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फिल्म गीतों और ट्रेलरों को वीडियो फॉर्मेट में प्रमाणित भी करता है।

lY;ykbM

भारत विश्व में सर्वाधिक फिल्म बनाने वाले देशों में एक बना हुआ है। 1999 से लेकर अब तक बनने वाली फिल्मों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। 1999 में प्रमाणित फिल्मों की संख्या 764 थी और 2000 में 855, 2001 में 1013, 2002 में 943, 2003 में 877, 2004 में 934, 2005 में 1041, 2006 में 1091, 2007 में 1146, 2008 में 1325 और 2009 में 1288 थी। अप्रैल से नवम्बर, 2011 के दौरान यह संख्या 814 थी।

अप्रैल से नवम्बर, 2011 के दौरान प्रमाणित कुल 814 भारतीय फिल्मों में से 368 को 'यू' प्रमाणपत्र, 289 को 'यूए' तथा 157 को 'ए' प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इसी प्रकार 149 विदेशी फिल्मों में से 23 को 'यू' प्रमाणपत्र 75 को 'यूए' तथा 51 को 'ए' प्रमाणपत्र दिया गया।

सू.प्र. राज्य मंत्री श्री चौधरी मोहन जातुया भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान फिल्म 'रेस्टोरेशन' के लिए श्री सैसोन गैबी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार का पुरस्कार प्रदान करते हुए

अप्रैल से नवम्बर, 2011 के दौरान बोर्ड ने 1286 भारतीय लघु फिल्मों को प्रमाणित किया उनमें से 1095 को 'यू', 149 को 'यूए' तथा 42 को 'ए' प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। विदेशी लघु फिल्मों में कुल 189 में से 91 को 'यू', 88 को 'यूए' तथा 10 को 'ए' प्रमाणपत्र मिले।

ohfM;k

अप्रैल से नवम्बर, 2011 के दौरान कुल 6434 वीडियो फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी किए गए। इनमें से 574 भारतीय फीचर फिल्में, 1161 विदेशी फीचर फिल्में, 4149 भारतीय लघु फिल्में, 348 विदेशी लघु फिल्में, 178 भारतीय तथा 24 विदेशी दीर्घ फिल्में (गैर–फीचर) वर्ग की थीं।

fMthVy

अक्टूबर तथा नवम्बर, 2011 माह में कुल 141 प्रमाणपत्र डिजीटल फिल्मों को जारी किए गए। इनमें से 13 भारतीय फीचर फिल्में, 103 भारतीय लघु फिल्में, 12 विदेशी फीचर फिल्में तथा 13 विदेशी लघु फिल्मों को प्रमाण पत्र जारी किए गए।

iek.k i= dh vLohdfr

अप्रैल से नवम्बर, 2011 के दौरान कुल 9 सेल्युलाइड फीचर फिल्मों (7 भारतीय और 2 विदेशी) फिल्मों को प्रमाणपत्र नहीं जारी किए गए क्योंकि ये फिल्में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अनुच्छेद 5बी (2) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी वैधानिक निर्देशों में से एक या अधिक निर्देशों का उल्लंघन करती थी। इनमें से कुछ फिल्मों को बाद में उनके संशोधित रुप में प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

ckMl cBd

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों की 126वीं बैठक पांडिचेरी में 10 सितम्बर, 2011 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती लीला सैमसन ने की।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों की 127वीं बैठक हैदराबाद में 6 नवम्बर, 2011 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती लीला सैमसन ने की।

Lkykgdkj iSuy ds fy, dk;Z'kkyk,¡

सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए फिल्मों की सेंसरिंग से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की गई। पिछले साल की तर्ज पर सलाहकार पैनल और निगरानी अधिकारियों के सदस्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। कार्यशालाओं में फिल्मों की जांच से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई और कुछ चुनिंदा फिल्मों के कटे हुए हिस्से दिखाकर फिल्मों के लिए विभिन्न दिशा–निर्देशों को निरूपण किया गया।

egRoi.kZ ?kVuk,¡

- क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ अध्यक्ष की बैठक 15 अप्रैल, 2011 को मुम्बई में हुई।
- सी.बी.एफ.सी. अध्यक्ष के साथ एन.आई.डी. अधिकारियों की बैठक 10.06.2011 को चेन्नई में आयोजित की गई। बैठक में लोगो, होलोग्राम तथा सेंसर प्रमाणपत्र की पुर्नःसंरचना पर चर्चा हुई।
- 14.06.2011 को मुम्बई में एक परिचर्चा सेमिनार ''संवाद सी.बी.एफ.सी–2011'' का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया।
- 6 जुलाई, 2011 को मुम्बई में क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक हुई।
- 18 जुलाई, 2011 को मुम्बई में सी.बी.एफ.सी अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यों की बैठक हुई।
- 28 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डब्ल्यू.एच.ओ. तथा सलाम बाम्बे फाउन्डेशन, मुम्बई के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुम्बई, चेन्नई, बैंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी के क्षेत्रीय अधिकारियों तथा तिरुवनन्तपुरम में अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारियों ने भाग लिया।
- 19 अक्टूबर, 2011 को नई दिल्ली में अध्यक्ष, सी.बी.एफ.

प्रख्यात नृत्यांगना सुश्री लीला सैमसन द्वारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए जाने के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए ।
इस अवसर पर पूर्व सू.प्र. सचिव श्री रघु मेनन भी उपस्थित थे।

सी. तथा सी.ई.ओ की बैठक अध्य़क्ष, एफ.सी.ए.टी. की अध्यक्षता में हुई।

- 24.10.2011 को सी.ई.ओ. तथा क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक अतिरिक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा मुम्बई में आयोजित की गई।
- आन्ध्रप्रदेश फिल्म समुदाय तथा सी.बी.एफ.सी. के अध्यक्ष, सी.ई.ओ तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के मध्य 5.11.2011 को हैदराबाद में परिचर्चा सत्र हुआ।
- माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी की अध्यक्षता में माननीय विधि तथा न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के साथ बैठक हुई। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी, सी.बी.एफ.सी. के सी.ई.ओ. तथा फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि 29.11.2011 को शामिल हुए। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 27.10.2011 की अधिसूचना फिल्मों में 'स्मोकिंग' विषय पर थी, पर चर्चा की गई।

f'kdk;r

जनता से फिल्म प्रमाणन संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें अधिकतर शिकायतें पर्दे पर सेक्स और हिंसा से संबंधित थी। अधिकतर शिकायतें सामान्य प्रकृति की थीं।

lsljf'ki mYya?ku

वर्ष 2011 के दौरान भी फिल्मों के प्रदर्शन के समय उल्लंघन के मामले जारी रहे। बोर्ड और केन्द्र सरकार की जानकारी में आए अधिकतम मामले फिल्मों के बीच अप्रमाणित दृश्य अथवा अन्य सामग्री जोड़ने से संबंधित थे। फिल्म उद्योग के कुछ लोगों द्वारा सेंसरशिप उल्लंघन के मोटे तौर पर पांच तरह के मामले देखे गए :–

–सीबीएफसी द्वारा काटे गए हिस्सों को सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान डालना।

–प्रमाणित फिल्म में बोर्ड को दिखाए न गए हिस्सों को जोड़ना।

–प्रमाणित फिल्मों में 'ब्लू फिल्म' के अंश डालना।

–फर्जी प्रमाणपत्र के साथ अप्रमाणित फिल्म का प्रदर्शन।

–बिना प्रमाणपत्र के फिल्म का प्रदर्शन।

जनवरी से नवम्बर 2011 के दौरान, विभिन्न स्थानों पर फिल्मों के अंदर दूसरी सामग्री डालने के 10 मामले पकड़े गए और इन मामलों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रटों की पुष्टि रिपोर्ट भेजी गई।

flus deZpkjh dY;k.k dks"k vf/kfu;e

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ओर से भारतीय फीचर फिल्मों पर लगने वाले सिने कर्मचारी कल्याण उपकर का संग्रह करना जारी रखा। उपकर की दर हिन्दी तथा अंग्रेजी फिल्मों के लिए ₹ 20,000 तथा अन्य क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए ₹ 10,000 है। सीबीएफसी ने इस मद में ₹ 2,23,20,000/– जमा किए।

भारतीय भाषाओं में डब होने वाली आयातित फिल्मों पर भी उपकर (मंत्रालय की अधिसूचना दिनाँक 18.07.2007 से लागू) लगाया जा रहा है।

izek.ku 'kqYd

इस मद में ₹ 4.77 करोड़ से ज्यादा की राशि हासिल की गई। फिल्मों की कुछ श्रेणियों को फिल्म प्रमाणीकरण (मंत्रालय के आदेश संख्या 807/3/2007 दिनाँक 24 सितंबर, 2007) के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई।

egRoiw.kZ lwpuk,a

डिजीटल फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया को एक समान करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना 7 अक्तूबर 2011 जारी की गई।

फिल्मों में अनुपयुक्त (आपत्तिजनक) शब्दों को बीप करने के बजाय मूक करने को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना संख्या 7 अक्तूबर 2011 जारी की गई।

vuqyXud&1

vi|y l| uoEcj 2011 rd i|ekf.k|r fQYEk

lY;ykbM					
	;|	;| ,	,	, l	;kx
भारतीय फीचर फिल्में	368	289	157	-	**814**
विदेशी फीचर फिल्में	23	75	51	-	**149**
भारतीय लघु फिल्में	1095	149	42	-	**1286**
विदेशी लघु फिल्म	91	88	10	-	**189**
फी. फिल्मों के अलावा लंबी भारतीय फिल्में	1	-	-	-	**1**
फी. फिल्मों के अलावा लंबी विदेशी फिल्में	6	1	-	-	**7**
;kx	**1584**	**602**	**260**	**-**	**2446**
ohfM;k					
	;|	;| ,	,	, l	;kx
भारतीय फीचर फिल्में	339	207	28	-	**574**
विदेशी फीचर फिल्में	449	653	59	-	**1161**
भारतीय लघु फिल्में	3236	808	105	-	**4149**
विदेशी लघु फिल्में	212	126	10	-	**348**
फी. फिल्मों के अलावा लंबी भारतीय फिल्में	168	7	3	-	**178**
फी. फिल्मों के अलावा लंबी विदेशी फिल्में	19	3	2	-	**24**
;kx	**4423**	**1804**	**207**	**-**	**6434**
fMftVy					
	;|	;| ,	,	, l	;kx
भारतीय फीचर फिल्में	5	7	1	-	**13**
भारतीय लघु फिल्में	72	30	1	-	**103**
विदेशी फीचर फिल्में	5	1	6	-	**12**
विदेशी लघु फिल्में	9	3	1	-	**13**
;kx	**91**	**41**	**9**	**-**	**141**
d|y ;kx	**6098**	**2447**	**476**	**-**	**9021**

vuyXud&1

viy l uoEcj 2011 rd lkekf.kr Hkkjrh; Qhpj fQYe

¼{k= rFkk Hkk"kkokj½

¼lY;ykbM fQYe½

Øe	Hkk"kk	eEcb	dkydkrk	pUub	cxy#	f=oUne	gnjkckn	fnYyh	dVd	xokgkVh	;kx
1.	fgUnh	116	9	5	2	0	14	0	0	0	**146**
2.	ejkBh	59	0	0	0	0	3	0	0	0	**62**
3.	xtjkrh	35	0	0	0	0	0	0	0	0	**35**
4.	Hkkt ijh	54	2	0	0	0	0	2	1	0	**59**
5.	ekyoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6.	Rkyx	9	0	35	3	6	71	0	0	0	**124**
7.	rfey	9	1	93	4	3	8	0	0	0	**118**
8.	vxth	4	0	0	0	0	1	0	0	0	**5**
9.	ckXyk	4	61	0	0	0	0	0	1	0	**66**
10.	lk tkch	7	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
11.	gfj;k.koh	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
12.	mfM;k	0	0	0	0	0	0	0	28	0	**28**
13.	dUuM	0	0	0	81	0	0	0	0	0	**81**
14.	ey;kye	3	0	0	2	58	5	0	0	0	**68**
15.	C;kjh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
16.	Vy	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
17.	nfDduh	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
18.	mn	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
19.	vleh	0	0	0	0	0	0	0	0	3	**3**
20.	l;ijh	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21.	jktLFkkuh	5	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
22.	dkd.kh	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
	;kx	307	74	133	94	67	103	3	30	3	814

vuqyXud&3

viSy ls uoEcj 2011 rd Hkkjrh; Qhpj fQYeksa dk fo"k; oLrq ds vk/kkj ij oxhZdj.k ¼lsY;qykbM½

oxhZdj.k	eqEcbZ	dksydkrk	pUubZ	csaxy#	f=oUne	gSnjkckn	fnYyh	dVd	xqok-	;ksx
सामाजिक	240	67	111	57	57	93	3	29	3	**660**
कॉमेडी	18	4	0	5	1	1	0	0	0	**29**
धार्मिक	4	0	0	4	0	1	0	0	0	**9**
एक्शन	11	0	12	3	0	0	0	0	0	**26**
अपराध	4	1	8	8	5	1	0	0	0	**27**
रहस्य–रोमांच	5	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
डरावनी	9	0	1	3	0	3	0	0	0	**16**
जीवन–वृत्त	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
अपराध/थ्रिलर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
फेन्टेसी	0	0	0	3	1	0	0	0	0	**4**
सामाजिक/अपराध	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
एक्शन/रहस्य–रोमांच	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
स्पूफ/व्यंग्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
हत्या की गुत्थी	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**2**
अन्य	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**2**
ऐतिहासिक	1	0	1	0	1	0	0	0	0	**3**
काल्पनिक कथा	0	0	0	0	0	2	0	0	0	**2**
बाल फिल्म	10	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
मिथकीय	1	0	0	0	0	1	0	1	0	**3**
अपराध/एक्शन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
राजनीतिक	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
अपराध/सामाजिक	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
सामाजिक/कॉमेडी	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**3**
बदला	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
एक्षन/देषभक्ति	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
विज्ञान कथा	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
रहस्य/थ्रिलर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
लीजेन्ड्री	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
;ksx	**307**	**74**	**133**	**94**	**67**	**103**	**3**	**30**	**3**	**814**

viy l uoEcj 2011 rd iekf.kr fon'kh Qhpj fQYe

¼{k=okj&n'kokj½

¼lY;ykbM½

Øe	fuekrk	eEcb	dkydkrk	pUub	cxy#	f=oUne	gnjkckn	fnYyh	dVd	xokgkVh	dy
1.	अमेरिका	107	0	0	0	0	0	0	0	0	**107**
2.	हांगकांग	2	0	5	0	0	0	0	0	0	**7**
3.	बांग्लादेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
4.	कनाडा	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
5.	फ्रांस	5	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
6.	जर्मनी	5	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
7.	स्पेन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
8.	पाकिस्तान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
9.	थाइलैण्ड	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
10.	जापान	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
11.	यू के	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
12.	इटली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13.	बेल्जियम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14.	सिंगापुर	0	0	4	0	0	0	0	0	0	**4**
	dy	**137**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**

vuqyXud&5

vizSy ls uoEcj 2011 rd izekf.kr fons'kh fQYeksa dk fo"k;oLrq ds vk/kkj ij oxhZdj.k

¼lsY;qykbM½

Øe la-	oxhZdj.k	eqEcbZ	dksydkrk	pUubZ	cSaxyw#	f=oUnze	gSnjkckn	fnYyh	dVd	xqokgkVh	dqy
1.	QSUVslh	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26
2.	,D'ku	9	-	7	-	-	-	-	-	-	16
3.	jgL;&jksekap	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
4.	lkekftd	17	-	5	-	-	-	-	-	-	22
5.	Mjkouh	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6.	lkgfld	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
7.	dkWesMh	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
8.	cky fQYe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
9.	,D'ku@jgL;&jksekap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
10.	foKku dFkk	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
11.	vijk/k	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12.	Mjkouh@vijk/k	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13.	dkYifud dFkk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	dqy	137	-	12	-	-	-	-	-	-	149

ckM! dh foÿk 0;oLFkk

सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 ने अंतर्गत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों के सार्वजनिक प्रवृत्ति का नियमन करने वाली विधायी संस्था है लेकिन प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बोर्ड और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है।

सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में फिल्मों के प्रमाणन के शुल्क के रुप में बोर्ड द्वारा राजस्व प्राप्ति का प्रावधान है। बोर्ड क्षेत्रीय केन्द्रों में फिल्मों की स्क्रीनिंग का शुल्क भी लेता है।

अप्रैल से नवम्बर, 2011 के दौरान बोर्ड की कुल आय 4,77,07,914/– रुपए हुई जो भारत के समेकित कोष में जमा कर दी गई। बोर्ड का इस मद के लिए कोई बैंक खाता नहीं है। बोर्ड अपनी उक्त आय तथा व्यय के ब्यौरे के लिए भारत सरकार के ही वित्त वर्ष (1 अप्रैल–31 मार्च) को अपनाता है। बोर्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय से गैर–योजना शीर्ष के तहत अनुदान प्राप्त करता है। 1 अप्रैल, 2011 से 30 नवम्बर, 2011 तक बोर्ड के व्यय का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है।

11वीं योजना के दौरान बोर्ड की निम्नलिखित योजना स्कीमें हैं :–

1) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड में अवसंरचना का उन्नयन तथा कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन तन्त्र की स्थापना
2) सी.बी.एफ.सी. के क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में खोलना
3) प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी तथा मॉडरेशन

ckM! dEI;Vjhd'r iciz/k i.kkyh vkj eyHkr lfo/kkvk dk mUu;u

एस.बी.जी. (2011–12 के लिए) ₹ 100 लाख

नवम्बर, 2011 तक व्यय ₹ 28.04 लाख

इस योजना में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की मदद से बोर्ड के सभी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना और बोर्ड की मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन शामिल है। प्रमाणन प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर क्षेत्रीय कार्यालयों को लैन से जोड़ा जाना है तथा साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए टीवी, डीवीडी, वीसीडी तथा अन्य तकनीकी उपकरणों की खरीद करना है। यह योजना अभी मुंबई कार्यालय में चल रही है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुंबई कार्यालय से तथा मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एनआईसीएनईटी से जोड़े जाने का भी प्रावधान है। इससे सूचना एवं संचार में तेजी आएगी और ई–मेल के जरिए संवाद हो सकेगा। 11वीं योजना में कुल ₹ 350 लाख के स्वीकृत व्यय

ctV dk fu/kkj.k vkj 0;;

लाख ₹ में

मद	xj&;kstuk ¼ch-b- 2011&12½	uoEcj] 2011 rd fd;k x;k 0;;
वेतन	400.00	252.64
मेडिकल	4.50	3.94
ओटीए	0.15	शून्य
टीई	20.00	9.18
ओई	55.30	29.36
पीपीएसएस	150.00	68.43
ग्रान्ट–इन–एड	0.05	शून्य
;kx	**630.00**	**363.55**

के दायरे में 5वीं योजना की बची अवधि में शेष कम्प्यूटराइजेशन कार्यों तथा सी.बी.एफ.सी. के उन्नयन के आधारभूत कार्यों, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए टीवी, डीवीडी, खरीदने के लिए 90 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2011–12 के लिए 100 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

2- Ih-ch-,Q-Ih- d {k=h; dk;ky; ub fnYyh] dVd rFkk xqokgkVh e [kkyuk &

2011–12 के लिए एस.बी.जी.	₹ 60.00 लाख
नवंबर, 2011 तक किया व्यय	₹. 36.05 लाख

यह योजना फिल्मों के प्रमाणन को समाविष्ट करती है जिनमें दिल्ली क्षेत्र, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व तथा उड़ीसा राज्य से सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा निर्मित विज्ञापन, सेल्युलाइड तथा वीडियो दोनों फार्मेटों में, शामिल हैं। बी.ई. 2011–12 में योजना के लिए ₹ 60 लाख आवंटित किए गए हैं।

3- iek.ku ifØ;k dh fuxjkuh rFkk fu;=.k

इस योजना में फिल्म प्रमाणन के पैनल सदस्यों के लिए कार्यशालाएं, बोर्ड सेमिनार आदि आयोजित करना शामिल है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्यशाला तथा एकरुपता के लिए एक अखिल भारतीय पैनल कार्यशाला तथा संस्थाओं यथा टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइन्सेस के जरिए सूचना प्राप्त करना प्रस्तावित है। 11वीं योजना स्कीम का अनुमोदित लक्ष्य ₹ 500 लाख है। 2010–11 में बी.ई. के तहत ₹ 50 लाख और 2011–12 के लिए ₹ 60 लाख रुपए आवंटित किए गए।

2011–12 के लिए एस.बी.जी.	₹ 60.00 लाख
नवंबर, 2011 तक किया व्यय	₹ 52.35 लाख

jk"Vh; fQYe fodkl fuxe fyfeVsM ¼,u-,Q-Mh-lh½

(www.nfdc.go.in)

वर्ष 1975 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एन.एफ.डी.सी.) की स्थापना की गई थी। भारत सरकार के 100 फीसदी स्वामित्व वाली इस संस्था की स्थापना भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, प्रभावशाली और एकीकृत विकास के नियोजन और प्रोत्साहन के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 1980 में फिल्म वित्त विकास निगम (एफ.एफ.सी.) और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन (आई.एम.पी.ई.सी.) के एन.एफ.डी.सी. के साथ विलय के बाद एन.एफ.डी.सी. को नया स्वरूप दिया गया था। एन.एफ.डी.सी. ने अब तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों को अनुदान दिया/निर्माण किया है, जो बड़े पैमाने पर सराही गई हैं और उन्होंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। फिल्म विकास एजेन्सी होने के नाते, एन.एफ.डी.सी. फिल्म उद्योग के क्षेत्रों/खण्डों में विकास सुगम बनाने का दायित्व निभाती है। बड़ी पूंजी की ज़रूरत की वजह से इस कार्य को निजी उद्यमियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हालांकि इसकी भूमिका

ctV vkoVu vkj 0;;

(लाख ₹ में)

	;kstuk ¼ch-b- 2011&12½	uoEcj] 2011 rd fd;k x;k 0;;
वेतन	25.00	18.00
मेडिकल	0.20	0.07
ओटीए	0.10	-
टीई	11.00	0.48
ओई	13.65	10.05
पीपीएसएस	10.00	7.45
लघु कार्य	0.05	-
;kx	**60.00**	**36.05**

अधिकतर विकासात्मक है, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के रुप में एनएफडीसी एक कारपोरेट अधिदेश तथा व्यापार प्रोफाइल को कायम रखती है।

बी.आर.पी.एस.ई. की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में एन.एफ.डी.सी. की पुर्नसंरचना की योजना की स्वीकृति मिलने के पश्चात् एन.एफ.डी.सी. की चुकता पूंजी को 31.03.2011 को ₹ 1399.99 लाख से बढ़ाकर ₹ 4539.99 लाख कर दिया गया। इसके पूर्व विभिन्न पहलों के द्वारा एनएफडीसी की वित्तीय स्थिति सुधारने के गहन प्रयास किए गए। इन पहलों में शामिल थे – कर्मचारियों की मूल संख्या 210 (01.04.2008 को) में 50 फीसदी से अधिक कटौती करना, नई व्यापार ऊंचाइयों की पहचान करना, फिल्म उद्योग के विकास के लिए एनएफडीसी की भूमिका को एक नोडल एजेन्सी के रुप में पुनः स्थापित करना; नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देते हुए तथा भारतीय सिनेमा के बहुभाषी चरित्र को उद्देष्य में रखते हुए फिल्मों के निर्माण के जरिए, फिल्म बाजार के जरिए तथा प्रशंसित फिल्मों के डिजिटल ध्वनि एवं चित्र पुर्नजीवन के जरिए, अच्छी फिल्मों का निर्माण और वितरण सुलभ बनाना।

fodkl kRed xfrfof/k;k

i. fQYe fuekZ.k

प्रोडक्शन विभाग का यह दायित्व है कि वह कलात्मक फिल्मों के निर्माण के एन.एफ.डी.सी. के मिशन में सहायता प्रदान करे जो न सिर्फ 'भारतीय सिनेमा' की वास्तविक झलक प्रस्तुत करे बल्कि भारत की बेहद कल्पनाशील, वैविध्यपूर्ण एवं ऊर्जा से भरपूर फिल्म संस्कृति को भी प्रतिबिंबित कर सके। "विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण" की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) की एक स्कीम के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निगम की इस पहल का समर्थन किया।

नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निगम यह सुनिश्चित करता है कि पहली बार प्रदर्शित फीचर फिल्म निर्माता को प्रोत्साहन देते हुए उसकी पहली फीचर फिल्म के निर्माण में 100 प्रतिशत मदद दी जाए।

अप्रैल–दिसम्बर, 2011 के दौरान एनएफडीसी में फीचर फिल्मों के निर्माण से सम्बन्धित 18 आवेदन प्राप्त किए गए। इस अवधि में इस पृष्ठ के अन्त में सारणी में उल्लिखित फिल्में (सभी एनएफडीसी निर्माण) पूरी की गईं तथा सीबीएफसी द्वारा लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित की गईं।

एन.एफ.डी.सी. फिल्म 'अन्हे घोरे दा दान' (पंजाबी) जो कि निर्देषक गुरविन्दर सिंह द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी जो बिनाले (वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव) 2011 में प्रतियोगिता खण्ड के लिए चयन की गई। तत्पश्चात् कुछ अन्य महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सवों यथा पूसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बी. एफ.आई. लंदन फिल्म महोत्सव तथा अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों के लिए भी फिल्म का चयन हुआ। 'अन्हे घोरे दा दान' ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 50,000 डॉलर नकद पुरस्कार के साथ विशेष जूरी पुरस्कार प्राप्त किया। यह पहली बार था जब किसी पंजाबी फिल्म ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। नबेन्दु चटर्जी की 'संस्कार' (बंगाली) तथा मंगेश जोशी की प्रथम निर्देशित फिल्म 'हे...' (भोजपुरी) को नवम्बर, 2011 में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 42वें संस्करण में पैनोरमा खण्ड में चुना गया।

निगम के विकासात्मक अधिदेष में भारतीय तथा विदेशी फिल्म निर्माताओं के साथ बेहतर फिल्मों का सहनिर्माण शामिल है। एक स्वतन्त्र फिल्म प्रोडक्शन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जबकि एक अपवाद है, भारतीय फिल्म व्यापार परिदृष्य में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी एक अनोखी चीज है। फीचर फिल्म 'शंघाई' का निर्माण जाने माने फिल्मकार दिवाकर बनर्जी तथा शीर्ष

Ø-l-	fQYe dk 'kh"kZd	Hkk"kk	funs'kd
i.	संस्कार	बांग्ला	नब्येन्दु चटर्जी
ii	हे...	भोजपुरी	मंगेश जोशी
iii.	अन्हे घोरे दा दान	पंजाबी	गुरविन्दर सिंह

कारपोरेट संस्था पी वी आर पिक्चर के सहयोग से हो रहा है जबकि 'तासेर देश' का निर्माण अनुराग कश्यप प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड तथा उभरते निर्देशक क्यू. मंजूनाथ के सहयोग से हो रहा है तथा 'जल' का सह प्रोडक्शन नामी गिरामी फिल्म निर्माताओं के सहयोग से हो रहा है जिनकी विज्ञापन तथा टेलीविजन सेक्टर में पृष्ठभूमि है। पंजाबी फिल्म 'किस्सा' जो कि अनूप सिंह द्वारा निर्देशित तथा हेमट फिल्म जर्मनी द्वारा सहनिर्मित है और चार देशों (भारत/जर्मनी/नीदरलैण्ड/फ्रांस) का सहनिर्माण है तथा वह पहली फिल्म है जिसे भारतीय गणराज्य तथा जर्मनी रिपब्लिक के मध्य हस्तान्तरित दृश्य–श्रव्य सहनिर्माण के समझौते के तहत आधिकारिक पहचान मिली है। प्रमुख भूमिका में इरफान खान के जुड़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस फिल्म को एक निश्चित प्रोफाइल मिलता है।

fon'kksa esa egksRlo rFkk cktkjksa esa Hkkjrh; flusek dk lao)Zu

वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा की दर्शनीयता तथा वितरण में वृद्धि करने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने भारत तथा विदेशों में महोत्सव तथा बाजारों में भारतीय सिनेमा के संवर्द्धन के लिए निगम को दायित्व सौंपा है। इन पहलों के तहत (11वीं पंचवर्षीय योजना में 'भारत तथा विदेशों में महोत्सव तथा बाजारों में भारतीय सिनेमा का संवर्धन' योजना के तहत पूरी की गई) निगम ने कांस फिल्म समारोह, टोरन्टो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, एम.आई.पी.सी.ओ.एम., फ्रांस तथा अमेरिकन फिल्म मार्केट में भारतीय पैवेलियन की स्थापना की। जनवरी से मार्च, 2012 की अवधि के दौरान यूरोपियन फिल्म मार्केट, बर्लिन तथा हांगकांग में फिल्म मार्ट के दौरान भी निगम द्वारा भारतीय पैवेलियन की स्थापना की जाएगी।

भारत को एक बेहतर फिल्म गंतव्य के रुप में विकसित करने तथा फिल्म पर्यटन से हो रहे फायदे की पहचान करते हुए पर्यटन मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ भागीदारी की है जिसमें संयुक्त रुप से भारत को एक फिल्म शूटिंग स्थल बनाने तथा उपरोक्त लिखित बाजारों में भारतीय सिनेमा का संवर्द्धन करने के लिए सहमति हुई। इस वर्ष से 'अतुल्य भारत' के साथ भारत के सिनेमा को एक ब्रान्ड की तरह जोड़ा गया है।

Ø-l-	fQYe dk 'kh"kZd	Hkk"kk	J.kh	funs'kd	fLFkfr
i.	कालियाचन	मलयालम	एन.एफ.डी.सी. निर्माण	ए.आर.फारुख	प्री प्रोडक्शन स्थिति में
ii	किस्सा	पंजाबी	सहनिर्माण	अनूप सिंह	-
iii	आदिग्राम–79	तमिल	एन.एफ.डी.सी निर्माण	विनोद रविशंकर	प्रिंसिपल फोटोग्राफी जारी
iv	मंजूनाथ	हिन्दी	सहनिर्माण	संदीप ए.वर्मा	
v.	एस द रिवर फ्लोस	असमिया	एन.एफ.डी.सी निर्माण	विद्युत कोटोकी	
vi.	द गुड रोड	गुजराती	एन.एफ.डी.सी निर्माण	ग्यान कोरिया	
vii.	जल	हिन्दी	सहनिर्माण	गिरीश मलिक	पोस्ट प्रोडक्शन
vii.	गंगूबाई	मराठी/हिन्दी	एन.एफ.डी.सी निर्माण	प्रिया कृष्णास्वामी	
ix	शंघाई	हिन्दी	सहनिर्माण	दिबाकर बनर्जी	
x.	तासेर देश	बांग्ला	सहनिर्माण	क्यू. मंजूनाथ	

फिल्म बाजार 2011 के दौरान चर्चा

ऐसे मंच की आवश्यकता को देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सामग्री पर ध्यान केन्द्रित कर सके, एनएफडीसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान 2007 में गोवा में फिल्म बाजार की स्थापना की। इस गतिविधि का कोष आंशिक रुप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत तथा विदेशों में फिल्म बाजारों में भारतीय सिनेमा का संवर्धन योजना के तहत किया जाता है। वर्ष 2010 में फिल्म बाजार को दक्षिण एशियाई सामग्री के बाजार होने तक विस्तारित किया गया। वर्तमान में यह गतिविधि फिल्म बाजारों के अंतर्राष्ट्रीय कैलेण्डर तथा दक्षिण एशियाई सिनेमा के प्रमुख प्लेटफार्म का महत्वपूर्ण बाजार के रुप में चिन्हित की जाती है।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (23 नवंबर–3 दिसंबर 2011) के दौरान 24–27 नवम्बर, 2011 को 5वें फिल्म बाज़ार का उद्‌घाटन श्रीमती अंबिका सोनी, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया। इसमें 40 देशों से 550 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन देशों में इजराइल, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा शामिल हैं।

इस वर्ष से 'फिल्म बाजार' ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा सवंर्द्धित ब्रान्ड 'अतुल्य भारत' के साथ एक समझौता किया है जिसका उद्‌देश्य भारत को फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर गंतव्य के रुप में प्रस्तुत करना है। माननीय पर्यटन मंत्री श्री सुबोध कान्त सहाय ने भी बाजार का दौरा किया तथा भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की जिसका उद्‌देश्य भारत को फिल्म गंतव्य बनाने के लिए तंत्र की पहचान करना था।

फिल्म बाजार का महत्वपूर्ण घटक सह–प्रोडक्शन बाजार है जिसने 12 देशों के विभिन्न भाषाओं में दक्षिण एशियाई कहानियों के 27 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इन देशों में शामिल थे– अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, फ्रांस, भारत, इटली, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, स्वीडन, यूके, यू.एस.ए.। इनमें से काल्पनिक

कहानी प्रोजेक्ट 'चौरंगा' को अतुल्य भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसमें दस लाख रुपए विकास निधि शामिल थी।

फिल्म बाजार के वितरण खण्ड में क्यूबे सिनेमा नेटवर्क के सहयोग से समारोह प्रोग्रामर, विक्रय एजेन्टों तथा खरीदारों के लाभ के लिए 3 डिजीटल थियेटरों में 45 फुल हाउस 'इन्डस्ट्री स्क्रीनिंग' की व्यवस्था की गई। इसके अलावा बाजार में 16 'प्रदर्शनी स्टॉल्स' की स्थापना की गई।

'एनएफडीसी ज्ञान श्रृंखला' की स्थापना फिल्म बाजार में 2009 में की गई थी जिसमें घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रोडक्शन, वितरण तथा मार्केटिंग के मुद्दों पर व्याख्यानों तथा पैनल चर्चाओं की श्रंखला रखी गई। 2011 की ज्ञान श्रंखला में प्रमुख वक्ताओं में अभय देओल तथा कल्कि कोचलीन, फिल्म निर्माता फराह खान, संजय सूरी तथा जोया अख्तर, सिडोमिर कोलार तथा कला निर्देशक विंगर फिल्म लैब, मार्टन रार्बटस, जाने–माने फिल्म समालोचक राजीव मसन्द तथा शुभ्रा गुप्ता, जाने माने विष्व विक्रय एजेन्ट माइकल वर्नर, चेयरमैन, फोरिसिमो फिल्म तथा नेशनल फिल्म इन्स्टीट्यूशन टेली फिल्म कनाडा, इजराइल फिल्म फन्ड तथा स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तथा प्रतिनिधि शामिल थे।

इस वर्ष फिल्म बाजार में 'द स्क्रीनिंग रुम' का प्रारम्भ किया गया जिसमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरोमा खण्ड तथा बाजार में सफल फिल्में प्रदर्शित की गई । इन में पहले से चुनी अथवा प्रदर्शित न हुई अथवा अंतिम चरणों में होने वाली फिल्में भी शामिल है तथा वे फिल्में शामिल हैं जो विशेष रुप से वितरकों तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में जगह बनाने का प्रयास कर रही हैं। यह खण्ड खरीदारों, वित्तपोषकों तथा समारोह प्रायोजकों के लिए ही आरक्षित है।

बिन्गर फिल्म लैब (नीदरलैण्ड), वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा सिनेसिटा लूक, इटली की भागीदारी से फिल्म बाजार की 'पटकथा लेखक प्रयोगशाला' में 6 पटकथाएं भेजी गई। इस

कैंस फिल्म समारोह में एनएफडीसी पैवेलियन

कार्यक्रम का उद्देश्य मूल भारतीय कथा निर्माण को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए पटकथाओं का स्तर सुधारना था। फिल्म बाजार के दौरान 'वर्क इन प्रोग्रेस लैब' से फिल्म निर्माताओं को अपनी रफ कट फीचर फिल्मों को स्क्रीनिंग कर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म विषेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाने में मदद मिली। नामी फिल्म समालोचक तथा इतिहासकार डेरेक मेलकम, फोर्टिससिमो फिल्म्स के विश्व विक्रय एजेन्ट क्रिस पैटन तथा इजराइली फिल्म फन्ड के वर्तमान प्रमुख परामर्शदाता और जाने माने निर्माता कैटरील स्कोरी रहे। प्राइमहाउस, जर्मनी के सहयोग से आयोजित 'प्राइम एक्सचेन्ज' फिल्म बाजार में एक प्रोफेशनल कार्यशाला का आयोजन स्वतन्त्र भारतीय तथा यूरोपियन निर्माताओं के लिए हुआ।

अतुल्य भारत पुरस्कार के अलावा, जो कि सह प्रोडक्शन मार्केट के सर्वोत्तम प्रोजेक्ट को दिया गया, मंजीत सिंह की 'मुंबई चा राजा' ने प्रसाद लैब से प्रसाद ई.एफ.एक्स. सुविधाओं के लिए अवार्ड फॉर डिजीटल इन्टरमीडिएट (डी आई) प्राप्त किया। एनएफडीसी– सिनेमाई भागीदारी के तहत सह–प्रोडक्शन बाजार से चार प्रोजेक्टों के निर्माताओं को रोटरडम फिल्म लैब, 2012 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ये निर्माता सतीश मनवर (व्हाट इज योर रेलिजन), मंजीत सिंह (मुंबई चा राजा), हाओबम पवन कुमार (गन) तथा खंजन किशोर नाथ (बाइसिकिल) थे।

सेवनसीज फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया ने अश्वनी शर्मा की फिल्म 'नोबल चोर' के अधिकार खरीदे। सेवनसीज इस फिल्म के टी.वी./डी.वी.डी. अधिकारों के लिए जिम्मेदार होगा तथा 'नोबेल चोर' को एसएएफएफ, ऑस्ट्रेलिया तथा यस इण्डिया फिल्म फेस्टिवल में क्रमशः प्रस्तुत करेगा। फिल्म बाजार में अपनी भागीदारी के परिणामस्वरुप, फिल्म बाजार–सह–प्रोडक्शन प्रोजेक्ट 'चौरंगा' ने भी गोटेबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फन्ड से 14,700 अमेरिकी डॉलर का विकासात्मक सहयोग प्राप्त किया है।

iii. fQYEkks dk th.kksZ)kj

अपने जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत एनएफडीसी उन फिल्मों को मूल रुप में पुर्नजीवित करने का लक्ष्य रखती है जो भारतीय सिनेमाई इतिहास के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन फिल्मों में एनएफडीसी कैटलाग तथा स्वतन्त्र फिल्म निर्माताओं दोनों की फिल्में शामिल हैं। इस प्रक्रिया में फ्रेम–टू–फ्रेम स्कैनिंग, कमी दूर करना, मरम्मत करना तथा रंगों का संशोधन तथा साथ ही ध्वनि पुर्नजीवन शामिल है।

एनएफडीसी की फिल्मों के साथ–साथ मंथन (श्याम बेनेगल) पार (गौतम घोष), अपराजितो (सत्यजीत रे) तथा जलसाघर (सत्यजीत रे) फिल्मों के प्रिंट भी सुधारे जाने है। इसको संरक्षित रखने के अलावा इन्हें भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनका विपणन करने की भी योजना है। एनएफडीसी के केटलाग से 33 फिल्मों को फिर से दुरूस्त किया जा चुका है तथा 49 फिल्म ध्वनि तथा चित्र पुर्नजीवन की विभिन्न स्थितियों में है।

एनएफडीसी ने राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन की स्थापना के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की है। इसके तहत सरकार भारत की लैण्डमार्क फिल्मों के पुर्नजीवन तथा संरक्षण को करना प्रस्तावित है।

0;kikfjd xfrfof/k;k

एक लोक उद्यम के रुप में एनएफडीसी का दायित्व है कि वह एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में भी कार्य करे जो एक व्यवहारिक संचालन तथा बेहतर बैलेन्स शीट कायम रखती हो। निगम का प्राथमिक उद्देश्य विकासात्मक है। लेकिन यह एक लाभ कमाने वाली कम्पनी के रूप में भी कार्य करती रहे, इसलिए इसकी गतिविधियों को विकासात्मक एवं व्यापारिक खण्डों में बांटना भी जरूरी है जिससे कि इसके दोनों उद्देश्यों को सर्वोत्कृष्ट रूप में पाया जा सके। इस तथ्य को ब्यूरो फॉर रिकन्सट्रक्शन ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (बीआरपीएसई) द्वारा पहचाना गया तथा इस आशय की सिफारिश एनएफडीसी के पुर्नवास प्रस्ताव में लाई गई तथा भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। तदनुसार एन.एफ.डी.सी. का उद्देश्य विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों से राजस्व प्राप्त करना है जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

xkgdk d fy, fQYe cukuk

अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान एन.एफ.डी.सी. ने 5 कारपोरेट फिल्में, 35 दृश्य/ श्रव्य विज्ञापन, 135 लघु/वृत्तचित्र फिल्में, 52 दृश्य/श्रव्य कार्यकम एपीसोड सरकारी ग्राहकों के लिए

बनाएं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा लोक सेक्टर उद्यमों के लिए 47 दृष्य/श्रव्य विज्ञापनों को विभिन्न भाषाओं में डब किया गया।

ehfM;k vfHk;ku

वर्ष 2009 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डी.ए.वी.पी. की विज्ञापन नीति में उपयुक्त संशोधन कर डी.ए.वी.पी. के साथ–साथ एन.एफ.डी.सी. को भी सरकारी विभागों के लिए मीडिया अभियान चलाने का अधिकार दिया। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान निगम का 20 से अधिक सरकारी ग्राहकों के लिए इलेक्टानिक मीडिया अभियान चला कर ₹150 करोड़ का कारोबार हासिल प्राप्त करने का अनुमान है।

forj.k

फिल्मों के अधिकारों के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के जरिए एन.एफ.डी.सी. राजस्व प्राप्त करता है। एन.एफ.डी.सी. लोकसभा टेलीविजन को फीचर फिल्मों के साप्ताहिक कार्यक्रम 'क्लासिक वीकएन्ड' के लिए फिल्में देता हैं।

johUnz ukFk VSxksj dh 150oha t;Urh ds lekjksg

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कमेटी तथा माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन कमेटी (एन.आई.सी.) का गठन गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती के समारोह मनाने के लिए किया गया। एन.आई.सी. ने श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी के गठन का अनुमोदन किया जो संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त फिल्म तथा डाक्यूमेन्टरी प्रस्तावों का परीक्षण करेगी। एन.एफ.डी.सी. को नोडल एजेन्सी के रुप में नामित किया गया जो स्क्रीनिंग कमेटी तथा संस्कृति मंत्रालय के मध्य समन्वय करेगी तथा साथ ही प्रोडक्शन के लिए अनुमोदित फीचर/डाक्यूमेन्टरी फिल्मों का निर्माण करेगी। 7 मई 2011 को रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती पर एन.एफ.डी.सी. ने ''टैगोर स्टोरीज आन फिल्म'' नाम से एक 6 पैक डी वी डी जारी किया जिसमें पुनः निर्माण की गई क्लासिक, यथा 'क्षुधित पाषाण' (तपन सिन्हा), 'तीन कन्या' (सत्यजीत रे), 'काबुली वाला' (हेमेन गुप्ता), 'घरे बाइरे' (सत्यजीत रे), चार अध्याय (कुमार साहनी), नाटिर पूजा (रवीन्द्र नाथ टैगोर) तथा 'रवीन्द्र नाथ टैगोर' (सत्यजीत रे) शामिल है। प्रारम्भ में भारत के सभी प्रमुख शहरों में 500 प्रतियां प्रदर्शित की गईं तथा 6500 प्रतियों का एक अन्य सेट इन डी.वी.डी. पैक की मांग को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया। इस संकलन को अब विभिन्न विदेशी भाषाओं में उपशीर्षकों के साथ तैयार किया जा चुका है जिसका उद्देश्य विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के जरिए वितरण करना है।

नामी फिल्म निर्माता रितुपर्ण घोष की रवीन्द्रनाथ टैगोर पर डाक्यूमेन्टरी 'होम एन्ड द वर्ल्ड' तथा बुद्धदेब दासगुप्ता की 13 लघु फिल्में जो रवीन्द्रनाथ टैगोर की 13 कविताओं पर आधारित हैं, निर्माण प्रक्रिया में हैं। इनके मार्च, 2012 तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है।

izf'k{k.k dk;Zde

एन.एफ.डी.सी., चेन्नई नान–लीनियर एडीटिंग, मल्टीमीडिया, डिजीटल फोटोग्राफी, ऑडियो डबिंग, डिजीटल सिनेमेटोग्राफी तथा फिल्मों के उप–शीर्षक तैयार करने की प्रशिक्षण कार्यषालाएं पिछड़ा वर्ग विभाग, टी.एच.ए.डी.सी.ओ. तथा अल्पसंख्यक विभाग, तमिलनाडु सरकार के सहयोग से आयोजित करता है। वर्तमान वित्त वर्ष में 200 से ज्यादा छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

mi&'kh"kZd

एनएफडीसी, चेन्नई में स्थित लेजर उपशीर्षक यूनिट प्रमुख रुप से दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

फिल्म समारोह निदेशालय बाल फिल्म समिति, फिल्म प्रभाग, तमिलनाडू फिल्म एवं टी.वी./इंस्टीट्यूट तथा केरल चलचित्र अकादमी के लिए उप–शीर्षक निर्माण कार्य पूरा करने के अलावा एनएफडीसी, चेन्नई में कई श्रीलंकाई फिल्मों के भी उपशीर्षक तैयार किए जा रहे हैं। अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान 140 फीचर फिल्मों तथा 10 डाक्यूमेन्टरी फिल्मों के साथ 60 फिल्मों की वीडियो उप–शीर्षक बनाए गए।

foÙkh; izn'kZu

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान एनएफडीसी द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निगम की पुनःसंरचना योजना जो की गई थी, में अनुमानित ₹7724 करोड़ के मूल लक्ष्य की तुलना में ₹ 200 करोड़ से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है।

अध्याय–7

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत गतिविधियां

भारत और संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (युनेस्को)

भारत, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन के संस्थापक सदस्यों में से है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जनसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1981 में संगठन के 21वें आम सम्मेलन में संचार के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शुरू से इसका और इसकी अंतर–सरकारी परिषद् का सदस्य रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन के 35वें आम सम्मेलन में वर्ष 2009–13 की अवधि के लिए अंतर–सरकारी परिषद का सर्वसम्मति से सदस्य निर्वाचित किया गया।

पेरिस में 22 से 24 मार्च, 2011 तक आयोजित अंतर–सरकारी

सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी भारत से 500 युवाओं के प्रतिनिधिमंडल के चीन रवाना होने के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के शुभारंभ पर दीप जलाते हुए। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अजय माकन भी चित्र में हैं।

परिषद् के ब्यूरो की 55वीं बैठक में तत्कालीन सूचना ओर प्रसारण सचिव श्री रघु मेनन ने परिषद के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। उन्होंने पेरिस में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन के मुख्यालय में 13 और 14 सितंबर, 2011 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी बैठक में भी भाग लिया।

मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री खुर्शीद अहमद गनाई को पेरिस में 1से 3 नवंबर तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन के 36वें आम सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के नेतृत्व में भेजे गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का सदस्य नामित किया गया था।

विभिन्न देशों के साथ सहयोग के समझौते

भारत और अफगानिस्तान

सूचना और प्रसारण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के लिए 24 मई, 2011 को भारत और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी और अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति मंत्री डॉ. सैयद मखदूम रहीम ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये।

इस समझौता ज्ञापन में क्षमता विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे मीडिया की नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, अफगानिस्तान में स्वतंत्र और मुक्त प्रेस का विकास, प्रेस और मीडिया के क्षेत्र में सुधार और पुर्नगठन के क्षेत्रों का पता लगाना और इन सुधारों का कार्यान्वयन, मीडिया संबंधी कार्यक्रमों का विकास और मानकीकरण, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण और उससे संबंधित कार्य, अफगानिस्तान के रेडियो और टेलीविजन की निर्माण और प्रसारण गतिविधियां जिसमें राजस्व अर्जन हेतु कार्यक्रम सामग्री प्रबंधन और टीवी तथा रेडियो कार्यक्रमों के विपणन में सहयोग बढ़ाना शामिल है।

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के अंतर्गत अफगानिस्तान के नेशनल रेडियो एवं टेलीविजन में कार्यरत 10 अफगान अधिकारियों ने नौकरी के दौरान प्रशिक्षण के रूप में 28 नवंबर, से 20 दिसंबर 2011 तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार का दौरा किया।

देशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान–प्रदान

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच जनसंचार, प्रसारण और फिल्मों के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना है।

इन सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई है।

वर्ष 2011–12 के दौरान हंगरी, सउदी अरब, फिलिपींस, स्लोवाक गणराज्य, कुवैत, इक्वाडोर, कोलंबिया, कम्बोडिया, मैक्सिको, माली, ट्रिनीडाड और टोबैगो, फिनलैंड, क्यूबा, फ्रांस इत्यादि देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की टिप्पणियों के लिए प्राप्त हुए थे।

गुट निरपेक्ष समाचार नेटवर्क

जानकारी के वैश्विक प्रभाव में असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से गुट निरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के बीच समाचारों और सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए 1976 में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल का गठन किया था। यह आदान–प्रदान सदस्य एजेंसियों के बीच लीज पर ली गई संचार लाइनों के माध्यम से किया जाना था जिनमें से कुछ एजेंसियों को ट्रांसमिशन हब के रूप में काम करना था।

लेकिन इंटरनेट के संचार का विश्वसनीय और सस्ता माध्यम बनने के साथ यह महसूस किया गया कि गुटनिरपेक्ष न्यूज एजेंसी पूल की लीज लाइनों के नेटवर्क की व्यवस्था के बजाय इंटरनेट आधारित व्यवस्था का उपयोग ज्यादा उपयुक्त होगा। कुआलालंपुर, मलेशिया में नवबंर 2005 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में यह फैसला किया गया था कि गुट निरपेक्ष देशों के समाचार नेटवर्क को गुटनिरपेक्ष देशों के समाचार एजेंसी पूल के स्थान पर इंटरनेट आधारित सूचना और फोटो विनियम व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाए।

जून 2006 से कार्यरत गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेटवर्क के अंतर्गत 118 गुटनिरपेक्ष देशों की राष्ट्रीय सामाजिक एजेंसियां अपने समाचार और चित्र ई–मेल के जरिए मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा को भेजते है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेटवर्क

की वेबसाइट *http://www.namnewsnetwork.org* को कुआलालंपुर से संचालित करती है। बरनामा इसे वेबसाइट पर अपलोड करती है। प्रतिभागी एजेंसियां इस वेबसाइट पर अपने योगदान को देख सकती है और जरूरी सामग्री को अपने उपयोग के लिए वहां से डाउनलोड भी कर सकती है। वर्तमान में इस वेबसाइट पर अंग्रेजी, स्पेनिश और अरबी भाषाओं में समाचार देखें जा सकते है। भारत की तरफ से इस व्यवस्था में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हिस्सा लेती है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुपक्षीय समाचार विनिमय कार्यक्रम में अपनी भागीदारी के अनुरूप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी कई देशों की राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर समाचार ओर चित्रों का आदान–प्रदान करती है। आलोच्य वर्ष के दौरान इसने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के साथ सहयोग का समझौता किया जिसमें तस्वीरों का आदान–प्रदान शामिल है। इसके अलावा इसने नामीबीयाई न्यूज एजेंसी और सउदी प्रेस एजेंसी को समाचार उपलब्ध कराने के तरीकों में भी सुधार किया है। इस व्यवस्था में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर न्यूज व्यू के जरिए इंटरनेट से जुड़े कम्प्यूटर पर ऑटो रिसेप्शन की सुविधा मुहैया कराई गई है। इससे पहले नामीबीयाई न्यूज एजेंसी, प्रेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के समाचारों को ई–मेल के जरिए और सउदी प्रेस एजेंसी एफटीपी के जरिए प्राप्त करती थी।

दक्षेस के साथ भारत की भूमिका

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) सूचना केंद्र इस क्षेत्र के देशों के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। दक्षेस सूचना केंद्र का कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैः–

- दक्षेस और इसके सदस्य देशों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- प्रिंट और इलेक्टॉनिक मीडिया के लिए पेशेवर मामलों में सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण में समन्वय, अनुसंधान, आचरण प्रशिक्षण और कौशल हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
- दक्षेस और इसके सदस्य देशों के बीच सूचना बैंक के रूप में कार्य करना।
- दक्षेस देशों के मीडिया के बीच सहयोग के लिए अंतर्क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना और;
- दक्षेस दृश्य श्रव्य आदान–प्रदान, दक्षेस क्षेत्रीय केंद्रों, दक्षेस की सर्वोच्च और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श और दक्षेस के अन्य कार्यक्रम के साथ समन्वय।

भारत दक्षेस का एक सक्रिय सदस्य है। मीडिया से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दक्षेस देशों के सूचना मंत्रियों को वार्षिक बैठक करनी होती है। सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय दक्षेस देशों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। दक्षेस सूचना केंद्र द्वारा इस क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेते रहे है। दक्षेस के उद्देष्यों और लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन किया गया :

- महिलाओं की समाजिक स्थिति को सुधारने में महिला पत्रकारों की भूमिका पर बांग्लादेश में ढाका में 30 और 31 मार्च, 2011 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती शाश्वती गोस्वामी, एसोसिएेट प्रोफेसर (रेडियो पत्रकारिता) और श्रीमती रिंकू पेगू, सहायक प्रोफेसर (भारतीय सूचना सेवा) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- भारतीय जनसंचार संस्थान में 6 और 7 जून, 2011 को दक्षेस पर एक मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। सुश्री जी. जंयती, उप सचिव (बीए–पी) ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया।
- पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 5 और 6 जुलाई, 2011 को मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। श्री के. रेजीमोन, उप सचिव (बीपीएल) और श्री धीरज सिंह, निदेशक (मीडिया एवं संचार), पत्र सूचना कार्यालय ने इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया।
- सामाजिक, आर्थिक जागरूकता को बढ़ावा देने में सामुदायिक रेडियो की भूमिका पर काठमांडू में 4–5 सितंबर, 2011 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें पत्र सूचना कार्यालय के सहायक निदेशक श्री इंद्रजीत ग्रेवाल ने हिस्सा लिया।

- दक्षेस सूचना केंद्र के संचालक मंडल की 7वीं बैठक 21–22 सितंबर, 2011 को काठमांडू में आयोजित हुई जिसमें श्री चैतन्य कुमार, विशेष कार्य अधिकारी ने भाग लिया।
- राष्ट्रीय टीवी, रेडियो और समाचार एजेंसियों के प्रमुखों की 5वीं बैठक काठमाडू में 20 से 21 अक्तूबर, 2011 को आयोजित हुई। श्री लीलाधर मंडलोई, महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री त्रिपुरारी शरण, महानिदेशक, दूरदर्शन और श्री जी. मोहंती, महानिदेशक (समाचार), आकाशवाणी ने इसमें भाग लिया।
- लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन देने पर मीडिया की भूमिका पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 13–14 नवंबर, 2011 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई। सुश्री शेफाली शरण, निदेशक, पत्र सूचना कार्यालय ने इसमें भाग लिया।
- भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में 29–30 नवंबर, 2011 को विकास पत्रकारिता पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मंत्रालय की उपसचिव सुश्री गीता सुंदरराजन ने इसमें भाग लिया।

अध्याय–8

नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

सरकार के आदेशों/अनुदेशों/दिशा–निर्देशों के मद्देनजर मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करता रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय यह भी कोशिश करता है कि इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में पद–आधारित रोस्टर रखे गए हैं।

केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों को सेवाओं में मिलने वाले लाभ के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों और निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सभी मीडिया इकाइयों में प्रचारित किया जाता है।

दक्षिण सिक्किम में एक जन सूचना अभियान के दौरान गीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों की प्रस्तुति

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2011 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 01.01.2012 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप में इस संलग्न है।

सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालय में 01.01.2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या के मुकाबले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत इस प्रकार था :—

श्रेणी	समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'	कुल
अजा	14.50%	14.39%	15.43%	22.49%	16.69%
अजजा	6.20%	6.55%	9.80%	10.55%	8.81%
अपिव	2.00%	2.82%	6.26%	6.98%	5.17%

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को देखने के लिए एमएचए का ओएम संख्या 27/22/68 एस्टे. (एससीटी) दिनांक 19.04.1969 के निर्देशानुसार प्रशासनिक सुविधा के लिए मंत्रालय में एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

इस मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अजा/अजजा तथा अपिव के लिए स्वीकार्य आरक्षण नीति और अन्य लाभों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों पर निगरानी और समन्वय के लिए एक प्रकोष्ठ निदेशक/उप सचिव रैंक के लाइजन अधिकारी की निगरानी में कार्य कर रहा है।

दिनांक 08.01.2007 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसार भारती (डीजी : एआईआर तथा डीजी : डीडीएन को छोड़कर) 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अल्पसंख्यकों की नियुक्ति का विवरण

	31 मार्च 2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31 मार्च 2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या
	समूह क			समूह ख		
मंत्रालय / विभाग	322	4	शून्य	736	7	1
संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संस्थाएं	854	26	5	5437	51	7
कुल	**1176**	**30**	**5**	**6173**	**58**	**8**
	31 मार्च 2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31 मार्च 2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या
	समूह ग			समूह घ		
मंत्रालय / विभाग	342	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संस्थाएं	15188	124	13	5387	58	12
कुल	**15530**	**131**	**13**	**5387**	**58**	**12**

अध्याय–9

सेवाओं में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के संबंध में नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों ओर दिशा निर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए, उन्हें सदैव सभी मीडिया इकाईयों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के सभी प्रसाशनिक अनुभागों में वितरित किया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के हितों की देख–रेख के लिए, मुख्य सचिवालय में एक संपर्क अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। समय–समय पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर इस वर्ग की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। सभी मीडिया इकाईयों को इस वर्ग की बकाया रिक्तियों के संबंध में सूचना एकत्रित करने के लिए कहा गया है! 1–1–2012 को इस मंत्रालय में (आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा गीत एवं नाटक प्रभाग को छोड़कर)शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के सामूहिक रूप से तथा सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटे से मिलने वाले प्रतिनिधित्व का विवरण आगे दिया गया है।

हैदराबाद में आयोजित 17वें बाल फिल्म समारोह में उत्साह से भाग लेती एक बालिका

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के सेवाओं में प्रतिनिधित्व का वार्षिक विवरण
(1 जनवरी, 2011 की स्थिति)

मंत्रालय/विभाग : सूचना और प्रसारण

समूह		कर्मचारियों की कुल संख्या			
	कुल	नामित पदों में	दृष्टि–बाधित	श्रवण–बाधित	ओ.एच.
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**	**(vi)**
समूह (क)	763	164	1	1	1
समूह (ख)	1501	701	-	1	6
समूह (ग)	2396	905	6	4	29
समूह (घ)	1480	813	6	2	20
कुल	**6140**	**2583**	**13**	**8**	**56**

वर्ष 2010 के दौरान भर्ती किए गए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की संख्या का विवरण
(1 जनवरी, 2011 की स्थिति)

	सीधी भर्ती								पदोन्नतियां							
समूह	आरक्षित पदों की संख्या			कुल भर्तियों की संख्या					आरक्षित पदों की संख्या			कुल भर्तियों की संख्या				
	दृ.बा.	श्र.बा	ओ.एच.	कुल	नामित पदों में	दृ.बा.	श्र.बा	ओ.एच.	दृ.बा.	श्र.बा	ओ.एच.	कुल	नामित पदों में	द्र.बा.	श्र.बा	ओ.एच.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह (क)	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
समूह (ख)	1	2	2	5	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
समूह (ग)	2	3	3	-	1	-	-		1	3	3	1	-	-	-	-
समूह (घ)	5	2	1	3	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
कुल	**9**	**8**	**8**	**8**	**4**	**2**		**2**	**2**	**4**	**3**	**17**		**-**	**-**	**1**

टिप्पणी:

(i) **दृ.बा. का तात्पर्य कमजोर नजर वाले या पूरी तरह अन्धे व्यक्ति हैं।**

(ii) श्र.बा. **का तात्पर्य ऊँचा सुनने वाले या बधिर हैं।**

(iii ओ.एच का तात्पर्य चलने फिरने में असमर्थता या फालिज वाली विकलांगता से है।

(iv) समूह (क) और समूह (ख) में पदोन्नति में आरक्षण नहीं है लेकिन विकलांग व्यक्तियों को ऐसे पदो पर पदोन्नत किया जा सकता है जिनमें विकलांगता के बावजूद काम किया जा सकता है।

अध्याय–10

राजभाषा का अनुप्रयोग

हिंदी भारत संघ की भाषा है। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के बढ़ते अनुप्रयोग को बढ़ावा देना भारत सरकार की सुविचारित नीति है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत यह मंत्रालय हिंदी के उपयोग पर बल दे रहा है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में स्थित राजभाषा क्रियान्वयन समिति द्वारा सचिवालय के साथ मंत्रालय से संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय में हिंदी के बढ़ते उपयोग की निगरानी की जाती है। मंत्रालय तथा इसकी मीडिया इकाईयों/संगठनों में राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा आधिकारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने ओर राजभाषा विभाग द्वारा तय किये गये वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों और साधनों पर विचार करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठक होती है।

भारत सरकार की राजभाषा के क्रियान्वयन, निगरानी और अनुवाद कार्य में आवश्यक सहायता के लिए मुख्य सचिवालय में एक निदेशक (राजभाषा), एक उपनिदेशक (राजभाषा) और

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव श्री राजीव टकरू को मंत्रालय के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजभाषा (तृतीय) पुरस्कार प्रदान करते हुए।

दो सहायक निदेशक (राजभाषा) तथा चार अनुवादकों की नियुक्ति की गई है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अधीन सभी कागजात/दस्तावेज द्विभाषीय रूप में जारी करने तथा प्राप्त किये गये पत्रों की भाषा हिंदी होने पर या उनमें हस्ताक्षर हिंदी में होने पर उनका जवाब हिंदी में ही देने को सुनिश्चित करने के लिए जांच प्रक्रिया को मजबूत किया गया। इसके साथ ही, राजभाषा नीति के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुभागों तथा मीडिया इकाइयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई और उपयुक्त तरीके अपनाए/सुझाये गये।

आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 14–30 सितंबर, 2011 तक मंत्रालय में "हिंदी पखवाड़े" का आयोजन किया गया। इस दौरान, निबंध लेखन, कविता, टिप्पणी और मसौदा लेखन, श्रुतलेख, अनुवाद, वाद–विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 169 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया जिनमें से 91 कर्मचारियों (हिंदी और गैर–हिंदी भाषी–दोनों क्षेत्रों के) को प्रमाण–पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किये गये। मंत्री महोदया ने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की अपील की। इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और मंत्रिमंडल सचिव की अपील को भी वितरित किया गया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देश पर मौलिक टिप्पणी तथा मसौदा लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना को भी कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2010–11 के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के सात कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये गये है।

वर्ष के दौरान (1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 तक) राजभाषा संबंधी द्वितीय संसदीय उप–समिति ने मंत्रालय के नौ कार्यालयों का निरीक्षण किया। राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर ध्यान देकर सुधारात्मक कार्रवाई की गई। मंत्रालय के अंतर्गत आठ अन्य कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया।

अध्याय–11

महिला कल्याण से संबंधित गतिविधियां

राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में 1992 में एक महिला सेल का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुदेशों के अनुसार इस सेल का 23 मई 1997 को पुनर्गठन हुआ। इसके बाद *'विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य'* मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों पर अमल करते हुए मंत्रालय के महिला सेल का 16 मई 2002 को पुनर्गठन किया गया ताकि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में शिकायत समिति के रूप में काम कर सके। बाद में 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाहरी विशेषज्ञ गैर–सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर महिला सेल में शामिल किया गया।

इस मंत्रालय से सुश्री दिपाली खन्ना, अपर सचिव एवं वित्तीय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा अलीगढ़ (उ.प्र.) में 'जननी, शिशु और स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान'

सलाहकार के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप 31.01.2012 को इस सेल का पुनर्गठन किया गया और श्रीमतीसुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव (प्रसारण) को महिला सेल का अध्यक्ष बनाया गया तथा मंत्रालय के तीन महिला अधिकारियों और एक पुरुष अधिकारी को इसका सदस्य बनाया गया। बाहरी विशेषज्ञ के रूप में वाईडब्ल्यूसीए से एक गैर–सरकारी सदस्य भी इसमें शामिल किया गया है।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में भी ऐसे ही सेल बनाए गए हैं।

अध्याय–12

सतर्कता संबंधी मामले

मंत्रालय के सतर्कता तंत्र का ब्योरा और इसकी गतिविधियां

मंत्रालय का सतर्कता तंत्र सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, की पूर्ण देख–रेख में कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (संयुक्त सचिव), निदेशक (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और अन्य अधीनस्थ स्टॉफ है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी से प्रसार भारती के लिए एक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की सतर्कता गतिविधियों की देख–रेख करता है। अन्य सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और पंजीकृत समितियों में भी अलग–अलग सतर्कता व्यवस्थाएं कायम की गयी हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों आदि की सतर्कता गतिविधियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

विभिन्न प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने के लिए सुदृढ़ प्रयास किए गए ताकि भ्रष्टाचार के लिए कोई गुंजाइश न रहे। संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्तियों की पहचान की गयी और ऐसे अधिकारियों पर गहन निगरानी रखी गयी। संवेदनशील पदों पर नियुक्त स्टाफ की अदला–बदली के भी प्रयास किए गए। नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए गए। 1 अप्रैल 2011 से 31 दिसम्बर 2011 की अवधि में 436 नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण किए गए और 67 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गयी जिन पर निगरानी रखी जाये। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में कुल 50 ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया, जिन पर निगरानी रखी जाए।

इस अवधि के दौरान मीडिया इकाइयों और सीबीआई से सलाह मशविरा करके मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों के राजपत्रित स्तर के ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने/समीक्षा करने की वार्षिक कवायद की गयी जिन्हें 'सहमत संदिग्ध निष्ठा' और 'संदिग्ध निष्ठा' वाले समझा गया।

देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगाठ के अवसर पर सरकार द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार–विरोधी अभियान को जारी रखने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अग्रसारित की जाने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर निरंतर निगरानी रखी गयी और उनके बारे में पीएमओ को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने सात दिन तक चलने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया।

1 अप्रैल 2011 से 31 दिसम्बर 2011 की अवधि में मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में विभिन्न स्रोतों से 428 नई शिकायतें प्राप्त की गयी। इनका परीक्षण किया गया और 73 मामलों में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। इस अवधि में 47 मामलों के संदर्भ में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। 14 मामलों में बड़ी सजा के लिए और 10 मामलों में छोटी सजा के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। 3 मामलों में बड़ी सजा दी गयी और 11 मामलों में छोटी सजा दी गई। रिपोर्ट अधीन अवधि में 8 अधिकारियों को निलंबित किया गया और 16 मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

सभी मीडिया इकाइयों से बकाया अनुशासनात्मक मामलों के बारे में मासिक और सुनवाई की मंजूरी लंबित रहने वाले मामलों के बारे में पाक्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त की गई और मुख्य सतर्कता आयोग तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित की गई।

अध्याय–13

नागरिक घोषणा–पत्र और शिकायत समाधान तंत्र

नागरिक/सेवाएं प्राप्त करने वालों के लिए घोषणा–पत्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संसोधित नागरिक/सेवाएं प्राप्त करने वालों के लिए घोषणा–पत्र 16 जनवरी 2012 प्रस्तुत किया गया और इसे मंत्रालय के 2011–12के रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्युमेंट(आरएफडी) में 2 प्रतिशत वरीयता के साथ अनिवार्य संकेतको के रूप में शामिल कर लिया गया

इस मंत्रालय द्वारा तैयार नागरिक/सेवाएं प्राप्त करने वालों के लिए घोषणा–पत्र की पिछले वर्ष एक अस्थायी कार्य दल ने समीक्षा की । कैबिनेट सचिवालय के अन्तर्गत आईआईएम, ,बैगलूरू के प्राध्यपकों से भी इसकी समीक्षा करायी गयी। इन विशेषज्ञों की टिप्पणियां मंत्रालय ने कैबिनेट सचिवालय को भेजी। इसी के अनुरूप घोषणा–पत्र में संशोधन किए गए और मंत्रालय द्वारा उसकी सेवाएं सीधे प्राप्त करने वाले लोगो को निम्न दस क्षेत्रो दी जाने वाली सेवाओं को घोषणा–पत्र में शामिल किया गया–

1) डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस पाने वालो को लाइसेंस जारी करना

2) मल्टी सिस्टम आपरेटरों को लाइसेंस जारी करना

3) अपलिंकिग/डाउनलिंकिग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट स्थापित किया जाना

4) भारत से अपलिंक किए जाने वाले टीवी चैनलों को अपलिंकिग/डाउनलिंकिग की अनुमति दिया जाना

5) विदेशो से अपलिंक किए गए चैनलों की डाउनलिंकिग की अनुमति दिया जाना

6) गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और कृषि विज्ञान केन्द्रो/संस्थानों द्वारा सामुदायिक रेडियों केन्द्र खोला जाना

7) विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक वर्ग में विदेशी निवेश वाले किसी प्रतिष्टान को विदेशी पत्रिकाओं/जर्नल्स/पीरियोडिकल्स/समाचार पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण छापने की अनुमति देना

8) विदेशी निवेश वाले /बिना विदेशी निवेश वाले किसी प्रतिष्टान द्वारा समाचार और सामयिक मामलों/समाचार–पत्रों वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण/विदेशी समाचार–पत्रों के फेसिमाइल संस्करण छापने की अनुमति देना

9) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आनेवाली मीडिया इकाईयों को अपने अपने नागरिक घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करने और जरूरी निर्देश देने की सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करना

10) विदेशी निर्देशको को फीचर फिल्मों/रियलिटी शो/व्यावसायिक टीवी सीरियलों की शूटिंग करने की अनुमति देना

संशोधित चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया हैं।

शिकायत समाधान तंत्र

राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग, उपराष्ट्रपति सचिवालय एवं अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित व्यक्तियों के जरिये प्राप्त शिकायत याचिकाएं इस मंत्रालय में प्राप्त की जाती हैं। संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आंतरिक शिकायत समाधान मशीनरी के प्रमुख के रूप में नियत किया गया है। फिलहाल संयुक्त सचिव (नीति, सार्वजनिक शिकायत और प्रशासन) आंतरिक शिकायत समाधान मशीनरी के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे है। प्राप्त की गई याचिकाएं पंजीकृत की जाती है और

उन्हें कम्प्यूटरीकृत, केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली में प्रोसेस किया जाता है। तदनुसार निर्धारित नियमों के तहत प्राप्त की गयी याचिकाओं की पावती दी जाती है। शिकायत की पंजीकृत संख्या पावती पत्र में दर्ज होती है। शिकायत याचिकाएं आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मीडिया इकाई/कार्यालयों/डिवीजनों में भेजी जाती है और नियमों के अनुसार अंतिम निपटारा करके याचिकाकर्ता को अंतिम जवाब भेजने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। अनुस्मारकों तथा समीक्षा बैठकों इत्यादि के जरिये शिकायतों के निपटारे का पता लगाने के लिए उनकी निगरानी की जाती है। कुल मिलाकर मीडिया इकाइयों में सामान्य रूप से संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव के स्तर का अधिकारी संबंधित मीडिया इकाई के सार्वजनिक शिकायत अधिकारी के रूप में नियत किया गया है। महत्वपूर्ण मामलों में संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी को मामले के जल्दी निपटारे के लिए चर्चा हेतु बुलाया जाता है। याचिका के अंतिम निपटारे संबंधी स्थिति की सूचना उस प्राधिकारी को भी दी जाती है जिससे वह शिकायत प्राप्त होती है। यह सूचना कम्प्यूटरीकृत, केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली के जरिये अथवा डाक से संबंधित व्यक्तियों तक भेजी जाती है।

प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग से सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सार्वजनिक शिकायतों/ एक्टिवेटिंग मशीनरी के समाधान के बारे में समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देश इस मंत्रालय के तहत काम करने वाली सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों इत्यादि को अग्रेषित किए जाते हैं। मंत्रालय में शिकायतों के समाधान की निगरानी सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के सचिव द्वारा भी की जाती है।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी ऐसा ही तंत्र बनाया गया है।

कैबिनेट सचिवालय के निर्देशो के अनुसार मंत्रालय ने अपने शिकायत निवारण तंत्र में 'सेवोत्तम शिकायत निवारण प्रणाली दिशा–निर्देश' अपनाए है और कैबिनेट सचिवालय के आकलन के लिए उसे कार्रवाई रिपोर्ट भेजी गई है।

शिकायतों के समाधान की समय–सीमा

क्र.स.	विषय	समय
1.	नागरिक घोषणा–पत्र और शिकायत समाधान तंत्र	तीन दिन
2.	शिकायतों/याचिका को संबंधित अधिकारी तक अग्रेषित करना	सात दिन
3.	संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य द्वारा अंतरित/संदर्भित मामलों का अंतिम निपटारा तथा परिणाम की स्थिति की सूचना देने के लिए समय देना।	दो महीने
4.	'कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन शोषण' के बारे में शिकायत समिति को मामला सौंपना।	दो महीने

अध्याय–14

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित मामले

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 देश के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने तथा तत्सम्बन्धी या अनुषंगी मामलों के बारे में सरकारी अधिकारियों से सार्वजनिक हित के अनुरूप जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकार का अर्थ है ऐसी सूचना तक पहुंच का अधिकार, जो किसी लोक प्राधिकारी के अंतर्गत या नियंत्रण में हो और इसमें निम्नांकित अधिकार शामिल है :–

1. कार्य, दस्तावेज, रिकॉर्ड का निरीक्षण;
2. दस्तावेज या रिकॉर्ड के नोट्स, सारांश या अभिप्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना;
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना;
4. सीडीज अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड में या कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य उपकरण में विद्यमान जानकारी की मुद्रित प्रतियों के जरिये सूचना प्राप्त करना।

मुख्य सचिवालय में आरटीआई अधिनियम का अनुपालन

मंत्रालय के सूचना एवं सुविधा काउंटर की स्थापना 4 जुलाई 1997 को भारत सरकार के निर्णय अनुपालन में की गयी थी ताकि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके।

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत मंत्रालय और इसके सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित सभी आवेदन, अपील और मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्णयों को सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आईएफसी) में प्राप्त किया जायेगा।

अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने और अपीलकर्ता द्वारा दाखिल की गयी अपील के बारे में निर्णय के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 22 सीपीआईओ और 15 अपील प्राधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं। सीपीआईओ और अपील प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट *www.mib.nic.in* पर उपलब्ध है।

01.01.2011 से 31.12.2011 के बीच आईएफसी में 1191 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों को आरटीआई ऐक्ट, 2005 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार उपयुक्त उत्तर दिए गए। आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार/निरीक्षण प्रभार के रूप में ₹ 21,666/– की धनराशि प्राप्त की गई। भारत के विभिन्न राज्यों से संबद्ध करीब 675 आगन्तुकों को आईएफसी द्वारा सेवा प्रदान की गई। उन्होंने आमतौर पर टीवी चैनलों, केबल टीवी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की।

सूचना और सुविधा केन्द्र ने संगठन के ग्राहकों/उपभोक्ताओं को निम्नांकित सेवाएं प्रदान की :

(क) संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं और उसके द्वारा समर्थित कार्यक्रमों, योजनाओं तथा संबद्ध नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ब्रोशर, फोल्डरों आदि के ज़रिए प्रदान की गई;

(ख) संगठन की सेवाएं अनुकूलतम ढंग से, समय पर, सक्षमता पूर्वक पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में ग्राहक/उपभोक्ता को सुविधाएं प्रदान करना और सार्वजनिक उपयोग के लिए अपेक्षित प्रपत्र आदि उपलब्ध कराना;

(ग) संगठन की सेवाओं/योजनाओं/कार्य प्रणाली के संदर्भ में संगठन द्वारा विकसित सेवा गुणवत्ता मानकों, समय संबंधी मानदंड आदि के बारे में सूचना देना;

(घ) संगठन के जन शिकायत निवारण तंत्र के बारे में श्रेणीबद्ध व्यवस्था की जानकारी देना; और

(ङ) शिकायतों/आवेदनों/अनुरोधों/प्रपत्र (संगठन द्वारा प्रदान

की जा रही सेवाओं के बारे में) को प्राप्त करना, उनकी पावती देना और उन्हें संगठन में संबद्ध प्राधिकारी को अग्रसारित करना तथा उनकी स्थिति/निपटान के बारे में सूचना प्रदान करना।

आरटीआई एक्ट, 2005 के अंतर्गत एक सूचना नियमावली सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है, जो सूचना एवं सुविधा काउन्टर पर उपलब्ध है।

लगातार जांच और समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम में निहित प्रावधानों का पूरी तरह पाल किया जाए।

आरटीआई आवेदनों के निबटारे संबंधी व्यवस्था :

आरटीआई ऐक्ट के अंतर्गत अनुभाग में प्राप्त सभी आवेदनों की छंटनी की जाती है। जिन आरटीआई आवेदनों का संबंध इस मंत्रालय से नहीं होता उन्हें संबद्ध मंत्रालय के सीपीआईओ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन आरटीआई रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद संबद्ध सीपीआई ओज़ को अग्रसारित कर दिए जाते हैं।

बकाया आवेदनों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था के रूप में सीपीआई ओ को 'कलर कोडेड रिमांडर' जारी किए जाते हैं, अर्थात् 15 दिन बाद नीले कागज पर और 25 दिन बाद गुलाबी कागज पर अनुस्मरण पत्र भेजा जाता है ताकि आवेदक को निर्धारित 30 दिन की अवधि में सूचना प्रदान कर दिए जाने में कोई कोताही न होने पाए।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने धारा 4 (ख) (i) और 4 (ख) (ii) के अंतर्गत अपना दायित्व स्वयं पूरा कर दिया है, जिसका संबंद्ध इस बात के साथ है कि सरकारी प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना का स्वतः प्रकटीकरण किया जाए और उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड़ करके जनता को उपलब्ध कराया जाए। प्राप्त होने वाले आवेदनों प्राप्त, रद्द अंतरित की जाने वाली अपीलों के बारे में आंकड़ों की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से सीआईसी वेबसाइट पर अंतरित की जाती है।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

इस मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों और स्वायत्त निकायों द्वारा सीपीआई ओज़ और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस बारे में डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

अध्याय–15

लेखांकन तथा आंतरिक लेखा–परीक्षा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होने के अलावा, मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी भी हैं। सचिव अपने इस कार्य को अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के सहयोग से निभाते हैं।

मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रमुख दायित्व

– वित्त, बजट, लेखांकन, व्यय प्रबंधन, प्रशासन से संबंधित मामले और कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों से संबंधित मामलों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सलाह और सहायता देना।

– वेतन एवं भत्ते, कार्यालय–संबंधी आकस्मिक व्यय, सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य विविध ऋण, अग्रिमों के भुगतान सहित वेतन एवं लेखा कार्यालयों और देश में अवस्थित अनेक इकाइयों के विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के माध्यम से भुगतान तथा लेखांकन प्रणाली को अधिशासित करना।

– मंत्रालय की मासिक तथा वार्षिक प्राप्तियों और व्यय का संकलन और समेकन करना और इसे समेकन हेतु सीजीए को भेजना एवं लोक व्यय का प्रबंधन करना।

– खर्चों पर नजर रखना।

– केन्द्रीय लेन–देन, विनियोजन लेखे, संघ के वित्तीय लेखे और प्राप्ति बजट के विवरण तैयार करना और इन्हें वित्त मंत्रालय के सीजीए कार्यालय को प्रस्तुत करना।

– लेखांकन संगठन के लिए विभाग प्रमुख के तौर पर शक्तियों का प्रयोग करना और कॅरियर काउंसलिंग, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, छुट्टी, सतर्कता तथा अनुशासनिक मामलों आदि के संबंध में काडर का संगठन और प्रबंधन।

– आंतरिक लेखा–परीक्षा दलों को सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना तथा वित्त मंत्रालय, और बाहरी लेखा परीक्षकों अर्थात यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि से संपर्क रखना।

– सीजीए, वित्त मंत्रालय तथा बैंकिंग ढांचे से संपर्क बनाए रखना और सभी प्राप्तियों का मंत्रालय के द्वारा बैंकों के माध्यम से किए गए भुगतान के साथ मिलान और सत्यापन करना।

– नगद संतुलन खाता रखना और आरबीआई के साथ इसका मिलान करना।

– सहायता अनुदान तथा बिलों का तुरंत एवं सही भुगतान सुनिश्चित करना और पुनर्भुगतान तथा उपयोग संबंधी प्रमाणपत्रों पर नजर रखना।

– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य व्यक्तिगत दावों से संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना।

– लेखांकन सूचना को प्रबंधन के लिए एमआईएस में तब्दील करना।

– मंत्रालय के लेखांकन संगठन से संबंधित आरटीआई मामलों में अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका निभाना।

मुख्य लेखा नियंत्रक लेखांकन संगठन के प्रमुख हैं और लेखा नियंत्रक, उप लेखा नियंत्रक तथा 14 वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से अपने इस कार्य का निर्वहन करते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर और गुवाहाटी में स्थित हैं।

मंत्रालय के लेखांकन संगठन के दायित्व

i) प्राप्तियां, भुगतान, लेखे

– मुख्यालय में अवस्थित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार सही और समय से भुगतान।

– मंत्रालय की प्राप्तियों का लेखा–जोखा रखना और समय से इन्हें भुनाना।

– सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत भुगतान सूचियों का संकलन करना और इन्हें समावेशित करना।

– मासिक नगद लेखाओं का संकलन

– मासिक तथा वार्षिक लेखाओं का समय से और सटीक संकलन करना और इसे महालेखा नियंत्रक को भेजना।

– निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन करना।

– समय से, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्ट देना।

– अनुमोदित बजट के अनुसार व्यय की निगरानी करना।

– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अनुदानों के मामलों में, विधिवत ऑडिट किए गए वार्षिक विनियोजन लेखे तैयार करना।

ii) आंतरिक लेखापरीक्षा/बाद की लेखापरीक्षा

– मंत्रालय के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा अनुदान प्राप्त संगठनों द्वारा रखे गए भुगतान एवं लेखा रिकार्डों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना।

– आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और कारगरता तथा वित्तीय प्रणाली की मजबूती का सामान्य तौर पर और वित्तीय तथा लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता का विषेष तौर पर मूल्यांकन करना।

– ऐसे सभी मामलों में भुगतान की कार्योपरांत जांच सुनिश्चित करना, जहां भुगतान कार्य विभागीय अधिकारियों को सौंपा गया है।

iii) अन्य कार्यकलाप

– मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों जैसे कि पत्र सूचना कार्यालय को आंतरिक वित्त संबंधी परामर्श देने के कार्य।

– पेंशन, भविष्यनिधि तथा अन्य दावों का शीघ्र निस्तारण।

– कारगर वित्तीय प्रबंधन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना।

– चेक आहरित करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक ऋण पत्र जारी करना।

– मंत्रालय को तकनीकी परामर्श देना।

– चेक आहरित करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा वेतन एवं लेखा लेखा अधिकारियों के लिए चेकबुक प्राप्त करना और इनकी आपूर्ति करना।

– नव सृजित लेखा शीर्षों के लिए वित्त मंत्रालय से लेखा कोड के आबंटन की व्यवस्था करना।

– नव सृजित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के लिए डीडीओ कोड के आबंटन की व्यवस्था करना।

– नव सृजित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के लिए बैंकिंग की व्यवस्था करना।

iv) वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अन्य कार्यकलाप

– बजट तथा परिणाम (आउटकम) बजट तैयार करना।

– व्यय तथा नगदी प्रबंधन।

– गैर–कर राजस्व से अर्जित प्राप्तियों का अनुमान और प्रवाह।

– परिसंपत्तियों तथा दायित्वों की निगरानी।

– वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकटन और रिपोर्टिंग संबंधी अनिवार्यताएं।

कंप्यूटरीकरण

आधुनिक प्रौद्योगिकी और तत्काल सूचना संबंधी जरुरतों की उभरती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य लेखा

नियंत्रक के कार्यालय का उद्देश्य पूरी तरह से और व्यापक तौर पर कंप्यूटर पर आधारित वित्तीय सूचना प्रणाली उपलब्ध कराना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालयों में मुख्य धारा के लेखांकन पैकेज–इम्प्रूव और कॉन्टैक्ट–के माध्यम से व्यय लेखांकन का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। ये पैकेज वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक कार्यालय के परामर्श से एनआईसी द्वारा विकसित किए गए हैं। 'इम्प्रूव' वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए डिजाइन किया गया व्यय लेखांकन पैकेज है जबकि 'कॉन्टैक्ट' प्रधान लेखा कार्यालय में वेतन एवं लेखा कार्यालय से प्राप्त मासिक लेखाओं के संकलन में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। 'इम्प्रूव' की जगह 'कॉम्पैक्ट' नामक उन्नत पैकेज स्थापित किया गया है। 'कॉम्पैक्ट' एक मल्टी–यूजर सॉफ्टवेयर है जिसमें वेतन एवं लेखा कार्यालय के सभी कार्यों को कवर किया गया है।

इस मंत्रालय के छह वेतन एवं लेखा कार्यालयों में, कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वाउचर स्तर तक कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय अपने मासिक लेखे प्रधान लेखा कार्यालय को ऑनलाइन अथवा सीडी के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधान लेखा कार्यालय मासिक लेखा रिपोर्टें महालेखा नियंत्रक के कार्यालय को ई–लेखा मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन भेज रहा है। पूर्व–जांच, चेक लेखन, चेक रिव्यू, स्क्रोल, टीई और समेकन जैसे सभी चरणों के कार्यों में इस पैकेज का उपयोग किया जा रहा है।

ई–लेखा एक प्रबुद्ध वित्तीय प्रबंधन एप्लीकेशन है। यह लेखांकन प्रक्रिया की कारगरता और सटीकता में सुधार के उद्देश्य से सिविल लेखा संगठन के लिए इलेक्ट्रोनिक भुगतान और लेखांकन सूचना प्रणाली उपलब्ध कराता है। वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा अन्य ऑफलाइन लेखा कार्यालयों में उपयोग में लाए जा रहे कॉम्पैक्ट की तर्ज पर बना यह मॉड्यूल, कोर अकाउंटिंग की एक ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराता है जो लगभग रियल टाइम मूल्यवर्द्धन रिपोर्टिंग और वित्तीय निगरानी तथा नियंत्रण के लिए दैनिक, मासिक और वार्षिक लेखांकन प्रक्रियाओं से जुड़ी है।

परियोजना का उद्देश्य एक केन्द्रीकृत डाटाबेस से लेखे तैयार करके एप्लीकेशनों को परस्पर जोड़ना, आईटी– संचालित एक व्यापक कोर अकाउंटिंग समाधान उपलब्ध कराना, लेखांकन प्रक्रिया बेहतर बनाना और बेहतर पारदर्शिता के साथ एक सुरक्षित प्रणाली तैयार करना है।

इस प्रणाली से लेखांकन के सबसे निचले स्तर पर भी बजट स्थिति की तुलना में खर्चों के बारे में दैनिक रिपोर्ट भेजना आसान हो गया है, इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू की गई सामाजिक परियोजनाओं की कारगर निगरानी के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हुआ है।

मंत्रालय की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं का सार पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ हर माह सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

भारत सरकार ने नए रूप में परिभाषित, अंशदान वाली एक नई पेंशन स्कीम (डीसीपीएस) शुरू की है, आमतौर पर इसे नई पेंशन स्कीम के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यभार विभाग की दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के द्वारा इस स्कीम को 01.01.2004 से लागू किया गया है। यह स्कीम सरकारी सेवा (सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर) में 1.1.2004 को या इसके बाद शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों पर लागू है। नई पेंशन स्कीम से संबंधित रिकार्ड एनएसडीएल द्वारा रखा जा रहा है। सभी वेतन एवं लेखा कार्यालय अंशदान का ब्यौरा तथा नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड के लिए सामान्य जानकारियां अपलोड कर रहें हैं।

इर्ला (वैयक्तिक चालू बही लेखांकन प्रणाली)

सभी मंत्रालयों के लेखाओं को विभागीय स्वरूप दिए जाने के बाद वेतन एवं लेखा कार्यालय (इर्ला) अन्य मंत्रालयों के विभागीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालयों के साथ 1976 में अस्तित्व में आया था। सेवा तथा भुगतान विवरण को एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था का रूप देने के लिए इर्ला प्रणाली (वैयक्तिक चालू बही लेखांकन) विकसित की गई, ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती की मीडिया इकाइयों के अधिकारियों, जिन्हें भारत में कहीं भी स्थानांतरित

किया जा सकता है, को अपना वेतन प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती की देश के 692 शहरों में लगभग 50 मीडिया इकाइयां मौजूद हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (इर्ला) इन सभी का सेवा तथा वेतन रिकार्ड रखता है। यह कार्यालय लगभग 1700 सेवारत अधिकारियों का रिकार्ड रखता है और उनके वेतन भुगतान का वितरण करता है। यह कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती के लगभग 11000 सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेवा रिकार्ड भी रखता है। इस कार्यालय का प्रमुख भारतीय सिविल लेखा सेवा का लेखा नियंत्रक स्तर का एक अधिकारी होता है। कार्यालय में 4 लेखा अधिकारी और 8 सहायक/कनिष्ठ लेखा अधिकारी हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (इर्ला) ई–प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को लागू करने वाला पहला कार्यालय है और शायद ऐसा पहला वेतन एवं लेखा कार्यालय है, जिसने अधिकारियों को वेतन के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस की शुरूआत की है। मई 2003 से, पेंशन संबंधी सभी मामले सेवानिवृत्ति की तारीख को ही निपटाए जा चुके हैं। केवल वही मामले अपवाद स्वरूप है, जिन्हें संबंधित निदेशालयों/मुख्यालयों ने नहीं भेजा है। मौजूदा सॉफ्टवेयर को उन्नत बनाने के प्रयास चल रहे हैं ताकि सभी इर्ला अधिकारियों को बेहतर सेवाएं दी जा सके।

आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा को एक ऐसे औजार के रूप में माना गया है, जो विभिन्न कार्यक्रमों, स्कीमों और कार्यकलापों के वित्तीय निष्पादन तथा कारगरता की निगरानी में उच्च स्तर के अधिकारियों को सहायता प्रदान करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध मुख्य लेखा नियंत्रक की निगरानी में आंतरिक लेखापरीक्षा करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लेखापरीक्षा का कार्य आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल में निर्धारित अनुदेशों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से निष्फल व्यय पर रोक लगाने और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रशासन का मार्गदर्शन करने में मदद मिलती है।

निरीक्षण दल का विशेष जोर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को रिकार्ड के उचित रखरखाव में सहायता देने पर होता है और वर्तमान वित्तीय लेखांकन प्रक्रियाओं को समझने तथा अपनाने में उनका मार्गदशेन करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी वार्षिक पुनरीक्षा का 2010–11 संस्करण प्रकाशित किया है। इसमें कुछ ऐसे आम अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है जिनके बारे में सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वित्तीय अनियमितताओं, निष्पादन में सुधार के लिए तत्काल ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों पर भी इस प्रकाशन में टिप्पणियां दी गई हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा की एक ऐसे औजार के रूप में पहचान बढ़ती जा रही है कि यह विभिन्न कार्यक्रमों, स्कीमों और कार्यकलापों के वित्तीय निष्पादन तथा कारगरता की निगरानी में उच्च स्तर के अधिकारियों को सहायता प्रदान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, नेमी खर्चों की लेखापरीक्षा के अलावा विशेष लेखापरीक्षाएं भी शुरू की गई हैं, जिनसे न केवल व्यक्तिगत अनियमितताओं पर ध्यान केन्द्रित हुआ है बल्कि प्रणाली की उन खामियों को भी प्रकाश में लाया गया है, जिनसे इस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं, साथ ही ऐसी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के तहत 692 इकाइयां (प्रसार भारती 589 तथा प्रसार भारती के अलावा 103) इकाइयां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। ये सभी इकाइयां आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में आती है। प्रशासनिक तथा कार्यात्मक सहूलियत और मितव्ययिता के लिए, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पश्चिमी जोन और पूर्वी जोन नाम से चार आंचलिक आंतरिक लेखापरीक्षा दल स्थापित किए गए हैं। इनके कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में हैं। इनके आस–पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य इन चार जोनों में बांटा जाता है। प्रत्येक आंचलिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यालय का प्रमुख एक लेखा अधिकारी होता है। विभिन्न इकाइयों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीधे संबंधित आंचलिक दलों द्वारा जारी किए जाते हैं और उनकी प्रतियां समीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मुख्यालय को भेजी जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की मुख्यालयों में समीक्षा की

जाती है और सीसीए/सीए महत्वपूर्ण पैराओं को विभागीय प्रमुखों के साथ उठाता है ताकि इनका शीघ्र समाधान किया जा सके।

वर्ष 2010–11 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा ने 59 इकाइयों (प्रसार भारती तथा प्रसार भारती के अलावा) की सामान्य लेखापरीक्षा की। जिन इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई, उनके साथ निरंतर विचार–विमर्श, अनुवर्ती कार्रवाई और आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध (मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय) की सिफारिशों के कारण लेखांकन तथा पशासनिक रिकार्डों के समग्र रखरखाव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

आंतरिक लेखापरीक्षा में इकाइयों का मौके पर निरीक्षण किया गया और निरीक्षण दल के प्रमुख अधिकारी ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख के साथ विचार–विमर्श किया। भविष्य में सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए, आमतौर पर होने वाली अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की दिशा सकारात्मक होती है ताकि वास्तविक लक्ष्यों और हासिल लक्ष्यों से जुड़े व्यय में वित्तीय जवाबदेही, मितव्ययता से भारत सरकार के ठोस वित्तीय प्रबंधन की छाप नजर आए।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से भारी भरकम राशि वाली कुछ बड़ी अनियमितताओं को रोकने में मदद मिली है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

	अनियमितताएं	**रकम**
(क)	सरकारी बकाया की वसूली न होना	₹ 4869.12 लाख
(ख)	अधिक भुगतान	₹ 34.18 लाख
(ग)	निष्फल व्यय	₹ 323.18 लाख
(घ)	अनियमित व्यय	₹ 561.67 लाख
(ड.)	अग्रिमों का असमायोजन	₹ 2073.02 लाख
(च)	सरकारी धनराशि का अवरोधन	₹ 4500.34 लाख
(छ)	उपस्करों/सरकारी धनराशि का लेखा–जोखा न होना	₹ 33.25 लाख
(ज)	विविध	₹ 2639.88 लाख
	कुल	**₹ 15034.64 लाख**

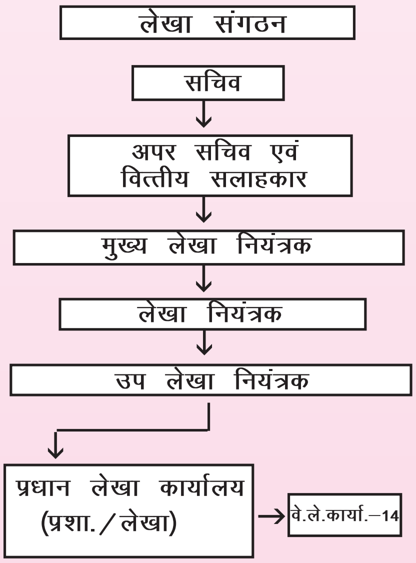

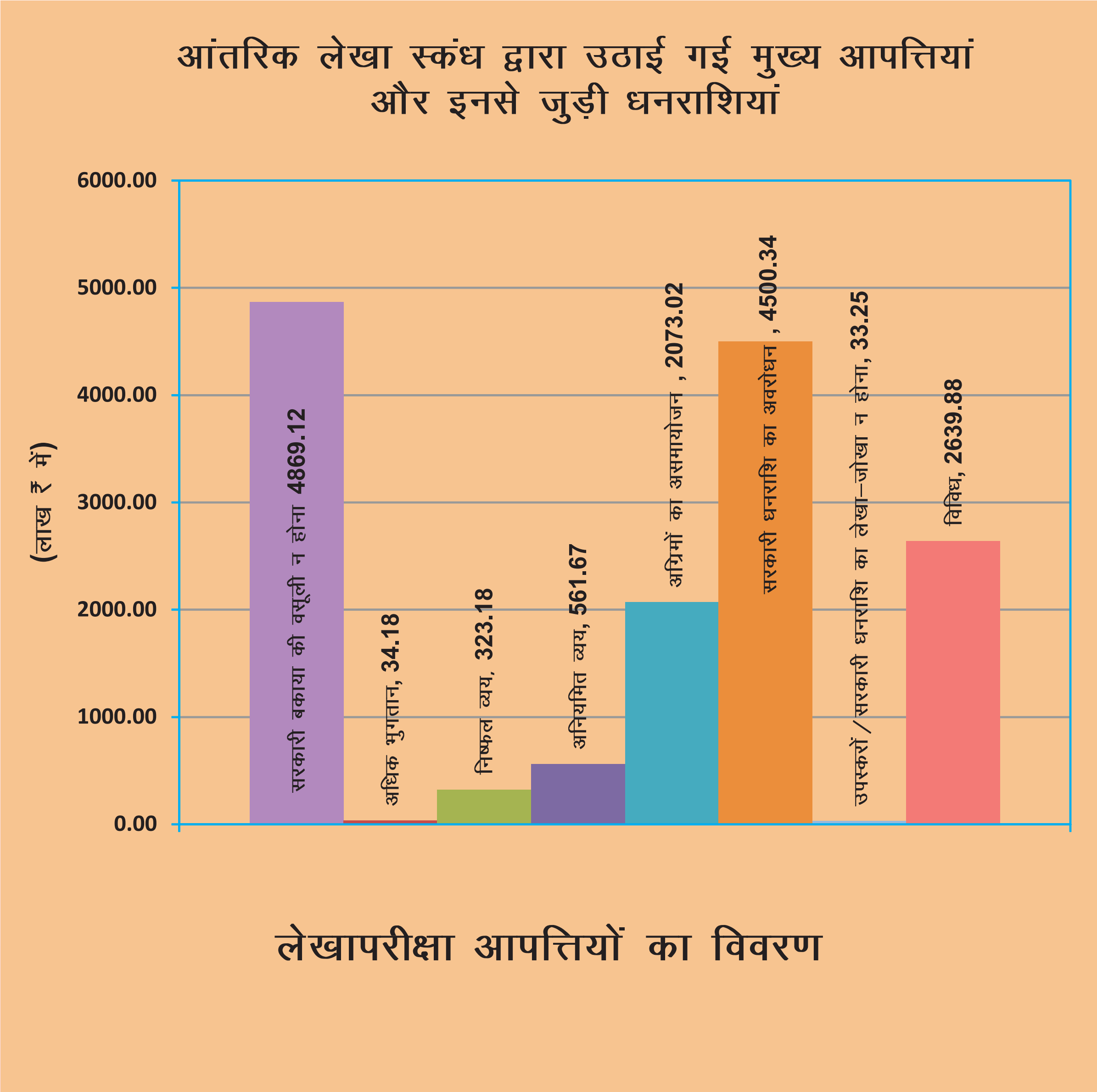
आंतरिक लेखा स्कंध द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां
और इनसे जुड़ी धनराशियां
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
(लाख ₹ में)
सरकारी बकाया की वसूली न होना 4869.12
अधिक भुगतान, 34.18
निष्फल व्यय, 323.18
अनियमित व्यय, 561.67
अग्रिमों का असमायोजन , 2073.02
सरकारी धनराशि का अवरोधन , 4500.34
उपस्करों/सरकारी धनराशि का लेखा–जोखा न होना, 33.25
विविध, 2639.88
लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण

अध्याय–16

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

अवास्तविक बजट अनुमान	अवास्तविक बजट अनुमान *पैरा संख्या 7.16, रिपोर्ट संख्या–1, 2010–11*
₹100 करोड़ या अधिक की बचत	एक उपशीर्ष के तहत ₹ 100 करोड़ या अधिक बचत *पैरा संख्या 7.18, रिपोर्ट संख्या–1, 2010–11*
₹ 1.80 करोड़ के राजस्व का नुकसान	₹1.80 करोड़ के राजस्व का नुकसान *पैरा संख्या 5.1, रिपोर्ट संख्या–38, 2010–11*
निष्फल व्यय	निष्फल व्यय *पैरा संख्या 5.2, रिपोर्ट संख्या–38, 2010–11*
निवेश मे हुए विलंब से ब्याज का नुकसान	ठेकेदार को परिहार्य भुगतान *पैरा संख्या 5.3, रिपोर्ट संख्या–38, 2010–11*
ठेकेदार को परिहार्य भुगतान	ठेकेदार को परिहार्य भुगतान *पैरासंख्या 5.4, रिपोर्ट संख्या–38, 2010–11*
सम्पति कर का परिहार्य भुगतान	सम्पति कर का परिहार्य भुगतान *पैरा संख्या 5.5, रिपोर्ट संख्या–38, 2010–11*
प्रसारण सेवा और मीडिया की भूमिका	प्रसारण सेवा और मीडिया की भूमिका– 19वें राष्ट्रमंडल खेल, *अध्याय 28, रिपोर्ट संख्या–6, 2011–12*

अध्याय–17

कैट के फैसलों/आदेशों का कार्यान्वयन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कैट मामलों के निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन की सूचना मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों और मुख्य सचिवालय से संकलित की गई। वर्ष 2010–11 की स्थिति इस प्रकार है :–

क्र.	मीडिया इकाई	वर्ष 2010–11 के लिये कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	कार्यान्वित निर्णया /आदेशों की संख्या 2010–11
1	मुख्य सचिवालय*	1	1
2	डीजी : डीएवीपी	1	1
3	डीपीडी	1	0
4	पीआईबी	3	0
5	एस एवं डीडी	7	3
6	डीएफपी	2	2
7	आरएनआई	0	0
8	फोटो डिवीजन	0	0
9	आारआर एंड टीडी	0	0
10	पीसीआई	0	0
11	आईआईएमसी	1	0
12	डीजीः एआईआर	3	1
13	डीजीः दूरदर्शन	विवरण प्राप्त नहीं हुआ	
14	बीईसीआईएल	0	0
15	सीबीएफसी	1	1
16	एसआरएफटीआई	0	0
17	एफटीआईआई	0	0
18	फिल्म डिवीजन	3	0
19	एनएफडीसी	0	0
20	एनएफएआई	1	0
21	सीएफएसआई	0	0
22	डीएफएफ	0	0
23	पीएओ	1	1
24	ईएमएससी	0	0
	कुल	**25**	**10**

*मुख्य सचिवालय की सूचना में आईबीपीएस और आईबीईएस काडर शामिल नहीं हैं।

अध्याय–18

योजना परिव्यय (2011–12)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2011–12 का योजना परिव्यय योजना कार्यक्रमों के लिए ₹ 861 करोड़ है। सूचना, फिल्म और प्रसारण क्षेत्रो के लिए योजना परिव्यय का विवरण इस प्रकार है :–

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	जीबीएस	आईबीआर	कुल
1	**सूचना क्षेत्र**	162.99	0.00	**162.99**
2	**फिल्म क्षेत्र**	163.24	0.00	**163.24**
3	**प्रसारण क्षेत्र**	534.77	0.00	**534.77**
	कुल	**861.00**	**0.00**	**861.00**

2. वार्षिक योजना 2011–12 का मीडिया इकाई–वार और स्कीम–वार बंटवारा अनुलग्नक 1 और 2 में दिया गया है।

(करोड़ ₹ में)

पत्र सूचना कार्यालय	2.00
भारतीय जनसंचार संस्थान	0.80
फोटो प्रभाग	0.02
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	0.60
गीत एवं नाट्य प्रभाग	1.15
फिल्म प्रभाग	0.70
बाल फिल्म समीति	0.70
आकाशवाणी	58.25
दूरदर्शन	21.91
कुल	**86.13**

अनुलग्नक 1

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2011–12
बजट अनुमान विवरण 2011–12
मीडिया इकाई–वार स्थिति

मंत्रालय/विभागः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	मीडिया इकाई का नाम वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2009-10 बजट अनुमान			वार्षिक योजना 2010-11 संशोधित अनुमान						वार्षिक योजना 2010-11 बजट अनुमान						वार्षिक योजना 2011-12 बजट अनुमान					
	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम				वास्तविक व्यय						वास्तविक व्यय						वास्तविक व्यय					
		जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	उत्तर पूर्व	एससीएसपी*	टीएसपी*	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	उत्तर पूर्व	एससीएसपी*	टीएसपी*	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	उत्तर पूर्व	एससीएसपी*	टीएसपी*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
I	<u>सूचना क्षेत्र</u>																					
1	पत्र सूचना कार्यालय	11.72	0.00	11.72	24.75	0.00	24.75	2.00	-	-	24.25	0.00	24.25	2.00	-	-	35.25	0.00	35.25	2.00	-	-
2	प्रकाशन विभाग	0.28	0.00	0.28	0.26	0.00	0.26	-	-	-	0.32	0.00	0.32	-	-	-	1.00	0.00	1.00	-	-	-
3	विज्ञा. एवं दृ. प्रचार निदे.	36.81	0.00	36.81	44.50	0.00	44.50	-	-	-	44.50	0.00	44.50	-	-	-	56.00	0.00	56.00	-	-	-
4	भारतीय जनसंचार संस्थान	0.38	0.00	0..38	3.70	0.00	3.70	-	-	-	3.70	0.00	3.70	-	-	-	20.00	0.00	20.00	0.80	-	-
5	फोटो प्रभाग	2.09	0.00	2.09	2.55	0.00	2.55	0.02	-	-	1.80	0.00	1.80	0.02	-	-	2.10	0.00	2.10	0.02	-	-
6	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	1.36	0.00	1.36	5.55	0.00	5.55	0.60	-	-	5.55	0.00	5.55	0.60	-	-	4.00	0.00	4.00	0.60	-	-
7	गीत एवं नाटक विभाग	4.40	0.00	4.40	6.27	0.00	6.27	1.50	-	-	6.27	0.00	6.27	1.50	-	-	6.00	0.00	6.00	1.15	-	-
8	गवे. संदर्भ और प्रशि. प्रभाग	0.12	0.00	0.12	0.25	0.00	0.25	-	-	-	0.10	0.00	0.10	-	-	-	0.25	0.00	0.25	-	-	-
9	भारत के समा.पत्रों के पंजी.	0.16	0.00	0.16	0.17	0.00	0.17	-	-	-	0.17	0.00	0.17	-	-	-	0.17	0.00	0.17	-	-	-
	<u>मुख्य सचिवालय</u> <u>सूचना खण्ड योजनाएं</u>																					
10	सूचना भवन का निर्माण चरण 5	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	-	-	-	18.00	0.00	18.00	-	-	-	36.22	0.00	36.22	-	-	-
11	विकास प्रयासों का आर्थिक विश्लेषण	0.09	0.00	0.09	0.50	0.00	0.50	-	-	-	0.50	0.00	0.50	-	-	-	0.50	0.00	0.50	-	-	-
12	मानव संसा. विकास प्रशि.	1.21	0.00	1.21	1.50	0.00	1.50	-	-	-	1.50	0.00	1.50	-	-	-	1.50	0.00	1.50	-	-	-
	सूचना क्षेत्रः कुलः	**68.62**	**0.00**	**68.62**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**4.12**	**-**	**-**	**106.66**	**0.00**	**106.66**	**4.12**	**-**	**-**	**162.99**	**0.00**	**162.99**	**4.57**	**-**	**-**
II	<u>फिल्म क्षेत्र</u>																					
1	फिल्म प्रभाग	19.51	0.00	19.51	35.10	0.00	35.10	0.50	-	-	40.10	0.00	40.10	0.50	-	-	74.01	0.00	74.01	0.70	-	-
2	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	7.00	0.00	7.00	5.00	0.00	5.00	-	-	-	8.90	0.00	8.90	-	-	-	20.00	0.00	20.00	-	-	-
3	फिल्म समारोह निदेशालय	7.96	0.00	7.96	9.50	0.00	9.50	-	-	-	11.92	0.00	11.92	-	-	-	9.68	0.00	9.68	-	-	-
4	भारतीय बाल फिल्म समिति	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	-	-	-	4.00	0.00	4.00	-	-	-	7.00	0.00	7.00	0.70	-	-
5	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0.90	0.00	0.90	2.20	0.00	2.20	-	-	-	2.20	0.00	2.20	-	-	-	2.20	0.00	2.20	-	-	-
6	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	7.84	0.00	7.84	13.00	0.00	13.00	-	-	-	13.00	0.00	13.00	-	-	-	20.83	0.00	20.83	-	-	-
7	फिल्म एवं टेली. संस्थान	9.35	0.00	9.35	8.00	0.00	8.00	-	-	-	7.20	0.00	7.20	-	-	-	11.32	0.00	11.32	-	-	-
8	सत्यजीत रे फि.टेली.संस्थान	4.25	0.00	4.25	7.00	0.00	7.00	-	-	-	7.00	0.00	7.00	-	-	-	7.00	0.00	7.00	-	-	-

पिछले पृष्ठ से जारी................

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
	मुख्य सचिवालय फिल्म खण्ड योजनाएं																					
9	देश–विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी	**1.94**	**0.00**	**1.94**	**2.20**	**0.00**	**2.20**	-	-	-	**2.20**	**0.00**	**2.20**	**0**	**0**	**0**	**4.20**	**0.00**	**4.20**	-	-	-
10	एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्टस के लिए उत्कृष्टता केंद्र का गठन	0.07	0.00	0.07	1.00	0.00	1.00	-	-	-	0.20	0.00	0.20	-	-	-	2.00	0.00	2.00	-	-	-
11	राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन (वार्षिक योजना 2010–11 से प्रारम्भ नई योजना स्कीम)		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-	-	-	0.10	0.00	0.10	-	-	-	5.00	0.00	5.00	-	-	-
	फिल्म क्षेत्रः कुल	**62.82**	**0.00**	**62.82**	**88.00**	**0.00**	**88.00**	**0.50**	-	-	**96.82**	**0.00**	**96.82**	**0.50**	-	-	**163.24**	**0.00**	**163.24**	**1.40**	-	-
III	प्रसारण क्षेत्र																					
1	आकाशवाणी		0.00	0.00	183.48	0.00	183.48	40.00	-	-	168.00	0.00	168.00	47.21	-	-	260.37	0.00	260.37	58.25		
2	दूरदर्शन		0.00	0.00	157.00	0.00	157.00	25.00	-	-	157.00	0.00	157.00	27.07	-	-	271.40	0.00	271.40	21.91	-	-
	कुल : प्रसार भारती	183.35	0.00	183.35	340.48	0.00	340.48	65.00	-	-	325.00	0.00	325.00	74.28	0	0	531.77	0.00	531.77	80.16	-	-
	मुख्य सचिवालय प्रसारण क्षेत्र योजनाएं																					
1	इलेक्टॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	2.00	0.00	2.00	2.18	0.00	2.18	-	-	-	2.18	0.00	2.18	-	-	-	2.18	0.00	2.18	-	-	-
2	निजी एफएम रेडियो	1.09	0.00	1.09	0.01	0.00	0.01	-	-	-	0.01	0.00	0.01	-	-	-	0.01	0.00	0.01	-	-	-
3	अंतर्राष्ट्रीय चैनल	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-	-	-	0.01	0.00	0.01	-	-	-	0.01	0.00	0.01	-	-	-
4	सा. रेडि.–आईईसी गतिविधि	0.60	0.00	0.60	0.80	0.00	0.80	-	-	-	0.80	0.00	0.80	-	-	-	0.80	0.00	0.80	-	-	-
	कुल	**3.69**	**0.00**	**3.69**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	-	-	-	**3.00**	**0.00**	**3.00**	-	-	-	**3.00**	**0.00**	**3.00**	-	-	-
	कुलः प्रसारण क्षेत्र III	**187.04**	**0.00**	**187.04**	**343.48**	**0.00**	**343.48**	**65.00**	-	-	**328.00**	**0.00**	**328.00**	**74.28**	-	-	**534.77**	**0.00**	**534.77**	**80.16**	-	-
	कुल सू. एवं प्रसा. मंत्रालय रा.मं. खेल 2010 के अति.	**318.48**	**0.00**	**318.48**	**531.48**	**0.00**	**531.48**	**69.62**	-	-	**531.48**	**0.00**	**531.48**	**78.90**	-	-	**861.00**	**0.00**	**861.00**	**86.13**	-	-
IV	राष्ट्रमंडल खेल एवं संबंधित कार्यक्रम		**0.00**	**0.00**																		
(i)	प्रसार भारती	134.00	0.00	134.00	232.00	0.00	232.00	-	-	-	232.00	0.00	232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	पत्र सूचना कार्यालय	9.81	0.00	9.81	21.75	0.00	21.75	-	-	-	21.75	0.00	21.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	इंडि. ट्रेड प्रमो. अथोरिटी.	11.00	0.00	11.00	64.77	0.00	64.77	-	-	-	64.77	0.00	64.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**154.81**	**0.00**	**154.81**	**318.52**	**0.00**	**318.52**	-	-	-	**318.52**	**0.00**	**318.52**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल सू. एवं प्रसा. मंत्रालय रा.मं. खेल 2010 समेत	**473.29**	**0.00**	**473.29**	**850.00**	**0.00**	**850.00**	**69.62**	-	-	**850.00**	**0.00**	**850.00**	**78.90**	-	-	**861.00**	**0.00**	**861.00**	**86.13**	-	-
	डीबीएस				**850.00**	**0.00**	**850.00**	**69.62**	-	-	**850.00**	**0.00**	**850.00**	**78.90**	-	-	**861.00**	**0.00**	**861.00**	**86.13**	-	-

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और मोहर

योजना आयोग के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और मोहर

'काई उत्तरदायित्व नहीं क्योंकि यह मुख्यतः नीति निर्धारण और उन केंद्रीय संगठनों की रेखदेख के अंतर्गत आता है जिनकी कोई प्रमुख लाभ प्रदान करने वाली योजनाएं नहीं है। योजना आयोग पत्र संख्या 11016/12/1/2009–पीसी दिनांक 15.12.2010

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2011–2012

(करोड़ ₹ में)

स्कीमों की कुल संख्या	क्र. संख्या	मीडिया इकाई का नाम	वार्षिक योजना 2011-12 का स्वीकृत परिव्यय						
	(क)	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	नई/पुरानी योजना	पूंजी	राजस्व	कुल परिव्यय	पूर्वोत्तर घटक		
							पूंजी	राजस्व	कुल
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		सूचना क्षेत्र							
	I	**पत्र सूचना कार्यालय**							
1	1	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र		20.50	0.00	**20.50**			
2	2	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम (लोक सूचना अभियान)	**(नई स्कीम)**	0.00	14.50	**14.50**	0.00	2.00	2.00
3	3	विशेष अवसरों पर प्रचार	**(नई स्कीम)**	0.00	0.25	**0.25**	0.00		
		कुल:		**20.50**	**14.75**	**35.25**	**0.00**	**2.00**	**2.00**
	II	**प्रकाशन विभाग**							
4	1	प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण	**(नई स्कीम)**	0.85	0.10	**0.95**			
5	2	इम्प्लायमेंट न्यूज का आधुनिकीकरण	**(नई स्कीम)**	0.00	0.05	**0.05**			
		कुल:		**0.85**	**0.15**	**1.00**			
	III	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय							
6	1	विकास प्रचार कार्यक्रम : धारणा तथा कार्यरूप	0.00	55.00	**55.00**				
7	2	डी ए वी पी का आधुनिकीकरण	**(नई स्कीम)**	0.00	1.00	**1.00**			
		कुल:		**0.00**	**56.00**	**56.00**			
	IV	**भारतीय जनसंचार संस्थान**							
		(अनुदान सहायता)							
8	1	आई आई एम सी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाना	**(नई स्कीम)**	18.85	1.15	**20.00**	**0.70**	**0.10**	**0.80**
		कुल:		**18.85**	**1.15**	**20.00**	**0.70**	**0.10**	**0.80**

पिछले पृष्ठ से जारी.....

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	V	**फोटो प्रभाग**							
9	1	राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र	**(नई योजना)**	0.00	2.05	**2.05**			
10	2	पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू–कश्मीर, अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान	**(नई योजना)**	0.00	0.05	**0.05**	0.00	0.02	**0.02**
		कुल:		**0.00**	**2.10**	**2.10**	**0.00**	**0.02**	**0.02**
	VI	**क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय**							
11	1	प्रायोजित टूर/कौशल उन्नयन	**(नई योजना)**	0.00	0.79	**0.79**	0.00	0.10	0.10
12	2	डीएफपी के क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्र प्रचार कार्यालयों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आधुनिकीकरण	**(नई योजना)**	3.21	0.00	3.21	0.50	0.00	0.50
		कुल:		**3.21**	**0.79**	**4.00**	**0.50**	**0.10**	**0.60**
	VII	**गीत एवं नाटक प्रभाग**							
13	1	ग्रामीण भारत के लिए सजीव कलाएं और संस्कृति (आईसीटी स्कीम से पुनः निर्मित)	**(नई योजना)**	0.05	5.95	6.00	0.00	1.15	1.15
		कुलः		**0.05**	**5.95**	**6.00**	**0.00**	**1.15**	**1.15**
	VIII	**अनुसंधान, संदर्भ**							
		और प्रशिक्षण प्रभाग							
14	1	अनुसंधान और संदर्भ पुरस्कार	**(नई योजना)**	0.00	0.25	**0.25**			
		कुल:		**0.00**	**0.25**	**0.25**			
	IX	**भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक**							
15	1	आर एन आई को मजबूती प्रदान करना -	**(नई योजना)**	0.00	0.17	**0.17**			
		कुल:		**0.00**	**0.17**	**0.17**			

पिछले पृष्ठ से जारी......

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	X	**मुख्य संचिवालय की स्कीमें**							
16	1	सूचना भवन का निर्माण (चरण V)	**(नई स्कीम)**	36.22	0.00	36.22			
17	2	विकास सम्बधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण	**(नई स्कीम)**	0.00	0.50	0.50			
18	3	भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए विदेशी संस्थानों में सेवाकालीन प्रशिक्षण	**गैर–योजना में डाली गई लेकिन पुनः प्रस्तावित**	0.00	1.50	**1.50**			
		कुल		**36.22**	**2.00**	**38.22**			
		कुल : सूचना क्षेत्र		**79.68**	**83.31**	**162.99**	**1.20**	**3.37**	**4.57**
	ब	**फिल्म क्षेत्र**							
	I	**फिल्म प्रभाग**							
19	1	अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र लघु और एनीमेशन फिल्म समारोह		0.00	2.50	**2.50**			
20	2	म्यूजियम ऑफ मूविंग इमेजेज	62.51	0.00	**62.51**				
21	3	फिल्म प्रभाग फिल्मों की वेब कास्टिंग/डिजिटलाजेशन		0.00	2.00	**2.00**			
22	4	वृत्तचित्रो का निर्माण	**(नई स्कीम)**		7.00	**7.00**	0.00	0.70	0.70
		कुल :		**62.51**	**11.50**	**74.01**	**0.00**	**0.70**	**0.70**
	II	**भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार**							
23	1	अभिलेखीय महत्व को हासिल और प्रदर्शित करना		0.00	20.00	**20.00**			
		कुल :		**0.00**	**20.00**	**20.00**			

पिछले पृष्ठ से जारी......

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	III	**फिल्म समारोह निदेशालय**							
24	1	फिल्म समारोह परिसर –सुधार और नया स्वरूप देना		1.28	0.00	**1.28**			
25	2	फिल्म समारोहों के जरिए व्यापार सम्वर्धन		0.00	7.40	**7.40**			
26	3	प्रिंट यूनिट का उन्नयन	**(नई योजना)**	1.00	0.00	**1.00**			
		कुल		**2.28**	**7.40**	**9.68**			
	IV	**बाल फिल्म समिति, भारत**							
		(अनुदान सहायता)							
27	1	**बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता**		0.00	7.00	**7.00**	**0.00**	**0.70**	**0.70**
		कुल		**0.00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.70**	**0.70**
	V	**केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड**							
28	1	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन/उन्नयन सुविधाए जुटाना		1.00	0.00	**1.00**			
29	2	हैदराबाद नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना		0.00	0.60	**0.60**			
30	3	प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी और आधुनिकीकरण		0.00	0.60	**0.60**			
		कुल		**1.00**	**1.20**	**2.20**			
	VI	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड							
31	1	विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाना (एनएफडीसी को अनुदान सहायता)*	**(नई योजना)**	0.00	20.83	**20.83**			
32	2	इक्विटी में भागीदारी	**(नई योजना)**	0.00	0.00	**0.00**			
		कुल		**0.00**	**20.83**	**20.83**			

* **यह मुख्य सचिवालय के फिल्म स्कंध की स्कीम है जिसे एनएफडीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।**

पिछले पृष्ठ से जारी......

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	VII	**भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान**							
		(अनुदान सहायता)							
33	1	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को सहायता अनुदान		0.00	9.32	**9.32**			
34	2	ग्लोबल फिल्म स्कूल	(नई स्कीम)		0.00	2.00	**2.00**		
		कुल		**0.00**	**11.32**	**11.32**			
	VIII	**भारतीय सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता**							
		(सहायता अनुदान**)**							
35	1	भारतीय सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान		0.00	7.00	**7.00**			
		कुलः		**0.00**	**7.00**	**7.00**			
	IX	**मुख्य सचिवालय की स्कीम फिल्म स्कंध**							
36	1	भारत तथा विदेशों के फिल्म बाजारों में भाग लेना बाजारों में भाग लेना		0.00	4.20	**4.20**			
37	2	नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनीमेशन स्पेशल इफेक्टस उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	(नई स्कीम)	0.00	2.00	**2.00**			
38	3	राष्ट्रीय फिल्म हैरिटेज मिशन वार्शिक योजना 2010–11 से यह नई स्कीम शुरू की जा रही है।	(नई स्कीम)	0.00	5.00	**5.00**			
		कुलः		**0.00**	**11.20**	**11.20**			
		कुलः फिल्म क्षेत्र		**65.79**	**97.45**	**163.24**	**0.00**	**1.40**	**1.40**

पिछले पृष्ठ से जारी......

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	ग	**प्रसारण क्षेत्र**							
	I	**आकाशवाणी**							
		जारी स्कीमें							
38	1	जम्मू–कश्मीर विशेष पैकेज		0.50	2.00	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
39	2	मीडियम वेब सेवाओं का विस्तार **(स्कीम संपन्न)**		0.40	0.00	**0.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
40	3	एफ एम सेवाओं का विस्तार		20.52	0.00	**20.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41	4	निर्माण सेवाओं का डिजिटलाइजेशन		0.18	0.00	**0.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42	5	स्टूडियो सेवाओं का ऑटोमेशन तथा विविध स्कीमें		5.00	0.00	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43	6	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज	45.00	0.00	**45.00**	45.00	0.00	45.00	
44	7	**स्टॉफ क्वार्टर्स बनाना और कार्यालय की व्यवस्था**		**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		जारी स्कीमों का योग		**72.60**	**2.00**	**74.60**	**45.00**	**0.00**	**45.00**
		नई स्कीमें							
45	8	सॉफ्टवेयर की खरीद आकाशवाणी समाचार		0.00	15.00	**15.00**	**0.00**	**0.25**	**0.25**
46	9	ट्रांसमीटर, स्टूडियो, कनेक्टिविटी तथ डीटीएच, चैनलों का डिजिटलाइजेशन l	**(नई स्कीम)**	133.77	0.00	**137.77**	**11.00**	**0.00**	**11.00**
47	10	डिजिटल प्रसारण के लिए विदेश सेवाओं का सुदृढीकरण	**(नई स्कीम)**	0.50	0.00	**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
48	11	ई–गवर्नेंस प्रशिक्षण, संसाधन, सुरक्षा, अतिरिक्त कार्यालय आवास, स्टाफ क्वार्टर्स आदि	**(नई स्कीम)**	25.50	0.00	**25.50**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
49	12	नई प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी (अनु तथा वि.)	**(नई स्कीम)**	1.00	0.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

पिछले पृष्ठ से जारी......

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
50	12	सीमांत क्षेत्रों में उच्च क्षमता के टीवी और एफ एम ट्रांसमीटर लगाना और जम्मू तथा कश्मीर के अब तक कवरेज से बाहर क्षेत्रों में कम शक्ति के एफ एम ट्रांसमीटर लगाना	**(वा.यो.2009–10 से नई स्कीम)**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		कुल नई स्कीमें		**170.77**	**15.00**	**185.77**	**13.00**	**0.25**	**13.25**
		आकाशवाणी–कुल योग		**243.37**	**17.00**	**260.37**	**58.00**	**0.25**	**58.25**
	II	**दूरदर्शन**							
		जारी स्कीमें							
51	1	जम्मू–कष्मीर के लिए विशेष योजना		2.20	53.89	**56.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
52	2	निर्माण सुविधाओं का आधनिकीकरण स्टूडियो/ओबी		3.00	0.00	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
53	3	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेश पैकेज		1.91	20.00	**21.91**	1.91	20.00	**21.91**
54	4	एचडीटीवी		0.40	0.00	**0.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55	5	**10वीं योजना से चली आ रही अनुमोदित स्कीमें स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और सुरक्षा के रूप में पहले से अनुमोदित**		25.00	0.00	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		जारी स्कीमों का योग		**32.51**	**73.89**	**106.40**	**1.91**	**20.00**	**21.91**
		नई स्कीमें							

पिछले पृष्ठ से जारी......

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
56	**6**	**ट्रांसमिटरों का डिजिटलाइजेशन**	**(नई स्कीम)**						
		(क) ट्रांसमिटरों का डिजिटलाइजेशन (ख) ट्रांसमिटरों का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और प्रतिस्थापन							
		कुल	**20.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
57	7	स्टूडियो का डिजिटलाइजेशन	**(नई स्कीम)**						
		(क) स्टूडियो का डिजिटलाइजेशन (ख) स्टूडियो का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और प्रतिस्थापन							
		कुल	**80.00**	**0.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
58	8	**डीटीएचः** उपग्रह प्रसारण उपकरणों आधुनिकीकरण, उपकरणों का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और प्रतिस्थापन निम्नलिखित घटकों के साथ		20.00	0.00	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
59	9	एचडीटीवी		29.00	0.00	**29.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
60	10	स्टाफ क्वार्टर्स, अन्य विविध कार्य		15.00	0.00	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61	11	सॉफ्टवेयर की खरीद/निर्माण सामान्य तथा विविध **नई स्कीमों का योग**		 0.00 **164.00**	 1.00 **1.00**	 **1.00** **165.00**	 **0.00** **0.00**	 **0.00** **0.00**	 **0.00** **0.00**
		दूरदर्शन का कुल योग		**196.51**	**74.89**	**271.40**	**1.91**	**20.00**	**21.91**
		कुलः प्रसार भारती		**439.88**	**91.89**	**531.77**	**59.91**	**20.25**	**80.16**

पिछले पृष्ठ से जारी......

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		मुख्य सचिवालय : **प्रसारण क्षेत्र की स्कीमें**							
62	1	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ई एम एम सी)		2.18	0.00	**2.18**			
63	2	प्राइवेट एफ एम रेडियो फेज 2		0.01	0.00	**0.01**	64	3	
64	3	अंतर्राष्ट्रीय चैनल	**(नई स्कीम)**	0.00	0.01	**0.01**			
65	**4**	**सामु.रेडियो के लिए आईईसी कार्यकलाप**	(नई स्कीम)	**0.00**	**0.80**	0.80			
		कुलः		**2.19**	**0.81**	**3.00**			
		कुलः प्रसारण क्षेत्र		**442.07**	**92.70**	**534.77**	**59.91**	**20.25**	**80.16**
		कुलः सू. और प्र. मंत्रालय		**587.54**	**273.46**	**861.00**	**61.11**	**25.02**	**86.13**
		डीबीएस		**587.54**	**273.46**	**861.00**	**61.11**	**25.02**	**86.13**
		आईईबीआर		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

अध्याय–19

मीडिया इकाई–वार बजट

(हजार ₹ में)

मीडिया इकाई / गतिविधि का नाम	ब.अ. 2011-12			सं.अ. 2011-12			ब.अ. 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व अनुभाग प्रमुख शीर्ष '2251'–सचिवीय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ) सहित	**348400**	**406100**	**754500**	**261900**	**377900**	**639800**	**861000**	**409200**	**1270200**
प्रमुख शीर्ष–2205–सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्रैफी फिल्मों का कला और संस्कृति प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	12000	63000	75000	12000	61000	73000	0	65000	65000
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	2000	2000	0	1000	1000	0	1700	1700
कुल प्रमुख शीर्ष–2205	**12000**	**65000**	**77000**	**12000**	**62000**	**74000**	**0**	**66700**	**66700**
प्रमुख शीर्ष–2220–सूचना, फिल्म और प्रसार									
4. फिल्म प्रभाग	108000	382800	490800	108000	344900	452900	9000	372800	381800
5. फिल्म समारोह निदेशालय	74000	92000	166000	74000	93800	167800	0	92000	92000
6. भारतीय फिल्म अभिलेखागार	200000	46800	246800	200000	40500	240500	20000	46800	66800
7. सत्यजीत रे एफएंडटीआई, कोलकाता को सहायता अनुदान	70000	70000	140000	88000	73900	161900	80000	70000	150000
8. भारतीय बाल फिल्म समिति (सीएफएसआई) को सहायता अनुदान	63000	15500	78500	63000	15500	78500	0	15500	15500
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता अनुदान	113200	135000	248200	95200	145000	240200	0	135000	135000
10. फिल्म समितियों को सहायता अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर	0	45000	45000	0	42800	42800	0	43800	43800
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	2500	21700	24200	2500	17400	19900	0	21700	21700
13. भारतीय जनसंचार संस्थान को अनुदान	10500	71700	82200	6500	71700	78200	0	71700	71700
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	560000	673300	1233300	887900	653300	1541200	990000	673300	1663300
15. पत्र सूचना कार्यालय	127500	412300	539800	127500	363300	490800	153000	383300	536300
16. भारतीय प्रेस परिषद को सहायता अनुदान	0	53200	53200	0	53200	53200	0	53200	53200
17. पीटीआई को ऋण के ब्याज के एवज में सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार ₹ में)

मीडिया इकाई / गतिविधि का नाम	ब.अ. 2011-12			सं.अ. 2011-12			ब.अ. 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
18. पेशेवर और विशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	100	100
19. पत्रकार कल्याण कोश में अंतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	6900	413500	420400	6900	404100	411000	70000	430700	500700
21. गीत और नाटक प्रभाग	48000	217400	265400	48000	227400	275400	72000	232400	304400
22. प्रकाशन विभाग	1000	222300	223300	1000	219600	220600	18000	227000	245000
23. रोजगार समाचार–एंप्लायमेंट न्यूज	500	272900	273400	500	267600	268100	0	269000	269000
24. भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	1700	43500	45200	1700	40500	42200	2000	41700	43700
25. फोटो प्रभाग	20800	39600	60400	17300	39400	56700	4500	40600	45100
26. संचार विकास के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अंशदान	0	1700	1700	0	1700	1700		1700	1700
27. एशिया पेसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए अंशदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000
कुल : प्रमुख शीर्ष 2220	**1407600**	**3232300**	**4639900**	**1728000**	**3117700**	**4845700**	**1418500**	**3224300**	**4642800**
कुलः प्रमुख शीर्ष–2251, 2205 और 2220	**1768000**	**3703400**	**5471400**	**2001900**	**3557600**	**5559500**	**2279500**	**3700200**	**5979700**
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष–2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप मुख्य शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	100	100	200
टेलीविजन (उप मुख्य शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	100	100	200
सामान्य (उप मुख्य शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
सहायता अनुदान	716200	14123500	14839700	1116200	14623500	15739700	1119800	14623500	15743300
कुल : (प्रसारण)	**716400**	**14123700**	**14840100**	**1116400**	**14623700**	15740100	**1120000**	**14623700**	**15743700**
पूर्वोत्तर क्षेत्र–अन्य व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ योजना एकमुश्त प्रावधान (मुख्य शीर्ष)	250200	0	250200	249700			210500	0	210500
कुल : राजस्व खंड	**2734600**	**17827100**	**20561700**	**3368000**	**18181300**	**21549300**	**3610000**	**18323900**	**21933900**

(हजार ₹ में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	ब.अ. 2011-12			सं.अ. 2011-12			ब.अ. 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग के लिए उपकरणों की प्राप्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय के लिए उपकरणों की प्राप्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों की प्राप्ति	27100	0	27100	17500	0	17500	0	0	0
4. गीत और नाटक प्रभाग के लिए उपकरणों की प्राप्ति	500	0	500	500	0	500	0	0	0
5. फोटो प्रभाग के लिए उपकरणों की प्राप्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय के लिए उपकरणों की प्राप्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए उपकरणों की प्राप्ति	13000	0	13000	3600	0	3600	16000	0	16000
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के लिए उपकरणों की प्राप्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के लिए उपकरणों की प्राप्ति	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
10. सीबीएफसी के लिए उपकरणों की प्राप्ति	10000	0	10000	10000	0	10000	15000	0	15000
11. डीएफएफ की मुद्रण इकाई का उन्नयन	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
12. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनटरिंग सेंटर–मशीनरी और उपकरण	20000	0	20000	20000	0	20000	80000	0	80000
13. प्रकाशन विभाग के लिए उपकरणों की प्राप्ति	8500	0	8500	4400	0	4400	0	0	0
14.. रोज़गार समाचार के लिए उपकरणों की प्राप्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भवन									
15. फिल्म प्रभाग के मूलभूत इमारती ढाचें का उन्नयन	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
16. फिल्म प्रभाग के लिए चलचित्र संग्रहालय की स्थापना–	625100	0	625100	480000	0	480000	10000	0	10000
17. एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
18. एनएफएआई बुनियादी ढांचे का उन्नयन/डिजिटल लाइब्रेरी	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
19. फिल्म समारोह परिसर संयोजन तथा फेर–बदल बृहत् कार्य	12800	0	12800	2800	0	2800	10000	0	10000
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान– बुनियादी सुविधाओं का विकास	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000
21. सूचना भवन बिल्डिंग–बृहद कार्य	362200	0	362200	313000	0	313000	150000	0	150000
22. डीएफपी इकाईयों वाले राज्यों में केन्द्रीय सूचना भवन	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
23. पीआईबी के लिए राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया सेंटर का निर्माण	205000	0	205000	300000	0	300000	90000	0	90000
24. सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन/विस्तार	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
25. आईआईएमसी के लिए भवन तथा आवासीय परियोजना	168500	0	168500	34800	0	34800	92000	0	92000
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन तथा टॉवर	100	0	100	100	0	100	0	0	0

(हजार ₹ में)

मीडिया इकाई / गतिविधि का नाम	ब.अ. 2011-12			सं.अ. 2011-12			ब.अ. 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
27. इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया (फि.प्र.) का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0		0 0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बृहद कार्य	1800	0	1800	1800	0	1800	20000	0	20000
निवेश									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0	100	0	100	0	0	0
कुलः पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष–4220	**1464600**	**0**	1464600	1198600	**0**	1198600	**705000**	**0**	705000
सूचना और प्रचार के लिए ऋण प्रमुख शीर्ष–6220									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और प्रतिष्ठानों को ऋण **(लघु शीर्ष)**									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण प्रमुख शीर्ष–6221									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठानों को ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम	3799700	0	3799700	2755500	0	2755500	4010000	0	4010000
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय–अन्य व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजना / स्कीम (प्रमुख शीर्ष–4552)									
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों की प्राप्ति	5000	0	5000	2500	0	2500	0	0	0
आईआईएमसी के लिए उपकरणों की प्राप्ति	7000	0	7000	3500	0	3500	0	0	0
आईआईएमसी के नये क्षेत्रीय केन्द्र खोलना	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
सीबीएफसी के बुनियादी ढ़ंचे का उन्नयन और विस्तार	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
(प्रमुख शीर्ष–4552)	12000	0	12000	6000	0	6000	5000	0	5000
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय–अन्य व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजना / स्कीम (प्रमुख शीर्ष–6552)									
प्रसार भारती	599100	0	599100	539100	0	539100	720000	0	720000
कुल : पूंजी खंड	**5875400**	**0**	**5875400**	**4499200**	**0**	**4499200**	**5440000**	**0**	**5440000**
कुल : मांग संख्या 59	**8610000**	**17827100**	**26437100**	**7867200**	**18181300**	**26048500**	**9050000**	**18323900**	**27373900**

अध्याय 20

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

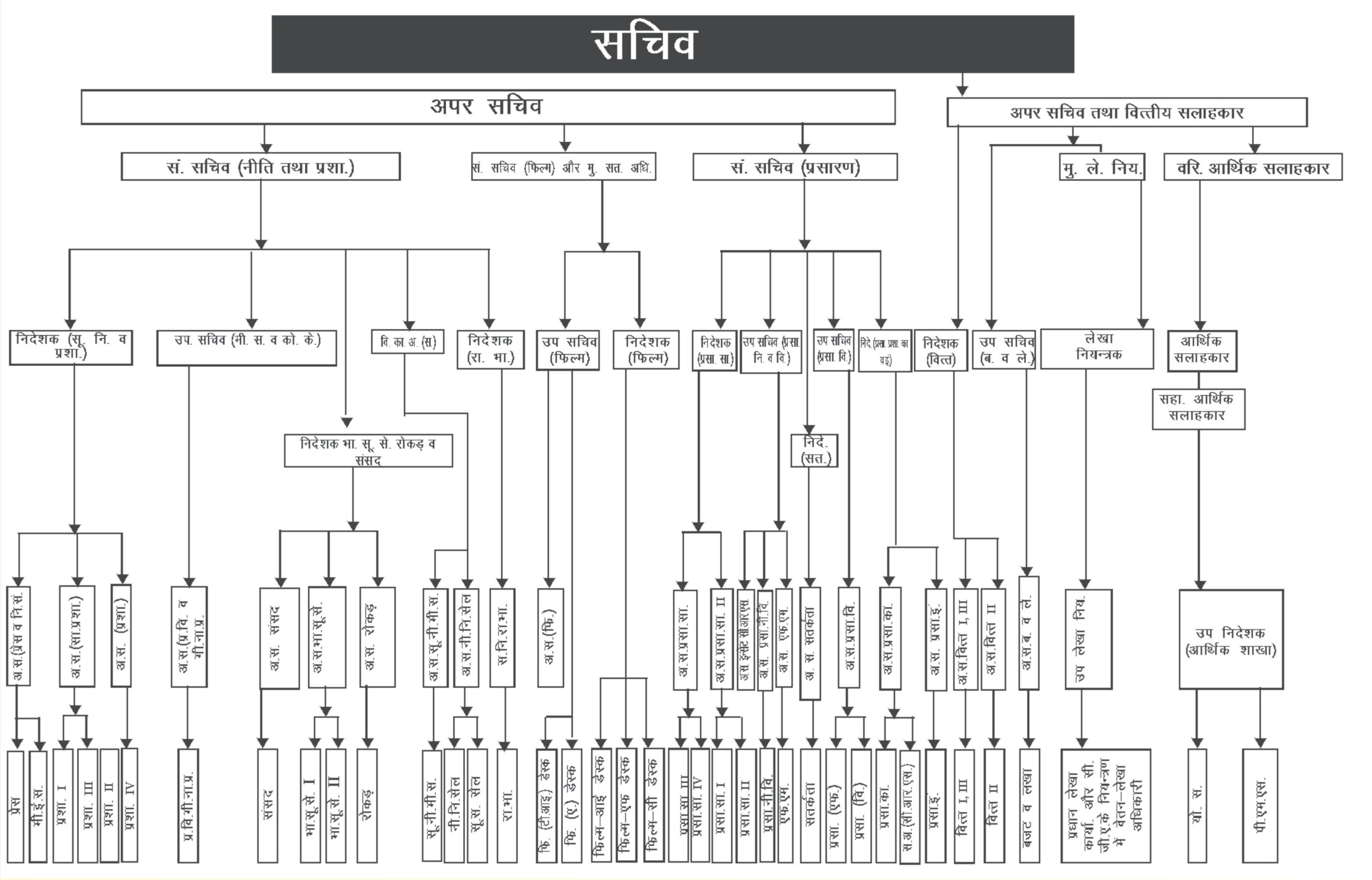

उप सचिव (मी. तथा को. के.) को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक, फोटो प्रभाग (मी.इ.स. डेस्क), गीत और नाटक प्रभाग, प्रकाशन विभाग (एफ.(एस.) डेस्क) और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सू.नी.व मी.स. अनुभाग) के प्रशासन तथा मुख्य सचिवालय में अदालती मामलों की देख–रेख का काम दिया गया है

बजट सम्बन्धी कार्यों के लिए अवर सचिव (बजट तथा लेखा) मूख्य लेखा नियन्त्रक को रिपोर्ट करते हैं। अन्य मामलों में वह उप सचिव (बजट तथा लेखा) को रिपोर्ट करते हैं।

मंत्रालय में पदनाम

सचिव	सचिव
अ.स.	अपर सचिव
अ.स. तथा वि.स.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
व.आ.स.	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
सं.स. (नी. एवं प्रशा.)	संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन)
सं.स. (फि.) मु. स.	संयुक्त सचिव (फिल्म) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
सं.स. (प्रशा.)	संयुक्त सचिव (प्रसारण)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
मु. ले. नि.	मुख्य लेखा नियंत्रक
निदेशक (सू. नि. एवं मी. स.)	निदेशक (सूचना नीति एवं प्रशासन)
निदेशक (रा. भा.)	निदेशक (राजभाषा)
निदेशक (फिल्म)	निदेशक (फिल्म)
निदेशक (सतर्कता)	निदेशक (सतर्कता)
निदेशक (प्र. सा.)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
निदेशक (भा. सू. स. रोकड़ एवं संसद)	निदेशक (भारतीय सूचना सेवा, रोकड़ तथा संसद)
निदेशक (प्र. प्रशा.–का. एवं प्र. प्रशा.–इं.)	निदेशक (प्रसारण प्रशासन–कार्यक्रम एवं प्रसारण प्रशासन–इंजिनियरिंग)
उप सचिव (फिल्म)	उप सचिव (फिल्म)
उप सचिव (प्रसा. सा. एवं वि.)	उप सचिव (प्रसारण नीति तथा विधिक मामले)
उप सचिव (प्रसा. वि.)	उप सचिव (प्रसारण सामग्री)
उप सचिव (ब. ले.)	उप सचिव (बजट एवं लेखा)
उप सचिव (एफ. एम.)	उप सचिव (फ्रीक्वेन्सी मॉडुलेशन)
अ. आ. स.	अपर आर्थिक सलाहकार
मू. का. अ. (स.)	विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय)
ले. नि.	लेखा नियन्त्रक
अ. स. (मी. इ. स. एवं प्रेस)	अवर सचिव (मीडिया इकाई समन्वय तथा प्रेस)
अ. स. (प्र. II एवं IV)	अवर सचिव (प्रशासन II एवं IV)
अ. स. (भा. सू. से.)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
अ. स. (सा. प्र. एवं रोकड़)	अवर सचिव (सामान्य प्रशासन तथा रोकड़)
अ. स. (सत.)	अवर सचिव (सतर्कता)
अ. स. (मी. नी. एवं मी. स.)	अवर सचिव (मीडिया नीति और मीडिया समन्वय)
अ. स. (प्र. सा.)	अवर सचिव (प्रसारण सामग्री)

अ.स. (प्र.सा.II)	अवर सचिव (प्रसारण सामग्री -II)
अ.स. (प्र.नी. एवं वि.)	अवर सचिव (प्रसारण नीति एवं विधायी मामले)
अ.स. (इन्सेट एवं सीआरएस)	अवर सचिव (इन्सेट एवं सामुदायिक रेडियो सेवा)
अ.स. (प्र.वि. एवं प्र. वित्त)	अवर सचिव (प्रसारण विकास एवं प्रसारण वित्त)
अ.स. (एफएम)	अवर सचिव (एफएम)
अ.स. (प्र.प्रशा.– का.)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन – कार्यक्रम)
अ.स. (प्र.प्रशा.–ई.)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन – इंजीनियरिगं)
अ.स. (वित्त–I एवं III)	अवर सचिव (वित्त–I एवं III)
अ.स. (वित्त–II)	अवर सचिव (वित्त–II)
अ.स. (ब. एवं ले.)	अवर सचिव (बजट एवं लेखा)
अ.स. (नी.नि.सेल. एवं आईएफसी)	अवर सचिव (नीति नियोजन सेल एवं आईएफसी)
अ.स. (फि.स.)	अवर सचिव (फिल्म समारोह)
अ.स. (प्र.अ.– का. II)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन – कार्यक्रम II)
अ.स. (प्र.वि., गी.ना.प्र.और संसद)	अवर सचिव (प्रकाशन विभाग, गीत–नाटक प्रभाग, संसद)
अ.स. (फि.)	अवर सचिव (फिल्म)
उ.नि. (अ.श.)	उप निदेशक (वित्तीय शाखा)
उ.ले.नि.	उप लेखा नियंत्रक
स.नि. (रा.भ.)	सहायक निदेशक (राजभाषा)
प्रशा. I	प्रशासन I
प्रशा. II	प्रशासन II
प्रशा. III	प्रशासन III
प्रशा.. IV	प्रशासन IV
रोकड़	रोकड़
संसद सेल	संसद सेल
मी.इ.स. (डीएवीपी,आरएनआई,फोटो प्रभाग)	मीडिया इकाई समन्वय (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय, फोटो प्रभाग)
मी.इ.स. (प्र.वि.,गी.ना.प्र.)	मीडिया इकाई समन्वय (प्रकाशन विभाग और गीत एवं नाटक प्रभाग)
हिन्दी एंकाश	हिन्दी एंकाश
सतर्कता	सतर्कता
सू.नी.एव.मी.स.	सूचना नीति और मीडिया समन्वय
नी.नि.सेल	नीति नियोजन सेल
प्रेस	प्रेस
भा.सू.से.I	भारतीय सूचना सेवा I
भा.सू.से.II	भारतीय सूचना सेवा II
फि.(स) डेस्क	फिल्म (समारोह) डेस्क
फि.(फि.एवं टेली.सं.) डेस्क	फिल्म (फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान) डेस्क

फि.(प्र.) डेस्क	फिल्म (प्रशासन) डेस्क
फि.(प्रमा.) डेस्क	फिल्म (प्रमाणन) डेस्क
फि.(उ..) डेस्क	फिल्म (उद्योग) डेस्क
प्र.सा.I	प्रसारण सामग्री I
प्र.सा.II	प्रसारण सामग्री II
प्र.सा.III	प्रसारण सामग्री III
प्र.सा.IV	प्रसारण सामग्री IV
प्र.(वि)	प्रसारण (विकास)
प्र.(वित्त)	प्रसारण (वित्त)
प्र.नी.एवं वि.	प्रसारण नीति एंव विकास
प्र.प्रशा.–का.	प्रसारण प्रशासन (कार्यक्रम)
प्र.प्रशा.–इ.	प्रसारण प्रशासन (इंजीनीयरिंग)
एफएम सेल	एफएम सेल
स.अ.(सा.रे.स्टे.)	सहायक अभियन्ता (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
वित्त–I एवं III	वित्त–I एवं III
वित्त–II	वित्त–II
यो. स. सेल	योजना समन्यव सेल
ब. एवं ले.	बजट एवं लेखा
का.प्र.अ.	कार्यकुशलता प्रबंधन अनुभाग
वे.एवं ले. अधि.	वेतन एवं लेखा अधिकारी
म.ले.नि.	महा लेखा नियंत्रक
सू.सु.का.	सूचना सुविधा काउंटर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के वेबसाइट पते

क्र.सं.	मीडिया इकाई	वेबसाइट
1	पत्र सूचना कार्यालय	www.pib.nic.in
2	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	www.davp.nic.in
3	प्रकाशन विभाग	www.publicationsdivision.nic.in
4	भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	www.rni.nic.in
5	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	www.dfp.nic.in
6	फोटो प्रभाग	www.photodivision.gov.in
7	भारतीय जन संचार संस्थान	www.iimc.nic.in
8	भारतीय प्रेस परिषद	www.presscouncil.nic.in
9	गवेषणा एवं प्रशिक्षण प्रभाग	www.rrtd.nic.in
10	प्रसार भारती	www.ddindia.gov.in , www.allindiaradio.org
11	दूरदर्शन	www.ddindia.gov.in
12	आकाशवाणी	www.allindiaradio.org
13	गीत एवं नाटक प्रभाग	www.sdd.nic.in
14	फिल्म समारोह निदेशालय	www.dff.nic.in
15	बीईसीआईएल	www.becil.com
16	फिल्म प्रभाग	www.filmsdivision.org
17	भारतीय बाल फिल्म समिति	www.cfsindia.org
18	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	www.ftiindia.com
19	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	www.nfdcindia.com
20	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	www.cbfcindia.tn.nic.in
21	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	www.srfti.gov.in
22	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड II का प्रकाशन रोका जाना

लोकसभा सचिवालय के ओ.एम. संख्या 61/2/ईसी/2008 दिनांक 18.12.2008 द्वारा सूचित संसदीय आकलन समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खण्ड II का प्रकाशन वर्ष 2008–09 से बंद कर दिया गया। हालांकि यह मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in या www.mib.nic.in पर उसी प्रारूप में उपलब्ध है, जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खण्ड II में पहले प्रकाशित किया जाता था।

'मेरा तिरंगा' – फोटो डिवीजन द्वारा आयोजित 23वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के रंगीन फोटो वर्ग में विजयवाड़ा के श्री नारायण राव की द्वितीय पुरस्कार प्राप्त प्रविष्टि